लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 18 दिसम्बर, 1996/27 अग्रहायण, 1918(शक)

का

शुद्धि-पत्र

.....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
95	नीचे से 5	(ख)	(ग)
165	नीचे से 8	3829	3839
278	3	(क)	(क) से (ड·)
281	9	(क) से (छ)	(क) से (घ) और (छ)
320	3	मुर्मू, श्री रूप चन्द्र	मुर्मू, श्री रूप चन्द
322	14	*मोल्लाल श्री हन्नान	*मोल्लाह, श्री हन्नान
464	नीचे से 12	सरहद	सरहिन्द
536	नीचे से 3	(19·12·96)	(19·12·96)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड /, तीसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 20, बुधवार, 18 दिसम्बर, 1996/27 अग्रहायण, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	383-385	1—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	381, 382 और 386 से 400	25—47
अतारांकित प्रश्न संख्या	3748 से 3977	48—294
सभा पटल पर रखे गए पत्र		294—306
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति		
चौथा प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		307
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		307
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति		
पहला प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		307
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—**पुरःस्थापित**		308—327
नियम 377 के अधीन मामले		333—338
(एक) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के साथ विलय के कारण माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड के कामगारों के हितों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता		
श्री आर.एल.पी. वर्मा		333
(दो) मनमाड़-इंदौर बरास्ता सेधवा बड़ी रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता		
श्री रामेश्वर पाटीदार		334
(तीन) रांची और कोरबा के बीच रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता		
श्री नन्द कुमार साय		334—335
(चार) कर्नाटक में कोलार और चिक्काबल्लापुरा के बीच आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किये जाने की आवश्यकता		
श्री के.एच. मुनियप्पा		335—336
(पांच) उच्च शिक्षा के वित्त पोषण के लिए शिक्षा विकास बैंक स्थापित किए जाने की आवश्यकता		
श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण		336
(छह) बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता		
श्री सुकदेव पासवान		336—337
(सात) ठाणे जिले के मुम्बरा के निकट मुम्बई-पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बाई पास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता		
श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे		337

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(आठ) बिहार के जहानाबाद जिले में दूरसंचार सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	337—338
उत्तर प्रदेश बजट—सामान्य चर्चा	
और	
वर्ष 1996-97 के लिए अनुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश)	338—404
श्री सत्यदेव सिंह	345—367
श्री बी.के. गढ़वी	367—372
श्री एस.पी. जायसवाल	372—374
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	375—376
श्री संतोष मोहन देव	376—377
श्री प्रभु दयाल कठेरिया	378—381
श्री हरिवंश सहाय	381—382
श्री जी.एम. बनातवाला	382—384
श्री भगवान शंकर रावत	384—387
श्री चित्त बसु	387—388
श्री इलियास आजमी	388—390
श्री संतोष कुमार गंगवार	390—393
श्री सैयद मसूदल हुसैन	393—395
श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा"	395—397
लेफ्टीनेंट जनरल (रिटायर्ड) श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी	397—398
श्री अमर पाल सिंह	398—399
डा. रमेश चन्द तोमर	399—400
श्री पी. चिदम्बरम	400—404
उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1996—**पारित**	404—406
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री पी. चिदम्बरम	404—405
खंड 2,3 और 1	405
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री पी. चिदम्बरम	406
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 1996-97	406—410, 426—534
श्री वी. धनन्जय कुमार	407—410, 426—429
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका	429—431
श्री सुरेश प्रभु	431—435
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	435—436
श्री काशीराम राणा	437—441

विषय		कालम
डा. असीम बाला		441—444
श्री अनादि चरण साहू		444—447
श्री जार्ज फर्नान्डीज		447—453
श्री वी.वी. राघवन		453—460
श्री पी.सी. थामस		460—463
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा		463—465
श्री तिरूची शिवा		465—468
श्री भक्त चरण दास		468—471
डा. रामकृष्ण कुसमरिया		471—474
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही		474—481
श्री बाजू बन रियान		481—483
श्री ई. अहमद		483—485
डा. सत्यनारायण जटिया		486—490
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल		490—491
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका		491—496
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन		496—499
श्री राम टहल चौधरी		499—501
श्री ब्रह्मानन्द मंडल		501—503
श्री येल्लैया नंदी		503—506
श्री सैयद मसूदल हुसैन		507—508
श्री पी. चणमुगम		508—509
श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह		509—511
प्रो. रासा सिंह रावत		511—515
श्री दिलीप सिंह भूरिया		515—516
*श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी		516—518
डा. रामचन्द्र डोम		518—522
श्री संतोष कुमार गंगवार		522—524
श्री राम विलास पासवान		524—534
आंधे घंटे की चर्चा		
चीनी विकास परिषद		410
श्री राम नाईक		410—413
श्री संतोष कुमार गंगवार		413—415
श्री अमर पाल सिंह		415
डा. सत्यनारायण जटिया		415—416
श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल		416—417
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव		418—425

विषय	कालम
विनियोग (रेल) संख्यांक 4, विधेयक—**पारित**	534—536
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री राम विलास पासवान	534—535
खंड 2,3 और 1	535—536
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री राम विलास पासवान	536

लोक सभा

बुधवार, 18 दिसम्बर, 1996/27, अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

तेल की खोज

***383. प्रो. पी.जे. कुरियन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल की खोज पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या इस क्षेत्र में मिले परिणाम खर्च की गई धनराशि के अनुरूप हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए ओ एन जी सी और ओ आई एल द्वारा तेल अन्वेषण (सर्वेक्षण और अन्वेषण वेधन) पर कुल अनुमानित योजना परिव्यय लगभग 7185.61 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग). अन्वेषण क्रियाकलापों के परिणाम अनिश्चित प्रकृति के होते हैं और किए गए निवेश तथा उपलब्धि में कोई सीधा संबंध नहीं होता। तथापि, वास्तविक उपलब्धियां कमोबेश, किए गए निवेशों के अनुरूप होते हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि तेल अन्वेषण के लिए सात हजार करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च किए गये थे लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इसके परिणाम अनिश्चित हैं संभवतः उन्होंने अपनी असफलता स्वीकार की हैं। देश में तेल खपत में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। आयात बिलों में वृद्धि हो रही हैं। तेल पूल कमी में वृद्धि हो रही है। यह एक दुष्चक्र है। लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि हमने तेल अन्वेषण के लिए इतनी बड़ी धनराशि खर्च की है, उत्पादन में तदनुसार वृद्धि नहीं हो रही है। मेरी चिन्ता यह है कि जबकि प्रत्येक वर्ष तेल खपत में वृद्धि हो रही है, तेल उत्पादन में तदनुसार वृद्धि नहीं हो रही है। अतः हमें इस समस्या का समाधान करना है।

मैं माननीय मंत्री से चालू वर्ष के उत्पादन के बारे में जानना चाहता हूं और यह कि क्या इससे यह पता चलता है कि इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। चालू वर्ष के उत्पादन का क्या रूख है? क्या इसमें वृद्धि हो रही है?

इसके अतिरिक्त, इस वर्ष कितने तेल क्षेत्रों की पहचान की गई है? इन नये तेल क्षेत्रों से कितना उत्पादन होता है?

इसके साथ, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केरल-कोंकण तटीय क्षेत्र जहां कुछ तेल क्षेत्रों का पता लगाया गया है। क्या वहां अन्वेषण कार्य किया जा रहा है, यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हे?

अंत में, मैं यह जानना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र का इसमें क्या योगदान है क्योंकि उदारीकरण के पश्चात, हम निजी क्षेत्र को भी तेल अन्वेषण की अनुमति प्रदान कर रहे हैं। कितनी निजी कम्पनियां कार्य कर रही हैं? उनका क्या योगदान है?

श्री टी.आर. बालू : महोदय, वर्ष 1989-90 में कच्चे तेल का उत्पादन 34.09 मिलियन मीट्रिक टन था। वर्ष 1992-93 में यह कम होकर 26.95 मिलियन मीट्रिक टन रह गया। लेकिन, साथ ही वर्ष 1995-96 के दौरान, इसका उत्पादन 35.185 मिलियन मीट्रिक टन था। जहां तक इस वर्ष का संबंध है, इसमें कुछ कमी आई है।

प्रत्याशित लक्ष्य 38 मिलियन मीट्रिक टन था। लक्ष्य 38.09 मिलियन मीट्रिक टन रखा गया था। प्रत्याशित उत्पादन 33.52 मिलियन मीट्रिक टन की दर से हैं।

माननीय सदस्य ने भौतिक कार्य के बारे में पूछा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का संबंध है, सर्वेक्षण किया गया है। 3,58,222 लाइन किलोमीटर का सर्वेक्षण किया गया है। जहां तक आयल इण्डिया लि. का संबंध है, 17418 लाइन किलोमीटर का सर्वेक्षण किया गया है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 51 नई संरचनाओं का पता लगाया है। इन संरचनाओं की खोज तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा की गयी है। 51 हाइड्रोकार्बन खोजों में से 24 गैस संरचनाएं हैं, और 27 तेल संरचनाएं हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या आप यह जानकारी केरल कोंकण क्षेत्र के बारे में दे रहे हैं?

श्री टी.आर. बालू : नहीं, आप कुल परिणाम के बारे में जानना चाहते थे। जहां तक ऑयल इंडिया लिमिटेड का संबंध है, इसने 12 हाइड्रोकार्बन खोजों का पता लगाया है। एक गैस संरचना तथा 11 तेल संरचनाएं थीं, कुल मिलाकर आठवीं योजना में लगभग 63 संरचनाओं का पता लगाया गया है।

माननीय सदस्य केरल-कोंकण क्षेत्र के बारे में जानना चाहते थे। महोदय, केरल कोंकण क्षेत्र में, हमने 11507 लाइन किलोमीटर तक भूकम्पीय सर्वेक्षण किया है। इसके अतिरिक्त, 4000 वर्ग किलोमीटर तक का भू-सर्वेक्षण किया गया है। नौ अन्वेषण कुओं की खुदाई की गई हैं। इन कुओं की खुदाई ऊपरी जल अर्थात 200 मीटर तक की गई है।

महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग सीमान्त क्षेत्रों में भी गहरा जल अन्वेषण करने के योजना बना रहा है। इस प्रयोजनार्थ, ऊर्जा सम्मेलन के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री

के परामर्श के अनुरूप हमने ब्रुसेल्स इस क्षेत्र में बहुत सक्षम है? और हमें गहरे जल अन्वेषण करने के संबंध में परामर्श दे सकता है, के साथ एक समझौता किया है।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, मेरे प्रथम अनुपूरक प्रश्न में चार भाग थे। मंत्री ने स्पष्ट रूप से तीन भागों का उत्तर दिया और मैं उनका उसके लिए धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रश्न का चौथा भाग यह था कि इस वर्ष निजी क्षेत्र का इसमें क्या योगदान रहा। उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया है, यदि हमारे पास ब्यौरा है, तो मुझे आशा है कि वे उसका भी उत्तर देंगे।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि देश की स्थिति यह है कि प्रत्येक वर्ष तेल पर बिल में वृद्धि हो रही हैं। हां, तेल पूल घाटा बढ़ा है। इसी वजह से, इस सरकार ने तेल की कीमतों में 20 से 25 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि की है। यह एक दुष्चक्र है। इस तरह से, मैं नहीं समझता कि हम विकास कर पाएंगे। यह रास्ता बहुत खतरनाक है। अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार देश में तेल की खपत को कम करने के लिए क्या प्रशासनिक उपाय करेगी। आज, काफी बड़ी संख्या में मोटर कारें है और नई मोटर कारें भी आ रही हैं। ऊर्जा अन्य चीजों की तरह ही खर्च की जाती है। यह ऊर्जा कौन प्रयोग कर रहा है? यह 20 प्रतिशत जनसंख्या द्वारा खर्च की जाती है। 20 प्रतिशत जनसंख्या 80 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा खपत कर रही है। शहर भी प्रदूषित है। दिल्ली में प्रदूषण की दर क्या हैं? विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित शहर दिल्ली है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, मेरी चिन्ता प्रदूषण के बारे में है। यहां के लोग चिंतित नहीं है, किंतु बाहर लोग चिंतित हैं। जो लोग मेरी चिन्ता में सहभागी हैं, वे मेरी दाहिनी तरफ और बाई तरफ भी हैं। बाई तरफ बैठें लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

प्रश्न यह है कि सरकार को तेल की खपत को कम करने के लिए कोई कार्य योजना बनानी चाहिए। कोयला भी समाप्त होता जा रहा है। वह कार्य योजना क्या है? इस कार्य योजना के दो भाग होने चाहिए। एक भाग प्रशासनिक उपायों के संबंध में है। आप क्या प्रशासनिक उपाय करना चाहते हैं?

दूसरा भाग यह है, अन्य कदम क्या है? 'अन्य कदमों' से मेरा तात्पर्य यह है कि आप ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोतों का उपयोग करने का प्रयास कीजिए। क्या सरकार उसके बारे में गम्भीरतापूर्वक सोच रही है? अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि भविष्य में तेल खपत में कमी करने के लिए क्या कार्य योजना है?

श्री टी.आर. बालू : महोदय, सरकार तेल की खपत में कमी करने के रास्ते और उपायों का पता लगा रही है। वास्तव में, मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड ने भी इस संबंध में अनुसंधान किया है कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाये। उन्होंने दो वर्ष पूर्व पैट्रोल की कुछ प्रतिशत के साथ एल्कोहल का प्रयोग करने का प्रयास किया था। एकमात्र समस्या यह है कि यह ज्यादा अर्थक्षम नहीं था। इसी कारण से इसे छोड़ दिया गया।

पहले पूछे गए अनुपूरक प्रश्न में प्रो. कुरियन ने कहा है कि मैंने संयुक्त उद्यमों के बारे में उत्तर नहीं दिया हैं। मैं इससे सहमत हूं। उनका कहना सही है।

जहां तक संयुक्त उद्यमों का संबंध है, उन्होंने पहले ही के.जी. ऑफ शोट में 1.8 अमेरीकी डालर राजस्थान ऑन लैण्ड में 9.86 लाख" अमेरीकी डालर, गौंडवाना ऑन शोर में 7.27 लाख अमेरीकी डालर, के.जी. ऑफ शोर में 4.54 लाख अमेरीकी डालर, कावेरी ऑफ शोर में 3.37 लाख अमेरीकी डालर अर्थात पी.आई-3 में, तथा पी. वाई-1 में कावेरी ऑफ शोर में 2.7 लाख अमेरिकी डालर का निवेश किया है।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न के दो भाग पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि प्रतयेक पंचवर्षीय योजनाओं में अरबों रुपया व्यय करने के बाद भी ओ.एन.जी.सी. और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा अन्वेषण पर जो व्यय किया जा रहा है, उसका दोहन नहीं किया जा रहा है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में अन्वेषण से तीन जगह तेल का पता लगा था लेकिन 15 साल से अधिक समय हो गया है, अभी तक भी राजस्थान में सेफ क्वालिटी के तेल का दोहन नहीं किया जा रहा है, उसका कारण क्या है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या उक्त दोहन हेतु किन्हीं विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है या उक्त कार्य ओ.एन.जी.सी. या ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा ही किया जायेगा। चूंकि राजस्थान के बॉर्डर क्षेत्र में यह तेल मिला है, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में किसी विदेशी कंपनी को यह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कृपा करके यह स्पष्ट करें कि राजस्थान में मिले हुए तेल का कब तक दोहन प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : महोदय, राजस्थान में अन्वेषण कार्य चल रहा है। वास्तव में, निजी कम्पनियों ने 9.86 लाख अमरीकी डालर का निवेश किया है। हमने कुछ निजी कम्पनियों के साथ भी समझौता किया है और उक्त समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं। राजस्थान में हमे भारी तेल मिला है। हमारे पास भारी तेल को संसाधित करने की प्रौद्योगिकी नहीं है। हम भारी तेल के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। वास्तव में उस प्रयोजन के लिए इटली तथा चीन के वासियों को भी लगाया गया है।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह बॉर्डर क्षेत्र है और मुझे डर है यदि किसी विदेशी कंपनी को

आमंत्रित किया गया तो निश्चित रूप से उसमें दखलंदाजी होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप यह बतायें कि यह कंपनी निजी हैं अथवा विदेशी?

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक ही सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : मैंने कहा है कि विदेशी कम्पनियां केवल प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए है न कि अन्वेषण कार्यों के लिए। हम यह जानना चाहते हैं कि भारी तेल को कैसे संसाधित किया जाये।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आज से तीन वर्ष पहले तेल खनन और तेल के निकलने की संभावनाएं व्यक्त की गई थीं। क्या आपने उपरोक्त जिले में तेल खनन के कार्य को 9वीं योजना में शामिल किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार इसे शामिल करने जा रही है।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा चल रही है। केन्द्रीय योजना आयोग के साथ चर्चा के पश्चात, एयरो मैगनेटिक तथा भूगर्भीय सर्वेक्षण से जो आंकड़े मिलेंगे, उनको तैयार करके कार्य रूप दिया जायेगा।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मैं समझती हूं कि मंत्री जी हिन्दी ठीक ढंग से समझ रहे हैं। मुझे सिर्फ एक प्रश्न पूछना है कि तमिलनाडु में राजन पिल्लई नाम के एक नौजवान ने वनस्पति पत्तियों से तेल बनाने का शोध किया था। उसने बाद में सरकार से भी एप्रोच की थी और सरकार ने उसकी कुछ जांच भी कराई थी। मैं जानना चाहती हूं कि उस शोध की आज क्या स्थिति है, क्या वह सही पाया गया और अगर सही पाया गया तो क्या उस नौजवान के अनुभव का उपयोग करने की दिशा में सरकार ने कोई पग उठाए हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी क्या रैलेवैंस है?

कुमारी उमा भारती : उसने कुछ वैजिटेबल लीव्ज पर शोध किया था, पैट्रोल ऑयल बनाया था, इसलिए मैं जानना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर मंत्री जी जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : महोदय, माननीय महिला सदस्य ने अभी प्रश्न किया है। जो वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध होगा, उसे हिसाब में लिया जायेगा। क्योंकि श्री राजन पिल्लेई की खोज वैज्ञानिक स्तरों के अनुरूप नहीं है। हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

पेट्रोलियम परियोजनाएं

+

***384. श्री अमर पाल सिंह** :

श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त पेट्रोलियम संबंधी अनेक योजनाएं/परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए प्रस्ताव किस तारीख को प्राप्त हुआ था;

(घ) इन परियोजनाओं/प्रस्तावों को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं/प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया भर में 80 लाख वाहन पावर एल्कोहल से चल रहे हैं और उनके चलने से प्रदूषण की समस्या भी नहीं है। हमारे देश में 1980 से लगातार पैट्रोलियम लैब, देहरादून इस पर सफलतापूर्वक अनुसंधान कर रही है तथा रतलाम में भी पावर एल्कोहल प्लांट द्वारा यह परीक्षण सफल हो चुका है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या देश में पावर एल्कोहल का उत्पादन प्रारम्भ करके पावर एल्कोहल से वाहन चलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक भारत सरकार उसे क्रियान्वित कर देगी?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मुख्य प्रश्न यह है क्या विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त पेट्रोलियम क्षेत्र की कई योजनाएं/परियोजनाएं संघ सरकार के पास लम्बित हैं? माननीय सदस्य का प्रश्न मुख्य प्रश्न से जुड़ा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : ठीक है, मैं अपने प्रश्न से संबंधित सवाल पूछ लेता हूं। यद्यपि मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में नकारात्मक जवाब दिया है किन्तु मेरी जानकारी के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों से आई.ओ.सी. तथा बी.बी.सी. द्वारा प्रस्तावित पेट्रोलियम पदार्थों के

उत्पादन संबंधी योजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं। यदि हां, तो किन किन राज्यों की योजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं और कब से?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : महोदय, माननीय सदस्य ने प्रमुख प्रश्न से संबंधित संबद्ध प्रश्न पूछा है। उनका प्रश्न सामान्य है। मैं उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप दो से अधिक सप्लीमेंटरी नहीं पूछ सकते।

श्री अमर पाल सिंह : मंत्री जी, मेरे हर प्रश्न का उत्तर इरैलेवैंट कहकर टाल रहे हैं ...(**व्यवधान**) मेरा मूल प्रश्न था कि विगत दो वर्षों में विभिन्न राज्य सरकारों ने पैट्रोलियम पदार्थों से संबंधित अनेक योजनाएं एवं परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास भेजी हैं, जो यहां लम्बित हैं। मैं उसी के बारे में जानना चाहता हूं कि आज उनकी क्या स्थिति है? मंत्री जी उसका उत्तर भी नहीं दे रहे हैं। मैं योजनाओं के बारे में ही पूछ रहा हूं क्योंकि पैट्रोलियम का विषय केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आता है, राज्य सरकारें उन योजनाओं को अपने यहां इम्पलीमेंट करती हैं ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : महोदय, पैट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा नियन्त्रित की जाती हैं और वे केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है। पैट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा। इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अमर पाल जी अब आप बैठिए। गाड़ी आगे बढ़ गई है।

[अनुवाद]

श्री नीतीश भारद्वाज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि राज्य सरकार के पास पैट्रोलियम क्षेत्र की कोई परियोजनाएं तथा योजनाएं लंबित नहीं है। यदि हमें इस पर विश्वास कर भी लें तो हाल ही में पैट्रोलियम की कुछ कमी रही है और पूरी संभावना है कि बाजार में पैट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि की जायेगी। उसे ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने कोई अल्पावधिक अथवा दीर्घावधिक तेल या पैट्रोलियम अन्वेषण नीति बनाई है। ताकि बाजार से पैट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि के डर को दूर किया जा सके।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, यह ठीक है कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबद्ध नहीं है, लेकिन इस सम्मानीय सदन के हित में ...(**व्यवधान**)

श्री नीतीश भारद्वाज : महोदय, मेरा प्रश्न पैट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि के संबंध में है। ...(**व्यवधान**)

श्री टी.आर. बालू : महोदय, प्रश्न राज्य सरकारों की परियोजनाओं के सबंध में है। प्रश्न यह है, कि क्या राज्य सरकार की परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित है। लेकिन इस सम्मानीय सदन के हित में ...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री नीतीश भारद्वाज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)

प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' : उपाध्यक्ष महोदय, ये राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न है। इनको क्यों लटकाया जा रहा है? ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त पेट्रोलियम क्षेत्र की कई योजनाएं/परियोजनाएं संघ सरकार के पास लंबित है।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री नीतीश भारद्वाज : उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट गवर्नमेंट से जो स्कीमें आई हैं उनके बारे में मैं जानना चाहता हूं? ...(**व्यवधान**)

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर ठीक नहीं आ रहा है। यदि इनको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके अनुसार इसमें संशोधन होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)

श्री नीतीश भारद्वाज : उपाध्यक्ष महोदय, अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम पेंडिंग नहीं हैं, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसा कहा है कि आप हमें आल्टरनेटिव रास्ते बताइए ताकि यह प्राइस हाइक न हो, यह तो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है? ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : महोदय, सरकार के पास कच्चा तेल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक कार्य योजना है। यदि माननीय सदस्य मुझे सुनना चाहते हैं, तो मैं आगे बढ़ूं अथवा ...(**व्यवधान**)

श्री नीतीश भारद्वाज : महोदय, वे उत्तर देना चाहते हैं और मैं भी सुनने के लिए तैयार हूं। पैट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि एक प्रमुख मुद्दा है।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, यह सभी की चिन्ता का विषय है। यह केवल माननीय सदस्य की चिन्ता नहीं है, यह समस्त भारत की

चिन्ता का विषय है। इसी कारण से हम कोई कार्य योजना बनाने की योजना बना रहे हैं। विद्यमान क्षेत्र का विकास करने के लिए 2000 करोड़ रुपये की लागत की हमने छः नई योजनाएं बनाई हैं। ये हैं : बी-119/121 संरचना का विकास; बी 55 संरचना का विकास; बी-173 ए संरचना का विकास; और हीरा फेज-3 का विकास। ये सभी पश्चिमी अप तट पर हैं और इनकी लागत 1600 करोड़ रुपये है। अन्य दो योजनाएं हैं: पश्चिम क्षेत्र में बलोल तथा संथाल फेज-दो में ईसिटु कम्बशन प्रौद्योगिकी का प्रयोग जिसकी लागत 400 करोड़ रुपये होगी। हम तेल तथा गैस के अन्वेषण तथा खोजे गये क्षेत्रों के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारिता को प्रोत्साहन देते हैं। निजी क्षेत्र में कच्चे तेल का उत्पादन 1.5 मीट्रिक टन है। हम मुम्बई हाई के लिए बेहतर दीर्घकालीन भण्डार प्रबंधन की योजना बना रहे हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। उनकी सेवाएं कुंआ भंडार तथा ड्रिलिंग के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा तथा इन क्षेत्रों की बेहतर समझ के लिए ली गई है। आवधिक भूकम्पीय सर्वेक्षण भी किए जा रहे हैं। हमारे पास कुछ त्वरित अन्वेषण कार्यक्रम हैं जिसे सीमान्त क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा। एक राष्ट्रीय भूकम्पीय सर्वेक्षण भी किया जायेगा। हम परियोजनाओं से अधिक तेल वसूली तथा विदेशी लगान प्रति एकड़ प्राप्त करके विद्यमान क्षेत्रों से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, कोचीन रिफाइनरी ने कोचीन रिफाइनरी के विकास तथा पेट्रोल से विद्युत उत्पादन के लिए दो या तीन योजनाएं प्रस्तुत की हैं। हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स ने भी बेंजीन के उत्पादन के लिए कतिपय योजनाएं हैं। केरल को रसोई गैस की आपूर्ति के संबंध में बीच-बीच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोचीन रिफाइनरी तथा इण्डियन ऑयल कारपोरेशन ने रसोई गैस के लिए योजनाएं प्रस्तुत की है।

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या विद्युत उत्पादन तथा रसोई गैस के उत्पादन में वृद्धि के लिए कोचीन रिफाइनरी तथा एच ओ सी द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं तथा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है। यदि उसमें कोई विलम्ब है तो क्या वे इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे?

श्री टी.आर. बालू : जहां तक कोचीन रिफाइनरी विद्युत परियोजना का संबंध है, मैंने माननीय सदस्य को जो उस राज्य से है, यह परामर्श दिया था कि मै सदैव परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन के पक्ष में था। यह विचाराधीन है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अमर पाल सिंह जी, आपका प्रश्न हो गया।

पूर्वान्ह 11.26 बजे

इस समय श्री अमर पाल सिंह सदन से बाहर चले गये।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। रसोई गैस में वृद्धि के लिए क्या उपाय किए गये हैं? महोदय, रसोई गैस की समस्या है।

श्री टी.आर. बालू : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रश्न राज्य सरकार की परियोजनाओं के संबंध में है, जो स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास भेजी गई है। माननीय श्री जोस संयुक्त उद्यम अथवा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एच पी सी एल और ओमान तेल कम्पनी की भागीदारी में जो रिफाइनरी परिचय भारत में होने जा रही है, वह पश्चिम बंगाल के किस हल्के में होने जा रही है और उसकी आज स्थिति क्या है?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : एच.पी.सी.एल. तथा ओमान आयल कम्पनी के बारे में वे रिफाइनरी के बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं। महोदय, रिफाइनरीज का मामला विचाराधीन है। इस पर विचार करने के पश्चात, इसे प्रस्तुत किया जायेगा। ...**(व्यवधान)**

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : महोदय, कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस का फैसला है कि पांच सप्लीमेंट्री से ज्यादा नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : महोदय, असम गैस क्रेकर परियोजना कई सालों से लम्बित है और इस परियोजना की सरकार द्वारा अवहेलना की जा रही है। इस सभा में असम की अवहेलना की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : सज्जनो, पांच अनुपूरक प्रश्न पूछे गये हैं। यह सदन द्वारा बनाया गया नियम है। मैं उससे परे नहीं जा सकता।

योजना निवेश

***385. श्री अनंत कुमार** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के लिए योजना निवेश हेतु निर्धारित लक्ष्य को किन-किन राज्यों ने प्राप्त नहीं किया है;

(ख) योजना निवेश का उपयोग नहीं कर पाने के राज्यवार मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) वर्ष 1995-96 में इस संबंध में मुख्य रूप से दोषी पाये गये राज्यों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) वर्ष 1996-97 के लिए योजना परिव्यय में कितनी कमी की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ). योजना अयोग की वर्तमान मार्ग निर्देशिकाओं के अधीन राज्यों को पूरी केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यदि राज्यों का कुल योजना परिव्यय मूल अनुमोदित/संशोधित अनुमोदित परिव्यय से कम न हो और निर्धारित क्षेत्रकों/स्कीमों के लिए व्यय इसके लिए अनुमोदित परिव्यय से कम न हो। विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में उन्हें अपने गैर-योजना अंतर को पूरा करने के लिए 20 प्रतिशत तक की योजना सहायता दी जाती है और उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सहायता में कटौतियां की जाती हैं। राज्यों के सम्बन्ध में वार्षिक योजना 1995-96 के लिए वास्तविक व्यय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। योजना आयोग ने संशोधित योजना परिव्यय अनुमोदित किये थे जो 16 राज्यों के मामले में मूल अनुमोदित परिव्ययों से कम थे। इन राज्यों की सूची अनुबंध-I में दी गयी है। चूंकि राज्यों के लिए संशोधित योजना परिव्यय अनुमोदित किये गये थे अतः इन राज्यों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता में कोई कटौती करने का प्रश्न नहीं है और यह प्रश्न तभी उठेगा यदि उनका कुल व्यय संशोधित अनुमोदित परिव्यय से कम होता है या निर्धारित क्षेत्रक/स्कीमों के लिए वास्तविक व्यय उनके लिये अनुमोदित परिव्ययों से कम होता है। मूल रूप से अनुमोदित परिव्ययों की तुलना में इन राज्यों के संशोधित परिव्ययों के कम होने का मुख्य कारण राज्यों के अपने संसाधनों के अनुमानित आंकड़ों को प्राप्त करने में कमी है। सभी राज्यों के लिये 1996-97 में योजना परिव्यय 1995-96 के लिये संशोधित परिव्ययों की तुलना में अधिक निर्धारित किया गया है यद्यपि बिहार और आन्ध्र प्रदेश के मामले में 1995-96 मेंइन राज्यों हेतु मूल रूप से अनुमोदित परिव्ययों की तुलना में 1996-97 के लिये परिव्यय कम है। इन दो राज्यों के समबन्ध में ब्यौरे अनुबंध-II में दिये गये हैं।

अनुबन्ध-I

राज्यों की सूची

1. आन्ध्र प्रदेश
2. अरूणाचल प्रदेश
3. असम
4. बिहार
5. गोआ
6. हरियाणा
7. कर्नाटक
8. मध्य प्रदेश
9. मणिपुर
10. मेघालय
11. नागालैंड
12. उड़ीसा
13. पंजाब
14. सिक्किम
15. त्रिपुरा
16. उत्तर प्रदेश

अनुबंध-II

वार्षिक योजना 1995-96 मूल रूप से अनुमोदित/संशोधित परिव्यय

(रुपये करोड़)

क्र. सं.	राज्य	वार्षिक योजना में मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय	1995-96 में संशोधित अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना 1996-97 में मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3159.00	2510.64	2989.00
2.	बिहार	2500.00	972.00	2125.00

श्री अनन्त कुमार : महोदय, 1995-96 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न करने वाले राज्यों के बारे में मेरे सीधे प्रश्न का उत्तर अत्यन्त अस्पष्ट है। इस विवरण में उल्लंघन करने वाले राज्यों की सूची नहीं दी गई। माननीय मंत्री जी ने केवल इतना ही बताया है कि योजना आयोग ने उन 16 राज्यों की पहले स्वीकृत धनराशि से कम धनराशि संशोधित योजना धनराशि में स्वीकृत की है और इन 16 राज्यों की सूची उपाबंध एक में दी गई है। योजना के निवेश के मामले में क्या 16 राज्यों को उल्लंघन करने वाले राज्यों को गिना जाए?

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि कर्नाटक भी योजना-निवेश में चूक करने वाले राज्यों की सूची में शामिल है कि नहीं?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, यदि कोई राज्य अपनी मौलिक योजना धनराशि को पूरा नहीं कर पाता और इसे संशोधित करने का कारण योजना आयोग को बताता है और योजना आयोग संशोधित

धनराशि की मंजूरी कर लेता है तो तकनीकी रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वह राज्य दोषी है।

उपलब्ध तथ्यों के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसने 1995-96 के लिए अपने संशोधित योजना धनराशि को पूरा नहीं किया है।

श्री अनन्त कुमार : महोदय, यह उत्तर संतोषजनक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री अनन्त कुमार : पहले प्रश्न में मैंने कारण जानना चाहा हैं। जो कारण बताए गए हैं वह भी अस्पष्ट हैं। उनका कहना है कि इन राज्यों द्वारा कम संशोधित धनराशि निवेश का मुख्य कारण यह है कि राज्यों ने अपने संसाधनों के अनुमानित आंकड़ों को प्राप्त नहीं किया इसीलिए पहले स्वीकृत धनराशि से कम धनराशि संशोधित रूप में स्वीकृत की गई। यदि योजना निवेश के लिए कम धनराशि को स्वीकृति देने के पीछे सामान्य कारण यह है, तो आठवीं योजना के दौरान राज्य के आधार-भूत ढांचे के लिए 38 प्रतिशत की कमी रही है और सामाजिक क्षेत्रों में यह कमी 45 प्रतिशत से अधिक रही है। ऐसी स्थिति में किसी राज्य को उल्लंघन-कर्ता राज्य की पहचान करने के मापदण्ड क्या हैं? क्या मंत्रालय ने कोई ऐसा मापदण्ड निर्धारित किया है जिसके आधार पर किसी राज्य को उल्लंघनकर्ता राज्य करार दिया जाए? मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग के पास ऐसा कोई निधारित मापदण्ड है? यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, इस विषय में यदि कोई गलतफहमी पैदा हो गई हो, तो मुझे क्षमा करें। यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय उन राज्यों से है जिन्होंने अपनी पहले स्वीकृत योजना धनराशि अथवा वास्तविक योजना को पूरा नहीं किया हैं तो यह अलग बात है। तकनीकी तौर पर उल्लंघन करने वाला राज्य वह है जिसने या तो अपनी पुनरीक्षित योजना धनराशि के लक्ष्यों को पूरी तरह पूरा नहीं किया या निर्दिष्ट क्षेत्रों और परियोजनाओं का व्यय पूरा नहीं किया। जब ऐसा होता है तो राज्य को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता में कटौती की जाती है। अतः मेरा उत्तर बहुत स्पष्ट है।

परन्तु जहां तक पूरे राज्य की योजनाओं का सम्बन्ध है, यदि पिछले सालों के वास्तविक लेखे आने वाले वर्षों के लिए संशोधित अनुमानों और वर्तमान वर्ष के लिए योजना धनराशि को देखा जाए- क्योंकि वर्तमान वर्ष के तो यही आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं तो राज्य की योजना आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह मूल आर्थिक लक्ष्यों से युक्त है। यदि सदस्य चाहें तो मैं राज्यों के मूल आंकड़े दे सकता हूं। परन्तु हरेक राज्य के आंकड़ों का विवरण देने में काफी समय लगेगा। वास्तव में यदि उल्लंघनकर्ता राज्यों की गणना की जाए तो यह 8। प्रतिशत बनता है।

मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि आंकड़ों को छुपाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। परन्तु इस प्रश्न का सम्बन्ध तकनीकी उल्लंघन से है और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि कोई राज्य उल्लंघन करता है तो उसकी केन्द्रीय सहायता कम कर दी जाती है। यह केवल उन्हीं राज्यों के साथ किया गया है। जिनके नाम हमने उत्तर में दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार।

श्री अनन्त कुमार : जी नहीं महोदय, मैंने केवल एक प्रश्न पूछा था और उसका भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। मेरा प्रश्न अत्यन्त स्पष्ट था। मंत्री महोदय उन राज्यों के नाम बताएं जिन्होंने योजना निवेश में कटौती की है। इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं सदन में गलत सूचना नहीं देना चाहता। मैंने पुनः स्पष्ट किया है कि चूक का अर्थ क्या है। यदि माननीय सदस्य का प्रश्न उन राज्यों से है जिन्होंने 1995-96 में अपने पुनरीक्षित योजना-निवेश को मूल योजना निवेश की तुलना में अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है तो मैं उनके बारे में आंकड़े दे सकता हूं परन्तु इसमें बहुत समय लगेगा।

श्री अनन्त कुमार : महोदय, मेरा प्रश्न बहुत असामान्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल उल्लंघन करने वाले राज्यों के नाम पूछे थे।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, मैंने उल्लंघन करने वाले राज्यों के बारें में बता दिया है। वह वही प्रश्न बार-बार दोहराये जा रहे हैं।

चूककर्ता राज्य वह है जो अपना संशोधित योजना निवेश पूरा नहीं करता। यदि वह इसकी परिभाषा अलग तरीके से दे रहे हैं तो उन्हें हमसे पूछना चाहिए।

श्री अनन्त कुमार : महोदय, मैं समझ रहा हूं। मैं तो उन राज्यों की सूची मांग रहा हूं। मुझे मापदण्ड से कोई मतलब नहीं। उन्होंने मापदण्ड बना दिया है। मैं तो केवल उन राज्यों के नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने योजना निवेश के लक्ष्य पूरे नहीं किए।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय मैंने व्याख्या द्वारा इसे स्पष्ट कर दिया है। मैंने उत्तर में जिन राज्यों का उल्लेख किया है वही उल्लंघनकर्ता हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि राज्यों की सूची आपके पास है वो आप इसी समय उन्हें दे दीजिए अन्यथा बाद में दे दें।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : परन्तु मैंने तो नाम बता दिये हैं, यदि उन्हें कोई और सूचना चाहिए, तो मैं उन्हें दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार।

श्री अनन्त कुमार : महोदय, मुझे अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि उन्होंने विवरण के द्वारा पहले ही जानकारी उपलब्ध करवा दी है।

श्री अनन्त कुमार : उन्होंने विवरण में 16 राज्यों की सूची दी है। परन्तु वह उल्लंघनकर्ता राज्य नहीं है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : हां, वह राज्य उल्लंघनकर्ता राज्य नहीं है।

श्री अनन्त कुमार : तो उल्लंघनकर्ता राज्य कौन से हैं? ...**(व्यवधान)**

श्री योगेन्द्र के. अलघ : यह अनुबंध दो में दिए गए हैं। वह राज्य हैं-आंध्र प्रदेश और बिहार।

उपाध्यक्ष महोदय : अब उन्होंने राज्यों के नाम बता दिए हैं।

श्री अनन्त कुमार : अब मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा नहीं यह तीसरा है। अब श्री नीतीश कुमार बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री अनन्त कुमार : जी नहीं। मैंने केवल एक प्रश्न पूछा है। कृपया मुझे दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने दें।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इस स्टेटमेंट में ऑल रेडी आन्ध्र प्रदेश का भी है, बिहार का भी है।

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार : महोदय, मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप वह सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं, जिसका जवाब ऑल रेडी दिया हुआ है।

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार : महोदय, मैंने केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछा है। अब मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वह सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं जिसका जवाब आप के पास है। अब अगले आदमी को पूछ लेने दीजिए।

श्री अनन्त कुमार : महोदय, कृपया आप मुझे दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिए। आपको मेरे हक की रक्षा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पूछ लीजिए, क्या है।

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी ने चेन्नई में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा था कि न्यूनतम सेवाओं के लिए केन्द्रीय आबंटन में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। प्रधानमंत्री के द्वारा अभी-अभी बुलाई मुख्यमंत्रियों की बैठक में इस बात पर सहमति हो गई थी, के केन्द्र के द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि में कुल मिलाकर 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न के रूप में पूछिए।

श्री अनन्त कुमार : एक ही बार में हमने विकेन्द्रीयकरण के सभी प्रमुख उपाय आगे बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह निधियां 6 अगस्त तक हस्तांतरित कर दी जाएंगी, क्या यह निधियां 6 अगस्त तक हस्तांतरित कर दी गई थी। यदि नहीं, तो कब तक यह कर दिये जायेंगे?

डा. के.पी. रामालिंगम : महोदय, जहां उन्होंन 'चेन्नई' कहना था वहां उन्होंनें 'मद्रास' कह दिया है ...**(व्यवधान)**

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, यह कार्यक्रम कार्यान्वित कर दिया गया है और वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के लिए धनराशि भेज दी गई है। यह धन उनके हाथों में सौंप दिया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वह उस कार्यक्रम के विस्तृत लक्ष्य योजना आयोग को भेजें जिसका अनुसरण वह मूलभूत सार्वजनिक सेवाओं में से प्रत्येक के लिए करेंगे। प्रधान मंत्री ने यह निर्देश भी दिया है कि योजना आयोग इन मूलभूत सेवाओं में व्यवधान को दूर करने के लिए विस्तृत विशलेषण करें जिन्हे नौवें पंचवर्षीय योजना में लागू किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, हम पहले प्रश्न से आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे। परन्तु हम आपका ध्यान आकर्षित करने में असफला रहे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बैठिये, बैठिये।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही तकलीफ और पीड़ा के साथ यह पूरक प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरकार ने अपने उत्तर में बताया है,

[अनुवाद]

कि वर्ष 1995-96 की तुलना में वर्ष 1996-97 के लिए सभी राज्यों की योजना धनराशि को अधिक रखा गया है। बिहार और आन्ध्र प्रदेश के लिए वर्ष 1996-97 की योजना धनराशि 1995-96 के लिए इन राज्यों का पहले स्वीकृत धनराशि से कम तय की गई है। इन दोनों राज्यों का ब्यौरा अनुबंध II में दिया गया है।

[हिन्दी]

और अनैक्स्चर दो में बिहार के लिए यह दिया है,

[अनुवाद]

वार्षिक योजना में पहले निर्धारित धनराशि 2500 करोड़ रुपये दी। वर्ष 1995-96 के लिए सशोधित स्वीकृत धनराशि 972 करोड़ रुपये दी गई।

[हिन्दी]

और 1996-97 के लिए 2129 करोड़ रुपये की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, ऐसी स्थिति में ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनसे पूछ लीजिए कुछ।

श्री नीतीश कुमार : वही तो पूछ रहा हूं। आपको बताकर ही तो पूंछूगा। यह स्थिति इतनी बड़ी आबादी के राज्य की है। समूची जमीन के अन्दर रत्न भरा हुआ है, सारा कोयला, सारे मिनरल्स जमीन के अन्दर, जमीन के ऊपर उस राज्य में हैं, सब कुछ हैं, यह इनके जवाब में शब्दजाल है, फिर आखिर क्या कारण है जो यह दुर्गति है? 972 करोड़ रुपये का रिवाइज्ड आउट ले है, 2500 करोड़ रुपये का एप्रूव्ड आउट ले है। यह 2500 करोड़ रुपये से सीधे एक तिहाई पर पहुंच रहा है, 33 प्रतिशत रिवाइज्ड आउट ले जा रहा है। आप कुछ करना भी चाहते हैं या बिहार जैसे राज्य को खाई में धकेल देना चाहते हैं जिससे वह कभी ऊपर ही न उठे। आप इस देश में विकास के कुछ टापू बना रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात का तो विकास कर रहे हैं और बिहार जैसे राज्य को पीछे धकेल रहे हैं, इसका क्या कारण है? केवल डिफाल्टर स्टेट घोषित कर देने से कुछ नहीं होगा, उससे राज्य सरकार दोषी हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछें, और कितना समय लगेगा।

श्री नीतीश कुमार : बिहार की जनता का इसमें क्या कसूर है। आपको बिहार से सब कुछ मिलता है, पूरे देश को रिसोर्सेज मिलते हैं। इसलिए कुछ तो करें कि वहां का भी विकास हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सवाल हो गया हैं। बिहार के लिए क्या कर सकते हैं, इतना ही काफी है।

श्री नीतीश कुमार : वहां की पर-केपिटा इनकम बढ़ाने की दिशा में और पर-केपिटा प्लान आउट ले बढ़ाने की दिशा में क्या कदम उठाना चाहते हैं।

श्री राजीव प्रताप रुडी : यह स्थिति बिहार की इस वर्ष की नहीं है, पिछले दस सालों से यह हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : जवाब आपको नहीं, मंत्री जी को देना है। मंत्री जी जवाब दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले इस प्रश्न का जबाव आने दो।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं माननीय नीतीश कुमार की कंसर्न को पूरी तरह शेयर करता हूं। बिहार में एडीशनल रिसोर्स मोबलाइजेशन का टार्गेट 5052 करोड़ रुपये था। उनका एडीशनल रिसोर्स मोबलाइजेशन नेगिटिव 3171 करोड़ रुपये है। हमारा सेंट्रल असिस्टेंस का एक क्राइटेरिया है जिसके अनुसार बिहार की पर-केपिटा इनकम लो है इसीलिए उनको ज्यादा मिलता है। जैसे स्पेशल प्रोग्राम था, जिसकी पहले माननीय सदस्य अनंत कुमार चर्चा कर रहे थे, उसमें बिहार को

[अनुवाद]

हमने एन.डी.सी. के द्वारा बनाए गए फार्मूले के अनुसार 200 करोड़ रुपये से अधिक दिए हैं। अपनी तरफ से,

[हिन्दी]

जिसमें पर-केपिटा इनकम लो हो तो उसको खासकर वेटेज मिलता है।

हम बिहार की सहायता करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। परन्तु संसाधन जुटाने के स्तर पर कुछ करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

बिहार की जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है,

[अनुवाद]

मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं। यदि मुझे आंकड़े

[हिन्दी]

अच्छी तरह याद हैं तो वह कुल का 38 प्रतिशत कभी नहीं जुटा पाएं। इस वर्ष की योजना को ध्यान में रखा जाए तो उसका स्तर... मैं आपको सही संख्या बता देता हूं-

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रुडी : ये सब बातें सुनकर आपको पीड़ा नहीं हो रही है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : बहुत पीड़ा हो रही है।

[अनुवाद]

हर प्रकार से हमें राज्यों को सहायता करनी चाहिए। एन डी सी द्वारा निर्धारित सूत्रों के अनुसार हम अधिकतम समर्थन देंगे। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनको जवाब देने दें।

श्री राजीव प्रताप रुडी : फिर पीड़ा को समझने का प्रयास करो। बिहार के साथ पिछले दस वर्षों में ऐसा हो रहा है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनका जवाब सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी का जवाब नहीं सुनना चाहते तो मैं क्या करूं। वे जवाब देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे जवाब दे रहे हैं, कृपया सुन लें।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना पर पहुंचने ही वाले हैं। कृपया इस विषय पर एक चर्चा की अनुमति दीजिए कि हमारी भावी पंचवर्षीय योजना किस प्रकार की होगी। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। कृपया श्री के.एस.आर. मूर्ति को बोलने की अनुमति दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : आप इसको आधे घन्टे की चर्चा में ले लीजिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते। श्री राजीव प्रताप रुडी, कृपया माननीय मंत्री जी को बोलने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। आप जवाब तो सुन लीजिए।

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूं और इसकी इतनी ही चिन्ता है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपके लिए ठीक नहीं है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : नवीं पांचवर्षीय योजना के उद्देश्यों पर एक चर्चा होनी चाहिए।...**(व्यवधान)** हमें नौवीं पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार अभिव्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : हर मिनट के बाद सदस्य खड़े हो जाते हैं। मंत्री महोदय का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं।

[अनुवाद]

कृपया मर्यादा का पालन करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है, पर कोई सदस्य खड़ा हो जाता है। उनको बोलने नहीं देते हैं।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, मैं प्रश्न का पूरा जवाब दे रहा हूं, आप अगर मेरी बात सुनें।...**(व्यवधान)** योजना आयोग क्या कर सकता है, योजना आयोग जो सैन्ट्रल फन्ड्स हैं, उसमें खास तौर से प्रायोरिटी देता है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब अगले प्रश्न पर आ रहा हूं। मुझे माफ करें। मैं क्या कर सकता हूं।

...**(व्यवधान)***

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं फिर कहूंगा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, आप लोग जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। मेरे लिए और कोई चारा नहीं है।...**(व्यवधान)** आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)** बोलिए मंत्री महोदय।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, योजना आयोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि जो साधन उसके पास है, उसमें से बिहार को प्राथमिकता दी जाए। जहां प्रति-व्यक्ति आय कम हो, उस राज्य को ज्यादा मिलता है। जब 2500 करोड़ रुपए था, हमने सबसे ज्यादा प्राथमिकता बिहार को दी। जैसा कि बिहार के मुख्य मंत्री ने कहा था. ..**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बीच में मत बोलिए।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : पांच हजार करोड़ रुपए वे एकत्रित करेंगे। तीन हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एश्योरेंस देता हूं, अगर बिहार के माननीय

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सदस्य हमारे साथ आकर योजना आयोग में बैठेंगे, तो मैं पर्सनली और मेरे अधिकारी डिटेल्ड में डिसकशन करेंगे।...**(व्यवधान)** लेकिन जब आप को अनुकूलता हो...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं। योजना आयोग और मंत्रालय पूरी तरह इससे चिन्तित हैं। मैं प्रत्येक संसद सदस्य के साथ बैठने को तैयार हूं और उनको स्थिति से अवगत करवा दूंगा...**(व्यवधान)** चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मुझे बिहार के साथ पूरी सहानुभूति है।

इस समय बिहार ऐसा राज्य है जहां वित्त विनियोग राशि में योजना लक्ष्य से सबसे कम है। मैं योजना आयोग में माननीय सदस्यों के साथ बातचीत करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

आप आराम से बैठिए।...**(व्यवधान)** आपके पास जितना समय है। मैं उसको देने के लिए तैयार हूं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मैं यह आश्वासन दे सकता हूं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं बिहार के माननीय सदस्यों के जज्बात की कद्र करता हूं। उनको दुःख है...**(व्यवधान)** लेकिन तरीका तो डेमोक्रेसी में यही है कि आप सवाल पूछें, मंत्री जी जवाब दें और आप जवाब को सुनिए...**(व्यवधान)** इस तरह से चारों तरफ से शोर मचेगा तो उससे कुछ नहीं निकलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, मुझे तो किसी न किसी को कहना ही पड़ेगा। अब बहुत हो गया। कृपया बैठ जायें।

श्री के.एस.आर. मूर्ति : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा है कि राज्यों की 1995-96 के लिए वार्षिक योजना के वास्तविक व्यय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वित्त वर्ष को समाप्त हुए नौ महीने बीत चुके हैं। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि मंत्री जी के पास वर्ष 1995-96 के आंकड़े नहीं है। वित्त संबंधी स्थाई समिति में उनसे कई सालों तक कहा जाता रहा है कि यह आंकड़े तीन महीने के भीतर उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए विशेषकर आजकल जब कि कम्प्यूटरों का युग है।

दूसरे बिहार और आंध्र प्रदेश के विषय में यह बड़े दुख की बात है कि 2500 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को 972 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसे ठीक करने के लिए योजना आयोग ने क्या कदम उठाए हैं? 972 करोड़ रुपये तो बहुत कम हैं। यह तो एक छोटा सा संघ राज्य क्षेत्र जैसा हो गया। आंध्र प्रदेश के लिए यह 3159 करोड़ रुपये की योजना 2510 करोड़ रुपये तक आ गई है। इन दोनों राज्यों के बारे में मुख्य कठिनाई क्या है? मुझे व्यक्तिगत रूप से यह कहना है कि इन दोनों राज्यों में वित्तीय संकट पैदा हो गया है और संविधान के प्रावधानों के अनुसार वहां यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : हम राज्यों पर इसी बात पर जोर देते रहते हैं कि वह हमें असली आंकड़े भेजे। परन्तु समान्यतः वह हमें पुनर्शोधित आंकड़े ही भेजते हैं। अतः इस समय तो हमारे पास संशोधित आंकड़े ही हैं। सामान्यतः वास्तविक आंकड़ों और पुनरीक्षित आंकड़ों में थोड़ा सा ही अन्तर होता है। बजट आंकड़ों और संशोधित आंकड़ों के बीच में बहुत अन्तर होता है। अतः पहले प्रश्न के लिए मेरा उत्तर है।

श्री के.एस.आर. मूर्ति : मंत्री जी, आपके पास जो भी आंकड़े हों हमें तो 1995-96 के वास्तविक आंकड़े चाहिए।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं वास्तविक आंकड़े तो तभी उपलब्ध करवा सकता हूं यदि राज्य यह आंकड़े योजना आयोग को भेजते हों। हम उन पर इस बात के लिए जोर देते रहते हैं। हम राज्यों संबंधी अपने परामर्शदाताओं को भी भेजते हैं। परन्तु यदि अपने बजट आकड़ों में उन्होंने केवल संशोधित आंकड़े ही दिए हैं तो मैं वही आंकड़े आपको दे सकता हूं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम वास्तविक आंकड़ों के लिए उन्हें लिखते रहते हैं।

जहां तक बिहार का संबंध है, मुख्यमंत्री ने वर्ष 1995-96 के लिए 713 करोड़ रुपये अपने संसाधनों से जुटाने पर सहमति व्यक्त की थी। वास्तव में, राज्य के अपने संसाधनों से भी 888 करोड़ रुपये कम थे। इसका मतलब यह है कि कुल 1500 करोड़ रुपये कुल हो गए जब कि केन्द्रीय सहायता भी दी जा रही है, फिर भी योजना लागत कम हो गई। यह 1995-96 के आंकड़े लिए हैं। जैसा मैंने कहा 1996-97 वर्ष के लिए हमने बिहार की गरीबी की समस्या को ध्यान में रखते हुए सामान्य केन्द्रीय योजना सहायता के अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये मूल न्यूनतम सेवा कार्यक्रम में से दिये हैं।

आंध्र प्रदेश का जहां तक संबंध है, समस्या यह थी कि वित्त आयोग से जो आबंटन राशि 636 करोड़ रुपये की राज्य को दी गई, उसे उन्होंने अपने बजट में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में दर्शाया। राज्य को यह बताया गया कि वह अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता नहीं थी। उसमें एक कारण तो यह था और दूसरा यह कि उन्होंने बाह्य सहायता वाली परियोजनाओं पर 200 करोड़ से भी कम व्यय किया जिसके कारण लगभग 1000 करोड़ रुपये वाला संशोधित योजना निवेश तैयार करना पड़ा।

आंध्र प्रदेश का मामला विशेष मामला था क्योंकि राज्य सरकार ने वित्त आयोग द्वारा दिया गया आबंटन अपने खाते में डाल लिया,

जबकि योजना आयोग ने योजना बनाते समय इसका ध्यान रखा था। राज्य ने इसे केन्द्र द्वारा दी गई अलग योजना सहायता के रूप में व्यय किया। इस विषय पर राज्य और योजना आयोग के बीच स्पष्टीकरण हो चुका है।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बिहार को अभी डिफाल्टर स्टेट घोषित किया है। इन्होंने 1995-96 के प्लॉन अनुमान दिए हैं। मैं कहना चाहती हूं कि यह कोई नयी बात नहीं है। अगर हम पुराने आंकड़े उठाकर देखें। 1992-93 में प्लॉन एलोकेशन था 2202.73 करोड़ रुपये जबकि 1100 करोड़ इन्होंने खर्च किया था। 1993-94 में 2300 करोड़ प्लॉन अनुमान था जबकि खर्च किया 750 करोड़ रुपये। उसके बाद 1994-95 में 2400 करोड़ प्लॉन अनुमान था जबकि खर्च 900 करोड़ रुपये हुआ। जब आप देख रहे हैं कि बिहार में टोटल फाइनेंशियल कयॉस है तो बिहार में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए। जबकि राज्य सरकार हमेशा ही केन्द्र पर आरोप लगाती रही है कि केन्द्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करती है और बिहार को पैसा नहीं देती है। लेकिन वहां पर टोटल फाइनेंशियल कयॉस था। यह इतनी गड़बड़ी क्यों हुई?

उपाध्यक्ष महोदय : रीता जी, सवाल पूछिये।

प्रो. रीता वर्मा : यह आपकी ही किताब है और मैं इसमें से उद्धृत कर रही हूं। 1989-90 में पशुपालन में पांच करोड़ रुपये दिया हुआ है जबकि 70 करोड़ खर्च हुआ है। उसके अगले साल में नौ करोड़ रुपया एलॉटमेंट था और 81 करोड़ खर्च हुआ है। यह आपकी नाक के सामने होता रहा, फाइनेंशियल मिस-मैनेजमेंट होता रहा और आपने एक उंगली नहीं उठाई, कुछ नहीं किया। आज जो बिहार की हालत है उसको देखते हुए क्या वहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है और क्या वहां आप प्रेसीडेंट रूल लगाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं यह पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक योजना आयोग का संबंध है जब बिहार राज्य यह कहता है कि संशोधित योजना के बनने के समय, वह अपने संसाधन नहीं जुटा पाये थे, संशोधित योजना धनराशि को कम कर दिया गया। यह इसलिए है क्योंकि माननीय सदस्य ने उल्लंघनकर्ता राज्यों की परिभाषा अपने ढंग से दी है। मैंने बिहार और आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिया है। यदि बिहार कहता है कि वह अतिरिक्त संसाधन जुटाना चाहता है तो सामान्यतः हम उनसे विस्तृत विचार विमर्श करते हैं। हम उनके प्रति सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाते हैं। हम चाहते हैं कि वह अतिरिक्त संसाधन जुटाएं। हम उनकी योजना राशि को कम नहीं करना चाहते। हम अपनी ओर से भरपूर प्रयास करते हैं...(**व्यवधान**)

प्रो. रीता वर्मा : यद्यपि आप कुछ नहीं कर सकते तो भी ऐसा ही रहता है?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : जहां तक वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का संबंध हैं, आपको यह प्रश्न वित्त मंत्री से पूछना चाहिए।

प्रो. रीता वर्मा : क्या आप उन्हें यह सुझाव देंगे? क्या आप वित्त मंत्री को यह उपाय सुझायेंगे?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : पिछड़े हुए राज्यों को यदि कोई सहायता चाहिए तो उनके प्रति योजना-आयोग का रवैया सहायता और समर्थन का है। हम उन्हें वित्तीय संसाधन जुटाने में भी सहायता कर सकते हैं...(**व्यवधान**)

प्रो. रीता वर्मा : चाहे वह सार्वजनिक धन लूट भी लें। यदि वह राजकोष की हानि करें तो भी आप कुछ नहीं करेंगे?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : योजना आयोग का दृष्टिकोण यही है। देश में लेखा परीक्षा भी होती है। यह पूर्णतया एक अलग प्रश्न है।

यदि आप राष्ट्रपति-शासन लगाने से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप यह गृह मंत्री जी से पूछें।

प्रो. रीता वर्मा : इसका मतलब यह है कि आप इस विषय में कुछ नहीं करेंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री प्रमोद महाजन का नाम पुकारा है

[हिन्दी]

आधा मिनट रह गया है। आप पूछ नहीं पाएंगे।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या आप यह चाहते हैं कि हम विरोध प्रकट करते हुए सदन से बाहर चले जाएं। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप ही पूछ लीजिए। मुझे कुछ ऐसे लोगों को भी मौका देना पड़ता है जो कभी नहीं पूछते। आपके साथ मिस्टर मूर्ति बैठे हैं।

[अनुवाद]

मैंने उन्हें इसलिए पहले मौका दिया क्योंकि वह कम ही प्रश्न पूछते हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : हम बोलना नहीं चाहते कि किस साईड को आप ज्यादा मौका देते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे कम नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : आप एक ही साईड के लोगों को एलाऊ करते हैं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदस्यों की संख्या अधिक हो, तो मैं इसे कम नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरफ के एक सदस्य को और उस ओर के एक सदस्य को अनुमति दी जाती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चिल्लाएं नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

स्वरोजगार

*381. **श्री हंस राज अहीर** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करके ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार खाद्यान्न, दलहन, फल, पुष्प, सब्जी, तिलहन इत्यादि कृषि उत्पादों पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दे रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े औद्योगिक घरानों के प्रवेश को रोकने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को शहरी और गैर शहरी क्षेत्रों में बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिकतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करना और कई विकासात्मक योजना स्कीमें चलाना शामिल है। इनमें से एक स्कीम में ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करने हेतु सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ये केन्द्र खाद्यान्न, फल, सब्जी आदि जैसे कच्चे माल का प्रसंस्करण करते हैं। इन केन्द्रों में दिया जाने वाला प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं को लघु खाद्य प्रसंस्करण यूनिट शुरू करने के योग्य बनाता है।

(घ) और (ङ). अन्य सभी उद्योगों की तरह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी निवेश 199। में उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत उद्योग मंत्रालय द्वारा घोषित औद्योगिक नीति के द्वारा नियंत्रित है।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत परियोजनाएं

*382. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रख्यात व्यक्तियों और पर्यावरणविदों ने सरकार से आग्रह किया है कि वह राज्य सरकारों का सभी विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने हेतु अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत परियोजनाओं के त्वरित मूल्यांकन और उन्हें पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण गठित करने के लिए लगातार मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) सरकार के पास विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए राज्यों को और प्राधिकार प्रत्यायोजित करने के बारे में आशंकाओं को अभिव्यक्त करने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). इस समय विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित एजेंसियां, जिनमें पर्यावरण से संबंधित एजेंसियां भी शामिल हैं, उत्तरदायी होती हैं। विद्युत उद्योग का विनियमन करने के लिए स्वतंत्र

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विनियामक आयोग का गठन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव भी सरकार के पास प्राप्त हुए हैं। इस मामले पर हाल ही में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी विचार किया गया तथा सम्मेलन के दौरान इस संबंध में प्राप्त हुए सुझाव इस समय सरकार के विचाराधीन हैं।

कोर्जेट्रिक्स विद्युत परियोजना

*386. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

डा. एम. जगन्नाथ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार/कर्नाटक सरकार को कोर्जेट्रिक्स विद्युत परियोजना के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान से अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तथा इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्यवाही कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) उच्चतम न्यायालय ने कोर्जेट्रिक्स विद्युत परियोजना समेत पांच परियोजनाओं की पर्यावरणीय दृष्टि से जांच करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एन.ई.ई.आर.आई.) को निर्देश दिया है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एन.ई.ई.आर.आई.) ने 6.12.1996 को अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कर दी है। इस मामले पर 17.12.1996 को सुनवाई हुई। यह समझा जाता है कि न्यायालय ने आगे की सुनवाई हेतु इस मामले को कर्नाटक उच्च न्यायालय के पास वापस भेज दिया है। न्यायालय का औपचारिक आदेश प्रतीक्षित है।

ईंधन के रूप में नेप्था

*387. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**

श्री संतोष मोहन देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवों की समिति की सिफारिशों के अनुसार विद्युत उत्पादन में ईंधन के तौर पर नेप्था के उपयोग पर अधिक लागत आएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने विद्युत उत्पादन हेतु नेप्था के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए इसके आयात प्रभार में संशोधन की भी सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समिति ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि नेप्था के ओयात की मात्रा में कमी करने के बदले इसके आयात शुल्क का पुनर्निर्धारण करके इसके उपयोग को हतोत्साहित किया जाए;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (च). सरकार नियमित आधार पर नापथा समेत तरल ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए आश्वासित ईंधन आपूर्ति के मुद्दे पर विचार कर रही है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वदेशी आपूर्ति की उपलब्धता, ईंधन आयात करने के लिए विदेशी विनियम की अपेक्षाएं, आयात शुल्क संवहन तथा चढ़ाई-उतराई की सुविधाओं आदि से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। आज तक की स्थितिनुसार विद्युत मंत्रालय ने लगभग 34000 मेगावाट की कुल प्रस्तावित क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए तरल ईंधनों का आबंटन करने हेतु सिफारिशें प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव अनेक राज्यों से प्राप्त किए हैं। इन संयंत्रों के लिए तरल ईंधन का आबंटन किए जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके तैयार किए जा रहे हैं।

एनरॉन

*388. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अगस्त, 1996 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "एनरॉन ऐनुअल रिपोर्ट ओवर स्टेट्स प्रोजेक्ट साइज वाई 266 एम.डब्ल्यू." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) सरकार का ध्यान 2 अक्तूबर, 1996 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपे "एनरॉन एनुअल रिपोर्ट ओवर स्टेट प्रोजेक्ट साइज वाई 266 मे.वा." की ओर आकृष्ट हुआ है।

(ख) और (ग). महाराष्ट्र सरकार/महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि परक्राम्य डाभोल विद्युत परियोजना में नियोजित क्षमता 2184 मे.वा. है, जबकि आई.एस.ओ. क्षमता 2450 मेगावाट रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड

*389. श्री प्रमोद महाजन :

श्री तारिक अनवर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (यूपीएसईबी) ने अपने कुछ विद्युत संयंत्रों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) को बेच दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, यू.पी.एस.ई.बी. को प्रतिवर्ष कितनी हानि हुई है;

(घ) 3 सितम्बर, 1996 तक विभिन्न संगठनों की कितनी राशि बकाया है;

(ङ) इसके क्या कारण हैं;

(च) राज्य विद्युत संयंत्रों की स्थापित क्षमता तथा वर्तमान क्षमता कितनी है; और

(छ) विद्युत उत्पादन में गिरावट, हानि को पूरा करने तथा राज्य में विद्युत क्षेत्र के पुनर्गठन और निजीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में ऊंचाहार अवस्थित फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना चरण-I (2x210 मे.वा.) को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम से 925 करोड़ रुपये की लागत पर 13.2.1992 से अपने हाथ में ले लिया गया है। इस विद्युत स्टेशन का अधिग्रहण किए जाने का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (यूपीएसईबी) की एनटीपीसी को देय अपनी बकाया राशि का परिसमापन करने में उसकी असमर्थता का होना है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उ.प्र.रा.बि.बो. द्वारा वहन की गई शक्तियां निम्नवत है:—

(आरई आर्थिक सहायता के बिना)

1992-93	1993-94	1994-95
691.46 करोड़ रुपये	1090.20 करोड़ रुपये	978.25 करोड़ रुपये

(घ) 30.9.1996 की स्थितिनुसार उ.प्र.रा.बि.बो. पर केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की बकाया राशियां निम्नवत थीं:—

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 437.80 करोड़ रुपये

(2) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 839.68 करोड़ रुपये

(3) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम 180.30 करोड़ रुपये

(4) पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया 172.64 करोड़ रुपये

(ङ) उ.प्र.रा.बि.बो. की हानियों तथा केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को देय इसकी बकाया राशियों के अधिक होने के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ इसके ताप विद्युत केन्द्रों का कम संयंत्र भार अनुपात, उच्च पारेषण एवं वितरण हानियां, कम अनुकूल टैरिफ तथा अपने उपभोक्ताओं से अधिक प्राप्य का होना आदि हैं।

(च) 31.10.96 की स्थितिनुसार उ.प्र.रा.बि.बो. की अधिष्ठासित क्षमता 6074 मेगावाट थी। चालू वर्ष के दौरान अप्रैल से नवम्बर, 1996 तक उ.प्र.रा.बि.बो. के विद्युत संयंत्रों का वास्तविक उत्पादन 15224 मि.यू. था और ताप विद्युत स्टेशनों का संयंत्र भार अनुपात 45.1 प्रतिशत था।

(छ) विद्युत के वितरण का निजीकरण किए जाने समेत अपने विद्युत उद्योग की पुनर्संरचना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाए हैं और वह आवश्यक वैधिक परिवर्तन करने के लिए एक विधेयक को अंतिम रूप प्रदान कर रही है। इसने अपने बिजली बोर्ड के वास्तविक तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

बिजली की मांग और आपूर्ति

*390. डा. कृपासिंधु भोई :

कुमारी क्रिडा तोपनो :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सन् 2000 तक देश में बिजली की समग्र मांग के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त वर्ष तक उक्त मांग को पूरा करने हेतु विद्युत के उत्पादन पर अनुमानत: कितनी लागत आएगी;

(घ) क्या सरकार का विचार धनराशि संबंधी आवश्यकता को पूरा करने हेतु विदेशी सहायता/निजी क्षेत्रों से सहायता प्राप्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). 15 वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण ने वर्ष 2000-2001 में व्यस्ततमकालीन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकता का अनुमान क्रमश: 90003 मे.वा. और 535903 मि.यू. लगाया है।

(ग) से (ङ). नौवीं योजना की अभी अंतिम रूप दिया जाना है। निधियों की सही-सही आवश्यकता का विस्तृत ब्यौरा नौवीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही ज्ञात हो पाएगा। तथापि, वित्त के सभी संभावित स्रोतों, जिनमें विदेशी सहायता तथा निजी क्षेत्र से होने वाला निवेश शामिल है, का पता लगाए जाने की आवश्यकता है।

कच्चे तेल का मूल्य

*391. **श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान प्रति माह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य कितना था;

(ख) कच्चे तल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अधिक होने का पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों तथा तेल पूल खाते संबंधी घाटे पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में प्रशासित मूल्य के स्थान पर बाजार मूल्य की नीति अपनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का मूल्य बेहद संवेदनशील है और इसमें अत्यधिक उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। मार्केट वायर प्लांट्स कच्चे तेल के आधार पर पिछले छह महीनों अर्थात् जून, 1996 से नवम्बर, 1996 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मार्कर कच्चे तेल (दुबई, ओमान, डेटेड ब्रेंट और डब्ल्यू टी आई) का मासिक औसत मूल्य महीना-वार नीचे दिया गया है:-

(आंकड़े डालर/बी बी एल में)

	दुबई	ओमान	ब्रेंट	डब्ल्यू टी आई
जून, 1996	17.25	17.65	18.43	20.45
जुलाई, 1996	17.79	18.49	19.64	21.33
अगस्त, 1996	18.64	19.28	20.56	21.93
सितम्बर, 1996	20.42	20.95	22.64	23.92
अक्तूबर, 1996	21.76	22.12	24.16	24.90
नवम्बर, 1996	20.94	21.39	22.69	23.72

(ख) 31.3.97 तक तेल पूल खाते से तेल कंपनियों की संचयी बकाया धनराशि 15,500 करोड़ रुपए तक बढ़ जाने का अनुमान है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय तेल उद्योग की पुनर्संरचना के संबंध में एक "कार्यनीतिक योजना दल" का गठन किया गया जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रबंधक तथा शैक्षिणिक व अनुसंधान संस्थानों के अग्रणी विशेषज्ञ, सदस्य के रूप में शामिल किए गए। इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं

*392. **श्री गंगा चरण राजपूत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना किए जाने के संबंध में किन-किन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अब तक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार देश के पिछड़े क्षेत्रों में इसी प्रकार की कुछ विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तथा स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ). आज तक, निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने हेतु 57 ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें समझौता ज्ञापन/आशय पत्र आदि की प्रक्रिया के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत का विदेशी निवेश (बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश सहित) सन्निहित है तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के तहत इनकी लागत 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। इन परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विद्युत परियोजना के लिए स्थान का निर्धारण कुछ आवश्यक तकनीकी-आर्थिक प्रक्रियाओं जैसे ईंधन के स्रोत से दूरी, ईंधन का संवहन, जल की उपलब्धता, पर्यावरणीय एवं वन सम्बन्धी पहलुओं से परियोजना को स्थापित किए जाने संबंधी व्यवहार्यता, भार केन्द्रों तक विद्युत की निकासी किए जाने संबंधी व्यवहार्यता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। किसी भी भारतीय या विदेशी कंपनी द्वारा एक विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए राज्य तथा केन्द्रीय एजेंसियों से विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करनी होती हैं। कंपनी को भारतीय वित्तीय संस्थानों/विदेशी ऋणदाताओं आदि से वित्तपोषण किया जाना भी सुनिश्चित करना होता है। यह एक अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है तथा विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए चालू किए जाने संबंधी विशेष कार्यक्रम का निर्धारण कंपनी द्वारा वित्तीय समापन प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही किया जा सकता है। तथापि, विदेशी निवेश वाली तथा के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृति की जा चुकी 16 परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं आंशिक रूप से चालू कर दी गई हैं।

विवरण

विदेशी निजी कंपनियों द्वारा प्रकट की गई अभिरूचियों का अर्नतिम ब्यौरा

2.12.96 की स्थितिनुसार

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	कंपनी का नाम
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	गोदावरी जी बी टी पी	208 मे.वा.	स्पैक्ट्रम टैक्नोलॉजी यूएसए/जया फूड्स एंड एनटीपीसी
2.	जेगुरूपाडु जीबीपीपी	216 मे.वा.	जे.वी.के. इंडस्ट्रिज लि., यूएसए
3.	कृष्णापट्टनम "बी" टीपीएस	500 मे.वा.	बेसी कोर्पोरेशन इंट पावर, यूएसए
4.	विशाखापट्टनम् टीपीएस	2×520 मे.वा.	मै. हिन्दुजा नेशनल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, यू.के.
	जोड़ 4	1964.00	
बिहार			
5.	जोजोबेड़ा	3×67.5 मे.वा.	टाटा स्टील/मिशन एनर्जी, यूएसए
	जोड़ 1	200.50	
दिल्ली			
6.	बवाना जीबीपीपी	800 मे.वा.	रिलायंस इंडस्ट्रिज लि.
7.	नई दिल्ली टीपीएस	300 मे.वा.	मै. जेएमसी डेवलेपमेंट, यूएसए अपोलो हास्पिटल
	जोड़ 2	1100.00	
गुजरात			
8.	हजीरा सीसीपीपी	1×515 मे.वा.	मै. एस्सार पावर लि. मारीशस
9.	जामनगर	2×250 मे.वा.	मै. रिलायंस पावर लि.
10.	पागुथन जीबीपीपी	655 मे.वा.	गुजरात टोरेंट एनर्जी कार्पोरेशन लि., सीमेंस, जर्मन
	जोड़ 3	1670.00	
हिमाचल प्रदेश			
11.	धामवाड़ी एचईपी	70 मे.वा.	मै. धारवाड़ी पावर कंपनी, यूएसए
12.	हिब्रा एचईपी	231 मे.वा.	हारणी इंजीनियरिंग कंपनी, इजरायल
	जोड़ 2	301	
हरियाणा			
13.	यमुना नगर टीपीएस	2×350 मे.वा.	इसबर्ग ग्रुप ऑफ कंपनी, इजरायल
	जोड़ 1	700	
कर्नाटक			
14.	अल्माटी एन. थनमाकल	1107 मे.वा.	मै. चामुंडी पावर कंपनी लि. यू.एस.ए.

1	2	3		4
15.	अंकोला होमटा (हास्पेट)	2×250	मे.वा.	डेक्कन पावर कार्पोरेशन लि. यूएसए
16.	बंगलौर	500	मे.वा.	एनंआरआई कैपिटल कार्पोरेशन, यूएसए
17.	बंगलौर सीसीपीपी	100	मे.वा.	मै. पीनया पावर कंपनी लि., यू.एस.ए.
18.	धारवाड़ टीपीएस	300	मे.वा.	चालाइस होल्डिंग, यू.के.
19.	मंगलौर टीपीएस	4×250	मे.वा.	मंगलौर पावर कंपनी लि., (मै. कोर्जेट्रिक्स इंक यूएसए द्वारा प्रवर्तित)
20.	नंजनगुडुआ	110	मे.वा.	इंडिपेंडेंट पावर सर्विस कंपनी, यूएसए
21.	तोरंगल्लू	2×130	मे.वा.	जिन्दल/ट्रेक्टेबल पावर कंपनी लि. बेल्जियम
	जोड़ 8	3877.00		
केरल				
22.	कसारगोड	500	मे.वा.	पिनोलेक्स एनर्जी कार्पोरेशन लि. यू.के./यू.एस.ए.
23.	कसारगौड टीपीएस	2×389	मे.वा.	मै. कसारगोड पावर कार्पोरेशन लि.
24.	पालाकाड	344	मे.वा.	पालाकाड पावर-जेनरेटिंग कंपनी/एनसर्च इंटेल लि., यूएसए
25.	वाईपीन	650	मे.वा.	सियासिन एनर्जी प्रा.लि., यू.एस.ए.
	जोड़ 4	2272.00		
मध्य प्रदेश				
26.	भण्डेर ड्यूएलफ्यूल टीपीएस	330	मे.वा.	एस्सार इन्क, लि., बम्बई (मै. सी आई पी एल), मारीशस
27.	भिलाई टीपीएस	2×250	मे.वा.	सेल, एल एंड टी, सीईए (यूएसए) का संयुक्त उद्यम
28.	बीना टीपीएस	4×250	मे.वा.	बीना पावर सप्लाई कंपनी लि. (मै. ग्रेसिंग इंडस्ट्रिज लि.), यू.के.
29.	सूना ड्यूलफ्यूल टीपीएस	3×110+1×10	मे.वा.	मै. एस. टी. आई. इंडोर, यूएसए
30.	ग्वालियर-2 (डीजल) पीपी	8×15	मे.वा.	मै. ग्वालियर पावर कंपनी लि., (बारसिला डीजल, फिनलैंड)
31.	झाबुआ	330	मे.वा.	मै. केडिया डोस्टेलेवसर्स लि.
32.	कोरबा पूर्व टीपीएस	2×535	मे.वा.	डेवो कार्पोरेशन, दक्षिण कोरिया
33.	महेश्वर एचईपी	10×40	मे.वा.	मै. श्री महेश्वर हाइडल पावर कार्पो. लिमिटेड, यू.एस.ए.
34.	नरसिंहपुर	130	मे.वा.	मै. ग्लोबल बोड्र्स लि., यूएसए
35.	पेंच टीपीएस	2×262.5	मे.वा.	सोरस फंड मैनेजमेंट, यूएसए
	जोड़ 18	4755.00		
महाराष्ट्र				
36.	भद्रावती टीपीएस (चरण-1 और 2)	2×536	मे.वा.	इस्पात अलॉय लि./ईसीजीडी यू.के./ईडीएफ, फ्रांस
37.	डाभोल सीसीजीटी (लिग्नाइट)	2015	मे.वा.	एनरॉन डेवलेपमेंट कार्पोरेशन, जीई एंड बैकटेले, यू.एस.ए.
38.	खापरखेड़ा यूनिट-3 और 4	2×250	मे.वा.	मै. बल्लारपुर इंडस्ट्रिज लि.

1	2	3		4
39.	पाताल गंगा जीबीपीपी	410	मे.वा.	रिलायंस इंडस्ट्रिज लि.
	जोड़ 4	3997.00		
उड़ीसा				
40.	मलाई टीपीएस	500	मे.वा.	गैलेक्सी पावर कंपनी, यू.एस.ए. तथा शिकागो की इन्डेक
41.	दुबरी टीपीएसं	2×250	मे.वा.	कलिंगा पावर कार्पोरेशन टीपीएस (एन.ई. पावर, यू.एस.ए.)
42.	हिरमा टीपीएस चरण-1	6×660	मे.वा.	मै सीईपीए, हांगकांग
43.	इब घाटी टीपीएस यूनिट-3 और 4	420	मे.वा.	इब घाटी कार्पोरेशन यू.एस.ए.
44.	लापांग टीपीएस	500	मे.वा.	सामलाई पावर (लापांग) कंपनी, लि., यू.एस.ए.
	जोड़ 4	5880.00		
तमिलनाडु				
45.	बेसिन ब्रिज चरण-2	4×50	मे.वा.	जीएमआर बसावी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
46.	कुड्डालौर टीपीएस	2×660	मे.वा.	कुड्डालौर पावर कंपनी लि.
47.	जायमकोडम लिग्नाइट पीपी	1500	मे.वा.	मै. जायमकोडम लिग्नाइट पावर कार्पोरेशन लि., जर्मनी
48.	उत्तरी मद्रास-2	2×525	मे.वा.	वीडियोकोन पावर लि./एडीसन मिशन एनर्जी, यू.एस.ए.
49.	पिल्लैपेरूम नेल्लूर	330.5	मे.वा.	रेड्डी समूह का डायना विजन/जे. माकोस्की/पी. विजय कुमार रेड्डी
50.	जीरो यूनिट (एनएलसी)	250	मे.वा.	एस.टी. पावर सिस्टम इंक, यूएसए
	जोड़ 6	4650.50		
उत्तर प्रदेश				
51.	अनपारा-सी	1000	मे.वा.	मै. ह्युनडाई हैवीं इंडस्ट्रिज कंपनी, लिमिटेड, कोरिया
52.	जवाहरपुर टीपीएस	800	मे.वा.	पैसिफिक इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट, कार्पोरेशन, कनाडा
53.	प्रतापपुर	2000	मे.वा.	मै. आईएसएन इंटरनेशनल, यू.एस.ए.
54.	रोसा टीपीएस	2×283.5	मे.वा.	इंडो-गल्फ फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया एंड पावर जेनरेशन पीएलसी, यू.के.
	जोड़ 4	4367.00		
पश्चिम बंगाल				
55.	बालागढ़ टीपीएस	2×250	मे.वा.	बालागढ़ पावर कंपनी लि. (सीईएससी/एडीबी/टीएफसी), यूएसए
56.	गौरीपुर टीपीएस	2×75	मे.वा.	गौरीपुर पावर कंपनी लि. कलकत्ता
57.	सागरदीघी टीपीएस	2×500	मे.वा.	डीसीएल कुल्जियम कार्पोरेशन. सीएमएस जेनरेशन, यू.एस.ए.
	जोड़ 3	1650.00		
	कुल जोड़ 57	37386.00		

अनुवाद]

कावेरी अपतटीय ढांचा

***393. श्री नन्द कुमार साय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कावेरी बेसिन में अपतटीय ढांचे के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रगति हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सम्बद्ध कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) भारत सरकार ने कावेरी अपतटीय बेसिन के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित उत्पादन हिस्सेदारी ठेके विकास के लिए प्रदान किए हैं:—

(1) एच ओ ई सी, भारत, वाल्को एनर्जी इंक, यूएसए, टाटा पेट्रोडाइन, भारत और ओ एन जी सी परिसंघ को पी वाई-3 (अपतटीय अन्वेषण ब्लाक सी वाई-ओ एस/90/1 के भाग के रूप में)।

(2) मासबेकर इंट., यूएसए, एच ओ ई सी, भारत और पेट्रोडाइन, यू एस ए के परिसंघ को पी वाई-1 क्षेत्र।

(ख) और (ग). पी वाई-3 क्षेत्र का मूल्यांकन कर लिया गया है। तथापि, पहले कूप के वेधन से मिले कुछ अप्रत्याशित परिणामों की वजह से मूल्यांकन चरण के बाद के कार्य में देरी हो गई है। आंकड़ों की समीक्षा की गई और समीक्षा करने के बाद विकास योजना जारी रखने का निर्णय लिया गया।

पी वाई-1 क्षेत्र के मामले में चरण-1 के तहत मूल्यांकन कूप का वेधन कोई रिग उपलब्ध न होने की वजह से निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जा सका। ठेकेदार रिग की यथाशीघ्र व्यवस्था करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

डीजल की मांग

***394. श्री अनन्त कुमार हेगड़े :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि, परिवहन तथा औद्योगिक क्षेत्रों में क्रमशः डीजल की वर्तमान मांग कितनी है;

(ख) डीजल की वर्तमान मांग की पूर्ति में स्वदेशी स्रोतों का हिस्सा कितना है; और

(ग) क्या निकट भविष्य में देश डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) 1995-96 के दौरान एच एस डी की खपत 32.25 एम एम टी थी जिसमें से 8.04 एम एम टी की बिक्री सीधे व्यापार द्वारा और 24.21 एम एम टी खुदरा बिक्री के द्वारा की गई थी। मदवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) 1995-96 के दौरान देश में उत्पादित एच एस डी का हिस्सा कुल खपत का लगभग 64 प्रतिशत है।

(ग) परिशोधन क्षमता में नियोजित वृद्धि से नौवीं योजना (2001-02) के अंत तक परिकल्पित मांग में एच एस डी के स्वदेशी उत्पादन का हिस्सा 78.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।

तेल के कुओं में आग की दुर्घटनाएं

***395. श्री एन.के. राठवा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल के कुओं में आग लगने की कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, इससे कितनी क्षति हुई तथा सरकार द्वारा इन दुर्घटनाओं की कितनी बार जांच कराई गई है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कृष्णा गोदावरी बेसिन के पसारलापुड़ी में तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के कुओं में लगी आग के कारणों का पता लगाने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट के बारे में सार्वजनिक रूप से बताने से इंकार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) 1993-94 से 1995-96 की अवधि के दौरान ओ एन जी सी और आयल इंडिया लि. के तेल कूपों में आग लगने की तीन दुर्घटनाएं घटी थीं। इन दुर्घटनाओं के कारण ओ एन जी सी और ओ आई एल को हुआ कुल घाटा लगभग 33.7 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

पसारलापुड़ी में ओ एन जी सी के कूप में आग भड़कने की जांच करने के लिए सरकार ने एक सदस्यीय जांच समिति बनाई थी। इस समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं।

(ख) और (ग). चूंकि यह सरकार द्वारा स्थापित आंतरिक जांच है, इसलिए इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

कोर्जेंट्रिक्स विद्युत परियोजना

***396. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक की कोर्जेंट्रिक्स विद्युत परियोजना हेतु प्रति गारंटी देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार से गारंटी प्राप्त करने के संबंध में राज्य विद्युत बोर्डों के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड इस आवश्यकता को पूरा करने में असफल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अपना अंतिम निर्णय कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) मंगलौर पावर कम्पनी के लिए कर्नाटक विद्युत बोर्ड की भुगतान संबंधी देयताओं के लिए कर्नाटक राज्य की गारण्टी हेतु भारत सरकार की प्रति गारण्टी दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) भारत सरकार ने विद्युत उत्पादन कम्पनियों को राज्य बिजली बोर्डों की भुगतान संबंधी देयताओं के लिए राज्य गारण्टी हेतु प्रति गारण्टी दिए जाने के लिए चन्द सामान्य पैरामीटर निश्चित किए हैं।

(घ) कर्नाटक बिजली बोर्ड पात्रता प्रक्रिया/कार्य-निष्पादन संबंधी पैरामीटरों यथा वर्ष 1995-96 के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत लाभांश की दर (आर.ओ.आर.) को प्राप्त करने, बकाया प्राप्तियों तथा न्यूनतम कृषि टैरिफ को पूरा नहीं करते हैं।

(ङ) भारत सरकार पात्रता संबंधी प्रक्रिया में छूट देने पर सहमत हो गई है।

कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत शुल्क

***397. श्री माधवराव सिंधिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली विद्युत दरों में काफी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पूरे देश में कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित विद्युत की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां। कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की दरें राज्य-दर-राज्य भिन्न-भिन्न हैं।

(ख) विभिन्न राज्यों में कृषि क्षेत्र का औसतन टैरिफ दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) कृषि क्षेत्र के लिए टैरिफ समेत खुदरा उपभोक्ताओं हेतु विद्युत टैरिफ संबंधित राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार निर्धारित किए जा रहे हैं।

(घ) विद्युत क्षेत्र में मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करने तथा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र सुधार, यूटिलिटियों का कार्य निष्पादन, कृषि टैरिफ समेत टैरिफ यौक्तिकीकरण आदि शामिल है। 16 अक्तूबर, 1996 और 3 दिसम्बर, 1996 को मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। मुख्य मंत्रियों/ऊर्जा मंत्रियों के विभिन्न सुझावों के आधार पर कार्य-योजना को अन्तिम रूप देने की आवश्यकता होगी।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान कृषि क्षेत्र से रा.बि.बो. द्वारा की गई कृषि संबंधी वसूली तथा कृषि टैरिफ (30.11.96 की स्थितिनुसार) दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	बोर्ड का नाम	संशोधन की तिथि	प्रयोजनीयता (भार)	टैरिफ समान दर रु./एचपी/वर्ष	टैरिफ मीटरीकृत/आपूर्ति पैसे/कि.वा.घं.	विद्युत शुल्क/दर	वर्ष 1994-95 के के दौरान औसतन वसूली (पैसे/कि.वा.घं.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1.8.196	**75 एचपी तक**				
			3 एचपी तक	250	-	-	
			3 एचपी-5 एचपी तक	350	-		5.73
			5 एचपी-10 एचपी तक	450	-		
			10 एचपी से ऊपर		50		
2.	बिहार	1.7.93	-	360	-	2 पै./कि.वा.घं.	15.24

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	गुजरात	21.5.93	7.5 एचपी तक	470		5% उपभोग	21.97
			7.5 एचपी–15 एचपी	760	50	प्रभार का	
			15 एचपी से ऊपर	912			
4.	हरियाणा	28.12.94	26 एचपी तक	540	50	–	45.38
5.	हिमाचल प्रदेश	1.11.95	–	–	50	15 पै./कि.वा.घं.	141.68
6.	कर्नाटक	1.7.96	10 एचपी तक	100	–	–	
			10 एचपी से ऊपर	–	50	–	2.10
7.	जम्मू और कश्मीर	1.4.88	–	180	10	मूल दर का 22%	–
8.	केरल	1.10.94	5 कि.वा. तकम	60 (शुद्ध)	12	मूल दर का	
			5 कि.वा.–10 कि.वा. तक	120 (शुद्ध)		10%	23.95
			10 कि.वा.–40 कि.वा. तक	36 कि.वा.			
			40 कि.वा. से ऊपर	60 कि.वा.			
9.	मध्य प्रदेश	1.7.96	3 एचपी तक	480	85	–	21.60
			3 एचपी–5 एचपी तक	600			
			5 एचपी–10 एचपी तक	600			
			10 एचपी से ऊपर	720			
10.	महाराष्ट्र	1.7.96	–	300	50	–	18.17
11.	मेघालय	1.9.96	–	–	50	6 पै./कि.वा.घं.	53.33
12.	पंजाब	1.7.96	–	500	50 जमा रु. 3/बीउचपी		34.59
13.	राजस्थान	1.10.96	3 एचपी तक	384	50	मीटरीकृत आपूर्ति	
			3 एचपी–5 एचपी	444		1पै./कि.वा.घं.	31.38
			5 एचपी–7.5 एचपी	492		अमीटरीकृत आपूर्ति	
			7.5 एचपी–10 एचपी	516		समान दर का 5%	
			10 एचपी से ऊपर	516			
14.	उत्तर प्रदेश	16.7.94	25 एचपी तक	600	50	–	34.93
				जमा प्रकाश व्यवस्था हेतु 180/– रु.			
15.	तमिलनाडु	1.2.95	–	निःशुल्क आपूर्ति		–	0.22
16.	पश्चिम बंगाल	7.1.95	3 एचपी तक	घरेलू	65	–	19.74
			3 एचपी–	टैरिफ			
			5 एचपी	1380			
			5 एचपी से ऊपर	1700			

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	असम	8.9.94	**दैनिक खपत**	–			
			कि.वा.घं./दिन			90	129.73
			20 तक			150	
			20–100 तक			180	
			100 से ऊपर				
18.	उड़ीसा	21.5.96	**सभी यूनिटें उपभोजित**				
			150 कि.वा.घं./मी. तक खपत	55		5 पै./कि.वा.घं.	18.92
			150 कि.वा.घं./मी. से ऊपर	65			

गरीबी रेखा

***398. श्री सुरेश आर. जादव :**

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रभाव पर विचार करके गरीबी रेखा के नीचे की स्थिति निर्धारित करने हेतु मौद्रिक सीमा (1991 आधार वर्ष) बढ़ाने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए मौद्रिक सीमा की कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). योजना आयोग न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावी खपत मांग अनुमानों संबंधी कार्य बल द्वारा गरीबी रेखा की दी गई सिफारिशों के आधार पर गरीबी की स्थिति का अनुमान लगाता है। इसके अनुसार, गरीबी रेखा को 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में से 49.09 रु. तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रु. मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। इन गरीबी की रेखाओं को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों से प्राप्त निजी खपत व्यय डिफ्लेटर में अन्तर्निहित मूल्यवृद्धि के माध्यम से समायोजित किया जाता है और इस प्रकार यह मूल्य वृद्धि के प्रभाव को समायोजित करने में समर्थ है। वर्ष 1993-94 के लिए अद्यतन बनायी गई गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 229.14 रु. तथा शहरी क्षेत्रों में 264.38 रु. मासिक प्रतिव्यक्ति व्यय के आधार पर है।

वाहनों द्वारा फैलाए जाने वाला प्रदूषण

***399. श्री उत्तम सिंह पवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विज्ञान तथा पर्यावरण केन्द्र द्वारा हाल ही में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार देश में वाहनों द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषण के लिए सरकारी क्षेत्र की तेलशोधक कम्पनियों द्वारा उत्पादित घटिया स्तर का ईंधन प्रमुख रूप से जिम्मेदार है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ईंधन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का क्या ब्यौरा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). रिफाइनरियों में पेट्रोलियम उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विद्यमान विनिर्देशों के अनुसार उत्पादित किए जाते हैं।

गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

***400. श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार गैस आधारित कितनी-कितनी विद्युत परियोजनाएं/स्टेशन हैं और प्रत्येक परियोजना/स्टेशन की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन विद्युत परियोजनाओं/संयंत्रों की विद्युत क्षमता बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं का उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता सहित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने उपरोक्त विवरण में दर्शाई गई परियोजनाओं में से किसी की भी क्षमता में विस्तार करने की अंतिम स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

विवरण

देश में प्रचालनाधीन गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

	राज्य	केन्द्र	क्षमता (मे.वा.)
1.	दिल्ली	डेसू जीटी	282.00
2.	जे. एंड के.	पाम्पोर जीटी	175.00
3.	राजस्थान	रामगढ़ जीटी	38.50
		अन्ता सीसीजीटी	413.00
4.	उत्तर प्रदेश	औरैया जीटी	652.00
		दादरी जीटी	817.00
5.	गुजरात	धुंवरन जीटी	54.00
		उतरान जीटी	144.00
		वतवा जीटी	100.00
		एस्सार जीटी	330.00
		जीआईपीसीएल	145.00
		कवास जीटी	644.00
		गंधार जीटी	648.00
6.	महाराष्ट्र	उरान सीसीजीटी	912.00
		ट्राम्बे जीटी	180.00
7.	आंध्र प्रदेश	विजेश्वरम्	99.00
		जेगुरूपाडु जीटी	105.60
8.	तमिलनाडु	बेसिन ब्रिज जीटी	120.00
		नरीमनम जीटी	10.00
9.	पश्चिम बंगाल	कस्बा जीटी	40.00
		हल्दिया एंड सिलीगुड़ी जीटी	60.00
10.	दामोदर वैली कार्पोरेशन	मैथान जीटी (बिहार)	82.50
11.	असम	नामरूप जीटी	103.50
		लेकवा जीटी	120.00
		मोबाइल जीटी (गाईकली)	8.10
		मोबाइल जीटी (कैथालगुड़ी)	10.80
		कैथालगुड़ी (नीपको)	201.00
12.	त्रिपुरा	बारामुरा	16.50
		रोखिया	32.00

भूमि का आवंटन

3748. श्री रामसागर : क्या **प्रधान मंत्री** भूमि के आबंटन के बारे में 24 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं. 1704 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने उन व्यक्तियों को इस आशय का नोटिस जारी किया है कि क्यों न उन व्यक्तियों से भूखंड वापस ले लिए जाएं जिन्होंने मुख्तारनामा पर जमीन खरीदी है जबकि इस संबंध में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है;

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए नोटिसों का ब्यौरा क्या है और ये किन-किन क्षेत्रों में दिए गए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पहले भी इन संपत्तियों को मुख्तारनामे पर बेचे जाने तथा इन्हें नियमित किये जाने, जैसे नानकपुरा, नई दिल्ली के निकट झुग्गी झोपड़ी कालोनी में किया गया था, के मामले हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों को दिए गए भूखंडों के संबंध में अलग रवैया अपनाने के क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली मास्टर योजना का उल्लंघन

3749. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली मास्टर योजना का खुलेआम उल्लंघन करके राजनीतिज्ञों तथा अधिकारियों द्वारा अप्राधिकृत कालोनियों तथा झुग्गियों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली की इन बस्तियों तथा झुग्गियों को गिराये जाने से पहले या गिराने के निर्णय लेने से पहले सरकार यह जांच कराये या जांच के संबंध में निर्णय लेकर राजनीतिज्ञों तथा अफसरों की पहचान करने तथा उन पर दिल्ली मास्टर योजना के उल्लंघन तथा अन्य संबंधित अपराधों, यदि कोई हो तो, के लिए अभियोग दर्ज करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड और भूमि तथा विकास कार्यालय ने अब तक ऐसे विशेष दृष्टान्त की सूचना नहीं दी है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जाना

3750. श्री विजय गोयल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्टाचार के मामले में अब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के कितने अधिकारी दंडित किए गए हैं;

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में कार्यवाही की गई है अथवा न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और इन अधिकारियों के नाम क्या-क्या हैं एवं उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) डीडीए ने बताया है कि पिछले पांच वर्षों में भ्रष्टाचार के आरोप में सात अधिकारियों को दंडित किया गया है। इनमें से दो अधिकारी सहायक निदेशक या उच्च स्तर के हैं।

(ख) भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई ग्रस्त अथवा न्यायालय मुकदमा ग्रस्त अधिकारियों की संख्या 74 है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण-I तथा II में दिये गये हैं।

(ग) दि.वि.प्रा. में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार त्रिआयामी अर्थात् प्रतिरोध, निगरानी, खोजबीन और निवारक दण्डात्मक कार्रवाई नीति का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। नाजुक मौकों पर नियमित और विशेषकर शिकायतें प्राप्त होने पर आकस्मिक जांच की जाती है। भ्रष्टाचार रोकथाम हेतु प्रक्रियाओं की निरंतर पुनरीक्षा की जाती है तथा उन्हें युक्तिसंगत बनाया जाता है।

विवरण-I

पकड़े गए मामलों का विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम	प्र.सू. रिपोर्ट/ आरसीसं.	एजेंसी का नाम एसीबी/ सीबीआई विभाग	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	श्री वेद पाल, उ.श्रे.लि.	14/82	एसीबी	अपील उच्च न्यायालय में है।
2.	श्री रामेश्वर दयाल, मेट	31/83	एसीबी	न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।
3.	श्री सीरी लाल, अ.श्रे.लि.	12/86	एसीबी	वही
4.	श्री किशोरी लाल, अ.श्रे.लि.			
5.	श्री धर्मबीर सिंह, माली	34/86	एसीबी	वही
6.	श्री श्रीकृष्ण वर्मा, मेट	30/86	एसीबी	वही
7.	श्री अनिल कुमार गुप्ता, क. अभियंता	9/87	एसीबी	न्यायालय द्वारा दोषमुक्त (डिस्चार्ज) किया गया।
8.	श्री दुनी चंद, अ.श्रे.लि.	30/87	एसीबी	न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।
9.	श्री देवेन्द्र कुमार गोयल, सं.अभियंता			
10.	श्री योगेन्द्र सिंह, सर्वेयर	5/88	एसीबी	वही
11.	श्री ओम प्रकाश, खलासी	23/88	एसीबी	वही
12.	श्री शेव राज सिंह, उ.श्रे.लि			
13.	श्री जगदीश चन्द, सहायक	33/88	एसीबी	न्यायालय द्वारा डिस्चार्ज किया गया।
14.	श्री सुभाष चन्द चौहान, क. अभियंता	आरसी 60(ए)/88-डी एल आई	सीबीआई	न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।
15.	श्री कान्ती कुमार, मेट			

1	2	3	4	5
16.	श्री ओम प्रकाश, चपरासी	27/90	एसीबी	न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।
17.	श्री धर्मबीर सिंह, क. अभियंता	10/90	एसीबी	वही
18.	श्री मो. अब्बास, क. अभियंता	आरसी 50(ए)/94-डीएलआई	सीबीआई	मामला न्यायालय में है।
19.	श्री संजीव कुमार गुप्ता, क. अभियंता	आरसी 65(ए)/94-डीएलआई	सीबीआई	वही
20.	श्री पी.के. शर्मा, क. अभियंता	आरसी 68(ए)/94-डीएलआई	सीबीआई	वही
21.	श्री कृष्ण चन्द वर्मा, क. अभियंता			
22.	श्री ओम कंवर शर्मा, एएफआई	43/94	एसीबी	मामला एसीबी के जांचाधीन है।
23.	श्री हरिन्दर पाल, स. अधियंता	44/94	एसीबी	वही
24.	श्री राजेन्द्र कुमार, क. अभियंता			
25.	आर.सी. केसवानी, स. अभियंता	1/95	एसीबी	वही
26.	श्री पन्ना लाल गर्ग, क. अभियंता	85/95	एसीबी	वही
27.	श्री एन.एस. रावल, एन आई	आरसी94/ए)/95 डीएलआई	सीबीआई	मामले की जाचं जारी है।
28.	श्री जे.आर. गुप्ता, ए.ओ.	आरसी 104(ए)/95-डीएलआई	सीबीआई	वही
29.	श्री प्रेम सागर राय, क. अभियंता	11/96	एसीबी	वही
30.	श्री प्रेम नारायण, बेलदार			
31.	श्री जी.एस. परवानी, क. अभियंता	13/96	एसीबी	वही
32.	श्री आशीष कुमार मलिक, सेट			
33.	श्री बलदेव राज, क. अभियंता	आरसी 53(ए) 96-डीएलआई	सीबीआई	वही
34.	श्री सुरेन्द्र कुमार कटारिया, क. अभि.			
35.	श्री के.एन.पुजारी, उ.श्रे.लि.	एफआईआर 32/93	एसीबी	मामला न्यायालय में है।
36.	श्री महिपाल सिंह, स्टेनो	एफआईआर सं. 27/88 एसीबी	एसीबी	वही
27.	श्री नरायण मंडल, उ.श्रे.लि.	एफआइआर सं. 37/85 पी	एसीबी	न्यायालय द्वारा दोषमुक्त।
38.	श्री भजन लाल गोयल, क. अभि.	एफआईआर सं. 33 दि. 6/12/91	एसीबी	मामला न्यायालय में है।
39.	श्री एस.के. मित्तल, कार्यपालक अभि.	आरसी 6(ए)/91-डीएलआई	सीबीआई	न्यायालय द्वारा दोषमुक्त परंतु सीबीआई ने पुनः मुकदमा चलाने के लिए अनुशासन प्राधिकारी से स्वीकृति ली है।
40.	श्री डी.वी.सिंह, स. अभियंता			
41.	श्री हरस्वरूप वर्मा, क. अभियंता	13/91	एसीबी	न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।
42.	श्री अशोक कुमार गुप्ता, क. अभियंता			
43.	श्री राम सिंह, नायब तहसीलदार	14/91	एसीबी	न्यायालय द्वारा दोषमुक्त।
44.	श्री विजय बहादुर सिंह, क. अभि.	23/91	एसीबी	न्यायालय द्वारा दोषमुक्त।
45.	श्री राज कुमार मल्होत्रा, क. अभि.	29/91	एसीबी	वही
46.	श्री एस.सी.जोशी, क. अभियंता	आरसी 68(ए)/91-डीएसआई	सीबीआई	वही

1	2	3	4	5
47.	श्री इन्द्र दत्त पटवारी	आरसी 70(ए)/91-डीएलआई	सीबीआई	वही
48.	श्री सुखदेव राज महत्ता, स. अभि.	5/92	एसीबी	एसीबी द्वारा जांच की जा रही है।
49.	श्री किशोर कुमार, कानूनगो	आरसी 50(ए)/91-डीएलआई	सीबीआई	न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।
50.	श्री आर.के. नागपाल, ड.श्रे.लि.			
51.	श्री जगपाल सिंह, पटवारी			
52.	श्री नरेन्द्र पाल वर्मा, क. अभियंता	2/93	एससीबी	वही
53.	श्री विजय सिंह, अधीक्षक	12/93	एसीबी	एसीबी द्वारा जांच पूरी कर ली गई है।
54.	श्री एस.के. गुप्ता, क. अभियंता	आरसी 34(ए)/93-डीएसआई	सीबीआई	न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।
55.	श्री करतार सिंह, सहा. केलेक्टर	आरसी 52(ए)/93-डीएलआई	सीबीआई	वही
56.	श्री जे.सी. वर्मा, कानूनगो			
57.	श्री श्रीनिवास, कानूनगो	आरसी 56(ए)/93-डीएलआई	सीबीआई	वही
58.	श्री ओम प्रकाश, पंप आपरेटर	56/93	एसीबी	वही
59.	श्री राज सिंह, मेट			
60.	श्री एस.सी. गौतम, क. अभियंता	एफआईआर 13/90 पीएस एसीबी	एसीबी	मामले पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।
61.	श्री कैलाश चन्द्र, उ.श्रे.लि.	एफआईआर सं. 10/85 पीएस एसीबी	एसीबी	वही
62.	श्री लेखराज सिंह, उ.श्रे.लि.	एफआईआर सं. 9/86 पीएस एसीबी	एसीबी	वही
63.	श्री चूरोमणि, सहायक	आरसी 46(ए)/90-डीएलआई	सीबीआई	श्री चूड़ामणि, सहायक, को दिल्ली के विशेष जज श्री वी.बी. गुप्ता, के न्यायालय द्वारा 2.2.93 को दोषी ठहराया गया। विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय देते हुए अभियुक्त को पी.सी. एक्ट की धारा 7 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000/- रुपये के जुर्माने और जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने का कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा पीसी एक्ट (पठित धारा 13(1) (डी) के तहत) 1988 की धारा 13(2) के साथ तीन साल 6 माहके कारावास और 1000/- रुपये के जुर्माने, जिसके अदा न करने पर 6 महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों मूल कारावास सजाएं साथ-साथ चलेंगी। श्री चूड़ामणि, सहायक ने दिल्ली उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील सं. 32/93 में वाद संख्या विविध 47/93 अपील दायर की है जो उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

विवरण-II

ज्ञात आयत स्रोतों से अधिक परिसंपत्तियों के मामले जो भ्रष्टाचार श्रेणी में आते हैं

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	प्र.सू.रफ्ट/केस सं.	आरोप	वर्तमान स्थिति
1.	श्री किशन सिंह वर्मा, क. अभियंता	आरसी 23(ए)/93/डीएलआई	ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति	मामला न्यायालय में है।
*2.	श्री एस.सी. गर्ग, सहा. अभियंता	एफआईआर सं. 42/94 एसीबी	वही	मामले में एसीबी द्वारा जांच की जा रही है।
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार कटारिया, कनिष्ठ अभियंता	आरसी 60(ए)/96-डीएलआई	वही	मामले में सीबीआई की जांच जारी।
4.	श्री बलदेव राज, क. अभियंता	आरसी63(ए)/96-डी एलआई	वही	वही
5.	श्री अभिलाब सिंह, मेट	आरसी 64(ए)/96-डीएलआई	वही	वही
6.	श्री विजय कुमार, क. अभियंता			
7.	श्री वी.के. जैन, क. अभियंता	आरसी 25(ए)/96-डीएलआई	वही	वही
	विभागीय जांच में ग्रस्त अधिकारी			
1.	श्री महिन्द्र सिंह, उ.श्रे.लि.	रिश्वत का मामला	रिश्वत खोरी	मामला जांच अधिकारी के पास है।
2.	श्री एस.सी. जोशी, क. अभि.	"	"	जांच अधिकारी नियुक्त किया जाना है।
3.	श्री आर.एस. वर्मा, क. अभि.	"	"	उत्तर की प्रतीक्षा है।
4.	श्री जे.पी. गुप्ता, सं. अभियंता	"	"	वही

* सहायक निदेशक या उच्च स्तर के अधिकारी।

अतिक्रमण

3751. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जून, 1996 के "दैनिक जागरण" में "कभी-हरा-भरा रहने वाला करोल बाग अवैध निर्माण की भेंट चढ़ रहा है" तथा "अवैध निर्माणों के लिए डी.डी.ए. जिम्मेदार-साहिब सिंह" शीर्षकों से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि जब कभी भी क्षेत्र अवैध निर्माण तथा सम्पत्ति के दुरूपयोग का पता चलता है। सूचना मिलती है, दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है।

जहां तक पूसा रोड में 10 वाणिज्यिक भवनों/सम्पत्तियों के अवैध निर्माण का सम्बन्ध है जैसा कि समाचार पत्र में उल्लेख किया गया है, दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश ख़ारिज कर दिये जाने के पश्चात् अवैध निर्माण को गिराने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है। चल रहे अवैध निर्माणों के विरूद्ध दैनिक रूप से कार्रवाई की जा रही है।

लाल डोरा का व्यवसायीकरण

3752. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II के पीछे मस्जिद मोठ गांव में लाल डोरा भूमि के बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने वाले को वहां से हटाने तथा अप्राधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि वाणिज्य प्रयोजनार्थ, चालू वित्त वर्ष के दौरान अनधिकृत के चार मामले मस्जिद मोठ गांव में पाये गये। ये परिसम्पत्ति संख्या 66,211,268 ओर 389 से संबंधित हैं।

(ग) दिल्ली नगर निगम (डी.एम.सी.) अधिनियम के तहत अनाधिकृत निर्माण को दर्ज किया गया है। एम.सी.डी. द्वारा अपनी नीति के अनुसार गिराने की कार्यवाही की जाती है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

3753. श्री ललित ठरांव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार सहित अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तथा विशेष रूप से बिहार के बारे में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सहित अन्य राज्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु एकीकृत धनराशि उन राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कुछ और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ). ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों के लिए कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है। तथापि, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण युवाओं को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों और मास्टर कारीगरों के पास भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि स्वरोजगार/मजदूरी रोजगार उद्यम शुरू करने के लिए उनकी तकनीकी और व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि की जा सके। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु चयन किए गए युवाओं में 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। विकास खंड स्तर पर प्रशिक्षण ढांचे की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों सहित ऐसे विकास खंडों जहां उचित प्रशिक्षण ढांचा मौजूद नहीं है वहां मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जायेंगे। राज्य सरकार से मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण करने के उपरान्त प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। जिन 8 राज्यों से 1995-96 के दौरान मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उन्हें इस हेतु 19.61 करोड़ रुपए की निधियां जारी कर दी गई थीं। बिहार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

[अनुवाद]

कायमकुलम विद्युत परियोजना

3754. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के साथ कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना से किसी विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) विद्युत का एकक-वार प्रस्तावित मूल्य कितना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) कायमकुलम संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (400 मे.वा.) से विद्युत की आपूर्ति किए जाने हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) तथा केरल राज्य बिजली बोर्ड (केएसईबी) के बीच हस्ताक्षर किए गए विद्युत क्रय करार (पीपीए) की प्रमुख निबंधन एवं शर्तें निम्नवत् हैं :-

1. इस परियोजना की समूची विद्युत केएसईबी को आवंटित की जाएगी।
2. टैरिफ का निर्धारण भारत सरकार द्वारा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 43-क की शर्तों के अधीन किया जाएगा।
3. जहां तक विद्युत आपूर्ति के भुगतान का संबंध है, पीपीए में परिकल्पना की गई है कि यह भुगतान केएसईबी द्वारा एनटीपीसी के पक्ष में साख-पत्र (एलसी) जारी करके किया जाएगा। केएसईबी द्वारा किए जाने वाले भुगतान राज्य सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित होंगे तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में एनटीपीसी राज्य सरकार को दिए जाने वाले केन्द्रीय विनियोजन के माध्यम से भुगतान प्राप्त करेगा।
4. आरंभ में यह पीपीए परियोजना की अंतिम यूनिट द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ करने की तिथि से पांच वर्ष के लिए वैध होगा तथा इसे आगे बढ़ाया जाना पारस्परिक सहमति की शर्तों के अधीन होगा।

(ग) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 43-क के तहत भारत सरकार द्वारा टैरिफ अधिसूचित किया जाएगा, विद्युत की कीमत के बारे में पीपीए में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण

3755. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मंत्रालय के अन्तर्गत विभागों और उपक्रमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विभिन्न श्रेणियों के आरक्षित पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो पद-वार अद्यतन स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ विभागों और उपक्रमों में कुछ पदों पर नई नियुक्तियां करने के अतिरिक्त इन कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति आरक्षित कोटे के अनुसार की गई है और क्या इन कार्यालयों में पहले से कार्यरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति आरक्षण कोटे के अनुसार दी गई है; और

(च) इस समय विभिन्न श्रेणियों में रिक्त आरक्षित पदों को भरने के लिए तथा आरक्षण कोटे के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (च) विशेष भर्ती अभियान के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जा रही है। अन्य ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं तथा लोक सभा के पटल पर रख दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

तारापुर विद्युत संयंत्र

3756. **श्री चिन्तामन वानगा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर स्थित परमाणु ऊर्जा परियोजना के चरण-तीन और चार के बारे में परियोजना रिपोर्ट सरकार को 1994 में प्रस्तुत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना के पूरा होने में लगभग कितना समय लगेगा और परियोजना के पूरा होने के बाद इससे कितना उत्पादन होने की आशा है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). तारापुर में 500 मेगावाट क्षमता के दो यूनिटों वाली परमाणु विद्युत परियोजना के लिए परियोजना संबंधी वित्तीय संस्वीकृति सरकार ने जनवरी, 1991 में दे दी थी। इस परियोजना के लिए मुख्य उपस्कर प्राप्त किए जा चुके हैं और अवसंरचनात्मक कार्य भी लगभग पूरा होने वाला है। तथापि, मुख्य संयंत्र का सिविल-निर्माण-कार्य संसाधनों की कमी के कारण अभी तक शुरू नहीं किया जा सका।

(घ) मुख्य संयंत्र का निर्माण-कार्य शुरू होने की तारीख से प्रत्येक यूनिट के पूरा होने में लगभग साढे आठ वर्ष लगेंगे।

[हिन्दी]

ढांचागत सुविधाओं का विस्तार

3757. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के छः प्रमुख शहरों में ढांचागत सुविधाओं तथा जल सुविधाओं के विस्तार हेतु कोई परियोजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना हेतु धनराशि प्राप्त करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ कोई बातचीत की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृत देने तथा क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). वर्तमान में राजस्थान के 6 बड़े शहरों में अवस्थापनात्मक सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए कोई भी परियोजना विचाराधीन नहीं है। तथापि अजमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, और उदयपुर में अवस्थापनात्मक विकास हेतु एशियाई बैंक से वित्त सहायता प्राप्त अनुरोध के आधार पर साध्यता अध्ययन कराने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चूंकि एशियाई विकास बैंक से मुहैया होने वाली सहायता तकनीकी सहायता अध्ययन के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी अतः ऐसे समय पर एशियाई विकास बैंक से वित्त व्यवस्था मुहैया होने बाबत कोई समय सीमा का उल्लेख करना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

ग्रामीण खपत संबंधी मानक

3758. श्री सनत कुमार मंडल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "हिन्दू बिजनेस लाइन" दिल्ली के 21 नवम्बर, 1996 के अंत में "चेंजिंग पैटर्न इन रूरल कंजम्पशन स्टैंडर्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त गिरावट के क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) लेख में कहा गया है कि वर्ष 1977-78 और 1993-94 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के उपभोग व्यय आंकड़े के अनुसार देश के ग्रामीण जनसंख्या के निम्न दशमक का उपभोग मानक उनके उच्च दशमक की तुलना में अधिक तेज हो गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि शहरी जनसंख्या के अनुपात में ग्रामीण भारत के उपभोग मानक के समग्र रूप से गिरावट आई है।

(ग) निम्न दशमक के उपभोग हिस्से में बढ़ोत्तरी गैर निर्धनों की तुलना में निर्धनों की अपेक्षाकृत उच्च उपभोग वृद्धि को सूचित करती है। विश्लेषण में की गई ग्रामीण और शहरी उपभोग तुलना से पता चलता है कि ग्रामीण आय दर की तुलना में शहरी आय दर अधिक है।

(घ) उच्च दशमक के वास्तविक प्रति व्यक्ति खपत में कोई गिरावट नहीं आई है जो वर्ष 1977-78 और 1993-94 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 1.1 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 1.1 प्रतिशत से बढ़कर 1.4 प्रतिशत वार्षिक हो गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम

3759. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय/दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्तमान दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन के संबंध में सदस्यों की राय मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसद सदस्यों ने केन्द्र सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपनी राय से अवगत कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). अनधिकृत निर्माण के लिए दण्ड के सम्बन्ध में दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 29 के प्रस्तावित संशोधन पर दिनांक 10.5.1993 को दिल्ली के संसद सदस्यों के साथ बैठक में विचार-विमर्श किया गया था जिसमें संसद सदस्यों ने दिए जाने वाले दण्ड की मात्रा पर, यथासमय अपने विचार भेजने के लिए सहमति दी थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दिल्ली विकास अधिनियम की धारा-29 के संशोधन के दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव की इस मंत्रालय में जांच की गयी। दिल्ली विकास प्राधिकरण को अधिनियम के संशोधन के प्रस्ताव को थोड़ा-थोड़ा करके भेजने की अपेक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आवश्यकतानुसार संशोधन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने हेतु कहा गया है।

[अनुवाद]

लघु अवधि फिल्में

3760. श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हरीश चावला फिल्मस् ने सौर ऊर्जा पर अंग्रेजी तथा हिन्दी में 2.5 मिनट की लघु अवधि फिल्में बनाई हैं;

(ख) क्या इन फिल्मों को स्वीकृति दे दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन फिल्मों को ग्यारह प्रांदेशिक भाषाओं में डब किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन फिल्मों का दूरदर्शन पर अभी तक प्रसारण न करने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). सरकार को मैसर्स हरीश चावला फिल्मस् से हिंदी और अंग्रेजी पाठ प्राप्त हो गए हैं। तथापि उन्हें संतोषजनक

नहीं पाया गया और मंत्रालय द्वारा संशोधन हेतु दिए गए सुझावों को कम्पनी द्वारा शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा कम्पनी ने, समझौते के दायित्वों के विपरीत, मंत्रालय से अनुमति या अनुमोदन लिए बिना फिल्मों को स्वयं ही क्षेत्रीय भाषाओं में डब किया। अतः दूरदर्शन पर इन फिल्मों को दिखाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कैरियर विकास के लिए योजना

3761. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग-I और चयन संवर्ग अधिकारियों के कैरियर के विकास के लिए एक योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालसुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-I अधिकारियों से उप सचिव ग्रेड (चयन ग्रेड) में पदोन्नति के लिये, नियमों में प्रावधान पहले से ही विद्यमान है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा में यह शीर्षस्थ ग्रेड है। उप सचिव स्तर से ऊपर की पदोन्नतियां संवर्ग बाह्य पदों के लिये केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार की जाती है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I तथा चयन ग्रेड दोनों के अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। ग्रेड I तथा चयन ग्रेड के अधिकारियों को देश तथा विदेश दोनों ही स्थानों पर दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वृक्षारोपण

3762. श्री सौम्य रंजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृक्षारोपण और उनके रख-रखाव के लिए दिल्ली में महत्वपूर्ण सड़कों और चौराहों पर सरकुलर पार्कों को निजी क्षेत्र को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में कितने पार्कों और सड़कों को निजी क्षेत्र को सौंपा गया है;

(ग) क्या ऐसी योजना सरकार के लिए लाभकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). दिल्ली में अनुरक्षण और वृक्षारोपण के लिए निजी क्षेत्र को सौंपे गये सड़कों, पार्कों आदि की संख्या इस प्रकार है :-

	दि.न.नि.	दिल्ली सरकार	न.दि.न.प.
(1) सड़कें, घास किनारें, हरित पट्टियां	36	10	25
(2) पार्क	80	शून्य	शून्य
(3) गोल चक्कर	2	"	"

(ग) और (घ). अनुरक्षण और हरियाली पर हो रहे खर्च के भार को सरकार से वापस ले लिया गया है। स्थानीय निवासियों की भागीदारी के कारण इन पार्कों और गोल चक्करों के अनुरक्षण में अधिक सावधानी बरती गई है।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति परियोजना

3763. श्री राम नाईक : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित कार्य दल ने सिफारिश की है कि त्वरित शहरी जल-आपूर्ति परियोजना के अंतर्गत, प्रस्तावित शहरों की जनसंख्या को 20 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद ने उपरोक्त सिफारिश पर अपनी सहमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो उपरोक्त दोनों निकायों द्वारा उपरोक्त सिफारिशों पर कब तक विचार कर लिया जायेगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक जनवरी, 1977 में आयोजित करना निर्धारित किया गया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण का निर्धारण हो जाने और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा उसका अनुमोदन कर दिए जाने के बाद योजना आयोग कार्यदल की सिफारिशों पर विचार करेगा।

भूमि सुधार

3764. **श्री उधव बर्मन :**
श्री गिरिधर गमांग :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भूमि सुधार पर विशेष बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) राज्य-वार अब तक कितनी भूमि फालतू घोषित की गई है और भूमिहीनों में वितरित की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जैसा कि भारतीय संविधान में उल्लिखित है, भूमि एवं इसके प्रबंध की जिम्मेदारी राज्यों की है। केन्द्र सरकार की भूमिका इसमें सलाहकार एवं सहयोगी की है। अतः विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों के तीव्रतर क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को सलाह देती है।

(ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

भूमि सुधार कार्यक्रमों की प्रगति पर राजस्व सचिवों, मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा इस मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर समय-समय पर विचार विमर्श होता रहा है। हाल ही में सम्पन्न हुई 27 दिसम्बर, 1995 के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में भारतीय किसानों के बीच भूमिहीनता, छुपी हुई पट्टेदारी, पटटेदारों एवं बटाईदारों की बेदखली, जनजातीय भूमि का अन्तरण, जनजातीय भूमि की वापसी में असंतोषजनक प्रगति, बची हुई सीमाकंन से अधिक भूमि के वितरण, भूदान भूमि, सरकारी बंजरभूमि, कृषि जोतों की चकबंदी, नियमित परिवर्तन एवं सावधिक संशोधनात्मक बंदोबस्ती के माध्यम से भू-अभिलेखों के अद्यतनीकरण की समस्याओं का ध्यान आकृष्ट किया गया था। सम्मेलन में इनसे निपटने हेतु तीव्रतर कदम उठाने की सिफारिश की गई। इस सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें नीचे सूचीबद्ध है :-

(1) सीमाकंन से अधिक भूमि का समयबद्ध वितरण,

(2) भूमि सीमाकंन से संबंधित मामलों की सुनवाई एवं निपटान के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों में विशेष न्यायपीठ का गठन करना तथा सीमाकंन संबंधी मामलों के तीव्रतर निपटान के लिए संविधान के अनुच्छेद 323(ख) के अंतर्गत भूमि अदालत की स्थापना करना,

(3) समस्त भारों से मुक्त शेष भूदान भूमि एवं सरकारी बंजरभूमि का वितरण,

(4) विशेष समयावधि के भीतर कृषि जोतों की चकबंदी के कार्य को पूरा करना।

(5) अंतरित जनजातीय भूमि को वापस दिलाना।

(6) काश्तकारों तथा बटाईदारों के मौजूदा अधिकारों को रिकार्ड करने के लिए विशेष कार्यक्रम।

(7) अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवारों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि भूदान तथा सरकारी बंजरभूमि को आबंटित करते समय वरीयता देना।

(8) अप्पू समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप में सभी भूमिधारकों को किसान पास बुकों का वितरण करना।

(9) राज्य सरकारें भूमि सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायतों को विशिष्ट जिम्मेदारियों को सौपने पर सक्रिय रूप से विचार करें।

(10) राज्य सरकारें राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा भू अभिलेखों को अद्यतन बनाने के लिए प्रभावी उपाय शुरू करें।

(11) प्रत्येक राज्य का राज्य विभाग राज्य में लंबित पड़े भू स्वामित्व परिवर्तन के मामलों को पूरा करने के लिए तत्काल एक कार्यक्रम शुरू करें।

(12) यह भी सिफारिश की गई थी कि सभी राज्यों के राजस्व विभाग भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाकर, भूअभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, सर्वेक्षण और बंदोबस्ती में आधुनिक उपस्करों को अपनाकर क्षेत्रीय स्तरीय राजस्व अधिकारियों की वितरण प्रणाली को तत्काल आधुनिक बनाएं। राजस्व विभाग राज्य के ऐसे क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कराएं जहां मौजूदा भूकर मानचित्र ज्यादातर पुराने तथा असंगत हो गए हैं।

(13) राजस्व विभाग को मानचित्रों के आंकीकरण का कार्य करना चाहिए तथा मानचित्रों की वर्तमान छपाई प्रणाली में भी सुधार करना चाहिए।

(14) राज्य का राजस्व विभाग अपनी भूमि, वन, जल तथा ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के आधुनिक प्रबंध हेतु फोटोग्रामेट्रिक प्रणाली अपनाने पर भी विचार कर सकता है।

(15) सम्मेलन, राजस्व मंत्रियों की एक उप समिति के गठन की भी सिफारिश करता है जो निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करेंगी :-

(क) इस सम्मेलन की सिफारिश के कार्यान्वयन की प्रगति की तिमाही में कम से कम एक बार समीक्षा करना।

(ख) इस देश में काश्तकारी सुधारों के संबंध में व्यापक परिवर्तनशील भूमि कानूनों की जांच करना तथा इस देश में उपयुक्त काश्तकारी सुधार लाने हेतु सामान्य और संगत दृष्टिकोण का विकास करने के लिए राष्ट्रीय मार्गदर्शिका का एक मसौदा तैयार करना।

(ग) अनुपस्थित जमीदारों की समस्या तथा ऐसे परिवारों के लिए अलग अधिकतम सीमा प्रावधानों को शुरू करने की सम्भाव्यता की जांच करना। जिनकी आजीविका पूर्ण रूप से उनकी कृषि जोतों की आय पर आधारित नहीं होती।

(घ) भूमि सुधार उपायों के उचित कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपायों की जांच करना, उनका मूल्यांकन करना और उनकी सिफारिश करना तथा भूमि राजस्व प्रशासन की सुपुर्दगी प्रणाली में उपयुक्त सुधार करना।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा से भेजा गया अन्य कोई मामला।

इस सिफारिश के अनुपालन में मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार राज्य मंत्री की अध्यक्षता में राजस्व मंत्रियों की एक उप समिति का गठन किया है।

(16) सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि अगले तीन वर्षों में केन्द्र से शत प्रतिशत सहायता अनुदान का पूरा-पूरा लाभ उठाते हुए सभी जिलों के भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण करने हेतु समस्त प्रयास किए जाएं।

विवरण–II

क्र.सं.	राज्य	घोषित फालतू भूमि	व्यक्तिगत लाभार्थियों को वितरित भूमि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	800240	567161
2.	असम	612380	479513
3.	बिहार	413862	302871
4.	गुजरात	231172	133278
5.	हरियाणा	93511	87259
6.	हिमाचल प्रदेश	282581	3340
7.	जम्मू व कश्मीर	455575	450000
8.	कनाटक	280779	118751
9.	केरला	137692	64253
10.	मध्य प्रदेश	338555	185239
11.	महाराष्ट्र	729674	554870
12.	मणीपुर	1830	1682
13.	उड़ीसा	176569	153817
14.	पंजाब	222594	103216
15.	राजस्थान	600987	451499
16.	तमिलनाडु	191311	159344
17.	त्रिपुरा	1995	1599
18.	उत्तर प्रदेश	555350	383937
19.	पश्चिम बंगाल	1270965	961567
20.	दादर व नगर हवेली	9406	6851
21.	दिल्ली	1132	394
22.	पांडिचेरी	2326	1022
	कुल	7410366	5171463

पेट्रोल पम्प

3765. प्रो. चितेन्द्र नाथ दास : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लगभग तीस चालू पेट्रोल पम्पों को नीलाम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) उन स्थानों तथा व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें ये आबंटित किय गये थे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सी) संख्या 26/95 के संबंध में अपने दिनांक 25 सितम्बर, 1996 के आदेश के जरिए सरकार द्वारा विवेकाधीन कोटे के तहत आबंटित किए गए 15 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने ऐसे आरम्भ हो चुके खुदरा बिक्री केन्द्रों को नीलाम

करने के लिए भी आदेश दिया है। समाप्त किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों में से निम्नांकित 5 खुदरा बिक्री केन्द्र आरम्भ हो चुके खुदरा बिक्री केन्द्रों की श्रेणी के तहत आते हैं :-

	नाम	स्थान
1.	श्री बेन्जामिन के. होल्लोहोन	पुराना बाजार, दीमापुर, नागालैण्ड
2.	श्री सैय्यद हसन शौकत आबिदी	फतेहपुर, उत्तर प्रदेश
3.	श्री अरूण के. गुप्ता	चंडीगढ़
4.	श्रीमती विजया नायर	दिल्ली
5.	श्री धर्मेश कुमार	फिरोजाबाद-शिकोहाबाद रोड़, माखनपुर के निकट, उत्तर प्रदेश

[हिन्दी]

पेयजल योजना

3766. श्री सुशील चन्द्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कितने तथा किन-किन शहरों के लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी योजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी गई है; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक शहर के लिए कितनी लागत का आकलन किया गया है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक शहर के लिए इस योजना के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). 20,000 से कम आबादी वाले (1991 की जनगणना के अनुसार) कस्बों से लागू केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार से पेयजल आपूर्ति की 86 योजनाएं प्राप्त हुई हैं। अब तक 36.04 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 51 योजनाएं अनुमोदित की गई हैं (विवरण-I) जबकि 45 योजनाओं की जांच की जा रही है तथा इन्हे अनुमोदित नहीं किया गया है क्योंकि 8वीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश का अंश पहले ही खर्च कर लिया गया है। (विवरण-III)

राज्य आयोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार से विदेशी सहायता के लिए दो योजना प्रस्तावों सहित पेयजल आपूर्ति योजनाएं तकनीकी अनुमोदन हेतु प्राप्त हुई है। योजनाओं के नाम, उनकी परियोजना लागत तथा वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत जल आपूर्ति योजनाओं की सूची

(रु. लाख में)

क्र.सं.	कस्बे का नाम	स्वीकृति की तारीख	परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	भाभरा	मार्च, 1994	43.00
2.	बर्मनिया	-"	34.00
3.	बदनावर	"	56.00
4.	धर्मपुरी	"	51.00
5.	धमनोद	"	163.00
6.	पांसेमल	"	49.00
7.	गौतमपुरा	"	56.50
8.	सावेर	"	49.50
9.	खारनावाद	"	45.60
10.	हट्टीपलिया	"	00.00
11.	काटाफोड	"	39.50
12.	सोहागपुर	"	62.60
13.	बबई	"	42.00
14.	खिरकिया	"	63.60
15.	खिरकिया	"	37.30
16.	सुल्तानपुर	"	45.00
17.	उदयपुर	"	54.00
18.	सीतामऊ	"	62.00
19.	भट्टगांव	"	56.00
20.	बागबेहड़ा	"	56.00
21.	पिथौरा	"	51.00
22.	गड़ियाबंद	"	42.00
23.	अहिवारा	"	56.00
24.	डोंगर गांव	"	63.00
25.	राघोगढ़	"	89.55
26.	खानियादाना	"	34.70
27.	गंदई	"	55.00
28.	बड़ोदा	"	21.55
29.	बामोर	"	49.90
30.	विजयपुर	"	60.00
31.	बुधनी	जनवरी, 1996	46.80

1	2	3	4
32.	लतेरी	जनवरी, 1996	65.00
33.	कुस्द	"	61.20
34.	बारघाट	"	44.70
35.	मुंडी	"	58.80
36.	भिकनगांव	"	148.00
37.	पाछोर	मार्च, 1990	211.00
38.	जोवाट	"	57.00
39.	बांदा	"	123.20
40.	अमरवारा	"	119.90
41.	चौरई	"	140.50
42.	बेंसदेही	"	195.80
43.	तिरोडी	"	68.70
44.	हररई	"	74.90
45.	निवारी	"	45.00
46.	मलखेडा	"	125.80
47.	भोगांव	"	48.60
48.	कदांगी	"	98.90
49.	शाहपुर	"	48.50
50.	मझोली	"	77.80
51.	लाखनादोन	"	69.10
			3604.70

विवरण–II

मध्य प्रदेश की जल आपूर्ति योजनाओं की सूची, जिन्हें त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत किया जाना है।

क्र.सं.	कस्बे का नाम	परियोजना लागत
1	2	3
1.	चन्देरी	270.00
2.	पाटन	76.90
3.	सिओंदा	33.10
4.	अमला	23.37
5.	कोटा	55.00
6.	पेन्डरा	44.00
7.	लोदीखेड़ा	32.01
8.	नाकघाट	54.83
9.	माऊगंज	123.15
10.	बैकुंठपुर	63.00
11.	गोविन्दगढ़	60.00
12.	कोठी	33.00
13.	कोतार	30.92
14.	पृथ्वीपुर	50.00
15.	सुथलिया	78.00
16.	बैहार	128.00
17.	तालेन	88.00
18.	बोदा	56.00
19.	शाहपुरा	76.00
20.	सोनसार	117.35
21.	मांगावन	67.30
22.	केसरावत	135.00
23.	जीरापुर	105.00
24.	रेहती	45.50
25.	नसरूल्लागंज	67.20
26.	रतनपुर	65.00
27.	खरोद	50.00
28.	शेओरीनारायन	49.62
29.	सक्ति	142.00
30.	सारंगगढ़	34.60
31.	बैकुंठपुर	41.20
32.	सोयेटकलां	59.25
33.	बरोद	66.00
34.	विजयराघवगढ़	26.28
35.	बराही	49.50
36.	अंजद	194.00
37.	इसागढ़	70.00
38.	तरीचारकलां	31.00
39.	खारगापुर	50.00
40.	कनोडे	150.00
41.	भानपुरा	25.00
42.	खाटेगांव	296.50
43.	पथारिया	111.00
44.	आरायणगढ़	135.00
45.	घरघोरा	36.00
		3594.58

विवरण–III

मध्य प्रदेश से प्राप्त जल आपूर्ति योजनाओं की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	योजना का नाम	अनुमानित लागत	अभ्युक्ति
	मध्य प्रदेश			
1.		सारंगपुर, जिला राजगढ़ के लिए जल आपूर्ति योजना का विस्तार	424.00 लाख रु.	तकनीकी अभ्युक्तियां राज्य सरकार को सूचि दी गई थीं। उत्तर की प्रतीक्षा है।
2.		विलासपुर, जल आपूर्ति योजना का विस्तार	1147.00 लाख रु.	वही
3.		कस्बा जावरा, जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) की जल आपूर्ति योजना का विस्तार	840.30 लाख रु.	वही
4.		कस्बा आगार, जिला शाजपपुर, मध्य प्रदेश की जल आपूर्ति योजना का विस्तार	150.00 लाख रु.	वही
5.		बस्तर जिले में गांव कोंडा गांव के लिए जल आपूर्ति योजना	330.00 लाख रु.	राज्य सरकार को टिप्पणियां भेजी गई थी। बार बार अनुस्मारक देने के बावजूद अब तक कोई उत्तर नहीं मिला है।
6.		दानों कस्बे से सोनर नदी तक जल आपूर्ति के लिए परियोजना को तकनीकी अनुमोदन प्रदान करना	5243.00 लाख रु.	वही
7.		देवास जल आपूर्ति परियोजना (संशोधित)	5155.00 लाख रु.	वही
8.		कस्बा मुलताई, जिला बेतुल के लिए की आपूर्ति योजना का विस्तार	786.00 लाख रु.	यह योजना 659 लाख रु. की लागत पर अनुमोदित की गई है।
9.		कस्बा हाता जिला दानोम की जल आपूर्ति योजना का विस्तार	198.00 लाख रु.	यह योजना 190 लाख रु. की लागत से अनुमोदित की गई है।
10.		आस्था नगर जिला सीहोर की जल आपूर्ति योजना का विस्तार	598.00 लाख रु.	योजना 651.60 लाख रु. की लागत से अनुमोदित की गई है।
11.		इन्दौर के लिए पेयजल आपूर्ति योजना	57500.00 लाख रु.	योजना 57500 लाख रु. की लागत से अनुमोदित की गई है।
12.		खारगोन जिला खारगोन की जल आपूर्ति योजना का विस्तार	301.70 लाख रु.	योजना 258.50 लाख रु. की लागत से अनुमोदित की गई है।
		विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
1.		छोटे एवं मध्यम दर्जे के 105 कस्बों के लिए पेयजल आपूर्ति परियोजना (जर्मन सहायता के लिए प्रस्तावित)	40300 लाख रु.	राज्य सरकार को तकनीकी बातों की सूचना दी गई है। उत्तर की प्रतीक्षा है।
2.		निम्नलिखित के लिए परियोजना रूपरेखा :		
		(1) भोपाल के लिए जल आपूर्ति का सुधार	517.00 लाख रु.	राज्य सरकार को तकनीकी बातों की सूचना दे दी गई है। उत्तर की प्रतीक्षा है।
		(2) जबलपुर के लिए जल आपूर्ति योजना	4504.00 लाख रु.	वही

[अनुवाद]

लघु विद्युत परियोजनाएं

3767. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नर्मदा नदी पर लघु जल विद्युत परियोजनाओं की संभावनाओं का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन स्थानों का चयन किया गया है: और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए अंतिम स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). जी, हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने नर्मदा नदी, इसकी सहायक नदियों तथा नहर जल धाराओं में 91.85 प्रतिशत मेगावाट की शक्यता वाले 43 लघु जल विद्युत स्कीमों को अभिज्ञात किया है। इसका ब्यौरा विवरण-I तथा II में दिया गया है।

राज्य सरकारों को परियोजनाओं को अनुमोदित करने की शक्ति प्रदान की गई है जिनकी लागत 100 करोड़ रुपए से कम है।

विवरण-I

मध्य प्रदेश में नदी संहति में लघु जल विद्युत स्कीमों की मुख्य विशेषताएं

क्र.सं.	स्कीम का नाम	जिला	100% भार अनुपात पर शक्यता (कि.वा.)	वार्षिक विश्वसनीय ऊर्जा (गे.वा.घं.)	यूनिटों की संख्या* क्षमता (सं.*कि.वा.)
मध्य प्रदेश (अभिज्ञात)					
1.	रूसा	मण्डला	3700	32	2×3500+ 1×2000
2.	धर्मपुर	मण्डला	2800	25	2×2500+ 1×2000
3	टओरी	मण्डला	5100	45	2×5000+ 1×3000
4	बाग्गा एलगासी (कैनल हैड स्कीम)	जबलपुर	4835	26.37	2×5000
5.	सांगारोवा	छिंदवाड़ा	4100	36	2×5000
				जोड़ :	49000

विवरण-II

गुजरात में नर्मदा नहर-जाल में नहर जल धारा स्कीमों की मुख्य विशेषताएं

क्र.सं.	स्कीमों का नाम	नहर/इसकी शाखा का नाम	स्थल/ड्राप की ओर डी. (कि.मी.)	जिला	हेड (एम)	क्षमता सं.xकि.वा.	वार्षिक ऊर्जा (जी डब्ल्यू. एच)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	विद्यमान		-	-	-	-	-
2.	निर्माणाधीन		-	-	-	-	-
3.	पहले ही जांच की जा चुकी है।		-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	जांचाधीन/अभिज्ञात कर ली गई		-	-	-	-	
1.	मियागम-I	मियागम	2.32	बड़ोदरा	5.00	3x1500	21.98
2.	मियागम-II	मियागम	4.15	बड़ोदरा	3.00	3x1000	13.31
3.	मियागम-III	मियागम	6.42	बड़ोदरा	3.00	3x1000	13.11
4.	मियागम-4	मियागम	7.5	बड़ोदरा	3.00	3x1000	13.11
5.	मियागम-5	मियागम	9.9	बड़ोदरा	4.00	3x1250	17.25
6.	मियागम-6	मियागम	16.7	बड़ोदरा	4.00	3x1250	1725
7.	मियागम-7	मियागम	66.65	बड़ोदरा	3.50	2x175	1.62
8.	बड़ोदरा-I	बड़ोदरा	6.66	बड़ोदरा	4.00	2x1000	9.62
9.	बड़ोदरा-II	बड़ोदरा	11.08	बड़ोदरा	3.20	2x700	6.75
10.	बड़ोदरा-II	बड़ोदरा	14.58	बड़ोदरा	3.90	2x800	8.11
11.	बड़ोदरा-4	बड़ोदरा	21.00	बड़ोदरा	3.30	2x600	5.8
12.	बड़ोदरा-5	बड़ोदरा	22.50	बड़ोदरा	3.30	2x600	5.80
13.	बड़ोदरा-6	बड़ोदरा	22.96	बड़ोदरा	3.30	2x600	5.80
14.	बड़ोदरा-6	बड़ोदरा	24.29	बड़ोदरा	3.30	2x600	5.80
15.	रनोली-I	रनोली	7.55	बड़ोदरा	4.50	3x50	0.70
16.	रनोली-II	रनोली	9.87	बड़ोदरा	4.00	2x50	0.54
17.	रनोली-III	रनोली	12.17	बड़ोदरा	3.00	2x25	0.24
18.	रनोली-4	रनोली	17.45	बड़ोदरा	5.00	2x25	0.27
19.	सानन्द-I	सानन्द	18.51	मेहसाना	3.50	3x100	1.45
20.	सानन्द-2	सानन्द	21.85	मेहसाना	4.00	3x50	0.75
21.	विरामगम	विरामगम	9.55	अहमदाबाद	3.50	2x50	0.46
22.	गौरैया	गौरैया	2.22	अहमदाबाद	3.00	3x150	2.06
23.	झिंझुवाड़ा	झिंझुवाड़ा	6.85	मेहसाना	3.00	3x300	1.06
24.	अम्रापुरा-I	अम्रापुरा	1.15	मेहसाना	3.00	2x200	1.95
25.	अम्रापुरा-2	अम्रापुरा	4.60	मेहसाना	3.00	2x200	1.82
26.	अम्रापुरा-2	अम्रापुरा	15.47	मेहसाना	3.00	2x150	1.52
27.	राधनपुर-I	राधनपुर	7.39	पालनपुर	3.00	3x200	2.89
28.	राधनपुर-2	राधनपुर	13.50	पालनपुर	3.00	2x250	2.33
29.	रायपुरा-I	रायपुरा	2.45	मेहसाना	3.00	2x200	1.88
30.	रायपुरा-2	रायपुरा	12.30	मेहसाना	4.20	3x150	2.11
31.	रायपुरा-3	रायपुरा	37.95	मेहसाना	3.35	2x50	0.48
32.	दास्करोई	दास्करोई	0.66	अहमदाबाद	3.35	3x100	1.46
33.	ढोलका-I	ढोलका	1.65	अहमदाबाद	5.15	3x600	8.37

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	ढोलका-2	ढोलका	5.88	अहमदाबाद	6.00	2×1000	9.05
35.	ढोलका-3	ढोलका	24.51	अहमदाबाद	4.50	3×300	4.19
36.	ढोलका-4	ढोलका	42.72	अहमदाबाद	3.50	2×400	3.77
37.	वेहलाल-1	वेहलाल	2.1	अहमदाबाद	4.20	3×150	2.13
38.	वेहलाल-2	वेहलाल	20.61	अहमदाबाद	3.10	2×25	0.24
	उप जोड़ (4)					42850	197.03
	कुल जोड़ (1+2+3+4) :					42850	197.03

+ नहर/शाखा की प्रस्थान बिन्दु से अवस्थिति

म्यांमार से आए लोग

3768. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने म्यांमार (बर्मा) से आए लोगों को समूह "ग" और "घ" पदों में भर्ती के लिए प्राथमिकता दिए जाने की अनुमति दी है;

(ख) क्या इस संबंध में निर्धारित सरकारी निर्देशों की उपेक्षा करने वाले संबंधित प्राधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्ययोजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). हाल ही में अनुदेशों के उल्लंघन का कोई मामला कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के समक्ष नहीं आया है। फिर भी वर्तमान में सभी सरकारी कर्मियों पर अनुदेश लागू है ताकि वे सेवा सम्बन्धी मामलों से संबंधित नीतियां, नियम तथा आदेश इत्यादि को निष्ठापूर्वक लागू करें तथा इन्हें लागू न कर पाने को गम्भीरता से लिया जाएगा।

चालू विद्युत परियोजनाएं

3769. श्री संदीपान थोरात : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में देश में चालू विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना की कितनी क्षमता है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं की निवेश तथा अतिरिक्त क्षमता के संबंध में कोई समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). देश में राज्य केन्द्र तथा निजी क्षेत्र में स्वीकृत निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). योजना परिव्ययों का निर्धारण करने के लिए सार्वजनिक निवेशों तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमों की समीक्षा आवधिक रूप से की जाती है।

विवरण

स्वीकृत/निर्माणाधीन जल तथा ताप विद्युत परियोजनाएं

राज्य/परियोजना	प्रकार	क्षमता (मे.वा.)	स्थिति/चालू किए जाने का प्रत्याशित वर्ष
1	2	3	4.
हरियाणा			
1. दादुपुर	जल	6	परियोजना निजी क्षेत्र में प्रस्तुत की गई
2. पानीपत चरण-4, यूनिट-6	ताप	210	परियोजना निजी क्षेत्र में प्रस्तुत की जा रही है।

1		2	3	4
हिमाचल प्रदेश				
1.	घानवी	जल	22.5	2001-02
2.	उहल	जल	70	परियोजना निजी क्षेत्र में प्रस्तुत की गई
3.	लारजी	जल	120	निधियों की कमी के कारण प्रमुख कार्य आरंभ नहीं किए गए।
4.	बासपा चरण-2 एचईपी	जल	300	परियोजना को निजी क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है।
जम्मू और कश्मीर				
1.	अपर सिंध-2 तथा विस्तार	जल	105	कानून व्यवस्था की समस्या के कारण प्रगति धीमी
2.	किशनगंगा	जल	330	परियोजना जम्मू तथा कश्मीर द्वारा क्रियान्वित की जानी है।
पंजाब				
1.	शाहपुर कंडी	जल	108	वित्तपोषण अभी सुनिश्चित किया जाना है। परियोजना निजी क्षेत्र में प्रस्तुत की जा रही है।
2.	रंजीत सागर	जल	600	निधियों संबंधी बाधाओं के कारण प्रगति धीमी। 1998-99 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा।
3.	जीएनडीटीपी भटिण्डा चरण-3	ताप	420	1997-98 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा।
राजस्थान				
1.	जाखम	जल	5	परियोजना निजी क्षेत्र में प्रस्तुत की जा रही है।
2.	सूरतगढ़	ताप	500	निधियों की कमी/1997-98 में चालू किए जाने की प्रत्याशा।
उत्तर प्रदेश				
1.	विष्णुप्रयाग	जल	400	परियोजना निजी क्षेत्र में प्रस्तुत की गई
2.	श्रीनगर	जल	330	परियोजना निजी क्षेत्र में प्रस्तुत की गई
3.	सोबला	जल	6	1997 में चालू किए जाने की प्रत्याशा
4.	लखवार व्यासी	जल	420	निधियों की कमी। नौवीं योजना के बाद चालू किए जाने की प्रत्याशा।
5.	टांडा-यूनिट-4	ताप	110	1997 में चालू किए जाने की प्रत्याशा।
6.	मनेरी भाली-2	जल	304	निधियों की कमी। परियोजना निजी क्षेत्र में प्रस्तुत।
केन्द्रीय क्षेत्र (उ. क्षेत्र)				
1.	नाथमा झाकरी (हि.प्र.)	जल	1500	सिविल कार्य दिए जाने में विलंब। 2002 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा
2.	दुलहस्ती (जे.एंड.के.)	जल	390	कानून व्यवस्था की समस्या के कारण प्रगति धीमी।
3.	उड़ी (जे.एंड.के.)	जल	480	कानून व्यवस्था की समस्या के कारण प्रगति धीमी।

	1	2	3	4
4.	टिहरी चरण-I (उ.प्र.)	जल	1000	निधियों संबंधी बाधाएं तथा विस्थापितों के पुनर्वास की समस्याएं।
	धौलीगंगा (उ.प्र.)	जल	280	निधियों संबंधी बाधाएं। 2005 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा।
6.	फिरोज गांधी ऊंचाहार चरण-2 (उ.प्र.)	ताप	420	2000 में चालू किए जाने की प्रत्याशा।
7.	बर्सिंग्सर (राजस्थान)	ताप	420	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा सितम्बर, 96 में स्कीम छोड़ दी गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा इसे निजी क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया।
गुजरात				
1.	कदाना पीएसएस	जल	60	1997 में चालू किए जाने की प्रत्याशा।
2.	सरदार सरोवर (बहुराज्यीय)	जल	1450	निधियों संबंधी बाधाएं और पुनर्वास और पुनर्स्थापना की समस्याएं एंव बांध की ऊंचाई बढ़ाने की समस्या। 2002 में चालू किए जाने की प्रत्याशा।
3.	कच्छ लिग्नाइट यूनिट-3	ताप	75	1997 में चालू किए जाने की प्रत्याशा।
4.	गांधीनगर टीपीएस यूनिट-5	ताप	210	1997 में चालू किए जाने की प्रत्याशा।
5.	हजीरा सीसीजीटी	ताप	515	परियोजना निजी क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है।
6.	पागुथान सीसीजीटी	ताप	655	परियोजना निजी क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है।
मध्य प्रदेश				
1.	बाणसागर टोंस चरण-2 व 3	जल	90	निधियों संबंधी बाधाओं के कारण प्रगति धीमी।
2.	बाणसागर टोंस चरण-4	जल	20	विस्थापितों की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी बाधाओं के कारण धीमी प्रगति।
3.	संजय गांधी विस्तार (बीरसिंह पुर)	ताप	420	निधियों संबंधी बाधाएं। 1998-99 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा।
4.	पेंच	ताप	420	परियोजना निजी क्षेत्र में प्रस्तुत
5.	कोरबा पश्चिम विस्तार	ताप	420	परियोजना निजी क्षेत्र में प्रस्तुत।
6.	नर्मदा सागर	जल	1000	निधियों संबंधी बाधाओं के कारण प्रगति धीमी।
7.	बोधघाट	जल	500	वन संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित।
8.	राजघाट	जल	45	निधियों संबंधी बाधाओं के कारण प्रगति धीमी।
9.	महेश्वर एचईपी	जल	400	परियोजना निजी क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है।
महाराष्ट्र				
1.	वारणा	जल	16	पीएच सिविल कार्यों में विलंब। 1997-98 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा।
2.	कायना चरण-4	जल	1000	टीजी सैटों तथा सिविल कार्यों के लिए आर्डर दिए जाने में विलंब के कारण प्रगति धीमी।

	1	2	3	4
3.	दूधगंगा	जल	24	सिविल कार्य दिए जाने में विलंब के कारण धीमी प्रगति। 1998 में चालू किए जाने की प्रत्याशा।
4.	डिम्भे	जल	5	सिविल कार्यों विलंब से देने के कारण प्रगति धीमी। 1997 में चालू किए जाने की प्रत्याशा।
5.	घाटघर पीएसएस	जल	250	आधारभूत कार्य आरंभ।
6.	उरान वेस्ट उष्मा-3	ताप	120	गैस आपूर्ति में कमी के कारण कार्यान्वयन कार्यक्रम आस्थगित।
7.	खापरखेड़ा विस्तार चरण-2	ताप	420	परियोजना पहले निजी क्षेत्र में प्रस्तुत की गई। अब राज्य सरकार ने इसे राज्य क्षेत्र में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया।
8.	चन्द्रपुर	ताप	500	1997 में चालू किए जाने की प्रत्याशा।
9.	दाभोल सीसीजीटी	ताप	740	परियोजना निजी क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है।
केन्द्रीय क्षेत्र (प. क्षेत्र)				
1.	विन्ध्याचल एसटीपीपी चरण-2 (मध्य प्रदेश)	ताप	1000	2001 में चालू किए जाने की प्रत्याशा।
आंध्र प्रदेश				
1.	श्रीसेलम एलबीपीएच	जल	900	सभी प्रमुख कार्य प्रगति पर। मुख्य उपस्कर प्राप्त। सभी यूनिटें 2001 तक प्रत्याशित।
2.	सिंगूर	जल	15	सिविल कार्य देने में विलंब। 1997-98 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा।
3.	सोमासिला	जल	10	पर्यावरणीय स्वीकृति के कारण परियोजना विलंबित। 1999-2000 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा।
4.	बालीमेला में एपीपीएच	जल	60	उड़ीसा के साथ अंतः राज्यीय विवाद के कारण कार्य ठप्प।
5.	रायलसीमा चरण-2	ताप	420	निधियों संबंधी बाधाएं। परियोजना को ओईसीएफ की विदेशी सहायता हेतु प्रस्तुत करने का प्रस्ताव।
6.	कोठागुड्डम चरण-5	ताप	500	सितम्बर, 1997 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा।
7.	जेगरूपाडु सीसीपीपी	ताप	216	परियोजना निजी क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है।
8.	गोदावरी सीसीजीटी	ताप	208	परियोजना निजी क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है।
कर्नाटक				
1.	दांडेली	जल	60	वन संबंधी स्वीकृति की अनुपलब्धता के कारण क्रियान्वयन में विलंब।
2.	कालीनदी-2	जल	270	सभी यूनिटें 1998 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा।
3.	वृंदावन	जल	12	सिविल कार्यों के लिए निविदा मूल्यांकन कार्य प्रगति पर।
4.	भद्रा आरबीसी	जल	6	टूटी हुई नहर में मरम्मत कार्य पूरा न किए जाने के कारण कार्य आरंभ करने में विलंब।

	1	2	3	4
5.	श्रावती	जल	240	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति जारी न होने के कारण कार्य रोक दिए गए।
6.	बेड़थी	जल	210	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी न होना
7.	डोजी सैट	ताप	78	स्कीम निजी क्षेत्र में प्रस्तुत की जा रही है।
8.	रयचूर टीपीएस	ताप	420	वित्तीय सुनिश्चितता की प्रक्रिया प्रगति पर।
केरल				
1.	लोअर परियार	जल	180	सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। 1997 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा।
2.	मालंकरा	जल	7	सिविल कार्यों में विलंब।
3.	कक्कड़	जल	50	सिविल कार्यों को आरंभ करने में विलंब। भौगोलिक समस्याएं।
4.	पोरिंगलपुट्टु	जल	16	प्रमुख आपूर्तियां पूरी। उपस्करों का उत्थापन व बिजलीघर का निर्माण कार्य आरंभ।
5.	कुट्टियाड़ी विस्तार	जल	50	निजी एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन विघटित हो जाने पर अब 2001-02 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा।
6.	अन्नकायन	जल	8	कार्य अभी आरंभ नहीं।
7.	पुयानकुट्टी चरण-I	जल	240	वन संबंधी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।
8.	ब्रह्मपुरम डीजी सैट	ताप	100	सभी डीजी सैटों (पांचों यूनिटें) के उत्थापन कार्य तथा ईंधन रख-रखाव कार्यों का निर्माण प्रगति पर।
9.	डीजी कोजीकोड	ताप	120	राज्य सरकार से ब्यौरे प्रतीक्षित।
पांडिचेरी				
1.	कराइकल	ताप	15	मुख्य संयंत्र तथा उपस्कर की आपूर्ति के लिए आशय-पत्र जारी। 1998 में चालू किए जाने की प्रत्याशा।
तमिलनाडु				
1.	लोअर भवानी बांध आरबीसी	जल	8	सभी आधारभूत कार्य पूरे। बिजली घर के सिविल कार्य प्रगति पर हैं।
2.	सतनूर बांध	जल	7.5	सभी आधारभूत कार्य पूरे। आपूर्ति के लिए आर्डर, उत्थापन तथा कार्य आरंभ करने हेतु आर्डर दिए गए।
3.	पारसंस वैली (कुंडा-5 विस्तार)	जल	30	खुदाई कार्य पूरे। अन्य सिविल कार्यों तथा उपस्कर हेतु आर्डर भेज दिए गए। 2000 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा।
4.	पैकारा अल्टीमेट चरण	जल	150	विद्युत उत्पादन तथा पारेषण उपस्कर हेतु निविदाएं जांचाधीन। 2002 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा।

	1	2	3	4
केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	कायमकुलम	ताप	400	2000 में चालू किए जाने की प्रत्याशा।
2.	नेवेली शून्य यूनिट	ताप	210	परियोजना निजी क्षेत्र में प्रस्तुत।
बिहार				
1.	पूर्वी गंडक	जल	10	चालू किए जाने के लिए तैयार।
2.	चंदील	जल	8	सिविल कार्य पूरे। निधियों संबंधी बाधाओं के कारण प्रगति धीमी।
3.	उत्तरी कोयल	जल	24	बांध लगभग पूरा। निधियों संबंधी बाधाओं के कारण कार्य धीमा।
4.	तेनुघाट चरण-2	ताप	630	वित्तपोषण सुनिश्चित किया जाना है।
5.	मुजफ्फरपुर टीपीपी	ताप	500	वित्तपोषण सुनिश्चित किया जाना है।
उड़ीसा				
1.	ऊपरी इन्द्रावती	जल	600	सभी प्रमुख सिविल कार्य पूरे होने वाले हैं। अन्य उपस्कर प्राप्त हो गया है। 1999-2001 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा।
2.	पुत्तेरू	जल	6	निधियों संबंधी बाधाओं तथा वन संबंधी स्वीकृति के कारण प्रगति धीमी।
3.	बालीमेला-2	जल	150	रूसी सहायता से टर्नकी आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। 1998-99 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा।
4.	बारगढ़ नहर	जल	9	ई एंड एम एवं सिविल कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निविदाओं के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति प्रतीक्षित।
5.	इंब घाटी चरण-2	ताप	420	परियोजना निजी क्षेत्र में प्रस्तुत।
पश्चिम बंगाल				
1.	तीस्ता प्रपात 1-4	जल	67.5	निधियों संबंधी बाधाओं के कारण प्रगति धीमी। 1998 में चालू किए जाने की प्रत्याशा।
2.	रम्मम चरण-1	जल	36	कार्य आरंभ नहीं। परियोजना निजी क्षेत्र में प्रस्तुत की जा रही है।
3.	पुरूलिया	जल	900	1995 में ओईसीएफ के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। दसवीं योजना में चालू किए जाने की प्रत्याशा।
4.	बकरेश्वर	ताप	1050	1999-2000 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा।
5.	बजबज	ताप	500	निधियों संबंधी बाधाओं के कारण कार्यों की प्रगति धीमी।

1		2	3	4
सिक्किम				
1.	राथांगचू	जल	30	पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित।
केन्द्रीय क्षेत्र (पूर्वी क्षेत्र)				
1.	कोयलकारो (बिहार)	जल	710	निधियों संबंधी बाधाएं तथा भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्स्थापना संबंधी समस्याएं।
2.	रंगीत (सिक्किम)	जल	60	सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।
3.	फरक्का-3	ताप	500	वित्तपोषण समझौते को अंतिम रूप दिया जाना है। निष्क्रमण संबंधी कारणों से कार्य रोक दिया गया है।
4.	मेजिया	ताप	630	यूनिट-1 पहले ही समकालित कर दी गई। यूनिट-2 को 1997 में तथा यूनिट-3 को 1998 में चालू किए जाने की प्रत्याशा।
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
अरूणाचल प्रदेश				
1.	नूरानंग	जल	6	परियोजना टर्नकी आधार पर क्रियान्वित किए जाने हेतु निजी एजेंसी को सौंपी गई।
असम				
1.	कार्बीलांगपी	जल	100	परियोजना अब नीपको द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
2.	धानसीरी	जल	20	निधियों संबंधी बाधाओं तथा कानून व्यवस्था की समस्या के कारण प्रगति धीमी।
3.	अमगुड़ी सीसीजीटी	ताप	210	परियोजना निजी क्षेत्र में प्रस्तुत की जा रही है।
मिज़ोरम				
1.	सेरलुई-ख	जल	9	परियोजना कार्यों हेतु ठेके को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण विलम्ब।
नागालैण्ड				
1.	लिकिमरो	जल	24	निधियों संबंधी बाधाओं के कारण सिविल कार्यों की प्रगति धीमी।
त्रिपुरा				
1.	रोखिया यूनिट-5 और 6	ताप	16	1997 में चालू किए जाने की प्रत्याशा।
केन्द्रीय क्षेत्र (उ.पू.क्षेत्र)				
1.	दोयांग (नागालैण्ड)	जल	75	निधियों संबंधी बाधाओं एवं कानून व्यवस्था की समस्याओं के कारण प्रगति धीमी।
2.	रंगानदी (अरूणाचल प्रदेश)	जल	405	निधियों संबंधी बाधाओं के कारण प्रगति धीमी।

1	2	3	4
3. कोपिली (असम)	जल	100	यूनिट-1 नवम्बर, 1996 में चालू, दूसरी यूनिट 1997 तक प्रत्याशित।
4. कथलगुडी सीसीजीटी (असम)	ताप	123.5	33.5 मेगावाट के जीटी की यूनिट-6 पहले ही समकालित कर दी गई। स्टीम टरबाइन यूनिटों 3x30 मेगावाट 1997 में चालू किए जाने की प्रत्याशा।
5. अगरतला जी (त्रिपुरा)	ताप	84	1997 में चालू किए जाने की प्रत्याशा।

केरल हाई टैक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को अनुदान

3770. श्री टी. गोविन्दन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल सरकार की एक कम्पनी केरल हाई टैक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जो भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ संयुक्त रूप से कार्य कर रही है, ने केरल सरकार को अनुदान देने और भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और/अथवा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को संयुक्त रूप से केरल सरकार के साथ इस कम्पनी का स्वामित्व लेने के अनुरोध पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). सरकार ने केलटेक को सहायता-अनुदान की स्वीकृति द्वारा सहायता प्रदान करने के संबंध में केरल सरकार के अनुरोध पर विचार किया है तथा इस संबंध में केरल सरकार से अनुरोध किया गया है कि कम्पनी की वर्तमान स्थिति के विश्लेषण के लिए किसी वित्तीय परामर्शदाता अथवा व्यापारिक बैंकर से कम्पनी के कार्यकरण के संबंध में विस्तृत अध्ययन कराया जाय और कम्पनी की पुर्नसरचना पैकेज पर सिफारिश की जाय।

कृषि और ग्रामीण विकास

3771. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कृषि और ग्रामीण विकास के लिए प्रति व्यक्ति कितनी राशि आवंटित की है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि मांगी गई है और उपर्युक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए योजना आयोग द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ग) कम धनराशि आवंटन के क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). योजना आयोग किसी राज्य की योजना के वित्त पोषण के लिए ब्लाक अनुदान और ऋण प्रदान करता है। विभिन्न शीर्षों और उप शीर्षों के अन्तर्गत आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित धनराशि और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित धनराशि इस प्रकार है :-

(रुपये लाख में)

विकास शीर्ष	1993-94		1994-95		1995-96	
	राज्य द्वारा प्रस्तावित	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित	राज्य द्वारा प्रस्तावित	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित	राज्य द्वारा प्रस्तावित	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7
कृषि एवं संबंधित क्रिया कलाप	13933	13933	13933	13933	15750	16600
ग्रामीण विकास	5225	5210	5805	5965	9600	9600

दोनों क्षेत्रकों के अंतर्गत राज्य द्वारा प्रस्तावित धन राशि और अनुमोदित परिव्यय लगभग बराबर है।

स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना

3772. **श्री चित्रसेन सिंकु :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृति करने के लिए एक नई स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने पुरानी सेवानिवृत्ति योजना तथा गोल्डन शेकहैंड योजना का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48 क के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी 20 साल की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात्, नियोक्ता प्राधिकारी को कम से कम तीन माह की लिखित सूचना देकर, ऐच्छिक सेवा निवृत्ति ले सकता है। इस प्रकार के अधिकारी को पेंशन के उद्देश्य से, उनकी अर्हक सेवा में अधिकतम पांच वर्ष इस शर्त के साथ जोड़े जाएंगे कि सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई अर्हक सेवा 33 वर्ष से अधिक न हो तथा यह उसको अधिवर्षिता की तारीख से परे न ले जाए।

केन्द्र सरकार में कोई गोल्डन शेक हैंड योजना लागू नहीं है।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

3773. **श्री रामेश्वर पटीदार :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग बनाए जाने के बाद से भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा इस विभाग के संबंध में कितनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है;

(ख) क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मार्च, 1995 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रमुख और बड़ी परियोजनाओं की लागत में 100 प्रतिशत तक और इससे अधिक वृद्धि की अनुमति देने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने की दृष्टि से कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के बारे में "विशेष रिपोर्ट" तैयार करने अथवा इस संबंध में एक "विस्तृत पुनरीक्षा" करने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) वर्ष 1985 में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के बनाए जाने के बाद से भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा इस विभाग के संबंध में कोई भी लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार नहीं की गई हैं

(ख) योजना और कार्यक्रम विभाग ने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को विभिन्न बड़ी और मेगा परियोजनाओं की लागत में 100 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति देने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए इस विभाग के बारे में "विशेष रिपोर्ट" या "विस्तृत पुनरीक्षा" तैयार करने के लिए नहीं कहा है।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के प्रबोधन हेतु कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग एक शीर्ष स्तरीय अभिकरण है जो कि प्रशासनिक तौर पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन है। परियोजनाओं की अनुमानित लागत की मंजूरी, प्रदत्त शक्तियों के तहत सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा दी जाती है। सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निधियों का निर्मोचन किया जाता है। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग का परियोजनाओं की स्वीकृति, निधियों के निर्मोचन या निधियों के व्यय से संबंध नहीं है।

मिट्टी तेल का आबंटन

3774. **श्री आई.डी. स्वामी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के करनाल, पानीपत और कुरूक्षेत्र जिलों में मिट्टी तेल के कुल कितने डिपों हैं और क्या ये डिपो लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिये पर्याप्त हैं;

(ख) क्या वहां लोगों की जरूरतें पूरी करने हेतु मिट्टी तेल के डिपों की संख्या पर्याप्त है;

(ग) क्या लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु तेल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है अथवा तेल और तेल डिपों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है; और

(घ) ग्रामीणों को अपेक्षित पूरी मात्रा में मिट्टी तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उपसचिवों का पैनल

3775. **श्री दिनशा पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग से उपसचिवों का पैनल जारी नहीं किया गया है;

(ख) क्या इन अधिकारियों के निमित्त निर्धारित रिक्तियों का अन्य सेवाओं के अधिकारियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1993 से 1996 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए उपसचिवों के पैनल की घोषणा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (घ). अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में अधिकारियों की वरिष्ठता के संबंध में 1987 से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/उच्चतम न्यायालय में मुदकमा चलने के कारण अवर सचिव ग्रेड में नियमित नियुक्तियां करना संभव नहीं हुआ है तथा इसके परिणामस्वरूप, सेलेक्शन ग्रेड प्रवर सूची (उप-सचिव ग्रेड) भी निकालना संभव नहीं हुआ है। अवर सचिव ग्रेड में प्रोन्नति करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठकें बुलाई जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सचिवालय में उप-सचिव के पद, केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। इस योजना के अंतर्गत रिक्तियों को किसी सेवा के लिए अलग से नहीं रखा जाता। सभी सहभागी सेवा अखिल भारतीय सेवा केन्द्रीय/केन्द्रीय सेवा समूह "क" सचिवालय सेवा- से प्रतिनियुक्ति पर चल रहे अधिकारियों के बारे में उपलब्ध रिक्तियों के लिए नियुक्त करने पर विचार किया जाता है।

रसोई गैस कनेक्शन

3776. श्री नवल किशोर राय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कारपोरेशन के चेयरमैन द्वारा पिछले छः महीने के दौरान उन गैस एजेंसियों को गैस कनेक्शन आबंटित करने के संबंध में कितने पत्र प्राप्त हुए हैं जिन एजेंसियों को उनके खुलने के समय से लेकर पिछले दस वर्षों के दौरान कोई नए कनेक्शन आबंटित नहीं किए गए हैं; और

(ख) इन एजेंसियों के ये कनेक्शन कब तक स्वीकृत कर दिए जाएंगे ताकि वे प्रतीक्षा सूची को निपटा सकें?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). अतिरिक्त कनेक्शन जारी करने के लिए आई ओ सी सहित तेल कारपोरेशनों को अपने डिस्ट्रीब्यूटरों से समय समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों को नए एल पी जी कनेक्शन एल पी जी की उपलब्धता, नई ग्राहक नामांकन योजना, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध स्लेक और उनकी व्यवहार्यता तथा उनकी हकदारी के आधार पर जारी किए जाते हैं।

गैर-कानूनी निर्माण

3777. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मस्जिद मोठ में (उदय पार्क के सामने) हुए व्यापक गैरकानूनी निर्माण की जानकारी है;

(ख) क्या वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु लाल डोरा भूमि पर बहुमंजिले भवन बनाना अनुमेय है;

(ग) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में कितने मामलों का पता चला है और ऐसे सभी अनधिकृत भवनों को गिराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) कार्रवाई कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) (ग) और (घ). दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि चालू वर्ष में प्रश्नगत क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के चार मामलों का पता चला है। इन मामलों में दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। निगम द्वारा अवैध निर्माण गिराने की कार्यवाही उसकी नीति के अनुसार है।

(ख) दिल्ली नगर निगम के अनुसार मस्जिद मोठ एक शहरी गांव हैं। इस गांव में निर्माण की अनुमति दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में दिये गये मानकों के अनुसार, ग्राम दायरे की जमीन, फर्शी क्षेत्र अनुपात व ऊंचाई बाबत संदर्भगत भूखण्ड विशेष के लिए तैयार विकास प्लान के अनुसार, और वह भी संबंधित स्थानीय निकाय/दिल्ली नगर निगम की अनुमति लेने के बाद ही, दी जाती है।

वरिष्ठता निर्धारण

3778. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी) में वरिष्ठता निर्धारण हेतु क्या मानदंड अपनाएं जाते हैं;

(ख) क्या एसी.पी.डब्ल्यू.डी. में कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति की तिथि के अनुसार किया जाता है न कि योग्यता सूची के आधार पर;

(ग) यदि हां, तो गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/11/95 आर.पी.एस. दिनांक 22 दिसम्बर, 1995 के अनुपालन नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) उपरोक्त ज्ञापन का पालन नहीं किए जाने के कारण सी. पी.डब्ल्यू.डी. के कितने "साउंड स्टाफ" प्रभावित होंगे; और

(ङ) ऐसी खामियों को सुधारने तथा जिन अधिकारियों को नजरअंदाज किया गया उनके हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वरीयता का निर्धारण करने के लिए कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर तय मापदण्ड का अनुपालन किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ). उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आई.ए.एस./आई.एफ.एस. अधिकारी

3779. श्री मुख्तार अनीस : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1996 को केन्द्र सरकार में प्रति नियुक्ति पर आये श्रेणी-वार, राज्य-वार तथा सेवा-वार आई.ए.एस./आई.एफ. एस. अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान संवर्ग में राज्य-वार तथा श्रेणी-वार स्वीकृत पदों का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों के बीच इस तरह की प्रतिनियुक्ति में एकरूपता लाने के लिए कोई नियंत्रण रखा जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) अक्तूबर 01, 1996 की स्थिति के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित सूचना इस उत्तर के विवरण-I पर तथा भारतीय वन सेवा से संबंधित सूचना विवरण-II पर है।

(ख) अक्तूबर 01, 1996 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित सूचना इस उत्तर के विवरण-III पर तथा भारतीय वन सेवा से संबंधित सूचना विवरण-IV पर है।

(ग) से (ङ). विभिन्न राज्य संवर्गों से केन्द्र प्रतिनियुक्ति रिजर्व कोटे का उपयोग, केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत पदों को भरने के लिए उस मापदंड को शासित करने का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसके आधार पर विभिन्न राज्यों से अधिकारी लिए जाते हैं। नीति-योजना, नीति-निर्माण एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के क्रम में विविध स्रोतों से केन्द्र में वरिष्ठ स्तरों पर नये अधिकारियों की आवश्यकता पर भी समुचित ध्यान दिया जाता है। फिर भी, केन्द्र में अधिकारियों की वास्तविक तैनाती, कार्य-संबंधी अपेक्षाओं तथा अधिकारियों की योग्यता, क्षमता, अर्हता एवं उनका अनुभव ध्यान में रखते हुए की जाती है।

विवरण-I

(एक अक्तूबर, 1996 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	के पद पर कार्यरत अधिकारियों की संख्या							
		सचिव स्तर	अ.सचिव स्तर	सं.सं. स्तर	नि. स्तर	उ.स. स्तर	अ.स. स्तर	कुल	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	असम मेघालय	7(2)	3(3)	16(7)	11(2)	13(8)	0(0)	50(22)	6.87
2.	आन्ध्र प्रदेश	4(2)	8(3)	13(6)	10(2)	10(7)	0(0)	45(20)	6.18
3.	बिहार	4(0)	6(3)	29(10)	25(8)	7(5)	0(0)	71(26)	9.75
4.	गुजरात	4(1)	5(3)	12(4)	14(3)	9(3)	0(0)	44(14)	6.04
5.	हिमाचल	1(1)	2(1)	9(4)	7(4)	4(0)	0(0)	23(10)	3.16
6.	हरियाणा	2(0)	3(1)	5(1)	4(2)	0(0)	0(0)	14(4)	1.92
7.	जम्मू और कश्मीर	0(0)	2(1)	6(4)	3(0)	0(0)	0(0)	11(5)	1.51
8.	केरल	2(1)	2(0)	12(5)	6(2)	9(5)	3(1)	34(14)	4.67
9.	कर्नाटक	2(0)	2(0)	11(4)	5(2)	13(7)	0(0)	33(13)	4.53
10.	महाराष्ट्र	8(3)	3(1)	18(8)	6(3)	11(7)	0(0)	46(22)	6.32
11.	मध्य प्रदेश	10(5)	7(1)	24(10)	11(4)	5(1)	1(1)	58(22)	7.79
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	1(0)	1(1)	7(0)	14(3)	11(3)	1(0)	35(7)	4.81
13.	नागालैंड	0(0)	0(0)	5(0)	2(1)	2(1)	0(0)	9(2)	1.24
14.	उड़ीसा	3(0)	3(1)	9(4)	6(3)	5(2)	0(0)	26(10)	3.57
15.	पंजाब	4(1)	4(1)	4(4)	1(0)	2(1)	0(0)	15(7)	2.06
16.	राजस्थान	0(0)	3(2)	10(2)	9(1)	2(1)	0(0)	24(6)	3.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	सिक्किम	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	2(0)	1(0)	4(0)	0.55
18.	तमिलनाडु	3(0)	2(1)	10(6)	10(6)	6(3)	0(0)	31(16)	4.26
19.	उत्तर प्रदेश	11(2)	6(1)	28(9)	18(4)	4(2)	1(0)	68(18)	9.34
20.	ए.जी.एम.यू.टी.	2(1)	4(1)	13(4)	11(5)	13(2)	0(0)	43(13)	5.91
21.	पश्चिम बंगाल	3(1)	9(4)	15(6)	10(2)	7(2)	0(0)	44(15)	6.04
	कुल	71(20)	75(29)	256(98)	184(57)	135(60)	7(2)	728(266)	
	प्रतिशतता	9.75	10.30	35.16	25.27	18.54	0.96	100.00	

** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समतुल्य स्तर के अधिकारियों को इंगित करते हैं तथा उन्हें कोष्ठक से पूर्व के आंकड़ों में शामिल किया गया है।

विवरण-II

प्रथम अक्तूबर, 1996 की स्थिति के अनुसार संघ सरकार में प्रतिनियुक्त भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की संख्या

संख्या ब्यौरे 122

ग्रेड	राज्य	सेवा	संख्या
1	2	3	4
वेतनमान			
8000रु.			
नियत	उड़ीसा	भारतीय वन सेवा	1
7300-7600	हिमाचल प्रदेश	"	2
	पश्चिम बंगाल	"	
5900-6700	महाराष्ट्र	"	2
	पश्चिम बंगाल	"	1
	कर्नाटक	"	1
	मणिपुर-त्रिपुरा	"	1
	बिहार	"	1
4500-5700	ए.जी.एम.यू.टी.	"	4
	पश्चिम बंगाल	"1	
	महाराष्ट्र	"	1
	राजस्थान	"	1
	जम्मू-कश्मीर	"	1
	हरियाणा	"	1
	कर्नाटक	"	1
	उड़ीसा	"	3
	मध्य प्रदेश	"	1
	नागालैंड	"	1
	महाराष्ट्र	"	2
	बिहार	"	2
	राजस्थान	"	3
	केरल	भारतीय वन सेवा	2
	गुजरात	"	1
3700-5000	सिक्किम	"	2
	हिमाचल प्रदेश	"	5
	आन्ध्र प्रदेश	"	1
	उत्तर प्रदेश	"	2
	मणिपुर-सिक्किम	"	1
	केरल	"	2
	आन्ध्र प्रदेश	"	1
3000-4500	ए.जी.एम.यू.टी.	"	10
3700-5000	केरल	"	6
4100-5300	मणिपुर त्रिपुरा	"	7
(वरिष्ठ वेतनमान)	सिक्किम	"	2
	पश्चिम बंगाल	"	4
	गुजरात	"	1
	कर्नाटक	"	3
	बिहार	"	7
	राजस्थान	"	3
	तमिलनाडु	"	2
	महाराष्ट्र	"	6
	पंजाब	"	1
	आन्ध्र प्रदेश	"	1
	हरियाणा	"	1
	असम-मेघालय	"	3
	उड़ीसा	"	8
	जम्मू-कश्मीर	"	2
	नागालैंड	"	2
	हिमाचल प्रदेश	"	4
	उत्तर प्रदेश	"	1

विवरण–III

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के संबंध में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व का उपयोग
(1 अक्टूबर, 1996 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	कुल प्राधिकृत संख्या	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	केन्द्र में अधिकारियों की संख्या	कॉलम 4 की प्रतिशत के रूप में कॉलम 5
1	2	3	4	5	6
1.	असम–मेघालय	207	44	50	113
2.	आन्ध्र प्रदेश	314	64	45	70
3.	बिहार	392	85	71	83
4.	गुजरात	236	46	44	95
5.	हिमाचल	131	28	23	82
6.	हरियाणा	205	40	14	35
7.	जम्मू और कश्मीर	112	24	11	45
8.	केरल	171	37	34	91
9.	कर्नाटक	253	51	33	64
10.	महाराष्ट्र	348	72	46	63
11.	मध्य प्रदेश	377	82	58	70
12.	मणिपुर–त्रिपुरा	198	43	35	81
13.	नागालैण्ड	51	11	9	81
14.	उड़ीसा	199	43	26	60
15.	पंजाब	190	40	15	37
16.	राजस्थान	252	53	24	45
17.	सिक्किम	53	11	4	36
18.	तमिलनाडु	324	63	31	49
19.	उत्तर प्रदेश	527	108	68	62
20.	ए.जी.एम.यू.टी.	232	50	43	86
21.	प. बंगाल	292	63	44	69
	कुल	5064	1058	728	68

कॉलम 3 तथा 4 में आंकड़े अखिल, भारतीय सेवा प्रभाग द्वारा दी गई 31.3.95 की स्थिति के अनुसार कॉलम 5 में आंकड़े सिविल सूची के अनुसार।

विवरण–IV

वर्तमान संवर्ग के स्वीकृत पदों की राज्यवार, ग्रेडवार प्रतिशतता दर्शाने वाली सूचना

राज्य	ग्रेड रुपये	स्वीकृत पद	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति संबंधी स्थिति	प्रतिशतता
ए.जी.एम.यू.टी. (अरूणाचल, गोआ, मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र)	8,000 (नियत)	भारतीय वन सेवा में, किसी भी राज्य की स्वीकृत पद संख्या में, इस ग्रेड में कोई भी पद विद्यमान नहीं है।		
आन्ध्र प्रदेश		8,000 रुपये (नियत) के ग्रेड में वन महानिरीक्षक तथा विशेष सचिव के पद पर उड़ीसा संवर्ग के लिए गए भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी तैनात थे।		
असम–मेघालय				
बिहार				
गुजरात				
हरियाणा				
हिमाचल				
जम्मू और कश्मीर				
कर्नाटक				
केरल				
मध्य प्रदेश				
महाराष्ट्र				
मणिपुर–त्रिपुरा				
नागालैंड				
उड़ीसा				
पंजाब				
राजस्थान				
सिक्किम				
तमिलनाडु				
उत्तर प्रदेश				
पश्चिम बंगाल				

वर्तमान संवर्ग के स्वीकृत पदों की राज्यवार, ग्रेड–वार प्रतिशतता दर्शाने वाली सूचना

राज्य	ग्रेड रुपये	स्वीकृत पद	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति संबंधी स्थिति	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
ए.जी.एम.यू.टी. (अरूणाचल, गोवा, मिजोरम तथा संघ राज्य क्षेत्र)	7300–7600	3	–	–

1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश		1	–	–
असम-मेघालय		2	–	–
बिहार		1	–	–
गुजरात		1	–	–
हरियाणा		1	–	–
हिमाचल		1	1	100
जम्मू और कश्मीर		1	–	–
कर्नाटक		1	–	–
केरल		1	–	–
मध्य प्रदेश		1	–	–
महाराष्ट्र		1	–	–
मणिपुर-त्रिपुरा		2	–	–
नागालैण्ड		1	–	–
उड़ीसा		1	–	–
पंजाब		1	–	–
राजस्थान		1	–	–
सिक्किम		1	–	–
तमिलनाडु		1	–	–
उत्तर प्रदेश		1	–	–
पश्चिम बंगाल		1	1	100
		25		

वर्तमान संवर्ग के स्वीकृत पदों की राज्यवार, ग्रेड-वार प्रतिशतता दर्शाने वाली सूचना

राज्य	ग्रेड रुपये	स्वीकृत पद	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति संबंधी स्थिति	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
ए.जी.एम.यू.टी. (अरूणाचल, गोवा, मिजोरम तथा संघ राज्य क्षेत्र)	5900-6700	4	–	–
आंध्र प्रदेश		6	–	–
असम-मेघालय		5	–	–
बिहार		10	1	10
गुजरात		4	–	–
हरियाणा		2	–	–
हिमाचल		3	–	–

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर		4	–	–
कर्नाटक		5	1	20
केरल		4	–	–
मध्य प्रदेश		12	–	–
महाराष्ट्र		5	2	40
मणिपुर-त्रिपुरा		4	1	25
नागालैण्ड		1	–	–
उड़ीसा		4	–	–
पंजाब		1	–	–
राजस्थान		4	–	–
सिक्किम		1	–	–
तमिलनाडु		5	–	–
उत्तर प्रदेश		10	–	–
पश्चिम बंगाल		4	1	25
		94		

वर्तमान संवर्ग के स्वीकृत पदों की राज्यवार, ग्रेड-वार प्रतिशतता दर्शाने वाली सूचना

राज्य	ग्रेड रुपये	स्वीकृत पद	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति संबंधी स्थिति	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
ए.जी.एम.यू.टी. (अरूणाचल, गोवा, मिजोरम तथा संघ राज्य क्षेत्र)	4500-5700	19	4	21.0
आंध्र प्रदेश		21	–	–
असम-मेघालय		21	–	–
बिहार		23	2	8.8
गुजरात		14	–	–
हरियाणा		7	1	14.3
हिमाचल		15	–	–
जम्मू और कश्मीर		11	1	9.0
कर्नाटक		17	1	6.0
केरल		15	1	6.7
मध्य प्रदेश		36	1	2.9
महाराष्ट्र		28	2	7.2

1	2	3	4	5
मणिपुर-त्रिपुरा		10	–	–
नागालैण्ड		4	1	25.0
उड़ीसा		16	3	18.0
पंजाब		6	–	–
राजस्थान		15	1	6.7
सिक्किम		5	–	–
तमिलनाडु		20	–	–
उत्तर प्रदेश		32	–	–
पश्चिम बंगाल		14	1	7.2
		330		

वर्तमान संवर्ग के स्वीकृत पदों की राज्यवार, ग्रेड-वार प्रतिशतता दर्शाने वाली सूचना

राज्य	ग्रेड रुपये	स्वीकृत पद	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति संबंधी स्थिति	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
ए.जी.एम.यू.टी. (अरूणाचल, गोवा, मिजोरम तथा संघ राज्य क्षेत्र)	वरिष्ठ वेतनमान पद (4100-5300 रुपये) (3700-5000रुपये) (3000-4500रुपये)	69	10	14.5
आंध्र प्रदेश		52	02	3.9
असम-मेघालय		44	3	6.8
बिहार		71	7	9.8
गुजरात		44	1	2.3
हरियाणा		31	1	3.2
हिमाचल		46	7	15.2
जम्मू और कश्मीर		45	2	4.4
कर्नाटक		68	3	4.4
केरल		34	7	20.5
मध्य प्रदेश		185	–	–
महाराष्ट्र		79	7	8.8
मणिपुर-त्रिपुरा		38	7	18.4
नागालैण्ड		14	2	14.3
उड़ीसा		53	8	15.1
पंजाब		20	1	5.0

1	2	3	4	5
राजस्थान		40	3	7.5
सिक्किम		14	4	28.5
तमिलनाडु		63	2	3.2
उत्तर प्रदेश		122	3	2.5
पश्चिम बंगाल		40	4	10.0
		1112		

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

3780. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों विशेष रूप से आम और अन्य फलों के प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना किए जाने की पर्याप्त गुंजाइश है;

(ख) क्या सरकार विदेशी सहयोग से ऐसे उद्योगों की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की गई;

(ङ) क्या यह संख्या इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य के निकट है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (च). आंध्र प्रदेश समेत सारे भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की बहुत संभावनाएं हैं। सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनके परिणामस्वरूप उदारीकरण से लेकर अक्तूबर 1996 तक आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने हेतु 2193 करोड़ रु. के निवेश वाले और 52914 लोगों को रोजगार देने वाले 274 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से 186 करोड़ रु. के निवेश वाले और 5771 लोगों को रोजगार देने वाले 49 यूनिट पहले ही कार्यान्वित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए प्रस्तावों के मामले में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों, संयुक्त उद्यमों, विदेशी सहयोग आदि की स्थापना हेतु 151 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इनमें से 383 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत वाले 19 यूनिट पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है इसलिए राज्यवार और वर्षवार स्थापित किए गए ऐसे यूनिटों की संख्या के बारे में सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसी राज्य में स्वयं किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता।

सूचना प्रौद्योगिकी

3781. श्री जोआचिम बक्सला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग की विशेष आवश्यकताओं को अनुकूल बनाने के लिए अपनाए गए मानदण्डों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक किए जाने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री. योगेन्द्र के. अलघ) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति

3782. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्य और उद्योग मंडलों ने गुजरात को वाणिज्यिक उपयोग के लिये अधिक मात्रा में एल पी जी गैस की आपूर्ति करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में पत्र और ज्ञापन भी प्राप्त हुये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष में गुजरात को वाणिज्यिक उपयोग के लिए कितनी एल पी जी गैस दी गई है; और

(च) वर्ष 1997 और 1998 में कितनी गैस प्रदान किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (च). वाणिज्यिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए एल पी जी दिए जाने के लिए समय समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। तेल कंपनियों को वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए एल पी जी की संपूर्ण मांग पूरी करने के लिए उदारतापूर्वक वाणिज्यिक एल पी जी जारी करने के अनुदेश दिए गए हैं। वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए एल पी जी की आपूर्ति थोक में और पैक्ड सिलेंडरों में की जाती है।

वाणिज्यक इस्तेमालों के लिए आपूर्ति की गई एल पी जी की मात्रा का सरकार द्वारा राज्यवार रिकार्ड नहीं रखा जाता। औद्योगिक इकाइयों को एल पी जी के आबंटन की मंजूरी मंत्रालय द्वारा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/संगठन की सिफारिश पर दी जाती है जिसके आधार पर तेल कंपनियों द्वारा आपूर्तियां की जाती हैं।

गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस की दैनिक औसत आपूर्ति की मात्रा निम्नानुसार है :-

वर्ष	एम एम एस सी एम डी
1993-95	12.62
1994-95	11.98
1995-96	14.23

वर्ष 1997 और 1998 के लिए आबंटित गैस की मात्रा 18.36 एम एम एस सी एम डी हैं

[अनुवाद]

वेतनमान में संशोधन

3783. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **प्रधान मंत्री** 4.12.1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1782 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वरिष्ठ लिपिक के वेतनमान में संशोधन करने से संबंधित लम्बे समय से लंबित इस मामले को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या पांचवे वेतन आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को देखते हुए विवाचन बोर्ड से अपने निर्णय को शीघ्र देने के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग). केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमान में संशोधन संबंधी मामला मई, 1992 में विवाचन बोर्ड को भेजा गया था और यह अभी भी उनके पास लम्बित पड़ा है। इस मामले में अंतिम सुनवाई 14.6.95 को हुई थी। कर्मचारी पक्ष के सदस्य के अनुरोध पर बोर्ड द्वारा आगे की सुनवाई स्थगित कर दी गई। संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र योजना ने विवाचन बोर्ड द्वारा मामलों के फैसले के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है।

[हिन्दी]

एच.आई.एल. इलेक्ट्रॉनिक निगम

3784. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एचआईएल इलेक्ट्रॉनिक निगम के मुख्यालय को बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). एचआईएल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं है।

[अनुवाद]

अनधिकृत निर्माण

3785. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आवंटितियों द्वारा दिल्ली में, विशेषकर आर.के. पुरम क्षेत्र में उनका आवंटित आवासों में अनधिकृत निर्माण किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने मामले पाए गए हैं; और

(ग) ऐसे आवंटितियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग). सामान्य पुल के किसी भी रिहायशी आवास में अनधिकृत निर्माण करना आबंटन नियमों का उलंघन करना है। के.लो.नि.वि. से ऐसी

कोई रिपोर्ट मिलते ही नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इस समय विभिन्न इलाकों (आर.के.पुरम सहित) में स्थित सरकारी मकानों में 3153 अनधिकृत निर्माणों की सूचना मिल चुकी है। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होते ही संबंधित व्यक्ति को निर्धारित समय में कथित अनधिकृत निर्माण को हटाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और यदि वह व्यक्ति निर्धारित अवधि में अनधिकृत निर्माण को नहीं हटाता है तो आबंटन नियमों के प्रावधानों के अनुसार मकान का आबंटन रद्द कर दिया जाता है और लोक परिसरों की बेदखली अधिनियम के तहत' बेदखली कार्यवाही की जाती है।

विवेकाधीन कोटे में से मकानों का आवंटन

3786. श्री सत्य पाल जैन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में विभिन्न कार्यालयों और चण्डीगढ़ आवास बोर्ड द्वारा गत 5 वर्षों के दौरान अपने विवेकाधीन कोटे में से कुछ मकान/भवन आवंटित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो आवंटनकर्ता अधिकारियों तथा आवंटितियों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे आवंटन करते हुए क्या मानदण्ड अपनाए गए;

(घ) क्या इस संबंध में लोगों से आवेदन मांगे गए थे तथा उचित प्रक्रिया अपनाई गई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) चंडीगढ़ आवास बोर्ड ने बताया है कि उनके द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रशासक के विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत रिहायशी एककों का आवंटन समय-समय पर किया गया है। जहां तक पंजाब का संबंध है, भारत सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) ऐसे आवंटन करने का अधिकार संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के प्रशासक को है। संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को आवंटन किया गया है, उन आवंटियों की एक सूची तैयार की जा रही है।

(ग) चंडीगढ़ आवास बोर्ड (टेनामेंटों का आवंटन, प्रबंध तथा विक्रय) विनियम, 1979 के विनियम 26 के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों तथा उक्त विनियमों के विनियम 6 में निर्धारित पात्रता शर्तों का अनुपालन किए जाने की सूचना मिली है।

(घ) और (ङ). जरूरतमंद लोग प्रशासक के विवेकाधीन कोटे के अन्तर्गत रिहायशी एककों के आवंटन के लिए प्रशासक, सलाहकार तथा अध्यक्ष, चण्डीगढ़ आवास बोर्ड को आवेदन करते हैं। यह सूचना प्राप्त हुई है कि ये आबंटन करते समय चण्डीगढ़ आवास बोर्ड द्वारा उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है।

जम्मू-कश्मीर संबंधी मामलों के विभाग को समाप्त करना

3787. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू-कश्मीर राज्य में सरकार के गठन के बाद जम्मू-कश्मीर संबंधी मामलों के विभाग को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालसुब्रहमण्यन) : (क) से (ग). भारत सरकार में जम्मू और कश्मीर संबंधी मामलों के विभाग को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि जम्मू और कश्मीर की स्थिति व विकास पर पूरा ध्यान देते रहने की आवश्यकता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का आधुनिकीकरण

3788. डा. अरविन्द शर्मा : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चालू खाद्य प्रसंस्करण तंत्र आधुनिक प्रौद्योगिकी की दृष्टि से पुराना हो गया है तथा इसमें आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकी को शामिल करके खाद्य प्रसंस्करण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण प्रणाली को आधुनिक बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई है;

(घ) यदि हां, तो यह समिति कब स्थापित की गई थी; और

(ङ) क्या विशेषज्ञ समिति द्वारा सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (च). जी नहीं, खाद्य प्रसंस्करण समेत कोई भी प्रौद्योगिकी एक सतत प्रक्रिया है और केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर और अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान प्रौद्योगिकी उन्नयन में निरन्तर रूप से कार्यरत हैं। हालांकि इस मंत्रालय द्वारा इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई विशेषज्ञ

कमेटी गठित नहीं की गई है, लेकिन हम अनुसंधान और विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान और अन्य संस्थानों के निकट सहयोग से काम कर रहे हैं।

भूमि को उपजाऊ बनाना

3789. श्री विजय हाण्डिक : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसा कोई सर्वेक्षण किया है कि देश की कुल भूमि में से अनुमानतः कितने हेक्टेयर भूमि गैर उपजाऊ किस्म की है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत भूमि बंजर है और इसे पुनः उपजाऊ बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने कृषि व्यापार में रूचि रखने वाली कम्पनियों से इजरायल के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) बंजरभूमि विकास विभाग ने देश में अवकृमित भूमि के फैलाव का पता लगाने हेतु राष्ट्रीय दूर सर्वेदी एजेंसी के सहयोग से एक राष्ट्रीय पहचान परियोजना आरम्भ की है। इस परियोजना के अंतर्गत बंजरभूमि के रूप में जिले के 5 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वाले सर्वाधिक प्रभावित 241 जिलों का मानचित्रण किया गया है। तथापि, देश में बंजरभूमि के फैलाव के सम्बंध में सही सूचना उपलब्ध नहीं हैं। इन चयनित 241 जिलों में बंजरभूमि के फैलाव का कुल अनुमान 35.65 मिलियन हैक्टेयर लगाया गया है। प्रतिशत के रूप में कवर किये गये कुल भौगोलिक क्षेत्र में अवकृमित, भूमि 17.49 निकलती है। अवकृमण के विभिन्न वर्गों के साथ-साथ कुल बंजरभूमि और उनका प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत में सर्वाधिक बंजरभूमि से प्रभावित 241 श्रेणीवार जिले

(क्षेत्र मि. है. में)

क्रमांक	वर्ग	कुल बंजर भूमि	कवर किये गये कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	खड्ड और/या बीहड़ भूमि	1.886	0.92
2.	झाड़ी युक्त या बिना झाड़ी की उच्च भूमि	13.576	6.67
3.	जलमग्न और दलदल वाली भूमि	0.423	0.21
4.	क्षारीयता/तटीय लवणीयता/भूमिगत परिवर्तनों से प्रभावित भूमि	1.234	0.60
5.	झूम कृषि क्षेत्र	1.810	0.89
6.	उपयोग वाली/अधिसूचित अवकृमित वन भूमि	10.690	5.25
7.	अवकृमिक चारागाह/चारा भूमि	1.339	0.66
8.	वृक्षारोपण फसल के अंतर्गत अवकृमिक भूमि	0.488	0.24
9.	रेतीली भूमि/तटीय	0.659	0.32
10.	खनन/औद्योगिक बंजरभूमि	0.083	0.04
11.	बंजर चटटानी/पत्थरीली बंजरभूमि/शीट रांक क्षेत्र	2.577	1.26

1	2	3	4
12.	गहरा ढलवा क्षेत्र	0.419	0.20
13.	बर्फ से ढ़का और/अथवा बर्फीला क्षेत्र	0.463	0.23
	बंजरभूमि का कुल क्षेत्र	35.647	17.49

बंजरभूमि विकास विभाग देश में वनेतर बंजरभूमि के विकास हेतु विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। जो योजनाएं संचलन में है वे इस प्रकार हैं (1) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम, (2) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशि. योजना (3) निवेश संवर्धन योजना (4) स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान सहायता (5) बंजरभूमि विकास कार्य दल।

कोर्जेट्रिक्स विद्युत परियोजना

3790. श्री जी. वेंकट स्वामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1000 मेगावाट कोर्जेट्रिक्स विद्युत परियोजना को स्वीकृति देने में कथित दलाली के मामले की उच्चतम न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश द्वारा जांच कराने की कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस

3791. श्री पी. नामग्याल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर ने अत्यन्त सर्दी और उत्तर ध्रुवीय जलवायु विषम लद्दाख क्षेत्र में घरेलू खानपान के कार्यों और ऊष्मा उद्देश्यों के लिए जलाने वाली लकड़ी की कमी और वनों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1995 में सरकार ने जलाने वाली लकड़ी की कमी को ध्यान में रखते हुए लद्दाख क्षेत्र के सभी 14 एकड़ मुख्यालयों में एल पी जी वितरण एजेंसियों की स्वीकृति पर सहमति हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित एल पी जी वितरण एजेंसियों के कब तक चालू होने की सम्भावना है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) लद्दाख क्षेत्र सहित पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में वनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार ने एल पी जी कनेक्शन जारी करने को प्राथमिकता दी है।

(ख) और (ग). सरकार ने 16.01.96 को आई ओ सी को लद्दाख में 4 ब्लाक मुख्यालयों नामतः नुबरा, न्योमा, खलातसी और दुरबक विस्तार केन्द्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया है, क्योंकि स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का खोला जाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है। प्रस्तावित वितरण केन्द्रों के जनवरी, 1997 तक चालू हो जाने का अनुमान है।

घोटाला

3792. श्री छीतूभाई गामीत :
श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का इंजीनियर सदस्य घोटालों में लिप्त पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी कोई जांच-पड़ताल की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जांच, परिणाम तथा की गई कार्यवाही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलु) : (क) अब तक ऐसा कोई घोटाला सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

(ख) से (घ). उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकसित प्लाट का आवंटन

3793. श्री राम टहल चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 सितम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं. 4317 के उत्तर में यह बताया गया था कि उन सभी व्यक्तियों को 400 वर्ग गज के विकसित प्लाट आवंटित किए गए हैं, जिनकी भूमि अधिकृत की गई

थी और जिनके नामों की अनुशंसा दिल्ली प्रशासन के भूमि और भवन विभाग द्वारा की गई थी;

(ख) क्या 4 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न सं. 1588 का उत्तर देते हुए यह स्वीकार किया गया था कि उत्तरी क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति 400 गज के विकसित प्लाट के आवंटन से वंचित रह गया था जिसके नाम की अनुशंसा 1975 से पहले दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त कौन सा उत्तर सही है क्योंकि दोनों प्रकार के उत्तर एक ही प्रश्न का उत्तर देते हुए दिए गए थे;

(घ) उत्तरों में त्रुटि के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इसके लिए कोई जांच करने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक जांच किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हां। दिनांक 4.9.96 के प्रश्न सं. 4317 के उत्तर में यह कहा गया था कि 400 वर्ग गज वाले जिन अनुसंशित व्यक्तियों की सिफारिशें 1975 से पहले मिल गयी थी उन सबको विकसित प्लाट आवंटित किए जा चुके हैं।

(ख) जी, हां। 4.8.93 के प्रश्न सं. 1588 के उत्तर में यह कहा गया था कि 1975 से पहले के सभी अनुशंसित व्यक्तियों को वैकल्पित प्लाट आवंटित किए जा चुके हैं। तथापि एक व्यक्ति ने अपना आवंटन स्वीकार नहीं किया और वह अब भी बड़े प्लाट की मांग कर रहा है।

(ग) उपर्युक्त दोनों उत्तर सही है क्योंकि दिनांक 4.8.93 के प्रश्न सं. 1588 का उत्तर देते हुए समय एक व्यक्ति आवंटन की प्रतीक्षा कर रहा था और तदोपरांत उसे 15.10.93 को निकाले गए ड्रा के द्वारा अपेक्षित आकार का प्लाट आवंटित किया गया था। अतः तदनुसार दिनांक 4.9.96 के प्रश्न सं. 4317 का उत्तर दिया गया।

(घ) से (च). उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

3794. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की आवश्यकता का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेंचुगोपालाचारी) : (क) और (ख). ऊर्जा की बढ़ती मांग और पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाएं आरंभ की गई हैं।

राज्य में अब तक 1.26 मेवा. समग्र क्षमता की तीन लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं और लगभग 10 मेवा. समग्र क्षमता की सात परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। राज्य में 3 मेवा. क्षमता तक की लघु विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए संभाव्यता वाले 103 स्थलों की पहचान की गई है। उड़ीसा में पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान करने हेतु पवन सर्वेक्षणों को आरंभ किया गया है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

3795. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सभी निदेशक मण्डल तथा कंपनी सचिवों का मुख्यालय देहरादून (उ.प्र.) में है जबकि ज्यादातर अपने कार्य दिवसों के दौरान नई दिल्ली में ठहरते हैं तथा उनके महलनुमा बंगले/फ्लैटों का रख-रखाव दोनों ही जगह अर्थात् देहरादून तथा दिल्ली में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 के दौरान माह-वार निदेशक तथा सचिवों के दिल्ली में ठहरने के लिए यात्रा भत्ते/महंगाई भत्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार मुख्यालयों को नई दिल्ली लाने का है ताकि इस पर होने वाले खर्च को कम किया जा सके?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) हालांकि ओ एन जी सी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशकों और कंपनी सचिव का मुख्यालय देहरादून में है, फिर भी विभिन्न आवश्यक सरकारी कार्य करने के लिए उन्हें नई दिल्ली में मौजूद रहना होता है, जो कारपोरेशन का पंजीकृत कार्यालय है।

ओ एन जी सी लिमिटेड के ऐसे कार्यकारी निदेशक जिन्हें देहरादून में आवास उपलब्ध कराया गया है, नई दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान कारपोरेशन के आवागमन आवास में ठहरते है। इस पर होटलों में रूकने की तुलना में कम लागत आती है।

(ख) ओ एन जी सी लिमिटेड के 7 निदेशकों और एक अपर सचिव के नई दिल्ली ने ठहरने के संबंध में दैनिक भत्ते/यात्रा भत्ते का माहवार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(रुपए)

माह	दैनिक भत्ता	यात्रा भत्ता
1	2	3
अप्रैल, 1995	14,452	0
मई, 1995	12,784	3,043

1	2	3
जून, 1995	9,846	1,500
जुलाई, 1995	11,738	144
अगस्त, 1995	11,264	0
सितम्बर 1995	12,232	2,195
अक्तूबर, 1995	11,393	2,898
नवम्बर, 1995	10,166	775
दिसम्बर, 1995	10,779	9,477
जनवरी, 1996	12,901	15,732
फरवरी, 1996	16,427	860
मार्च, 1996	18,058	2,255
योग :	1,52,040	38,879

(ग) वर्तमान समय में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के आई.ए.एस./आई.पी.एस./ आई.एफ.एस.

3796. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के दौरान पिछड़े और अत्यन्त पिछड़ा वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या क्या है जिन्होंने आई.पी.एस./आई.ए.एस./आई.एफ.एस. में उच्च स्थान प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनसे इन अभ्यर्थियों का संबंध है; और

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उनकी संख्या क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग). सिविल सेवा परीक्षा-95 के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों के 27 उम्मीदवार समान्य श्रेणी में संस्तुत किए गए अन्तिम उम्मीदवार से वरीयता क्रम में ऊपर थे तथा उन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों को अनुज्ञेय किसी भी रियायत/छूट का फायदा न उठाते हुए परीक्षा उत्तीर्ण की। इन 27 उम्मीदवारों में सात बिहार के, चार तमिलनाडु के, चार उत्तर प्रदेश के, तीन राजस्थान के, तीन कर्नाटक के, एक मध्य प्रदेश का, एक आन्ध्र प्रदेश का, एक केरल का, एक हरियाणा का, एक उड़ीसा का तथा एक दिल्ली का है।

पृथक संविधान

3797. श्री राधा मोहन सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संघ के राज्यों का अलग-अलग संविधान नहीं है तथा दोहरी नागरिकता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू तथा कश्मीर के मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने गत माह पदभार ग्रहण करते समय राज्य के संविधान की शपथ ली है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी हां, श्रीमान्। केवल इस अपवाद को छोड़कर कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य का अलग से एक राज्य संविधान है।

(ख) और (ग). जम्मू एवं कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार, किसी मंत्री द्वारा अपना पदभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल अथवा उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उस मंत्री को राज्य संविधान की पांचवीं अनुसूची में इस उद्देश्य हेतु निश्चित किए गए प्रारूप के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, जिसका संगत अंश इस प्रकार है :

> "मैं ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित राज्य के विधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, कि मैं निष्ठापूर्वक भारत की सम्प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा और कि मैं निष्ठापूर्वक तथा शुद्ध अन्तःकरण से मुझे सौंपे जाने वाले कर्त्तव्य का निवर्हन करूंगा"।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर वृत्तचित्र

3798. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु वृत्तचित्र बनाने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई एवं कितने वृत्तचित्र तैयार किए गए;

(ग) गत पांच महीनों से दूरदर्शन के पास कितने प्रस्ताव तथा आलेख लम्बित पड़े हैं तथा वृत्तचित्र के तैयार किए गए जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) अड़चनों को दूर करते हुए वृत्तचित्र को शीघ्र तैयार करने एवं उनका प्रदर्शन करने हेतु क्या कदम उठाए जाने हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता लाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से वृत्तचित्रों तथा स्पाटों को बनाने का काम शुरू किया गया था। इस कार्य के लिए आवश्यक निधियां इस मंत्रालय द्वारा दूरदर्शन महानिदेशालय को उपलब्ध करा दी गई थीं। दूरदर्शन तथा ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों वाली जांच समिति द्वारा बाहरी निर्माताओं से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की गई थी और राष्ट्रीय प्रसारण हेतु कार्यक्रमों को बनाने के लिए दिल्ली में उपयुक्त प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई थी। इनके तैयार हो जाने के बाद इन्हें पहले देखा गया और फिर राष्ट्रीय प्रसारण के लिए स्वीकृति दी गई।

(ख) दूरदर्शन द्वारा सूचना दी गई है कि वर्ष 1995-96 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों सहित बाहरी निर्माताओं से लगभग 800 प्रस्ताव उन्हें प्राप्त हुए थे और राष्ट्रीय स्तर पर 68 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। निर्माताओं द्वारा कुल 147 कार्यक्रम तैयार किए गए थे और 56 की डबिंग कर ली गई थी।

(ग) और (घ). प्रस्ताव एवं आलेख दूरदर्शन में लम्बित पड़े हैं क्योंकि निधियां उपलब्ध नहीं हैं। फिल्में बनाने हेतु दूरदर्शन को निधियां रिलीज करने से संबंधित स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

गांधी विकास खण्ड

3799. श्रीमती कमला रानी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी विकास खण्ड हेतु चुने गए विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश में जिलों के क्या नाम हैं;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत इन जिलों को चुनते हुए ध्यान में रखे गए कारकों और दी गई प्राथमिकता क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में है।

(ख) विकास खंडों का चयन देश के उन सर्वाधिक पिछड़े और अल्प विकसित विकास खंडों में से किया गया है जहां बहुसंख्यक जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे बसर करती आ रही है।

(ग) 1995-96 के दौरान इन विकास खंडों को इंदिरा आवास योजना के कार्यों को शुरू करने हेतु प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपए के केन्द्रीय अंश और 2.50 लाख रुपए राज्य अंश के रूप में रिलीज किए गए। इन विकास खंडों को 1996-97 के दौरान बाद की किस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के न मिलने के कारण जारी नहीं की जा सकी। इन जिलों को 1995-96 के लिए जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुमेय प्रशासनिक खर्च में से गांधी विकास खंडों के गहन विकास हेतु समेकित विकास खंड योजना को तैयार करने हेतु 2 लाख रुपए की राशि को खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

विवरण

महात्मा गांधी की 125वीं जन्म शताब्दी के अवसर के अवसर पर विशेष विकास हेतु चयनित 125 विकास खण्डों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जिला	खण्ड
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद	1. अदिलाबाद
		अनन्तपुर	2. टाडीपत्री
		गोदावरी (पूर्व)	3. शंखावरम
		खम्माम	4. येल्लान्डू
		श्रीकाकुलम	5. कुसीबुग्गा
		विशाखापत्तनम	6. कोय्यारू
		विजयनगरम	7. पार्वतीपुरम
		बारांगल	8. गोडूर
2.	अरूणाचल प्रदेश	कामेंग (पूर्वी)	1. सेप्पा
3.	असम	केछार	1. लखीपुर
		दारांग	2. उदलगुरी
		धेमाजी	3. धेमाजी
4.	बिहार	भागलपुर	1. बालगांव
		छतरा	2. सिमरिया
		धनबाद	3. बाघमारा
		दुमका	4. जरमुंडी
		शेखपुरा	5. शेखपुरा
		गोड्डा	6. गोड्डा
		सहरसा	7. सिमरीबाखतैरपुर
		अरारिया	8. नरपतगंज
		मधुबनी	9. आंध्र तारही
		सुपौल	10. छातापुर
		रांची	11. खुंटी
		सिंहभूम (पूर्वी)	12. भारागौरा
		सरन	13. भगही

1	2	3	4
		सीतामंड़ी	14. रूनीशेदपुर
		चम्पारन (पश्चिमी)	15. चौपाटिया
		चम्पारन (पूर्वी)	16. सुगौली
		भोजपुर	17. साहर
5.	गुजरात	पंचमहलस	1. दाहोड
		जूनागढ़	2. पोरबन्दर
		बड़ोदरा	3. नासवाडी
		सूरत	4. बारदोली
6.	हरियाणा	भिवानी	1. लोहारू
		हिसार	2. सिवानी
		नारनौल (महेन्द्र गढ़)	नांगल चौधरी
7.	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर	1. पूह
		लाहौल व रूपीती	2. काज़ा
8.	जम्मू व कश्मीर	अनंतनाग	1. बीरंग
		डोडा	2. बनिहाल
		कारगिल	3. जमास्कर
9.	कर्नाटक	बीदर	1.
		चित्रदुर्ग	2.
		चिकमंगलूर	3. मुदीगिरी
		कनाडा (द.)	4. बंतवाला
		मैसूर	5. कोलीगाला
		टूमकूर	6. रा
10.	केरल	इडुक्की	1. थोड्पूझा
		कन्नौर	2. पेराबूर
11.	मध्य प्रदेश	बस्तर	1. गीदम
		बेतूल	2. शाहपुर
		बिलासपुर	3. जयजयपुर
		छिन्दवाड़ा	4. जुनारदेव
		धार	5. बाग
		झबूआ	6. अलीराजपुर
			7. उदयगड़
		खारगांव	8. बरवानी
		मौरना	9. विजयपुर (पश्चिम)

1	2	3	4
		रायसेन	10. गैरतगंज
		सरगुजा	11. लखनपुर
		शहडोल	12. गोहपारू
		सीधी	13. बेचान
12.	महाराष्ट्र	अहमदनगर	1. अकोला
		अमरावती	2. अचलपुर
		भण्डारा	3. अर्जूनी
		धूले	4. नंदूरबर
		लातूर	5. उदगीर
		नासिक	6. बगलान
		यावातमल	7. पं. धारकावडा
		गड़चिरोली	8. कुखेड़ा
		सोलापुर	9. मोहोल
13.	मणीपुर	उखरूल	1. चिंगई
14.	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स	1. जिकजक
15.	मिजोरम	लुंगले	1. लुंगसेन
16.	नागालैंड	फिक	1. मेलूरी
17.	उड़ीसा	बालासौर	1. नीलागिरी
		मयूरभंज	2. ठाकूरमुंडा
		क्योझर	3. चम्पूआ
		फूलबनी	4. दारिंगबदी
			5. तुमुदीबंध
		सुंदरगढ़	6. राजगंगापुर
18.	राजस्थान	बंसवाडा	1. पोपल खूंट
		बांडमैर	2. सिवाना
		चूरू	3. सरदारशहर
		डूंगरपुर	4. असपुर
		सीकर	5. नीमका थाना
		उदयपुर	6. झाडोल
		जालौर	7. जसवन्तपुर
		जैसलमेर	8. संकरा
19.	सिक्किम	उत्तर जिला	1. उत्तरी जिला
20.	तमिलनाडु	आरकोट(उत्तर)	1. कॉधिली
		चिदम्बरनार	2. पुडुर
		धर्मपुरी	3. मोरापुर

1	2	3	4
		पसुमपोन	4. पुडुर
		मुथुरामलिंग	5. मल्लासमुद्रम
		धीवर	6. आरियालुर
		सलेन	7. नारीकुडी
		त्रिचिरापल्ली	
		कामरागर	
21.	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	1. बगाफा
22.	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	1. अहिरौली
		बाराबंकी	2. पुरेदलाई
		बस्ती	3. रूदौली
		देहरादून	4. चकराता
		देवरिया	5. बंकट
		फैजाबाद	6. भियौन
		गौंडा	7. गैसारी
		हमीरपुर	8. खरीला
		झांसी	9. गुरसारी
		महाराजगंज	10. पटवाल
		नैनीताल	11. कोटाबाग
		पडरौना	12. खड्डा
		पिथौरागढ़	13. लोहघाट
		सिद्धार्थनगर	14. जोगिया
		सोनभद्र	15. दुधी
		गोरखपुर	16. बेलघाट
23.	पश्चिम बंगाल	बाकुडा	1. छतना
		बीरभूम	2. राजनगर
		दार्जिलिंग	3. गूरूवदान
		जलपाईगुडी	4. मैनागुरी
		मिदनापुर	5. बीनापुर-II
		पुरूलिया	6. अशा
		सिलीगुड़ी	7. खोरीबारी
24.	अंडमान एवं निकोबार दीव समूह	निकोबार	1. निकोबारी
25.	दादर एवं नगर हवेली		1. दादरा एवं नगर हवेली
26.	दमन और दीव	दमन	1. दमन
27.	लक्ष द्वीप		1. किलटन

[अनुवाद]

कश्मीरियों के लिए आर्थिक पैकेज

3800. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर के विकास और उत्थान के लिए किसी पैकेज की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई/अगस्त, 1996 को संसद के दोनों सदनों में घोषित आर्थिक पैकेज को कार्यान्वित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

कलकत्ता सरकुलर रेलवे

3801. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, कलकत्ता सरकुलर रेलवे के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने हेतु सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है तथा इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

3802. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के व्यापार शिष्टमण्डल ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में छोटी और मझौली औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो समझौते की शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) भारतीय अमेरिकी वाणिज्यिक मैत्री के तहत भारतीय और अमेरिकन कंपनियों ने परस्पर अधिक सहयोग की इच्छा व्यक्त की है।

(ख) और (ग). मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वयं किसी औद्योगिक यूनिट की स्थापना नहीं करता। इसलिए इस संबंध में किसी विशिष्ट समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। फिर भी, सरकार अमेरिका समेत विभिन्न देशों के साथ विदेशी तकनीकी/वित्तीय/विपणन सहयोग वाले उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन एवं अनुमति देती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार अगस्त, 91 से अगस्त, 96 के दौरान भारत और अमेरिकी कंपनियों के बीच तकनीकी/वित्तीय सहयोग वाले 68 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है।

भारतीय मत्स्य पोत

3803. श्री दत्ता मेघे : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान और अब तक कितने भारतीय पंजीकृत मत्स्य पोत जब्त किए गए और इन्हें किन-किन देशों ने जब्त किया है;

(ख) क्या इन जब्त किए गए भारतीय मत्स्य पोतों के चालक दल के सदस्यों को रिहा कर दिया गया है परन्तु उनके मत्स्य पोतों की नीलामी कर दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो इन मत्स्य पोतों को पुनः प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिविल सेवा आचरण नियम

3804. श्री मनहरण लाल पांडेय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल सेवा आचरण नियमों के अंतर्गत सिविल सेवा अधिकारियों को विभिन्न प्रशासनिक अथवा गैर-प्रशासनिक समारोहों के दौरान समारोहों की अध्यक्षता करने अथवा मुख्य अतिथि बनने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आचरण नियम सरकारी उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आचरण नियमों के उल्लंघन की कितनी घटनाओं का पता चला है; और

(च) क्या सरकार का विचार इस संबंध में दिशा-निर्देश पुनः जारी करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख). केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्वानुमति के बिना मानार्थ अथवा विदाई-भाषण प्राप्त नहीं करेंगे अथवा कोई शंसापत्र स्वीकार नहीं करेंगे अथवा अपने अथवा किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित बैठक अथवा मनोरंजन कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे।

(ग) और (घ). जी, नहीं। सरकारी उपक्रम अपने कर्मचारियों की गतिविधियों को उसी प्रकार प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस प्रकार कि सरकार अपने सीधे नियंत्रण में कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रतिबंधित करती है।

(ङ) इस सूचना को केन्द्रीकृत रूप से रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपर्युक्त (च) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

3805. श्री चित्त बसु : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए 84 विदेशी कम्पनियों को लाइसेंस जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का मात्स्यिकी कार्य समिति को दिए गए आश्वासनों के संबंध में इन लाइसेंसों को निरस्त करने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयान चलाने के लिए नई गहन समुद्री मत्स्य नीति 1991 के तहत विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम हेतु भारतीय कंपनियों को दिए गए फिलहाल 16 अनुमोदन वैध हैं।

(ख) गहन समुद्री मत्स्यन नीति संबंधी पुनरीक्षण समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि संयुक्त उद्यम के साथ-साथ लीजिंग और चार्टर के तहत गहन समुद्री मत्स्यन जलयान चलाने के लिए जारी किए गए सभी लाइसेंसों/अनुमतियों को उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया के अधीन रद्द कर दिया जाए। इस सिफारिश के सिलसिले में सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों और/अथवा इन अनुमतियों की शर्तों का उल्लंघन करने पर ही प्रत्येक मामले में वैध लाइसेंसों/अनुमतियों को रद्द करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति, 1991 को भी रद्द करने का निर्णय लिया है। एक नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

3806. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा केन्द्र सरकार के कितने कर्मचारियों की जांच की जा रही है;

(ख) अक्तूबर, 1996 के दौरान कितने मामलों में जांच पूरी की गई है; और

(ग) कितने मामलों में लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) 30.10.96 की स्थिति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज 645 मामलों की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही थी तथा इन पर कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(ख) अक्तूबर, 1996 के दौरान, 40 मामलों में पूछताछ/जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई थी। (केवल सरकारी कर्मचारियों से संबंधित)

(ग) उक्त मामलों में, 35 मामलों में आरोप सही पाए गए।

मुम्बई उपनगरीय रेलवे

3807. श्री सुरेश प्रभु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मुम्बई उपनगरीय रेलवे बोर्ड गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख). मुम्बई में उप-नगरीय रेल प्रणाली परिचालन और प्रबंध रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। रेल मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि मुम्बई में उपनगरीय रेल के लिए एक बोर्ड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रसोई गैस के उपभोक्ता

3808. श्री मधुकर सरपोतदार :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई तथा इसके उपनगरों में प्रत्येक रसोई गैस डीलर के पास रसोई गैस के उपभोक्ताओं के पंजीकरण हेतु कोई मानदंड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रसोई गैस के डीलरों ने इस संबंध में निर्धारित मानदंड से अधिक उपभोक्ताओं को पंजीकृत किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मुम्बई तथा इसके उपनगरों तथा महाराष्ट्र के अन्य भागों में नये रसोई गैस के डीलरों की नियुक्ति किए जाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) (से (घ). सरकार ने सभी कस्बों/शहरों के लिए प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर हेतु रीफिल की बिक्री की प्रति माह अतिरिक्त सीमा निर्धारित की है। मुम्बई के लिए रीफिल बिक्री की अधिकतम सीमा 10,000 ग्राहक नियत की गई है। तथापि, वर्तमान डिस्ट्रीब्यूटरों को प्रतीक्षा सूची पर किसी भी संख्या तक नए ग्राहकों को पंजीकृत करने की अनुमति है। मुम्बई में अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटरों ने अपने उच्चतम सीमा से अधिक कनेक्शन जारी किए हैं, क्योंकि भूमि की समस्या और चयन में विलंब के कारण पर्याप्त नए डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्ति नहीं की जा सकी।

(ङ) और (च). जी, हां। 1994-96 की एल पी जी विपणन योजना में शामिल 133 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के अलावा महाराष्ट्र राज्य के लिए 1996-97 की मसौदा एल पी जी विपणन योजना में 33 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल कर ली गई हैं।

भूमि का आवंटन

3809. प्रो. एम. कामसन :

श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विशेषकर यमुना पर क्षेत्र में एल पी जी के वितरण हेतु बड़ी संख्या में आशय पत्र धारकों ने वर्ष 1994, 1995, 1996 के दौरान डी डी ए द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण स्वयं व्यवसाय करके निजी स्थानों पर अपना व्यवस्था शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यवसायियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया है;

(ग) क्या डी डी ए, उन लोगों की तुलना में, जिन्होंने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है, उन लोगों को भूमि आवंटित करने पर विचार कर रहा है जिन्होंने भूमि की अनुपलब्धता के कारण व्यवसाय शुरू नहीं किया है; और

(घ) भूमि के, विशेषकर यमुना पार क्षेत्र में, कब तक आवंटित होने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि तेल कंपनियों द्वारा उनको ऐसी कोई सूचना नहीं दी गयी है। 1994 के आशय पत्र धारकों (तेल चयन बोर्ड नामितों) द्वारा, जिन्हें डी डी ए ने अब तक भूमि आबंटित नहीं की है, निजी परिसरों से अपना कारोबार शुरू करने के दो मामलों की डी डी ए को मई.1996 में जानकारी मिली है। इन मामलों के विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

क्र. सं.	आशय पत्र धारक का नाम	आशय पत्र की तारीख	पता
1.	श्री कृष्ण कुमार बंसल गोदाम-गांव: मंडोली लाइसेंस -डी ई-319 सीजीएस	14.6.94	मैसर्स राघव गैस सर्विस, दुकान नं. 2, मुंशीराम मार्किट, अशोक नगर शाहदरा, दिल्ली (यमुनापार क्षेत्र) फोन नं. 2111276
2.	श्री राम कृष्ण गोदाम-सोनिया विहार (यमुनापार क्षेत्र)	27.6.94	चौ. सुग्रीव मार्केट, करावल रोड, दिल्ली-94 (यमुना क्षेत्र)

(ग) आशय पत्र धारकों की गैस गोदामों के लिए भूमि का आबंटन स्थल की उपलब्धता और इस प्रयोजनार्थ रखी गयी प्रतीक्षा सूची में उनको वरीयता के आधार पर डीडीए द्वारा किया जाता है। सफल उम्मीदवारों के बारे में तेल कम्पनियों को आबंटन पत्र, तेल कम्पनियों तथा आशय पत्र धारक से इस आशय की पुष्टि करने के बाद ही जारी किए जाते हैं, कि वह निजी भूमि में कोई गैस एजेन्सी नहीं चला रहा है।

(घ) कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है क्योंकि स्थलों की पहचान/निर्धारण तथा उनका आबंटन एक सतत तथा हमेशा चालू रहने वाली प्रक्रिया है।

अनधिकृत कालोनियों के खिलाफ अभियान

3810. श्री मृत्युंजय नायक :
श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अधिकृत कालोनियों में रह रहे लोगों की संख्या क्या है;

(ख) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में रह रहे लोगों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनधिकृत कालोनियों में रह रहे लागों को हटाने का हाल ही में कोई अभियान चलाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन लोगों को फिर से बसाने के लिए कोई वैकल्पिक प्रबंध किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). प्राधिकृत/अप्राधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए अलग से कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) जी, नहीं। फिर भी अप्राधिकृत निर्माण/सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण के विरूद्ध संबंधित संगठनों/स्थानीय निकायों द्वारा संबद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाती है।

(घ) से (च). उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सौर ऊर्जा

3811. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थार मरूस्थल में एशिया के पांच प्रमुख नगरों में प्रकाश के लिए पर्याप्त सौर ऊर्जा की संभावना है;

(ख) क्या सरकार का सौर ऊर्जा के इस स्रोत का दोहन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्तावित उपाय क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) राजस्थान सरकार ने पश्चिमी राजस्थान के थार मरूस्थल में 10,000 मेवा. ओर ऊर्जा संभाव्यता का अनुमान लगाया है। वर्तमान मांग के प्रतिमान के अनुसार, यह पांच विशिष्ट महानगरों की ऊर्जा आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाडमेर व जोधपुर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उद्यम क्षेत्र की स्थापना के लिए कार्य प्रारंभ किया है। जोधपुर के निकट एक 140 मेवा. एकीकृत सौर संयुक्त चक्र शक्ति परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव है जिसमें 35 मेवा. सौर तापीय ऊर्जा घटक भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार ने अपना बनाओ, चलाओ तथा रखरखाव करो आधार पर 300 मेवा. समग्र क्षमता और शक्ति परियोजना की स्थापना के लिए तीन आशय पत्र जारी किए हैं।

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

3812. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विशेषकर बिहार में आज तक कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं;

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु वर्तमान मानदंड क्या है;

(ग) बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु कितने सरकारी प्राधिकरणों/स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी गयी है;

(घ) क्या बिहार के गिरिडीह जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं और उनका ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता। फिर भी, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1992-93 के अनुसार देश में फैक्टरी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या 29747 थी, जिनमें से 447 यूनिटें बिहार जिले में थीं।

(ख) अल्कोहलयुक्त पेयों के किण्वन और आसवन एवं लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लाइसेंसमुक्त हैं।

(ग) बिहार में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए 19 प्रस्तावों को वित्तीय सहायता दी गई है।

(घ) से (च). मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करता।

[हिन्दी]

अधूरी परियोजनाएं

3813. **जस्टिस गुमान मल लोढा :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन अधूरी परियोजनाओं को जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अथवा इससे पहले आरम्भ की गई थी और उनमें निवेश करने के लिए केवल 10 प्रतिशत अनुमानित लागत बची है और जिन्हें निर्धारित समय पर पूरा करवाना संभव नहीं है, को पूरा करने के लिए उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने का हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी उक्त परियोजनाओं की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य/मंत्रालयों जिनके अंतर्गत उक्त परियोजनाएं आती हैं, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी नहीं। फरवरी, 1996 में सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंड के अनुसार धीमी गति से चल रही उन परियोजनाओं को रोक रखने या बंद करने अथवा निजी या संयुक्त क्षेत्र को स्थानांतरित करने के लिए विचार किया जा सकता है, जब उनकी 60 प्रतिशत निर्माण अवधि के पूरी हो जाने के बाद भी केवल 5 प्रतिशत अथवा उससे भी कम व्यय हुआ हो। परियोजनाएं, संसाधनों के अभाव तथा अन्य संगत कारणों को देखते हुए अभिज्ञापित की जाती हैं, जैसे कि परियोजनाओं का नीतिगत महत्व, भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयां, सरकार की नीति/बाजार स्थितियों में परिवर्तन, आवागमन और संपर्क की दृष्टि से परियोजना के निर्माण स्थल का असुविधाजनक और सुविधाजनक होना आदि।

(ख) फरवरी, 1996 के निर्णय के अधीन अभी तक किसी भी परियोजना को अभिज्ञापित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल रिफाइनरी

3814. **श्री पी.सी. थामस :**

श्री ओमपाल सिंह "निडर" :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश में तेल रिफाइनरी के आधुनिकीकरण पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) अगले तीन वर्षों के लिये मंजूर की गयी अतिरिक्त तेल रिफाइनरी क्या है और उनकी क्षमताएं क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों को हुए लाभ/घाटे का विवरण क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) रिफाइनरियों के आधुनिकीकरण से संबंधित योजनाओं पर लगभग 1991.64 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई थी।

(ख) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त उद्यम के अंतर्गत नई रिफाइनरियां स्थापित करने के लिए निम्नवत् आशय पत्र जारी किए हैं :-

कंपनी का नाम	रिफाइनरी परियोजना	क्षमता (मि.मी.टन प्रतिवर्ष)
आई ओ सी	पानीपत रिफाइनरी	6.00
आई ओ सी	उड़ीसा में पूर्वी तट संयुक्त उद्यम रिफाइनरी	6.00
एच पी सी एल	महाराष्ट्र में पश्चिमी तट संयुक्त उद्यम रिफाइनरी	6.00
एच पी सी एल	पंजाब में संयुक्त उद्यम रिफाइनरी	6.00
बी पी सी एल	उत्तर प्रदेश में संयुक्त उद्यम रिफाइनरी	7.00
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	नुमालीगढ़ (असम) में संयुक्त उद्यम रिफाइनरी	3.00
एच पी सी एल	संयुक्त उद्यम के अंतर्गत एम आर पी एल रिफाइनरी (कर्नाटक)	9.00
बी पी सी एल	बीना (म.प्र.) में संयुक्त उद्यम रिफाइनरी	6.00

(ग) शोधनकर्ता कंपनियों के निवल लाभ (ब्याज एवं करोपरांत) के ब्यौरे निम्नवत् हैं :-

(लाख रुपयों में)

	वर्ष		
	1993-94	1994-95	1995-96 (अनंतिम)
आई ओ सी*	77200	101886	124871
बी पी सी एल*	21538	28885	38578
एच पी सी एल*	30697	39129	51424
सी आर एल*	6825	10477	11108
एम आर एल*	7939	9219	9411
बी आर पी एल*	3792	6106	9015

* शोधन एवं विपणन

सौराष्ट्र क्षेत्र

3815. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य विशेषकर सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). गुजरात राज्य को केन्द्रीय योजना सहायता ब्लाक अनुदानों एवं ब्लॉक ऋणों के रूप में 30:70 के अनुपात में दी जा रही है। वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान राज्य को दी गई कुल केन्द्रीय सहायता क्रमशः 235.00 रु., 260.50 रु., 331.08 रु., और 383.66 रु., करोड़ रही। सौराष्ट्र क्षेत्र हेतु अलग से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने किसी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग नहीं की है।

[हिन्दी]

अनपारा तथा ओबरा विद्युत संयंत्र

3816. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की अनपारा तथा ओबरा दोनों विद्युत संयंत्रों में बड़ी खराबी के कारण उत्तर प्रदेश राज्य में लगातार बिजली गुल होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). अप्रैल-नवम्बर, 96 की अवधि के दौरान अनपारा ताप विद्युत केन्द्र में कार्य-निष्पादन स्पष्टतया अच्छा रहा है और इसने 76.9 प्रतिशत का संयंत्र भार अनुपात प्राप्त किया है। वर्ष 1995-96 के दौरान पहले कुछ बायलर में रिसाव हो गया था। ओबरा यूनिटें काफी

पुरानी हैं और इनका अधिकांशतः नवीकरण किया जा रहा है। अप्रैल-नवम्बर, 96 के दौरान केन्द्र का संयंत्र भार अनुपात 24.1 प्रतिशत था।

(ग) और (घ). अनप्रारा ताप विद्युत विद्युत केन्द्र में रिसाव के कारणों का पता लगाने के लिए उ.प्र.रा.बि.बो. द्वारा पूर्व सदस्य (विद्युत उत्पादन) उ.प्र.रा.बि.बो. की अध्यक्षता वाली एक समिति गठित की गई थी और उप समिति में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण बीएचईएल तथा निर्माताओं से विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति ने ट्यूबों की मोटाई की जांच करने तथा कुछ क्षेत्र में रोक लगाने की भी सिफारिश की है। सिफारिशों को लागू कर दिया गया है और संयंत्र भली प्रकार से कार्यनिष्पादन कर रहा है। ओबरा की समस्याओं का विद्युत केन्द्र के प्राधिकारियों द्वारा अध्ययन किया गया था और इसका मुख्य कारण यह है कि यूनिटें बहुत पुरानी हैं और इनका वृहत मात्रा में नवीकरण किए जाने की आवश्यकता है। उ.प्र.रा.बि.बो. इनका नवीकरण करने का प्रयास कर रहा है और यह आशा की जाती है कि नवीकरण के बाद स्टेशन 55 प्रतिशत संयंत्र भार अनुपात प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा।

[अनुवाद]

भारतीय तेल निगम का विविधीकरण

3817. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम का विचार जेटी और टैंकेज युक्त बन्दरगाह अवसंरचना की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय तेल निगम द्वारा विविधीकरण के अंतर्गत संचालन हेतु पता लगाए गए अन्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) तेल कंपनियों द्वारा जेटियों और टैंकेजों सहित बंदरगाहों की मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों और समुद्री बोर्डों के साथ आरंभिक चर्चा की जा रही है। कोई विशिष्ट परियोजना निर्धारित नहीं की गई है।

बंदरगाहों के स्थानों पर टैंकेजों की स्थापना करना तेल उद्योग का एक सतत सामान्य कार्य है। सरकार द्वारा ऐसे प्रस्ताव अतिरिक्त उत्पाद टैंकेज (ए पी टी) कार्यक्रमों के तहत अनुमोदित किए जाते हैं।

(ग) आई ओ सी द्वारा अपने प्रचालनों के विविधीकरण के लिए निम्नलिखित अन्य क्षेत्रों की पहचान की गई है :-

1. कच्चे तेल का अन्वेषण और उत्पादन।
2. विद्युत परियोजनाएं।
3. एल एन जी सुविधाओं की स्थापना।
4. स्नेहकों का पूरे विश्व में विक्रय।
5. पेट्रोरसायन।

"हुडको" द्वारा राशि जारी करना

3818. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान अब तक "हुडको" ने देश में विभिन्न आवास परियोजनाओं के लिए कुल कितनी राशि जारी की है;

(ख) इसमें से उपरोक्त अवधि के दौरान अब तक कर्नाटक में आवास परियोजनाओं के लिए कितनी राशि जारी की गई;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान कर्नाटक सरकार ने आवास परियोजनाओं के लिए कुल कितनी राशि की मांग की है;

(घ) "हुडको" द्वारा कर्नाटक को 31 मार्च, 1977 से पूर्व कितनी राशि स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान मैसूर जिले में "हुडको" की सहायता से कितनी आवास योजनाएं शुरू की गई हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). वर्ष 1996-97 के दौरान (30.11.96 तक) हुडको ने देश के राज्यों और सभी संघ प्रदेशों की विभिन्न आवास एजेन्सियों की आवास परियोजनाओं के लिए 229.76 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसमें से कर्नाटक राज्य की आवास परियोजनाओं के लिए 22.29 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(ग) और (घ). हुडको को 1996-97 के दौरान, कोई विशेष राशि जारी करने बाबत कर्नाटक सरकार से कोई औपचारिक अनुरोध नहीं मिला है। आबादी और क्षेत्र मानदंड के आधार पर, हुडको ने 1996-97 के लिए पारिश्रमिक परियोजनाओं सहित आवासीय परियोजनाओं के लिए कर्नाटक को 89.29 करोड़ रुपये अस्थाई रूप से नियत किये हैं।

(ङ) 1996-97 के दौरान हुडको ने कर्नाटक स्लम क्लीयरेंस बोर्ड मैसूर को 44 लाख की परियोजना लागत की दो आवासीय परियोजना तथा 76 रिहायशी एककों के निर्माण के लिए 35.62 लाख का हुडको ऋण स्वीकृत किया है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम डिपो

3819. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि मध्य प्रदेश के नरयावाली सागर स्थित इंडियन आयल कारपोरेशन डिपो तथा

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन डिपो से वितरण कार्य शुरू नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक वितरण कार्य शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश में नरयावाली सागर में इंडियन आयल कारपोरेशन लि. और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. के डिपुओं से वितरण का काम आरम्भ नहीं हुआ है क्योंकि रेल विभाग द्वारा उनकी रेलवे साइडिंग पूर्ण नहीं की गई है।

(ग) यह मामला रेल विभाग के साथ उठाया जा रहा है और डिपुओं के शीघ्र आरम्भ हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन क्वार्टर

3820. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन क्वार्टरों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) मैसूर में केन्द्रीय सरकार के कुल कितने कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं मिले हैं तथा उन्हें कब तक क्वार्टर प्रदान कर दिये जायेंगे;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य में कितने नये आवासीय क्वार्टरों का निर्माण किया जायेगा; और

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) मैसूर में सामान्य पूल के निर्माणाधीन क्वार्टरों की संख्या इस प्रकार है :-

टाइप-1	32
टाइप-2	40
टाइप-3	40
टाइप-4	16
टाइप-5	8
	136

(ख) और (ग). मैसूर में केन्द्र सरकार के लगभग 850 कर्मचारियों के पास सामान्य पूल रिहायशी आस नहीं है। उपर्युक्त 136 क्वार्टरों का निर्माण वर्ष 1997-98 तक पूरा होने की संभावना है। और आगे अधिक क्वार्टरों का निर्माण निधियों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(घ) मैसूर में वर्ष 1996-97 के दौरान क्वार्टरों के निर्माण के लिए 142.42 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

बिहार में रोजगार योजनाएं

3821. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के शहरी क्षेत्रों में चल रहे रोजगार योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) बिहार के शहरी क्षेत्रों में सृजित श्रम दिवसों की जिला-वार संख्या क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी राशि प्रदान की गई?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) शहरी रोजगार की दो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं नामतः नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) और प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी) बिहार में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) नेहरू रोजगार योजना की स्कीम राज्य स्तर पर, केन्द्र सरकार द्वारा मानीटर की जाती है। स्कीम के तहत बिहार राज्य में अब तक कुल 4494 लाख श्रम दिवसों का सृजन किया जा चुका है। प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मजदूरी रोजगार वाला कोई विशेष घटक नहीं है।

(ग) नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) और प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी) के तहत गत तीन वर्षों के दौरान मुहैया करायी गयी कुल धनराशि इस प्रकार है :-

क्र. सं.	स्कीम	वर्ष (धनराशि लाख रुपये में)		
		1993-94	1994-95	1995-96
1.	एनआरईवाई	359.30	429.95	471.45
2.	पी एम आई यूपीईपी (पीएमआई यूपीईपी 1995-96 में आरम्भ किया गया था)	-	-	819.27

[हिन्दी]

गैस की आपूर्ति

3822. **प्रो. ओमपाल सिंह "निडर"** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में स्थित औद्योगिक एककों को कब तक गैस उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है;

(ख) क्या औद्योगिक एककों को गैस उपलब्ध कराने हेतु किसी स्थान का चयन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(घ) क्या रिफ्रैक्ट्री उद्योग को भी गैस उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) मार्च, 1997

(ख) और (ग). गैस ग्रोन के अंतर्गत आने वाले कारखाना स्थलों पर गैस उपलब्ध कराई जाएगी।

(घ) जी, हां।

[अनुवाद]

आवास

3823. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटौदी हाऊस में सर्वेंट क्वार्टरों में रह रहे 160 परिवारों को बाहर निकाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें विकल्प के तौर पर आवास उपलब्ध नहीं कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनके पुनर्वास हेतु सरकार की क्या योजना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोलियम की कीमत

3824. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम शोधक कम्पनियां इस समय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कच्चे तेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य न देकर लागू मूल्य ही देती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से बहुत कम होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम ने 1996-97 की प्रथम छमाही के लिए कम आय तथा कर के बाद लाभ के कारण घाटा उठाया है;

(ग) यदि हां, तो उसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और

(घ) निगम को समुचित रूप से पुनर्गठित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) रायल्टी और उपकर सहित कच्चे तेल का घरेलू मूल्य 1.4.1993 से अनन्तिम रूप से 3296 रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। 1995-96 के दौरान आयातित कच्चे तेल की भारित औसत एफ ओ बी दर लगभग 4161 रुपये प्रति मीट्रिक टन थी।

(ख) और (ग). ओ एन जी सी ने 1996-97 के पूर्वार्द्ध के दौरान 827.88 करोड़ रुपये का करोपरांत लाभ अर्जित किया है जबकि 1995-96 के पूर्वार्द्ध के दौरान यह 1018.96 करोड़ रुपये था।

(घ) ओ एन जी सी ने कारपोरेशन के संगठनात्मक रूपांतरण के लिए एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन परामर्शदाता की सेवाएं वचनबद्ध हैं।

[हिन्दी]

मूलभूत सुविधाएं

3825. **डा. महादीपक सिंह शाक्य :**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों में विशेषकर शुद्ध पेयजल तथा स्वच्छता संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मूलभूत सुविधाओं हेतु अपेक्षित व्यय की धनराशि में लगातार हो रही वृद्धि का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस व्यय हेतु अनुमानित वार्षिक तौर पर कुल कितनी राशि की आवश्यकता है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल तथा स्वच्छता संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक तौर पर कितनी धनराशि खर्च की है;

(घ) क्या भविष्य में बढ़ती हुई मांग को मद्देनजर रखते हुए इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त संसाधनों पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). जी, हां। शहरी जल आपूर्ति तथा सफाई सेक्टर के बारे में 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) बनाने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उप-सेक्टर के लिए 51284.20 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

(ग) 1992-93, 1993-94, 1994-95 के दौरान शहरी जल आपूर्ति तथा सफाई के तहत खर्च राशि और 1995-96 के लिए परिव्यय इस प्रकार है :-

वर्ष		(करोड़ रुपये में)
1992-93	वास्तवितक खर्च	920.79
1993-94	वास्तविक खर्च	1043.41
1994-95	अनुमानित खर्च	1495.91
1995-96	परिव्यय	1747.19

वर्ष 1996-97 के लिए परिव्यय को अभी योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है।

(घ) और (ङ). इस मुद्दे पर योजना आयोग द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

3826. श्री सनत मेहता : क्या **प्रधान मंत्री** 24 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं. 205 के उत्तर के संबंध में जिसमें यह बताया गया था कि अप्रवासी भारतीयों सहित विदेशी निवेशकों द्वारा लगभग 1,40,000 करोड़ रुपये मूल्य के निवेश के 50 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन 50 प्रस्तावों के संबंध में संभावित स्थान, स्थापित क्षमता और कार्यान्वयन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) इनकी अनुमानित निवेश लागत कितनी होगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आज तक 57 ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनकी लागत समझौता ज्ञापन/आशय पत्र आदि प्रक्रिया के तहत् 100 करोड़ से अधिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के तहत 1000 करोड़ रुपए से अधिक हैं व इनमें विदेशी निवेश सन्निहित है। इन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा, जिसमें उनकी क्षमता, अनन्तिम लागत तथा कम्पनी का नाम इंगित है, संलग्न विवरण में दिया गया है। इनमें से 16 परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। 21 परियोजनाओं से विदेशी निवेश की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा 3 परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की प्रति गारण्टी प्रदान कर दी गई है, छः परियोजनाओं (जेगुरूपाडु जी. वी.पी.पी., गोदावरी सी.सी.जी.टी. आन्ध्र प्रदेश में, हजीरा तथा पागुथान सीसीजीटी गुजरात में, महेश्वर एचईपी मध्य प्रदेश में तथा दभोल सीसीजीटी (चरण-1) महाराष्ट्र में पर निर्माण कार्य आरम्भ हो गए हैं, जिनमें से दो परियोजनाएं नामशः जेगुरूपाडु टीपीएस (216 मेगावाट) तथा हजीरा टीपीएस (515 मेगावाट) आंशिक रूप से चालू कर दी गई हैं।

विवरण

विदेशी कम्पनियों से प्राप्त अभिरूचि प्रस्तावों का अनन्तिम ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	क्षमता (मे.वा.)	अनन्तिम लागत (करोड़ रु.)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश					
1.	गोदावरी जीबीटीपी	पूर्वी गोदावरी	208 मे.वा.	778.000	स्पैक्ट्रम टैक्नोलाजी यूएसए/जया फूड्स एण्ड एनटीपीसी
2.	जेगुरूपाडु जीबीपीपी	पूर्वी गोदावरी	216 मे.वा.	816.000	जे.वी.के. इंडस्ट्रिज लि. यू.एस.ए.
3.	कृष्णापट्टम "बी" टी.पी.एस	नेल्लौर	500 मे.वा.	1720.000	बेसीकॉरपोरेशन इंट पावर, यू.एस.ए.

1	2	3	4	5	6
4.	विशाखापट्टनम टी.पी.एस.	विशाखापट्टनम	2×520 मे.वा.	4297.810	मै. हिन्दुजा नेशनल पावर कारपोरेशन लि., यू.के
	जोड़ 4		1964	7611.810	
बिहार					
5.	जोजोबेड़ा	पूर्वी सिंहभूम	3×67.5 मे.वा.	981.00	टाटा स्टील/निशन एनर्जी, यू. एस.ए.
	जोड़ 1		202.50	981.000	
दिल्ली					
6.	बवाना जी.बी.पी.पी.		800 मे.वा.	2000.000	रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.
7.	नई दिल्ली टी.पी.एस.		300 मे.वा.	1615.450	मै. जेएमसी डेवलपमैंट, यूएसए/अपोलो हॉस्पिटल
	जोड़ 2		1100.00	3515.450	
गुजरात					
8.	हजीरा सीसीपीपी	सूरत	1×515 मे.वा.	1745.00	मै. एन्सार पावर लि. मारीशस
9.	जामनगर	जामनगर	2×250 मे.वा.	2075.290	रिलायस पावर लि.
10.	पागुथन जीबीपीपी	भरूच	655 मे.वा.	2298.140	गुजरात टोरेन्ट एनर्जी कारपोरेशन लि./सीमेन्ट जर्मन
	जोड़ 3		1670.00	6118.430	
हिमाचल प्रदेश					
11.	धामवाड़ी एचईपी	शिमला	70 मे.वा.,	385.000	मै. धामवाड़ी पावर कम्पनी, यू. एस.ए.
12.	हिब्रा एचईपी	चम्बा	231 मे.वा.	708.500	हारजा इंजीनियरिंग कम्पनी , यू. एस.ए.
	जोड़ 2		301.00	1093.500	
हरियाणा					
13.	यमुना नगर टीपीएस	यमुना नगर	2×350 मे.वा.	2625.000	आईजनवर्ग ग्रुप ऑफ कंपनी, इजरायल
	जोड़ 1		700.00	2625.000	
कर्नाटक					
14.	अल्माटी एन.थनमाकल	बीजापुर	1107 मे.वा.	3600.000	मै. चामंडी पावर कंपनी लि. यू. एस.ए.
15.	अंकोला कोमटा (हॉसपेट)	उत्तर कन्नड	2×250 मे.वा.	528.900	डेक्कन पावर कारपोरेशन लि., यू.एस.ए.

1	2	3	4	5	6
16.	बंगलौर	बंगलौर	500 मे.वा.	1750.000*	एनआरआई केपिटल कारपोरेशन, यू.एस.ए.
17.	बंगलौर सीसीपीपी	बंगलौर	100 मे.वा.	405.930	मै. पीनया पावर कंपनी लि., यू एस.ए.
18.	धारवाड टीपीएस	धारवाड़	300 मे.वा.	1050.000*	वालाइस होलिंडग, यू.के.
19.	मंगलौर टीपीएस	साऊथ कन्नड़	4x250 मे.वा.	3654.000	मंगलौर पावर कंपनी लि. (मै. कोर्जेट्रिक्स इंक-यू.एस.ए. द्वारा प्रवर्तित
20.	नंजनगुडुआ	मैसूर	110 मे.वा.	385.000*	इंडिपेडेंट पावर सर्विस कंपनी, यू.एस.ए.
21.	तोरंगल्लू	बेल्लारी	2x130 मे.वा.	839.000	जिंदल/ट्रैकबेल पावर कंपनी लि, बेल्जियम
	जोड़ 8		3877.00	12212.830	
केरल					
22.	कसारगोड	कसारगौड	500 मे.वा.	1701.000	फिनोलेक्स एनर्जी कारपोरेशन लि. यूके/यूएसए
23.	कसारगौड टीपीसी	कसारगौड	2x389 मे.वा.	2300.000	मै. कसारगौड पावर कारपोरेशन लि.
24.	पालाकाड	पालाकाड	344 मे.वा.	1163.900	पालाकाड पावर जनरेटिंग कंपनी/एनसर्च इंटेल लि., यू. एस.ए.
25.	वाईपीन	एरूनाकुलम	650 मे.वा.	1915.560	सियासिन एनर्जी प्रा. लि., यू. एस.ए.
	जोड़ 4		2272.00	7080.460	
मध्य प्रदेश					
26.	भण्डेर ड्यूएल फ्यूल टीपीएस	ग्वालियर	330 मे.वा.	1163.530	एस्सार इन्सेन्टमैंट लि., बम्बई (मै. सीआईपीएल) मारीशस
27.	भिलाई टीपीएस	दुर्ग	2x250 मे.वा.	2339.400	सेल, एल एण्ड टी, सीईए (यूएसए) का संयुक्त उद्यम
28.	बीना टीपीएस	सागर	4x250 मे.वा.	2520.360	मै. बीना पावर सप्लाई कंपनी लि. (मै. ग्रेसिंग इंड लि.), यू. के.
29.	गुना ड्यूएल फ्यूल टीपीएस	गुना	3x110+1x110 मे.वा.	1160.000	मै. एसटीआई इंदौर, यू.एस.ए
30.	ग्वालियर-2 (डीजल) पीपी	ग्वालियर	8x15 मे.वा.	464.990	मै. ग्वालियर पावर कंपनी लि. (वारसिला डीजल, फिनलैण्ड)
31.	झाबुआ	झाबुआ	330 मे.वा.	1193.000	मै. केडिया डोस्टेलेवर्स लि.

•1	2	3	4	5	6
32.	कोरबा पूर्व टीपीएस	बिलासपुर	2x535 मे.वा.	4353.260	डेवो कारपोरेशन, दक्षिण कोरिया
33.	महेश्वर एचईपी	खरगौन	10x40 मे.वा.	1500.000	मै. महेश्वर हाईडल पावर कारपोरेशन लि., यू.एस.ए.
34.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	150 मै.वा.	538.400	मै. ग्लोबल बोर्डस लि., यू.एस.ए.
35.	पेंच टीपीएस	छिन्दवाड़ा	2x262.5 मे.वा.	2228.000	सोरस फंड मैनेजमेंट, यूएसए
	जोड़ 10		4755.00	17460.940	
महाराष्ट्र					
36.	भद्रावती टीपीएस (चरण-1 और 2)	चन्द्रापुर	2x536 मे.वा.	5187.000	इस्पात आयॅल लि./ईसीजीडी, यूके/ईडीएफ, फ्रांस
37.	डाभौल सीसीजीटी	रत्नागिरी	2015 मे.वा.	9051.270	एनरॉन डेव. कारपोरेशन जीइ एंड बेकटेल, यूएसए
38.	खापरखेड़ा यूनिट 3 और 4		2x250 मे.वा.	1750.000	मै. बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि.
39.	पातालन्गा जीबीपीपी	रायगढ़	410 मे.वा.	1435.000	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.
	जोड़ 4		3997.00	17423.270	
उड़ीसा					
40.	बोमलाई टीपीएस	सम्बलपुर	500 मे.वा.	2361.800	गेलेक्सी पावर कंपनी, यू.एस.ए. तथा चिकागो की इंडेक
41.	दुबरी टीपीएस	जयपुर	2x250 मे.वा.	1548.000	कलिंगा पावर कारपोरेशन (एनई पावर, यूएसए)
42.	हिरमा टीपीएस चरण-1	झारसुगुडा	6x660 मे.वा.	14033.000	मै. सीईपीए, हांगकांग
43.	ईब घाटी टीपीएस यूनिट 3 व 4	सम्बलपुर	420 मे.वा.	1993.630	ईब घाटी क़ारपोरेशन, यू.एस.ए.
44.	लपांगा टीपीएस	सम्बलपुर	500 मे.वा.	1900.000	सामलाई पावर (लपांगा) कंपनी लि., यू.एस.ए.
	जोड़ 5		5880.00	21836.430	
तमिलनाडु					
45.	बेसिन ब्रिज चरण-2	मद्रास	4x50 मे.वा.	757.100	जीएमआर वासावी पावर कारपोरेशन लि.
46.	कुड्डालौर टीपीएस	अरकोट चल्लालार	2x660 मे.वा.	6495.000	कुड्डालौर पावर कंपनी लिमि.
47.	जायमकोडम लिग्नाइट पीपी	थिरूवल्लुवार	1500 मे.वा.	5250.000*	मै. जायमकौडम लिग्नाइट पावर कारपोरेशन लि., जर्मनी
48.	उत्तरी मद्रास-2	चेंगई, एमजीआर	2x525 मे.वा.	4207.280	वीडियोकोन पावर लि./एड्डीसन मिशन एनर्जी, यू.एस.ए
49.	पिलैई पेरूमनेल्लूर	नगई	330.5 मे.वा.	1121.700	रेड्डी समूह का डायनाविजन/जे. माकोस्की/पी.विजयकुमार रेड्डी

1	2	3	4	5	6
50.	जीरो यूनिट (एनएलसी)	साउथ अरकोट	250 मे.वा.	1200.000	एसटी पावर सिस्टम इंक., यू. एस.ए.
	जोड़ 6		4650.50	19031.080	
उत्तर प्रदेश					
51.	अनपारा-सी	सोनभद्र	1000 मे.वा.	3500.000	मैं. ह्यूनडाई हैवी इंड-स्ट्रीज कंपनी लि., कोरिया।
52.	जवाहरपुर टीपीएस	एटा	800 मे.वा.	2896.000	पेसिफिक इलैक्ट्रिक पावर डेव. कारपोरेशन, कनाडा
53.	प्रताबपुर		2000 मे.वा.	7000.000	मै. आईएसएन इंटरनेशनल, यू. एस.ए.
54.	रोसा टीपीएस	शाहजहांपुर	2×283.5 मे.वा.	2587.470	इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया एडं पावर जनरेशन पीएलसी, यू.के.
	जोड़	4	4367.00	15983.470	
पश्चिम बंगाल					
55.	बालागढ़ टीपीएस	हुगली	2×250 मे.वा.	2234.690	बालागढ़ पावर कंपनी लि. (सीईएससी/एडीबी/टीएफसी), यू. एस.ए.
56.	गौरीपुर टीपीएस 24	परगना	2×75 मे.वा	680.620	गौरीपुर पावर कंपनी लि., कलकत्ता
57.	सागरदीघी टीपीएस	मुर्शीदाबाद	2×500 मे.वा.	3677.000	डीसीएल कुल्जियम कारपोरेशन सीएमएस जनरेशन, यूएसए
	जोड़ 3		1650.00	6592.310	
	कुल जोड़ 57		37386.00	139665.980	

* 3.5 करोड़/मेगावाट को पूंजीगत लागत आंका गया है जबकि राज्य/प्रवर्तकों द्वारा अनन्तिम लागत अनुमान नहीं दिए गए हैं।

महानगर परियोजनाएं

3827. श्री मुरलीधर जेना : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी महानगरीय परियोजनाएं सरकार द्वारा मंजूर की गई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं में सार्वजनिक तथा निजी वित्तीय संस्थाओं द्वारा इक्विटी भागीदारी का क्या अनुपात है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र तथा राज्य सरकार के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) मेगा शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास की केन्द्र योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समितियों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। पांच मेगा शहरों में राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समितियों द्वारा अब तक अनुमोदित की गई परियोजनाएं इस प्रकार हैं :-

(1) मुम्बई	22 परियोजनाएं
(2) कलकत्ता	56 परियोजनाएं
(3) चेन्नई	52 परियोजनाएं
(4) हैदराबाद	14 परियोजनाएं
(5) बंगलौर	20 परियोजनाएं

(ख) और (ग). मेगा सिटी योजना के मार्गनिर्देशों में परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक तथा निजी वित्तीय संस्थानों द्वारा इक्विटी भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, मेगा सिटी योजना के अंतर्गत

अनुमोदित परियोजनाओं को 50 प्रतिशत लागत वित्तीय संस्थानों तथा खुले बाजार के माध्यम से सांस्थानिक वित्त द्वारा पूरी की जानी हैं। मेगा सिटी योजना के लिए साझेदारी पद्धति इस प्रकार है- केन्द्र सरकार-25 प्रतिशत, राज्य सरकार-25 प्रतिशत, सांस्थानिक (इंस्टीट्यूशनल) वित्त 50 प्रतिशत।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की परियोजनाएं

3828. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की राज्य-वार चालू परियोजनाओं की संख्या क्या है जिनमें ठेके पर मजदूर तैनात है; और

(ख) उन्हें दिये गये वेतनमान तथा अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जहां कहीं अपेक्षित होता है, आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन अपनी विभिन्न परियोजनाओं तथा कार्य केन्द्रों पर रोजगार संविदायें एवार्ड करता है।

(ख) संविदाधीन श्रमिकों को मजदूरी तथा अन्य लाभ ऐसे संविदाकारों द्वारा दिए जाते हैं जो उन्हें काम पर लगाते हैं।

हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच समझौता

3829. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की सरकारों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुये थे और पंजाब की विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान के हिस्से के दावे को केन्द्रीय सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को सौंपा जाना था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मामला सौंप दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक सौंपे जाने की संभावना है;

(घ) समझौते के अनुसार रावी-व्यास नदी जल पर आधारित जल विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान का हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार केन्द्रीय परियोजनाओं से अतिरिक्त विद्युत आवंटित किये जाने पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ज). आन्दपुर साहिब जल विद्युत परियोजना, मुकेरिअन जल विद्युत परियोजनाधीन बांध परियोजना, ऊपरी बारी दोआब कनाल (यू बी डी सी) चरण-2 और शाहपुर कांडी जल विद्युत स्कीम में उत्पादित विद्युत के हिस्से में हरियाणा और राजस्थान के हकदारों के प्रश्न, तथा इस तरह की हकदारी होने पर, प्रत्येक राज्य का हिस्सा निर्धारित किए जाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय की सहायता लिए जाने के लिए 10.5.84 को पंजाब, राजस्थान और केन्द्र सरकार के मध्य एक समझौता किया गया था।

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न अन्तःराज्यीय बैठकों में यह मुद्दा चर्चा का विषय रहा है। तथापि इस पर सर्वसम्मति प्राप्त नहीं की जा सकी। एक सौहार्द्रपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए संबंधित राज्यों को मनाने के लिए अब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद से सम्पर्क स्थापित किया गया है।

देश के उत्तरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की सम्पूर्ण स्थिति को देखते हुए, केन्द्र सरकार के अधिकार में रखे गए केन्द्रीय विद्युत केन्द्र के अनावंटित कोटे में से 40 प्रतिशत विद्युत 26.11.96 से राजस्थान को आवंटित कर दी गई है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण

3830. श्री डी.पी. यादव :
डा. छत्रपाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर और बदायूं जिलों के सभी गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए उक्त जिलों में विद्युत संयंत्र/उपकेन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). जी नहीं। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य संबंधित राज्यों की राज्य सरकारों/रा.वि. बोर्डों द्वारा उनके वित्तीय संसाधनों की प्राथमिकताओं, आवश्यकता तथा उपलब्धता के अनुसार किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर तथा बदायूं जिलों में गांवों के विद्युतीकरण की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र. सं.	जिले का नाम	गांवों की संख्या	3/96 तक विद्युतीकरण की स्थिति
1.	बुलन्दशहर	1359	1344
2.	बदायूं	1780	1423

[अनुवाद]

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन परियोजना

3831. श्री एन. डेनिस : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में महेन्द्रगिरि स्थित भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन परियोजना के सामरिक महत्व को देखते हुए इसका उन्नयन करके इसे स्वतंत्र स्वरूप प्रदान करने का है ताकि इसका शीघ्रता से विस्तार हो सके और इसके क्रियाकलापों में वृद्धि हो सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र महेन्द्रगिरि सुविधाएं (एल.एम.एफ.) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का भाग हैं तथा इस समय यह द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र (एल.पी.एस. सी) के अन्तर्गत आती हैं, जिसका मुख्यालय वलियामाला, तिरूवनन्तपुरम में स्थित है। एल.एम.एफ. में विद्यमान सुविधाओं का, उन्नत द्रव नोदन प्रणालियों के विकास के संदर्भ में आवश्यकतानुसार वर्तमान और भावी जांच संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप में विस्तार किया जा रहा है।

भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए विकसित द्रव इंजिन चरणों और उप-प्रणालियों की भूमि पर परीक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करने वाली एक प्रमुख इसरो सुविधा होने के कारण द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र महेन्द्रगिरि सुविधाओं (एल.एम.एफ.) को स्वतंत्र स्वरूप प्रदान करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार यह पूर्ण रूप से समाकलित कार्यक्रम की सहायता के स्थापित सुविधाओं का भाग है।

वरिष्ठ अधिकारियों पर मुकदमा चलाना

3832. डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ वर्ग विशेष के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने संबंधी स्पष्ट नियम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त नियम की पुनरीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कितने मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों पर मुकदमा चलाने पर रोक लगाई अथवा अनुमति देने से इन्कार किया?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) ऐसा कोई नियम अथवा कानून नहीं है जिसके तहत किसी ग्रेड से उच्चतर अधिकारियों के संबंध में अभियोजना संबंधी कार्रवाई करने के लिए सरकार की अनुमति लेना अपेक्षित है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के प्रावधान, जिनके अंतर्गत किसी भी लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन संबंधी कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति अपेक्षित है, अधिकारियों के रैंक पर कोई ध्यान दिए बिना सभी के संबंध में समान रूप से लागू होते हैं।

(ख) और (ग). जी, नहीं। ये विधिक प्रावधान समय की कसौटी और न्यायिक जांच-पड़ताल पर खरे उतरे हैं और इसलिए उनकी पुनरीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है।

(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों अर्थात् 1994, 1995 और 1996 के दौरान सक्षम प्राधिकारियों ने 12 (बारह) मामलों में अभियोजन के लिए अनुमति देना ठीक नहीं माना।

[हिन्दी]

रोजगार योजनाएं

3833. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को विभिन्न शहरी रोजगार योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में शहरी रोजगार की दो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं यथा नेहरू रोजगार की योजना तथा प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जहां तक नेहरू रोजगार योजना का सवाल है, उत्तर प्रदेश को वर्ष 1995-96 के लिए शहरी लघु उद्यम स्कीम के तहत 410.93 लाख रुपये की केन्द्रीय राशि जारी की गयी थी। कुल 684.88 लाख में से राज्य ने शत-प्रतिशत खर्च की सूचना दी है। शहरी मजदूरी रोजगार योजना के तहत राज्य के पास वर्ष 1995-96 के लिए 451.70 लाख रुपये की केन्द्रीय राशि तथा 301.13 लाख रुपये का राज्य अंश उपलब्ध था। कुल 752.83 लाख रुपये में से राज्य ने उस वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत व्यय की सूचना दी है। जहां तक प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन का

सवाल है, यह योजना नवम्बर, 1995 में शुरू की गयी है। जनवरी, 1996 के दौरान उत्तर प्रदेश को 1516.63 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गयी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार से प्राप्त शिकायतें

3834. श्री अमर राय प्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राशन की चीजों के कम तौल के संबंध में महाप्रबन्धक, केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली को 1 दिसम्बर, 1995 से 30 नवम्बर, 1996 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) ये शिकायतें किन-किन शाखाओं के बारे में प्राप्त हुई हैं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या क्या है जिनमें शिकायतों की पावती भेजी गई लेकिन की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अन्तिम उत्तर अभी तक नहीं भेजा गया है; और

(घ) प्रबन्धक का ऐसे मामलों में कब तक उत्तर भेजने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). वसंत विहार तथा कालीबाड़ी स्थित शाखाओं के संबंध में दो ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बसंत विहार शाखा के भण्डार प्रभारी को तोल की मशीनों द्वारा किए जाने वाले मापतौल पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिए सचेत किया गया है। दूसरी शाखा के संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।

(ग) और (घ). पहली शिकायत के संबंध में उत्तर भेजा जा चुका है। ऐसे मामलों के संबंध में यथासंभव शीघ्र उत्तर भेजने का प्रबंधकों का प्रयास रहता है।

विद्युत नीति

3835. श्री नारायण अठावले :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों और ऊर्जा मंत्रियों के साथ विद्युत क्षेत्र संबंधी नीतियां तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में आने वाली अड़चनों पर गहराई से विचार करने के लिए कोई नयी पहल की है;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ). दिनांक 3.12.96 को विद्युत पर आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों की बैठक में सामान्य राष्ट्रीय कार्य योजना के एक प्रारूप पर विचार किया गया था।

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान प्राप्त सुझावों पर आधारित इस कार्य योजना को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

3836. श्री रमेन्द्र कुमार : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम, लीची और केला आदि की अच्छी फसल को देखते हुए उत्तर बिहार में एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दी जाने की संभावना है तथा इस प्रकार की इकाई कहां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख). मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता। फिर भी, उदारीकरण से लेकर अब तक अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और इन मामलों में उद्यमी को केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, उदारीकरण से लेकर अक्टूबर, 96 तक बिहार में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए करीब 250 करोड़ रु. के निवेश वाले और 2597 लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले 30 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से संथाल परगना और सीतामढ़ी में 19 करोड़ रु. के निवेश वाले और 182 लोगों को रोजगार देने वाले 2 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन पहले ही कार्यान्वित किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा संयुक्त उद्यम, विदेशी सहयोग, 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों आदि के लिए अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना हेतु करीब 33 करोड़ रु. के निवेश वाले ऐसे 7 अनुमोदन भी प्रदान किए गए हैं। इन यूनिटों को मुजफ्फरपुर, भागलपुर, भोजपुर और समस्तीपुर में लगाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस

3837. श्री बादल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के कुएं से अब तक कुल कितनी प्राकृतिक गैस का दोहन किया गया है; और

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने रामचन्द्र नगर तथा बोखिया गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं हेतु गैस की आपूर्ति करने के लिए कोई पहल नहीं की है।?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक त्रिपुरा में लगभग 108 मिलियन घन मीटर गैस का उत्पादन किया गया है।

(ख) ओ एन जी सी और गेल दोनों ही नीपको (एन ई ई पी सी ओ), रामचन्द्र नगर को गैस की आपूर्ति करने और टी एस ई डी, रोखिया को अतिरिक्त गैस की आपूर्ति करने के उपाय कर रही है।

पेट्रोल पम्प खुदरा बिक्री केन्द्रों को कमीशन

3838. श्री विजय पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल और डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों के मालिकों ने यातायात प्रभारों में वृद्धि के कारण अधिक कमीशन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). कमीशन की दरें संशोधित करने के संबंध में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तदनुसार, कमीशन में संशोधन हेतु डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा उठाई गई मांगों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

अनुभाग अधिकारियों की तैनाती

3829. श्री बृज भूषण तिवारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुभाग अधिकारियों को ग्रेड एक में पदोन्नति के पश्चात् उनके मंत्रालय से बाहर तैनात किया जाता है;

(ख) क्या 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेने का कोई अपवाद है; और

(ग) क्या यह अपवाद प्रतिनियुक्ति पर तैनात संवर्गेत्तर पदों पर कार्यरत सी.एस.एस. में परिवर्तनीय अधिकारियों के लिए भी मान्य है यदि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उप-संपर्क अधिकारी का कार्य कर रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग). केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव स्तर) के ग्रेड-1 में प्रोन्नति पर, अनुभाग अधिकारी, जिसका अधिवर्षिता में आठ वर्ष से ज्यादा समय बचा हो, को अनिवार्यतः मंत्रालय से बाहर स्थानांतरित किया जाता है। यह नीति संवर्ग बाह्य पदों पर कार्यरत अनुभाग अधिकारियों की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 में प्रोन्नति होने पर उन पर भी लागू होती है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिए रिक्त पद

3840. श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" :
कर्नल राव राम सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अनेक पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग). अखिल भारतीय सेवाओं के पदों में सीधी भर्ती के पद तथा पदोन्नति पद शामिल होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के सीधी भर्ती के पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की योग्यता क्रम की सूची के आधार पर राज्य सरकारों से परामर्श करके भरे जाते हैं।

पदोन्नति पद, पदोन्नति कोटे में जब और जैसे रिक्तियां होती हैं, पदोन्नति विनियमों के अनुसार राज्य सरकारों के पात्र उम्मीदवारों में से भरे जाते हैं।

यह एक सतत् प्रक्रिया है और इसमें अधिकारियों की पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण अथवा उनकी मृत्यु के कारण अल्पकालिक रिक्तियों की संभावना रहती है।

आय संबंधी मानदंड

3841. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 8.9.1993 के ओ.एम.सं. 3601/22/93 को जारी कर यह कहा गया था कि "रुपए के संदर्भ में प्रत्येक तीन वर्षों में इसके मूल्य में आए

परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आय संबंधी मानदंड में संशोधन किया जाएगा। तथापि स्थिति के अनुसार अन्तर्काल को कम किया जा सकता है:

(ङ) क्या सरकार ने "क्रीमी लेयर" के निर्धारण हेतु आय की अधिकतम सीमा में संशोधन किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार कब तक उक्त कार्य को करने का है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). अभी तक आय संबंधी मानदंड को संशोधित करने पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि निर्धारित समय सीमा अभी ही समाप्त हुई है।

[हिन्दी]

अमोरफस सिलिकॉन सोलर सेल्स

3842. श्री रामशकल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 के अमोरफस सिलिकॉन सोलर सेल्स से संबंधित अनुसंधान कार्य के संबंध में क्या प्रगति की गई है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में अध्ययन हेतु विदेश भेजे गए इंजीनियर इस परियोजना पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस योजना पर क्षेत्रवार अभी तक कुल कितना व्यय किया गया है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में की गई प्रगति से संतुष्ट है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ). सरकार ने वर्ष 1986-87 के दौरान सात अनुसंधान संस्थाओं और उद्योग की सहभागिता से सिंगल जंक्शन अमोरफस सिलिकॉन सोलर सैलों के विकास पर एक समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) और इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस (आईएसीएस) में अनुसंधान ग्रुपों ने वर्ष 1990-92 के दौरान 10-12 प्रतिशत कुशलता के सिंगल जंक्शन अमोरफस सिलिकॉन सौर सैलों का सफलतापूर्वक विकास किया है जो उस प्राप्त किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तुल्य ही था। वर्ष 1992 में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. (भेल) ने वाणिज्य पूर्व पायलट संयंत्र सुविधा को आरंभ किया और 1 फुट x1 फुट आकार के सिंगल जंक्शन अमोरफस सिलिकॉन माड्यूलों के विनिर्माण और इन माड्यूलों पर आधारित कुछ अनुप्रयोगों को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया।

भेल ने वर्ष 1992 से कार्य क्षेत्र परीक्षणों के लिए अमोरफस सिलिकॉन माड्यूलों के बैच विनिर्माण को प्रदर्शित किया। एन पी एल और आई ए सी एस में अनुसंधान ग्रुपों द्वारा अमोरफस सिलिकॉन सौर सैलों में अनुसंधान के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। आई एसीएस ग्रुप अब दोहरे जंक्शन अमोरफस सिलिकॉन सौर सैलों के विकास पर कार्य कर रहा है।

एनपीएल, आईएसीएस, और बीएचईएल में अनुसंधान ग्रुपों के कुछ इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को अध्ययन दौरों और उपकरण के प्रचालन पर प्रशिक्षण के लिए निदेश भेजा गया। उनमें से अधिकांश ने अमोरफस सिलिकॉन सौर सैल और माड्यूल अनुसंधान एवं विकास पर कार्य करना जारी रखा है। इस प्रकार अमोरफस सिलिकॉन सौर सैल प्रौद्योगिकी विकास का मुख्य उद्देश्य प्राप्त हो जाता है।

आठवीं योजना अवधि के दौरान अमोरफस सिलिकॉन सौर सैलों के विकास पर अब तक कुल 7.64 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है जिसमें से पायलट प्लांट कार्यकलापों पर 6.54 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

3843. डा. बलिराम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही विद्युत परियोजनाओं में प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में और अधिक विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं;

(ग) परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य में विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने में विदेशी निवेशकों/निजी विद्युत उत्पादकों को शामिल किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) उत्तर प्रदेश की उन स्वीकृत निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है :-

क्र. सं.	परियोजना का नाम तथा क्षमता (मेगावाट)	चालू किए जाने का सम्भावित वर्ष/स्थिति
1	2	3
1.	टिहरी चरण-1 (4x250)	2002
2.	धौलीगंगा (4x70)	2004-2005

1	2	3
3.	लखवार व्यासी (3×100 + 2×60)	नौवीं योजना के बाद
4.	विष्णु प्रयाग (4×100)	निजी क्षेत्र के लिए प्रस्तुत
5.	श्रीनगर (5×66)	निजी क्षेत्र के लिए प्रस्तुत
6.	सोबला (2×3)	1997
7.	मनेरी भाली चरण-2 (4×76)	निजी क्षेत्र के लिए प्रस्तुत
8.	फिरोज गांधी (ऊंचाहार टी पी सी (2×210)	जुलाई, 2000
9.	टाण्डा टी.पी.पी. (4×110)	जून 1997

(ख) और (ग). इन परियोजनाओं में से, जिन निम्नलिखित परियोजनाओं को अब निजी क्षेत्र में कार्यान्वित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है, उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हो चुकी हैं तथा जांचाधीन है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम तथा प्रवर्तक	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1.	विष्णु प्रयाग (मै.जे.आई.एल.)	400
2.	श्रीनगर जल विद्युत परियोजना (मै. डंकस इण्डस्ट्रील लि.)	330

इनके अलावा, मै. इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल कारपोरेशन लि. का 567 मेगावाट क्षमता वाली रोजा चरण-1 को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के पास प्राप्त हो चुकी है तथा जांचाधीन है।

(घ) और (ङ). जी, हां। भाग (क) से (ग) के उत्तर में बताई गई परियोजनाओं के अलावा 100 करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित लागत को समझौता ज्ञापन वाली परियोजनाओं के लिए पैसिफिक इलैक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट ने उत्तर प्रदेश राज्य में जवाहरपुर ताप विद्युत केन्द्र (500 मेगावाट) को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

ग्रोथ विद इक्विटी

3844. डा. सी. सिल्वेरा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में योजना आयोग की कोई बैठक आयोजित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या बैठक का आयोजन नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु "ग्रोथ विद इक्विटी" विषय को अपनाने हेतु किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) हाल ही में, दिनांक 19 अगस्त, 1996 और 29 नवम्बर, 1996 को योजना आयोग की पूर्ण बैठकें हुई थीं।

(ख) दिनांक 19 अगस्त, 1996 को योजना आयोग की पूर्ण बैठक में निम्नलिखित कार्य सूची की मदों पर विचार किया गया :—

(1) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रम।

(2) विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को बनाने में राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता तथा लचीलापन।

(3) दिनांक 4 और 5 जुलाई, 1996 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई।

(4) ऊर्जा संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद को रिपोर्ट।

(5) राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) की अगली बैठक की कार्यसूची तथा तारीख।

दिनांक 29 नवम्बर, 1996 को आयोजित योजना आयोग की पूर्ण बैठक में नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दृष्टिकोण पत्र प्रारूप पर विचार किया गया।

(ग) और (घ). नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र प्रारूप में नौवीं योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्र और प्राथमिकताएं शामिल हैं। दिनांक 29 नवम्बर, 1996 को योजना आयोग की पूर्ण बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन हेतु दृष्टिकोण पत्र प्रारूप को अंतिम रूप देने के कार्यों के अंग के रूप में इस पर विचार किया गया।

[हिन्दी]

विकास खण्डों का पुनर्गठन

3845. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों के वर्तमान विकास खण्डों का परिसीमन करके नए विकास खण्डों का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनका कब तक पुनर्गठन किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). केन्द्र के पास इस समय नए विकास खंडों को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

एल.पी.जी. एजेंसी

3846. श्री सुखबीर सिंह बादल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में जिला-वार ऐसी कितनी गैस एजेंसियां हैं जिन्होंने अपनी स्थापना से, पिछले तीन वर्षों या अधिक के दौरान कोई नया गैस कनेक्शन आवंटित नहीं किया है;

(ख) इस अवधि के दौरान उन गैस एजेंसियों की संख्या कितनी है जिन्हें गैस कनेक्शन आवंटित किये गए हैं और जिला-वार प्रत्येक एजेंसी को कितने गैस कनेक्शन आवंटित किये गये हैं और ऐसी एजेंसी को गैस कनेक्शन आवंटित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जा रहा है;

(ग) पंजाब में ऐसी एजेंसियों को नये गैस कनेक्शन आवंटित करने के लिये संसद सदस्यों के माध्यम से भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित लोगों की संख्या कम करने के लिये इन एजेंसियों को कब तक गैस कनेक्शन आवंटित किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अवैध निर्माण

3847. श्री सोमजीभाई डाम्मोर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मस्जिद मोठ गांव (उदय पार्क) में चल रहे अवैध निर्माण के बारे में कोई जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इसमें लिप्त अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) दोषी व्यक्तियों और कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग). दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि ग्राम मस्जिद मोठ (उदय पार्क) में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की गई हैं। तथापि, इस गांव में दो अनधिकृत निर्माणों के बारे में एक शिकायत मिली थी। जांच-पड़ताल के बाद 11 कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिये गए तथा उन्हें अपने वर्तमान तैनाती स्थानों से हटाया गया। अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध दिल्ली नगर निगम द्वारा डी.एम. सी. एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती हैं।

तेल उत्पादों का अपव्यय

3848. श्री राजकेशर सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण करवाया है कि देश में तेल उत्पादों का कितना अपव्यय हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या पेट्रोलियम संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए तथा तेल संरक्षण के सम्पूर्ण क्षेत्र को महत्व देने के लिए कोई नीति अपनाई गई है या तैयार की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). जी, हां। पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग में व्यर्थ क्रियाकलापों पर नियंत्रण करने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपनाए जाने वाले संरक्षण प्रयासों के तरीकों और साधनों का पता लगाने के उद्देश्य से एक अंतःमंत्रालयीन कार्य दल ने एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन से पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण के लिए परिवहन क्षेत्र में 20 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में 25 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र में 30 प्रतिशत और घरेलू क्षेत्र में 20 प्रतिशत तक संभाव्यता का पता लगा है।

(ग) और (घ). सरकार ने परिवहन, औद्योगिक, कृषि और घरेलू क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों के लिए संरक्षण उपायों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन उपायों में परिवहन क्षेत्र में ईंधन क्षमता और प्रशिक्षण कार्यक्रम में वृद्धि करने के लिए अनुकूल उपायों और क्रियाकलापों को अपनाना, औद्योगिक क्षेत्र में बायलरों का आधुनिकीकरण, भट्ठियों और तेल से चलने वाले अन्य उपस्करों से प्रतिस्थापन और ईंधन कुशल क्रियाकलापों और उपस्करण का संवर्धन, कृषि क्षेत्र में ईंधन कुशल सिंचाई पंपसेटों का मानकीकरण और विद्यमान पंपसेटों को और अधिक ईंधन कुशल बनाने के लिए उनमें सुधार करना और गृहस्थ क्षेत्र में मिट्टी के तेल और एल पी जी स्टोवों जैसे ईंधन कुशल उपस्कर और उपकरणों के उपयोग का विकास और संवर्धन शामिल है। पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए तेल रिफाइनरियों ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत नियंत्रण उपस्करों और प्रक्रिया नियंत्रण तकनीकों का उपयोग, कम कुशलता वाली भट्ठियों, बिजली उत्पन्न करने वाले उपस्करों का उन्नयन किया है/योजना बनाई है और भाप खपत, भाप रिसने और कंडेनसेट निकासी, संयुक्त ऊर्जा परीक्षण आदि पर विशेष ध्यान दिया है।

सरकार ने पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पी सी आर ए) की स्थापना भी की है, जो पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नोडल उत्प्रेरक एजेंसी के रूप में काम करता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बकाया पद

3849. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के विभागों में वर्ग-वार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बकायां पद हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस वर्ष बकाया पदों पर विशेष भर्ती हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा वर्ग-वार कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए छठे विशेष भर्ती अभियान, 1996 के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार के विभागों ने अभी तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की निम्नलिखित बकाया रिक्तियां सूचित की हैं:-

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह क	151	112
समूह ख	164	118
समूह ग	2127	1932
समूह घ	578	1280

विशेष भर्ती अभियान, 1996 के अन्तर्गत, सभी विभागों को 31.3.1997 तक बकाया रिक्तियों को भरने के लिये कहा गया है।

[हिन्दी]

फ्लैटों का आवंटन

3850. श्री ललित उरांव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संसद सदस्यों की संख्या कितनी है जिन्होंने 1992 के बाद अब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में आवेदन किया है;

(ख) संसद सदस्यों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) कितने संसद सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर फ्लैट आवंटित किए गए हैं; और

(घ) शेष संसद सदस्यों को ये फ्लैट कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). डीडीए ने बताया है कि संसद सदस्यों से प्राप्त आवेदनपत्रों तथा उन्हें आवंटित किए गए फ्लैटों के संबंध में अलग से कोई रिकार्ड उनके द्वारा नहीं रखा जाता है। उनकी विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत संसद सदस्यों सहित सभी आवेदकों/पंजीकृत व्यक्तियों को समान आधार पर फ्लैटों का आवंटन किया जाता है।

(ग) और (घ). भारत सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार संसद सदस्यों को प्राथमिकता आधार पर आबंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, यदि कोई संसद सदस्य मार्गनिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता/बिना बारी आधार पर आवंटन के लिए पात्र है, तो ऐसे आवंटन के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा तदनुसार विचार किया जाना है।

[अनुवाद]

रोबोट

3851. श्री अशोक प्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने एक कम्पनी के सहयोग से परमाणु तथा अंतरिक्ष संस्थानों में प्रयुक्त किए जाने वाले कोई "रोबोट" विकसित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह "रोबोट" विकसित करते समय विदेशी उपक्रम भी प्रयोग में लाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर खर्च राशि का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), ट्राम्बे ने सरकारी क्षेत्र की एक कम्पनी मैसर्स एच एम टी लिमिटेड, बंगलौर के साथ मिलकर एक उन्नत बाइलैटरियल मास्टर्स स्लेव सर्वो मेनिपुलेटर-एक टेलिरोबोटिक प्रणाली विकसित की है। इस प्रणाली का उपयोग परमाणु संस्थापनाओं में किया जा सकता है और इसमें अंतरिक्ष युक्तियों में अनुप्रयोग किए जाने की भी संभाव्यता है।

(ग) इस टेलिरोबोटिक प्रणाली में उपयोग किए गए सभी संघटक और उप-प्रणालियों का विनिर्माण स्वदेशी रूप में किया गया है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) तीन जोड़े सर्वो-मेनिपुलेटरों के विकास, उत्पादन और कमीशन करने पर किया गया व्यय लगभग 162.30 लाख रुपए है। (करो, शुल्कों आदि को छोड़कर)।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

3852. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने ल्यूब्रिकेन्ट द्रव्य के उत्पादन के लिए अमेरिका की लसक्सोन कंपनी के साथ पचास प्रतिशत-भागीदारी के संयुक्त उद्यम का समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो रसोई गैस के समानान्तर विपणन सहित ल्यूब्रिकेन्ट के मिश्रण और विपणन के संबंध में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संयुक्त उद्यम से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को ल्यूब्रिकेन्ट उद्योग में अपनी बाजार भागीदारी में सुधार कर पाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. ने स्नेहकों के निर्माण के लिए मैसर्स एक्सोन, यू एस ए के साथ अभी तक संयुक्त उद्यम में प्रवेश नहीं किया है।

(ख) और (ग). हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. ने एल पी जी के आयात तथा विपणन के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 50:50 की संयुक्त उद्यम कंपनी तैयार करने के लिए मैसर्स एक्सोन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. ने भारत में एस्सो ब्रान्ड के स्नेहकों के मिश्रण तथा विपणन के लिए एक्सोन के साथ एक तकनीकी-सह-विपणन सहयोजन करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

पंचायती राज

3853. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 नवम्बर, 1996 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "फलॉड पंचायती राज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). जी, हां। भारत सरकार का यह प्रयास रहा है कि पंचायती राज प्रणाली को स्थानीय स्वशासन में लोगों की भागीदारी के लिए अधिक कारगर और उत्तरदायी व्यवस्था के रूप में बनाया जाए।

फ्लैटों का निर्माण

3854. श्री एन.जे. राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण दिल्ली के पिंजर पोल आवासीय परिसर में सरकारी अधिकारियों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल कितने फ्लैट बनाये गये हैं;

(ख) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और ये फ्लैट कब बनाये गए;

(ग) अब तक कितने फ्लैट आवंटित किए गए हैं और वर्तमान में कितने फ्लैटों का अब तक कब्जा नहीं लिया गया है;

(घ) इन फ्लैटों का आवंटन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) शेष फ्लैटों का आवंटन कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(च) इन फ्लैटों में पेयजल की समस्या का कब तक समाधान कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) के.लो. नि.वि. द्वारा दक्षिणी दिल्ली में पिंजरापोल परिसर, टाइप'-IV (विशेष) के 256 क्वार्टरों का निर्माण किया गया है।

(ख) उपर्युक्त 256 क्वार्टरों का निर्माण वर्ष 1993-94 के दौरान किया गया तथा उनके निर्माण पर 877.53 लाख रुपए की राशि खर्च की गई।

(ग) से (ङ). अभी फ्लैटस पात्र व्यक्तियों को आवंटित कर दिए गए हैं।

(च) इन फ्लैटों में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है।

राष्ट्रीय विद्युत विकास निधि

3855. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन ने उपभोक्ताओं से उपकर एकत्रित करके राष्ट्रीय विद्युत विकास निधि स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). उपभोक्ताओं से उपकर एकत्र करके राष्ट्रीय विकास निधि स्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा किसी भी औपचारिक प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की गई है। तथापि, एन.टी.पी.सी. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर ऐसी निधि स्थापित करने का सुझाव दिया है।

दिल्ली नगर कला आयोग

3856. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली शहरी कला आयोग ने ऐतिहासिक महत्व के कई भवनों तथा स्मारकों के निकट गगनचुंबी भवनों के निर्माण की अनुमति दी है जिसके फलस्वरूप इनमें मैदानी दृश्यता में बाधा उत्पन्न होती है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग). दिल्ली नगर कला आयोग से आकाशीय परिदृष्य अथवा भू-मंडलीय सौन्दर्यपरक गुण वाले माहौल की दृष्टि से स्थानिक निकायों से प्राप्त प्रस्तावों की छटाई, स्वीकृति अथवा संशोधन की अपेक्षा होती है। तथापि, भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सूचना दी है कि डी एल एफ भवन, एन.डी.एम.सी. भवन, पार्क होटल, और भारतीय स्टेट बैंक के तीन भवन जन्तर-मन्तर के इलाके में बन गये हैं और इस बावत प्रेस और मिडिया के अतिरिक्त गैर-सरकारी संगठन और व्यक्तिगत रूप से आलोचनाएं हो रही हैं। तथापि, दिल्ली नगर कला आयोग ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक का भवन दिल्ली नगर कला आयोग के गठन के पहले से ही बन गया था। जहां तक अन्य भवनों का प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा व्यक्त किये गये निर्धारित प्रावधानों और विचारों वाले प्रस्तावों को दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।

सरकारी कर्मचारी

3857. श्री सौम्य रंजन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो बाद में विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं, को भारत सरकार से पेंशन लेने से वंचित कर दिया जाता है;

(ख) क्या भारतीय नागरिकों को विदेशी पेंशन से भी वंचित कर दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) जहां तक केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 तथा रेलवे कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में लागू संगत नियमों से शासित केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों का संबंध है, वे विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारत सरकार की पेंशन प्राप्त करने से वारित नहीं हैं। फिर भी, सेना के लिए पेंशन विनियमन के उपबंधों तथा नौ सेना और वायु सेना के संगत उपबंधों के अनुसार जब कोई पेंशनभोगी किसी विदेशी राज्य का नागरिक बन जाता है तो सरकार मामले के पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् पेंशन रोकने/समाप्त करने का निर्णय ले सकती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टीशू कल्चर

3858. श्री सुशील चन्द्र : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टीशू कल्चर प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों, फलों आदि के उत्पादन के बारे में क्या प्रयोग किए गए हैं;

(ख) टीशू कल्चर संस्थानों के अंतर्गत अनुमानित कितना क्षेत्र लाया गया है, और इस प्रणाली के प्रचार हेतु इन संस्थानों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या टीशू कल्चर प्रणाली पारम्परिक प्रणाली की तुलना में सस्ती अथवा महंगी है;

(घ) क्या किसानों के लिए इस प्रणाली को ग्रामीण स्तर पर कृषक द्वारा अपना सकना सम्भव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उन देशों के नाम क्या हैं, जहां बड़े पैमाने पर टिशू कल्चर प्रणाली अपनाई गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). फलों, सब्जियों, संजावटी पादपों तथा वृक्षों सहित फसलों के सुधार के लिए पादप टीशू कल्चर का प्रयोग किया गया है। अपेक्षित गुणों सहित रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए प्रोटोकोलों का विकास/मानकीकरण करने के लिए अनुसंधान किए गए हैं। विभिन्न सरकारी एजेन्सियों की सहायता से कई अनुसंधान तथा शैक्षिक संस्थान टीशू कल्चर कार्य कर रहे हैं। देश में 51 व्यापारिक टीशू कल्चर यूनिटें कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे तथा टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा स्थापित दो टीशू कल्चर प्रायोगिक संयंत्र सुविधाओं ने देश में 1200 हेक्टेयर के क्षेत्र में 25 लाख पादपकों की आपूर्ति की है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रकाशनों, प्रदर्शनियों तथा फिल्मों के द्वारा पर्याप्त प्रचार किया गया है।

(ग) से (ङ). पारम्परिक उत्पादन प्रणाली की तुलना में टीशू कल्चर के द्वारा पादपकों की उत्पादन लागत प्रायः अधिक होती है। तथापि टीशू कल्चर से उगाए गए पादपों की रोपण सामग्री की गुणवत्ता, उपज तथा आमदनी अधिक होती है। किसानों के लिए अपने खेतों में टीशू कल्चर से उगाए गए पादपों का प्रयोग करना सम्भव है। केला, इलायची, वनीला जैसी कुछ फसलों में इस प्रौद्योगिकी को व्यापारिक स्तर पर अपनाया गया है।

(च) नीदरलैंड, यूके, यूएसए, जापान तथा भारत सहित-यूरोप, मध्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ अन्य देशों में पुष्प कृषि तथा बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए टीशू कल्चर तकनीकों को व्यापारिक स्तर पर अपनाया गया है।

[हिन्दी]

भूमि घोटाला

3859. श्री रामसागर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एवं दादरी में विभिन्न भूमि घोटालों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन घोटालों की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वी. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ङ). उत्तर प्रदेश सरकार से मिली सूचना के अनुसार, नोएडा/ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में भूमि संबंधी कुछ अनियमितताएं राज्य सरकार के ध्यान में आयी हैं। इन अनियमितताओं और उन पर की गयी कार्यवाही के ब्यौरे विवरण-I और II में है।

विवरण-I

नोएडा/ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण

	शिकायत	कार्यवाही
1.	अखबारों में छपा था कि यामाहा सहकारी समिति ने बड़ोला गांव में कृषि भूमि खरीद ली है और उसको अवैध रिहायशी कालोनी के रूप में विकसित करने की कोशिश में है।	नोएडा प्राधिकरण ने निर्माण कार्य रोक दिया है और मामला न्यायाधीन है।
2.	हिण्डन विहार सहकारी समिति ने बड़ोला गांव में कृषि भूमि खरीदी और उस भूमि को नाजायज तरीके से उत्तर प्रदेश भूमि विकास अधिनियम, 1950, की धारा 143 के तहत "रिहायशी भूमि" घोषित करा कर वहां निर्माण कार्य शुरू करने की कोशिश की है।	जमीन पर ये निर्माण कार्य रोक दिये गये हैं तथा धारा 143 के तहत एकपक्षीय अधिघोषणा को मन्सुख कर दिया गया है।
3.	अखबारों में छपा था कि पिछले 15 सालों में नोएडा प्राधिकरण के पूर्व अधिकारियों ने लाल डोरा की 180.97 एकड़ खाली जमीन, जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपये है, यों ही छोड़ रखी थी और यह घोटाला उत्तर प्रदेश शासन की फाइलों में 1990 में दबा पड़ा रहा है।	मामले की कमिश्नर भूमि अधिग्रहण निदेशालय राजस्व परिषद द्वारा जांच की गयी, जिसने वर्ष 1994 में राज्य सरकार को एक तथ्य परख रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के आधार पर कमिश्नर तथा निदेशक (भूमि अधिग्रहण) के नेतृत्व में एक जांच समिति बनायी गयी है, जिनके द्वारा अभी रिपोर्ट पेश की जानी है।
4.	अखबारों में छपा था कि नोएडा द्वारा महत्वपूर्ण स्थल पर रिहायशी भूखण्ड प्रभावशाली व्यक्तियों तथा उच्च अधिकारियों को आवंटित कर दिये गये हैं।	राज्य सरकार ने मामले में जांच के आदेश दे दिये हैं।

विवरण-II

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

	शिकायत	कार्यवाही
	1	2
1.	श्री राजेन्द्र सिंह, क्लर्क, के खिलाफ शिकायत थी कि उसने गलत बयानी करके झूठी रिपोर्ट देकर एक ऐसे मकान को पुनः अलॉट किया, जो पहले से ही शिकायतकर्ता के नाम आवंटित था और जिसके मूल आबंटन को अवैध रूप से रद्द कर दिया गया था।	क्लर्क को आरोप पत्र देकर निलम्बित कर दिया गया है। जांच चल रही है।

1	2
2. भूखण्ड के आबंटन के लिए ड्रा में अनियमितता की शिकायतें मिलीं।	कथित अनियमितता के लिए जिम्मेदार सहायक प्रोग्रामर श्री राजीव कुमार गोयल को निलम्बित कर दिया गया है तथा जांच विचाराधीन है।
3. बिल्डिंग प्लान की मंजूरी में अनियमितता बाबत शिकायत मिली।	भूमि उपयोग बाबता गलत रिपोर्ट देने के लिए जिम्मेवार अमीन श्री औमदत्त तिवारी जूनियर इंजीनियर, श्री मनोज कुमार तिवारी सहायक इंजीनियर श्री बी.एम. गोयल, तथा सहायक इंजीनियर श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा को निलम्बित कर दिया गया और जांच के आदेश दे दिये गये। श्री मनोज कुमार तिवारी के मामले में सजा के रूप में दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोक दी गयी है और उनकी चरित्र पंजिका में विपरीत टिप्पणी दर्ज की गयी हैं। इसी प्रकार श्री औमदत्त तिवारी के मामले में भी विपरीत टिप्पणी करते हुए दो वेतन वृद्धियां रोक दी गयी है। जहां तक सहायक इंजीनियर श्री बी.एम. गोयल और श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा की बात है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के तहत समुचित दण्ड का मामला राज्य सरकार को भेजा गया है।
4. टेलीफोन पर सूचना मिली थी कि वाणिज्यिक अनुभाग की एक महत्वपूर्ण फाइल संबंधित क्लर्क ने गुम कर दी है।	शिकायत मिलने पर संबंधित क्लर्क श्री अनिल कुमार त्यागी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गयी और उसे निलम्बित भी कर दिया गया तथा जांच के आदेश दिये गये हैं, जो अभी चल रही है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 के अधिकारी

3860. श्री दिनशा पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 के अधिकारियों की दस वर्ष से अधिक सेवा अवधि के पश्चात् भी उप सचिव के पद पर पदोन्नति नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के लिए इन पदों पर पदोन्नति संबंधी पैनल को कब तक जारी कर दिया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग). अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अधिकारियों की वरिष्ठता के संबंध में 1987 से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/उच्चतम न्यायालय में मुकदमा चलने के कारण अवर सचिव ग्रेड में नियमित नियुक्तियां करना संभव नहीं हुआ है तथा इसके परिणामस्वरूप, सेलेक्शन ग्रेड प्रवर सूची (उप सचिव ग्रेड) भी निकालना संभव नहीं हुआ है। अवर सचिव ग्रेड में प्रोन्नति करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठकें बुलाई जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है।

इंडियन आयल कारपोरेशन

3261. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कार्पोरेशन के वर्तमान में कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालयों (विपणन विभाग) की संख्या कितनी है तथा ये कहां-कहां स्थापित हैं;

(ख) इन प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों में श्रेणी-वार तैनात अफसरों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या गोहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों की तुलना में बहुत कम कर्मचारी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गोहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों की तरह दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) फिलहाल इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. के विपणन प्रभाग में चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें से दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और चेन्नई प्रत्येक में एक-एक है।

(ख)	उत्तरी क्षेत्र दिल्ली	पूर्वी क्षेत्र कलकत्ता	पश्चिमी क्षेत्र मुम्बई	दक्षिणी क्षेत्र चेन्नई
अधिकारी	298	268	244	228
कर्मचारी	425	506	481	384

(ग) से (च). आई ओ सी के विपणन प्रभाग का गुवाहाटी में कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। इसका वहां एक डिवीजनल कार्यालय है जो आई ओ सी के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। कार्पोरेशन ने विभिन्न राज्यों की राजधानियों में अपने डिवीजनल कार्यालयों को शक्तिप्रदत्त डिवीजनल कार्यालयों (ई डी ओ) में परिणत करने की कार्ययोजना आरंभ की है। बेहतर और कुशल ग्राहक सेवाएं उपलब्ध कराने के परम उद्देश्य से पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए गुवाहाटी में भी पूर्णरूपेण शक्तिप्रदत्त डिवीजनल कार्यालय खोलने का कार्य पहले से ही आरंभ हो गया है।

अवैध निर्माण

3862. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा अफसर मस्जिद मोठ गांव (उदय पार्क के नजदीक) बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कर रहे हैं;

(ख) क्या इन भवनों के स्वामित्व अधिकार के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने की सोच रही है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख). दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि मस्जिद मोठ गांव (उदय पार्क के समीप) में राजनीतिज्ञों व नौकरशाहों के कोई ऐसे मामलों की जानकारी उनको नहीं है।

(ग) जब कभी भी अवैध निर्माण का पता चलता है। जानकारी मिलती है तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाती है।

कृषि क्षेत्र हेतु विद्युत शुल्क

3863. श्री जोआचिम बक्सला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फार्म क्षेत्र के लिए विद्युत आपूर्ति पर न्यूनतम शुल्क लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बारे में योजना नीति निर्माताओं तथा राज्य सरकारों के बीच सहमति हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ). विद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने तथा इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से 16 अक्तूबर, 1996 तथा 3 दिसम्बर, 1996 को आयोजित विद्युत क्षेत्र के संबंध में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र में सुधार लाना, यूटिलिटियों का कार्यनिष्पादन, कृषि टैरिफ आदि सहित टैरिफ का यौक्तीकरण किया जाना शामिल थे। मुख्य मंत्रियों/ऊर्जा मंत्रियों द्वारा सुझाए गए विभिन्न सुझावों के आधार पर कार्य योजना को अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता है।

फ्लैटों का अंतरण

3864. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 से आवासों का अंतरण लोक सभा सचिवालय को कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार आर.के.पुरम और दिल्ली के अन्य भागों में बन रहे आवासों की आवश्यक संख्या लोक सभा सचिवालय पूल को हस्तांरित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) उपर्युक्त उत्तर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (ङ). सामान्य पूल में, जहां 13 से 18 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी विभिन्न श्रेणी के आवास आबंटन की प्रतीक्षा में हैं। मकानों की कमी को देखते हुए इस समय आर.के. पुरम में बन रहे मकानों में से कोई भी मकान लोक सभा सचिवालय पूल को अन्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हिल्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन

3865. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की हिल्ट्रॉन यूनिटों के बंद होने और उत्पादन रोकने के क्या कारण हैं;

(ख) इनमें कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का उक्त यूनिटों का पुनरूद्धार करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ). इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत हिल्ट्रॉन की इकाइयां भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं हैं।

रसोई गैस सिलेन्डरों को अन्यत्र भेजा जाना

3866. श्री राम नाईक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के निर्देश पर इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा सितम्बर/अक्तूबर, 1996 के दौरान रसोई गैस के भरे हुए सिलेंडरों को प्राथमिकता के आधार पर भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इसके लिए अन्य राज्यों हेतु की जाने वाली आपूर्ति को चेन्नई भेज दिया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने तमिलनाडु को रसोई गैस की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्णय किया है, और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). एल पी जी सिलेंडरों का राज्य के भीतर परिवहन संभार तंत्र को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अन्य राज्यों में स्थित भरण संयंत्र सामान्य रूप से समीपवर्ती राज्यों में भी एल पी जी से भरे सिलेंडरों की आपूर्ति कर रहे हैं, ताकि उद्योग की आपूर्ति योजना के अंतर्गत आवश्यकता पूरी की जा सके। बैकलाग को पूरा करने के लिए भी समीपवर्ती क्षेत्रों/राज्यों में भरण संयंत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में उत्पादन भेजा जाता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

टपकती छत

3867. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 सितम्बर, 1996 को "पायनियर" में प्रकाशित समाचार "विज्ञान भवन रूफ लीकिंग" की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी हां।

(ख) मामले की जांच की गयी और यदाकदा स्थानों पर छत में रिसाव पाया गया। इस रिसाव का कारण, विभिन्न कारकों यथा बेमेल नालीदार चद्दरें, निर्माण के दौरान मजदूरों तथा तदोपरान्त सुरक्षा कार्मिकों की अत्यधिक आवाजाही की वजह से होने वाली विभिन्न बाधाओं का मिलाजुला प्रभाव है। इस समस्या का विस्तृत अध्ययन करने के बाद मंत्रालय ने उपचारात्मक उपाय करने के बारे में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की मंजूरी दी है तथा उन कमियों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

3868. श्री भीमराव विष्णु जी वडाडे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अगस्त, 1996 के "दैनिक जागरण" (दिल्ली संस्करण) में "दिल्ली विकास प्राधिकरण में कुप्रबंधन और तकनीकी खामियों के कारण भारी वित्तीय घाटा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उनके संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) वस्तु स्थिति विवरण में दी गई है।

(ग) डी.डी.ए. ने दोषी अधिकारियों पर निम्न प्रकार कार्रवाई की है/जुर्माना लगाया है।

(1) एक कार्यकारी इंजीनियर के वर्तमान वेतनमान को दो साल के लिए तीन स्तर नीचे घटा दिया गया।

(2) एक सहायक इंजीनियर को 5 साल की अवधि के लिए निम्नतम ग्रेड में रख दिया गया, इससे उसकी भावी वेतनवृद्धि प्रभावित नहीं होगी।

(3) दो जूनियर इंजीनियरों को तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नतम ग्रेड में रख दिया गया है।

(4) एक सहायक इंजीनियर को दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नतम ग्रेड में रख दिया गया है।

विवरण

1. सरिता विहार के पाकेट एफ और जी में श्रेणी-II और श्रेणी-III के 280 मकान 168 सेक्टर गराजों के साथ बनाने का काम 2 समूहों अर्थात समूह-I व समूह-II में बांटकर दिसम्बर, 1984 और मई, 1985 में ठेकेदार को सौंपा गया था। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक इंजीनियर तथा जालन्धर के सीवरेज सर्किल, जहां ठेकेदार ने 11 लाख से 12 लाख रुपये के बीच के 3 आवास निर्माण कार्यों को अंजाम दिया था, ने इन निर्माण कार्यों के सम्पादन में ठेकेदार के रूप में संतोषजनक निष्पादन दिया था। स्टेट बैंक आफ इंडिया की जालन्धर शाखा ने भी 50 लाख रुपये के कारोबार बाबत संतोषजनक वित्तीय प्रमाण-पत्र दिया था। अतः जाहिर है कि काम सौंपने से पूर्व ठेकेदार के निष्पादन का भलीभांति जायजा लिया गया था। यहां के निर्माण कार्य को असंतोषजनक पाया गया और मार्च, 1987 से ठेका रद्द कर दिया गया।

दिसम्बर, 1986 में नौका मुआयना के समय ठेकेदार को विभाग द्वारा दिया गया स्टील मौके पर कम पाया गया। इसकी रिपोर्ट दिसम्बर, 1986 में पुलिस में दर्ज करायी गयी। जिस पर ठेकेदार ने मार्च, 1988 में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने सामग्री के मौके पर सत्यापन के लिए स्थानीय कमिशनर को नियुक्त किया। जिसने न्यायालय को रिपोर्ट पेश कर दी।

माननीय न्यायालय ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए ठेकेदार ने मध्यस्थ द्वारा की गयी अनेक सनवाइयों में न तो खुद भाग लिया और न सहयोग दिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण के दावे में एक सुरक्षित पेशगी, सामग्री का कम पाया जाना, विभागीकृत निर्माण कार्य में अधिक जोखिम होना बनाम ठेकेदार की लागत आदि आम मूल्यवृद्धि के कारण लागत वृद्धि आदि शामिल हैं। मध्यस्थ ने अपना फैसला अभी तक नहीं दिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण का मध्यस्थ को समुचित निर्देश दिये जाने को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से प्रार्थना की है। इस प्रार्थना पर माननीय न्यायालय में अभी सुनवायी नहीं हुई है। मामला न्यायाधीन है।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1989 से 1992 के बीच बसन्त कुंज के सैक्टर वी के पाकेट 5 व 6 में 630 स्व-वित्त पोषित मकान बनाये थे। दिल्ली नगर निगम ने आवास पाकेट को जल आपूर्ति स्कीम को इस शर्त के साथ मंजूर किया था कि जब तक नगर निगम इसे जल आपूर्ति का प्रबन्ध नहीं हो जाता, तब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण जल के लिए अंतरिम व्यवस्था करेगा। तदनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1991-92 में जल आपूर्ति की अंतरिम व्यवस्था हेतु फिल्टरों, पम्प हाऊसों, और मोटर पम्पों व अन्य सज्जा के साथ 4 नलकूपों का निर्माण किया।

स्थापित नलकूपों को जमीन से अधिक मात्रा में पानी निकालने के लिए आम इंजीनियर परम्परा के अनुसार और गहरा किया गया। ये नलकूप जल आपूर्ति की व्यक्तिगत व्यवस्था से जुड़े हैं, जिनके साथ इस पाकेट में औसतन 50 से 60 फ्लैटों को जल प्रदायक का सीमित कमान एरिया है। जब कभी नलकूपों से कम पानी निकलेगा या पानी पीने योग्य नहीं होगा तो उस पानी को बागवानी के काम में ले लिया जाएगा। इस प्रकार इन पर किया गया खर्च "फिजूल" नहीं जा सकता।

[हिन्दी]

भूमि का आवंटन

3869. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के अनुसार बंद किये जाने वाले लघु औद्योगिक इकाईयों को भूमि के आवंटन के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में लघु उद्योग महासंघ, दिल्ली के पदाधिकारियों से कुछ अभ्यावेदन, अथवा अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और कुछ नये औद्योगिक क्षेत्रों में इन लघु औद्योगिक इकाइयों को कब तक भूमि आवंटित कर दी जायेगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली सरकार ने सूचना दी है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार दिल्ली सरकार, दिल्ली के रिहायशी/प्रतिकूल क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों के पुनःस्थापन हेतु विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्लाटों को विकसित कर रही है और फ्लैट वाले फैक्ट्री परिसरों का

निर्माण कर रही है। प्रभावित यूनिटों को झिलमिल ताहिरपुर, झिलमिल, ओखला, पटपडगंज, बादली और नरेला, जहां, फ्लेट वाली फैक्टियां बनायी जानी प्रस्तावित हैं, के कार्य कर रहे औद्योगिक एस्टेटों में भेजना प्रस्तावित है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रभावित यूनिटों के पुनःस्थापन हेतु प्रस्तावित राजमार्गों के आस-पास उत्तरी दिल्ली में विकसित किये जाने वाले नये औद्योगिक एस्टेटों में भी औद्योगिक प्लॉट/फ्लैट निर्मित किये जाने प्रस्तावित हैं। उपर्युक्त इलाकों में प्लाटों/फ्लैटों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं?

(ग) और (घ). दिल्ली लघु उद्योग महासंघ से कोई अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि,, 70, शिवाजी मार्ग औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-15 के कार्यालय वाले "लघु उद्योग भारती" से दिल्ली में प्रतिकूल क्षेत्र में चल रहे उद्योगों को बन्द करने बाबत उच्चतम न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करने बाबत एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ङ) उत्तर, उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर की तरह है।

[अनुवाद]

एस्सार तेल शोधन कारखाना

3870. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम और वित्त मंत्रालय द्वारा तेल शोधन कारखानों के लिए निर्धारित मूल्य प्रक्रिया को बंद किए जाने पर जोर दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या एस्सार तेल कंपनी ने 12 से 15 प्रतिशत कर पश्चात् लाभ में वृद्धि हेतु निर्धारित मूल्य प्रक्रिया संबंधी फार्मूले में संशोधन की मांग करते हुए 9 एम एम टी पी तेल शोधनशाला की स्थापना की है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में एस्सार तेल कंपनी के चेयरमैन का पत्र मंत्रालय को प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो पत्र में किन मुख्य मुद्दों का उल्लेख किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार ने निर्धारित मूल्य प्रक्रिया संबंधी फार्मूले पर एस्सार तेल कंपनी को समीक्षा पर विचार किया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ). सरकार ने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रबंधन तथा शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थाओं से अग्रणी विशेषज्ञों को सदस्यों के रूप में लेकर राष्ट्रीय तेल उद्योग की पुनर्संरचना के लिए एक "कार्यनीतिक योजना दल" गठित किया था। इस दल को तेल उद्योग की पुनर्संरचना के लिए अपेक्षित नीति संबंधी लक्ष्यों तथा प्रयासों को पूरा करने के लिए अंतिम सिफारिशें करनी थी ताकि एक वित्तीय रूप से ठोस एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र विकसित करने के आधारभूत कार्यनीतिक लक्ष्य पूरे किए जा सकें। अध्यक्ष, एस्सार आयल, जो इस दल के सदस्य भी हैं, ने कुछ एक सुझाव दिए थे, जिन पर भी इस दल द्वारा विचार किया जाना था। दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन का रख-रखाव

3871. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन के रख-रखाव पर वार्षिक अनुमानित कितना व्यय किया जाता है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : "राष्ट्रपति भवन" तथा "संसद भवन" की मरम्मत पर हुआ अनुमानित वार्षिक व्यय निम्न प्रकार से है :-

	(रुपये लाखों में) लगभग
राष्ट्रपति भवन	415
संसद भवन	250

(इस व्यय में सिविल कार्य और विद्युत कार्य दोनों शामिल हैं।)

डेरी उत्पादों में निवेश

3872. श्री संदीपान थोरात : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से डेरी उत्पादों में निवेश करने के संबंध में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) देश में आइसक्रीम और अन्य दुग्ध उत्पादों के संबंध में वर्तमान वृद्धि दर क्या है; और

(ग) अच्छे उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डेरी उत्पादों के उत्पादन हेतु निर्धारित आयोजना नीति का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) सरकार को दूध और दूध उत्पादों में विदेशी निवेश हेतु नवम्बर, 96 तक 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). उपभोक्ता उत्पाद होने के कारण दूध उत्पादों समेत प्रसंस्कृत खाद्यों की मांग, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी, कच्चे माल की उपलब्धता आदि जैसी विभिन्न बातों पर निर्भर करेगी। हालांकि कोई सर्वेक्षण विशेष नहीं किया गया है परन्तु यह उद्योग पिछले सालों में निरन्तर विकास कर रहा है। सरकार ने दूध उत्पादों समेत अधिकतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करने, विकासात्मक योजना स्कीमें चलाने आदि जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

भूतपूर्व मंत्रियों/भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए आवास व्यवस्था

3873. श्री प्रमोद महाजन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अगस्त, 1996 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "गौडा वान्ट्स टू एकमोडेट फार्मर मिनिस्टर्स, एम.पीज नाऊ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). जी, हां। समाचार में बताई गई किसी समिति का सरकार द्वारा गठन नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डी.डी.ए. फ्लैटों की स्थिति

3874. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 दिसम्बर, 1996 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में डी.डी.ए. "एस. डिफैक्टिव गुड्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) भविष्य में फ्लैटों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन फ्लैटों, जिनकी बालकोनियों और छतें टूट गई हैं और दीवारों में दरारे पड़ गई हैं तथा फ्लैट धंस गए हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित समाचार की तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है अतः किसी जांच तथा इसके परिणाम का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) डी.डी.ए. द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य उन मानक मानदंडों तथा विनिर्देशों के अनुरूप है जिनका अनुपालन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। प्राधिकरण के निर्माण कार्यों का निरीक्षण मुख्य इंजीनियर की अध्यक्षता में आन्तरिक गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष द्वारा समय-समय पर किया जाता है। इसके अलावा, केन्द्रीय जांच आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा भी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है।

जलापूर्ति/स्वच्छता

3875. श्री संतोष मोहन देव :

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता प्रणाली के रख-रखाव के संबंध में तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यशाला में किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) सरकार द्वारा कार्यशाला में दिए गए सुझावों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 24 अक्तूबर, 1996 को हुई इसकी बैठक में ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता प्रणाली के संचलन और रखरखाव संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशों को विचार हेतु प्रस्तुत किया गया था और त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों ने संचलन और रखरखाव कार्यशाला की सिफारिशों को मान लिया है। त्रिपुरा सरकार इन सिफारिशों को मापने से पूर्व इनकी विस्तार से जांच करना चाहती थी।

विवरण

ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणाली के संचलन और रखरखाव पर राष्ट्रीय कार्यशाला द्वारा की गई सिफारिशें ये हैं:—

(क) कार्यान्वयन हेतु नीतिगत ढांचा शुरू करना, वित्तपोषण हेतु संसाधन जुटाना और परिसम्पत्तियां सृजित करने वाले समुदाय द्वारा स्वामित्व हासिल करने के उद्देश्य से लागत की वसूली करना तथा प्रभावी संचलन एवं रखरखाव गतिविधियों हेतु निधियां सुनिश्चित करना।

(ख) निचले स्तरों पर प्रभावशाली और विश्वसनीय संचलन एवं रखरखाव के उद्देश्य से नीतिगत ढांचे के कार्यान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय को शक्तियां देना और उनका संस्थागत स्वरूप प्रदान करना।

(ग) संचलन एवं रखरखाव गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण हेतु नीतिगत मार्गदर्शिकाएं तैयार करना।

(घ) व्यापक प्रशिक्षण/मानव संसाधन विकास और सूचना शिक्षा संचार कार्यक्रमों की मार्फत विभिन्न कार्यक्रमों की क्षमता में सुधार करना।

(ङ) संस्थाओं/कार्यान्वयन एजेंसियों को सुदृढ़ बनाना और उनका पुनःअभिमुखीकरण करना।

वास्तविक नियंत्रण रेखा

3876. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष एक संकल्प पारित किया था जिसमें यह बात दोहरायी गई थी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सहित पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है और अधिकृत कश्मीर को मुक्त कराया जायेगा;

(ख) क्या डा. फारूख अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद भी इसी बात की वकालत कर रहे हैं कि नियंत्रण रेखा को पाकिस्तान के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाकर राज्य के अधिकृत क्षेत्रों को पाकिस्तान के कब्जे में ही रहने दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के क्या विचार हैं और इस मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) सरकार का रूख यह है कि पाकिस्तान द्वारा अवैध कब्जे वाले क्षेत्र सहित पूरी जम्मू एवं कश्मीर राज्य तथा पाकिस्तान द्वारा इस राज्य के गैर-कानूनी ढंग से सत्तान्तरित हिस्से, भारत के अभिन्न अंग हैं। 22 फरवरी, 1994 को संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प पारित किए गए थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इसी बात को दोहराया गया था, और यह कहा गया था कि पाकिस्तान को भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य के वे इलाके खाली करने चाहिए जिन क्षेत्रों को उसने हमला करके कब्जा लिया है।

(ख) और (ग). सरकार को उन वक्तव्यों के बारे में समाचार माध्यमों में आ रही कुछ रिपोर्टों की जानकारी है जिन्हें जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बताया गया है। तथापि सरकार उपर्युक्त भाग (क) में बताई गई स्थिति पर दृढ़ है।

समुदाय आधारित केन्द्रीकृत सेवाएं

3877. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जिलों के क्या नाम हैं जहां 1995-96 के दौरान बजट आबंटन के साथ समुदाय आधारित केन्द्रीकृत सेवाओं की पायलट परियोजना शुरू की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार परियोजना के अंतर्गत जिलों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) 1995-96 के दौरान जिन जिलों में समुदाय आधारित केन्द्रीकृत सेवाओं की प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है, उनके नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। प्रत्येक जिले को 5.00 लाख रुपए आवंटित और रिलीज किए गए थे।

(ख) और (ग). वर्ष 1996-97 के दौरान 72 अतिरिक्त जिलों में समुदाय आधारित केन्द्रीकृत सेवा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। समुदाय आधारित केन्द्रीकृत सेवा कार्यक्रम हेतु, प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अनुमोदित जिलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है। जिलों का वास्तविक चयन आम पिछड़ेपन, महिलाओं में साक्षरता की कमी, उच्च शिशु मृत्यु दर और बाल श्रमिक जैसे मानदंडों के आधार पर राज्यों द्वारा किया जाएगा।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जिलों के नाम, जहां समुदाय आधारित अभिसारी सेवाएं 1995-96 के दौरान लागू की गई हैं।
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. कुडाप्पा
		2. करनूल
		3. नीजामाबाद
		4. रंगारेड्डी
		5. श्रीकाकुल्लम
2.	अरुणाचल प्रदेश	1. पूर्वी कमांग
3.	असम	1. गोलाघाट
		2. नालबाड़ी
4.	बिहार	1. पूर्वी चंपारण
		2. मुजफ्फरनगर
		3. रांची
		4. साहिबगंज
		5. सीतामड़ी
5.	गुजरात	1. बनासकांठा
		2. कच्छ
		3. सुरेन्द्र नगर
6.	हरियाणा	1. हिसार
		2. रिवाड़ी
7.	हिमाचल प्रदेश	1. चंबा
		2. शिमला
8.	जम्मू व कश्मीर	1. लेह
		2. श्रीनगर

1	2	3
9.	कर्नाटक	1. बिदर
		2. बीजापुर
		3. रायचूर
10.	केरल	1. कोल्लम
		2. तिरुवनन्तपुरम
11.	मध्य प्रदेश	1. गुना
		2. झाबुआ
		3. खरगांव
		4. मंडला
		5. शहडौल
12.	महाराष्ट्र	1. धूले
		2. गडचिरोली
		3. प्रभनी
13.	मणिपुर	1. उकरूल
14.	मेघालय	1. पूर्वी गारोहिल्स
15.	मिजोरम	1. लुंगली
16.	नागालैंड	1. मौन
17.	उड़ीसा	1. अंगुल
		2. बोलांगीर
		3. झारसुगुड़ा
		4. मयूरभंज
18.	पंजाब	1. होशियारपुर
		2. रोपड़
19.	राजस्थान	1. बरन
		2. चुरू
		3. दौसा
20.	सिक्किम	1. पूर्वी सिक्किम
21.	तमिलनाडु	1. उत्तरी आर्कोट अम्बेडकर
		2. थिरूनेवेली
22.	त्रिपुरा	1. धलाई
23.	उत्तर प्रदेश	1. बदायूं
		2. देहरादून
		3. देवरिया
		4. झांसी
		5. लखनऊ
24.	पश्चिम बंगाल	1. बांकुरा
		2. बीरभूमि
		3. पूरूलिया

विवरण–II

क्रमांक	राज्य	1996-97 के दौरान सोबीसीएस कार्यक्रम हेतु अनुमोदित जिलों को संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	4
4.	बिहार	4
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	3
7.	हरियाणा	3
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू व कश्मीर	2
10.	कर्नाटक	3
11.	केरल	3
12.	मध्य प्रदेश	3
13.	महाराष्ट्र	5
14.	मणिपुर	2
15.	मेघालय	2
16.	मिजोरम	1
17.	नागालैंड	2
18.	उड़ीसा	3
19.	पंजाब	3
20.	राजस्थान	3
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	3
23.	त्रिपुरा	2
24.	उत्तर प्रदेश	5
25.	पश्चिम बंगाल	3
26.	पांडिचेरी	1
	योग	72

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट

3878. श्री विजय हाण्डिक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की "चैंजिंग प्लान्स पापुलेशन, डेवलपमेण्ट एण्ड दि अर्बन फ्यूचर" विषयक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है तथा इसमें दिए गए सुझावों के अनुसार भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में दर्शाए अनुसार "अनप्रेसीटेण्टेड अर्बन ग्रोथ एण्ड इट्स इम्प्लीकेशन्स ऑन डेवलपिंग कंट्रीज" विषय पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रवासी निर्धनों को पर्यावरण, आजीविका और दी जाने वाली सेवाओं के स्तर में सुधार करने के लिए कोई संदर्शी योजना तैयार करने का है?

शहरी और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) शहरीकरण की समस्याओं और इसकी जटिलताओं को मान्यता देते हुए योजना आयोग और शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने शहरी परिदृश्य तथा नीति पर एक राष्ट्रीय कार्य दल गठित किया है। इस कार्यदल की सहायता के लिए तीन तकनीकी दल हैं; जो इस प्रकार हैं:—

(1) शहरी परिदृश्य तथा नीति संबंधी दल।

(2) नगर नियोजन प्रणाली, तथा

(3) शहरी अवस्थापना की वित्त व्यवस्था।

तकनीकी दलों द्वारा की गयी सिफारिशों से नवीं पंचवर्षीय योजना को शहरी विकास से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने में मदद मिलेगी।

(ग) शहरी विकास राज्य का विषय है। भारत सरकार का दायित्व इस बारे में नीतिगत दिशानिर्देश जारी करने तक सीमित है। अतः बाहर से आकर बसने वाले गरीब व्यक्तियों के जीवनस्तर, पर्यावरण स्तर और उन्हें मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं के स्तर में सुधार करने के लिए परिदृश्य योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना राज्य सरकारों का दायित्व है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामले

3879. श्री गंगा चरण राजपूत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और उन अन्य अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके विरूद्ध भ्रष्टाचार और आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार इन अधिकारियों के विरूद्ध कोई जांच कर रही है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) जांच कराने के बाद भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (घ). भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों के अधीन कार्यरत होते हैं। संबंधित सरकारें, जहां ये अधिकारी केन्द्रीय सरकार दोनों के अधीन कार्यरत होते हैं, संबंधित सरकारें, जहां ये अधिकारी काम कर रहे हैं, इन अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच-पड़ताल करने में पूर्णतया सक्षम हैं तथा आवश्यक होने पर अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1969 के तहत आगे कार्रवाई कर सकती है। राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना को केन्द्रीकृत रूप से रखा जाना अपेक्षित नहीं होता है। केन्द्रीय सरकार में, मंत्रालय/विभाग में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच-पड़ताल, प्रथम दृष्टया मामला निर्धारित करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सतर्कता नियमावली में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है क्योंकि प्रशासन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा दक्षता बनाए रखने की जिम्मेदारी मंत्रालय/विभाग के सचिव और संगठन के अध्यक्ष के पास निहित होती है। इस सूचना को इस विभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप से रखा जाना अपेक्षित नहीं होता है। केन्द्रीय सरकार में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के विरूद्ध 1.1.1994 से अब तक हमारे विभाग में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 47 थी। इन्हें जांच के लिए भेजा गया था। उपयुक्त जांच के बाद 15 शिकायतें समाप्त कर दी गई। 5 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस अवधि के दौरान 2 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों पर बरखास्तगी जैसी बड़ी शास्ति तथा तीन मामलों में लघु शास्ति लगाई गई और पांच भारतीय प्रशासनिक सेवा के कार्यरत अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अभियोजन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

गैस पर आधारित विद्युत परियोजना

3880. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अपनी गैस पर आधारित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को पर्याप्त गैस सप्लाई करने के लिए केन्द्र सरकार को अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में गैस पर आधारित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा वर्ष-वार और परियोजना-वार सप्लाई की गई गैस की मात्रा कितनी है :—

(ग) महाराष्ट्र में गैस पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं को अतिरिक्त गैस कब तक सप्लाई की जायेगी; और

(घ) देश में गैस पर आधारित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को गैस देने का क्या मानदण्ड है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में आपूर्तियां निम्नानुसार थीं :

(एम एम एस सी एम डी)

	1994-95	95-96	96-97 (नवम्बर 96 तक)
एम एस ई बी	2.69	3.17	2.94
टी ई सी	1.62	2.25	1.75

(ग) और (घ). विभिन्न गैस उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्तियां "गैस लिंकेज समिति" द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं के अनुसार समग्र उपलब्धता के आधार पर नियमित की जा रही हैं।

समुद्री-कटाव रोधी कार्यक्रम

3881. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्री-कटाव रोधी कार्यक्रम को पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के बारे में ध्यान देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) समुद्री कटाव रोधी कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के बाढ़ नियंत्रण घटक का पहले ही एक हिस्सा है।

(ख) संविधान के अंतर्गत समुद्री कटाव रोधी कार्यक्रम सहित सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण राज्य का विषय होने के कारण सभी प्रकार की स्कीमों/कार्यक्रमों की जांच, उन्हें तैयार करने, उनके निष्पादन और वित्त पोषण आदि का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य का होता है और संबंधित राज्य योजना के माध्यम से उन्हें औपचारिकता प्रदान की जाती है। उपर्युक्त के संबंध में भारत सरकार की भूमिका मुख्यतः समग्र योजना, नीति तैयार करने, समन्वय और संपूर्ण मार्ग निर्देशन तक सीमित है।

मौसम संबंधी पूर्वानुमान

3882. श्री अमर पाल सिंह :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

श्री दत्ता मेघे :

श्री के.पी. सिंह देव

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आये भीषण समुद्री तूफान तथा चक्रवात के संबंध में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा आन्ध्र प्रदेश में प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को पहले ही मौसम संबंधी पूर्वानुमान की चेतावनी दे दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत प्रदान करने हेतु उचित सुरक्षात्मक उपाय किए गए थे;

(ग) इसमें जान तथा माल की कुल कितनी हानि हुई;

(घ) सरकार द्वारा प्रभावित लोगों को राहत तथा बचाव कार्य करने हेतु क्या कदम उठाए गए और कितनी सहायता राशि प्रदान की गयी;

(ङ) क्या सरकार का विचार आपदा प्रबन्धन तंत्र का पुनर्गठन करने तथा प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी हां। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 5-7 नवम्बर, 1996 के प्रचण्ड चक्रवाती तूफान के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार, पत्तन प्राधिकरणों और जनता को सीधे संचार, मीडिया और चक्रवात चेतावनी प्रसार प्रणाली के माध्यम से अग्रिम रूप से चेतावनी जारी की गई थी। पहली चक्रवात चेतावनी 5 नवम्बर, 1996 को 15.00 बजे जारी की गई थी जो थल प्र॰ .। के लगभग 30 घण्टे पहले की गई थी।

(ख) जी हां, आंध्र प्रदेश के राहत आयुक्त ने श्रीकाकुलम और प्रकाशम के बीच के आंध्र प्रदेश के सभी तटीय जिलों के कलेक्टरों को 5 तारीख की सुबह ही सावधान कर दिया था। 5 नवम्बर और उसके बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण के लिए सायंकालीन न्यूज बुलेटिन के लिए संदेश भी जारी किये गए। एक प्रेस नोट भी जारी किया गया जो सभी मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। इसके फलस्वरूप, पूर्वी गोदावरी जिले से 1,49,150 लोगों और पश्चिमी गोदावरी जिले से 28,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले गया। सभी रक्षा सेवाओं को सावधान कर दिया गया था।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार के चक्रवात विषयक ज्ञापन के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों में जान और माल की कुल हानि निम्नानुसार हुई :—

(1) कुल मृतक संख्या 971 है और 925 व्यक्ति लापता बताए गए।

(2) 30,000 हेक्टेयर नारियल की खेती को नुकसान पहुंचा। 3.46 लाख हेक्टेयर धान और 44,000 हेक्टेयर गन्ने को नुकसान पहुंचा।

(3) 6,48,474 मकानों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 3,15,113 मकानों को पूरी तरह नुकसान पहुंचा।

(4) 19,823 जानवर और 21.98 लाख कुक्कट नष्ट हुए।

(घ) एक केन्द्रीय दल ने नुकसान के स्थल पर निर्धारण के लिए 27 नवम्बर, से 2 दिसम्बर तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दल की सिफारिशों पर प्राकृतिक आपदा राहत समिति, जरूरी होने पर, अतिरिक्त निधि उपलब्ध करने पर विचार करेगी। इस बीच राज्य सरकार को तत्काल सहायता प्रदान करने और पुनर्स्थापन उपायों के साधन के रूप में 50 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।

(ङ) जी, नहीं, विनाश प्रबंध तंत्र के पुनगर्ठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में बिजली उत्पादन

3883. श्री अनंत कुमार :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कर्नाटक में कौन-कौन सी बि ली परियोजनाएं हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक के द्वारा उत्पादित बिजली की मात्रा क्या है;

(ख) केन्द्रीय बिजली ग्रिड और अन्य बिजली परियोजनाओं से राज्य को उपलब्ध कराई जा रही बिजली की मात्रा क्या है;

(ग) निजी क्षेत्र में अब तक प्रस्तावित और स्वीकृत परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद कितनी मात्रा में बिजली उत्पादित होने का अनुमान है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य को पर्याप्त मात्रा में बिजली मुहैया कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान कर्नाटक में केन्द्रवार ऊर्जा उत्पादन नीचे दिया गया है:—

एजेन्सी का नाम	केन्द्र	ऊर्जा उत्पादन (मि.यू.)		
		1993-94	1994-95	1995-96
कर्नाटक पावर	रायचूर	3693	3968	4718
कारपोरेशन लि.	शरावती	4828	5571	4378
	कालीनदी	2614	3707	3181
	सुपा बांध	500	643	502
	भाडरा	36	58	24
	लिंगानमक	276	329	202
	वाराही	1217	1341	1113
	छटप्रभा	125	152	81
	मल्लापुर	1	13	25
	मनी डीपीएच	29	36	19
	जोड़	9626	11850	9525
कर्नाटक बिजली बोर्ड	जोग	491	504	315
	शिवसमुद्रम	91	102	131
	शिमशाहपुर	96	89	95
	मुनीराबाद	93	98	77
	जोड़	771	793	618
भोरुका पावर कारपोरेशन लि.	शिवपुर	64	11	54
कुल कर्नाटक	ताप विद्युत	3693	3698	4718
	जल विद्युत	10461	12654	10197
	जोड़	14154	16352	14915

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षिणी क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र वाले केन्द्र से कर्नाटक द्वारा की गई वास्तविक निकासी और इसकी हकदारी तथा पड़ौसी राज्य/प्रणाली से प्राप्त की गई सहायता नीचे दी गई है:—

	हकदारी (मि.यू.)	वास्तविक निकासी (मि.यू.)
1993-94	4225.5	3509.1
1994-95	4060.0	3395.2
1995-96	4085.9	4495.6

वर्ष 1995-96 के दौरान महाराष्ट्र से कर्नाटक ने 302.0 मि.यू. की सहायता प्राप्त की है।

(ग) और (घ). कर्नाटक में निजी विद्युत प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है 2×23.4=46.8 मे.वा. वाली कर्नाटक बिजली बोर्ड को येलहांका डी.जी.पी.पी. विस्तार ही एक ऐसी परियोजना है जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के जांचाधीन है।

(ङ) कर्नाटक में विद्युत की उपलब्धता सुधारने के लिए किए गये विभिन्न उपायों में विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाना, क्षमता अभिवृद्धि, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी, बेहतर मांग तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करना और पड़ोसी प्रणालों से सहायता की व्यवस्था करना आदि शामिल है।

विवरण

कर्नाटक राज्य में निजी विद्युत प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	आई.सी. (मे.वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रु. में)	कंपनी का नाम
1.	अलमट्टी बांध एचईपी	1107	3600	चामुंडी पावर कंपनी लि. ऑफ टेपको, यू.एस.ए.
2.	अंकोला कुमता	500	528.900	डेक्कन पावर कार्पोरेशन लि., यूएसए
3.	बंगलौर	500	1750.00	एनआरआई कैपिटल कार्पोरेशन, यूएसए
4.	बंगलौर सीसीपीपी	100	405.930	पीनया पावर कंपनी लि., यूएसए
5.	बिदादी सीसीपीपी	330	987.050	मै केपीसीएल
6.	बीदर	100	346.750	एचएमजी पावर लि.
7.	बीजापुर	150	525.000	केईआई एनर्जी
8.	धारवाड़ टीपीएस	300	1050.00	चलाइस होल्डिंग
9.	हासन टीपीएस	200	690.990	हासन पावर कंपनी लि.
10.	इन्डी टीपीएस	100	333.840	एचएमजी पावर लिमिटेड
11.	जाम खांडी टीपीएस	100	333.840	एचएमजी पावर लिमिटेड
12.	कोलार टीपीएस	100	333.840	एचएमजी पावर लिमिटेड
13.	मंगलौर टीपीएस*	1000	3948.350	कोर्जेट्रिक्स इंक, यूएसए की मंगलौर पावर कंपनी
14.	मंगलौर टीपीएस	1000	4591.000	नागार्जुना कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड
15.	मैसूर टीपीएस	500	2560.000	मै. मैसूर पावर जेनरेशन प्रा.लि.
16.	ननजनगुड़ा टीपीएस	110	325.000	मै. इंडिपेंडेंट पावर सर्विस कंपनी, यू.एस.ए.
17.	तुबीनाकोसी टीपीएस	145	507.500	मांडया पावर पार्टनर्स
18.	तोरामल्लू टीपीएस*	260	839.00	जिन्दल ट्रैक्टेबल पावर कंपनी ऑफ बेल्जियम
	जोड़ 18	6602.00	23656.99	

* तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत

सुपर कम्प्यूटर

3884. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुपर कम्प्यूटरों के उत्पादन और उन्हें विकसित करने तथा समानान्तर प्रसंस्करण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). समानान्तर संसाधन पर आधारित सुपर कम्प्यूटर की प्रौद्योगिकी का विकास भारत में किया गया है।

चूंकि सुपर कम्प्यूटर जन समुदाय के उपयोग के लिए नहीं है, इसलिए सुपर कम्प्यूटिंग मशीन तथा उपयुक्त अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर पैकेज प्रयोगकर्ताओं की अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं। विभिन्न किस्म के समानान्तर संसाधन के लगभग चालीस सुपर कम्प्यूटरों को आपूर्ति. इस प्रकार, उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी डैक) पुणे, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) बम्बई, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) हैदराबाद और नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (एनएएल) बंगलौर द्वारा की गई है, जिन्होंने इन प्रौद्योगिकी का विकास अपने ही संगठन के अनुप्रयोगों के लिए तथा देश में विभिन्न अन्य अनुप्रयोगों के लिए किया है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन पर सम्मेलन

3885. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री नवल किशोर राय :
श्री नीतीश कुमार :
श्री रामचन्द्र डोम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विद्युत उत्पादन एशिया, 96 का आयोजन किया है;

(ख) क्या इस संबंध में हाल ही में तीन दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी लगाई गई थीं;

(ग) यदि हां, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था;

(घ) प्रदर्शनी को कितने विदेशी निवेशक देखने आए;

(ङ) सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और उसमें क्या निर्णय लिया गया; और

(च) सरकार द्वारा इस निर्णयों को किस सीमा तक स्वीकार किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (च). भारत सरकार ने विद्युत उत्पादन एशिया, 96 का आयोजन नहीं किया है। फिर भी मैसर्स पैनवैल काफ्रेंस एंड एक्जीबीशन, यू.एस.ए. कांफ्रेंस एंड एक्जीबिशन सिंगापुर तथा मैसर्स ईट्राइस लि. इंडिया ने दिल्ली में 17 से 19 सितम्बर, 1996 के दौरान विद्युत उत्पादन एशिया, 96 का तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एक संगठन, मैसर्स इंटरेइस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार:—

* प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में विद्युत क्षेत्र में उपलब्ध अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की विशिष्टताओं का प्रदर्शन करना।
* 21 देशों के लगभग 1754 विदेशी पर्यटकों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:—
  1. एशियन पावर ट्रेंडस एवं व्यापार संबंधी अवसर
  2. स्वतंत्र विद्युत/परियोजना ढांचा एवं वित्त
  3. ईंधन एवं प्रौद्योगिकी (ठोस, तरल) गैस, न्यूक्लीयर, अपारंपरिक एवं नवीकरणीय
  4. जल विद्युत
  5. विद्युत संयंत्र प्रचालन
  6. विद्युत जारी करने संबंधी तरीके एवं मुद्दे
  7. विद्युत के वितरण में आने वाले तरीके
  8. वितरण; स्वचालित यंत्रों वितरण प्रबंधन/भार प्रबंधन, मांग पक्ष प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी।
* उपरोक्त मुद्दों पर विश्व भर से आए 1044 प्रतिनिधियों एवं 200 वक्ताओं जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया, द्वारा चर्चा की गई। अधिकांश कंपनियों ने चर्चा संबंधी नोट लेकर, अद्यतन प्रौद्योगिकी के संबंध में विदेशी प्रतिपक्षों के साथ बाद में एक-एक करके बैठकें की।
* यह सम्मेलन भारत सरकार के निर्णय करने/सिफारिशें देने हेतु आयोजित नहीं की गई थी।

पाइप लाइन परियोजना

3886. डा. कृपासिंधु भोई : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रांची और पारादीप पत्तन के बीच पाइप लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राउरकेला और भुवनेश्वर में सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पूर्वी क्षेत्र में कोई अन्य पाइप लाइन भी बिछायी गयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) रांची और पारादीप के बीच बिछायी जाने वाली प्रस्तावित विद्यमान पाइप लाइनों पर कितनी लागत आएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) और (छ) आई ओ सी ने पारादीप से रांची तक एक उत्पाद पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, का परियोजना की "टैप-ऑफ" सुविधाओं आदि सहित अन्य ब्यौरों के

संबंध में निर्णय विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर लिया जाएगा।

(ङ) और (च). पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें प्रचालनरत हैं:—

क्र.सं.	पाइपलाइन का नाम
1.	गुवाहटी-सिलीगुड़ी पाइपलाइन
2.	बरौनी-कानपुर पाइपलाइन
3.	हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन
4.	हल्दिया-मौरीग्राम-राजबंध पाइपलाइन
5.	डिग्बोई-तिनसुकिया पाइपलाइन

परमाणु ऊर्जा संयंत्र

3887. श्री नवल किशोर राय :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुछ परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं जिन्हें निर्धारित समय-सारणी के अनुसार उक्त योजना अवधि में ही पूरा किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और मूल अनुमान के अनुसार उनकी निर्माण लागत क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं को पूरा किए जाने में विलम्ब के कारण उनकी निर्माण लागत में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त लागत में वृद्धि का प्रतिशत क्या है; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपरोक्त परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाओं को पूरा किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) निर्माणाधीन ककरापार और कैगा परमाणु बिजलीघर के दोनों यूनिट तथा राजस्थान परमाणु बिजलीघर के यूनिट-3 को आठवीं योजनावधि के दौरान पूरा किया जाना था। उनकी क्षमता और लागत संबंधी विवरण नीचे दिए गए हैं:—

यूनिट	क्षमता	दो यूनिटों के लिए मूल संस्वीकृत आधार लागत (करोड़ रुपए)	निम्नलिखित के मूल्य-स्तर के संदर्भ में लागत अनुमान
ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना-1 और 2	2×220 मेगावाट	382.52	1979
कैगा-1 और 2	2×220 मेगावाट	730.72	1984
राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 3 और 4*	2×220 मेगावाट	711.57	1984

* निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-4 को 9वीं योजना में पूरा किया जाना था।

(ग) और (घ). उपर्युक्त परियोजना की लागत में पर्याप्त रूप से वृद्धि इन परियोजनाओं को क्रियान्वयन हेतु न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) को अंतरित करने पर निर्माण के दौरान लगे ब्याज (आई.डी.सी.) के अंश को शामिल करने की वजह से हुई। लागत में वृद्धि होने के अन्य कारणों में मुद्रा-स्फीति, विनियम-दर में विभिन्नता, करों और शुल्कों में बढ़ोत्तरी, कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन तथा परियोजना को निष्पादित करने में हुई देरी शामिल हैं। स्थिर कीमतों पर मूल लागत में हुई वृद्धि (आई.डी.सी. को छोड़कर) क्रमशः 24 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 16 प्रतिशत है।

(ङ) 8वीं योजना के दौरान ककरापार के दो यूनिट पूरे कर लिए गए हैं और कैगा यूनिट-1 और 2 तथा राजस्थान यूनिट-3 और 4 को 9वीं योजनावधि के दौरान पूरा कर लिए जाने की आशा है।

पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता

3888. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :
श्री रमेश चेन्नित्तला :
श्री जोआचिम बक्सला :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के लिए उत्पाद-वार, पेट्रोलियम उत्पादों पर अनुमानित राजसहायता क्या है और 1990-91 तथा 1995-96 के दौरान अदा की गई राजसहायता की तुलना इससे किस प्रकार की जा सकती है; और

(ख) इस राजसहायता को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) वर्ष 1990-91, 1995-96 तथा 1996-97 के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता की अनुमानित धनराशि निम्नवत है :—

करोड़/रुपए

उत्पाद	1990-91	1995-96	1996-97
एच एस डी	शून्य	2180	8340
एस के ओ (घरेलू)	2334	4190	6350
एल पी जी (डिब्बा बंद-घरेलू)	845	1630	1950
नेफ्था (उर्वरक)	506	640	980
एफ ओ (उर्वरक)	193	420	390
एल एस एच एस (उर्वरक)	161	140	200
बिटुमेन (डिब्बा बंद)	121	120	190
मोम	शून्य	40	40
योग	4160	9360	18440

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों की संरचना इस प्रकार की जाती है ताकि इनसे पेट्रोलियम उत्पादों के अनावश्यक उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके, अन्तर-ईंधन प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिल सके तथा सामाजिक-आर्थिक कारणों से समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवश्यक ईंधनों पर राजसहायता दी जा सके।

ग्रामीण प्रबंधन संस्थान

3889. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने ग्रामीण प्रबंधन संस्थान हैं; और

(ख) ग्रामीण प्रबंधन संस्थान खोलने के लिए राज्य-वार कितने जिलों का चयन किया गया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण प्रबंध का कोई संस्थान नहीं है। तथापि, ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यों में लगे कार्मिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है। ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण के लिए 25 राज्य संस्थान और पंचायतीराज प्रतिनिधियों सहित ग्रामीण विकास कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए जिला/राज्य स्तर पर 85 विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, कार्य कर रहे हैं। वितरण प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जिलों में ग्रामीण प्रबंध संस्थान खोलने हेतु किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण

राज्यों के वितरण प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. रंगारेड्डी
		2. चित्तूर
		3. गुन्टूर
		4. पूर्वी गोदावरी
		5. वारंगल
2.	अरुणाचल प्रदेश	1. पासीघाट
3.	असम	1. जोरहाट
		2. सिबसागर
		3. गोहाटी
4.	बिहार	1. संथाल परगना
		2. मुजफ्फरपुर
		3. हजारीबाग
		4. गया
		5. सहरसा
5.	गुजरात	1. जूनागढ़
		2. दन्तीवाडा (दौसा)
		3. नवासारी
6.	हिमाचल प्रदेश	1. शिमला
7.	हरियाणा	1. करनाल

1.	2	3
8.	जम्मू व कश्मीर	1. आर.एस. पुरा (जम्मू)
		2. श्रीनगर
9.	कर्नाटक	1. गुलबर्गा
		2. कोलार, गुमरीपेट
		3. सिरसी
		4. मैसूर
		5. मांडया
10.	केरल	1. कित्रलोन
		2. त्रिस्सुर
		3. कारीमबन (कन्नूर)
11.	मध्य प्रदेश	1. भोपाल
		2. उज्जैन
		3. छतरपुर
		4. बैतूल
		5. इन्दौर
		6. ग्वालियर
		7. चांटकरा
		8. जबलपुर
12.	महाराष्ट्र	1. परभनी
		2. जलना
		3. थाने
		4. कोल्हापुर
		5. पुणे
		6. अमरावती
		7. बुल्धाना
		8. कोल्हापुर
13.	मेघालय	1. नोंगसदेर
14.	मिजोरम	1. कालासिब
15.	उड़ीसा	1. भुवनेश्वर
		2. क्योंझर
		3. भवानीपटना
16.	पंजाब	1. नाभा
		2. बटाला

1	2	3
17.	राजस्थान	1. जोधपुर
		2. डूंगरपुर
		3. साकुन
18.	तमिलनाडु	1. मदुरई
		2. टी. सम्भुवारयार
		3. पेरियर
		4. तनजावुर
		5. धर्मपुरी
19.	उत्तर प्रदेश	1. नैनीताल
		2. लखनऊ
		3. इटावा
		4. मेरठ
		5. आगरा
		6. बुलन्दशहर
		7. धारीघाट
		8. झांसी
		9. फैजाबाद
		10. अल्मोड़ा
		11. हल्द्वानी
		12. प्रतापगढ़ (काला कांकर)
		13. मैनपुरी
		14. हरिद्वार
		15. बुलन्दशहर (लखौटी)
		16. पौड़ी गढ़वाल
		17. राय बरेली
		18. गोरखपुर
		19. गाजीपुर
		20. बदायूं
		21. प्रताप गढ़
20.	पश्चिम बंगाल	1. कूच बिहार
		2. मिदनापुर
		3. नादिया (फुलिया)
		4. नादिया (कल्यानी)

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी

3890. श्री पी.सी. थामस : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि, उद्योग, निर्यात, शिक्षा, अस्पताल, हवाई अड्डा आदि में विभिन्न प्रकार के कार्यों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में कम्प्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर प्रणाली की विफलता के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लायी गई है कि हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो डिवीजन की सॉफ्टवेयर प्रणाली पूरी तरह विफल हो गई थी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(छ) भविष्य में सॉफ्टवेयर प्रणाली के पूरी तरह विफल हो जाने को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) तथा योजना आयोग ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों अर्थात पशु उत्पादन तथा स्वास्थ्य सूचना प्रणाली कृषि परक स्कीमों की वित्तीय सलाहकार प्रणाली, बागवानी सूचना प्रणाली, फसल सूचना प्रणाली, जलसंभर सूचना प्रणाली, प्लांट संगरोधन सूचना प्रणाली, औद्योगिक सहायता के मन्त्रिालय हेतु अनुमोदन तथा पंजीयन प्रणाली, आर ओ सीज का कम्प्यूटरीकरण, सार्वजनिक उपक्रम के सर्वेक्षण सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र सूचना प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण, लघु उद्योगों, पंजीकृत यूनिटों तथा उसमें डाटाबेस का कम्प्यूटरीकरण, जिला उद्योग केन्द्रों तथा राज्य उद्योग निदेशालय का कम्प्यूटरीकरण, इस समय चल रहा है, निर्यात/आयात डाटा बैंक, लाइसेंस प्रसंस्करण प्रणाली, छठे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की मानीटरिंग, प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा की स्वैच्छिक एजेन्सियों को अनुदान सहायता, अस्पतालों के लिए इन्वेन्टरी सॉफ्टवेयर, आन लाइन कम्प्यूटर आधारित-मरीज पंजीयन प्रणाली, कम्प्यूटर आधारित उत्प्रवासन नियंत्रण प्रणाली आदि में कई पैकेजों को कार्यान्वित किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). जी, नहीं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, एअर कार्गो (कस्टम हाउस) पर सॉफ्टवेयर प्रणाली विफल नहीं हुई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित एक्सपोर्ट माड्यूल ऑफ दि इंडियन कस्टम्स (ई डी आई) प्रणाली को ड्राबैक शिपिंग बिल्स के लिए 1.11.96 को चालू किया गया। कस्टम हाउस को नियर पेपरलेस ऑफिस में बदलकर निकनेट पर ई डी आई के साथ इम्पोर्ट माड्यूल मई 1995 से सफलतापूर्वक चल रहा है।

कस्टम्स की आवश्यकताओं के अनुसार एक्सपोर्ट माड्यूल कस्टम हाउस एजेन्ट, कोड. आर बी आई के अधिकृत डीलर कोड सहित डाटा संबंधी कतिपय महत्वपूर्ण चैकों को समाविष्ट करता है। यह कुछ उन चैकों में से हैं, जो 2-3 दिन की पहली परीक्षण अवधि के दौरान दस्तावेजों के निराकरण के समय प्राप्त हुए थे। निर्यातक तथा उनके एजेन्ट बाद में इन उपायों का उपयोग किया करते थे तथा इफ्टा संबंधी कोई समस्या नहीं थी और शिपिंग बिल्स को फाइल करने में कोई विलम्ब नहीं होता था। कस्टम कम्प्यूटर प्रणाली से संबंधित पंजाब नेशनल बैंक में निर्यातकों के खातों में ड्राबैक भुगतानों का स्वाचलित ढंग से जमा हो जाना ही सॉफ्टवेयर का लाभ है।

सरकारी एजेंसी के लिए यह देश में पहली इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (ई डी आई) परियोजना है।

प्रयोक्ता विभाग के साथ-साथ गुणवत्ता तथा निष्पादन की दृष्टि से साफ्टवेयर का पूरी तरह परीक्षण किया जाता है। प्रयोक्ता विभाग द्वारा कम्प्यूअर प्रणाली की स्वीकार्यता के पश्चात ही इसे कार्यान्वित किया जाता है तथा चालू किया जाता है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण

3891. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य के अन्तर्गत सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व हेतु अन्य पिछड़े वर्ग की प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या संसद के चालू सत्र में इस संबंध में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनपाड़ा विद्युत परियोजना

3892. श्री जगतवीर सिंह द्रोण :
श्रीमती कमल रानी :
श्री जय प्रकाश (हरदोई):

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार अनपाड़ा विद्युत परियोजना के "ए" एण्ड "बी" स्टेशनों को किसी अन्य एजेंसी/संस्थाओं को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जापान का "ओवरसीज इकोनोमिक को-ओपरेशन फण्ड" उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड को ऋण देने के लिए सहमत हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ). उत्तर प्रदेश सरकार ने अनपारा "ए" तथा "बी" ताप विद्युत केन्द्रों को किसी दूसरे संस्थान को सौंपने के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव तैयार नहीं किया है। वर्ष 1996-97 के दौरान किसी नई परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश रा.वि. बोर्ड को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ओ ई सी एफ जापान सहमत नहीं हुआ है/हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

कर्नाटक के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता

3893. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में पश्चिमी तट के जिलों में शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित परियोजना योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना में किन-किन जिलों को शामिल किया गया है; और

(ङ) इस परियोजना को कब तक आरम्भ करने तथा पूरा किये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गये परियोजना प्रस्ताव के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 758 करोड़ रुपये है।

(ग) जी, हां। योजना आयोग ने परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त पर किया है कि राज्य सरकार द्वारा पहले से चल रही परियोजनाओं को प्रभावित किए बिना प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत दक्षिण कन्नड़, तथा उत्तर कन्नड़ जिलों को शामिल किया जाना है।

(ङ) भारत सरकार ने इस परियोजना प्रस्ताव को एशिया विकास बैंक (एडीबी) के चालू अगले वर्ष के कार्यक्रम में शामिल करने के लिए इन मामलों को बैंक के साथ उठाया गया है। परियोजना प्रारंभ करने के लिए समय-सीमा बताना कठिन है क्योंकि परियोजना आरंभ करने तथा उसे पूरा करने के लिए एशिया विकास बैंक का औपचारिक अनुमोदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हैं।

एन.टी.पी.सी. कोरबा

3894. श्री मनहरण लाल पांडेय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन.टी.पी.सी. कोरबा के लिए कुल कितनी सरकारी तथा निजी भूमि अधिग्रहित की गई है;

(ख) भू-विस्थापित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्या है;

(ग) जिन विस्थापितों को एन.टी.पी.सी. में नौकरी दी गई, उनकी संख्या क्या है; और

(घ) शेष विस्थापितों को कब तक स्थायी आधार पर रोजगार दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) एन.टी.पी.सी. कोरबा संयंत्र के लिए 546.51 हेक्टेयर सरकारी और 910.82 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भू-विस्थापितों की कुल संख्या 461 है।

(ग) 318 भू-विस्थापितों को एनटीपीसी में नौकरी दी गई है।

(घ) अन्य भू-विस्थापितों को स्थाई तौर पर पुनः रोजगार देने पर विचार नहीं किया गया।

जलापूर्ति तथा जल-मल व्ययन परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

3895. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओवरसीज इकानामिक को-आपरेशन फंड जापान तथा अन्य बाहरी सहायता प्राप्त उन जलापूर्ति तथा जल-मल व्ययन

परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार ने अब तक मंजूरी दे दी है;

(ख) इन विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो सरकार के विचाराधीन हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए स्थान चयन करने के संबंध में क्या मानदंड है; और

(घ) गुजरात को इस किसी परियोजना में शामिल नहीं किए जाने के कारण क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) सरकार द्वारा अब तक विदेशी सहायता प्राप्त शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज/स्वच्छता परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-I पर है।

(ख) ऋणद (डोनर) एजेंसियों और सरकार द्वारा मांगे गये विभिन्न स्पष्टीकरणों के लिए लम्बित सम्भावित विदेशी सहायता के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित ऐसी परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-II पर है।

(ग) चूंकि जल आपूर्ति और स्वच्छता राज्य का विषय इसलिए स्थलों का चयन भी राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है। जल स्रोत की विश्वसनीयता, तकनीकी व्यवहार्यता, वित्त व्यवस्था क्षमता, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन, सांस्थानिक क्षमता आदि पर निर्भर करते हुए ऋणद (डोनर) एजेंसियों द्वारा कभी-कभी इनमें संशोधन भी किया जाता है।

(घ) गुजरात ने पहले भी गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना तथा गुजरात शहरी विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता की सुविधा प्राप्त की थी। वर्तमान में यह ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए नीदरलैंड से सहायता प्राप्त कर रहा है। इसलिए गुजरात राज्य को विदेशी सहायता के लिए शामिल न करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

क्र.सं.	परियोजना (क्षेत्र)	लागत (करोड़ रु. में)	विदेशी सहायता (मिलियन में)	निष्पादन/स्तर वर्ष	ऋणद एजेंसी
1	2	3	4	5	6
1.	मुम्बई जल आपूर्ति एवं सीवरेज चरण एक (मुम्बई)	185.00	55.0 यू.एस. डालर	1979	विश्व बैंक
2.	महाराष्ट्र जल आपूर्ति एवं सीवरेज (छः कस्बे व 22 गांव)	86.00	48.0 ,, ,,	1988	,,
3.	पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज (जालंधर, अमृतसर, मोंगा, पटियाला (लुधियाना) भटिंडा, राजपुरा, एवं पठानकोट)	67.00	38.0 ,, ,,	1988	,,
4.	यू.पी. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, और लखनऊ)	60.00	40.0 ,, ,,	–	,,
5.	द्वितीय मुम्बई जल आपूर्ति एवं सीवरेज (मुम्बई)	640.00	196.0 ,, ,,	1988	,,
6.	राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज (जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर)	137.76	80.0 ,, ,,	1988	,,
7.	गुजरात जल आपूर्ति एवं सीवरेज (आनन्द, गोधरा, नाडियाल, भावनगर, एवं जामनगर)	207.33	72.0 ,, ,,	1991	,,
8.	तमिलनाडु जल आपूर्ति एवं सीवरेज (कोयम्टूर, मदुरै, सलेम, कांचीपुरम, शंकरनकोइल, पोलाची, पुडुकोट्टाई, मन्नापरिया, तिरूवनामलाई, 44 छोटे कस्बे और 476 ग्रामीण बस्तियां)	321.86	73.0 ,, ,,	1994	,,

1	2	3	4	5	6
9.	केरल जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (किलों, एवं 7 ग्रामीण विकासशील क्षेत्र)	127.28	30.11 यू.एस. डालर	1994	विश्व बैंक
10.	मद्रास जल आपूर्ति एवं सफाई (मद्रास)	255.95	69.0 ,, ,,	1996	,,
11.	तृतीय मुम्बई जल आपूर्ति एवं सीवरेज (मुम्बई)	915.00	145.0 ,, ,,	1996	,,
12.	गुजरात शहरी विकास (जल आपूर्ति)(अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर, आनन्द, और कुछ ग्रामीण क्षेत्र)	208.00	62.0 (98-58) ,, ,,	1995	,,
13.	उ.प्र. शहरी विकास (जल आपूर्ति) (वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, सहारनपुर, गाजियाबाद, देहरादून, नैनीताल, झांसी और मेरठ)	463.86	150.0 (195.66) ,, ,,	1996	,,
14.	हैदराबाद जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	257.06	89.9 ,, ,,	चालू परियोजना	,,
15.	द्वितीय मद्रास जल आपूर्ति	1638.00	275.8 ,, ,,	चालू पुनरीक्षाधीन	,,
16.	मुम्बई मल जल निपटान	1003.80	192.0 ,, ,,	चालू	,,
17.	मद्रास जल आपूर्ति एवं सीवरेज प्रणाली का परिचालन सुधार	572.09	17,098 येन	चालू	ओ.ई.सी.एफ.
18.	बंगलौर जल आपूर्ति एवं सीवरेज	1072.00	28,452 येन	,,	,,
19.	केरल शहरी और ग्रामीण जल आपूर्ति (पट्टूअम, मीनाद, चेरफला, उससे लगे भाग, तिरूअंनन्तपुरम् और कालीकट)	1787.40	11,997 येन	ऋण बाबत दिसम्बर, 96 में करार हुआ	,,

विवरण–II

विदेशी सहायता के लिए प्रस्तावित जल आपूर्ति और सीवरेज/स्वच्छता परियोजनाओं की सूची

क्र.सं. (क्षेत्र)	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)	प्रस्तावित ऋणदत्त एजेंसी
1	2	3	4
1.	II हैदराबाद जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1150.00	विश्व बैंक
2.	III मद्रास जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1957.80	,,
3.	II राजस्थान जल आपूर्ति तथा सीवरेज	442.40	,,
4.	पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज	283.47	,,
5.	II महाराष्ट्र जल आपूर्ति एवं सीवरेज	863.00	,,

1	2	3	4
6.	मुम्बई IV-मध्यवर्ती वितरणा जल आपूर्ति	570.00-से 936.00	विश्व बैंक
7.	न्यू गुजरात जल आपूर्ति (मेहशाना)	583.18	,,
8.	नागपुर के लिए जल आपूर्ति एवं सीवरेज का विस्तार	1941.165	,,
9.	राजस्थान के पांच बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति एवं सीवरेज	2022.17	ओ.ई.सी.एफ.
10.	पटना और रांची में जल आपूर्ति, सीवरेज और कूड़ा-कचरा प्रबंध	369.90	,,
11.	ग्रेटर आईजोल के लिए जल आपूर्ति, सीवरेज और कूड़ा-कचरा प्रबंध हेतु एकीकृत परियोजना	130.00	,,
12.	ग्रेटर शिलौंग के लिए शहरी जल आपूर्ति	246.64	,,
13.	उ.प्र. के 12 बड़े शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना	1846.81	,,
14.	कर्नाटक के बीस कस्बों के लिए जल आपूर्ति स्कीम	396.50	,,
15.	पं. बंगाल में तरल एवं कूड़ा प्रबंध परियोजना	225.72	जर्मन
16.	भोपाल, जबलपुर के लिए जल आपूर्ति एवं सीवरेज का विस्तार और देवास औद्योगिक क्षेत्र हेतु घरेलू बेकार जल का पुनः उपयोग	380.4	,,
17.	शिमला के लिए जल आपूर्ति प्रणाली का पुर्नगठन व विस्तार	20.13	फ्रेंच
18.	पब्बर नदी से शिमला की जल आपूर्ति के विस्तार पर साध्यता अध्ययन	2.0	,,
19.	विशाखापट्टनम के लिए एकीकृत जल आपूर्ति व सीवरेज	67.5	,,
20.	पेरूनगुड्डी, तमिलनाडु में चेम्बरमबक्कम जल शोधन संयंत्र और एकीकृत मल-जल शोधन संयंत्र	326.5	,,
21.	बंगलौर में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली का सुधार	73.60	,,

दूरस्थ क्षेत्रों में विकास

3896. प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरस्थ तथा पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं;

(ग) क्या सरकार ने दूरस्थ तथा पिछड़े क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करने की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ). ग्रामीण विकास, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के समस्त पहलू आते हैं, को केवल ग्रामीण लोगों की गरीबी को दूर करके प्राप्त किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों तथा ग्रामीण लोगों का विकास, विकास संबंधी आयोजना का केन्द्रीय बिन्दु रहा है। ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय ने जो ग्रामीण गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार कर रहा है, अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए समाज के अपेक्षित वर्गों की सहायता करने के प्रयास अत्यधिक किए हैं तथा स्व-रोजगार तथा मजदूरी रोजगार के रूप में रोजगार के अवसर मुहैया कराए हैं और उनकी जीवन यापन प्रणालियों और ढांचागत सुविधाओं में सुधार करने के प्रयास किए हैं। मंत्रालय के मौजूदा कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा ऐसे उपाय शुरू किए जाते हैं जो विकास की गति तेज करने के उद्देश्य से उनकी प्रभावोत्पादकता तथा स्थायित्व को बढ़ाने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। मंत्रालय के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए परिव्यय को 1995-96 के 8310.00 करोड़ रुपए की तुलना में 1996-97 दौरान बढ़ाकर 8692.00 करोड़ रु. तक कर दिया गया है। सुनिश्चित रोजगार योजना तथा गहन जवाहर रोजगार योजना सहित पिछड़े और अल्प विकसित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान के लिए मंत्रालय

द्वारा हाल ही में कुछेक प्रमुख कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए हैं। गहन जवाहर रोजगार योजना देश के 120 पिछड़े जिलों में 1993-94 से कार्यान्वित थी जहां बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की बहुतायत है। 1.1.1996 से गहन जवाहर रोजगार योजना को भी जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया है, जो जनजातीय, पिछड़े तथा दुर्गम क्षेत्रों सहित देश के सभी विकास खण्ड में क्रियान्वित है। गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को मजदूरी रोजगार मुहैया करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है, जबकि गौण उद्देश्य में समुदाय के लाभ के लिए टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। सुनिश्चित रोजगार योजना जो 2 अक्तूबर, 1995 में शुरू की गई थी, का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के सभी लोगों, जिन्हें काम की आवश्यकता है परन्तु उन्हें काम नहीं मिला है, को 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराना है। इन कार्यक्रमों के तहत निधियां इस तरह से वितरित की जाती हैं जिससे देश के पिछड़े क्षेत्रों को अधिक निधियां प्रदान की जा सकें।

पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र

3897. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सरकार की जानकारी में कुछ ऐसे मामले आये हैं जहां अ.जा./अ.ज.जा. के जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोईगैस की डीलरशिप का आवंटन किया गया हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त में से अभी तक कितनी डीलरशिप रद्द की गई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर बालू) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1993-94 से अब तक अनुसूचित जनजाति के गलत प्रमाणपत्र के आधार पर खण्डला, जिला झाबुआ (म.प्र.) में खुदरा बिक्री केन्द्र प्राप्त करने का एक मामला सरकार के ध्यान में लाया गया था। यह डीलरशिप अब समाप्त की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश में शहरों का विकास

3898. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों तथा नगरों का विदेशी सहायता से विकास किए जाने संबंधी कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त शहरों तथा नगरों का विकास कार्य कब से शुरू होने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) उत्तर प्रदेश में विदेशी सहायता से कुछ शहरों और नगरों के विकास किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक विद्युत बोर्ड

3899. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक विद्युत बोर्ड ने नई दिल्ली के इनोक्स पावर कम्पनी के साथ विद्युत की खरीद संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त कंपनी धारवाड़ में 39 मेगावाट क्षमता का एक संयंत्र स्थापित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तारामंडल

3900. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला गिरिडीह (वनांचल) के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की अधिकता वाले स्थानों पर, लोगों को शिक्षा देने के लिए एक वैज्ञानिक तारामंडल (प्लेनेटेरियम) स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा तारामंडल स्थापित करने के लिए अपेक्षित धनराशि आवंटित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ). : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

रसोई गैस की खपत

3901. **श्री भगवान शंकर रावत :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री जयसिंह चौहान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में रसोई गैस की अनुमानित मांग और वास्तविक घरेलू खपत क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान कई राज्यों ने रसोई गैस के अतिरिक्त आवंटन की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). गत तीन वर्षों के दौरान देश में एल पी जी की अनुमानित मांग तथा वास्तविक खपत निम्नवत है :

(आंकड़े हजार मीटिक टन में)

वर्ष	अनुमानित मांग	वास्तविक खपत
1993-94	2931	3113
1994-95	3271	3434
1995-96	3625	3849 (अनंतिम)

एल पी जी राज्यवार आधार पर आवंटित नहीं की जाती है। नए एल पी जी कनेक्शन एल पी जी उपलब्धता, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध बकाया तथा उनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए पूरे देश में प्रतीक्षा सूची के प्रति चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं।

तथापि, सरकार निम्नांकित क्षेत्रों में एल पी जी कनेक्शन जारी करने को वरीयता दे रही है :—

1. पर्वतीय क्षेत्र
2. ताज ट्रेपेजियम
3. तत्काल योजना के तहत
4. संसद सदस्य/पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित वरीयतायें
5. नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू करना
6. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित वरीयतायें
7. अव्यवहार्य वितरक।

प्रतीक्षा सूची के ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए सभी राज्यों में और भी एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जा रही हैं।

घाटमपुर स्थित विद्युत उप-स्टेशन

3902. **श्रीमती कमला रानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटमपुर नामक स्थान पर 33 के.वी. का विद्युत उप्-स्टेशन स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उप-स्टेशन हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) इस उप स्टेशन से कितने गांवों को लाभ पहुंचने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

संचालन समिति

3903. **श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ढांचागत क्षेत्र में निवेश संबंधी प्रस्तावों की योजना तैयार करने तथा इन्हें कार्यान्वित करने हेतु कोई संचालन समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). योजना आयोग ने आधार संरचना क्षेत्रक पूंजी निवेश प्रस्ताव के आयोजन और निष्पादन हेतु कोई संचालन समिति गठित नहीं की है। बहरहाल, योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना बनाने के कार्य के रूप में आधार संरचना सहित विभिन्न क्षेत्रकों के सभी संबंधित पहलुओं को निबटाने के लिए कई संचालन समितियों और कार्यदलों का गठन किया है।

[हिन्दी]

पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार

3904. श्री रमेन्द्र कुमार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के समय से विभिन्न सरकारी विभागों/सेवाओं में पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्तियों को नियोजित किया गया है;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार और विभागवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सिफारिशों को चिकित्सा, वैज्ञानिक शोध और रक्षा व सेवा जैसी संवेदनशील सेवाओं में भी कार्यान्वित किया गया है/कार्यान्वयन विचारित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख). अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में सरकार के निर्णय सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा दी गई उच्च प्राथमिकता के मद्देनजर, मंत्रालयों/विभागों पर यह सुनिश्चित करने का जोर दिया गया कि किसी वर्ष विशेष में उनकी भर्ती से संबंधित आंकड़े, उस वर्ष के समाप्त होते ही तुरन्त उपलब्ध कराए जाएं। 65 मंत्रालयों/विभागों में से 24 से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित 7160 उम्मीदवारों की 31.12.95 तक नियुक्ति की जा चुकी है। राज्य-वार सूचना नहीं रखी जा रही है।

(ग) और (घ). रक्षा सेवाओं में आरक्षण लागू नहीं होता। अन्य पदों के संबंध में जहां ड्यूटी अधिक विशेषज्ञता व तकनीकी किस्म की होती है, सर्वोच्च न्यायालय ने इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में माना है कि अनुच्छेद 335 के मद्देनजर जहां केवल मैरिट ही देखी जाती है वहां आरक्षण उपलब्ध करवाना उचित नहीं होगा। मंत्रालयों/विभागों से इस प्रकार के पदों का पता लगाने को कहा गया है।

[अनुवाद]

तेल डिपो

3905. श्री दत्ता मेघे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के वे कौन-कौन से स्थान हैं जहां भारत पेट्रोलियम, इंडियन आयल कारपोरेशन तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के तेल डिपो हैं;

(ख) प्रत्येक डिपो की अलग-अलग भंडारण क्षमता क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त उल्लिखित उपक्रमों से स्थानीय लोगों को लाभ मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). महाराष्ट्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. तथा इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. की कुल भंडार क्षमता लगभग 7598(९ कि.ली. है। कंपनीवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार डिपो संबंधित खपत केन्द्रों के अंतर्गत स्थानीय जनता को उसके उपयोगार्थ पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराकर उसकी मदद करते हैं। चूंकि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत क्षेत्र की आर्थिक क्रियाशीलता पर निर्भर करती है अतः पेट्रोलियम उत्पादों की वर्द्धित उपलब्धता से क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद मिलती है। स्थानीय रोजगार केन्द्र के जरिए गैर-प्रबंधन कर्मचारियों की भर्ती का कार्य भी पूरा किया जाता है।

विवरण

महाराष्ट्र में कंपनी-वार पी ओ एल संस्थापनाओं, टैप आफ प्वाइंट्स तथा डिपुओं की भंडारण क्षमता

(आंकड़े कि.ली. में)

स्थान	आई ओ सी	बी पी सी एल	एच पी सी एल
1	2	3	4
माहुल	-	-	31400
वडाला	50537	-	18500
सिवरी	45196	107000	49800
लोनी	-	-	119000
वाशी	-	-	74200
गैगांव	11795	-	9200
बाडनेरा	8586	13600	-
तदाली	10828	8300	-
खापरी	16958	-	17750
मनमाड	8502	7100	3220
भादली	9598	-	4640
अकोलनेर	20569	-	-
औरंगाबाद	15989	-	5200
मीराज	21171	14400	-

1	2	3	4
शोलापुर	–	3400	4300
पाकनी	17253	–	–
बसीन	9844	–	–
गोंदिया	3331	–	–
श्रीरूद	8937	–	–
हजारवाड़ी	–	–	9700

कश्मीरी आतंकवादियों को विदेशी धन प्राप्त होना

3906. श्री तारिक अनवर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कश्मीरी आतंकवादियों के पास विदेशी धन आने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस गतिविधि को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग). समय-समय पर इस आशय की रिपोर्टें मिलती रही हैं कि विभिन्न अलगाववादी और उग्रवादी संगठनों को गुप्त चैनलों और कानून का उल्लंघन करते हुए, अवैध धनराशि प्राप्त हो रही है। सरकार और सभी संबंधित सुरक्षा प्रवर्तन एजेंसियां, जम्मू व कश्मीर तथा देश के विभिन्न भागों में विभिन्न अलगाववादी और उग्रवादी संगठनों के खिलाफ लगातार सतर्कता रखकर, पूछताछ और जांच-पड़ताल करके तथा अभियान चलाकर इस प्रकार की संभावनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

इल्मेनाइट का खनन

3907. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल्लाम के समुद्री तटीय क्षेत्र से कितनी मात्रा में खनिज "सैंड इल्मेनाइट" का खनन किया गया;

(ख) क्या सरकार का इन खनन कम्पनियों को अपनी कुल आय का कुछ प्रतिशत इस क्षेत्र के कल्याण पर खर्च करने का निदेश देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) कोल्लाम के तटीय क्षेत्र से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए इल्मेनाइट की कुल मात्रा निम्नानुसार है :-

1993-94	1,52,232 मीटरी टन
1994-95	1,54,546 मीटरी टन
1995-96	1,25,152 मीटरी टन

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) किसी क्षेत्र के विकास का दायित्व स्थानीय सरकार का है, तथापि, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड सदाशयता स्वरूप समय-समय पर इस क्षेत्र के कल्याण पर पैसा खर्च करता आ रहा है।

सतर्कता अनुभागों की समीक्षा

3908. डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित सतर्कता अनुभागों के कार्यकरण और शक्तियों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग). अपने संगठन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा दक्षता बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी मंत्रालय के सचिव अथवा विभागाध्यक्ष/संगठन के अध्यक्ष की होती है। इन संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा सतर्कता संगठन सतर्कता संबंधी सभी मामलों में संगठन के अध्यक्ष की सहायता करते हैं और वे अपने मंत्रालयों/विभागों/संगठनों और केन्द्रय सतर्कता आयोग के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। स्वच्छ तथा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से कार्मिक, लोक शिकायतै तथा पेंशन मंत्रालय निवारक सतर्कता, निगरानी तथा सुरागरसानी और निवारक दंडात्मक कार्रवाई के लिए वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक उपायों पर त्रिमुखी नीति का अनुसरण करता रहा है। इस कार्ययोजना के माध्यम से मंत्रालय/विभाग अपने-अपने सतर्कता तंत्र के माध्यम से समन्वय, मार्गदर्शन तथा कार्ययोजना के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन तथा अपने संगठन में सतर्कता कार्रवाइयों के लिए उत्तरदायी हैं। सतर्कता कार्य के विभिन्न पहलुओं पर की गई कार्रवाई की प्रगति की प्रत्येक तिमाही में समीक्षा की जाती है।

प्रश्न पत्रों की छपाई

3909. डा. अरविन्द शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की छपाई की प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की छपाई के लिए निजी एजेंसियों की सेवाएं ले रहा था;

(घ) यदि हां, तो क्या 1996 में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद के निरीक्षकों तथा लिपिकों की भर्ती हेतु परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्रों के लीक होने में इन एजेंसियों की भूमिका की जांच की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का प्रश्न पत्रों के लीक होने को रोकने के लिए गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से प्रश्न पत्र छपवाने की व्यवहार्यता पर गौर करने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख). कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र संगठन हैं और उन्होंने प्रश्न-पत्रों की छपाई में गोपनीयता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रश्न-पत्रों की छपाई की अपनी अपनी प्रक्रिया अपनायी है।

(ग) से (च). जी, हां। तथापि, आयोग प्रश्न-पत्रों की छपाई तथा उन्हें सील करने के समय पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करता है। इस स्तर पर प्रश्न-पत्रों के लीक होने का कोई मामला नहीं हुआ है, अतः वर्तमान में मौजूदा पद्धति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्नाटक में टाउनशिप का विकास

3910. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कर्नाटक में टाउनशिप का विकास करने हेतु कुछ गैर-सरकारी कंपनियों को कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो इन गैर सरकारी कंपनियों के नाम क्या हैं तथा इस उद्देश्य हेतु कितनी भूमि निर्धारित की गयी है; और

(ग) अधिगृहित की गयी भूमि तथा इससे संबंधित तैयार की गयी अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) स (ग). शहरी विकास राज्य का विषय है। कर्नाटक सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में माही विद्युत परियोजना

3911. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में माही विद्युत परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस विद्युत परियोजना पर कब तक कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य की उक्त परियोजना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). माही बजाज जल विद्युत परियोजना चरण-1 व चरण-2, 140 मे.वा. (2x25+2x45) 198 करोड़ रुपये की लागत पर वर्ष 1989 में स्थापित की गई थी।

(ग) और (घ). जी, नहीं। तथापि, राजस्थान सरकार का 24.4 करोड़ रुपये की लागत पर इस परियोजना के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है।

स्वच्छ प्रशासन

3912. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार जनता को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने तथा विशेषकर लोक सेवकों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु कि लोक सेवकों को दंडित करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सरकार की अनुमति न लेनी पड़े, कानूनी/प्रशासनिक कदम उठाएगी; और

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख ने उपर्युक्त भाग (ख) के संदर्भ में सरकार से अनुरोध किया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) कतिपय अपराधों के संबंध में किसी लोक सेवक को किसी न्यायालय में अभियोजित करने के लिए पूर्वानुमति की अपेक्षा

की व्यवस्था दण्ड-प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत की गई है। चूंकि इस अपेक्षा की व्यवस्था देश के कानून के अन्तर्गत की गई है इसलिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को ऐसी मंजूरी नहीं लेने की अनुमति देना संभव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद

3913. श्री अशोक प्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अन्तर्गत चल रहे विभागों और उपक्रमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विभिन्न श्रेणी के कुछ पद कुछ समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो अद्यतन स्थिति का पद-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों और उपक्रमो में कुछ पदों पर नई नियुक्ति करने के अतिरिक्त इन कार्यालयों में पहले ही कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को कोई पदोन्नति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति आरक्षण कोटे के अनुसार की जाती है और क्या इन कार्यालयों में पहले ही कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण कोटे के अनुसार पदोन्नति दी गई है; और

(च) वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पड़े आरक्षित पदों को भरने और आरक्षण कोटे के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). 1.8.1996 को पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों की स्थिति निम्न प्रकार थी :-

	पदों का वर्गीकरण			
	"क"	"ख"	"ग"	"घ"
अनुसूचित जाति	1	10	28	2
अनुसूचित जनजाति	-	7	32	2
कुल	1	17	60	4

(ग) से (च). मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दिल्ली में पावर ग्रिड केन्द्र

3914. श्री एन.जे. राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का दिल्ली में पावर ग्रिड के कुछ स्टेशन स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये कहां-कहां पर स्थापित किए जाने का विचार है;

(ग) उनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी;

(घ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन केन्द्रों के स्थापित हो जाने के बाद दिल्ली में विद्युत आपूर्ति में किस हद तक सुधार होगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

केरल में विद्युत परियोजनाएं

3915. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल में कन्नूर जिले में इरिन्नादी में प्रस्तावित विद्युत परियोजना की स्थापना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या इस परियोजना को आरम्भ करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) केरल के कन्नूर जिले में इरिन्नावी में स्थापित की जाने वाली किसी भी विद्युत परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति नहीं दी गयी है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

बर्खास्तगी और अनिवार्य सेवानिवृत्ति

3916. श्री सौम्यरंजन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई; और

(ख) ऐसा कठोर दण्ड दिए जाने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अनुसार जांच के पश्चात् पर्याप्त कारण होने पर किसी सरकारी कर्मचारी पर सेवा से बर्खास्तगी, सेवा से हटाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति लगाने के लिए उक्त नियमावली में व्यवस्था है। उक्त शास्तियों में से कोई शास्ति लगाए जाने से पूर्व, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना, जहां यह लागू होता है, भी आवश्यक है। चूंकि अनुशासनिक प्राधिकारी सम्पूर्ण भारत में फैले हुए हैं, अतः ऐसे कर्मचारियों के बारे में सांख्यिकीय ब्यौरे, जिन पर उक्त शास्तियों में से कोई शास्ति लगाई गई है, केन्द्रीयकृत रूप से मानीटर नहीं किए जा रहे हैं।

आई.ए.एस., आई.पी.सी. अधिकारियों की सीधी भर्ती में कमी

3917. श्री रामसागर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 सितंबर 1996 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "आई.ए.एस. आई.पी.एस. में हैव फिवअर डाइरेक्ट एन्ट्रेन्ट्स न्यू प्रोपोजल फेवरल प्रोमोशन" से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सीधी भर्ती तथा पदोन्नति कोटा के परिकलन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

वृद्धि दर

3918. श्री जोआचिम बक्सला : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजा चेल्लैया ने यह माना है कि नौवीं योजना में निर्धारित प्रतिशत की वृद्धि दर का सपना साकार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). दिनांक 2 दिसम्बर, 1996 के "दि टाइम्स आफ इंडिया", नई दिल्ली में प्रकाशित एक समाचार में डॉ राजा जे. चेलैया के यह विचार व्यक्त किये गए हैं कि नौंवी योजना के दौरान 7 प्रतिशत की वृद्धि दर आकांक्षा के अनुरूप है। इसमें यह भी कहा गया है कि हमें अधिक वास्तविक होने के लिए नौंवी योजना में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करनी होगी और भारत के लिए यह आदर्श और व्यावहारिक वृद्धि होगी।

(ग) योजना आयोग में नौंवी योजना के दृष्टिकोण पत्र में वैकल्पिक वृद्धि दरों की व्यवहार्यता पर विचार किया है।

अवैध निर्माण

3919. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल को "व्हाइट हाऊस" में अवैध रूप से निर्मित मंजिलों हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के नाम का पता लगाने तथा उन्हें दंडित करने के लिए समिति गठित करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशों को क्रियान्वित किया गया है तथा नई दिल्ली नगर परिषद के दोषी अधिकारियों को दंडित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वी. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ग). नई दिल्ली नगर परिषद ने सूचना दी है कि विशेष अनुमति याचिका संख्या 185/96 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने 6.9.1996 के आदेश द्वारा उपराज्यपाल को नई दिल्ली नगर परिषद से भिन्न वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति नियुक्त करने को कहा है, ताकि नई दिल्ली नगर परिषद के उन संबंधित अधिकारियों/कार्मिकों का पता लगाकर जिम्मेदारी तय की जा सके, जिन्होंने अपनी ड्यूटी

की अवहेलना में अथवा बिल्डर की मिलीभगत से 10 भगवानदास रोड, नई दिल्ली, स्थित इमारत के भवन नक्शों की अस्वीकृति के बावजूद उस इमारत में दिसम्बर, 1988 और जनवरी 1990 के बीच अतिरिक्त मंजिल बनाने की अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, उप-राज्यपाल ने संघ क्षेत्र काडर के एक सेवानिवृत आई.ए.एस. अधिकारी श्री एस.सी.बाजपेयी की अध्यक्षता में समिति नियुक्त कर दी है, ताकि नयी दिल्ली नगर परिषद के दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में निजी क्षेत्र

3920. **श्री सुल्तान सुलाउद्दीन ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने अपनी समेकित आधारभूत ढांचा विकास योजना के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आधार ढांचे के उन्नयन के लिए सरकार को लगभग 59.000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी;

(ग) यदि हां, तो क्या निजी क्षेत्र ने इस क्षेत्र में निवेश करना स्वीकार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (घ). योजना आयोग द्वारा गठित शहरी विकास से संबंधित कार्यदल के तहत एक उपदल ने अनुमान लगाया है कि 2005 इस्वी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए निवेश की समग्र आवश्यताएं करीब 59000 करोड़ रुपये होगी जिसमें से 38,000 करोड़ रुपये (60 प्रतिशत से अधिक) का निवेश निजी सैक्टर द्वारा किया जाएगा जबकि 21,000 करोड़ रुपये केन्द्र तथा राज्य सरकारों की सरकारी सैक्टर की एजेंसियों द्वारा निवेश करने होंगे। उप दल ने यह भी अनुमान लगाया है कि नवीं योजना के दौरान कुल निवेश/आवश्यकताएं 26,000 करोड़ रुपये होगा। निजी सैक्टर द्वारा प्रस्तावित निवेश मुख्य रूप से शहरों के विकास तथा उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य की सम्बद्ध आवास तथा आर्थिक अवस्थापनों के विकास के लिए है ताकि इन शहरों में बसने वाली आबादी को रोजगार अवसर मुहैया करवाए जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड चैम्बर्स आफ कामर्स, बिल्डर्स एसोसिएशन जैसे प्राईवेट सैक्टर की प्रमुख निकायों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क बनाये हुए हैं ताकि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से जोड़ा जा सके।

इस समय उप दल द्वारा की गयी निवेश प्रक्रिया अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न सैक्टरों के लिए समग्र आर्थिक नियोजन प्रक्रिया के लिए प्रारम्भिक उपाय मात्र है जिस पर नवीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा अन्ततः विचार किया जाना है, अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अब तक कोई वित्तीय आबंटन नहीं किया गया है।

सौर ऊर्जा

3021. **श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान सौर ऊर्जा से ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सहउपकरणों के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार मूल्य निर्धारण नीति की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). घरेलू रोशनी प्रणालियों, ग्रामीण सड़क रोशनी और सौर लालटेनों जेसी सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों को लगाकर सौर ऊर्जा ग्रामीण विद्युतीकरण किया जाता है। घरेलू रोशनी प्रणालियों और सड़क रोशनियों में बैटरियों, संरचना, केबल आदि जैसे एसपीवी माड्यूल और अन्य संघटक शामिल होते हैं। पिछले वर्षों में सामान्यतया एस पी वी माड्यूलों की कीमत में कमी हुई है जो वर्ष 1992 में 225 रुपये प्रति वाट पीक से घटकर वर्ष 1995 में 165 रुपये प्रति वाट पीक हो गई है। तथापि इस अवधि के दौरान एस पी वी प्रणालियों के अन्य संघटकों की लागत कुछ बढ़ी है। अतः कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों के दौरान संपूर्ण एस पी वी प्रणालियों की कुल कीमत में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि, सौर लालटेनों की कीमत वर्ष 1992 में 5000 रुपये से घटकर वर्ष 1995 में लगभग 4000 रुपये रह गई है।

एस पी वी माड्यूलों की वर्तमान लागत 180-200 रुपये प्रति वाट पीक है। एस पी वी लालटेन, घरेलू रोशनी प्रणाली और सड़क रोशनी प्रणाली की लागत क्रमशः 3800 रु. से 4300 रु., 11000 रु. से 12000 रु. और 22000 रु. से 24000 रु. के बीच है। ग्राम स्तर के एस पी वी विद्युत संयंत्र की लागत 3.5 से 4 लाख रु. प्रति किलोवाट पीक के बीच है।

(ग) और (घ). सरकार द्वारा एस पी वी प्रणालियों और विद्युत संयंत्रों का मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है। इन्हें प्रतियोगी निविदा प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वाणिज्यिक गतिविधि पर पाबंदी

3922. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की वाणिज्यिक संपत्तियों को कोई लेने वाला नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) ऐसी संपत्तियों में से कितनों का कब्जा लिया जा चुका है; और

(घ) आवासीय कालोनियों/आवासों में वाणिज्यिक गतिविधि पर रोक लगाने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि 1.1.95 से 31.11.96 की अवधि के दौरान 1428 वाणिज्यिक परिसम्पत्तियों को निपटान किया गया। इनमें से 122। आवंटियों/खरीददारों ने अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात कब्जा ले लिया है।

(घ) उच्चतम न्यायालय का निर्णय रिहायशी क्षेत्रों में केवल औद्योगिक कार्यकलाप से संबंधित है। तथापि, रिहायशी परिसम्पत्तियों में जब भी कोई कार्यकलाप जानकारी में आता है दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 14 के तहत आबंटी/दुरूपयोगकर्ता के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

सरकारी आवास का आवंटन

3923. श्री गंगा चरण राजपूत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के शासनकाल के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, राजनैतिक दलों के नेताओं अथवा कार्यकर्ताओं को कितने सरकारी आवास आवंटित किए गए तथा इन आवासों का बाजार-मूल्य कितना था;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे आबंटनों को रद्द करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

3924. श्री अनंत कुमार : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी तथा राज्य के वर्ष 1996-97 के दौरान कितनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जाएगी?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख). मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता। लेकिन उदारीकरण से लेकर अब तक अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और ऐसे मामलों में उद्यमी को केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार उदारीकरण से लेकर अक्तूबर 1996 तक कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु 1098 करोड़ रु. के निवेश वाले और 10330 लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले ऐसे 89 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से 86 करोड़ रु. के निवेश वाली और 890 लोगों को रोजगार देने वाली 11 यूनिटों ने पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान कर्नाटक से प्राप्त हुए प्रस्तावों के मामले में संयुक्त उद्यम, विदेशी सहयोग आदि में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना हेतु 45 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इनमें से 66 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत वाले और 1279 लोगों को रोजगार देने वाली 11 यूनिटों ने पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है।

सौर विद्युत संयंत्र

3925. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा गत दो वर्षों के दौरान "गया" बिहार में सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) राज्य में बिजली की समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). जी नहीं। "गया" बिहार में सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को पिछले दो वर्षों के दौरान संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) नौवीं योजना के दौरान बिहार में विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 1162 मेवा. क्षमता संयोजन का प्रस्ताव है जिसमें 32 मेवा. पन बिजली+1130 मेवा. तापीय क्षमता शामिल है। बिहार में विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) संयंत्र भार गुणक (प्लांट लोड फैक्टर) में सुधार लाने के लिए तापीय संयंत्रों की मरम्मत और आधुनिकीकरण;

(2) शीर्ष कमी (पीकिंग शोर्टेज) को पूरा करने के लिए क्षमता संयोजन;

(3) मांग प्रबंधन;

(4) ऊर्जा संरक्षण; और

(5) संप्रेषण और संवितरण हानि में कमी।

ताप विद्युत संयंत्र

3926. डॉ. कृपासिन्धु भोई : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ताप विद्युत संयंत्रों के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र की औसत अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और विगत तीन वर्षों के दौरान इनके द्वारा वास्तव में कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र की समस्याओं का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो विद्युत उत्पादन में कमी के लिए जिम्मेदार अवरोधों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). सरकार देश में ताप विद्युत केन्द्रों की सतत् रूप से पुनरीक्षा करती है। प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र से गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता तथा वास्तविक विद्युत उत्पादन संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) और घ). सरकार ने विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की समस्याओं का पता लगाया है तथा अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम समुपयोजन हेतु किए गए विभिन्न उपायों में (1) पुरानी यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (2) विद्युत बोर्ड के तहत कार्यरत प्लांट में योजनाबद्ध रूप में सहायता प्रदान करना (3) कोयले की गुणवत्ता संबंधी आपूर्ति (4) प्रचालन एवं अनुरक्षण, कार्मिकों का प्रशिक्षण (5) पारेषण एवं वितरण प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण।

विवरण-I

केन्द्र-वार ताप विद्युत उत्पादन क्षमता

(आकड़े मे.वा. में)

ताप विद्युत केन्द्र	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
बदरपुर	705.0	705.0	705.0
इन्द्र प्रस्थ स्टेशन	277.5	277.5	277.5
राजघाट	135.0	135.0	135.0
राजघाट (ओल्ड)	14.0	14.0	14.0
डेसू जीटी	180.0	214.0	282.0
पाम्पोर जी टी	125	175.0	175.0
फरीदाबाद	165	165.0	165.0
पानीपत	650	650.0	650.0
कोटा	850.0	850.0	850.0
रामगढ़ जीटी		3.0	38.5
अन्ता जीटी	413.0	413.0	413.0
भटिंडा	440.0	440.0	440.0
रोपड़	1260.0	1260.0	1260.0
ओबरा 1-13	1482.0	1482.0	1482.0
पनकी	274.0	274.0	274.0
हरदुआगंज ए	90.0	90.0	90.0
हरदुआगंज बी और सी	425.0	425.0	425.0
परीचा	220.0	220.0	220.0
अनपारा	1130.0	1630.0	1630.0
टांडा	330.0	330.0	330.0
अन्य	10.0	10.0	10.0
उंचाहार	420.0	420.0	420.0
सिंगरौली	2050.0	2000.0	2000.0
रिहन्द	1000.0	1000.0	1000.0
एनसीआर दादरी	840.0	840.0	840.0
ओरैया जी टी	652.0	652.0	652.0
दादरी जी टी	817.0	817.0	817.0

1	2	3	4
धुवरन	534.0	534.0	534.0
उकई	850.0	850.0	850.0
गांधी नगर	660.0	660.0	660.0
वानकबोरी	1260.0	1260.0	1260.0
सिक्का	240.0	240.0	240.0
कच्छ लिग्नाइट	140.0	140.0	140.0
उतरान	39.0	39.0	39.0
उतरान जीटी	144.0	144.0	144.0
धुवरन जी.टी.	54.0	54.0	54.0
ए.ई.एंड कंपनी (ओ)	80.0	80.0	80.0
साबरमती	330.0	330.0	330.0
वातवा जीटी	99.0	99.0	100.0
जीआईपीसीएल		145	145.0
कवास जी टी	644.0	644.0	644.0
गंधार जीटी	262.0	648.0	648.0
नासिक	910.0	910.0	910.0
कोराडी	1080.0	1080.0	1080.0
पारस	58.0	58.0	58.0
भुसावल	478.0	478.0	478.0
परली 1-5	690.0	690.0	690.0
चन्द्रपुर	1840.0	1840.0	1840.0
के. खेड़ा-2	420.0	420.0	420.0
उरान जीटी	792.0	912.0	912.0
ट्राम्बे	1330.0	1150.0	1150.0
ट्राम्बे जीटी	120.0	180.0	180.0
दहानु		500.0	500.0
सतपुड़ा	1142.5	1142.5	1142.5
कोरबा 2-3	400.0	400.0	400.0
अमरकंटक	290.0	290.0	290.0
कोरबा वेस्ट	840.0	840.0	840.0
संजय गांधी	420.0	420.0	420.0
कोरबा एसटीपीएस	2130.0	2100.0	2100.0
विन्ध्याचल एसटीपीएस	1260.0	1260.0	1260.0
कोठागुडम ए-सी	670.0	670.0	670.0
विजयवाड़ा	1050	1260.0	1260.0
रामागुंडम बी	62.5	62.5	62.5

1	2	3	4
नैल्लोर	30.0	30.0	30.0
रॉयल सीमा		420.0	420.0
विजेश्वरम	99.0	99.0	99.0
रामागुंडम एसटीपीएस	2100.0	2100.00	2100.0
रायचूर	630.0	840.0	840.0
एन्नौर	450.0	450.0	450.0
तूतिकोरिन	1050.0	1050.0	1050.0
मेत्तूर	840.0	840.0	840.0
उत्तरी मद्रास		420.0	630.0
बी. ब्रिज			60.0
नरीमनम	10.0	10.0	10.0
नेवैली-1	585.0	595.0	595.0
नेवैली-2	1470.0	1470.0	1470.0
पतरातू	770.0	770.0	770.0
बरौनी	310.0	310.0	310.0
मुजफ्फरपुर	220.0	220.0	220.0
तेनुघाट		210.0	210 0
कहलगांव एनटीपी	420.0	630.0	840.0
इब वैली		210.0	210.0
तलचेर एसटीपी		500.0	1000.0
तलचेर ओल्ड	460.0	460.0	460.0
बांडेल	530.0	530.0	530.0
संथालडीह	480.0	480.0	480.0
गैस टरबाईन	60.0	60.0	60.0
कोलाघाट	1260.0	1260.0	1260.0
डीपीएल	390.0	390.0	390.0
मुलाजोर	75.0	75.0	75.0
एन.कोसिप	130.0	130.0	130.0
दक्षिणी	135.0	135.0	135.0
तीतागढ़	240.0	240.0	240.0
कसबा जी.टी	40.0	40.0	40.0
फरक्का	1630.0	1600.0	1600.0
चन्द्रपुर	750.0	750.0	750.0
दुर्गापुर	340.0	350.0	350.0
बोकारो	820.0	820.0	805.0
मेजिया			210.0

1	2	3	4
मैथान जीटी	90.0	90.0	90.0
चन्द्रपुर	60.0	60.0	60.0
नामरूप	135.5	135.5	135.5
बोंगई गांव	240.0	240.0	240.0
लकवा जीटी व अन्य	101.0	121.0	141.0
कैथालगुड़ी		67.0	167.5
बारामुरा जी	16.5	16.5	16.5
रोखिया जीटी	16.0	16.0	32.0
जोड़	53254.5	57244.5	58870.5

विवरण–II

केन्द्रवार ताप–विद्युत उत्पादन

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

स्टेशन	1993–94	1994–95	1995–96
1	2	3	4
बदरपुर	4444	4510	4039
इन्द्रप्रस्थ स्टेशन	1146	1115	1117
राजघाट	621	832	753
डेसु जी टी	783	577	615
पमपोर जीटी	55	88	63
फरीदाबाद	741	785	799
पानीपत	2147	2409	2268
कोटा	4539	4276	5216
रामगढ़ जी टी	0	0	16
अन्ता जी टी	2589	2339	2607
भटिण्डा	2724	2439	2066
रोपड़	6129	6005	6162
ओबरा 1–13	6475	4288	4677
पनकी	774	701	564
हरदुआ गंज "ए"	0	0	0
हरदुआ गंज बी एण्ड सी	1011	751	604
परिचा	746	321	492
अनपारा	4745	8777	10450
टाण्डा	817	774	1016
सिंगरौली	14643	14291	14985
रिहन्द	6868	6476	7622
एन.सी.आर. दादरी	1545	2568	4439
एन.टी.पी.सी. ऊंचाहार	2523	1924	3108
औरेया जी टी	3438	3577	3510
दादरी जी टी	1352	2292	3795
धुवरन	2365	2732	2927
उकई	4180	3819	4590
गांधी नगर	3940	4009	4942
वानकबोरी	7160	7163	6943
सिक्का	824	1315	1312
कच्छ लिग्नाइट	670	479	595
उतरान	215	140	103
उतरोन जी.टी.	520	879	962
धुवरन जी.टी.	153	85	141
ए.ई.कं. (ओ)	229	168	200
साबरमती	2049	2186	2194
वेतवा जी.टी	596	571	555
जी.आई.पीसी.एल	0	1062	1116
कवास जी टी	2240	2109	1962
गंधार जी टी	0	394	2375
नासिक	5051	5157	5045
कोराडी	6260	5679	6277
परस	278	198	202
भुसावल	2538	2883	2599
पारली 1–5	3184	3501	3287
चन्द्रपुर	7816	8865	11270
खापर खेड़ा	0	0	0
खापर खेड़ा–II	2949	3087	2549
उरन जी टी	1727	3665	4872
ट्राम्बे	5691	6340	7353
ट्राम्बे जी टी	184	677	1466
धानु	0	15	1222
सतपुड़ा	5869	5801	6037
कोरबा 2–3	1746	1903	2132
अमरकंटक	1375	1428	1253
कोरबा पश्चिम	4940	4456	4640

1	2	3	4
संजय गांधी	210	1199	1992
कोरबा एस.टी.पी.एस.	14527	13989	15397
विंध्याचल एस.टी.पी.एस.	8295	8646	9272
कोथागुडम ए-सी	3260	2060	3412
विजयवाड़ा	5912	7319	9861
रामागुंडम "बी"	361	353	374
नेल्लोर	111	93	129
रॉयलसीमा	0	32	1327
विज्जेश्वरम्	526	435	538
रामागुंडम एस.टी.पी.एस.	14593	14497	14757
रायचूर	3693	3698	4718
इन्नौर	1849	2152	2106
तूतिकोरिन	5492	5279	7802
मैत्तूर	5620	5593	5944
उत्तरी मद्रास	0	3	1359
बेसिन ब्रिज	0	0	0
नरिमनाम	37	15	14
नेवेली-I	2372	3109	3191
नेवेली-II	7025	7781	9073
पतरातु	1856	1367	1262
बरौनी	504	563	416
मुजफ्फरपुर	423	350	310
तेनुघाट	0	0	10
कहल गांव एन.टी.पी	1	587	2406
तलेचर	1432	1169	143
ईब घाटी	0	317	1223
तलचेर एस टी पी	0	4	698
तलचेर पुराना	0	0	991
बन्डेल	2242	2331	1724
संतालडीह	1340	1317	1340
गैस टरबाइन	15	16	13
कोलघाट	5365	5806	6238
डी.पी.एल.	902	989	908
मुलाजोर	335	368	326
एन कोसिपोर	685	708	728
दक्षिणी	968	998	1028
टीटागढ़	1504	1640	1748
कसबा जी टी	15	17	22
फरक्का	3865	5402	6519
चन्द्रपुर	2308	1708	1786
दुर्गापुर	1627	1815	1820
बोकारो	2757	2947	2801
मजिया	0	0	0
मैथोन जी टी	14	28	43
चन्द्रपुर	106	157	188
नामरूप	277	339	330
बोंगईगांव	312	426	508
गैस टरबाईन	213	333	408
कथालगुड़ी	0	0	346
बारामुरा "जी"	42	42	43
रोखिया जी टी	62	82	110
जोड़	247757	262868	299606

अंतरिम राहत

3927. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के दिनांक 14 जुलाई, 1995 के ज्ञापन सं. एन 42/18/95-पी.एंड पी. डब्ल्यू (जी) के अनुसार देय तथा अप्रैल, 95 से प्रभावी अंतरिम राहत के रूप में पचास रुपए तथा बेसिक पेंशन के 10 प्रतिशत धनराशि का भुगतान रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त भुगतान करने हेतु कोई सकारात्मक कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). पांचवें वेतन आयोग द्वारा सरकार को पेश की गई अपनी अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों को 50 रु. प्रतिमाह तथा मूल पेंशन के 10 प्रतिशत की दर से अंतरिम राहत की मंजूरी दी गई थी। इस संबंध में आदेश, दिनांक 14.7.1996 के का.ज्ञा.सं. 42/18/95-पी एंड पी डब्ल्यू (जी.) के तहत जारी किए गए। इस राशि का भुगतान रोका नहीं गया है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

वर्षा का पूर्वानुमान

3928. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौसम विभाग द्वारा देश में अथवा इसके किसी क्षेत्र विशेष में वर्षा के पैटर्न का पूर्वानुमान लगाने में कितना समय लिया जाता है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रणाली पूर्ण रूप से दोषरहित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्षा के पूर्वानुमान को कम से कम एक सप्ताह पूर्व घोषणा सुनिश्चित किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) भारत मौसम विज्ञान विभाग अल्प अवधि पूर्वानुमान (24 से 36 घंटे) प्रेक्षण के समय के छः घंटे के भीतर जारी करता है, जबकि मानसून की वर्षा (जून से सितम्बर) के लिए मौसमी पूर्वानुमान प्रत्येक वर्ष मई के अंत तक जारी किया जाता है। राष्ट्रीय मध्यम दूरी मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एन सी एम आर डब्ल्यू एफ) प्रेक्षणों के पश्चात तीन दिवसीय पूर्वानुमान जारी करने में लगभग 24 घंटे लेता है।

(ख) अल्प अवधि पूर्वानुमान, चार्ट पर बनाये गए मौसम प्रेक्षणों का विश्लेषण करके तैयार किया जाता है। मौसमी पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग के सांख्यिकीय मॉडल की सहायता से जारी किया जाता है। मध्यम दूरी का पूर्वानुमान प्राथमिकतः कम्प्यूटर आधारित वायुमंडलीय मॉडलिंग पर आधारित है।

(ग) अल्प अवधि पूर्वानुमान की यथार्थता लगभग 90 प्रतिशत है जबकि मौसमी पूर्वानुमान पिछले नौ वर्षों के दौरान उपयुक्त रूप से सही थे। मध्यम दूरी पूर्वानुमान अब प्रायोगिक रूप से जारी किया जाता है।

(घ) पूर्वानुमान की समय सीमा को मौजूदा तीन दिवसीय अवधि को एक सप्ताह तक बढ़ाना एक जटिल वैज्ञानिक समस्या है और पूर्वानुमान की समय सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से अनुसंधान किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अतिरिक्त उपकर लगाना

3929. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों को यह सुझाव दिया है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप तैयार करते समय राज्य बिजली बोर्डों तथा राज्य परिवहन निगमों को हुई हानि को पूरा करने के लिए विशेष उपाय किए जाएं तथा आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि अतिरिक्त उपकर लगाए जाएं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). जी, हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के संदर्भ में, योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्यों को, करों की दर बढ़ाकर, गैर योजना राजस्व व्यय को नियंत्रित कर तथा गैर कर राजस्व में सुधार कर अपने संसाधन बढ़ाने चाहिए। यह भी इंगित किया गया है कि राज्य स्तर के सार्वजनिक उद्यमों के कार्य में सुधार हेतु ठोस प्रस्ताव तैयार किए जाएं जिससे वे अपनी योजनाओं हेतु सकारात्मक योगदान कर सकें।

यमुनापार क्षेत्र का विकास

3930. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजधानी के यमुनापार क्षेत्र के विकास के लिए "यमुनापार विकास बोर्ड" का गठन/स्थापना किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजधानी के पुरानी दिल्ली क्षेत्र के लिए किसी "विकास बोर्ड" की स्थापना करने का है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को कुछ अभ्यावेदन/प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पुरानी दिल्ली क्षेत्र के लिए विकास बोर्ड के गठन/स्थापना के बारे में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). संघ सरकार ने "यमुना पार यमुना विकास बोर्ड" का गठन करने के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किये हैं। तथापि, दिल्ली सरकार ने दिल्ली के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में "यमुनापार क्षेत्र विकास बोर्ड" नाम एक गैर-सांविधिक बोर्ड का गठन किया है।

(ग) और (घ). जी, नहीं।

(ङ) और (च). उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रिक्त पद

3931. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालयों/मंत्रालयों/विभागों में कर्मचारियों के रिक्त पड़े पद भर दिए गए हैं और मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार पद सृजित किए गए हैं;

(ख) क्या कुछ विभाग इस संबंध में केन्द्र सरकार के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे निवारक उपायों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख). अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने संबंध आदेश सितम्बर, 1993 में जारी किए गए थे। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने में आई किसी भारी कठिनाई के बारे में किसी मंत्रालय/विभाग ने सूचित नहीं किया।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

परमाणु रिएक्टर

3932. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु विद्युत निगम ने रूस के एटमर्ग के साथ मिल कर दो परमाणु रिएक्टर बनाने की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उन दो विद्युत संयंत्रों की क्षमता क्या होगी तथा वे कहां-कहां स्थित होंगे;

(ग) एटमर्ग के साथ हुए समझौते में तकनीकी तथा वाणिज्यिक शर्तें कौन-कौन सी हैं; और

(घ) सहयोगी कम्पनियों द्वारा पूंजी परिव्यय का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). एटोमेनरगोएक्सपोर्ट (एईई) एक रूसी फर्म है जिसका पता रूसी परिसंघ की सरकार ने रूसी सहायता से तमिलनाडु में कुडानकुलम में लगाए जाने वाले 2x1000 मेगावाट क्षमता की प्रस्तावित परमाणु विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगाया था।

(ग) और (घ). इस मामले पर रूसी परिसंघ के साथ बातचीत चल रही है।

उपरिपुल

3933. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने उपरि पुलों का निर्माण किया गया है और कितने उपरिपुलों का निर्माण किये जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. वी. वेंकटेस्वरलु) : उत्तर प्रदेश गत तीन वर्षों के दौरान 6 फ्लाईओवरों का निर्माण पूरा हो चुका है। रेल सुरक्षा कोष योजना के तहत 8 फ्लाईओवरों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्प

3934. श्री भीमराव विष्णु जी वड़ाडे :
श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 नवम्बर, 1996 को देश के सभी पेट्रोल पम्प बन्द रहे थे;

(ख) यदि हां, तो पेट्रोल पम्पों के बन्द रहने के कारण सरकार को कितने उत्पाद शुल्क की हानि हुई;

(ग) क्या हानि की वसूली करने के लिए सरकार का पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के संशोधित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी नहीं। तथापि, पेट्रोल पंपों पर लागू मूल्य वर्द्धित कर और संघटन योजना के बारे में राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ विरोध करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में पेट्रोल पंम्प 1 नवम्बर 1996 को बंद रहे।

(ख) से (घ). महाराष्ट्र में पेट्रोल पंपों के बंद होने की वजह से सरकार को उत्पाद शुल्क का कोई घाटा नहीं हुआ, क्योंकि पेट्रोल पंप केवल वही उत्पाद प्राप्त करते हैं, जिन पर उत्पाद शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया जाता है।

बोटलिंग संयंत्र

3935. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोकारो इस्पात संयंत्र के नजदीक रसोई गैस बोटलिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए 70 एकड़ भूमि अधिग्रहीत कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन परिवारों के सदस्यों को नौकरी देने का है जिनकी भूमि अभिग्रहीत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) 70 एकड़ भूमि बिहार सरकार के उपक्रम बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण से नवम्बर, 1995 में 30 वर्ष के पट्टे पर ली गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव में भूमि से वंचित होने वालों के प्रति जिम्मेदारी का कोई उल्लेख नहीं है।

[अनुवाद]

शहरी झोपड़ पट्टियों में पर्यावरणीय सुधार

3936. श्री दिनशा पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहायता से शहरी झोपड़ पट्टियों में पर्यावरणीय सुधार के अन्तर्गत देश में चलाई जा रही परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है तथा ये कहां-कहां स्थित है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है तथा ये कहां-कहां स्थित हैं जिन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है परन्तु वास्तविक कार्य अभी शुरू होना बाकी है;

(ग) क्या यह सच है कि गुजरात में ऐसी एक भी परियोजना मंजूर नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा परियोजनाओं के चयन के लिए क्या मापदंड हैं; और

(ङ) विदेशी सहायता का और तर्कसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है/उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ङ). देश में शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार की योजना के तहत विदेशी सहायता से कोई परियोजना नहीं चलाई जा रही है।

[हिन्दी]

ताज क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति

3937. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताज को पर्यावरणीय-प्रदूषण से बचाने और वहां निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ताज सुरिक्षत क्षेत्र में जेनरेटरों के उपयोग को बन्द करने हेतु एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार के मामले में जनहित याचिका में विद्युत मंत्रालय और उत्तर प्रदेश द्वारा शपथ पत्र के साथ उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत योजना में ताज सुरक्षित क्षेत्र में केवल पारेषण परियोजना की ही परिकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि ताज सुरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गैर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र जहां सिंचाई, कुटीर और अन्य प्रयोजनों के लिए डीजल इंजनों और जेनरेटरों के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, को नियमित आपूर्ति उपलब्ध कराये बिना प्रदूषण को कैसे रोका जायेगा;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के ध्यान में भी यह बात लाई गई है कि ताज सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले समस्त क्षेत्र में विद्युत की निरंतर आपूर्ति नहीं की जायेगी बल्कि यह उन क्षेत्रों को उपलब्ध कराई जायेगी, जहां पहले से ही विद्युत वितरण प्रणाली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को कब जानकारी दी गई थी; और

(ङ) उच्चतम न्यायालय में दायर किये गये शपथ पत्र संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). जी, नहीं। उ.प्र. राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत स्कीम में न केवल पारेषण एवं वितरण कार्यों की ही परिकल्पना की गई है बल्कि इसमें ताज सुरक्षित क्षेत्र की भी परिकल्पना की गई है। ताज क्षेत्र में पारेषण एवं वितरण कार्यों का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकार को 90 करोड़ रुपए की राशि भी आबंटित की गई है। इस समय उत्तर प्रदेश को उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के अनार्बटित हिस्से (15 प्रतिशत) में से 10 प्रतिशत विद्युत का भी आबंटन किया गया है।

(ग) से (ङ). उ.प्र.रा.बि. बोर्ड द्वारा 29.10.96 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर शपथ पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि ताज क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को अनुपालना करने के लिए विद्युत क्षेत्र का पारेषण एवं वितरण करने

हेतु योजना आयोग 90 करोड़ रुपये आबंटित करने पर सहमत हो गया है। न्यायालय को यह भी बताया गया है कि आगरा तथा फिरोजाबाद जिलों को बिजली की आपातकालीन कटौती से छूट दी गई है।

एन.ई.डी.ए.

3938. श्रीमती कमल रानी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय नीति के अनुसार नोडल एजेंसी के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान (एन.ई.डी.ए.) स्थापित किए जाने के बाद वैकल्पिक ऊर्जा लोकप्रिय नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) वैकल्पिक ऊर्जा के लिए अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है और कितनी राजसहायता प्रदान की गई है; और

(घ) इस ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). अपारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी (नेडा), उत्तर प्रदेश अपारंपरिक ऊर्जा उपकरणों तथा प्रणालियों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता रहा है। नेडा के प्रयासों के फलस्वरूप, अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों का विस्तार उत्तर प्रदेश के सभी 68 जिलों में हो गया है। नेडा की कार्यक्रमवार वास्तविक उपलब्धियां विवरण में दी गई हैं। इन प्रणालियों तथा उपकरणों के लिए विचारणीय जागरूकता पैदा हुई है तथा इनकी मांग लगातार बढ़ रही है।

(ग) अब तक नेडा द्वारा 107.00 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई है जिसमें से 91.70 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है।

(घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने अपारंपरिक ऊर्जा के उपयोग की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सहित सारे देश में कई कदम उठाए हैं। इन उपायों में राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे परियोजना की संस्थापना के पहले वर्ष में 100 प्रतिशत कटौती, उत्पाद शुल्क एवं विक्रय कर से विमुक्ति तथा अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों, अवयवों और उपकरणों के आयात पर रियायती सीमा शुल्क शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार मंत्रालय से वित्तीय प्रोत्साहन जैसे ब्याज सब्सिडी तथा पूंजी सब्सिडी, और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) से उदार ऋण उपलब्ध कराता है। मंत्रालय उत्तर प्रदेश सहित सारे देश में अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादों तथा उपकरणों की बिक्री के लिए शोरूम खोलने एवं प्रदर्शनियों, इलेक्ट्रोनिक तथा प्रिंट माध्यमों से नियमित प्रचार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम की कार्यक्रमवार वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	प्रणाली का नाम	यूनिट	वास्तविक उपलब्धि
1.	सौर जल तापक	लिट./दिन	18,91,200
2.	सौर कुकर	संख्या	38,092
3.	घरेलू रोशनी	संख्या	37,250
4.	सौर लालटेन	संख्या	33,897
5.	विद्युत संयंत्र/विद्युत पैक	संख्या/कि.वा.	87/451
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय पम्प	संख्या	14
7.	सौर चार्जिंग स्टेशन	संख्या	28
8.	सौर टी.वी.	संख्या	120
9.	सौर स्टील	संख्या	240
10.	पवन पम्प	संख्या	471
11.	पवन बैटरी चार्जर	संख्या	235
12.	सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस	संख्या/क्यूमी.	104/7035
13.	विष्ठा आधारित बायोगैस	संख्या/क्यूमी.	299/5263
14.	बायोगैस इंजिन	संख्या	97
15.	उन्नत चूल्हा	संख्या	6,52,000
16.	सौर टेपरिकार्ड पैनल	संख्या	3,950
17.	उन्नत घरात	संख्या	114
18.	माइक्रो हाइडिल स्कीम	संख्या/कि.वा.	17/1127

[अनुवाद]

पौड़ी गढ़वाल में सड़कें

3939. श्री बची सिंह रावत "बच्चदा" : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले में सिसाल्डी रिखनीखाल मोटर रोड पक्का करने और शिखनी खाल बायेला माला बगर खाल मोटर रोड के निर्माण के लिए धनराशि नियत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले में सड़कों पर रोड़ी बिछाने/सड़कों के निर्माण हेतु यह मंत्रालय निधियां निर्धारित नहीं करता है क्योंकि इस मंत्रालय के पास इस उद्देश्य हेतु निधियों का कोई बजट प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

3940. श्री ललित उरांव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित कोयलकारो जल विद्युत परियोजना, जो गत कुछ वर्षों से बंद पड़ी है, के कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए गुमला जिले में कोई औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रशिक्षण केन्द्र के कब तक पुनः चालू किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). बिहार राज्य सरकार द्वारा जिला गुमला में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन.एच.पी.सी.), जिसे कोयलकारो जल विद्युत परियोजना का निष्पादन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, स्थानीय विरोध तथा निधियों की कमी के कारण परियोजना पर सक्रिय रूप से कार्य आरम्भ नहीं कर पाया। इन परिस्थितियों में ऐसी अवस्था में किसी प्रकार का औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी। एक बार कोयल कारो परियोजना पर कार्य आरम्भ हो जाने के पश्चात् ही बिहार सरकार द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र पुनः आरम्भ किया जा सकेगा।

[अनुवाद]

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

3941. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के गठन तथा कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का जिला पंचायतों की स्थापना, जिनका मुख्य उद्देश्य जिला अन्तर्गत गांवों का विकास करना है, के फलस्वरूप जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को भंग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) इस मंत्रालय ने राज्य सरकार को संलग्न विवरण के अनुसार जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के शासी निकाय को पुनर्गठन करने की सलाह दी है।

जिले में जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियां, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आयोजना, कार्यान्वयन, निगरानी तथा मूल्यांकन की समग्र प्रभारी हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंन्सियों के मुख्य कार्य हैं:—

(1) इन सभी एजेन्सियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों और कार्यक्रमों के मौलिक मानदण्डों एवं आवश्यकताओं से जिला और जिले स्तर की एजेन्सियों को अवगत कराना।

(2) सर्वेक्षण का समन्वय तथा अवलोकन, विकास खण्डों की भावी योजनाओं और वार्षिक योजनाओं को तैयार करना तथा अन्त में जिला योजना तैयार करना।

(3) सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम की निगरानी तथा मूल्यांकन, ताकि इनकी कारगरता सुनिश्चित हो सकें।

(4) अन्तर क्षेत्रगत तथा अंतर-विभागीय समन्वय तथा सहयोग को सुनिश्चित करना।

(5) कार्यक्रमों की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करना तथा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी को प्रसारित करना तथा जागरूकता सृजन करना।

(6) निर्धारित प्रारूप में राज्य सरकार को आवधिक रिटर्न भेजना।

(ख) जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर में दिए गए तथ्यों को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मंत्रालय ने राज्य सरकार को बेहतर सम्पर्क स्थापित करने तथा जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी तथा जिला परिषद के बीच और अधिक प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के विचार से जिला-परिषद अध्यक्ष जो जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है, के सहित जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को पुनर्गठित करने की सलाह दी है।

विवरण

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, शासी निकाय का गठन

"निदर्शी"

अध्यक्ष

1. अध्यक्ष, जिला-परिषद्

सदस्य

2. जिले के सभी सांसद, विधायक तथा विधान-परिषद् के सदस्य।
3. वर्णाक्रमानुसार बारी-बारी से एक वर्ष के लिए दो भूतपूर्व सांसद।
4. वर्णाक्रमानुसार बारी-बारी से एक वर्ष के लिए, दो भूतपूर्व-विधायक।

5. पंचायत समिति के अध्यक्षों में से 1/3 को वर्णाक्रमानुसार से बारी-बारी से एक वर्ष की अवधि के लिए नामित करना, जिनमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित तथा दूसरी महिला होनी चाहिए।

6. जिला परिषद् की स्थायी समितियों के अध्यक्ष।

7. समाहर्त्ता/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी निदेशक।

8. जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष।

9. अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

10. जिला लीड बैंक अधिकारी।

11. जिला स्तर पर नाबार्ड प्रतिनिधि।

12. महाप्रबंधक, डी.आई.सी.।

13. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (के.वी.आई.बी.) की प्रतिनिधि।

14. परिवार कल्याण कार्यक्रम का जिले का प्रभारी अधिकारी।

15. जिला कृषि अधिकारी

16. जिला पशु चिकित्सा अधिकारी

17. जिला मछली पालन अधिकारी

18. जिला रोजगार अधिकारी

19. परियोजना अधिकारी, आई.टी.डी.पी.।

20. जिला वन अधिकारी।

21. क्षेत्रीय/जिला अधिकारी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त निगम

22. जिला ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता अधिकारी

23. सहायक परियोजना अधिकारी (महिला विकास)।

24. ग्रामीण गरीबों को संगठित करने के मूल अनुभव के साथ एक महिला कार्मिक/आयोजक (अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी द्वारा नामित किया जाता है)।

25. भूमि रहन बैंक के जिला स्तरीय अध्यक्ष।

26. जिला दुग्ध संघ का प्रतिनिधि (अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी द्वारा नामित किया जाता है)।

27. कमजोर वर्गों के दो प्रतिनिधि, जिनमें से एक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से होने चाहिए। ये प्रतिनिधि कार्यक्रम के लाभार्थी होने चाहिए। (अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा नामित किया जाता है)।

28. ग्रामीण महिलाओं की एक प्रतिनिधि, लाभार्थी को वरीयता दी जानी चाहिए। (अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा नामित किया जाता है)।

29. अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित एक सदस्य (अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा नामित किया जाता है)।

30. मुख्य कार्यकारी अधिकारी-जिला परिषद-सदस्य सचिव।

31. परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी।

32. ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय का एक मनोनीत सदस्य।

मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना

3942. श्री राम नाईक :
श्री नारायण अठावले :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना चरण II (एम.यू.टी.पी.-II) हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परिवहन परियोजना को क्रियान्वित करने वाली परिवहन एजेंसियों के बीच बेहतर तथा प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार के तैयार किए गए प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया क्या है तथा ये प्रस्ताव वर्तमान में किस चरण में हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) से (घ). मुम्बई नगर परिवहन परियोजना-II को महाराष्ट्र सरकार तथा रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से परियोजना बावत विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, इस समय विश्व बैंक बम्बई नगर परिवहन परियोजना-II के रेल घटकों यथा (1) संयुक्त उप नगरीय रेल परिचालन का वित्तीय तथा संस्थागत अध्ययन; (2) प्रणाली का नियोजन संबंधी अध्ययन तथा प्रतीक मॉडल का विकास; (3) ई एम यू सवारी डिब्बों के पुनःउत्पादक के मानकों का निर्धारण करने बावत अध्ययन; और (4) मौजूदा डीसी ट्रैक्शन की एसी ट्रैक्सन में बदलने बावत अध्ययन कर रहा है। इन अध्ययनों को पूरा होने में करीब छः माह से एक साल तक का समय लगेगा। परियोजना घटक तथा परियोजना आकार का निर्धारण प्रारंभिक अध्ययन पूरे होने के बाद ही किया जाएगा।

फास्ट ट्रेक विद्युत परियोजनाएं

3943. श्री तारीक अनवर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी फास्ट ट्रेक विद्युत परियोजनाएं सरकार की मंजूरी के लिए लंबित हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को मंजूरी कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) आज की तारीख तक 4 फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाएं काउंटर गारंटी के लिए पड़ी हुई हैं।

(ख) इन परियोजनाओं की काउंटर गारंटी, विद्युत क्रय करार पर भारत सरकार की सहमति के पश्चात् ही विचार किया जा सकेगा।

जलापूर्ति तथा पर्यावरणीय स्वच्छता

3944. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई ग्रामीण जलापूर्ति तथा पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शुरू की गई परियोजनाओं में से 50 प्रतिशत से भी अधिक परियोजनाओं पर कार्य नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजनाएं 783.38 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 25 जिलों में 2505 गांवों को कवर करती हैं।

(ख) इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

आरक्षण नीति

3945. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के अधीन सिविल सेवाओं, बैंकों और बीमा निगमों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में अनुदेश जारी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उपक्रम और सरकारी बैंक सरकार की आरक्षण नीति का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे संगठनों में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार का पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तपोषित या केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान स्वायत्तशासी संस्थानों/निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी कोई चूक जानकारी में नहीं आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसे संगठनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने संबंधी अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं।

सिपरी डिपो में आग

3946. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में झांसी जिले में भारतीय तेल निगम के सिपरी डिपो में भीषण आग लगी थी;

(ख) यदि हां, ता इसमें अनुमानित कितनी हानि हुई;

(ग) उपरोक्त दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोई उच्च स्तरीय जांच करवाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां। 19.11.1996 को इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. के झांसी डिपो में आग लगी थी।

(ख) अनुमानित क्षति नीचे दी गई है:

उत्पाद क्षति	:	: 3.12 लाख रुपये के मूल्य की
टी एल एफ लागत		: 21.00 लाख रुपये
टी टी एस की क्षति	: कुल क्षति	: 7 टी टी एस
	: आंशिक क्षति	: 5 टी टी एस

(ग) आग के कारण 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(घ) जी, हां। इस दुर्घटना की जांच करने के लिए आई ओ सी के एक महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की

नियुक्ति की गई थी जिसमें तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय के एक प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया था।

(ङ) जांच की रिपोर्ट सरकार को 30.11.1996 को प्रस्तुत कर दी गई थी।

दिल्ली किराया अधिनियम

3947. श्री प्रमोद महाजन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आवासीय तथा गैर-आवासीय भवनों की मूलभूत आवश्यकताओं तथा दिल्ली में इसकी प्रयोजन उपयोगिता की जरूरत के संबंध में 1995 की सिविल अपील संख्या 4574, में 5 दिसम्बर, 1995 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख). 1995 की सिविल अपील संख्या 4574 में उच्च न्यायालय के दिनांक 5 दिसंबर 1995 के निर्णय का प्रभाव यह है कि आवासीय या गैर आवासीय किसी भी प्रकार की श्रेणी के परिसर के लिए भू-स्वामियों की मूलभूत आवश्यकता एक जैसी रहेगी। दिल्ली किराया कानून, 1995 में इस संबंध में पहले ही प्रावधान निहित है।

शिकायतें

3948. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पूछताछ कार्यालय में कितनी शिकायतें दर्ज की गईं;

(ख) इनमें से कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई;

(ग) बकाया शिकायतों पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि जिन शिकायतों पर कार्यवाही की गई उनमें ठेकेदार इंजीनियरों से मिलीभगत करके घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं;

(ङ) क्या लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली में स्थित अनेक फ्लैटों में ऊपर लगी हुई टंकियां खराब हालत में हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(छ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(ज) क्या फ्लैट नं. 1811 में लगी टंकी पिछले डेढ़ वर्ष से इस्तेमाल लायक न रहने के बावजूद अभी तक बदली नहीं गई है;

(झ) यदि हां, तो इसे कब तक बदल दिए जाने का विचार है;

(ञ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस कदाचार में केन्द्रीय जांच ब्यूरो/विभागीय जांच कराने का विचार है; और

(ट) इन फ्लैटों के खुले बरामदों पर छत कब तक डाल दी जायेगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जनवरी, 1994 से नवम्बर, 1996 के बीच 80816 (सिविल) और 33294 (विद्युत) शिकायतें प्राप्त हुयीं थीं।

(ख) 80108 (सिविल) और 33294 (विद्युत) शिकायतें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निपटा दी गयी।

(ग) शेष शिकायतें वर्तमान समय की हैं और उन्हें निपटाया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) टूट-फूट की वजह से कुछ टैंकों का जीवन काल पूरा हो चुका है जो निर्माण की मियाद को ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्वाभाविक सी बात है।

(च) इस वर्ष की शुरूआत में 60 टैंक क्षति-ग्रस्त हालत में पाए गए थे। इनमें से 28 टैंकों के स्थान पर नए टैंक लगा दिए गए हैं तथा शेष टैंकों को बदलने का कार्य चल रहा है।

(छ) जो टैंक सस्ती मरम्मत की सीमा से बाहर हैं उन्हें बदला जा रहा है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

(ज) और (झ). क्वार्टर नं. 1811 का टैंक दिनांक 19.8.94 को बदल दिया गया था।

(ञ) प्रश्न नहीं उठता।

(ट) बरामदे को दिशा-निर्देशों के तहत कवर किया जा रहा है जिसके लिए धनराशि की उपलब्धता तथा आवेदन प्राप्त होने की शर्त पर आबंटी को निर्माण लागत की 10 प्रतिशत राशि वहन करनी होती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूखंड का आबंटन

3949. डा. अरविन्द शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहिणी रिहायशी योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूखंड (मध्यम वर्गीय आय) के आबंटन हेतु 1981 में पंजीकृत सभी आवेदकों को अब तक भूमि का आबंटन कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन आवेदकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक भूखंडों का आबंटन नहीं किया गया है;

(ग) क्या दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश/आदेश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन भूखंडों को कब तक आबंटित कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख). जी, हां। तथापि, हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में तीन मामले आये हैं जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित श्रेणी के बजाए अनजाने में सामान्य श्रेणी में शामिल कर लिए गए थे जो इस प्रकार हैं:—

क्र.सं.	नाम	आवेदन पत्र सं.
1.	श्रीमती सोहन देई	37818
2.	श्रीमती लीलावन्ती पत्नी स्व. सूरत सिंह	25881
3.	श्री सत्य प्रकाश डाबला	83898

(ग) और (घ). एक मामले में माननीय उपराज्यपाल ने आदेश दिये हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण 1990 की दर पर 1996-97 (आबंटन की तारीख) तक 18 प्रतिशत ब्याज पर पूंजी लागत अद्यतन करते हुए मांग पत्र जारी कर दे।

(ङ) उपर्युक्त तीनों पंजीकृत व्यक्तियों को विशेष प्लाट आबंटन किए जाने से पूर्व, कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। औपचारिकताएं पूरी होते ही, ड्रा करके विशिष्ट भूखंडों का आबंटन कर दिया जाएगा।

केरल में विद्युत परियोजनाएं

3950. डा. अरविन्द शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल सरकार ने राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए कुछ स्वतंत्र कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन एजेन्सियों के नाम तथा उनमें से प्रत्येक परियोजनाओं पर अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी हां।

(ख) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार आज की तारीख तक केरल राज्य में दस परियोजनाएं (जिनमें प्रत्येक की लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक है) जो समझौता ज्ञापन/आशय पत्र द्वारा प्रदान की गई थीं, को निजी क्षेत्रों द्वारा निष्पादित किये जाने का प्रस्ताव है। जिनके ब्यौरे निम्नवत् हैं:—

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता मे.वा.	अस्थाई लागत (रु. करोड़ों में)	कम्पनी का नाम
1.	अम्बाला मुगल सीसीजीटी	500	1650.00	कोचीन रिफाइनरी लि.
2.	चीमनी टी पी पी	500	2140.00	बी.पी.एल. ग्रुप
3.	कंजीकोडे डी जी पी पी	100	354.10	डब्ल्यू.आई. सर्विस व स्टेट लि.
4.	कन्नूर सी सी जी टी	500	1563.00	केपीपी नाम्बियार व एसोशिएट्स
5.	फिनोलेक्स सी सी जी टी	500	1701.00	फिनोलेक्स एनर्जी कार्पोरेशन लि.
6.	कसारगुड सी सी सी टी	60	222.10	कसारगुड पावर कार्पो. लि.
7.	कसारगुडा सी सी सी टी	2×309	2300.00	कसारगुड पावर कार्पो. लि.
8.	कुटोकल सी सी जी टी	348	1264.79	कुमार्स एनर्जी कार्पोरेशन
9.	पालाकड सी सी जी टी	344	1663.00	पलाक्कड पावर जनरेटिंग लि.
10.	विपिन सी सी जी टी	650	1915.56	सियासिन एनर्जी प्रा.लि.

लिपिक परीक्षा के प्रश्न-पत्र की बिक्री

3951. **श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी :**
श्री अजमीरा चन्दूलाल :
श्री मोहन रावले :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग की लिपिक वर्ग की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र बाजार में बेचे गए थे जैसा कि 24 सितम्बर, 1996 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण इसे निरस्त कर पुनः आयोजित कराने के लिए क्या कदम उठाऐ जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) लिपिक ग्रेड परीक्षा, 1996 के कुछ प्रश्न पत्र 21 सितम्बर, 1996 को दिल्ली स्थित कर्मचारी चयन आयोग के मुख्यालय के स्ट्रांग रूम से चोरी हुए पाए गए। स्थानीय पुलिस के पास इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। 24 सितम्बर, 1996 के इंडियन एक्सप्रैस समाचर-पत्र में छपी रिपोर्ट भी जांच के लिए पुलिस अधिकारियों को भेज दी गई है।

(ख) उक्त परीक्षा 22 सितम्बर, 1996 को हो गई है। इस परीक्षा को चुनिंदा केन्द्रों या देशभर के सभी केन्द्रों में रद्द करने का निर्णय पुलिस की जांच रिपोर्ट तथा विभिन्न परीक्षा केन्द्रों आदि में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के संबंध में किन्हीं असामान्य बातों जैसे अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही लिया जाएगा।

भा.प्र.से./भा.पु.से./भा.वि.से. के अधिकारियों की सेवा काल बढ़ाना

3952. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा के उन अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की संख्या और नाम क्या हैं जिनकी सेवा अवधि बढ़ाई गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ अधिकारियों विशेष की सेवा अवधि बढ़ाने का उन संभावित उत्तराधिकारी अधिकारियों, जो सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों से थोड़े ही कनिष्ठ हैं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है;

(ग) यह बात किस हद तक सही है कि ऐसी सेवावृद्धि उत्कृष्ट निष्पादन रिकार्ड के लिए नहीं दी जाती है बल्कि राजनीतिक आकांक्षाओं की व्यक्तित्वोन्मुखी सेवा के लिए दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ). विद्यमान अनुदेशों के अनुसार अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् सेवाकाल में वृद्धि का आश्रय पूर्णतः लोकहित में केवल आपवादिक तथा विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से कोई एक शर्त भी पूरी की जानी चाहिए :—

(1) अन्य अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने के लिए परिपक्व नहीं हैं; या

(2) सेवानिवृत्त होने वाला अधिकारी अति विशिष्ट योग्यता रखता है।

विवरण

उन अधिकारियों के नामों को दर्शाने वाला विवरण, जिन्हें 1.6.1996 से मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवाकाल में वृद्धि दी गई:—

क्र.सं.	नाम तथा पदनाम	सेवा-वृद्धि का समय
1	2	3
भा.प्र.से. सर्वश्री–		
1.	आर.वी. पिल्लई महासचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।	1.7.1996 से 30.6.1997 तक
2.	ए.के. बसाक, मुख्य सचिव, बिहार।	31.8.1996 के बाद छः माह
3.	टी.सी.के. लोथा, मुख्य सचिव, नागालैंड।	31.8.1996 के बाद छः माह
4.	जी.एम. ठाकुर, आयुक्त तथा सचिव, जम्मू और कश्मीर सरकार।	31.8.1996 के बाद तीन माह
5.	बी.एन. युगान्धर, सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय।	1.9.1996 से 31.3.1997 तक
6.	के. पद्मना भैया, सचिव, गृह मंत्रालय।	1.11.1996 से अगले आदेश तक
भा.पु.से.		
7.	बाल्मीकि शरण शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना।	30.6.1996 के बाद तीन माह

1	2	3
8.	एन.एन. सिंह, विशेष सचिव, गृह मंत्रालय।	1.7.1996 से 31.12.1996 तक
अन्य		
9.	एन. रंगाचारी, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।	1.7.1996 से 31.7.1996 तक
10.	डी.बी. लाल, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।	1.7.1996 से 31.7.1996 तक
11.	सी.वी. गुप्ता, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।	1.7.1996 से 31.7.1996 तक
12.	सलमान हैदर, विदेश सचिव।	1.7.1996 से 30.6.1997 तक
13.	एस. गोपाल, विशेष सचिव, अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कंध, मंत्रिमंडल सचिवालय।	1.8.1996 से 30.11.1996 तक
14.	आर. चिदम्बरम, सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग।	1.12.1996 से 30.11.1997 तक
15.	एस.के. कपूर, महानिदेशक, आकाशवाणी, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय।	1.11.1996 से 31.10.1997 तक
16.	डी.सी. भौमिक, महानिदेशक (समाचार), आकाशवाणी, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	1.11.1996 से 30.4.1997 तक
17.	एस.डी. मिश्रा, निदेशक (इंजीनियरी), दूरदर्शन महानिदेशालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय।	1.8.1996 से 31.1.1997 तक
18.	आर.एस. रावत, उप महानिदेशक, दूरदर्शन, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय।	1.3.1996 से 28.2.1997 तक
19.	डा. जे.एल. श्रीवास्तव, चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्रालय।	1.7.1996 से 30.6.1997 तक
20.	ए.के. चौधरी, संयुक्त वस्त्र आयुक्त (आर्थिक), वस्त्र मंत्रालय।	1.5.1996 से 28.6.1996 तक
21.	एन.सेन रे, महानिदेशक (मौसम विज्ञान), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।	1.1.1997 से 31.12.1997 तक
22.	एस.सी. रस्तोगी, अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क मंडल।	1.1.1997 से 28.2.1997 तक

गहरे समुद्र में मत्स्यन

3953. श्री नवल किशोर राय :
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री मोहन रावले :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों को जारी लाइसेंसों को समिति द्वारा रद्द करने की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिसम्बर, 1996 में अपनी नई समुद्र नीति घोषित करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् इस विलम्ब के क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) गहन समुद्री मत्स्यन नीति संबंधी पुनरीक्षण समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि संयुक्त उद्यम के साथ-साथ लीजिंग और चार्टर के तहत गहन समुद्री मत्स्यन जलयान चलाने के लिए जारी किए गए सभी लाइसेंसों/अनुमतियों को उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया के अधीन रद्द कर दिया जाए। इस सिफारिश के सिलसिले में सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों और/अथवा इन अनुमतियों की शर्तों का उल्लंघन करने पर ही प्रत्येक मामले में वैध लाइसेंसों/अनुमतियों को रद्द करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति, 1991 को भी रद्द करने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग). एक नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम

3954. श्री सुशील चन्द्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल भंडार सर्वेक्षण में तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम का क्या योगदान है तथा इनमें से कुल कितना भंडार विदेशी कंपनियों को दिए जाने का विचार है; और

(ख) तेल कुंओं की कुल संख्या क्या है, ये कहां कहां स्थित हैं तथा तेल कुंओं में पेट्रोलियम पाए जाने की क्या संभावना है तथा निजी विदेशी कंपनियों को आवंटित किए जाने वाले भंडार का क्या ब्यौरा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) दिनांक 01 अप्रैल, 1996 को तेल एवं गैस का कुल स्थानिक भंडार 5615.65 मि. मीट्रिक टन (ओ + ओ ई जी) है जिसका निकासी योग्य भंडार 1371.57 मि. मीट्रिक टन (ओ+ओ ई जी) है। वर्ष 1993 और 1994 में एवार्ड किए गए मूलाधिक संयुक्त उद्यमों/निजी कंपनियों (विदेशी कंपनियों समेत) के प्रचालनों के तहत तेल एवं गैस भंडार 154.86 मि. मीट्रिक टन (ओ+ओ ई जी) है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 11 लघु आकारीय क्षेत्र तथा 1 मध्यमाकारीय क्षेत्र एवार्ड किया है जिनके संबंध में संविदाओं में अभी हस्ताक्षर होने हैं।

(ख) दिनांक 01 अक्तूबर, 1996 को तटवर्ती तथा अपतटीय दोनों क्षेत्रों में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा वेधित तेल कूपों की कुल संख्या 3652 (विस्तारणीय कूपों को छोड़कर) है। क्षेत्रवार/बेसिनवार ब्यौरे विवरण में दिए हैं।

दिनांक 1 अप्रैल, 96 की स्थिति के अनुसार आयल इंडिया लि. ने असम और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 614 तेल कूप तथा राजस्थान में एक संरचना में 5 तेल कूप वेधित किए हैं।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा सिद्ध कुल स्थानिक तेल भंडार 575.81 मि. मीट्रिक टन है।

सरकार ने ओ एन जी सी द्वारा खोजे गए 4 मध्यमाकारीय तथा 13 लघु आकारीय तेल/गैस क्षेत्रों के विकास के संबंध में निजी प्रतिभागिता के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने 11 लघु आकारीय क्षेत्रों, 1 मध्यमाकारीय क्षेत्र के लिए संविदायें एवार्ड की हैं जिसके लिए संविदाओं पर अभी हस्ताक्षर होने हैं। इन क्षेत्रों के अन्तर्गत अनुमानित स्थानीय/भंडार क्रमशः 71.11 मि. मीट्रिक टन तथा 14.61 मि. मीट्रिक टन हैं।

आयल इंडिया लिमिटेड ने 1 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार 2.48 मि. मीट्रिक टन की शेष निकासी योग्य भंडार की स्थिति को रखते हुए अरुणाचल प्रदेश के अन्तर्गत अपने खरसांग तेल क्षेत्र के लिए एक उत्पादन हिस्सेदारी संविदा में भी हस्ताक्षर किए हैं।

विवरण

क्षेत्रवार/बेसिनवार-तेल कूप
(1 अक्तूबर, 1996 को)

भूस्थित क्षेत्र	बेसिन	तेल कूपों की संख्या
सी आर बी सी	असम-अराकान फोल्ड बेल्ट	0
ई आर बी सी	असम-अराकान फोल्ड बेल्ट	26
	ऊपरी असम	601
एस आर बी सी	कावेरी	65
	कृष्णा-गोदावरी	13
डब्ल्यू आर बी सी	कैम्बे	2327
	जैसलमेर	
	कुल भूस्थित	3032
अपतटीय		
बी आर बी सी	मुंबई अपतट	615
एस आर बी सी	कृष्णा-गोदावरी	5
	कुल अपतटीय	620
	कुल ओ एन जी सी	3652

टिप्पणी

1. उपरोक्त के अलावा पश्चिमी और पूर्वी तट अपतट में 196 विस्तारणीय तेल/गैस कूप हैं।
2. आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा बोधित कूपों की संख्या 7498 है जिसमें से 265 कूप संयुक्त उद्यम/निजी क्षेत्र कंपनियों को सौंपे गए लघु/मध्यमाकारीय, क्षेत्रों के अंतर्गत पड़ते हैं।

विवेकाधीन आवंटन कोटा

3955. श्री बलाई चन्द्र राय : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पेट्रोलियम मंत्री के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए सरकार का विचार मंत्रियों द्वारा सभी

प्रकार के विवेकाधीन मामलों को तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का है: और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों में मंत्रियों द्वारा अब तक उपयोग में लाए जा रहे विवेकाधीन कोटे को समाप्त करने का निर्णय किया है। यह भी निर्णय किया गया है कि उन मामलों में जहां थोड़ी संख्या में बिना बारी के आबंटन करना आवश्यक है, वहां संबद्ध मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि वे इस बारे में स्पष्ट नियम एवं दिशानिर्देश तैयार करें एवं केवल इसी उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा बिना बारी के आबंटन करने की व्यवस्था करें।

आई.ए.एस. अधिकारियों की नियुक्ति

3956. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 सितम्बर, 1996 के "द हिन्दू" में "57 परसेन्ट ऑफ आई.ए.एस. नोट पोस्टेड एट सेन्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) आई.ए.एस. अधिकारियों को केन्द्र में नियुक्त करने के लिए क्या मापदण्ड हैं और सभी आई.ए.एस. अधिकारियों को केन्द्र में नियुक्त नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आई.ए.एस. अधिकारियों की एक बार केन्द्र में नियुक्ति को अनिवार्य बनाने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती, कार्य अपेक्षाओं तथा अधिकारियों की योग्यता, क्षमता, अर्हता एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए की जाती है। विभिन्न राज्यों के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, तथा नीति योजना, नीति निर्माण एवं विभिन्न स्रोतों से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में वरिष्ठ स्तरों पर नए अधिकारियों की केन्द्र में आवश्यकता पर भी समुचित रूप से ध्यान दिया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए परिकल्पित संवर्ग संरचना में, नियमों के अधीन केवल यह अपेक्षा है कि संवर्ग पद संख्या के एक औचित्य-पूर्ण अनुपात को केन्द्र तथा राज्यों के बीच तैनाती के लिए परस्पर अदला-बदला जाए।

(ग) और (घ). जी नहीं।

धन का संग्रह

3957. श्री के.पी. नायडू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा धन तथा अचल संपत्तियों का संग्रह किए जाने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इस संबंध में कितने मामले दर्ज किए गए हैं तथा अब तक कितने मामलों में जांच पूरी कर ली गई है; और

(ग) 1 जुलाई, 1996 से प्राप्त सभी शिकायतों की जांच पूरा करने हेतु अनुमानतः कितने समय की आवश्यकता है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) पिछले छः महीनों अर्थात् 1.6.1996 से 30.11.1996 तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में सरकारी कर्मचारियों द्वारा धन तथा अचल संपत्तियों के संग्रह से संबंधित कुल 156 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) उपरोक्त शिकायतों में से 22 मामलों को आवश्यक प्रमाणन के बाद, रजिस्टर कर लिया गया है तथा जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई है। इन मामलों में निर्धारित प्रक्रिया एवं देश के कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ग) चूंकि मामले हाल ही में दर्ज किए गए हैं इसलिए जांच-पड़ताल को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। तथापि, जांच कार्य को शीघ्रता से पूरा करने तथा कानून के अनुसार मामलों का निपटान करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

3958. श्री चिन्तामन वानगा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से उन्हें विभाग की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का सदस्य बने रहने पर चिकित्सा लाभ देने के संबंध में कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपलब्ध न्यूनतम सुविधाएं देने की व्यवस्था है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग को जुलाई, 1996 माह में एक ही जैसे अभ्यावेदन उन छः व्यक्तियों से प्राप्त हुए थे जो सेवा-निवृत्त कर्मचारी हैं और तारापुर में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) के सदस्य हैं। उनका अनुरोध इस योजना में नीचे उल्लिखित कुछ परिवर्तनों को शामिल किए जाने के लिए था:—

(1) चिकित्सा के संबंध में सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को यात्रा-भत्ते का भुगतान;

(2) श्रवण-सहाय/मोतियाबिंद की शल्य-चिकित्सा के बाद विशेष लैंस उपलब्ध कराना;

(3) सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को स्थायी सी एच एस एस कार्ड जारी करना, जैसाकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में किया जाता है।

(4) सी एच एस एस के पात्र "पेंशनभोगियों" से संबंधित परिभाषा बदलना।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

धनराशि की मंजूरी

3959. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं और आठवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल को मलिन बस्तियों के विकास सफाई और जलापूर्ति के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी और शीर्षवार आवंटित राशि में से कितनी राशि का अभी उपयोग किया जाना है;

(ख) उक्त राशि में से कलकत्ता निगम और हावड़ा निगम के लिए पृथक रूप से कितनी राशि मंजूर और खर्च की गई;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कलकत्ता और हावड़ा के लिए विश्व बैंक और अन्य विकास अभिकरणों की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल में स्लम विकास, शहरी जल आपूर्ति और सफाई के लिए सातवीं और आठवीं योजना के दौरान परिव्यय और व्यय, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चूंकि ये राज्य के विषय हैं इसलिए नगर/निगम कर भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की मोनिटरिंग संघ सरकार द्वारा नहीं की जाती।

(ग) और (घ). विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ।।। कलकत्ता नगर विकास परियोजना जून, 1983 से मार्च, 1992 के बीच कार्यान्वित की गयी। इस परियोजना में 147 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व बैंक सहायता सहित 288 करोड़ रुपये की लागत पर जल आपूर्ति, जल निकास, अवस्थापना, ट्रांस म्यूनिसिपल सुविधाएं और स्लम सुधार का विचार किया गया।

कलकत्ता स्लम सुधार परियोजना पर 12.240 मिलियन पौंड राशि के लिए 23.5.91 को इंगलैंड सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए। परियोजना की समापन तिथि 31.3.98 है। यह परियोजना कलकत्ता तथा हावड़ा नगर निगम क्षेत्र में रहने वाली करीब 6.29 लाख स्लम आबादी की जीवन परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए तैयार की गई है।

विवरण

(रुपये करोड़ों में)

	शहरी स्लमों का पर्यावरणीय सुधार		शहरी जल आपूर्ति तथा सफाई	
सातवीं योजना (1958-90)				
	परिव्यय	**व्यय**	**परिव्यय**	**व्यय**
1985-86	4.00	6.50	6.00	7.05
1986-87	6.55	6.55	8.00	8.23
1987-88	6.93	6.93	5.80	6.59
1988-89	7.89	7.89	5.43	6.53
1989-90	8.50	8.50	7.65	7.17
आठवीं योजना (1992-93)				
1992-93	10.50	26.00	9.99	0.76
1993-94	7.00	4.04	6.53	5.73
1994-95	5.00	1.00	10.12	10.12
1995-96	2.70	2.00	4.36	-
1996-97*	-	-	-	-

* परिव्यय योजना आयोग द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों के लिए पेयजल एवं आवास

3960. श्री अरविंद कुमार शर्मा : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में "इंदिरा आवास योजना" के अंतर्गत कितने मकानों का निर्माण किया गया और मकानों को आवंटित खुले एवं निर्मित क्षेत्र की भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ आवंटियों के पास रहने के लिए उचित आवास सुविधा थी जिसके परिणामस्वरूप आवंटित मकानों में अभी किसी ने भी रहना शुरू नहीं किया है;

(ग) कितने व्यक्तियों के पास अभी तक आवास सुविधा नहीं है और उनकी उपेक्षा करने के कारण क्या हैं;

(घ) क्या अनुसूचित जाति के लोगों के लिए लगाए गए हैंड पम्प कई वर्षों से खराब पड़े हैं जिसके परिणामस्वरूप लोगों को पेयजल के लिए दूसरों पर निर्भर करना होता है;

(ङ) क्या सरकार भविष्य में राज्य के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पेयजल एवं पक्के मकानों की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार को यह सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) इंदिरा आवास योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक राजस्थान में अक्तूबर, 1996 तक निर्मित मकानों की संख्या 154127 है। इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार मकान की लागत, आकार और डिजायन का स्वरूप स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर होगा।

अतः मकान के कुर्सी क्षेत्र, जो कि 20 वर्ग मीटर होना चाहिए, को छोड़कर इंदिरा आवास योजना मकानों हेतु डिजाइन का कोई स्वरूप निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पत्रों की प्राप्ति

3961. श्री अमर राय प्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन से 1 अगस्त, 1995 से 30 नवम्बर, 1996 की अवधि के दौरान मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सेवा भवन, सर्किल-VI तथा एस. डिवीजन, ईस्ट ब्लाक, आर.के. पुरम, नई दिल्ली के कार्यालयों से प्राप्त पत्रों की क्या संख्या है;

(ख) उक्त कार्यालय अधिकारियों द्वारा कितने पत्रों की अब तक पावती नहीं दी हुई है;

(ग) अब तक कितने पत्रों का अंतिम उत्तर नहीं भेजा गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार "एरिया वेलफेयर एसोसिएशन" से प्राप्त पत्रों की प्राप्ति स्वीकृति/उत्तर नहीं देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पर्यावरण प्रदूषण

3962. श्री भगवान शंकर रावत: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत ताज क्षेत्र को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा कार्य योजना निर्धारित समय के अनुसार चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की पूर्व योजना के अनुसार आगरा-फिरोजाबाद क्षेत्र में अनुपूरक प्राकृतिक गैस की पाइप लाइन बिछाने और काफी वितरण प्रणाली विकसित करने के लिए कोई अनुपूरक प्रणाली शुरू की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में निजी क्षेत्र से कोई निविदाएं आमंत्रित की गई हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी निबन्धन और शर्तें क्या हैं; और

(ज) वहां पर निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार द्वारा तैयार की गई दस सूत्री कार्य योजना के अनुसार एल पी जी प्रतीक्षा सूची वास्तव में समाप्त हो चुकी है, अनेक खुदरा बिक्री केन्द्रों ने ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में सीसा रहित पेट्रोल की आपूर्ति करना आरंभ कर दिया है, 0.25 प्रतिशत सल्फर वाले डीजल की आपूर्ति 1.9.96 से की जा रही है, उद्योगों और मथुरा रिफाइनरी को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए योजनाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलाई जा रही हैं, एल पी जी उद्योगों को अधिमान आधार पर दी जा रही है, मथुरा रिफाइनरी का पर्यावरणीय परीक्षण अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एजेंसी द्वारा किया गया है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों की पहचान की गई है, सरकार ने मथुरा रिफाइनरी के लिए हाईड्रोक्रेकर प्रौद्योगिकी हेतु एक परियोजना अनुमोदित कर दी है तथा पर्यावरणीय प्रबन्धन के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता की जांच की जा रही है।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता। मथुरा रिफाइनरी और आगरा-फिरोजाबाद क्षेत्र में उद्योगों के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है।

(च) और (छ). आगरा और फिरोजाबाद में प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए गेल ने संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना करने के लिए पक्षकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। निबंधनों और शर्तों के अनुसार मुख्य अपेक्षाएं थीं कि पक्षकार :

(1) 5 वर्ष के अस्तित्व वाला पंजीकृत होना चाहिए।

(2) उसने 50 करोड़ रुपये अथवा अधिक की परियोजना चलाई हो।

(3) उसकी इक्विटी न्यूनतम 5 करोड़ रुपये होनी चाहिए।

(4) उसने कम से कम 100 औद्योगिक उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान की हों।

(ज) संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लम्बित रहते, गेल ने 1.11.1996 से पाइपलाइन का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है।

[अनुवाद]

नौकरशाहों की बैठक

3963. श्री संतोष मोहन देव :

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री मुख़तार अनीस :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के मुख्य सचिवों को सम्मेलन में राजनीतिज्ञों तथा नौकरशाहों के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा नियुक्ति और स्थानांतरण तथा अन्य सेवा संबंधी मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिए सिविल सेवा बोर्ड की स्थापना करने हेतु नीति तथा सिविल सेवा संहिता का एक सांविधिक चार्टर बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में नौकरशाही के दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक चार्टर प्रस्तुत करने का भी सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उन सिफारिशों तथा सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रमण्यन) : (क) से (ग). भारत सरकार का यह प्रयास रहा है कि विभिन्न स्तरों पर स्वच्छ, उत्तरदायी, उन्मुख, विकेन्द्रीकृत और जवाबदेह शासन स्थापित हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किये गए प्रयासों के एक हिस्से के रूप में सरकार ने "प्रभावी और जिम्मेदार प्रशासन" विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर परिचर्चा शुरू की। दिनांक 20 नवम्बर, 1996 को आयोजित मुख्य सचिवों का सम्मेलन इस दिशा में पहला कदम है।

मुख्य सचिवों के सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें कीं :—

(1) भारत सरकार और राज्य सरकारों को सिविल सेवा के लिए नीति विषयक चार्टर और सिविल सेवा संहिता तैयार करनी चाहिए जो धर्मनिरपेक्षता, समानता, निष्पक्षता, सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गों की जरूरतों की ओर ध्यान देने संबंधित तथा कानून के शासन आदि जैसे भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों पर आधारित हों।

(2) राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया जाएगा कि वे सभी स्तरों पर अधिकारियों की तैनाती, पदोन्नति और स्थानान्तरण से संबंधित सुस्पष्ट निर्णय लेने के लिए उपयुक्त तंत्र बनायें जिसमें कि उच्च शक्ति प्राप्त सिविल सेवा बोर्ड भी शामिल है, और संबंधित नियमों में संशोधन करें।

(3) उत्तरदायित्व की व्याख्या-लोक संतुष्टि तथा सेवाओं के जिम्मेदारी से निष्पादन के संदर्भ में व्यापक अर्थ में की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए यथासम्भव अधिकाधिक सेवा संस्थानों के लिए नागरिक चार्टर को चरणबद्ध ढंग से लागू करने पर विचार किया जा सकता है।

सम्मेलन की सिफारिशों का व्यापक प्रचार किया गया है तथा इन पर तुरंत कार्रवाई के लिय केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को लिखा जा रहा है। विभिन्न नागरिक समूहों तथा राज्य सरकारों के विचार समेकित करने के बाद मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने का इरादा है।

गैस की आपूर्ति

3964. श्री भेरूलाल मीणा :

श्री ताराचन्द भगोरा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जैसलमेर जिला अंतर्गत रामगढ़ गैस विद्युत संयंत्र को किस मूल्य पर गैस की आपूर्ति की जाती है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गैस के मूल्य की समीक्षा करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सकरार का विचार राजस्थान में लघु गैस क्षेत्रों से गैस के उपयोग में वृद्धि करने तथा इस प्रकार मरूभूमि में आधारभूत ढांचे का विकास करने के उद्देश्य से गैस का मूल्य कम करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रामगढ़ में गैस आधारित ताप विद्युत संयत्र को आपूर्ति किए जा रहे गैस में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है जो विद्युत उत्पादन में ताप ऊर्जा प्रदान करने में सहयोगी नहीं है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार का मरूभूमि तराई तथा गैस की क्षमता की उपलब्धता के विचार रियायती दरों को अधिसूचित करने की योजना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (छ). उत्तर-पूर्व के सिवाय पूरे भारत में गैस का मूल्य परिवहन प्रभारों, रायल्टी तथा करों को छोड़कर 1850 रु. प्रति हजार घनमीटर है। इस संबंध में राजस्थान सरकार के अनुरोध पर विचार करते हुए सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, रामगढ़ को आपूर्ति की गई गैस के मूल्य में 15 प्रतिशत की छूट की अनुमति दे दी है। गैस के न्यून ऊष्मीय परिमाण के कारण विद्युत संयंत्र को भी गैस के मूल्य में छूट पाने का हक है।

(ङ) और (च). जी, हां। गैस नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 40 प्रतिशत है।

मछुआरों हेतु राष्ट्रीय योजना

3965. श्री गोपाल भाई टंडेल : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछुआरों के लिए राष्ट्रीय योजना की शुरूआत कब की गई थी;

(ख) क्या उक्त योजना को संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में लागू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का योजनावार ब्यौरा क्या है तथा लाभांवित मछुआरों की संख्या कितनी है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या चक्रवात के दौरान प्रत्येक पंजीकृत नौका (क्राफ्ट) को त्वरित संचार के लिए वायरलैस सैट उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमाराय) : (क) पिछली दो स्कीमों-जनता वैयक्तिक दुर्घटना नीति (1982-83 में शुरू) और मछुआरों हेतु राष्ट्रीय कल्याण निधि (1986-87 में शुरू) तथा साथ ही बचत सह राहत नामक एक नए संगठक को जोड़कर 1991-92 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण स्कीम शुरू की गई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रेड-I की सलैक्ट लिस्ट

3966. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** ग्रेड-I की सलैक्ट लिस्ट के बारे में 11 अगस्त, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5297 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सचिवालय सेवा को ग्रेड-I और सलैक्शन ग्रेड संबंधी सलैक्ट लिस्ट प्रकाशित करने से वंचित करने संबंधी अभियोग का निबटारा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पदोन्नति करने के लिए ग्रेड-I और सलैक्शन ग्रेड सलैक्ट सूची को जारी करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग). केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 22.3.1995 के आदेश के अनुपालन में 15.5.1996 को अनुभाग अधिकारियों की सामान्य वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के फलस्वरूप 1984 से 1986 तक के वर्षों के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के पैनलों की समीक्षा का कार्य तथा 1987 के पैनल की तैयारी का कार्य प्रारंभ में हाथ में लिया गया है। इस संबंध में संघ लोक सेवा आयोग को लिखा गया है। उक्त कार्य को पूरा करने के बाद चयन ग्रेड सलैक्ट सूची तैयार की जा सकती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस कनेक्शन

3967. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्य/मंत्रियों के कोटे से प्रत्येक राज्य में कितने रसोई गैस कनेक्शन मंजूर किए गए; और

(ख) संसद सदस्यों और मंत्रियों के कोटे का वर्षवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). माननीय संसद सदस्यों को हर तिमाही के लिए 25 अग्रता वाउचर और पेट्रोलियम मंत्रालय से संबद्ध

परामर्शदात्री समिति के सदस्यों तथा पे. और प्रा. गै. मंत्रालय की स्थायी समिति के सदस्यों को 30 अग्रता वाउचर प्रदान किए जाते हैं। माननीय सदस्य किसी भी व्यक्ति को, जो देश के किसी भी भाग में अग्रता कनेक्शन प्राप्त कर सकता है, कनेक्शन जारी करने को स्वतंत्र है। जारी करने के लिए संसद सदस्यों को उपलब्ध कराए गए अग्रता वाउचरों की वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है :—

1993-94	57750
1994-95	77000
1995-96	77000

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा जारी किए गए एल पी जी कनेक्शनों की वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है :—

1993-94	20616
1994-95	75747
1995-96	106802

अग्रता एल पी जी कनेक्शन राज्य के आधार पर जारी नहीं किए जाते।

[हिन्दी]

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का आधुनिकीकरण

3968. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल :
कुमारी उमा भारती :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का आधुनिकीकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). जी हां। सीएसआईआर की इकाई भारतीय पेट्रोलियम संस्थान नें अपने उपकरणों तथा मूलभूत सुविधाओं के आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु योजना तैयार की है। संस्थान इस उद्देश्य के लिए बजटीय सहायता को पूरा करने के लिए बाह्य स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है। अन्यों के साथ उपकरणों/सुविधाओं के आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु इन्डस्ट्रीयल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (आईसीआईसीआई) से रु. 17.50 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इसके प्रस्ताव को सीएसआईआर द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

[अनुवाद]

इमेरिट्स वैज्ञानिक

3969. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अप्रैल, 1996 के "इकोनोमिक टाइम्स" में "सिनेक्योर-ग्रेविंग हाई प्रोस्ट्स ऑफ साइंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत इमेरिट्स वैज्ञानिकों को मिलने वाली परिस्थितियों संबंधी नियम क्या हैं; और

(घ) अधिकारियों की विदेश यात्रा संबंधी नियम क्या हैं और सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी डा. ए.पी. मित्रा की सरकारी विदेश यात्राओं का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी यात्राओं का उद्देश्य क्या था?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). सीएसआईआर की इमेरिट्स वैज्ञानिक योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को उनकी विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों विशेषतया सीएसआईआर के कार्यक्रमों तथा गतिविधि की दृष्टि से प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान करने, पुस्तक/मोनोग्राफ इत्यादि लिखने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

वह वैज्ञानिक, जो अपनी विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ हैं तथा अपनी अधिवर्षिता प्राप्ति से पहले के पांच वर्षों के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न रहा हो, इस योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए पात्र होगा। इस अनुदान में निम्नलिखित सम्मिलित हैं (1) इमेरिट्स वैज्ञानिक (ईएस) को ईस अवधि के दौरान 5000/- रुपए प्रतिमाह का मानदेय; (2) प्रतिवर्ष उचित आकस्मिक अनुदान तथा (3) अनुसंधान फैलो/एसोसियेटों के रूप में तकनीकी सहायता।

यह योजना प्रारम्भ में तीन वर्ष के लिए स्वीकृत की जाती है। समिति की सिफारिश पर इसे दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह 65 वर्ष की आयु तक लागू होती है। डा. ए.पी. मित्रा को सचिव, डीएसआईआर तथा महानिदेशक, सीएसआईआर के पद से अधिवर्षिता प्राप्ति के बाद उन्हें भटनागर फैलोशिप प्रदान की गई। यह योजना इमेरिट्स वैज्ञानिक योजना से भिन्न है। फैलोशिप की शर्तों के तहत पांच लाख रुपए तक की राशि प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाती है। इस के अंतर्गत फैलोशिप प्राप्त करने वाले का वेतन एवं भत्ते तथा अन्य व्यय जैसे कार्यालय स्थल, सचिवीय सहायता, आवासीय सुविधाएं, परिवहन, कार्यालयी तथा आवासीय टेलीफोन, फैलोशिप से संबंधित यात्रा व्यय तथा अन्य आकस्मिक व्यय इत्यादि होता है। भटनागर

फैलोशिप की अवधि अब समाप्त हो चुकी है तथा डा. मित्रा को आण्विक ऊर्जा विभाग द्वारा डा. होमी भाभा वरिष्ठ फैलोशिप प्रदान की गई है।

डा. मित्रा द्वारा अधिकतर विदेशी दौरे यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी की शासी परिषद के सदस्य तथा स्टार्ट-सैस्कोम इत्यादि के अध्यक्ष की हैसियत से किए गए हैं। ऐसे दौरों से संबंधित व्यय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वहन किए गए हैं। पूर्ण अथवा आंशिक रूप से सरकारी व्यय पर किए गए विदेशी दौरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

डा. ए.पी. मित्रा के विदेशी दौरों का विवरण

	स्थान तथा अवधि	प्रयोजन
	1	2
1.	आस्ट्रेलिया, जून 91	ग्रीनहाउस गैस तथा जलवायु परिवर्तन पर एएससीए कार्यशाला में भाग लेने हेतु : सीएसआईआर-डीआईटीएसी समझौते के अंतर्गत विश्वव्यापी परिवर्तन कार्यक्रम में और अधिक सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए प्रयोगशालाओं/संस्थानों के दौरे तथा एशियन परिदृश्य।
2.	यू.के. बियाना, अगस्त, 91	यू.के. में एमएसटी राडार कार्यशाला में तथा बियाना में एससीओएसटीईपी बैठक में भाग लेने हेतु।
3.	सिंगापुर, दिसम्बर 91	अंतर्राष्ट्रीय जियोस्फीअर-बायोस्फीअर कार्यक्रम की बैठक में अध्यक्ष के रूप में भाग लेने हेतु, एनएटी, सीटीई-आइजीबीपी।
4.	चीन, जनवरी 92	आइपीसीसी के डब्ल्यूजी के तृतीय सत्र में भाग लेने हेतु।
5.	जापान, मार्च 92	वातावरण पर्यावरणीय विज्ञान की एमिशन इन्वेन्टरी तथा प्रिवेन्शन पर अंतर्राष्ट्रीय आईटीआईटी संगोष्ठी में भाग लेने हेतु।
6.	फ्रांस, अप्रैल 92	आईसीएसयू की एसएफसी की बैठक में भाग लेने हेतु।
7.	वाशिंगटन तथा जर्मनी, अक्तूबर 92	एक्कोस्टेप बैठक में भाग लेने तथा विश्वव्यापी परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने सेंदिएगो में स्क्रीप्पस इंस्टीट्यूट का दौरा। मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फर कैमि, मैंज में रसायन संबंधी विश्वव्यापी परिवर्तन पर सहयोगी कार्य करने हेतु।
8.	मैक्सिको, जनवरी 93	आईजीबीपी-एसएसी की तीसरी बैठक में भाग लेने हेतु
9.	ताईवार, यूएसए तथा जापान, अगस्त-सितम्बर, 93	एमएसटी राडार कार्यशाला में भाग लेने, यूएसए में बैठक तथा जापान में यूआरएसआई आम सभा में भाग लेने हेतु।
10.	श्रीलंका, फरवरी 94	अध्यक्ष, सैस्कॉम के रूप में स्टार्ट बैठक में भाग लेने हेतु।
11.	बॉन, मार्च 94	राष्ट्रीय आईजीबीपी समिति की बैठक में भाग लेने हेतु एनसी-आईजीबीपी के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षों की बैठक में भाग लेने।
12.	बीजिंग, अगस्त 94	विज्ञान कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए सीएसआईआर-एनएसएफसी बैठक तथा संगोष्ठी
13.	ब्रूसेल्स, सितम्बर 94	सैस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में स्टार्ट क्षेत्रीय निदेशकों तथा स्थायी समिति बैठक में भाग लेने हेतु
14.	जापान, मार्च 95	एपीएन बैठक में भाग लेने हेतु।
15.	ब्रूसेल्स, अप्रैल 95	यूआरएआई के पूर्व अध्यक्ष के रूप में यूआरएसआई की 75वीं वर्षगांठ में भाग लेने हेतु।
16.	ढाका, अगस्त 95	सैस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में सैस्कॉम योजना बैठक में भाग लेने हेतु।
17.	जिनेवा, सितम्बर 95	भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एसबीएसटीए बैठक में भाग लेने हेतु।

1		2
18.	अमरीका, सितम्बर 95	स्टार्ट स्थायी समिति की बैठक में भाग लेने हेतु।
19.	बीजिंग, अक्तूबर 95	एसएसी-I बैठक में भाग लेने हेतु।
20.	मलेशिया, नवम्बर 95	राष्ट्रमण्डल विज्ञान परिषद द्वारा सीआरईएन बैठक में भाग लेने हेतु
21.	बंगलादेश, दिसम्बर 95	स्टार्ट तथा सैस्कॉम बैठकें।
22.	टोकियो, जनवरी 96	एपीएन बैठक में भाग लेने हेतु।
23.	जिनेवा, फरवरी/मार्च 96	भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एसबीएसटीए बैठक में भाग लेने हेतु।
24.	बैंकॉक, मार्च 96	एपीएन बैठक में लेने हेतु।
25.	जर्मनी, अप्रैल 96	सैस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में स्टार्ट की प्रथम कांग्रेस बैठक में भाग लेने हेतु।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसियां

3970. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश और मध्य प्रदेश में आरक्षण कोटा निर्धारित करके अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य लोगों को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन आयल कार्पोरेशन की रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल पम्प आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार और प्रतिशतवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान निर्धारित नीति के अनुसार मध्य प्रदेश को रसोई गैस एजेंसियां उपलब्ध कराई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन्हें कार्य करने योग्य बनाने हेतु क्या अन्य सुविधाएं दी गई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). वर्तमान नीति के अंतर्गत सामान्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:—

अनु.जा./अनु.जन.जा. (अनु.जा./अनु.जन.)	– 25%
शारीरिक रूप से विकलांग (श.वि.)	– $7^1/_2$%
प्रतिरक्षा (प्र.)	– $7^1/_2$%
स्वतंत्रता सेनानी (स्व.से.)	– 3%
उत्कृष्ट खिलाड़ी (उ.खि.)	– 2%
सामान्य (सा.)	– 55%

(ग) और (घ). 1994-95 की एल पी जी विपणन योजना में मध्य प्रदेश के लिए 104 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं। श्रेणीवार ब्यौरा निम्नवत् है :—

अनु.जा./अनु.ज.जा.	– 27 (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति)
शा.वि.	– 8 (शारीरिक विकलांग)
प्र.	– 7 (प्रतिरक्षा)
स्व.से.	– 3 (स्वतंत्रता सेनानी)
उ.खि.	– 2 (उत्कृष्ट खिलाड़ी)
सा.	– 57 (सामान्य)

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवंटितियों को अपनी एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आरंभ करने में सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित तेल कंपनियां आवंटितियों को आसान शर्तों पर उपयुक्त कार्यशील पूंजी ऋण सहित हर पहलू से पूर्ण एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रदान करती हैं।

[अनुवाद]

पेट्रोल पम्प

3971. डा. बलिराम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड द्वारा 1994 के दौरान बिहार में अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को पेट्रोल पम्पों का आवंटन किया गया;

(ख) आज तक अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों को पेट्रोल पम्प दिया गया और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1994 में अनुसूचित जनजाति के जिन व्यक्तियों को पेट्रोल पम्प का आवंटन किया गया, उन्हें इसका कब्जा नहीं देने का क्या कारण है; और

(घ) इन पेट्रोल पम्पों का कब्जा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कब तक दे दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). 1994 के दौरान भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बी पी सी एल) ने बिहार में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत 5 खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए आशय पत्र जारी किए। इनमें से निम्नानुसार दो खुदरा बिक्री केन्द्र पहले ही चालू किए जा चुके हैं:—

1. बालूमठ–कुमारी रीतिचा एस. सुबानों
2. मीरगंज–श्रीमती दया कुमारी

शेष 3 मामलों में से बारही में खुदरा बिक्री केन्द्र दिसम्बर, 1996 के अंत तक चालू किए जाने की आशा है तथा बेगूसराय और जामामूर में खुदरा बिक्री केन्द्रों की प्रगति भूमि उपलब्ध न होने के कारण अब तक नहीं हो सकी।

न्यू पैटर्न स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत लोग

3972. डा. ए.के. पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन 1979 के अंतर्गत एम.आई.जी. श्रेणी में कुल कितने लोगों के नाम पंजीकृत हैं;

(ख) उनमें से कितने लोगों को भवनों का आवंटन नहीं किया गया;

(ग) डी.डी.ए. द्वारा सभी पंजीकृत लोगों को एम.आई.जी. फ्लैटों का आफर कब तक दे दिए जाने का विचार है;

(घ) क्या मध्यम वर्ग के लोगों की आय की तुलना में एन. पी.आर.एस.79 के अंतर्गत एम.आई.जी. फ्लैटों का मूल्य काफी अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) एन.पी.आर.एस.-79 के अंतर्गत एम.आई.जी. फ्लैटों के मूल्य में कमी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) 47,521

(ख) 30.11.96 को 11,868

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण को उम्मीद है कि अगर जमीन व अवस्थापना सुविधाएं मिली, जिनके लिए वह दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम डेसू आदि पर निर्भर है, तो सभी प्रतीक्षारत व्यक्तियों को करीब 2 वर्ष की अवधि में फ्लैट आंबटित कर दिए जाएंगे।

(घ) और (ङ). डी.डी.ए. फ्लैटों की लागत का निर्धारण समग्रतः "बिना लाभ हानि" आधार पर किया जाता है। इस समय डी. डी.ए. के एम.आई.जी. फ्लैटों की कीमत, कुर्सी क्षेत्र, मंजिल इलाका आदि के आधार पर, 5.50 लाख रुपये से 6.50 लाख रुपये के बीच है।

(च) डी.डी.ए. ने अपने फ्लैटो की कीमत को सीमित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:—

(1) निर्माण में पूंजी पर ब्याज की दर पहले के 17 प्रतिशत की तुलना में घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है।

(2) निर्माण में लगी पूंजी पर ब्याज की राशि, जो पहले 20 महीने के लिए ली जाती थी अब घटाकर दो मंजिले फ्लैटों के लिए 15 माह और दो से अधिक मंजिल वाले फ्लैटों के लिए 18 माह कर दी गयी है।

(3) दूर-दराज/बाहरी इलाकों (यथा नरेला और रोहिणी फेज-III) में स्थित फ्लैटों के लिए, फ्लैट के 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, कुर्सी क्षेत्र की दर से एकमुश्त छूट (डिस्काउंट) शुरू की गयी है।

(4) भूतल फ्लैटों पर लगाए जा रहे 5.5 प्रतिशत ई. डब्ल्यू. एस. प्रभार को खत्म कर दिया गया है तथा ऊपरी मंजिल के फ्लैट धारकों को राहत देने के लिए मंजिल समकरण प्रभारों की शुरूआत की गई है, जो प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय मंजिल फ्लैटों को क्रमशः 1 प्रतिशत 1 1/2 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत की छूट देते हुए, भूतल फ्लैट धारक के लिए 4.5 प्रतिशत बैठती है। इसके फलस्वरूप, ऊपरी मंजिलों पर स्थित एम.आई.जी. फ्लैटों की कीमत में 15,000 से 20,000 रुपये की कमी तथा ऊपरी एल. आई.जी. फ्लैटों की कीमत में 6,000 से 8,000 रुपये तक की कमी आई है।

(5) विशिष्ट मानकों का युक्तीकरण

(6) घनत्व/फर्शी क्षेत्र अनुपात उपयोग को इष्टतम बनाना।

(7) साज-सामान का बेहतर प्रबन्ध।

सार्वजनिक अवकाश

3973. डा. सी. सिल्वेरा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 दिसम्बर, 1996 और 18 जनवरी, 1997 को परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पृष्ठभूमि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में दुकानों और निजी कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी ये छुट्टियां मिलेंगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख). जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने, परक्राम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया है।

(ग) से (ङ). दुकानों और निजी कारखानों को बन्द रखना, सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित सांविधिक अधिनियमों द्वारा विनियमित होता है।

उपसचिवों का पैनल

3974. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** उप सचिवों का पैनल के बारे में 11 सितम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5193 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुभाग अधिकारियों के वरिष्ठता संबंधी विवाद का विभागीय सीमित केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-1 संबंधी परीक्षा, 1996 के आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों को अब तक उप सचिव के पद पर पदोन्नत क्यों नहीं किया गया; और

(ग) 1993, 1994, 1995 तथा 1996 के लिए सलैक्शन ग्रेड सलैक्ट सूची कब तक जारी कर दी जाएगी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग). केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 22.3.95 के आदेश के अनुसरण में 15.5.96 को अनुभाग अधिकारियों की सामान्य वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के फलस्वरूप अनुभाग अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता सूची में परिवर्तन हुआ है। उनमें से बहुत से लोगों की संगत वर्षों में अवर सचिव के पैनल में रखने की पात्रता में भी परिवर्तन हुआ है। 1987 के नियमित पैनल के प्रस्तावों के साथ-साथ 1984, 1985 तथा 1986 के ग्रेड-1 पैनलों की विभागीय पदोन्नति समिति की समीक्षा के प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिए गए हैं। 1993 से आगे चयन ग्रेड सलैक्ट लिस्टों को तैयार करना, इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही संभव होगा।

शेयरधारकों को लाभांश

3975. डा. सी. सिल्वेरा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भंडार के शेयरधारकों को प्रबंधन द्वारा कोई लाभांश नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष भारी मुनाफा होने के बावजूद लाभांश नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके कार्यालय रायसीना रोड, जिसके आसपास शेयर धारक कार्य करते हैं, पर दिसम्बर 1996 तक लाभांश का भुगतान करवाने के लिए कोई कार्यवाही करने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार शेयर धारकों को केन्द्रीय भंडार से खरीद करने पर कुछ नकद प्रोत्साहन देने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख). 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के वित्तीय वर्षों के लिए शेयर-कीमत के 10 प्रतिशत की दर से लाभांश घोषित किया गया है।

(ग) शेयर-धारक वर्ष 1995-96 तथा इससे पूर्व के वर्षों का लाभांश केन्द्रीय भंडार के किसी भी स्टोर से, जिसमें रायसीना मार्ग स्थित स्टोर भी शामिल है, 5 दिसम्बर, 1996 से तीन महीने की अवधि के भीतर प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) और (ङ). शेयर-धारकों के लिए 15 जनवरी 1997 तक बिक्री संवर्धन स्कीम चलाई गई है जिसके अंतर्गत किराने तथा अन्य उपभोक्ता सामान की 200.00/-रु. की एक-मुश्त खरीद पर 20/-रु. के उपहार तथा 400/-रु. की एकमुश्त खरीद पर 40/-रु. का उपहार शेयर-धारक प्राप्त कर सकता है। यदि शेयर धारक चाहे तो, उपहार की राशि का वह सामान प्राप्त कर सकता है।

[हिन्दी]

रेडियो-धर्मिता

3976. श्री सुशील चन्द्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन परमाणु केन्द्रों के नाम क्या हैं जिनकी मियाद निकट भविष्य में पूरी हो जाएगी;

(ख) इन विद्युत केन्द्रों से उत्पन्न हुए रेडियो-धर्मिता के खतरे को टालने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) उन परमाणु विद्युत संयंत्रों के नाम क्या हैं जिनसे पिछले माह के दौरान रेडियो-धर्मिता लीक हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संयंत्र के आस-पास रहने वाले परिवारों पर इसके प्रभाव का निर्धारण करने के लिए क्या कोई अध्ययन कराया गया था; और

(च) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). तारापुर परमाणु बिजलीघर-1 और 2 सबसे पुराना ऐसा परमाणु बिजलीघर है जिसने सफल प्रचालन के 27 वर्ष पूरे कर लिए हैं और जिसे व्यापक कार्यकाल विस्तार कार्यक्रम के आधार पर वर्ष 2009 ईसवी तक चलाना जारी रखने के बारे में इस समय समीक्षा की जा रही है। देश के सभी परमाणु विद्युत संयंत्रों में व्यापक सेवाकालीन निरीक्षण और जहां जरूरी हो, आवश्यक संशोधन किए जाते हैं ताकि कालप्रभावन की वजह से उत्पन्न जरूरतों को कारगर रूप से पूरा किया जा सके।

(ग) देश में स्थापित किसी भी परमाणु विद्युत संयंत्र में से पिछले महीने पर्यावरण में उन्मुक्त हुई विकिरण-सक्रियता की मात्रा उन सीमाओं से अधिक नहीं थी जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है।

(घ) से (च). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

सिविल सेवा परीक्षाएं

3977. श्री मुख्तार अनीस : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिविल सेवा परीक्षा, 1995 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु सेवावार कितने सफल अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा की गई;

(ख) आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को उक्त सेवाओं में शामिल किया गया;

(ग) सेवावार अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने अभ्यर्थी प्रतियोगिता में सामान्य श्रेणी सूची में सफल हुए थे; और

(घ) श्रेणीवार कुल कितने अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा, लिखित परीक्षा में सफल हुए थे एवं उन्हें साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख). सिविल सेवा परीक्षा, 1995 के आधार पर विभिन्न सेवाओं के लिए, जिनमें भर्ती सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है, संघ लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति हेतु 639 अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा की है। सिविल सेवा परीक्षा, 1995 के आधार पर अनुशंसित 639 अभ्यर्थियों में से 189 अन्य पिछड़े वर्गों के, 101 अनुसूचित जातियों के तथा 48 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। छः (2 सामान्य, 3 अन्य पिछड़े वर्ग, एक अनुसूचित जनजाति) अभ्यर्थियों के परीक्षा-परिणाम अभी आयोग द्वारा घोषित किए जाने हैं।

(ग) सिविल सेवा परीक्षा, 1995 के आधार पर, अन्य पिछड़े वर्गों के 27 तथा अनुसूचित जाति के 3 अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में अनुशंसित किए गए अंतिम अभ्यर्थी से सूची में वरीयता-क्रम में ऊपर थे तथा सूची में उन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को देय किसी भी रियायत/छूट का फायदा उठाए बिना सफलता प्राप्त की।

(घ) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

	अभ्यर्थियों की संख्या				
	अनु.ज.	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.	सामान्य	कुल
जो प्रारम्भिक परीक्षा में बैठे	33499	10434	39122	63748	146803
जो मुख्य परीक्षा में बैठे	1279	589	2351	4475	8694
जो साक्षात्कार हेतु योग्य पाए गए	202	102	336	676	1316

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राजक्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अधिसूचना

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) : महोदय श्री इन्द्र कुमार गुजराल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

> राजक्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 7 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 643(अ) जो 19 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा महाद्वीपीय मग्नतट भूमि अथवा यथास्थिति, भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र जहां प्रतिष्ठान, निर्मितियों और प्लेटफार्म स्थित हैं, जिनके निर्देशांक अधिसूचना में दिये गये हैं, में स्थित क्षेत्रों और उक्त प्रतिष्ठानों, निर्मितियों

और प्लेटफार्मों से पांच सौ मीटर तक फैले हुये क्षेत्रों को अभिहित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1109/96]

अमरनाथ यात्रा त्रासदी, 1996 के बारे में जांच प्रतिवेदन

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : महोदय श्री इन्द्रजीत गुप्त की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

अमरनाथ यात्रा त्रासदी, 1996 के बारे में जांच प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1110/96]

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के बीच 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1111/96]

भारत इम्यूनोलॉजीकल्स एण्ड बायोलॉजीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर के वर्ष 1995-96 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखत हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) भारत इम्यूनोलाजीकल्स एण्ड बायोलॉजीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत इम्यूनोलाजीकल्स एण्ड बायोलॉजीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1112/96]

(ख) (एक) इंडियन वैक्सीन कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन वैक्सीन कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1113/96]

(ग) (एक) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1114/96]

(घ) (एक) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1115/96]

(ङ) (एक) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1116/96]

(2) (एक) भारतीय सांख्यकीय संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सांख्यकीय संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1117/96]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ जीओमैग्नेटीज्म, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ निओमैग्नेटीज्म, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1118/96]

(4) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फार एडवांसंड साइन्टिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फार एडवांसंड साइन्टिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1119/96]

(5) (एक) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट आफ पेलियोबाटनी, लखनऊ के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट आफ पेलियोबाटनी, लखनऊ के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1120/96]

(6) (एक) बौस संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बौस संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1121/96]

(7) (एक) 'डोएक' सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) 'डोएक' सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1122/96]

(8) (एक) भारतीय इलैक्ट्रानिक्स अनुसंधान और विकास केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय इलैक्ट्रानिक्स अनुसंधान और विकास केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1123/96]

(9) (एक) भारतीय इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन और प्रौद्योगिकी केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन और प्रौद्योगिकी केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1124/96]

(10) (एक) सोफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1125/96]

(11) (एक) सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1995-96

के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1126/96]

(12) (एक) सेन्टर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1127/96]

(13) (एक) नेशनल सेन्टर फार सोफ्टवेयर टेक्नोलाजी, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेन्टर फार सोफ्टवेयर टेक्नोलाजी, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1128/96]

(14) (एक) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1129/96]

(15) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सीएमसी लिमिटेड और इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1130/96]

(दो) ईटो एण्ड टी कारपोरेशन लिमिटेड और इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1131/96]

(तीन) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1996-97 के लिये समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1132/96]

(चार) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1996-97 के लिये समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1133/96]

(पांच) भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1996-97 के लिये समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1134/96]

(छह) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1996-97 के लिये समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1135/96]

(16) (एक) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1136/96]

(17) (एक) नेशनल सेंटर फार सेल साइंस, पुणे के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार सेल साइंस, पुणे के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1137/96]

(18) (एक) सेंटर फार मेटीरियल्स फार इलैक्ट्रानिक्स टेक्नोलाजी, पुणे के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार मेटीरियल्स फार इलैक्ट्रानिक्स टेक्नोलाजी, पुणे के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1138/96]

(19) (एक) सोसाइटी फार इलेक्ट्रानिक्स टैक्स इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फार इलेक्ट्रानिक्स टैस्ट इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1139/96]

(20) (एक) सेंटर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1140/96]

(21) (एक) सेमीकन्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड एस.ए.एस. नगर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेमीकन्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1141/96]

पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1995-96 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1142/96]

(ख) (एक) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1143/96]

(ग) (एक) नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1144/96]

(2) (एक) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1145/96]

(3) (एक) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1146/96]

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1147/96]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.यू. वेंकटेस्वरलु) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 26 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1148/96]

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1148क/96]

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन, समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1149/96]

(2) (एक) केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल-कूद बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल-कूद बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1150/96]

(3) (एक) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, (केन्द्रीय भण्डार), नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, (केन्द्रीय भण्डार), नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1151/96]

(4) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1152/96]

(5) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) दूसरा संशोधन नियम, 1996 जो 9 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 483 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1153/96]

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष, 1995-96 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के

वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1154/96]

(ख) (एक) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, बोंगाईगांव के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, बोंगाईगांव का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1155/96]

(ग) (एक) भारतीय तेल लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय तेल लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1156/96]

(घ) (एक) लुब्रिजोल इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लुब्रिजोल इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1157/96]

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1158/96]

(च) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1159/96]

(छ) (एक) भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1160/96]

(ज) (एक) आईबीपी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईबीपी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1161/96]

(झ) (एक) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1162/96]

(ण) (एक) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1163/96]

(2) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1164/96]

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 $^{1}/_{4}$ बजे

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

श्री जी. वेंकट स्वामी (पेद्दापल्ली) : महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) मझगांव डाक लिमिटेड संबंधी 43वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड संबंधी 54वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(3) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड संबंधी 50वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 $^{3}/_{4}$ बजे

[अनुवाद]

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रुगढ़) : महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, मैंने विधेयक को पुरःस्थापित करने के विरोध करने के लिए सूचना दी है जो कार्यसूची में मद संख्या 13 के रूप में सूचीबद्ध है ...**(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए गृह मंत्री कहां हैं?

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस पर आपत्ति की है।

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : वह राज्य सभा के विधेयक पुरःस्थापित कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)** गृह मंत्री राज्य सभा में हैं। वह दो मिनट में आ रहे हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे मिनिस्टर से करवा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : मंत्री महोदय को आपको सूचित करना चाहिए ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : आज केवल यही विधेयक पुरःस्थापित होना है वह राज्य सभा में हैं। वह अभी आ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह राज्य सभा में हैं।

श्री प्रमोद महाजन : यह तो कोई बात नहीं हुई ...**(व्यवधान)** यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जिसे वह इस सभा में पुरःस्थापित करना चाहेंगे। लेकिन जब इसके पुरःस्थापना का समय आता है तो हर कोई चला जाता है ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : महोदय, गृह राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं ...**(व्यवधान)**

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-2, दिनांक 18.12.96 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : आप हाउस एडजर्न कीजिए और राज्य सभा से मिनिस्टर को बुलाइए ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : एक ही समय में यदि मिनिस्टर को लोक सभा और राज्य सभा में बिल इंट्रोड्यूस करना हो तो वह एक ही समय में दोनों हाउस में प्रैजेंट नहीं रह सकते। होम डिपार्टमैंट के दो मिनिस्टर हैं। होम मिनिस्टर सज्य सभा में अंगेज हैं, स्टेट मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। यदि वह बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो क्या आपत्ति है। यह कोई अन्य विभाग के मंत्री नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करना चाहता हूं। मंत्री महोदय इसका उत्तर दें।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : पुरःस्थापन से पहले वे इसका विरोध कैसे कर सकते हैं?

श्री प्रमोद महाजन : सूचना देकर कोई भी पुरःस्थापन के स्तर पर इसका विरोध कर सकता है।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य के विधान मंडल के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदत्त करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

श्री राम नाईक : मैंने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक के लिए विरोध करने की सूचना दी है। कानून बनाने के लिए हम राष्ट्रपति को अधिकार देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, नियमों के अनुसार मैंने यह कहते हुए सूचना दे रखी है कि मैं विधेयक का विरोध करना चाहता हूं क्योंकि कतिपय औपचारिकताओं का अनुपालन किए बिना इसे पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता है।

अब मुद्दा क्या है? मैं नियमों और निदेशों का उल्लेख कर रहा हूं ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बातें न करें।

श्री राम नाईक : मैं विधेयक के पुरःस्थापन के बारे में कौल और शकधर का भी उल्लेख कर रहा हूं। नियम 64 यहां पर प्रासंगिक है। इसका सम्बन्ध किसी विधेयक के राजपत्र में पुरःस्थापन से पूर्व प्रकाशन से है। इसमें कहा गया है :

> "अध्यक्ष से प्रार्थना किए जाने पर, वह किसी विधेयक के बजट में प्रकाशन का आदेश दे सकेगा। यद्यपि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव नहीं रखा गया है। उस अवस्था में विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं होगा और यदि विधेयक बाद में पुरःस्थापित किया जाये तो उसको फिर प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी...।"

अतः यदि विधेयक को राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है तो क्या किया जाना है यह दूसरा विकल्प है क्योंकि यह विधेयक स्पष्ट रूप से राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ है। जब विधेयक राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ है और जब मंत्री महोदय इसे यहां पुरःस्थापित करना चाहते हैं तो अध्यक्ष के निर्देश बहुत महत्वपूर्ण हैं।

मैं उन निर्देशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। निदेश संख्या 19क सरकारी विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति लेने के संबंध में है। यह कहता है :

19क" (1) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करने के इच्छुक मंत्री अपने उस अभिप्राय की लिखित सूचना देगा।

(2) इस निदेश के अधीन विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की अवधि सात दिन होगी जब तक अध्यक्ष कम सूचना पर प्रस्ताव करने की अनुमति न दे। यह विधेयक 12 दिसम्बर को प्रस्तुत किया गया। अतः निश्चय ही निदेशों के अनुसार सात दिन पूर्व सूचना नहीं दी गई। मुझे नहीं मालुम कि अध्यक्ष महोदय ने उन्हें अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी है कि नहीं। आप इस बारे में बेहतर जानते होंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि न तो कोई ऐसी सूचना दी गई है और न ही कोई अनुमति दी गई है क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। यही पीठासीन अधिकारी से भी आशा की जाती है। जब मंत्री जी द्वारा सात दिन की पूर्व सूचना नहीं दी गई हो...

श्री पी.सी. थामस (मुवतुपुजा) : मेरा इस पर व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री पी.सी. थामस : इस समय केवल विधेयक पुरःस्थापन का विरोध किया जा सकता है ...**(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : वे बाद में अपनी बात कह सकते हैं।

श्री पी.सी. थामस : महोदय कृपया पहले मेरा व्याख्या का प्रश्न सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत?

श्री पी.सी. थामस : मैं नियम 72 का हवाला दे रहा हूं। नियम 72 के अनुसार, इस स्थिति में विधेयक पुरःस्थापन का विरोध केवल एक या दो आधारों पर ही किया जा सकता है। पहला आधार है कि यह इस सभा की वैधानिक क्षमता से बाहर है और दूसरा आधार यह है कि यह असंवैधानिक है। केवल इन्हीं दो आधारों पर ही इस समय विधेयक पुरःस्थापन का विरोध किया जा सकता है। अब किसी और आधार को नहीं लिया सकता है। यदि आपत्तियां उठाई जा रही हैं तो उनकी सुनवाई अध्यक्ष तथा सरकार के बीच एक मामले के रूप में की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए। मैंने आपकी बात सुन ली है। कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री पी.सी. थामस : मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना विनिर्णय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल मंत्री महोदय को उत्तर देना है। केवल मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : विनिर्णय देना पीठाध्यक्ष का काम है। उन्हें मुद्दे की जांच करनी है। मंत्री जी को उत्तर देना है और विनिर्णय देना पीठासीन अधिकारी का काम है ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : एक आदमी को पाइंट ऑफ आर्डर कह लेने दीजिए, बाद में आप कहिए। उनको तो कंप्लीट करने दीजिए।

[अनुवाद]

कृपया पहले उन्हें अपनी बात खत्म करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस : मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य श्री राम नाईक, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं वे इस नियम को अच्छी तरह जानते हैं और वे जानते हैं कि क्या वे इस मुद्दे पर उसका विरोध कर सकते हैं।

इस स्थिति में, मैं यह तो कहूंगा कि इस तरह से श्री राम नाईक द्वारा उठाई गई आपत्ति की अनुमति देना एक गलत परम्परा होगी क्योंकि नियम 72 स्पष्ट रूप से इस स्थिति में कोई आपत्ति उठाने की अनुमति नहीं देता है। इसकी अनुमति केवल सभा की वैधानिक क्षमता के आधार पर ही दी जा सकती है। मेरे माननीय मित्र श्री राम नाईक ने वह आपत्ति बिल्कुल नहीं उठाई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि नियम 72 के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि पीठाध्यक्ष महोदय पहले इस व्यवस्था के प्रश्न पर अपना विनिर्णय दें।

श्री राम नाईक : इस व्यवस्था के प्रश्न पर मेरा यह कहना है कि मैं संवैधानिक आधार पर इस विधेयक को चुनौती नहीं दे रहा हूं।

मैं इसलिए इसका विरोध कर रहा हूं क्योंकि विधेयक पुरःस्थापित करते समय जिन नियमों का पालन किया जाना चाहिए था, उनका पालन नहीं किया गया। मेरी आपत्ति केवल इस मुद्दे पर है।

अब, मैं अध्यक्ष के निदेशों के मुद्दे पर आता हूं जो विधेयक पुरःस्थापित करने से पहले उसके परिचालन के संबंध में है। उसमें कहा गया है :

> "किसी भी विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए कार्य सूची में शामिल नहीं किया जाएगा ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा ठीक है, आपकी बात हो गई।

[अनुवाद]

अपने पहले ही अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय निवेश 19ख में कहा गया है :

> "कोई विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए किसी दिन की कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसकी प्रतियां उस दिन से जब कि विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विचार हो, कम से कम दो दिन पूर्व सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न कराई गई हो"

मैं यही मुद्दा उठा रहा हूं। इस विधेयक की प्रतियां केवल कल ही उपलब्ध करवाई गई हैं। अतः इस विधेयक को पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता है।

लेकिन एक अन्य प्रावधान है। मैं आपका ध्यान उस प्रावधान की ओर भी दिला रहा हूं। वह प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है और इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इसमें कहा गया है :

> परन्तु यह भी अन्य मामलों में, जिनमें मंत्री यह चाहता हो कि प्रतियां, परिचालित करने के पश्चात् दो दिन से पहले अथवा उस दिन के परिचालित किये बिना भी,

विधेयक पुरःस्थापित किया जाये, तो वह अध्यक्ष के विचार के लिए एक ज्ञापन में, जिसमें यह बताया गया होगा कि सदस्यों को पहले से प्रतियां न दिये बिना विधेयक क्यों पुरःस्थापित किया जा रहा है, पूरे-पूरे कारण देगा, और यदि अध्यक्ष अनुमति दे तो विधेयक उस दिन को, जब कि विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विचार हो, कार्य-सूची में सम्मिलित कर दिया जाएगा।"

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : यहां अध्यक्ष को अनुमति दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री राम नाईक : प्रावधान कहता है कि उन्हें पूरे कारण देने होंगे। इस ज्ञापन में क्या कारण दिए गए हैं?

श्री श्रीकान्त जेना : यह अध्यक्ष महोदय का कार्य है।

श्री राम नाईक : मैं अध्यक्ष महोदय से बहस कर रहा हूं, मैं आपके साथ बहस नहीं कर रहा हूं।

महोदय, ज्ञापन में क्या कहा गया है?

उसमें कहा गया है, 'उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित एक अध्यादेश है जिसे 1.1.1997 को अथवा इससे पहले अधिनियम से बदला जाना अपेक्षित है। यह सब जानते हैं। लेकिन ज्ञापन में यह नहीं कहा गया है कि अधिनियम किस अध्यादेश का स्थान लेगा। ज्ञापन में कुछ नहीं कहा गया है। अन्त में ज्ञापन में कहा गया है: 'यह अनुरोध किया जाता है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक को लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश संख्या 19ख में छूट दी जाए। अतः इस बात का कोई कारण नहीं दिया गया कि सरकार छूट क्यों चाहती है। यदि छूट दी गई है, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं इसे पुरःस्थापित करने का विरोध करता हूं।

यह सरकार इतनी निष्क्रिय है कि वे क्या हो रहा है उसके औचित्य पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। वे कहते हैं कि वे उत्तर प्रदेश में भा.ज.पा. की सरकार बनने देना नहीं चाहते हैं।

लेकिन इसके साथ ही, कम से कम सही समय में एक विधेयक तो पुरःस्थापित कर सकते हैं। विधेयक को समय पर पुरःस्थापित नहीं किया गया और इसे समय पर परिचालित भी नहीं किया गया। इसीलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। इसे कोई कारण नहीं कहा जा सकता है। इस मुद्दे पर हम सभा को इस अक्षम सरकार से हार मानने की अनुमति नहीं देंगे। नियम हैं और उनका पालन करना होगा। नियम के मुद्दे पर, मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यहां पर दो सवाल हैं, पहला यह है कि होम मिनिस्टर नहीं है वह दूसरे हाउस में हैं, इसलिए कौन जवाब देगा यहां से कहा गया कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। एक समय में एक ही हाउस में कोई उपस्थित हो सकता है। अब होम मिनिस्टर साहब आ गये हैं दूसरा सवाल यह है कि स्पीकर साहब ने रिलैक्सेशन दी है या नहीं: मैं हाउस को इंफॉर्म करना चाहता हूं कि वह रिलैक्सेशन दे चुके हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वे अध्यक्ष के निर्णय पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं ...**(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस : नियम 72 बहुत स्पष्ट है। इस स्थिति में उनकी आपत्ति को माना नहीं जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ने पहले ही इसको अनुमति दे दी है। अब, अध्यक्ष महोदय की कार्यवाही सही है अथवा नहीं, सभा में इस पर चर्चा नहीं की जानी है। वह उपयुक्त नहीं होगा। ...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, जबकि गृह मंत्री उपस्थित नहीं थे वहां राज्य मंत्री उपस्थित थे। यह पहली बात है दूसरा मुद्दा यह है कि विनिर्णय मंत्रीजी द्वारा नहीं दिया जाना है बल्कि पीठाध्यक्ष द्वारा दिया जाना है। अतः क्या विधेयक को पुरःस्थापित किया जा सकता है अथवा नहीं, इस संबंध में विनिर्णय पीठाध्यक्ष द्वारा लिया जाना चाहिए और न कि मंत्रीजी द्वारा। अतः क्षमता और मंत्रीजी के स्तर का प्रश्न बिल्कुल भी संबद्ध नहीं हैं। मेरा यही कहना है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट पहले से ही मोजूद हैं, स्पीकर साहब रिलैक्सेशन दे चुके हैं, इसमें कौन सी नई बात आप कह रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : चूंकि आपने कहा है कि केन्द्रीय मंत्री यहां नहीं थे और वे अब आए हैं, मैं यह बात कह रहा हूं...**(व्यवधान)** यदि कोई आपत्ति भी हो तब भी इस संबंध में विनिर्णय पीठाध्यक्ष द्वारा ही दिया जाएगा कि इसको संवैधानिक वैधता है अथवा नहीं। मंत्रीजी जी का इससे कोई संबंध नहीं है ...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : महोदय, जबकि मैं विनिर्णय से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे उसका पालन करना होगा। मैं उन लोगों की तरह, उन मंत्रियों की तरह व्यवहार नहीं करूंगा जो नियमों का पालन नहीं करते हैं। मैं नियमों के बारे में जानता हूं ...**(व्यवधान)** यही कारण है कि जब आपने विनिर्णय दिया तो मैंने कहा कि मुझे उसे मानना होगा ...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए ...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : इसमें कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने लायक क्या है? ...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : शब्द 'उन व्यक्तियों' को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए ...**(व्यवधान)**।

श्री राम नाईक : मैं वह शब्द वापस लेता हूं। कृपया उसे 'माननीय सदस्यों तथा माननीय मंत्रियों' द्वारा प्रतिस्थापित करें।

महोदय, मैं आपसे केवल अपील कर सकता हूं कि भविष्य में इस अक्षम सरकार को इस तरह की कोई छूट प्रदान न की जाए। ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। श्री राम नाईक पीछे रहने वालों में नहीं है। वे आगे आने वालों में है जो वाजपेयी जी का स्थान लेने की कोशिश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पीछे बैठने वाले भी सम्माननीय सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : निश्चय ही, सभी सम्माननीय हैं। श्री राम नाईक के हठी विचारों के बावजदू, वे अध्यक्ष के विनिर्णय को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)** वे निर्विवाद रूप से पीठाध्यक्ष के विनिर्णय को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे कुछ बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया रीता वर्मा जी, क्या आप मेरी बात सुनेंगी?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऑनरेबल चटर्जी साहब से इतना कहना चाहूंगा कि उन्होंने उनके कहने पर अपने लफ्ज विदड्रा कर लिये हैं। लेकिन यह कहना भी अच्छा नहीं है कि वह बैंक बैंचर्स नहीं है। बैंक-बैंचर्स भी ऑनरेबल मैम्बर्स हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने जो कहा है, वह यह है कि श्री राम नाईक अपने काफी लम्बे अनुभव के कारण पीछे बैठने वालों में नहीं हैं ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वे सुयोज्य एवं अनुभवशील सदस्य हैं। वे अपना बचाव स्वयं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन वे आगे के बैंच पर बैठे हैं। यही मैं कहना चाहता था।

(व्यवधान)

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) **:** मैं श्री चटर्जी से अनुरोध करूंगा कि वे खड़े हों और कहें कि वे इसे वापस लेते हैं ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्यों? ...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप कह रहे हैं कि वे बैक बैंचर नहीं हैं जैसे कि बैक बैंचर होना अच्छी बात न हो ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि जो मैंने कहा है उसका कोई अवांछित प्रभाव पड़ा है तो मैं उस शब्द को वापस लेता हूं ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने उस शब्द को वापस ले लिया है। इसलिए यह मामला अब खत्म हो गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) **:** इसी हाउस के पिछले स्पीकर हमेशा उठकर कह देते थे कि बैक बैंचर्स के लिए आज टाइम नहीं है, अपनी कुर्सी से उठकर वे अक्सर यही कहते थे। इसलिए बैक-बैंचर्स कहने का प्रिसिडेंट है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब क्या मुद्दा है? उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं और मामला यहां खत्म हो गया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> " कि उत्तर-प्रदेश राज्य विधान मंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : जो इसके विरूद्ध हैं वे कृपया 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ।

कुछ माननीय सदस्य : निर्णय 'नहीं' वालों के पक्ष में हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्यां आप विभाजन चाहते हैं?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया दीर्घाएं खाली कर दी जायें-

अब दर्शक दीर्घाएं खाली हो गई हैं। इससे पहले कि विभाजन आरम्भ हो, प्रत्येक सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण कर ले और केवल अपने स्थान से ही इस प्रणाली का संचालन करे।

किसी सदस्य को अपना मतदान करने के लिए एक साथ दो बटन दबाने हैं।

उनमें से एक बटन जिसे दबाया जाना है वह सदस्य के सामने बैंच की रेलिंग पर है। इसे मतदान आरम्भ करने वाला स्विच कहते हैं।

सदस्य को उनके सामने दिए गए तीन पुश बटनों में से अपनी इच्छा से किसी एक को दबाना होगा। 'हां' के लिए हरा (ए) 'नहीं' के लिए लाल (एन) और मतदान में भाग न लेने के लिए पीला(ओ) है।

मतदान आरम्भ करने वाला स्विच और तीन पुश बटनों में से किसी एक बटन को एक साथ 10 सेंकट के अन्दर-अन्दर दबाना है जिसे दो तरह से दिखाया गया है पहला परिणाम दर्शाने वाले बोर्ड पर गिनती द्वारा जैसे 10,9,8, 0 सेंकंड, दो ऑडियो अलार्मों की आवाज के बीच की अवधि।

पहले ऑडियो अलार्म के साथ विभाजन की प्रक्रिया वास्तव में शुरू की जाएगी। किसी भी सदस्य को पहला ऑडियो अलार्म सुनने के बाद ही बटन दबाना है। दस सेकंड के बाद ऑडियो-अलार्म दूसरी बार फिर बजेगा जब दबाए जा रहे दो बटनों को छोड़ दिया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

मत विभाजन संख्या-1 **अपराह्न 12.30 बजे**

पक्ष में

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अजय कुमार, श्री एस.

अन्तुले, श्री अब्दुल रहमान

अनवर, श्री तारीक

अलागिरी, श्री सामी वी.

अहमद, श्री एम. कमालुद्दीन

इस्लाम, श्री नुरूल

उपेन्द्र, श्री पी.

कंडासामी, श्री के.

कर्मा, श्री महेन्द्र

कुरियन, प्रो. पी.जे.

कोडीकुनील, श्री सुरेश

खान, श्री सुनील

गिरि, श्री सुधीर

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज दा.

चाक्को, श्री पी.सी.

चेन्नित्तला, श्री रमेश

चौधरी, श्री बादल

चौधरी, श्रीमती निशा ए.

जोस, श्री ए.सी.

डामोर, श्री सोमजीभाई

डेनिस, श्री एन.

तिरिया, कुमारी सुशीला

तोपदार, श्री तरित वरण

थाम्मीनेनी, श्री वीरभद्रम

थामस, श्री पी.सी.

दास, प्रो. जितेन्द्र नाथ

दास, श्री भक्त चरण

दासमुंशी, श्री पी.आर.

नंदी, श्री येल्लैया

नामग्याल, श्री पी.

नेताम, श्रीमती छबिला अरविन्द

पटनायक, श्री बीजू

पटनायक, श्री शरत

पटेल, श्री जंग बहादुर सिंह

पनबाका, श्रीमती लक्ष्मी

पाटिल, श्री बी.आर.

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पायलट, श्री राजेश

पाल, डा. देवी प्रसाद

पासवान, श्री राम विलास

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

फारूख, श्री एम.ओ.एच.

बक्सला, श्री जोआचिम

बर्क, श्री शफीकुर्रहमान

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी.एम.

बर्मन, श्री रनेन

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

बालु, श्री टी.आर.

बिसवाल, श्री रनजीब

बुडानिया, श्री नरेन्द्र

बेगम नूर बानो

बौरी, श्रीमती संध्या

भगवती देवी, श्रीमती

भगोरा, श्री ताराचन्द

भोई, डा. कृपासिन्धु

मगनी, श्री गुलाम मोहम्मद मीर

महतो, श्री बीर सिंह

मिश्र, श्री पिनाकी

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती उषा

मुखर्जी, श्री सुब्रता

मुनियप्पा, श्री.के.एच.

मुर्मु, श्री रूप चन्द्र

मेघे, श्री दत्ता

मेती, श्री एच.वाई

मेहता, प्रो अजित कुमार

यादव, श्री गिरधारी

यादव, श्री डी.पी.

यादव, श्री रमाकान्त

यादव, श्री राम कृपाल

रमना, श्री एल.

राघवन, श्री वी.वी.

राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री

रामनाथन, श्री एम.

राम बाबु, श्री ए.जी.एस.

राय, श्री बलाई चन्द्र

राय प्रधान, श्री अमर

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, डा. टी. सुब्बारामी

रेड्डी, डा. वाई.एस. राजशेखर

रेड्डी, श्री के. विजय भास्कर

लहिरी, श्री समीक

वेंकटेस्वरलु, डा. यू.

शाक्य, श्री राम सिंह

शैलजा, कुमारी

सरदार, श्री माधव

साहू, श्री अनादि चरण

सिंधिया, श्री माधवराव

सिल्वेरा, डा. सी.

सुधीरन, श्री वी.एम.

सुल्तानपुरी, श्री के.डी.

स्वैल, श्री जी.जी.

हजारिका, श्री ईश्वर प्रसन्ना

विपक्ष में

अडसूल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

उमा भारती, कुमारी

कमल रानी, श्रीमती

कुमार, श्री वी. धनन्जय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गढ़वी, श्री पी.एस.

गीते, श्री अनंत गंगाराम

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री परागी लाल

चौधरी, श्री राम टहल

चौबे, श्री लालमुनी

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जय प्रकाश, श्री (हिसार)

जायसवाल, श्री एस.पी.

जैन, श्री सत्य पाल

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोशी, वैद्य दाऊ दयाल

त्रिपाठी, लेफ्टोनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि

दरबार, श्री छतर सिंह

दास, श्री द्वारका नाथ

द्रोण, श्री जगत वीर सिंह

नाईक, श्री राम

"निडर", प्रो. ओमपाल सिंह

निम्बालकर, श्री हिन्दूराव नाईक

नीतीश कुमार, श्री

पटेल, श्री विजय

परांजपे, श्री दादा बाबूराव

परांजपे, श्री प्रकाश विश्वनाथ

पांडेय, डा. लक्ष्मी नारायण

पाटीदार श्री रामेश्वर

पासवान, श्री कामेश्वर

प्रेमी, श्री मंगल राम

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

बंशीवाल, श्री श्याम लाल

'बचदा', श्री बची सिंह रावत

बडाडे, श्री भीमराव विष्णु जी

बरनाला, सरदार सुरजीत सिंह

बैठा, श्री महेन्द्र

भाटी, श्री महेन्द्र सिंह

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

महाजन, श्री प्रमोद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

*मोल्लाल, श्री हन्नान

मौर्य, श्री आनन्द रत्न

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

रावले, श्री मोहन

वर्मा, श्री आर.एल.पी.

शाह, श्री मानवेन्द्र

साय, श्री नन्द कुमार

सिंकु, श्री चित्रसेन

सिंह, कर्नल राव राम

सिंह, श्री चन्द्रभूषण

सिंह, श्री दरबारा

सिंह, श्री प्रहलाद

सिंह, श्री सत्यदेव

सिंह, श्री सरताज

सुभाष चन्द्र बहेरिया, श्री

सोनकर, श्री विद्यासागर

स्वराज, श्रीमती सुषमा

---

* श्री हन्नान मोल्लाह ने गलती से अपना मत विपक्ष में दिया।

अपराह्न 1.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :-

पक्ष में	173
विपक्ष में	111

(* संशोधित परिणाम पक्ष में 172 विपक्ष में 111)

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान किया :

पक्ष में

1. श्री इन्द्रजीत गुप्त
2. श्री श्रीकान्त जेना
3. श्री के.पी. नायडू
4. श्री आर.एल. जालप्पा
5. श्रीमती कान्ति सिंह
6. श्री रमाकान्त डी. खलप
7. डा. एस. वेगुणोपालाचारी
8. श्री मोहम्मद मकबूल डार
9. श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा
10. श्री अय्यन्ना पटरूधु
11. श्री सुकदेव पासवान
12. श्री नवल किशोर राय
13. श्री सिद्दय्या कोटा
14. श्री लाल बाबू प्रसाद यादव
15. श्री पीताम्बर पासवान
16. डा. एम. जगन्नाथ
17. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह
18. श्री बी.एल. शंकर
19. श्री पी. कोदंडारमैय्या
20. श्री एन.एस.वी. चित्यन
21. श्री कृष्णा
22. श्री ए. सिद्धराजू
23. श्री के. कंडासामी
24. श्री पी. तीर्थरामन
25. श्रीमती रत्नमाला डी. सवान्नूर
26. श्री शिवानन्द एच. कोज़लगी
27. श्रीमती शारदा टाडीपारथी
28. श्री अंचल दास
29. श्री सोमनाथ चटर्जी
30. श्रीमती गीता मुखर्जी
31. श्री हन्नान मोल्लाह
32. श्री सनत कुमार मंडल
33. श्री सैयद मसूदल हसैन
34. श्री डो. वेणुगोपाल
35. श्री वी.पी. षणमुगा सुन्दरम
36. श्री सोडे रमैय्या
37. श्री केशव महन्त
38. श्री हाराधन राय
39. श्री पी.एन. शिवा
40. श्री प्रताप सिंह
41. श्री तिलक राज सिंह
42. डा. के.पी. रामालिंगम
43. श्री वी. गणेशन
44. श्री पी. षणमुगम
45. श्री आर. ज्ञानगुरूस्वामी
46. श्री मुखतार अनीस
47. श्री शत्रुघन प्रसाद सिंह
48. श्रीमती सुभावती देवी
49. श्री हरिवंश सहाय
50. श्री एस.पी. उदयप्पन
51. श्री अजय चक्रवर्ती
52. श्री अजय कुमार
53. श्री प्रमथेस मुखर्जी
54. श्री भूपिन्द्र सिंह हुडा
55. श्री संदीपान थोरात
56. श्री कल्लप्पा आवाडे
57. श्री बी.एन. रेड्डी
58. श्री मोहम्मद इदरीस अली

59. श्री चित्तूरी रविन्द्र
60. श्री मदन पाटिल
61. श्री वी. प्रदीप देव
62. श्री गिरिधर गमांग
63. श्री कल्पनाथ राय
64. डा. गिरिजा व्यास
65. श्री पवन सिंह घाटोवार
66. कुमारी फ्रिडा तोपनो
67. श्री ईश्वरभाई खोडाभाई चावड़ा
68. श्री छीतूभाई गामीत
69. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़
70. श्री सत महाजन
71. श्री जी.ए. चरण रेड्डी
72. श्री थ. चौबा सिंह
73. श्री लक्ष्मण सिंह
74. श्री वेंकटारमन रेड्डी
75. श्री एस. बंगारप्पा

विपक्ष में

1. श्रीमती मेनका गांधी
2. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
3. श्री सुरेन्द्र सिंह
4. श्री ओ.पी. जिन्दल
5. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा
6. डा. रमेश चन्द तोमर
7. श्री राजीव प्रताप रूडी
8. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल
9. डा. राम विलास वेदान्ती
10. श्री प्रभु दयाल कठेरिया
11. श्री सुरेश'आर. जादव
12. श्री मुन्नी लाल
13. श्री अशोक प्रधान
14. श्री नारायण अठावले
15. श्री धावरचन्द गेहलोत
16. डा. रामकृष्ण कुसमरिया
17. श्री शिवराज सिंह
18. श्री राजाराम परशराम गोडसे
19. श्री महावीर विश्वकर्मा
20. श्री उत्तम सिंह पवार
21. श्री एम.के. पाटिल अन्नासाहिब
22. श्री मनहरण लाल पांडेय
23. श्री अशोक शर्मा
24. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय
25. श्री ब्रजमोहन राम
26. श्री विजय अन्नाजी मुडे
27. श्री नामदेव दिवाथे
28. श्री अशोक अर्गल
29. श्री वीरेन्द्र कुमार
30. श्री मनोज कुमार सिन्हा
31. श्री मधुकर सरपोतदार
32. प्रो. रासा सिंह रावत
33. प्रो. रीता वर्मा
34. प्रो. चमन लाल गुप्त
35. श्री राम नगीना मिश्र
36. डा. जी.आर. सरोदे
37. श्री राजिन्द्र सिंह जी. राना
38. श्री चन्द्रेश पटेल
39. श्री विजय कटियार
40. डा. महादीपक सिंह शाक्य
41. श्री राजाभाऊ ठाकरे
42. श्री किशन लाल दिलेर
43. श्री भानु प्रातप सिंह
44. श्री जयसिंह चौहान
45. डा. बल्लभ भाई कठीरिया

46. श्री रामशकल

47. श्री नकली सिंह

48. डा. अमृत लाल भारती

49. श्री श्रीराम चौहान

50. श्री पदमसेन चौधरी

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक पुरःस्थापित कर सकते हैं।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री सुरजीत सिंह बरनाला बोलेंगे।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न उठाया था, उसके बारे में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जिस ढंग से गेहूं का आयात किया है, वह तो भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट नमूना है जिससे न केवल उत्पादक बल्कि उपभोक्ता, सरकार की, देश की राशि इन सबके ऊपर आघात पहुंचने वाला है। आज के अखबार में आप देखें। वह कहता है :

[अनुवाद]

"सरकारी घोटाले से गेहूं का संकट उत्पन्न हो गया है"।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य मंत्री जी कहां जा रहे हैं ...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : मंत्री जी, आपके मंत्रालय से संबंधित सवाल है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह तो बिल्कुल घोटाला है। आप कह रहे हैं कि हम गेहूं का आयात करेंगे और फूड मिनिस्ट्री की सरकारी कमेटियां कह रही हैं कि आयात की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको आज के "इंडियन एक्सप्रैस" से पढ़कर सुनाता हूं।

[अनुवाद]

"सरकार द्वारा 2 मिलियन टन गेहूं का आयात करने के जल्दबाजी में लिए गए निर्णय ने खाद्य मंत्रालय में हलचल मचा दी है जहां अधिकारी यह कह रहे हैं कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 8.4 मिलियन टन का भंडार है जो कि मई, 1997 तक के लिए पर्याप्त है।"

[हिन्दी]

अगर हमारे पास मई 1997 तक के लिए काफी खाद्यान मौजूद है तो इस इम्पोर्ट की क्या जरूरत है। यह इम्पोर्ट जिस ढंग से किया जा रहा है, वह तो बहुत ही भयंकर है। ...**(व्यवधान)** ऐडजर्नमैंड मोशन सबसे पहले आता है। बरनाला जी भी बोलेंगे। लेकिन आपको परेशानी क्यों हो रही है। बरनाला जी ने मुझे मौका दिया है। ...**(व्यवधान)** अभी तक सरकार ने यह नहीं बताया कि इन्होंने ऐग्रीमैंट किस कम्पनी से, किस जगह और किस दाम पर किया है। मुझे शक है, अखबारों में जो छपा है उसके आधार पर और जो अंतरराष्ट्रीय कीमतें हैं, उसके आधार पर चीनी के बाद यह गेहूं का दूसरा स्कैम होने वाला है। जिस तरह से पहले सरकार ने चीनी के मामले में गलत समय पर आयात किया, उसी तरह से आज गेहूं का आयात गलत समय पर और गलत कीमत पर किया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि वह ऐडजर्नमैंट मोशन करने से पहले आता है। आप बैठिए।

(व्यवधान)

डा. मुरली मनोहर जोशी : इसलिए इन्होंने 147 डालर पर टन के दाम पर आस्ट्रेलिया से इसका समझौता किया है। 157.50 डालर पर मीट्रिक टन पर इन्होंने समझौता किया है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जो वह कह रहे हैं वह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। केवल श्री जोशी का वक्तव्य ही कार्यवाही वृतान्त में शामिल होगा।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : आगे के लिए 160 डालर पर मीट्रिक टन फारवर्ड ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। अर्जेन्टीना 140 डालर पर टन में गेहूं देने के लिए तैयार है और हमारे देश में 8.4 मिलियन टन मौजूद है। उसके बाद यह आयात किया जा रहा है। यदि 1-1 टन में 10 डालर का फर्क है और 20 मिलियन टन आयात किया जा रहा है तो 200 मिलियन डालर यानि 700 करोड़ रुपये का घोटाला किया जा रहा है। ...**(व्यवधान)** इसका पूरा नुकसान हिन्दुस्तान के किसान को होगा,

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हिन्दुस्तान के कन्ज्यूमर को होगा और हिन्दुस्तान के फौरेन एक्सचेंज पर होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने आपका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : क्यों, महोदय?

[हिन्दी]

क्यों हम कहना चाहते हैं कि यह मोशन बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, वह डिसएलाऊ हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : यह मोस्ट अरजेंट मैटर है। जोशी जी यहां जो ऐडजर्नमैंट मोशन लाए हैं, वह मोस्ट अरजेंट मैटर है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री बरनाल बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : वह डिसएलाउड हो चुका है।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिए, उसके बाद आपकी शक्ति है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डिसएलाउड के बाद मैं एलाऊ तो नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : हम लोग क्यों प्रैस करना चाहते हैं, इसको सुन लिया जाय। मंत्री जी ने रिप्लाई दिया था ...**(व्यवधान)** उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन पहले खाद्य मंत्री जी ने जवाब दिया था, जो गेहूं की कीमत बढ़ रही है, गेहूं की किल्लत है, उसके बारे में उस समय भी इसी सदन में हम लोगों ने सचेत किया कि आयात की कोई जरूरत नहीं है और यह व्हीट स्कैम, गेहूं घोटाले के रूप में देश में जाना जायेगा, सचेत होइये, आगाह किया और आज ये सारी ख़बरें इंडियन एक्सप्रैस और जनसत्ता में छप चुकी हैं। इसमें संदेह है, इस डिसीजन से हम लोगों की गाढ़ी कमाई से अर्जित विदेशी मुद्रा का अपव्यय होने वाला है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला खत्म हो गया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री बी.के. गढ़वी (बनासकांठा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस विषय पर?

श्री बी.के. गढ़वी : जिस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है उस पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से चर्चा की जा सकती है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 700 करोड़ रुपये का घपला हो सकता है, इसलिए आप संरक्षण दीजिए। इस देश की विदेशी मुद्रा को बचाइये और अगले वर्ष जब रबी की फसल आएगी, उस समय इस आयात के चलते किसान की कमर टूटेगी। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बी.के. गढ़वी : अस्वीकृत प्रस्ताव पर चर्चा को कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अगर इसका आयात हुआ तो अगली बार जो गेहूं की फसल मार्च में, अप्रैल में होने वाली है, उसमें किसान की कमर टूटेगी। 1992 में इम्पोर्ट किया गया तो 1993 और 1994 में किसानों की तबाही मची, इसलिए कृपा करके सरकार को निर्देश दीजिए। हम लोग मांग करेंगे कि इम्पोर्ट बन्द किया जाये। हाउस में जो कुछ भी हुआ है, उसके बारे में सरकार साफ-साफ दस्तावेज सदन के सामने रखे, कहां से कब और कितना इम्पोर्ट किया गया।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मोशन स्पीकर साहब ऑलरेडी डिसएलाउड कर चुके हैं। जितना आपने कह लिया है, वह रिकार्ड पर आ गया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बरनाला जी शायद इसी इश्यू पर कुछ कहना चाहते हैं। जीरो ऑवर में उनको एलाऊ कर रहा हूं।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला (संगरूर) : मैं पहले इसी बात पर कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा कन्सर्न हम लोग हैं, पंजाब प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अभी दो मिलियन टन गेहूं इम्पोर्ट करने

की बात हुई, 1200 करोड़ रुपये का गेहूं बाहर से आ रहा है और हमें बाहर ऐसा दिखाया जायेगा, जैसे हिन्दुस्तान भिखारी है। पहले ऐसा होता रहा है, जब बाहर से गेहूं मंगवाया गया। हम पैसे देकर मंगवाते हैं, लेकिन बाहर के अखबारों में हमारी जो तस्वीर छपती है, वह हाथ में कटोरा देकर छपाई जाती है, जिससे जाहिर होता है कि हिन्दुस्तान भिखारी है। हमारी जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में फैसला किया था कि हम इम्पोर्ट बन्द करेंगे, यहां के किसान को प्रोत्साहन देकर, उत्साह देकर यहां पर अनाज पैदा किया जायेगा, ऐसा हुआ है। हमने 1977 में फर्टिलाइजर का...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : जब प्रस्ताव अस्वीकार हो गया है, तो आप उन्हें बोलने की अनुमति क्यों दे रहे हैं। यह सभा के सम्मान के विरूद्ध है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बुलाया है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : ये हिन्दुस्तान की भूख का सवाल उठा रहे हैं। वह सवाल...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जोशी जी, उनको बोलने दीजिए।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : इस बात पर सभी लोग एजीटेटिड हैं कि बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा है, जबकि अनाज घर में बहुत है। इसका असर प्रोड्यूसर पर पड़ेगा, किसानों पर उसका एकदम असर पड़ेगा कि बाहर से अनाज लाकर सस्ता करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा हुआ नहीं, ऐलान किया गया कि हम दो मिलियन टन गेहूं इम्पोर्ट करते हैं। ख्याल यह था कि शायद बाजार में कुछ मंदा हो जायेगा, लेकिन इस ऐलान से मंदा नहीं हुआ है। इस एलान से प्राइस बढ़ती चली जा रही है, कहीं मंदा नहीं हुआ है, इसलिए बाहर से अनाज लाकर कंट्री में रखने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अनाज कंट्री में मौजूद है। परसों मिनिस्टर साहब बयान दे रहे थे कि दिल्ली में बहुत अनाज मौजूद है, दिल्ली में जब प्राइसेज बढ़ती चली जा रही हैं तो क्या कारण है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान् कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला (संगरूर) : इसलिए सारे हाउस के मैम्बर्स एजीटेटिड हैं। यह बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है, इसलिए उन्होंने उठाया है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : ये 5.60 रुपये के हिसाब से गेहूं मंगा रहे हैं और हिन्दुस्तान में किसान को 3.85 रुपये भी नहीं देते हैं। बाहर से गेहूं मंगाएंगे तो गेहूं का दाम बाजार में पहुंचते-पहुंचते 12 रुपये किलो हो जाएगा और गरीब आदमी को 15 रुपये किलो मिलेगा।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, वीरभद्रम।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री वीरभद्रम का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2 बजकर 10 मिनट पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.17 बजे

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.17 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को उठाएंगे।

श्री आर.एल.पी. वर्मा।

(व्यवधान)

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : हमने सूचना दी है... **(व्यवधान)** आप ऐसा कर सकते हैं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : पहले ही नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के लिए कह चुका हूं।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, मेरा जीरो आवर का बहुत महत्वपूर्ण नोटिस था। आपने एक-एक करके बुलाया लेकिन सबको मौका नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो आवर तो हो चुका है, अब कल देखेंगे।

(व्यवधान)

श्री पी.आर. दासमुंशी : नियम 377 से पहले इसको कर लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कल करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कल, हम इन मामलों को अवश्य उठायेंगे। मैं एक घंटा ज्यादा बैठूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बैठने को तैयार हूं बशर्ते आप सब भी बैठें।

अपराह्न 2.18 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के साथ विलय के कारण माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के कामगारों के हितों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री आर.एल.पी. वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में स्थित माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (मिटको), जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ सहायक कंपनियों में से एक है। जिसका मुख्य उद्देश्य अभ्रक का व्यापार तथा उसमें लगे हजारों कमजोर वर्ग के व्यापारियों एवं कामगारों के हितों की रक्षा करना था। इसका 90 प्रतिशत कार्यक्षेत्र दक्षिण बिहार में स्थित है। 12 अप्रैल, 1990 को केन्द्रीय आदेश द्वारा मिटको का एम.एम.टी.सी. में विलय कर दिया गया है लेकिन मिटको में कार्यरत सेवाकर्मियों की अंधाधुंध छटनी की जा रही है।

साथ ही इससे सरकार को करोड़ों रुपये का वित्तीय घाटा उठाना पड़ रहा है। इस अभ्रक उद्योग को बचाने हेतु सरकार द्वारा कारगर कार्यवाही आवश्यक हो गयी है।

(दो) मनमाड़-इंदौर बरास्ता सेधवा बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : सारे देश के राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश सड़क एवं रेल दोनों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी खरगोन जिला ऐसा है जिसमें आजादी के इतने वर्षों बाद भी कोई रेल लाइन नहीं है।

मनमाड़ (महाराष्ट्र) से इंदौर वाया सेधवा ब्रॉड-गेज रेल लाइन डालने की मैं मांग करता हूं। यह करीब 345 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन होगी। यह मनमाड़ जंक्शन जहां से बम्बई आदि को रेल लाइन जाती है, से इंदौर को मिलाएगी। इससे दिल्ली-मुम्बई रेल लाइन की दूरी सैकड़ों कि.मी. कम हो जाएगी। मक्सी से इंदौर रेल लाइन ब्रॉड-गेज स्वीकृत है और निर्माण कार्य चालू है। इटावा से गुना रेल लाइन मंजूर हो गयी है, कार्य प्रगति पर है। इससे इटावा से इंदौर रेल लाइन-गुना से मक्सी रेल लाइन पहले से है। मनमाड़ वाया औरंगाबाद से परली बैजनाथ मीटर गेज लाइन को ब्रॉड-गेज करने का कार्य स्वीकृत होकर निर्माण चल रहा है। यानी यह इटावा से परली बैजनाथ लाइन हो जाएगी। परली बैजनाथ से विकाराबाद से सीधे हैदराबाद (दक्षिण) से जुड़ेगा जो थर्ड-ट्रैक (तीसरी लाइन) देश के लिए तैयार हो जाएगी। अभी सेंट्रल एवं वेस्टर्न दो रेल लाइन दिल्ली से दक्षिण को जाने को हैं। कोंकण रेलवे बनने के बाद वेस्टर्न रेल लाइन पर दबाव ज्यादा पड़ेगा, इसलिए विकल्प चाहिये भी। मनमाड़, बुसाबड़, औरंगाबाद डिफेंस सेंटर है, महू और ग्वालियर भी डिफेंस सेंटर हैं। प्रस्तावित लाइन से यह डिफेंस सेंटर आपस में रेल लाइन से माध्यम से जुड़ जाएंगे। पिछली सरकार ने मनमाड़ से धूलिया तक सर्वे का आदेश दे दिया है परन्तु मनमाड़ से इंदौर (राउतक) तक पूरी लाइन का सर्वे होना चाहिए तभी तो इसकी फिजीबिलिटी पर निर्णय हो सकेगा।

खरगोन जिले में उद्योग की दृष्टि से निमरानी उद्योग परिसर म.प्र. शासन द्वारा घोषित है जहां कई सूत मिलें, शुगर मिल एवं अन्य उद्योग कार्यरत हैं। सेंधवा में बीसियों उद्योग हैं। धूलिया जिले की दो शुगर मिलें एवं धार जिले का धानी और पिथमपुर उद्योग परिसर और इंदौर के सैंकड़ों उद्योग इससे मिलेंगे। माल ढुलाई की दृष्टि से भी इसे पर्याप्त माल मिल सकेगा।

(तीन) रांची और कोरना के बीच रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री नन्द कुमार साय : आज भी भारत में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसी भी प्रकार के आवागमन के साधन नहीं हैं। रेल सुविधा तो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में अधिकांशतः अनुसूचित जनजाति बहुल सुदूर क्षेत्र हैं। संथाल परगना के नाम से प्रसिद्ध बिहार का रांची गुमला क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश का रायगढ़ कोरना क्षेत्र भी इन्हीं

में से एक है। रांची से लोहरदगा, जशपुरनगर, पत्थल गांव से चलकर धर्मजयगढ़ होते हुए कोरना तक का रेलवे लाइन का सर्वे आजादी के पहले अंग्रेजों के समय हुआ था। सन् 1977 में इस सर्वे रिपोर्ट को निकालकर इसके निर्माण की दिशा में विचार-विमर्श हुआ था। किन्तु अल्पजीवी सरकार में इस लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। मैंने माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान गत सत्र में इस लाइन के निर्माण की प्राथमिकता की ओर दिलाया था। दुर्भाग्य से अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग की विकास की चिंता करने वाली इस सरकार ने रांची कोरना रेलवे लाइन के निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि रांची कोरना रेलवे लाइन निर्माण के लिए बजट में प्रावधान कर निर्माण प्रारंभ करने की कृपा करें।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : इस बार रांची, लोहरदगा, तुड़ी तो आ ही गया है।

श्री नन्द कुमार साय : आगे उसको बढ़ाइयेगा तब ना। वह तो बहुत पहले का है। मंत्री जी इसको बढ़ाइये।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : माननीय मंत्री जी को बिहार की पूरी चिंता और जानकारी है। यह बहुत अच्छी बात हैं उत्तर प्रदेश के बारे में भी विचार करिये।

उपाध्यक्ष महोदय : पूरे देश की चिंता है।

श्री राम विलास पासवान : आपकी भी चिंता है।

[अनुवाद]

(चार) कर्नाटक में कोलार और चिक्काबल्लापुरा के बीच आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री के.एच. मुनियप्पा : कर्नाटक के लोग बहुत समय से येलहंका और बंगारपेट के बीच आमान परिवर्तन के लिए मांग करते आ रहे हैं। हमने न केवल माननीय रेल मंत्री का बल्कि माननीय प्रधानमंत्री को भी इस बारे में प्रतिवेदन भेजे हैं। लेकिन यह आश्चर्यजनक बात है कि यह आमान-परिवर्तन का कार्य अब तक लंबित पड़ा है।

वास्तव में येलहंका से चिक्काबल्लापुरा और कोलार से बंगारपेट के बीच आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किया जा चुका है परन्तु जब तक कोलार से चिक्काबल्लापुरा के बीच का आमान परिवर्तन कार्य शुरू नहीं होता तब तक इस पूरी परियोजना का कोई लाभ नहीं होगा। कोलार जिले के लोग विशेषकर कि वे जो अपने कृषि उत्पाद जैसे आलू, प्याज, टमाटर, फल और सब्जियां एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, उन्हें कोलार तथा चिक्काबल्लापुरा के बीच इस पुरानी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में हो रहे अत्यधिक विलम्ब के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, कोलार एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत भी बहुत अधिक है। वहां कुछ एक ट्यूबवैलों को छोड़कर सिंचाई की सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं।

अतः मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि वह कोलार और चिक्काबल्लापुरा के बीच आमान परिवर्तन का कार्य शीघ्रतिशीघ्र प्रारम्भ करवाएं।

(पांच) उच्च शिक्षा के वित्त पोषण के लिए शिक्षा विकास बैंक स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़) : उच्च शिक्षा विशेषकर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर खर्च में लगातार वृद्धि हो रही है परन्तु सरकारी संस्थान जैसे आई.आई.टी., आई.आई.एम. मेडिकल कालेज वगैरह बहुत ही कम ट्यूशन फीस लेते हैं तथा छात्रों को बहुत अधिक राजसहायता दी जाती है। इन बड़े संस्थानों में फीस बढ़ाए जाने की आवश्यकता है जो कि केवल बढ़िया विद्यार्थियों को ही प्रवेश देते हैं। परन्तु छात्रों को बिना किसी प्रतिभूति या बाहरी गारन्टी लिये शैक्षणिक ऋण दिया जाना चाहिये। बैंको को ऐसे शैक्षणिक ऋण देने के लिए जरूरी निर्देश दिये जाने चाहिये। इसके लिए एक भारतीय शिक्षा विकास बैंक की स्थापना की जानी चहिये।

[हिन्दी]

(छः) बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ग्रामीण इलाके में अभी 70 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इसमें कई तरह की दिक्कतें हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार के प्रत्येक प्रखंड में सरकारी सुविधा के साथ पहली से लेकर दसवीं कक्षा तक आवासीय स्कूल खोले जाएं जिसका सारा खर्च केन्द्र सरकार वहन करे तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक-एक महाविद्यालय की स्थापना की जाए जिसका वहन सरकार उठाए। यदि इस तरह की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई तो अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। वे केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधा से हमेशा वंचित रहेंगे, चाहे केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए कितनी ही योजनाएं घोषित क्यों न करें। जब तक इस समाज

में शिक्षा नहीं होगी तब तक ये इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

[अनुवाद]

(सात) ठाणे जिले के मुम्बरा के निकट मुम्बई-पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बाई पास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

* **श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे** (ठाणे) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों तथा जल भूतल परिवहन मंत्री तथा पर्यावरण और वन मंत्री का ध्यान एक ज्वलन्त विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मुम्बई-पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र के थाणे जिले में स्थित मुम्बरा से होकर गुजरता है। मुम्बरा के पूर्व की ओर आधा किलोमीटर दूरी पर एक संकरी खाड़ी है जबकि उसके पश्चिम की ओर आधा किलोमीटर दूरी पर पहाड़ हैं। मुम्बरा मुम्बई से 40 किलोमीटर दूरी पर है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ घनी आबादी है तथा स्कूल भवन, अस्पताल, मंदिर तथा दुकानें आदि बनी हुई हैं। इस राजमार्ग पर हमेशा बहुत अधिक यातायात रहता है। इस मार्ग से टैंकर, बसें, ट्रक आदि बड़े वाहन गुजरते हैं। मुम्बरा रेलवे स्टेशन इस राजमार्ग से मात्र दस किलोमीटर दूरी पर है। इसलिए यात्रियों को वहां से वाहन लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग पर प्रायः दुर्घटनायें होती रहती हैं। इस मार्ग पर सैकड़ों नागरिक तथा भोले-भाले स्कूल के बच्चे दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। इस राजमार्ग का प्रयोग प्रायः मोर्चों और 'रास्ता रोको' आन्दोलनों के लिए भी होता है। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय को वहां नजदीक के पहाड़ों से होकर गुजरने वाले एक बाई पास का निर्माण करने का अनुरोध किया है। यदि ऐसा किया जाता है तो न केवल लोगों के समय तथा ईंधन की बचत होगी बल्कि बहुमूल्य मानव जीवन की भी रक्षा हो सकेगी। इससे प्रदूषण को रोकने में बहुत सहायता मिलेगी। मुझे आशा है कि सरकार इस समस्या की तरफ शीघ्र ही ध्यान देगी।

[हिन्दी]

(आठ) बिहार के जहानाबाद जिले में दूरसंचार सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में लगाये गये दूरसंचार, 80 प्रतिशत खराब पड़ा हुआ है। अरबल में ऐक्सचेंज है, वह बिलकुल काम नहीं करता है लेकिन बिल आते रहते हैं। उपभोक्ता द्वारा बिल का भुगतान किया जाता रहा है लेकिन टेलिफोन लोकल में भी कार्य नहीं करता है। घोसी प्रखंड में एक्सचेंज बने हुये एक साल हो गया लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ है। कुर्था प्रखंड में अभी तक एस.टी.डी. की सुविधा नहीं दी गयी है जबकि इसी सदन में सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम कुर्था में एस.टी.डी. चालू करने जा रहे हैं परन्तु एस.टी.डी. अभी तक नहीं चालू हुआ। मेरे घर में मेरे लिये एम.आर.आर. सौर्य ऊर्जा लगा दिया गया लेकिन अभी तक चालू नहीं किया गया।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि जहानाबाद में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें।

अपराह्न 2.31 बजे

उत्तर प्रदेश बजट, 1996-97—सामान्य चर्चा और वर्ष 1996-97 के लिए अनुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के वर्ष 1996-97 के बजट के संबंध में सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की मांगों पर मतदान तथा चर्चा करेगी जिसके लिए एक घंटे का समय दिया गया है।

सभा में उपस्थित वे माननीय सदस्य, अनुदान की मांगों के लिए, जिनके कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, वे 15 मिनट के अन्दर उन कटौती प्रस्तावों, जो वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्रम संख्या दर्शाने वाली पर्चियां सभा पटल को भेज दें। केवल वे कटौती प्रस्ताव ही प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाने वाली सूची तत्काल सूचना पटल पर लगा दी जाएगी। यदि कोई सदस्य सूची में कोई कमी पाता है तो वह बिना किसी विलम्ब के उसे अधिकारी के ध्यान में ला सकता है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

> "कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 28, 30 से 82 और 84 से 95 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

* मूलतः मराठी में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1996-97 के लिए अनुदानों की मांगें—बजट—(उत्तर प्रदेश)

मांग संख्या	मांग का शीर्ष	12.9.96 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखा अनुदान के लिए मांग की राशि		सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत अनुदान संबंधी मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	आबकारी विभाग	11,54,44,000		5,87,20,000	60,37,000
2.	आवास विभाग	18,71,15,000	128,58,16,000	10,62,36,000	19,34,000
3.	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	1,05,82,000	47,15,000	35,37,000	15,72,000
4.	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	4,72,76,000	2,81,25,000	1,82,43,000	1,15,75,000
5.	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	34,41,51,000	15,18,17,000	16,81,28,000	5,63,56,000
6.	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	30,50,01,000	4,40,37,000	15,41,94,000	3,00,28,000
7.	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2,17,52,000	80,25,02,000	54,02,000	52,85,00,000
8.	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	29,70,63,000		11,27,59,000	
9.	ऊर्जा विभाग	2,47,55,000	745,44,75,000	1,20,65,000	338,48,25,000
10.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	39,53,09,000	4,34,27,000	15,15,75,000	3,05,14,000
11.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	310,46,28,000	57,23,17,000	182,24,81,000	80,29,000
12.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	35,74,55,000	37,50,000	13,00,54,000	12,50,000
13.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	637,40,18,000	18,22,34,000	177,37,93,000	6,07,45,000
14.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	286,16,16,000	20,66,000	112,81,12,000	6,89,000
15.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	104,50,88,000	2,23,09,000	40,65,98,000	16,29,26,000
16.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	12,94,98,000	4,62,12,000	6,63,37,000	5,90,23,000
17.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	11,62,97,000	6,00,000	4,36,66,000	2,00,000
18.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	21,00,18,000	291,74,03,000	8,92,43,000	7,82,38,000
19.	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	2,71,98,000	...	1,23,14,000	
20.	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	90,65,000		82,44,000	
21.	खाद्य तथा रसद विभाग	52,33,73,000	1403,11,50,000	20,67,02,000	467,70,50,000
22.	खेल विभाग	8,60,90,000	3,77,48,000	3,60,14,000	2,41,80,000
23.	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	36,28,28,000		13,75,39,000	1,00,50,000
24.	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	25,92,90,000	117,56,26,000	8,95,50,000	45,18,75,000

1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
25.	गृह विभाग (कारागार)	55,96,13,000	5,31,13,000	37,49,21,000	9,46,34,000
26.	गृह विभाग (पुलिस)	1025,27,87,000	10,21,18,000	398,75,48,000	8,40,39,000
27.	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	66,79,69,000		15,77,98,000	67,40,000
28.	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	29,92,09,000		11,27,60,000	
30.	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	62,48,000		22,98,000	
31.	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	93,28,78,000	69,09,000	36,28,77,000	2,23,03,000
32.	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	417,68,09,000	24,55,08,000	161,56,90,000	28,63,36,000
33.	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	57,77,05,000	11,01,000	23,04,51,000	20,00,000
34.	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी-चिकित्सा)	20,43,47,000	21,56,000	9,61,99,000	3,08,67,000
35.	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	182,33,25,000	3,000	85,90,66,000	51,83,000
36.	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	170,13,88,000	4,13,71,000	72,70,68,000	1,37,90,000
37.	नगर विकास विभाग	387,63,21,000	4,37,51,000	277,17,31,000	...
38.	नागरिक उड्डयन विभाग	5,78,62,000	5,13,34,000	2,23,34,000	3,36,11,000
39.	भाषा विभाग	2,44,76,000		89,10,000	
40.	नियोजन विभाग	60,83,87,000	46,22,25,000	21,86,13,000	15,40,75,000
41.	निर्वाचन विभाग	125,40,08,000		27,84,79,000	
42.	न्याय विभाग	104,95,21,000	13,17,07,000	44,32,75,000	4,98,72,000
43.	परिवहन विभाग	13,77,47,000	33,06,000	15,73,40,000	6,87,77,000
44.	पर्यटन विभाग	6,13,51,000	12,75,62,000	2,68,77,000	14,20,30,000
45.	पर्यावरण विभाग	2,74,79,000	3,75,000	80,79,000	1,25,000
46.	प्रशासनिक सुधार विभाग	59,60,000		23,86,000	
47.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	68,21,63,000	3,46,37,000	35,27,03,000	1,49,52,000
48.	मुस्लिम वक्फ विभाग	82,38,000		66,07,000	
49.	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	124,15,91,000	67,59,000	45,93,26,000	22,53,000
50.	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	83,42,00,000	7,08,80,000	23,23,79,000	26,40,09,000
51.	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	96,12,60,000	1,05,92,000	32,04,23,000	35,31,000
52.	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	294,38,40,000	17,19,000	124,98,77,000	35,43,000

1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
53.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	40,63,29,000	1,65,00,000	61,42,10,000	5,55,00,000
54.	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	205,74,74,000		68,58,25,000	
55.	लोक निर्माण विभाग (अनावासीय भवन)	7,17,02,000	7,91,73,000	1,05,67,000	2,35,90,000
56.	लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)	6,16,17,000	12,76,92,000	72,05,000	1,58,97,000
57.	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)		7,26,50,000		2,42,16,000
58.	लोक निर्माण (संचार साधन)	178,03,62,000	259,26,07,000	46,01,20,000	174,80,29,000
59.	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	15,36,80,000	9,75,59,000	5,46,29,000	3,34,21,000
60.	वन विभाग	100,82,23,000	95,22,000	39,93,51,000	32,06,000
61.	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	572,02,37,000	35,41,25,000	4,15,85,000	1,13,75,000
62.	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	520,98,75,000		335,2863000	
63.	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	25,10,85,000	22,52,000	9,88,50,000	7,50,000
64.	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	20,17,82,000		6,78,59,000	
65.	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	31,86,64,000		12,91,59,000	13,00,000
66.	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	31,96,000		14,16,000	
67.	विधान परिषद् सचिवालय	3,68,72,000		1,33,57,000	
68.	विधान सभा सचिवालय	9,77,60,000		3,49,04,000	
69.	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल)	...	1,80,00,000		60,00,000
70.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	17,40,39,000		5,88,69,000	
71.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	15,73,10,48,000	34,69,000	642,30,84,000	48,81,000
72.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	913,38,21,000	5,70,20,000	352,95,82,000	1,90,06,000
73.	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	214,70,69,000	3,17,26,000	85,78,30,000	11,05,75,000
74.	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	10,74,35,000		4,10,31,000	
75.	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	29,13,30,000	...	12,18,71,000	
76.	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	34,10,46,000		19,03,93,000	...
77.	श्रम विभाग (सेवायोजन)	45,31,64,000	1,97,79,000	19,55,29,000	65,93,000
78.	सचिवालय प्रशासन विभाग	47,94,05,000		27,66,94,000	...
79.	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	92,19,12,000	21,95,000	31,11,80,000	7,31,000
80.	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	317,18,48,000	9,89,75,000	107,75,81,000	3,29,91,000

1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
81.	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	4,30,88,000	1,64,40,000	2,28,77,000	54,80,000
82.	सतर्कता विभाग	5,08,56,000		2,04,64,000	
84.	सामान्य प्रशासन विभाग	14,75,000		14,91,000	
85.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	63,59,000		24,98,000	
86.	सूचना विभाग	16,54,85,000		8,56,93,000	
87.	सैनिक कल्याण विभाग	10,03,24,000	21,17,000	3,25,18,000	7,06,000
88.	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	61,40,000	22,43,42,000	27,34,000	7,47,80,000
89.	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	73,99,64,000	30,01,000	33,89,91,000	10,00,000
90.	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	2,92,85,000		1,23,53,000	
91.	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	12,57,93,000	3,75,00,000	4,83,91,000	1,25,00,000
92.	सांस्कृतिक कार्य विभाग	8,88,38,000	48,36,000	3,42,75,000	16,12,000
93.	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	309,15,00,000	88,42,89,000	151,26,70,000	29,47,63,000
94.	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	652,70,90,000	639,66,57,000	185,90,30,000	162,28,85,000
95.	उत्तराखंड विकास विभाग	251,25,90,000	130,55,65,000	180,41,62,000	96,55,71,000

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि समय का आबंटन किया गया है लेकिन उ.प्र. के लिए ज्यादा समय चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले एक घंटा तो खत्म करें, उसके बाद देखेंगे।

श्री सत्यदेव सिंह जी

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अपने वरिष्ठ सहयोगी के साथ अपनी भावना को जोड़ता हूं। उत्तर प्रदेश का प्रश्न बड़ा है इसलिए इसके लिये इस सदन में समय ज्यादा मिलना चाहिये। इस सदन के विभिन्न सदस्य वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये समय बढ़ाया जाये और मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी अपनी सहमति देंगे। इस विषय की गंभीरता को देखते हुये इस विषय के लिये निर्धारित कार्यकाल को बढ़ाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े ही खेद की बात है कि बार-बार उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के बजट और वहां के काम-काज को इस सदन के माध्यम से चलाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में चुनाव हुये थे। आप इससे सहमत होंगे और यह सदन भी इससे सहमत होगा कि लोकतंत्र में चुनाव करायें, सरकार बनाने के लिये प्रदेश की जनता को मौका दिया जाता है कि अपने मन-मुताबिक जन-प्रतिनिधियों को चुने और उसके माध्यम से अपने प्रदेश के बारे में विचार करे, उसकी सुख-सुविधा के बारे में सोचें। उत्तर प्रदेश की 13वीं विधानसभा का चुनाव इसीलिये किया गया था कि वहां पर लोकप्रिय सरकार बने, जन-प्रतिनिधियों की सरकार बने, जनता द्वारा बने लेकिन खेद का विषय है कि विभिन्न परिस्थितियों के कारण, जिसमें वहां की जनता का दोष नहीं है, राजनैतिक संकीर्णता के चलते वहां पर सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया। 13वीं विधानसभा का कार्यकाल शुरू करने से पहले ही उसको मूर्च्छित कर दिया गया। 1996 में वोट ऑन अकाऊंट लिया गया था और फिर अगले वर्ष के आय-व्यय के लिये 1996-97 का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। आज दो महीना और एक दिन हो गया है उत्तर प्रदेश की 13वीं विधानसभा का चुनाव हुये लेकिन आज वहां पर पुनः राष्ट्रपति राज्य लागू होने के कारण उत्तर प्रदेश के बजट को पारित करने के लिये हम यहां पर बैठे हैं। मान्यवर, इस प्रकार की घटनाओं से उत्तर प्रदेश की प्रगति, जो पहले से ही बहुत पिछड़ा हुआ है, बाधित हुई है, कमजोर हुई है।

यह स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश का सदन अपने प्रदेश को चलाने के लिए, अपने प्रदेश के संसाधनों को बटोरने के लिए और अपने प्रदेश में व्यवस्था देने के लिए जितना जागरूक और सफल

होगा, यह सम्मानित सदन उस प्रकार विधान सभा का काम नहीं कर सकता है। न यहां के वित्त मंत्री जी उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में काम कर सकते हैं। यह एक प्रकार का बोझ है जो केन्द्र सरकार ने अपनी राजनीतिक संकीर्णता के चलते जबरन अपने कंधे पर उठा रखा है। परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश पीछे जा रहा है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश आज अत्यधिक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। देश की जनसंख्या का 16.4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। भौगोलिक दृष्टि से यह बहुत विशाल है और प्राकृतिक संपदा से भरपूर है तथा बौद्धिक क्षमता में भी उत्तर प्रदेश का इस देश में योगदान काफी अच्छा रहा है। फिर क्या कारण है कि आज उत्तर प्रदेश पिछड़ा है? पिछले 20 वर्षों से किसी भी योजना में उत्तर प्रदेश की जो वास्तविक साझेदारी होनी चाहिए थी-भौगोलिक दृष्टि से, प्राकृतिक संपदाओं की दृष्टि से और बौद्धिक क्षमता की दृष्टि से तथा केन्द्र सरकार को उसमें जो समायोजन करना चाहिए था, उससे केन्द्र सरकार बहुत पीछे रही और परिणामस्वरूप आज उत्तर प्रदेश जो भारत का सिरमौर है, आबादी के हिसाब से भी बड़ा है, उसकी आबादी की गति 2.29 है जबकि भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि 2.13 है। किसी प्रदेश की क्षमता जानने के लिए वहां की पर कैपिटा इनकम को देखना पड़ता है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार पर कैपिटा इनकम 1993-94 के प्राइसेज के हिसाब से 4787 है जबकि भारत की एवरेज 7060 है। पंजाब में 12319 है और गुजरात में 7600 है। उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम आज उसकी गरीबी को परिलक्षित कर रही है। उसके संसाधनों का पूर्ण दोहन नहीं हो सकता, सदुपयोग नहीं हो सका, ये आंकड़े उसका ज्वलंत और जीवित उदाहरण हैं।

पिछले चुनावों में उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी भी प्रधान मंत्री ने इतने कम समय में इतनी अधिक यात्राएं नहीं की थीं, जितनी वर्तमान प्रधान मंत्री ने की हैं। हमने यह समझा था कि माननीय प्रधान मंत्री जी स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन से चिन्तित हैं और उनकी यह चिन्ता उनके बार-बार प्रवास में परिलक्षित हुई थी। प्रधान मंत्री बनने के बाद पहली बार 3 जुलाई को वे वहां पधारे थे। राजभवन में उस समय भी राष्ट्रपति शासन था। राजभवन में प्रदेश के अधिकारी बुलाए गए थे मगर जन-प्रतिनिधि नहीं थे। खुशी इस बात की होती कि अधिकारियों की बैठक से पूर्व वहां के सांसदों को बुलाया गया होता और हम जन-प्रतिनिधियों के नाते प्रधान मंत्री जी को तात्कालिक ज्वलंत समस्याओं से अवगत करा सकते थे जिसके आधार पर वह सरकारी कर्मचारियों से बात करके उसका लाभ ले सकते थे लेकिन सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की बैठक हुई। पूरा का पूरा अमला जुड़ गया और बड़ी तेजी से कागज पर कार्रवाई शुरू हो गई कि उत्तर प्रदेश का विकास होगा। उत्तर प्रदेश के विकास में प्रधान मंत्री जी की यात्राएं कितनी सार्थक रही हैं, इसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं।

माननीय प्रधान मंत्री जी जब हमारे प्रदेश में गए, तो उन्होंने अनेक जगह अपने वक्तव्य प्रसारित किये और कानपुर से उनका जो बयान अखबारों में छपा हुआ था, वह क्वोट करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन पर चिन्ता व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था-

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं :—

> "मेरा इस बात से कोई संबंध नहीं है कि पूर्व में उत्तर-प्रदेश में क्या हुआ। मुझे केवल राज्य के भविष्य की चिन्ता है।"

वे निम्न प्रकार अपनी बात और स्पष्ट करते हैं :

> "मैं वचन देता हूं कि यदि राज्य के लोग-यहां निर्णय लेने वाली बात है—संयुक्त मोर्चा सरकार को एक अवसर दें तब मैं समझता हूं कि 'तब' शब्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण है-अगले चार वर्षों के दौरान मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उत्तर-प्रदेश देश का आर्थिक रूप से मजबूत देश बन जाए।"

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : क्या गलत है?

श्री सत्यदेव सिंह : इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं आपके प्रधानमंत्री की बात उद्धृत कर रहा हूं। मैंने सोचा कि आपको यह बहुत अच्छा लगेगा।...**(व्यवधान)**। मैं उनकी बात को स्पष्ट कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा मैं उद्धृत कर रहा हूं:

> "मुख्य प्रश्न है राज्य का विकास करना और अब मैं इस बात को राज्य के लोगों पर छोड़ता हूं कि वे संयुक्त मोर्चा सरकार के पक्ष में निर्णय लें अथवा उनके विरूद्ध निर्णय लें। मैं राज्य की जनता को धोखा नहीं दूंगा।"

[हिन्दी]

यह 20 हजार डालर का प्रश्न है कि मैं राज्य के लोगों को धोखा नहीं दूंगा। आज सवेरे तारांकित प्रश्न संख्या 385 पर आपका जवाब आया था, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और उन्होंने यह कहा था कि 16 राज्यों की लिस्ट दी गई हैं, जहां राज्य सरकारों ने योजना आयोग के द्वारा निर्धारित इनवेस्टमेंट अपने रिसोर्सिज से पूरे नहीं किये और उसके बाद उसमें उत्तर प्रदेश का भी नाम सबसे नीचे हैं। हालांकि हमें शायद इस बात का अफसोस होगा कि बिहार और आंध्र प्रदेश हमसे आगे निकल गये और इस प्रकार हम तीसरे नम्बर पर होंगे। मैं नहीं कहना चाहता कि उत्तर प्रदेश में आपने क्या कहा। यह प्लानिंग में जो आज कमी हो रही है, आज इतनी बड़ी स्टेट उत्तर प्रदेश आपकी योजनाओं के अनुरूप अपने रिसोर्सिज नहीं जुटा पा रही है, इसमें दोष

किसका है। आप आगे क्या कहते हैं:

[अनुवाद]

> "राज्यों के लिए मूलतः स्वीकृत परिव्यय से संशोधित परिव्यय में कमी करने का मुख्य कारण है राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से प्रस्तावित आंकड़े प्रापत करने में आशा से कम लक्ष्य की प्राप्ति।"

[हिन्दी]

जिसको चिंता माननीय प्रधान मंत्री जी ने की थी, आज स्टेट के पास वह रिसोर्सिज नहीं हैं जो 1996-97 में आपने उनको प्लानिंग में जुटाने के लिए कहा था, वह उत्तर प्रदेश नहीं जुटा पाया और आगे आप यह भी कह रहे हैं:

[अनुवाद]

> "वर्ष 1995-96 के संशोधित परिव्यय की तुलना में वर्ष 1996-97 के लिए सभी राज्यों का योजना परिव्यय अधिक निर्धारित किया गया है।"

[हिन्दी]

हायर लैवल पर आप कहां ले जायेंगे, जब आपका पिछला आउट ले पहले ही पूरा नहीं हो पा रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बनाने की योजना बनाई थी और उनके द्वारा अनेक घोषणाएं हुई हैं, मैं उन घोषणाओं पर इस सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सरकार से प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार से घोषणाएं की जाती हैं तो प्रदेश की गरीब जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये घोषणाएं इस प्रकार की नहीं हैं कि हम प्रदेश को तो स्वर्ग बना देंगे और यहां के रहने वालों को स्वर्गवासी। आज उत्तर प्रदेश में कुछ इसी प्रकार से हो रहा है, यह माननीय प्रधान मंत्री जी घोषणा में कहते हैं।

आज उत्तर प्रदेश में सिंचाई की समस्या है, आज हजारों एकड़, लाखों हैक्टेयर जमीन असिंचित हैं। पानी के संसाधन के रूप में प्रकृति ने नदियां दी, भरपूर जलाशय दिये, लेकिन साधनों की कमी के कारण, वित्त की कमी के कारण, स्वाभाविक योजनाओं के लागू न होने की कमी के कारण आज उत्तर प्रदेश सूखा है। आपने कहा कि प्रदेश में सरयू परियोजना और शारदा सहायक कैनाल पर हम 850 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, क्या आपके इस बजट में कहीं 850 करोड़ रुपये का कोई हिस्सा है। कहां से यह सरयू परियोजना पूरी होगी। पूरे प्रदेश के अंदर सरयू परियोजना के लिए जमीनें ले ली गई हैं, किसानों की जमीनें खोद दी गई हैं। उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है लेकिन सरयू परियोजना पर आपकी घोषणा हो गई। माननीय प्रधान मंत्री जी 29 अगस्त को फैजाबाद गये थे, अयोध्या नहीं जा पाये, पुल का निर्माण अयोध्या में होना है, शिलान्यास अयोध्या में होना चाहिए था लेकिन वह फैजाबाद में हो रहा है और वहां घोषणाएं हो रही हैं। वहां आप क्या घोषणा कर रहे हैं, आप इंदिरा आवास योजना की घोषणा कर रहे हैं। मान्यवर, इंदिरा आवास योजना गरीबों के लिए हैं। केन्द्र सरकार ने 20 हजार रुपये की राशि कर दी है, शत-प्रतिशत राशि केन्द्र द्वारा भेजी जा रही है। इस सदन में मेरे द्वारा और अनेक प्रतिनिधियों के द्वारा बार-बार इंदिरा आवास योजना में की जा रही धांधलियों पर सरकार का ध्यान दिलाया गया था। पांच हजार से सात हजार रुपये लिये जा रहे है। पात्र व्यक्तियों को इंदिरा आवास से वंचित किया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार के आयाम इतने बढ़ गये हैं। आप केन्द्र सरकार में बैठे आज बजट ला रहे हैं, केन्द्र सरकार का पैसा प्रदेश में जा रहा है और जब इसकी बात आती है तो आप कहते हैं:

[अनुवाद]

निगरानी करना राज्यों का विषय है। राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन तथा केन्द्र से राज्यों को भेजी जा रही धनराशि पर निगरानी रखेगा। यह ठीक है।

[हिन्दी]

लेकिन इसको आप देखेंगे नहीं। इंदिरा आवास में आपने क्या योजना कर दी कि मार्च, 1997 तक हम पांच लाख आवास बना देंगे। सर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तक एक घंटा अलॉटेड है।

श्री सत्यदेव सिंह : नहीं सर, अभी तक आपने टाइम बढ़ाने के लिए इंडीकेशन नहीं दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक घंटे के बाद सोचेंगे।

श्री सत्यदेव सिंह : सर, मैं अपनी पार्टी की ओर से पहला स्पीकर हूं, इसलिए मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। आपने कहा कि मार्च, 1997 में इतने आवास बना देंगे। लेकिन उसके लिए पैसा कहां है, वह कहां बनेंगे, इसके बारे में घोषणाएं कुछ नहीं हैं।

उसी समय आपने फैजाबाद में ही कह दिया। प्रधानमंत्री जी ने 29 अगस्त को घोषणा कर दी कि हम उत्तर प्रदेश की मलीन बस्तियों के सुधार के लिए 250 करोड़ रुपया देंगे। अब मैं आपको इससे आगे ले चलता हूं।

जब फर्टिलाईजर की बात यहां आई और कहा गया कि देश भर में फर्टिलाईजर फैक्टरियां बंद हो रही हैं, फर्टिलाईजर की कमी है, गोरखपुर फर्टिलाईजर प्लांट पिछले अनेक वर्षों से बंद हैं, जैसे ही यह बात प्रधानमंत्री के सामने लाई गई, तो उन्होंने कह दिया-

[अनुवाद]

> "बन्द होने की बात सुनते ही मैंने उर्वरक सचिव को बुलाया और उनसे संयंत्र का दौरा करने को कहा—मुझे नहीं मालूम कि यह दौरा किया जा चुका है या अभी

होना है-" और यह पाया गया कि संयंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 900 करोड़ रु. की राशि की आवश्यकता है। मैं इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करूंगा, चाहे आप मुझे वोट दे अथवा न दें।

[हिन्दी]

हमने आपको वोट नहीं दिया। जनता ने तो आपको वोट नहीं दिया लेकिन वित्त मंत्री जी, आप फर्टिलाईजर प्लांट के लिए 900 करोड़ रुपया दे रहे हैं या नहीं। अब आप इससे आगे आईए।

अकबरपुर स्पिनिंग मिल के बारे में, उसके बगल के जिला अम्बेडकर नगर में आपने जाकर कह दिया कि इसे चालू करा देंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा से पहले, नया जिला बनाने के लिए, अकबरपुर स्पिनिंग मिल की जमीन और बिल्डिंग ली जा रही है, वहां पर कलैक्टर और एस.पी. आदि की कालोनियां बनने जा रही हैं। फिर पता नहीं आप कैसे घोषणाएं करते जा रहे हैं। अब इससे भी बड़ा तमाशा देखिए। फर्टिलाईजर के बारे में आपने सुना, अब किसानों के साथ होने वाले मजाक के बारे में देखिए।

माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम किसान को 10 रुपए प्रति हार्स-पावर सब्सिडी देंगे-क्या मंत्री जी, आप 10 रुपए प्रति हार्स-पावर के हिसाब से सब्सिडी दे रहे हैं? मैं मानता हूं कि आप बहुत योग्य हैं, दोनों हाथ से, एक समय में इबारत लिख सकते हैं लेकिन मेरी परेशानी यह है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : जब आप बोल रहे हों तो मैं अपने किसी साथी को मुझसे बात करने से रोक नहीं सकता। आप अपना वक्तव्य जारी रखें। आपको उपाध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करना चाहिए।

श्री सत्यदेव सिंह : ठीक है। चाहे आप यहां हो अथवा नहीं, मैं बोलना जारी रखूंगा।

[हिन्दी]

आपने किसान को 10 रुपए प्रति हार्स-पावर के हिसाब से सबसिडी देने की घोषणा की, लेकिन इसके लिए आप कितना अमाउंट दे रहे हैं-200 करोड़ रुपए। दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का हाल देख लीजिए-आज वह 2500 करोड़ रुपए के डैफिसिट में है। आप कहते हैं कि 200 करोड़ रुपया हम सार्वजनिक क्षेत्र से निकालकर आपको दे देंगे-कहां से आप इतना पैसा देंगे? अभी आपने बिजली की बकाया राशि के आंकड़े तारांकित प्रश्न संख्या 389 के जवाब में दिए हैं, जिसके अनुसार रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के 437.80 करोड़ रुपए, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन के 839.68 करोड़ रुपए, नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन के 180.30 करोड़ रुपए और पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के 172.64 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड की तरफ बकाया है। कुल बकाया राशि की लिस्ट आपने दी है। प्लांट लोड फैक्टर के मामले में पूरे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का स्थान सबसे नीचे है। बिजली का उत्पादन शून्य है। फिर आप कैसे 10 घंटे किसान को बिजली देना चाहते हैं, 10 रुपए प्रति हार्स-पावर की सबसिडी देना चाहते हैं-कहां से पैसा लाएंगे, हमें क्या सिखा रहे हैं, किसे आप एड्रैस कर रहे हैं?

पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा लेकिन अभी महिलाओं के आरक्षण से संबंधित बिल आने वाला है, शायद वह इसी चक्कर में नहीं आ रहा है। कोई कहता है कि अगर ऐसा बिल आने वाला है, शायद वह इसी चक्कर में नहीं आ रहा है। कोई कहता है कि अगर ऐसा बिल आया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपने अपर-कास्ट को 10 परसेंट आरक्षण देने की बात कही, प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा की थी, आज वह घोषणा कहां है, कब पूरी होगी। यह प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है।

जब शुगर मिलों पर बकाया राशि की बात प्रधानमंत्री जी से की गई तो 900 करोड़ रुपए में से 450 करोड़ रुपए आपने नेशनलाइज्ड बैंकों से दिला दिए। बैंकों ने वह पैसा उन चीनी मिलों को दिया जो सरकारी या सहकारी क्षेत्र में काम कर रही हैं। उस पर आप इंटरैस्ट भी ले रहे हैं। इस पेराई सत्र के किसानों के बकाए के बारे में इस सदन में काफी हल्ला होता है, कोई कहता है कि मुझसे मतलब नहीं-

[अनुवाद]

यहां कोई सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई सामूहिक रूप से विचार-विमर्श नहीं करता है।

[हिन्दी]

बार-बार हर प्रश्न का आप टालमटोल जवाब दे रहे हैं। आपने कह दिया कि पूरा पेमेंट कर दिया। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जब आप ये घोषणाएं कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय ने पहले ही आदेश दे दिए कि 15 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में सभी किसानों के गन्ने के मूल्य की बकाया राशि अदा कर दी जाए और कुल बकाया राशि पर 12 परसेंट ब्याज दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय का भी कंटैम्प्ट हो रहा है। 450 करोड़ रुपए आपने दे दिए, बाकी के लिए आप बैठे हुए हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी की घोषणाओं का तो अंत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की बिजली की स्थिति क्या है, कहां से आप दस रुपए प्रति हार्स पावर की सबसिडी देंगे? इकनौमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में इलैक्ट्रिसिटी का महत्वपूर्ण योगदान है। पर कैपिटा कंजम्पशन 1994-95 में किलोवाट के हिसाब से 197 किलोवाट प्रति आवर्स है और पूरे देश का एवरेज 319 है। पंजाब की अगर हम तुलना करें, तो 786 है, गुजरात का 599, महाराष्ट्र का 499, हरियाणा का 448, तमिलनाडु का 431 और कर्नाटक का 363 किलोवाट प्रति आवर्स है। आखिर

बिजली का कंजम्पशन वही स्टेट कर सकता है जिसमें प्रगति हो रही हो, कल-कारखाने चल रहे हों, खेती के लिए ट्यूबवैल चल रहे हों। आज आपकी स्थिति यह है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरे तमाशे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं इलैक्ट्रीफिकेशन 75.4 प्रतिशत हो गया। यदि उत्तर प्रदेश में 75 प्रतिशत विद्युतीकरण हो गया है, तो मैं मान लूंगा कि शत प्रतिशत हो गया है। अनेक प्रदेश हैं जहां पर ग्रामीण विद्युतीकरण पूरा हो गया है। उदाहरण के लिए दक्षिण के सभी राज्य लिए जा सकते हैं जहां पर ग्रामीण विद्युतीकरण पूरा हो गया है और उत्तर में पंजाब और हरियाणा हैं जहां पर शत प्रतिशत विद्युतीकरण हो गया है। उत्तर प्रदेश में आपके आंकड़े कहते हैं कि वहां 75 प्रतिशत हो गया है। ये आंकड़े बिलकुल गलत हैं। भ्रम वाले आंकड़े हैं। ये बिलकुल ...**(व्यवधान)**...(कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।) हैं। इनका जमीन से कोई लेना देना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस शब्द का इस्तेमाल न करें क्योंकि यह असंसदीय है।

श्री सत्यदेव सिंह : ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस शब्द को वापस लेता हूं। देखने में बड़े सुंदर और सत्य को भ्रम में डालने वाले ये आंकड़े हैं और "सतसइया" के से ये आंकड़े हैं। मैं इस शब्द को तो वापस लेता हूं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों के लिए इस शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो इस शब्द का भी अपमान ही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, रोड्स की स्थिति क्या है। रोड्स की हालत बिलकुल अलग है। यह हमारे पास उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण है जो माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में तैयार हुआ होगा। आधारभूत न्यूनतम सेवाएं क्या हैं, आप कहते हैं कि सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करेंगे। अब इंडिया मार्क-टू हैंड पम्प आप पूरे प्रदेश में लगाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इन पम्पों से आच्छादित करने जा रहे हैं, लेकिन यह पैसा भी आपका नष्ट हो रहा है, यह एक अलग बात है। आज पेय जल उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। आपने पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सन् 2000 तक उपलब्ध कराने के यहां आंकड़े दिए हैं। यह आपका उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण है, इसमें आप क्या कहते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए आपको 1865 करोड़ रुपए चाहिए और यह 1996 कंपलीट हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा है, एक घंटे के हिसाब से बी.जे.पी. को सोलह मिनट अलाट किए गए थे और आपके 20 मिनट तो लगभग पूरे हो चुके हैं और अभी 11 नाम बी.जे.पी. की ओर से मेरे पास बोलने वालों के और हैं।

श्री सत्यदेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही आपसे प्रार्थना की थी कि यह विषय गंभीर है, उत्तर प्रदेश का मामला है, बड़ा प्रदेश है, 16.4 प्रतिशत आबादी हमारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शीघ्र कन्क्लूड करने की कोशिश कीजिए।

[अनुवाद]

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, मैं अपना वक्तव्य शीघ्रसमाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया कुछ और मिन्टों के लिए मेरी बात और सुनिए।

[हिन्दी]

तो स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए 1865 करोड़ रुपए रखे हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्र हैं, इनकी संख्या मै नहीं बताता हूं, उसमें समय हो जाएगा, इनके लिए 2200 करोड़ रुपए रखे हैं। ग्रामों और बस्तियों को सड़कों से जोड़ने के लिए 11332 करोड़ रुपए रखे हैं। पुष्टाहार की योजना के अंतर्गत आपको 404 करोड़ रुपए चाहिए। ये बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज हैं और इनको पूरा करने के लिए 16 हजार करोड़ रुपए की धनराशि की आवश्यकता है। आपका इकनौमिक सर्वे कहता है कि उत्तर प्रदेश अपने संसाधनों से इन कार्यक्रमों को लागू नहीं कर सकता है। मान्यवर, आप एक वैलफेयर स्टेट हैं। यह सरकार और फायनेंस डिपार्टमेंट इसीलिए चलते हैं कि जनता को मूल और आधारभूत सुविधाएं समय से उपलब्ध करवा दी जाएं, लेकिन आज आजादी के 50 वर्ष हो गए हैं लेकिन स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। सड़कों की सुविधा नहीं है और बिजली का उत्पादन घट रहा है। पर कैपीटा इन्कम उत्तर प्रदेश की सबसे नीचे जा रही है। यह कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष से उत्तर प्रदेश को यह सरकार और आप जैसा योग्य वित्त मंत्री चला रहा है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका थोड़ा ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ जाएगा और आपके नियंत्रण में होने के कारण जो वास्तविक धनराशि आपने अपने असैसमेंट में दी है, उसे आप उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और भी कई घोषणाएं प्रधान मंत्री जी ने की हैं। मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है ट्रैक्टर पर 30 हजार रुपए सबसिडी की घोषणा की गई थी, लेकिन उसका काई अता-पता नहीं है। इंदिरा आवास योजना में आपने 15 हजार से 20 हजार रुपए कर दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने मांग की थी, लेकिन इंदिरा आवास पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए।

उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को ध्यान दिलाया था। लालकिले से देश को सम्बोधित करते हुए उत्तराखंड राज्य बनाने की घोषणा की थी और इसके साथ तीन अक्टूबर को, चुनाव के दिन वह नैनीताल गये थे और उन्होंने यह घोषणा की। उनकी यात्रा बहुत लम्बी रही। अनेक स्थानों पर वह गये। पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हुए क्या कहा?

[अनुवाद]

उन्होंने क्या कहा? प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौडा ने आज घोषणा की कि अगले वर्ष अर्थात 1997 में मार्च के महीने तक नए राज्य उत्तराखंड का गठन हो जाएगा-और इस बात का संकेत दिया कि वे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस क्षेत्र के शीघ्र विकास के लिए एक व्यापक पैकेज की घोषणा करेंगे।

अभी पैकेज की घोषणा की जानी है। उन्होंने अपना वक्तव्य वहीं समाप्त नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि जनवरी माह तक इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाने की सम्भावना है और वे मार्च, 1997 में इस पहाड़ी क्षेत्र का उद्घाटन करने आयेंगे।

[हिन्दी]

माननीय मंत्री जी हिल स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए क्यों जा रहे हैं क्योंकि इसके साथ इकोनोमिक पैकेज भी जुड़ा हुआ है जो कि आपके हाथ में है। खजाना मंत्री तो आप हैं। आप उस पर बैठे हुए हैं। जब आप खजाना छोड़ेंगे तभी तो किसी को मिलेगा। क्या मार्च 1997 में उत्तराखंड का उद्घाटन करने के लिए माननीय श्री देवेगौड़ा जी जा रहे हैं या नहीं? इसके बारे में आप अपने उत्तर में बता दीजिए। यह बहुत सुखद रहेगा, अच्छा रहेगा।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की मांग कोई आज पहली बार नहीं उठी है। बोडोलैंड, गोरखालैंड, झारखंड इन सबकी बात आज उठी है। इस मांग के लिए सबसे पहले 1815 में क्राउन के सामने वहां की नोबिलिटी ने बार-बार अपील की थी।

[अनुवाद]

क्राउन को बार-बार याद दिलाया गया कि 1815 से पहले कुमाऊं का एक स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व था।

[हिन्दी]

यह मांग 1930 में उठी। मेरे यहां पर वरिष्ठ सहयोगी श्री मानवेन्द्र शाह हैं। सन् 1962 में उन्होंने एक उत्तराखंड आन्दोलन किया था और उत्तराखंड राज्य की मांग की थी। यह कोई नयी मांग नहीं है। माननीय डिफेंस मिनिस्टर साहब यहां नहीं है। वे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत उत्तर प्रदेश असेम्बली का यह प्रस्ताव कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण हो, उस पर उन्होंने पुनः पुष्टि की थी। अपने मंत्रित्व काल में आज भले ही वे रंग बदल रहे हों, मैं नहीं जानता लेकिन उनकी भी घोषणा है कि उत्तराखंड राज्य को इकनोमिक पैकेज दिया जाये और वह राज्य बनाया जाये। इस बात में आप जितना विलम्ब करेंगे उतना ही देश का नुकसान होगा, हमें आर्थिक क्षति भी पहुंचेगी और उत्तर प्रदेश का भी भला होने वाला नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को राष्ट्र को हिन्दी में सम्बोधित करते हुए पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाया था।

अपराह्न 3.00 बजे

मैंने भी उनके सामने श्रद्धा से सिर झुकाया था। लेकिन जब 50वीं वर्षगांठ मनाई गई तो एक के बाद एक स्पीकर अंग्रेजी में बोलते चले गए। अगर प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत करके आए होते और संविधान सभा की पहली बैठक की 50वीं वर्षगांठ के समय उनका और महामहिम राष्ट्रपति जी का राष्ट्र का उद्बोधन पुनः हिन्दी में हुआ होता तो पूरे देश में एक सद्भावना का संदेश जाता।

धन की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को समाप्त करना है। आज तक जो खामियां हैं, उन पर भी आपका नियंत्रण होना चाहिए। प्लानिंग कमिशन से भी कहिए और अपना भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश के इस पिछड़ेपन की त्रासदी को आप समाप्त करिए। उत्तर प्रदेश ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। आज 9 प्रतिशत फौज की आबादी उत्तराखंड से आती है। उन सबकी जो मांग है वह सही है, सामयिक है, देश के हित में है और अगर उत्तर प्रदेश का गुणात्मक परिवर्तन उसके इकोनौमिक वैल्फेयर में नहीं होगा तो 16 प्रतिशत आबादी को आप नकारात्मक रूप में रखने के बाद इस देश के भविष्य को सुधार पाएंगे, इसमें प्रश्नचिन्ह लग जाएगा।

मैं आपके माध्यम से अपनी बात समाप्त करते हुए चिदम्बरम जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जिन घोषणाओं को बड़े जोर से कहा, उनको लागू करने के लिए वे उत्तर प्रदेश को उतनी धनराशि उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

जहां श्री देवेगौड़ा ने कहा था कि वे उत्तर-प्रदेश के लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे। मैंने वित्त मंत्री से विनती की। वे माननीय प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौडा के मंत्रिमंडल में केन्द्रीय मंत्री हैं। वे उनकी मदद करेंगे ताकि वे उत्तर प्रदेश के संबंध में अपने वचन पर कायम रहें और उत्तर-प्रदेश की जनता को सही मायने में दोबारा कभी धोखा न दिया जाए। मैं उनसे अपील करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे हमारी मांग मानेंगे, न कि केवल हमारी मांगें बल्कि माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के हड़बड़ी में किए गए दौरे के दौरान की गई उद्घोषणाओं को मानेंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया।

कटौती प्रस्ताव

श्री बची सिंह रावत 'बच्चदा' (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि आबकारी विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले बाजार में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता। (1)

कि आबकारी विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल क्षेत्र के तीर्थस्थलों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किये जाने की आवश्यकता। (2)

कि आबकारी विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल के युवाओं को आबकारी विभाग में भर्ती किये जाने की आवश्यकता। (3)

कि उद्योग विभाग (खान और खनिज) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

व्यवसायिक खनिजों के वर्गीकरण की आवश्यकता। (4)

कि उद्योग विभाग (खान और खनिज) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए रेत, बजरी और स्लेट को लाइसेंस मुक्त किये जाने की आवश्यकता। (5)

कि उद्योग विभाग (खान और खनिज) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल क्षेत्र में खड़िया के खनन के लिए नियम बनाये जाने की आवश्यकता। (6)

कि उद्योग विभाग (खान और खनिज) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

खड़िया के खनन के लिए केवल स्थानीय उद्यमियों को लाइसेंस दिये जाने की आवश्यकता। (7)

कि उद्योग विभाग (ग्रामीण और लघु उद्योग) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में ग्रामीण उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता। (8)

कि उद्योग विभाग (ग्रामीण और लघु उद्योग) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल में लघु उद्योगों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (9)

कि उद्योग विभाग (ग्रामीण और लघु उद्योग) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन राजसहायता बहाल किये जाने की आवश्यकता। (10)

कि उद्योग विभाग (ग्रामीण और लघु उद्योग) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

लघु औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (11)

कि उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (12)

कि उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता। (13)

कि उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

अलमोड़ा मेगनासाइट लिमिटेड और पिथौरागढ़ मेगनसाइट लिमिटेड के उचित कार्यकरण के लिए उन्हें अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (14)

कि उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

सहकारी औषधि कारखाना, रानीखेत को क्या देश प्रदान करके और कच्चा माल उपलब्ध कराकर एक लाभ कमाने वाला कारखाना बनाये जाने की आवश्यकता। (15)

कि उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

सरस्वती बूलन मिल लिमिटेड, रानीखेत को विशेष पैकेज के अंतर्गत सरकारी सहायता/ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (16)

कि उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

आई.एम.पी.सी.एल. सोहान, जिला अल्मोड़ा को नियमित रूप से चलाये जाने की आवश्यकता। (17)

कि विद्युत विभाग शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के सभी गांवों का विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता। (18)

कि विद्युत विभाग शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

बिजली के बिल मीटर रीडिंग के आधार पर जारी किये जाने की आवश्यकता। (19)

कि विद्युत विभाग शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

पुराने और खराब बिजली के खम्बों को बदले जाने की आवश्यकता। (20)

कि कृषि और अन्य सहयोगी विभाग (उद्यान विभाग) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र के एक व्यापक फल पेटी योजना किये जाने की आवश्यकता। (21)

कि कृषि और अन्य सहयोगी विभाग (उद्यान विभाग) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी उद्यानों विशेष रूप से राजकीय उद्यान, चौबाटिया के अनुरक्षण और विकास के लिए विशेष योजना बनाये जाने की आवश्यकता। (22)

कि कृषि और अन्य सहयोगी विभाग (उद्यान विभाग) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता। (23)

कि कृषि तथा अन्य संबद्ध विभागों (पंचायती राज) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

जिला पंचायतों के कर्मचारियों को वेतन, पेंशन आदि और सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के बकाया का भुगतान किये जाने की आवश्यकता। (24)

कि कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (डेयरी विकास) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल डेयरी परिसंघ के शीघ्र गठन की आवश्यकता। (25)

कि कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (डेयरी विकास) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल में संकेन्द्रित मिनीडेयरी परियोजना तथा महिला डेयरी परियोजना को कुशलता से चलाने की आवश्यकता। (26)

कि कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तरांचल सेवा काडर, 1992 के शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता। (27)

कि कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में रिक्तियों को तुरन्त भरने की आवश्यकता। (28)

कि खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश की कुल आवंटित खाद्यान्न में से 35 प्रतिशत खाद्यान्न उत्तरांचल को उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (29)

कि खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

पिथौरागढ़ जिले में जिला खाद्य और आपूर्ति अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता। (30)

कि खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल में तुरन्त खाद्य और आपूर्ति निरीक्षकों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता। (31)

कि खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले के ग्रामीणों को पूरा राशन और मिट्टी के तेल का कोटा उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (32)

कि पर्यटन विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तराचंल क्षेत्र के लिए महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक (पर्यटन) के पदों को पुनः सृजित करने की आवश्यकता। (33)

कि पर्यटन विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

नये पर्यटन मार्गों के निर्माण द्वारा आवश्यक पर्यटन सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (34)

कि पर्यटन विभाग विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

पर्यटन में स्थानीय युवकों को प्रशिक्षित कर रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता। (35)

कि पर्यटन विभाग विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

मनीला, सराईखेत, जोरासी, बेरीनाग, जगेश्वर, गंगोली हाट, मुनस्यारी चम्पावत आदि को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने की आवश्यकता। (36)

कि व्यवसायिक (शिक्षा विभाग) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

कुमाऊं और गढ़वाल इंजीनियरिंग कालेजों में पर्याप्त कर्मचारी और नये पाठ्यक्रम उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (37)

कि व्यवसायिक (शिक्षा विभाग) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उन किसानों के परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता, जिनकी भूमि इंजीनियरिंग कालेजों को स्थापित करने के लिए अधिग्रहित की गई है। (38)

कि वन विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

वन विभाग में कार्य कर रहे नैमित्तिक कर्मियों की छंटनी को रोकने की आवश्यकता। (39)

कि वन विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

सभी नैमित्तिक कर्मियों को नियमित करने की आवश्यकता, जिन्होंने पांच वर्ष से अधिक सेवा की हो। (40)

कि वन विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

वनों में तारकोल की सड़कों के निर्माण की आवश्यकता। (41)

कि शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता। (42)

कि शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने की आवश्यकता। (43)

कि शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश में हाई स्कूलों और इंटर कालेजों में तत्काल और शिक्षकों की भर्ती करने की आवश्यकता। (44)

कि शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

प्रत्येक विकास खंड में पंचायत स्तर पर बालिका इंटर कालेज को स्थापना करने की आवश्यकता। (45)

कि शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल के गंगोलीहाट, चौखटिया, भिकियासेण, धौला देवी, ताकुला मंशेरी में तत्काल महाविद्यालयों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता। (46)

कि शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल में मान्यता प्राप्त सरकारी महाविद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण करने और अधिक संख्या में कर्मचारीन्वृन्द उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (47)

कि सरकारी उद्यम विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

हिलट्रान मंत्रालय को लखनऊ से नैनीताल स्थानांतरित किये जाने की आवश्यकता। (48)

कि सरकारी उद्यम विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

टेलीट्रोनिक्स लिमिटेड अल्मोड़ा जिला नैनीताल को पंजीकृत करने की आवश्यकता। (49)

कि सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल क्षेत्र में नहरों की मरम्मत के लिए एक विशेष योजना बनाने की आवश्यकता। (50)

कि सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

चौखटिया विकास खंड में रामगंगा नहर का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता। (51)

कि उत्तराखंड विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तराखंड विकास विभाग के नैनीताल और देहरादून स्थित प्रभागों को एक स्थान पर लाने की आवश्यकता। (52)

कि उत्तराखंड विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तराखंड विकास विभाग को पूर्ण वित्तीय शक्तियां देने की आवश्यकता। (53)

कि उत्तराखंड विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तराखंड विकास विभाग के अल्मोड़ा, और पौड़ी कार्यालयों के लिए भवनों का निर्माण करने की आवश्यकता। (54)

कि उत्तराखंड विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तराखंड विकास विभाग के दैनिक वेतन वाले कर्मचारियों को नियमित किए जाने की आवश्यकता। (55)

कि उत्तराखंड विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तराखंड विकास विभाग को स्वीकृत कार्यों की निगरानी और जांच करने की शक्तियां दिए जाने की आवश्यकता। (56)

कि उत्तराखंड विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तराखंड के विकास के लिए पर्याप्त राशि जारी करने की आवश्यकता। (57)

कि खेल विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल क्षेत्र के प्रत्येक सरकारी स्कूल में व्यायामशाला खोलने की आवश्यकता। (75)

कि खेल विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ रोजगार में वरीयता देने की आवश्यकता। (76)

कि खेल विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश में खेल-कूद प्रतियोगिताओं को आयोजित करने वाली संस्थाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता। (77)

कि खेल विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर खेल का मैदान निर्मित करने की आवश्यकता। (78)

कि गन्ना विकास विभाग में (चीनी उद्योग) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश में नैनीताल जिले के बैलपड़ाव में चीनी मिल स्थापित करने की आवश्यकता। (79)

कि गन्ना विकास विभाग में (चीनी उद्योग) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तराखंड तराई में कम से कम 10 नयी चीनी मिलें स्थापित करने की आवश्यकता। (80)

कि गृह विभाग (पुलिस) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तराखंड के प्रत्येक विकास खंड मुख्यालय में एक पुलिस थाना स्थापित किये जाने की आवश्यकता। (81)

कि गृह विभाग (पुलिस) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तराखंड क्षेत्र के लिये एक अलग पुलिस निदेशालय बनाये जाने की आवश्यकता। (82)

कि चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

जैसाकि पहले घोषित किया गया है जिला नैनीताल, हल्द्वानी में मेडिकल कालेज स्थापित करने की आवश्यकता। (83)

कि चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता। (84)

कि चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तराखंड के समस्त सरकारी चिकित्सालयों में रिक्त पदों को तुरन्त भरने की आवश्यकता। (85)

कि नगर विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के कुमाऊं व गढ़वाल जिलों के जल संस्थानों में कार्यरत दैनिक व वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की आवश्यकता। (86)

कि नगर विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांखड में जल संस्थान को पेयजल परियोजनाओं की मरम्मत हेतु पर्याप्त राशि देने की आवश्यकता। (87)

कि नगर विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांखड में जल निगम व जल संस्थान को मिलाकर "जल परिषद" बनाने की आवश्यकता। (88)

कि राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

रानीखेत, बागेश्वर, डीडीहाट व चम्पावत के नये जिले बनाने की आवश्यकता। (89)

कि राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल में मछोड़, मजखाली, मासी और जालली को सम्मिलित करके नये विकास खंडों की स्थापना करने की आवश्यकता। (90)

कि राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तरांचल में प्रस्तावित उप-तहसील स्थापित करने की आवश्यकता। (91)

श्री सन्तोष गंगवार (बरेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि विद्युत विभाग शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में विद्युत आपूर्ति करने की आवश्यकता। (58)

कि गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को गन्ने के बकाया का भुगतान किये जाने की आवश्यकता। (59)

कि गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

बरेली जिले के सैदुपुर (किथरी चैतपुर विकास खंड) गांव में प्रस्तावित चीनी मिल को बरेली चीनी मिल को हस्तांतरित किये जाने की आवश्यकता। (60)

कि योजना विभाग शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश के चालू योजनाओं को पूरा किये जाने के लिए विशेष धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता। (61)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (62)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश में गांवों की सभी सड़कों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ जाने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने जाने की आवश्यकता। (63)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

पीलीभीत और बरेली जिले के बीच देवा नदी पर एक पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (64)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

बरेली जिले में मीरगंज और आवला तहसीलों को जोड़ने के लिए रामगंगा पर एक पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (65)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

बरेली जिले को मीरगंज तहसील में सिधौली गांव में पीलीखार नदी पर एक पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (66)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

बरेली जिले में भोजीपुरा और रिठौली के बीच एक सम्पर्क सड़क का और नकडिया नदी पर एक पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (67)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

बरेली जिले में शाही कस्बे के नजदीक किच्छा नदी पर एक पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (68)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

बरेली-बदायूं रेलवे लाइन पर चौपाला में ऊपरिपुलों के निर्माण के लिये राज्य सरकार को 50 प्रतिशत शेयर दिये जाने की आवश्यकता। (69)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

बरेली जिले के कथरी चेनपुर विकास खंड में केसरपुर तक दोहरा लालापुर सड़क का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (70)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

बरेली जिले के मिलाज तहसील में सिधौली-हिल्दी सिहौर सड़क का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (71)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

बरेली जिले के मिलाज तहसील में मिर्जापुर-नरखेड़ा सड़क का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (72)

कि लोक निर्माण विभाग (संचार) शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

बरेली जिले में मंडी परिषद द्वारा प्रस्तावित सड़कों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (73)

कि उत्तराखंड विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत अनुदानों की मांगों में 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तराखंड क्षेत्रों के लिये अधिक धनराशि आबंटित किये जाने की आवश्यकता। (74)

[अनुवाद]

श्री बी.के. गढवी (बनासकांठा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा भारत अखण्ड है। महोदय, मैं विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए वित्तीय परिव्ययों के बारे में बोलना नहीं चाहता हालांकि में बाद में कुछ पहलुओं पर बोलूंगा।

महोदय, हमने आजादी के लिए और देश में एक प्रजातंत्र ढांचा स्थापित करने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया था। हमने इस सदन में राज्यों के लिए कई बजट पारित किए हैं लेकिन यह बजट अभूतपूर्व है। दो महीने पूर्व, जैसे कि सरकार ने दावा किया है, उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से हुआ था। देश की कुल संख्या का 1/6 भाग जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश राज्य में तीन वर्ष तक राष्ट्रपति शासन रहा और यहां अभी भी राष्ट्रपति शासन चल रहा है। विधान सभा चुनावों में लोगों का फैसला किसी भी एक दल के पक्ष में नहीं था। यह एक भग्न फैसला था। साथ ही, इससे पहले कि विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य शपथ लेते, अथवा विधानसभा की बैठक होती, उत्तर प्रदेश में फिर से राष्ट्रपति शासन लगाना प्रजातंत्र के मुंह पर थप्पड़ है।

ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था कि ऐसे राज्य में राष्ट्रपति शासन फिर से लगाया गया जहां शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव आयोजित होने का सरकार ने दावा किया था। उत्तर प्रदेश में न तो संवैधानिक गतिरोध था और न ही न्याय और कानून की कोई समस्या। यहां संविधान की किस धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? इस सन्दर्भ में धारा 356 का उल्लेख किया गया था। यह पता लगाने से पहले कि क्या किसी दल की सरकार वहां बन सकती है, इस अनुमान के आधार पर कि कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा, वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। भारत के संविधान के बारे में हमने जो शपथ ली, यह उसका उल्लंघन है।

इस बारे में संविधान क्या कहता है? प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक सामाजिक, प्रजातंत्रात्मक एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। यही संविधान का आधार है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने प्रजातंत्र के मुंह पर थप्पड़ मारा है और भाजपा ने बाबरी मस्जिद को ध्वंस कर उत्तर प्रदेश में जो स्थिति पैदा की है वह भी इस देश की धर्मनिरपेक्षता पर थप्पड़ है। दोनों समान रूप से दोषी है। इन लोगों ने देश की धर्म निरपेक्षता की गरिमा को बनाये रखने का प्रयत्न नहीं किया। इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ये लोग संविधान के प्रजातंत्रात्मक संकल्पना को बनाये रखना नहीं चाहते थे और इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन चल रहा है।...**(व्यवधान)** मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है।

महोदय, आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है?

जबसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शासन समाप्त हो गया है तबसे विकास की स्थिति बदतर होती गई और अब विकास की प्रक्रिया एक दम ठप्प हो गई है।

अब हम कानून और व्यवस्था की बात करें। दो दिन पहले मैं मेरठ में था। कई लोग मेरे पास आये। एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे कहा कि एक उद्योगपति 100 करोड़ रुपये मूल्य का उद्योग स्थापित करना चाहता है। परन्तु जब उसने वहां की परिस्थिति का जायजा लिया तो वह डर गया कि शायद उसके बन्धुओं का अपहरण

हो सकता है और इसलिए वह दूसरे राज्य में चला गया। यह बात मुझे दो दिन पहले मेरठ में पता चली।

वहां ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ और जहां तक निर्धनता उन्मूलन का संबंध है उसमें भी कोई प्रगति नहीं हुई। जहां तक उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति का संबंध है, मुझसे पहले के वक्ता ने कहा है कि चीनी मिलों पर उनकी बहुत बड़ी राशि बकाया है। यह राशि कब से बकाया है। संभवतः यह तीन वर्षों से पहले से तो बकाया नहीं होगी। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी भी एक दल पक्ष में अपना फैसला नहीं दिया।

अपराह्न 3.07 बजे

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

महोदय, उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है और पिछड़ों में भी दलित वर्ग बहुत ही पिछड़े हैं। इसलिए, हम चाहते थे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दलित जाति का होना चाहिए। कई सदस्य, जो कि अब संयुक्त मोर्चे में हैं, जब वे विपक्ष में थे, तब सरकारिया आयोग के बारे में बहुत शोर मचा रहे थे और कह रहे थे कि प्रत्येक राज्य में लोकतंत्र को किसी भी कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए तथा राष्ट्र में अधिक लोकतांत्रिक कार्यों का सूत्रपात किया जाना चाहिए। लेकिन अब हमें आजमाने की बात आई, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पुनः लागू कर दिया। राज्यपाल को किसी भी दल को सरकार के गठन हेतु आमंत्रित करना चाहिए था।

श्री सत्यदेव सिंह : वह किसी दल को आमंत्रित क्यों करें? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। आप स्पष्ट बात क्यों नहीं करते हैं?

श्री बी.के. गढ़वी : राज्यपाल को अपने विवेक से उत्तर प्रदेश में किसी दल को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित करना था। उन्हें सरकार बनाने के लिए किसी को आमंत्रित करके अपने विवेक का परिचय देना चाहिए था। यदि भाजपा को आमंत्रित किया जाता, तो वह इस प्रकार लड़खड़ा कर ढेर हो जाती, जैसे लोकसभा में हुई थी क्योंकि वह वांछित समर्थन जुटाने में सफल न हो पाती। लेकिन धर्मनिरपेक्ष ताकतें सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में थी और इसलिए राज्यपाल को केवल दो दलों के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए था, न कि कई दलों के जमघट को। इससे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों की अग्निपरीक्षा भी हो गई होती जोकि सत्ता पक्ष की ओर से ऐसा दावा करती है तथा दलितों और महिलाओं के प्रति अपने समर्पण का दावा करती है। उनकी इस पोल को खुलने से रोकने हेतु उन्होंने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को पुनः लागू करने का अवांछनीय रास्ता अपनाया।

इस प्रकार एक ओर तो संयुक्त मोर्चा ने उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पूर्व तौर पर तोड़ दिया तथा दूसरी ओर विपक्षी मोर्चा, भाजपा का भी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास पूर्णतः टूट गया। सच्ची तस्वीर मूल दृश्य सामने आ गया है और वे दोनों पूरे राष्ट्र के सामने नंगे हो गए हैं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : इसीलिए वहां पर कांग्रेस का सफाया हो गया।

श्री बी.के. गढ़वी : कांग्रेस ने तो 40 साल तक राज किया और देश को बर्बाद रखा और आप डेढ़ साल तक भी नहीं करते हैं, गुजरात में जाकर देखकर आ जाइये। सफाया सफाया क्या कर रहे हो, आपने तो पूरे देश का राम बोलो भई राम बना दिया है। यही तो बात है,

[अनुवाद]

इससे आपकी असहिष्णुता और धैर्य का पता चलता है जो आपको इस राष्ट्र अथवा किसी राज्य में शपथ के अयोग्य साबित करता है। आपके पास उद्देश्यपरक आंकलन और विचार सुनने का भी धैर्य नहीं है।

यह आपको शासन के अयोग्य बनाता है।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : आप बजट पर बोलिये।

श्री बी.के. गढ़वी : मैं जानता हूं, बजट पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मैं जानता हूं, आपसे सीखने की बात नहीं है।

सभापति महोदय : गढ़वी साहब, आप मेरी तरफ देखकर बोलते रहिये। आप मेरी तरफ देखते रहिये। आप अपनी बात जारी रखिये।

[अनुवाद]

श्री बी.के. गढ़वी : महोदय, उनसे न सीखने की सलाह देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि देश के एक अति प्रमुख राज्य के पास सभी संसाधन हैं-उस राज्य में दो नदियां बहती हैं और केवल दो ही क्यों वहां कई नदियां बहती हैं और जहां उपजाऊ भूमि है। हाल ही में हमने बिजली उत्पादन प्रति व्यक्ति आय, खाद्यान्न उत्पादन, गन्ने से चीनी निकलने औद्योगीकरण के क्षेत्र में वहां प्रगति के बारे में सुना है, वह कई क्षेत्रों में पिछड़ा है। इसी कारण मैं कहता हूं कि यह बजट संसद के समक्ष नहीं होना चाहिए था। इस बजट के लिए उचित स्थान उस राज्य की विधान सभा है। यह बजट नहीं है। हम इसे बजट कह सकते हैं, लेकिन यह बजट नहीं है। यह केवल प्राप्तियों और व्यय का ब्यौरा है। बजट के लिए बहुत व्यापक और भिन्न परिभाषा है। इसमें निर्देश, नई नीतियां, संसाधनों के नए आयाम, पूंजी के नए आबंटन और योजना पक्ष तथा बहुत से अनेक क्षेत्रों का ब्यौरा है। यहां भारत सरकार ने इसे केवल डाकघर बना दिया हैं। यह उत्तर प्रदेश से आता है और हमें इसे रखना होता है तथा स्वीकृत करना होता है।

अतः तकनीकी तौर पर इसे बजट कहा जा सकता है, लेकिन यह सही अर्थों में राज्य का बजट नहीं है। अतः मैं अपनी पार्टी की ओर से जो कहता हूं, वह उत्तर प्रदेश के लिए है...**(व्यवधान)** जो देश का सबसे बड़ा राज्य है तथा जिसकी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का छठा भाग है, अच्छी भूमि है, सुनहरा इतिहास है, अच्छे नेता हैं जो न केवल इस देश को बल्कि सम्पूर्ण विश्व को दिशा देते हैं। ऐसे राज्य के लिए राष्ट्रपति शासन जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है।

महोदय, हमें ऐसी रिपोर्ट मिली हैं कि राज्यपाल का रवैया बहुत तानाशाहीपूर्ण रहा और रिपोर्टों से ऐसा लगता है जैसे कि वह असहाय स्थान पर बैठा है। लोग अपने दुखों का निवारण करने हेतु उनके पास जाने की स्थिति में नहीं हैं। हमें इस प्रकार की स्थिति की आशा नहीं थी। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों का सभी दलों में विश्वास समाप्त हो चुका है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया गया है। टूटा-फूटा जनादेश दिया गया है। लेकिन जो लोग इस देश पर शासन कर रहे हैं और जिनके पास अर्थात सत्ता पक्ष, इस देश के शासन की बागडोर है उन्हें कुछ विवेक का परिचय देना चाहिए था जिससे कि इस जनादेश का भी उत्तर प्रदेश के लोगों के हितों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। प्रधान मंत्री आश्वासन देते चले गए।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : आप समर्थन दे रहे हैं, थोड़ी बुद्धि भी दे दीजिए।

श्री बी.के. गढ़वी : मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, आपको समझ नहीं आती, मैं क्या कहता हूं,

[अनुवाद]

कृपया हमें समझने का प्रयास कीजिए जो मैं कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री विकास के बारे में वायदे कर रहे हैं। लेकिन इस बजट में कौन से वायदे प्रतिबिम्बित हुए है।

अतः जैसाकि मैंने पहले कहा है, तकनीकी तौर पर हम बजट का समर्थन करेंगे और हम प्राप्तियों और व्यय वित्त विधेयक के इस विवरण के लिए मत डालेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण सरकार अथवा सारा प्रशासन शून्य हो जाए। हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश की प्रगति रूक जाए क्योंकि हमने इन वित्तीय प्रस्तावों के पक्ष में मत नहीं डाला है। हम सम्पूर्ण आदर करते हैं। हम उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास और उनकी दशा में सुधार की दिल से तमन्ना करते हैं।

लेकिन मुझे कहना है कि यही समय है जबकि सरकार और राष्ट्रीय मोर्चा के दल ऐसा हल निकालें जहां लोकतांत्रिक सरकार, संयुक्त सरकार अथवा किसी भी सरकार का गठन हो और यह अच्छा होगा यदि यथाशीघ्र राष्ट्रपति शासन हटा लिया जाए अन्यथा मुझे डर है- इस इस बात से खुश हो सकते हैं अथवा उत्साहित हो सकते हैं। कि हमारे अहं अथवा दूसरे से अहं को संतुष्टि हो गई है। वे निष्क्रिय हो जाएंगे।

लेकिन इस लोक सभा को केवल आज ही नहीं बैठना है, बल्कि कल भी और परसों भी बैठना है। हमें इस देश में लोकतंत्र के भविष्य को देखना है, हम किस प्रकार के पुर्नोदाहरण स्थापित करने जा रहे हैं। हम लोगों के जनादेश को क्या आदर देने जा रहे हैं और हम संकट पर कैसे काबू पा सकेंगे। हमारी संकट प्रबंधन क्षमता क्या है? इस सरकार का इसे देखना है। मेरे विचार से जब उत्तर प्रदेश में स्पष्ट जनादेश नहीं मिला तो वर्तमान सरकार की यह संकट प्रबंध क्षमता पूर्णतः असफल हो गई। इसलिए मैंने कहा कि यह लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है तथा इस सरकार की क्षमता पर धब्बा है। किसी को उदारता दिखानी चाहिए थी : भाजपा अथवा किसी अन्य दल या संघटक को यह उदारता दिखानी चाहिए थी। हम सब आलोचना करते हैं, हम सब जोर जोर से चिल्लाते हैं लेकिन जब दलितों को सत्ता में भागीदारी की बात आती है, तो सब चुप हो जाते हैं। यह मेरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी थी जिसने चुनावों से पहले गठबंधन किया। हमने कहा कि हम कुमारी मायावती को समर्थन करने जा रहे हैं, यह खुली घोषणा थी और आज भी हम उस घोषणा पर अमल करने को बाध्य हैं। हम राष्ट्रीय मोर्चा के लोगों, धर्मनिरपेक्ष ताकतों से अनुरोध करते हैं कि यदि वे वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हैं यदि वे वास्तव में लोकतांत्रिक हैं और यदि दलितों और महिलाओं के प्रति वे वास्तव में थोड़ा-भी आदर रखते हैं, तो उन्हें बसपा-कांग्रेस गठबंधन और कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री के रूप में समर्थन देने के लिए आगे आना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री एस.पी. जायसवाल (वाराणसी) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। मैं जब से इस सदन में एक नए सदस्य के रूप में आया हूं मैंने देखा है कि इस सदन में जहां इस देश को, अपने उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था के बारे में चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी के बारे में चर्चा होनी चाहिए, महंगाई के बारे में चर्चा होनी चाहिए, अनेकानेक जो समस्याएं हैं, उन पर विचार करने के लिए डिबेट होनी चाहिए, उसकी जगह पर शासन पक्ष जो 13 दलों की सरकार है, देश की और प्रदेश की परिस्थितियों से जनता को धोखा देने के लिए, उसकी आंख बंद करने के लिए इस सदन में केवल धर्मनिरपेक्षवाद और गैर-धर्मनिरपेक्षवाद के बारे में चर्चा करती है। मुझे बड़ा दुख है, हम पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठें हैं, लेकिन इस सदन में भी क्या हम सच्चाई नहीं बोल सकते।

क्या यह सदन यह बात नहीं करता, देश को आजाद हुए पचास वर्ष हो रहे हैं और इस देश के द्वारा एक जमीन का फैसला नहीं किया जा सकता कि वह जमीन राम की है या वह जमीन बाबर की है। मैं

तो सत्य की प्रतिस्थापना की बात कहता हूं। यह देश की सबसे बड़ी पंचायत है, यहां सत्य बोलने की बात करिए। अगर यह राम की जमीन है, तो राम को दे दो; अगर कृष्ण की जमीन है, तो कृष्ण को देनी चाहिए और अगर बाबर की जमीन है, रहीम की जमीन है, तो डंके की चोट पर कहिए कि जमीन उनकी है, तो उनको देनी चाहिए। सत्य की प्रतिस्थापना की बात सदन में कहनी चाहिए। लेकिन वे लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तुष्टिकरण की बात कहते हैं, लोगों को धोखा देने की बात करते हैं, तो यह धोखा देने वाली बात बहुत दिनों तक इस सदन में नहीं चल सकती।

मैं काशी से निर्वाचित हो कर आया हूं, जहां मां गंगा बहती है। जहां विश्वनाथ जी विराजमान हैं और जहां गोस्वामी तुलसीदास पैदा हुए। जहां सन्त कबीर पैदा हुए। स्थिति यह है कि गंगा प्रदूषित हो चुकी है। यह केवल काशी की बात नहीं है, कानपुर के लोग भी अब गंगा में स्नान करने से हिचक रहे हैं। गंगा को स्वच्छ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान लिया गया, कार्यवाही की गई, लेकिन गंगा स्वच्छ नहीं हो पाई। सारे का सारा प्लान विफल रहा। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में टिहरी गढ़वाल में बांध बनाने की बात करके, सम्पूर्ण गंगा के पानी को रोकने की बात कह करके समस्त उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के लोगों के साथ धोखा किया है। सच्चाई यह है, मां गंगा का जल काशी में, प्रयाग में अथवा टिहरी से आगे भी एक बूंद, मां गंगा का जल गंगोत्री से निकला हुआ, लोगों को मिलने वाला नहीं है। मैं पूछता हूं, क्या इस बारे में इस बजट में विचार किया गया है? क्या गंगा को स्वच्छ करने के लिए विचार किया गया है? बजट सदन में आते हैं और पास हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में यह निर्णय लिया था कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मैं पूछता हूं, बजट के अन्दर इस मद में कोई रुपया रखा गया है और यह विचार किया गया है कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी?

महोदय, वाराणसी, जो तीन लोकों से न्यारी है, एक प्रमुख स्थान ही नहीं हैं, बल्कि विश्व के पर्यटकों का केन्द्र भी है। काशी के घाट केवल हिन्दुस्तान के लिए ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व के लिए दर्शनीय स्थल है। सम्पूर्ण विश्व के पर्यटक यहां आते हैं, लेकिन वाराणसी की जो सड़कें हैं, वे पुकार-पुकार कर कह रही हैं कि तुम कहां आ गए हो और किस तरह की सड़क पर चल रहे हो। क्या वाराणसी के विकास के लिए इस बजट में 25 करोड़ रुपए की आवश्यकता नहीं है? मैं सरकार के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वाराणसी के विकास के लिए वाराणसी नगर-निगत को 25 करोड़ रुपए का प्रावधान होना चाहिए। मैं तो कहता हूं, वाराणसी नहीं, बल्कि पूरे का पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। पांच वर्ष हो गए हैं, इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। हमारे सदन में उत्तर प्रदेश के बड़े पद पर आसीन एक मंत्री बैठे हुए हैं। जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हुए, तो उत्तर प्रदेश में एक भी ट्यूबवैल नहीं लगा। आपने पैसा बांट दिया, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन आपने कहा कि थानों में उर्दू जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए और हर थाने के लिए आपने एप्वाइंटमेंट कर लिया। आपने कहा कि मदरसों के लिए हम वेतन देंगे, मौला और मौलवी को पैसे देंगे। आपने कुछ टैक्स भी छोड़ दिए। आपने युवकों को कह दिया कि बिना पढ़े हुए भी पास मान लेंगे। मतलब यह कि आप नकल से भी आगे बढ़ गए। इस देश में आवश्यकता इस बात की थी कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस बात को कहते कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई युवक बेरोजगार नहीं होगा। हम यह कहते हैं कि हमारे विचार के लोग जब बहुमत में आयेंगे, तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण देश के अन्दर कोई युवक बेरोजगार नहीं होगा और हर हाथ को काम देंगे, लेकिन इस बजट के अन्दर उसका कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तर प्रदेश में मंहगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। सिंचाई के साधन कम होते चले जा रहे हैं। 75 प्रतिशत ट्यूबवैल खराब हैं और नालियां टूटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों के पास खाद नहीं है। किसान ने अपने खेतों में फसल बिना खाद के बोई है। साथ ही को-आपरेटिव्स के माध्यम से जो बीज उपलब्ध कराने की बात थी, वह भी उपलब्ध नहीं हुई है। हमारे खाद्य मंत्री जी कहते हैं कि गेहूं कम पैदा हुआ है। मैं पूछता हूं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गन्ने की खड़ी फसल किसान की खरीदी नहीं गई और किसान को उसको अग्नि की गोद में डालना पड़ा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। इस नाते कि कौन दल बड़ा है, राष्ट्रपति शासन स्थापित करना उचित नहीं है। तुष्टिकरण की नीति का पर्यायवाची शब्द बनाकर सैक्युलरिज्म की भाषा बोलने वाले लोग यह समझ लें कि दुनिया के अन्दर सच्चाई छिप नहीं सकती है। सैक्युलरिज्म के नाम पर तुष्टिकरण की नीति अपना कर कभी-भी हिन्दुस्तान के जनमानस पर अपने प्रभाव को जमा नहीं सकते हैं। इसी सदन के अन्दर माननीय मुलायम सिंह जी ने हमारी तरफ इशारा करके कहा था, आपने शिला पूजन किया, आप 70-80 सदस्य यहां आ गए। फिर आपने ढांचा ढहा दिया, आप यहां 162 की संख्या में आ गए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने सत्य बात कही है। हमने जनता के मन के अनुकूल काम किया, इनसे आप भी कुछ सीख लीजिए। लोगों के दिलों के अनुसार, लोगों की भावनाओं के अनुसार, लोगों के विचारों के अनुसार काम करने को सोचिए। अगर आप नहीं सोचते हैं और हम जनता के दिलों के अनुसार काम करते जायेंगे, तो आप हमें रोक नहीं पायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिलकुल धवस्त हो चुकी है। समस्त प्रदेश में हत्यायें, अपहरण, डकैतियां और कुछ संस्थाओं के जो गुण्डे प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहा है। उत्तर प्रदेश जल रहा है। उत्तर प्रदेश को जलने से बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वहां पर विधान सभा गठित होनी चाहिए और वहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस बजट पर विचार होना चाहिए। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, उत्तर प्रदेश बजट पर सदन में विचार हो रहा है। यह बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य भारत में सबसे बड़ा राज्य है। उस सदन के 425 माननीय सदस्य हैं और उनके द्वारा इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है, हर आदमी इस बात को कबूल करता है, लेकिन कबूल करने के बाद पता नहीं

अपराह्न 3.29 बजे

(श्रीमती रीता वर्मा पीठासीन हुईं)

सोच कहां चली जाती है। आज एक लोकप्रिय सरकार की जरूरत उत्तर प्रदेश में बनी थी। चुनाव के जो नतीजे, उन नतीजों के आधार पर अगर वहां पर सरकार बनती, तो आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा में इस बजट पर बहस होती। वहां जो स्थानीय माननीय सदस्य हैं, वे वहां की समस्याओं को ठीक प्रकार से सदन में रखते और इस सदन में हम भिन्न-भिन्न राज्यों से आए हुए लोग हैं, मैं समझता हूं कि हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भला नहीं कर पायेंगे। यह भी एक खतरा है कि हम लोकतन्त्र को किस तरह से साबित करते हैं। हम चुनाव से लोकतन्त्र को स्थापित करते हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य ने बहुत जोरदार शब्दों में दो तरह की बातें कहीं, एक धर्म-निरपेक्षता की और दूसरी साम्प्रदायिकता की।

यह कौन नहीं जानता है कि यह देश शुरू से धर्मनिरपेक्षता को ही मान करके चला। इसकी एक नीति धर्मनिरपेक्षता की है, यह कोई आज की बात नहीं है। जब यह धर्मनिरपेक्षता की नीति है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि हम हर धर्म का आदर करें लेकिन हम धर्म के साथ जुडे नहीं, हम अपनी राजनीति को धर्म के साथ जोड़ते नहीं हैं। हम आदर करते हैं ...**(व्यवधान)**

श्री एस.पी. जायसवाल : आप संविधान के निर्माताओं के संविधान रचित उन पत्रों को पलट कर देखें जिन पत्रों पर राम और कृष्ण के चित्र हैं। आप धर्मनिरपेक्षता का अर्थ गलत मत लगाइए। धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्मविहीनता नहीं है। ...**(व्यवधान)**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : यह अर्थ लगाने का अलग तरीका है। कानून जो होता है वह बिल्कुल गवाह है लेकिन जो कानून का संचालन पालन करने वाला है वह इतना चतुर है कि वह उसका भिन्न-भिन्न तरह से अर्थ लगाता है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : रामाश्रय जी, आप तो सीनियर मेम्बर हैं, आप विषय पर बोलिए। आप उत्तेजित न होइए।

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : हम तो आप ही की तरफ देखते हैं लेकिन जब कोई कुछ बोलने लगते हैं तो मनुष्य का स्वभाव है कि उसका ध्यान उधर जाएगा। ...**(व्यवधान)** मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह देश धर्मनिरपेक्षता को मानता आया है और इस पर यह देश कायम रहेगा, इसको कोई मिटाएगा नहीं। आपने सचमुच जितना इस देश के साथ खिलवाड़ किया है, भले ही आप 162 हो जाएं उसमें हमको कुछ नहीं कहना है लेकिन आपने तो ईंट पूजन को माना। यह कोई नयी बात नहीं है। मैंने देखा है आप गांव-गांव में ईंट को लेकर गए और उसका पूजा-पाठ किया। यह क्या है, यह तो देश के प्रति एक तनाव बढ़ाना है। अरे, आपको पावर में लाने के लिए अगर जनता आपको ले आएगी तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। आप पावर में आइए, लेकिन पावर किसलिए, जनता के हितों के लिए। एक मजहब का नाम लेकर आप पावर में आना चाहते हैं। यह देश ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। यह समझ आपकी है। शायद जनता ने फैसला किया है लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का सबूत जनता ने एक बार नहीं, कई बार दिया। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : रामाश्रय जी, आपको पांच मिनट का समय मिला है, आप पांच मिनट बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : हम इसीलिए आपसे निवेदन करेंगे कि लोकतंत्र पर यह खतरा बढ़ गया है। हम सब कैसे सरकार बना सकते हैं। चुनाव का जो हमारा माध्यम है, अगर उसके माध्यम से बराबर निर्णय किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होगी, यह सभी लोगों का सोचने का विषय है। जितने भी हमारे देश के प्रतिनिधि यहां आए हुए हैं उन सभी का सोचने का समय आ गया है, इसको आप अच्छे तरीके से सोचें। हम यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द एक लोकप्रिय सरकार का गठन होना चाहिए। लोकप्रिय सरकार जब आएगी तो वही वहां की समस्याओं का निदान कर सकती है। भंडारी जी से निदान होने वाला नहीं है, एक व्यक्ति से निदान होने वाला नहीं है, यही हम आपसे कहेंगे और यही मेरा आपसे अनुरोध है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : सभापति महोदया, यह बड़े दुःख की बात है कि उत्तर-प्रदेश का बजट पास करने के लिए हमें इस सदन के समक्ष आना पड़ा है। इसके अतिरिक्त कोई विकल्प भी नहीं है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो, तो राज्य का विधायी कार्य हमें संसद में करना पड़ता है।

आज यहां के चुने हुए प्रतिनिधियों ने शपथ ग्रहण की। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी चुन कर आई है। उसके विरुद्ध दो दल हैं। एक दल के नेता श्री मुलायम सिंह यादव हैं, दूसरे दल के नेता श्री काशीराम हैं। वहां एक दल कांग्रेस (इ) है।

मैं इस स्थिति की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में बहस नहीं करना चाहता। परन्तु मेरी और मेरी पार्टी की यही राय है कि कुमारी मायावती को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए था। चूंकि उन्हें दूसरी पार्टियों का समर्थन नहीं मिला और उनको सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया गया तो जन-प्रतिनिधियों को सत्ता सौंपी

हो जानी चाहिए। और यह भी देखा जाना चाहिए कि वह अपनी शक्ति सदन में सिद्ध करें। वरना राज्यपाल का शासन लोकप्रिय शासन का कोई विकल्प नहीं है।

पिछली बार भी मैंने कहा था कि हमें आशा है कि कोई समाधान निकल आयेगा। मुझे नहीं पता यह सच है या झूठ, परन्तु आज के समाचार पत्रों में यह समाचार था कि कुमारी मायावती अन्य दलों की सहायता से वहां की मुख्यमंत्री बन रही हैं। परन्तु व्यक्तिगत रूप से हमें यह लगता है कि भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार का होना बहुत आवश्यक है। इस बजट के बारे में हमें तो यही लग रहा है कि यह नौकरशाही के लिए एक स्वर्गभवन बन गया है और राज्यपाल उस धन का प्रयोग कर रहे हैं जिसका प्रयोग जन सुविधाओं के लिए करना जरूरी है और धन बर्बाद किया जा रहा है।

यदि आप किसी को भी सरकार बनाने का मौका नहीं देना चाहते अथवा यदि राज्यपाल को लगता है कि कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती तो विधायकों को शपथ तो दिलाई ही जानी चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि प्रत्येक संसदीय चुनाव क्षेत्र में विधायकों और संसद सदस्यों को एक समिति बननी चाहिए और इस समिति के परामर्श से बजट राशि को खर्च किया जाना चाहिए। इस समय यह कार्य जिला न्यायाधीष कर रहे हैं। कुछ मामलों में, मुझे बताया गया है कि संसद सदस्यों को भी विचार विमर्श के लिए नहीं बुलाया गया। यह उचित नहीं है। विधायक या संसद सदस्य चाहे किसी भी पार्टी के हों उनसे विचार विमर्श किया जाना चाहिए और धन को उसी के तदनुसार खर्च किया जाना चाहिए। हमें पता चला है कि भारत सरकार द्वारा राज्यों को दी गई धन-राशि का ठीक तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

अतः केन्द्र की सरकार से हमारा निवेदन है कि वह यह देखे कि इस धन का उचित उपयोग हो, और इस उद्देश्य के लिए एक प्रतिनिधि मंच का भी गठन करे, ताकि वे ठीक ठीक सलाह दे सके। ऐसे उदाहरण भी हैं। मुझे याद है जब मैं केन्द्र में गृह राज्य मंत्री था तो हमने दिल्ली में संसद-सदस्यों और अन्य लोगों की एक परामर्शदात्री समिति गठित की थी जो असम के राज्यपाल को परामर्श दे सके क्योंकि असम में अशांति के कारण वहां लगातार काफी समय से राष्ट्रपति शासन लागू था। अतः दिल्ली में भी गृह मंत्रालय सांसदों तथा अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक समिति बना सकते हैं जो राज्यपाल को यह परामर्श दे कि उस धन को कैसे खर्च किया जाए। अन्यथा, एक राज्यपाल और तीन परामर्शदाताओं के लिए इतने बड़े बजट और विशेषकर ग्रामीण विकास और अन्य कार्यक्रमों के लिए दिये जा रहे हैं। धन पर नियंत्रण करना कठिन होगा। चूंकि मैं ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्थाई समिति का अध्यक्ष हूं, मैं लगातार यह देखता रहा हूं कि केन्द्र सरकार निरन्तर धन प्रदान कर रही है परन्तु इसका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है।

महोदया, मेरा केवल यही प्रस्ताव है। अन्यथा मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : आज उत्तर प्रदेश के बजट पर हम लोग विचार व्यक्त कर रहे हैं। माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में काफी विचार व्यक्त किए हैं। समूचे भारतवर्ष के अंदर जितने भी प्रांत हैं मैं समझता हूं कि सबसे फूहड़ व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर है। दुनिया के किसी भी प्रांत के अंदर ऐसी फूहड़ व्यवस्था नहीं होगी। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 126344 वर्ग मील है और इसके 66 जिले हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो सरकार 13वीं विधान सभा के लिए निर्वाचित हुई। परन्तु इस देश का दुर्भाग्य है कि इस केन्द्र में बैठे हुये संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त तत्वों द्वारा विधायकों के साथ अन्याय किया गया। यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश से 425 विधायक और लोक सभा के लिये 85 सदस्य चुनकर आते हैं। हमारे प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा साहब जब चुनाव प्रचार में जा रहे थे तो बार बार ऐसी घोषणायें कर रहे थे और जब वित्त मंत्री जो यहां बैठते हैं तो सोचते हैं कि उनको कैसे पूरा किया जायेगा क्योंकि उनके लिये इतनी बड़ी स्टेट के लिये खरबों रुपये का प्रबंध करना पड़ेगा। मैं तो असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ हूं कि उन्होंने अरबों खरबों रुपये की घोषणा कर दी जबकि बजट में दो खरब नौ अरब 48 करोड़ दो लाख दस हजार रुपये 66 जिलों के लिए है जो 15 करोड़ की आबादी वाले इतने बड़े प्रदेश के लिये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। यदि देश के अन्य प्रान्तों से उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति से तुलना की जाये तो लगेगा कि उत्तर प्रदेश के साथ घोर अन्याय किया गया है। इस उत्तर प्रदेश ने इस देश के लिये क्या-क्या नहीं किया? आपको 7-8 प्रधान मंत्री दिये और तब भी उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जिसे मैं पिछले दस साल से देखता आ रहा हूं। आपने उत्तर प्रदेश की 13वीं विधानसभा के विधायकों को शपथ नहीं लेने दी। इस पर जनता केन्द्र सरकार की ओर टकटकी लगाये देख रही है कि आपका क्या निर्णय होगा। यह सब बजट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पारित होना चाहिये था लेकिन हम लोग इस पर चर्चा करने के लिये मजबूर हैं। इस बात से हमारा मन मे बड़ी भारी पीड़ा है।

सभापति महोदया, आज उत्तर प्रदेश एक लाख 26 हजार 344 वर्गमील में फैला हुआ है। अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाय तो अत्यंत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश है। यदि देखा जाये तो दक्षिण के राज्य केरल और कर्नाटक से आई.ए.एस. तथा आई.पी.एस. सबसे ज्यादा आ रहे हैं जबकि उत्तर प्रदेश का स्तर बहुत गिरा हुआ है। यहां से उनकी संख्या बहुत कम रहती है। केन्द्र सरकार साक्षरता मिशन के नाम पर तमाम पैसा दे रही है और जिन प्रदेश सरकारों में मिलीजुली सरकारें हैं, वहां मिलीभगत है और यदि उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय सरकार होती तो वहां भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पैसा मिलता लेकिन लालफीताशाही के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्राईमरी स्कूलों की संख्या कम है। देश को आजादी के 50 साल बाद भी यही हालत है। एक नागरिक अपने मौलिक अधिकार शिक्षा प्राप्त करने से वंचित है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है। मैं भारतवर्ष की बात न करके अपने प्रदेश की बात करूंगा कि वहां पर 35 प्रतिशत ग्राम सभाओं में प्राईमरी स्कूल तक नहीं हैं।

सभापति महोदया, स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में काफी लोग गरीब हैं। यदि गांव में किसान का बेटा काम कर रहा है और उसे फावड़ा लग जाये या उसको सांप अथवा बिच्छू काट जाये तो उसके लिये दवा नहीं है।

सभापति महोदया, कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी है जैसा हमारे सीनियर मैम्बर श्री मंगवार जी बता रहे हैं कि पहले मंत्री बुलाकर सब लोगों की पीड़ा सुनता था और उसे सुझाव दिये जाते थे और आज एक एम.पी. 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन उत्तर प्रदेश में गवर्नर की बात तो छोड़िये वहां का कलेक्टर भी फोन पर बात नहीं सुनता जबकि देश के अन्य राज्यों में एक एम.पी. यदि गवर्नर से फोन पर बात करता है तो सुनी जाती है और कलेक्टर काम करने के लिये तैयार रहता है लेकिन यहां पर सब जगह 'नो' सुनाई देता है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि कलेक्टर फोन पर जनप्रतिनिधियों से बात नहीं करता है। वह क्यों? उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि वहां लालफीताशाही का कब्जा है इसलिए जन-प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जा रही है। कानून और व्यवस्था की स्थिति आप देख लीजिए। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के साथ, उनकी बहू-बेटियों के साथ क्या हो रहा है? इटावाजिला मुलायम सिंह जी का चुनाव क्षेत्र है।

सभापति महोदय : आप जरा अपनी स्पीच को छोटा कीजिए। काफी समय लग रहा है।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : सभापति महोदया, अभी तो मैंने बोलना ही शुरू किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

सभापति महोदय : आप जल्दी खत्म कीजिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : इटावा में 12 साल की एक लड़की के बाप को पेड़ पर लटका दिया गया और उसके सामने उसकी लड़की के साथ बलात्कार किया गया। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बजट पर बोलिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : मैं उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर ही सब कुछ टिका है। वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। एक ईंट के भट्टे में 17 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अब मैं कृषि पर कुछ कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की 78 फीसदी जनसंख्या कृषि पर आधारित है। वहां किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है। किसानों के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप चेयर को ऐडरस कीजिए और जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : हमें दो-चार मिनट और तो मिलने चाहिए।

सभापति महोदय : काफी समय हो गया है। आपकी पार्टी का समय पूरा होने वाला है।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : दो-चार मिनट तो दीजिए।

सभापति महोदय : ठीक है। दो मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ की आबादी है और उत्तर प्रदेश के 78 फीसदी लोग कृषि पर आधारित हैं। वहां किसान को पानी और बिजली की जरूरत है। प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि कृषकों को 16 घंटे बिजली मिलनी चाहिए लेकिन आज 12 घंटे या 10 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। यहां कोई भी माननीय सदस्य बता दे कि उनको 12 घंटे या 10 घंटे भी बिजली मिल रही हो? मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।

सभापति महोदय : 'समाप्त करने जा रहा हूं' नहीं, समाप्त कीजिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अपनी बात खत्म करने में मुझे दो मिनट का समय तो चाहिए।

सभापति महोदय : अब दो मिनट नहीं, एक मिनट में खत्म कीजिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : ठीक है। मैं चेयर के आदेश का पालन करूंगा। माननीय पासवान जी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा। जिस प्रकार विजय दिवस मनाया गया और उसमें जिस प्रकार प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति ने अंग्रेजी में ऐड्रस किया, मैं पासवान जी को बधाई देता हूं कि भारत के रेल मंत्री ने हिन्दी में भाषण दिया। अगर प्रधान मंत्री जी और राष्ट्रपति जी हिन्दी में भाषण करते तो देश की जनता सराहती क्योंकि हम हिन्दी भाषी प्रदेश के हैं।

सभापति महोदय : आप बजट पर बोलिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : बजट पर पहले ही बोल चुका हूं।

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : बजट पर भी हम अपनी बात बोलने जा रहे हैं। 250 करोड़ रुपए मलिन बस्तियों के लिये दिया है। इंदिरा आवास में 15,000 रुपए से 20,000 रुपये तक देते हैं। इसमें से भी 7000 रुपया घूस और भ्रष्टाचार में चला जाता है। इससे लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। 75 प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि किस गांव में विद्युतीकरण हो रहा है? विद्युतीकरण सिर्फ कागजों पर ही हो रहा है। 16 हजार करोड़ रुपयें की जरूरत थी पर उसमें क्या मिला?

उत्तर प्रदेश में चुनी हुई लोकप्रिय सरकार बने जिससे समाज और प्रदेश का कल्याण हो, हर आदमी अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सके, अपनी बात कह सके और उसकी सुनवाई हो तथा लोगों को लालफीताशाही से छुटकारा मिल सके। इसलिए मैं पासवान जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के प्रधान मंत्री को बताइये कि यह कुठाराघात आज हो रहा है। आज आप वहां पर बैठे हैं, कल हम वहां हो सकते हैं और आप यहां पर हो सकते हैं, यह बात आप ध्यान में रखिये। परंतु इसमें विद्वेष भी भावना नहीं होनी चाहिए। हम लोगों का रीप्रेजेंटेशन करते हैं, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री हरिवंश सहाय (सलेमपुर) : सभापति जी, उत्तर प्रदेश के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है। लेकिन वहां मजबूरी है जिसके कारण वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। जो भी दल वहां बहुमत सिद्ध करेगा, उसको महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति शासन समाप्त करके लोकप्रिय सरकार गठन करने का मौका देंगे। यह जो बजट पेश किया गया है इस पर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अभी केन्द्रीय सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ओदश जारी करके 168 कारखानें बंद कर दिये हैं और दिसम्बर 1997 तक 40 हजार कारखानें बंद कर दिये जायेंगे। इनमें दस लाख मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के काम करते हैं। मेरी केन्द्रीय सरकार से मांग है, जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश कर रही है, कि सारे कारखाने पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगाये जाएं और यह नियम भी है कि जहां सस्ती दर पर मजदूर मिलते हैं, वहां पर कारखानें लगाये जाएं। यदि केन्द्रीय सरकार ये सारे कारखानें पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगाये तो वहां की माली हालत, जो पिछड़ती जा रही है, लोग गरीब होते जा रहे हैं, उसमें सुधार हो सकता है। यहां पर माननीय सदन के नेता आदरणीय राम विलास पासवान जी मौजूद हैं। उन्हें याद होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर में रेल के डिब्बे का कारखाना बनना था जो दूसरी जगह लगा दिया गया। वाराणसी में रेल के पहिये और एक्सल का कारखाना बनना था। सौभाग्य से आज आप उत्तर प्रदेश का बजट पेश कर रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मैं चाहूंगा कि कुछ कारखाने पिछली सरकार ने बंद कर दिये थे, आपको इस बजट में कोई बड़ा कारखाना वहां लगाने के लिए प्रावधान करना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा, घाघरा, गोमती और बूढी गंडक नदियां हैं। ये नदियां हर साल पटती जा रही हैं, जिसके कारण नदियों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है और बाढ़ के दिनों में वे नदियां बिलकुल भयानक रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इस बजट में इन नदियों को गहरा करने के लिए, जिससे कि नदियों का रूप ठीक रहे और बचाव कार्य के लिए भी कुछ धन का आवंटन करें। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं कि गोरखपुर में जो खाद का कारखाना पिछले दस सालों से बंद था, आपने उसे चालू करने के लिए घोषणा की है, मैं चाहूंगा कि इसको तत्काल चालू कर दिया जाए और माननीय सभापति जी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना काश्तकार बसता है। इन गन्ना किसानों को 70 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का दाम मिलता था। 74 रुपये प्रति क्विंटल, जो अच्छा गन्ना था, उसका दाम मिलता था, इस साल वह दाम घटकर 62 से 64 रुपये कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत आपके साथ है, दिल्ली की हुकूमत भी आपके पास है, जो गन्ना किसानों के अंदर यह भावना उत्पन्न हो गई है हमारे गन्ने का दाम दस रुपये प्रति क्विंटल कम किया जा रहा है। इसको दूर करें इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करके दो रुपये बढ़ने की रोक लगाई है न कि जो पिछले साल 70 से 74 रुपये मिल रहे थे, उस पर रोक नहीं लगाई है। तो मैं चाहूंगा कि गत वर्ष से जो भाव चला आ रहा है, उस भाव को आप चालू करवायें और बजट में धन देकर किसानों की जो समस्याएं हैं उनकी खाद की समस्या है, बीज की समस्या है। उत्तर प्रदेश में सरकार न होने के कारण पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने खाद और बीज की जबरदस्त समस्या है।

जब उत्तर प्रदेश का प्रशासन केन्द्रीय सरकार चला रही है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को खाद और बीज तत्काल मुहैया कराएं। अगर आज उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है तो बजट के माध्यम से खाद पर सबसिडी दिलाकर किसानों का कल्याण कराएं- यही मेरी आपसे मांग है। इन शब्दों के साथ मैं उत्तर प्रदेश बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : जब संसद में किसी राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाता है तो यह कोई खुशी का अवसर नहीं होता। यह आखिरी रास्ता होता है। राज्यपाल के पास इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था अतः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसके अतिरिक्त और किया भी क्या जा सकता था जब विधान-सभा में अधिक सदस्य संख्या वाले दलों ने राज्यपाल को यह सूचित किया कि वे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि मुख्यमंत्री का चुनाव करते समय राज्यपाल को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे सदन के अधिकतर सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। अतः राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं बचा था और दुर्भाग्य से वहां राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ा। हम आशा और विश्वास करते हैं कि इस स्थिति का कोई हल निकाल लिया जाएगा और वहां विधिवत निर्वाचित सरकार का गठन होगा जिसे जनता और विधानमंडल का विश्वास प्राप्त होगा।

सभापति महोदय, बजट खर्च किए धन और प्राप्त किए गए धन का हिसाब बताने वाला सामान्य विवरण होता है। मैं संयुक्त मोर्चा सरकार को एक बहुत महत्वपूर्ण मामले अर्थात बाबरी मस्जिद जैसे दुर्भाग्यपूर्ण विवाद के मामले पर उनकी प्रतिबद्धता याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं। संयुक्त मोर्चा सरकार ने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत बाबरी मस्जिद विवाद से सम्बंधित सभी मामले सीधे निर्णय के लिए धारा 138 (2) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को सौंपने का वचन दिया था.

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश बजट पर बोलते बोलते बाबरी मस्जिद पर पहुंच गए जबकि बाबरी मस्जिद बजट का कोई हिस्सा नहीं है। आप माननीय सदस्य को उत्तर प्रदेश बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का निर्देश दें। इन्होंने हमें डिस्टर्ब किया था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया विषय पर बोलें।

श्री जी.एम. बनातवाला : सभापति महोदया, मुझे सब नियम पता हैं। मुझे पता है कि बजट पर बोलते समय कौन-कौन से विषयों पर बोला जा सकता है।

मैं अपने अधिकारों के अंतर्गत बात कर रहा हूं और सरकार को साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत बाबरी मस्जिद विवाद के संबंध में सभी मामलों को शीघ्र निपटाए जाने के लिए धारा 138(2) के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय को भेजे जाने के संबंध में दिए गए अपने आश्वासनों को पूरा करने का स्मरण करा रहा हूं। यह उचित नहीं है कि किसी संवेदनशील मामल को इस तरह लम्बित रखा जाए और निर्णय लेने में विलम्ब किया जाए।

सभापति महोदय : आपका समय पूरा हो गया है इसलिए अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जी.एम. बनातवाला : मेरा समय पूरा कैसे हो गया। मैं तो इस सदन में पूरे कार्यकाल के लिए चुनकर आया हूं।

सभापति महोदय : मैं जो कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। आपको इस विषय पर बोलने के लिए पांच मिनट का समय दिया गया है और आपने वह समय पूरा कर लिया है इसलिए अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जी.एम. बनातवाला : सभापति महोदया, मैं इस सदन का हमेशा एक अनुशासित सदस्य रहा हूं और मैं अनुशासन में ही रहूंगा। यद्यपि मुझे आपके निदेश से बहुत दुख हुआ है फिर भी मैं आपके निदेश का पालन करूंगा।

अपराह्न 4.00 बजे

अब मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि अपना वचन शीघ्र पूरा करें जिससे यह संवेदनशील प्रश्न लंबे समय तक लंबित न रहे और हमारे देश में साम्प्रदायिक समस्याएं पैदा न हों। मैं सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक पूजा स्थल अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जाए जिससे कोई भी किसी भी पूजा स्थल के महत्व को चुनौती न दे सके और पूजा स्थलों का वही महत्व रहे जो हमारे देश की आजादी से पहले था। जो कानून की अवमानना करते हैं उनके विरूद्ध मुकदमा चलाया जाए। हमारे देश में उन लोगों द्वारा अब तक एक भी ऐसा मुकदमा नहीं चलाया गया है जो अपने आपको सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति समझते हैं।

सभापति महोदया, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो उठाए जा सकते हैं। मैं आपकी व्यग्रता की कद्र करता हूं और सरकार के भले की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हम यहां पर बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के बजट पर बहस कर रहे हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं उत्तर प्रदेश और इसकी जनता के भले की कामना करता हूं तथा आशा करता हूं कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी जिसे जनता के विश्वास का समर्थन प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : आदरणीय सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में यहां चर्चा हो रही है। यह उत्तर प्रदेश का बजट तो अधिक से अधिक अप्रैल तक आ जाना चाहिए था। वैसे तो पिछले मार्च में इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। आज यह दिसंबर का महीना चल रहा है और केवल सवा तीन महीने इस वित्त वर्ष में शेष हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से उत्तर प्रदेश की दुर्दशा कर दी गई है। जो बजट अब आया है यह तब भी आ सकता था, लेकिन वोट आन अकाउंट लेते रहे क्योंकि केन्द्र सरकार ने यह ठान रखा है कि उत्तर प्रदेश को नेस्तनाबूद करना है। केन्द्रीय सरकार लगातार उत्तर प्रदेश की उपेक्षा कर रही है। यही कारण है कि जब देश आजाद हआ था, तो उत्तर प्रदेश उन्नति के क्षेत्र में ऊपर से दूसरे नंबर पर था और आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश गरीबी के मामले में पूरे देश में नीचे से दूसरे नंबर पर है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या हो सकता है कि अगर एक बार हमारे नीतिनियंता, केन्द्र की सरकार में बैठे लोग, जैसे उत्तर प्रदेश को अपना उपनिवेश समझ कर बैठे हैं, तो इस बजट को पहले भी स्वीकृत करवा सकते थे। जो काम आज संसद के माध्यम से हो रहा है, इसको पहले ही रैगुलर बजट के समय भी लाकर पास करवाया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। इसके कारण सारे उत्तर प्रदेश में विकास कार्य आज ठप्प पड़े हैं। कहीं कोई बहुत जानकार अधिकार होगा, तो वह किसी के कहने सुनने से थोड़ा बहुत काम कंजिजेंसी में पैसा खर्च कर के कर सकेगा और प्रयास यह रहेगा कि मैंने यह काम करवा दिया और बाकी काम बजट पास होने पर करवाया जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि सारे उत्तर प्रदेश में आज विकास का कार्य ठप्प पड़ा है।

सभापति महोदया, मैंने उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में केन्द्र सरकार से पूछा था क्योंकि आपका शासन यहां भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, तो मुझे जो पता लगा उससे मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत कम विकास हो रहा है और अनेक विकास योजनाएं बीच में ही रह गई हैं। जो भी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की भेजी गई हैं वे यहां ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। मैं एक आगरा कैनाल का विशेषरूप से

जिक्र करना चाहूंगा जो आगरा और मथुरा के किसानों की जीवन रेखा है, उसका काम नहीं हुआ है। यदि वह काम हो गया होता तो आगरा और मथुरा के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती, लेकिन वह काम पूरा नहीं हुआ है और लोग एक-एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। अगर इस आगरा कैनाल के काम को कर दिया गया होता, तो पानी मिल जाता। गन्ना किसान गन्ना उत्पादन करता है, लेकिन उसे पैसा नहीं मिल रहा है और उसके साथ एक मजाक हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया है कि हम पैसा बढ़ा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। अब किसान मारा-मारा घूम रहा है। आखिर वह कहां जाये? मुझे लगता है कि गन्ने को ईंधन के रूप में जलाने की स्थिति आ सकती है। मैं कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कानून और व्यवस्था दिनोंदिन गिर रही है। आई.एस. आई. के एजेंट वहां लगे हुए हैं जो कभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े हादसे खड़े कर सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की किसी को चिन्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार यह सोच बैठी है कि या तो उनकी मनचाही सरकार बनेगी नहीं तो हम सरकार बनने नहीं देंगे। मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश का कितना भी शोषण करें, उत्तर प्रदेश का जनमत जानता है कि उसे क्या करना है? मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरे मित्रों जो केन्द्र की सरकार में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। ऐसा ही खिलवाड़ आपने कश्मीर के साथ किया था जिसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ा, पंजाब के साथ किया जिसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ा, आसाम के लोगों के साथ किया जिसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ा, तमिलनाडु के लोगों के साथ किया जिसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ा। आप यहां आकर कुछ भी कह लें। लेकिन तमिलनाडु में जो स्थिति बनी, उसे सभी जानते हैं। लेकिन राम और कृष्ण की धरती के लोगों की जो सहनशीलता है, उसकी आप ज्यादा परीक्षा मत लें। अगर एक बार यहां भी बगावत के स्वर खड़े हो गये तो केन्द्र में बैठे हुए लोग टिक नहीं पायेंगे। मैं चाहता हूं कि वहां बगावत के स्वर न खड़े हों। लोग बड़े धैर्यशाली हैं, कानून और व्यवस्था में विश्वास रखते हैं लेकिन शोषण की भी एक सीमा होती हैं। जो यह शोषण किया जा रहा है, वह ठीक नहीं है।

मैं विद्यार्थियों की बात कहना चाहूंगा। वहां पर विश्वविद्यालयों के अंदर परीक्षायें टाइम से नहीं हो रही हैं। लोग परेशान हैं। वहां पर फरमान जारी होते हैं। वहां के कुलपति को जब चाहे हटा दिया जाता है और जब चाहे किसी की नियुक्ति की जाती है। आखिर यह कब तक चलेगा? बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली नहीं आ रही है। अखबारों में घोषणा होती है कि हम 16 घंटे बिजली दे रहे हैं लेकिन मैं जानता हूं कि जिस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगर आगरा से मैं आता हूं, उस आगरा में आप आज भी 12 घंटे तक बिजली नहीं दे रहे हैं। आगरा अंधेरे में डूबा पड़ा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एफीडेबीट दिये जाते हैं कि ताज संरक्षित क्षेत्र के अंदर हम आबाध गति से बिजली दे रहे हैं लेकिन वह गलत एफीडेवीट दे रहे हैं और हमारी केन्द्र सरकार कह रही है कि यह बिल्कुल ठीक हो रहा है और केन्द्र सरकार का मंत्री भी यही जवाब देता है। लेकिन जब उनकी फाइलों को कुरेद कर देखा जाता है और उनसे पूछा जाता है तो कुछ उल्टा ही निकलता है। लगता है कि उत्तर प्रदेश के मामले में सरकार में कोई नैतिकता नहीं रही। जनता के मेनडेंट के साथ आप बेईमानी कर रहे हैं लेकिन कम से कम विकास कार्यों में बेईमानी मत करिये।

बिजली के मामले में भी बेईमानी की जा रही है। मुझे आज पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट को कार्य योजना प्रस्तुत की गयी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा था कि वहां बहुत गंदगी है, आप वहां सफाई की व्यवस्था करिये। उन्होंने एक स्कीम भी दे दी लेकिन वह स्कीम भी गलत दी। उसमें कह दिया गया कि हम वह सारी व्यवस्थायें करेंगे लेकिन वास्तव में उस योजना के अंदर धन नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देना नहीं होना चाहिए। ग्रामीण रोजगार योजनाओं में धोखाधड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जो जिला योजनायें मंजूर की जानी चाहिए थीं उन जिला योजनाओं का कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। विकेन्द्रीकृत ग्रामीण विकास की धारा को अवरूद्ध कर दिया गया है। इसलिए यदि यह बजट पेश नहीं हुआ तो जिला योजना कैसे मंजूर कर सकते हैं। सारे ग्रामीण क्षेत्र में जो सामान्य विकास की गतिविधियां थी, वे ठप्प पड़ी हैं। सड़कें खराब पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आई, उसका पैकेज यहां से नहीं दिया गया। आज उत्तर प्रदेश सिसक रहा है। वहां सड़कें खराब हैं, बिजली नहीं हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, हैंडपम्प नहीं दिये गये और ट्यूबवैल पानी के लिए नहीं चलाये जा रहे। सारे उत्तर प्रदेश को नरक बना रखा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस बजट को केवल खानापूर्ति है। यह बजट वास्तव में उत्तर प्रदेश के लोगों को चिढ़ाने का काम कर रहा है। अभी किसानों के बारे में कहा गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव के दौरान वहां गये थे और वे वहां चार करोड़ रुपये देने की घोषणा करके आये थे। पिछली बार भी माननीय चिदम्बरम साहब से मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया कि जो घोषणा की थी उसका हम पालन करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, वे बताएं कि उत्तर प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या-क्या घोषणाएं की थीं और उन घोषणाओं में से कितनी घोषणाओं का अनुपालन हुआ है। उत्तर प्रदेश में लोग मजाक करते हैं कि अगर देवेगौड़ा जी घोषणा कर आए तो लोग सोच लेते हैं कि उनकी घोषणाएं ऐसी ही होंगी। यह एक मजाक का विषय बन गया है। देवेगौड़ा जी ने यह घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत में जो बाढ़ आई है, उस बाढ़ को रोकने के लिए वे केन्द्रीय दल भेज रहे हैं। मैंने जब मंत्री जी से बात की तो उन्होंने कहा कि हां, देवेगौड़ा जी ने यह जरूर कह दिया कि तीन महीने में स्कीम बन जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आप बताएं कि क्या तीन महीने में स्कीम बन सकता है। मैंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री अपने श्रीमुख से इस पार्लियामेंट में घोषणा कर रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश को लगता प्रधानमंत्री जी

से पूछना चाहती है कि आपने जो घोषणा की थी कि मैं तीन महीने में ये व्यवस्थाएं कर दूंगा, उनका क्या हुआ। बाढ़ पीड़ितों को राहत भी नहीं दी गई। खेतों में सिंचाई के लिए नहरों में पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए लोग परेशान हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों पर एक कयामत डाली जा रही है। इस समय अधिकारी भी खुलेआम लूट कर रहे हैं। आई.ए.एस. अधिकारियों की मीटिंग हुई। उसमें भी जो नया तबका है, वह सोचता है कि आखिर उत्तर प्रदेश के नाम पर, आई.ए.एस. सर्विसेस के नाम पर कुछ अधिकारी बट्टा लगा रहे हैं। इसलिए तीन आई.ए.एस. अधिकारियों की तलाश की जा रही है, वोटिंग पड़ रही है। वोटिंग के बाद कुछ अधिकारी, जो हो सकता है अपने को भ्रष्ट समझते हैं या पता नहीं क्यों डरते हैं, वे एसोसिएशन से इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देकर भेज रहे हैं, विरोध करते हैं कि वोटिंग नहीं हो। आज उत्तर प्रदेश की यह बदहाली केवल इसलिए है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, कोई देखना वाला नहीं है। मुझे इस बात के लिए तकलीफ होती है।

आज सुबह भी एक विधेयक लाया गया है कि राष्ट्रपति को कानून बनाने के लिए अधिकृत किया जाए। इतने दिनों से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है लेकिन राज्यपाल महोदय ने कभी भी उत्तर प्रदेश के सांसदों की मीटिंग नहीं बुलाई। हमारे गृह मंत्री जी ने भी मीटिंग बुलाने की जहमत नहीं बरती। अगर आपको विधायकों से डर लगता है तो कम से कम उत्तर प्रदेश के सांसदों से तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर ली होती। लेकिन नहीं की गई। इसलिए उत्तर प्रदेश की सारी बदहाली और जिस तरह वहां पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तानाशाही लाई जा रही है, मैं उसका विरोध करता हूं और बजट के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता का शोषण, उत्पीड़न बंद करिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदया, मैं केवल पांच मिनट का समय लूंगा।

महोदया, यह सच है कि उत्तर प्रदेश में चुनावों के बाद मिला जनादेश पूरा नहीं है यह भी सच है कि ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो सदन में बहुमत का दावा कर सके, यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में इस समय त्रिशंकु विधानसभा है। इसलिए इस समय कोई जनता द्वारा निर्वाचित सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिए सबसे जरूरी बात कि वहां जनता द्वारा निर्वाचित सरकार हो। इसके लिए, मैं समझता हूं कि इसका एकमात्र विकल्प यह है कि उस राज्य में धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक ताकतों की सरकार हो जो प्रगति, स्थिरता और एकता का मार्ग प्रशस्त कर सके।

इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि जनता के निर्णय द्वारा सदस्यों का चुनाव हुआ है। इस विशेष राजनैतिक संदर्भ में भी वे अपने मतदाताओं की जिम्मेदारियों को निभाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए सरकार से मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक सर्वदलीय समिति होनी चाहिए जो यह देखे कि सरकार और प्रशासन द्वारा विकास कार्य सही तरीके से किया जाये और उस पर सही तरीके से निगरानी रखी जाये तथा इस सम्माननीय सभा द्वारा आज स्वीकृत की जा रही बजट राशि के व्यय पर सही ढंग से निगरानी रखी जाए। इस संबंध में विधान सभा के सदस्यों की प्रभावशाली भूमिका होनी चाहिए तथा उत्तर प्रदेश से संबंधित संसद सदस्यों को भी अपने अपने जिलों, संसदीय क्षेत्रों, संसद और विधानसभा दोनों के विकास कार्यों और अन्य प्रशासनिक कार्यों की देख-रेख की जिम्मेवारी भी दी जाएगी।

भारत सरकार के लिए मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश में एक सर्वदलीय समिति का तुरन्त गठन किया जाए जिससे संसद और यह सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास और व्ययों की तथा इस सम्माननीय सदन द्वारा उत्तर प्रदेश प्रशासन को दी गई धनराशि के कार्य पर निगरानी रख सकें।

मेरा तीसरा सुझाव कानून और व्यवस्था के संबंध में होगा। महोदय, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से वहां की जनता से कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति के बारे में शिकायतों संबंधी सैंकड़ों पत्र मिलते रहे हैं। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। तथापि, यदि कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति की जांच करने के लिए तुरन्त एक कार्यबल का गठन कर दिया जाता है तो वहां के लोग कुछ सुरक्षा और राहत का अनुभव कर सकेंगे।

मेरा अंतिम सुझाव उत्तर प्रदेश में गंगा कार्य योजना के संबंध में है। निधियां उपलब्ध हैं पर प्रशासन स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं कर सका। उत्तर प्रदेश में गंगा कार्य योजना को तुरंत लागू किए जाने से न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि अन्य राज्यों के लोगों का भी हित होगा। बंगलादेश के साथ नए करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, फरक्का पाइन्ट पर अधिक से अधिक जल की आवश्यकता होगी। यह कलकत्ता पत्तन को बनाए रखने में भी सहायक होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात पर कायम रहने का वचन देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : मोहतरम सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश के बजट पर अपनी बात रखने का समय दिया। उत्तर प्रदेश का बजट, अगर मैं यह कहूं कि मैं उसका विरोध करूंगा तो गलत होगा, इसलिए कि उसको पास करना एक कानूनी और आईनी मजबूरी है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश, जिसके साथ आज से नहीं, सन् 1989 से सियासी मजाक किया जा रहा है, वहां कोई सरकार बनती है तो बिगाड़ दी जाती है और अब की बार तो बनी ही नहीं।

एक माननीय सदस्य : बनने नहीं दी।

श्री इलियास आजमी : मैं आपकी डिक्टेशन पर तो नहीं बोलूंगा। ...**(व्यवधान)** आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, पहले उसको कीजिए न। सन् 1989 के बाद उत्तर प्रदेश पर पांचवां चुनाव सिर पर मंडरा रहा है। सन् 1989 में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश के अवाम ने कोई गलती नहीं की, एक पार्टी को बहुमत दिया, लेकिन पार्टी टूटने, तोड़ने की बजह से वह विधान सभा भी भंग हुई। सन् 1991 में फिर चुनाव हुए। सन् 1991 में भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, बहुमत की सरकार बनी, लेकिन बहुमत की सरकार ने शायद समझ लिया कि हमारी सरकार नहीं है, हम उत्तर प्रदेश के ईश्वर हो गये हैं। उनके नजदीक न कानून कोई चीज रही, न अदालत कोई चीज रही, न दस्तूर कोई चीज रही, उन्होंने सबको ध्वस्त किया और खुद भी ध्वस्त हो गये, फिर विधान सभा भंग हो गई। 1993 में चुनाव हुए, दो पार्टियों के गठबन्धन को और भाजपा को बराबर-बराबर सीटें मिलीं।

जनता दल और कांग्रे के सहयोग से सरकार बनी, लेकिन वह सरकार भी नहीं चली। उसके बाद फिर विधान सभा भंग हुई और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। सन् 1996 में चुनाव हुए और उसके बाद की परिस्थितियों पर बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, मैंने भी पूर्व में अपने विचार रखे थे इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन नौकरशाहों ने उत्तर प्रदेश की कमर तोड़ दी है, जनता का खून निचोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में ही नहीं, दुनिया में भी मजाक उड़ाया जा रहा है और लोग तो इसे उल्टा प्रदेश भी कहने लगे हैं।

वहां के विकास का यह हाल है कि जिस शाहबाद क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं वह हरदोई और खीरी दो जिलों को मिलाकर संसदीय क्षेत्र बना है, वहां अदम बराबरी का यह हाल है कि विकास बिलकुल भी नहीं हुआ है। हरदोई और खीरी जिलों में पांच प्रतिशत गांव ऐसे होंगे जहां बिजली होगी, वह भी आधा घंटा ही आती है, बाकी के 95 प्रतिशत गांवों के लोगों ने बिजली के दर्शन ही नहीं किए। वहां पर 95 प्रतिशत गांव सम्पर्क मार्ग से महरूम हैं, वहां पहुंच नहीं सकते। लेकिन उसी हरदोई और खीरी की बगल में शाहजहांपुर जिला है जहां बिजली की इतनी बुरी हालत नहीं है। आजमगढ़, जहां मैं पैदा हुआ वहां भी पांच-सात प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं है। जो पैसा विकास के लिए यहां से जाता है, खासकर का कल्याण के लिए जो पैसा जाता है उस पर सरकारी अधिकारी भूखे गिद्धों की तरह टूट पड़ते हैं। वे उसको लाश समझते हैं और नोंच-नोंच कर खा जाते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत जो पैसा प्रौढ़ शिक्षा के लिए दिया जाता है उसमें से 95 प्रतिशत पैसा खाया जा रहा है। हमारी सरकार कुरान की आयात की तरह कि पहले से ही लिखा है कि साक्षरता मिशन पर हम 50 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, तो 51 करोड़ रुपये खर्च करके मूछें ऐंठने वाली बात करते हैं कि हमने इतना खर्च कर दिया, लेकिन यह नहीं देखते कि सारा पैसा खा लिया गया है या बाकी भी है। ऐसे अधिकारियों के हाथों में उत्तर प्रदेश की किस्मत दे दी गई है।

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : अब तो आप एक हो गए हैं।

श्री इलियास आजमी : यह तो वक्त बतायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : वक्त क्या बतायेगा, यह छिपाया जा रहा है।

श्री इलियास आजमी : सरकार ने उत्तराखंड राज्य बनाने का वादा किया था। लेकिन अगर वह समझती है कि सिर्फ उत्तराखंड बना देने से उत्तर प्रदेश का विकास हो जाएगा तो सही नहीं है। इतना बड़ा राज्य है, जब तक उसको चार-पांच हिस्सों में तकसीम नहीं करोगे, वहां विकास नहीं होगा। लोकप्रिय सरकार भी आयेगी, लेकिन वहां की आबो-हवा इतनी खराब हो चुकी है कि वह भी विकास के कार्यों को ईमानदारी से नहीं चला सकती।

मैं उत्तर प्रदेश के हालात से हटना नहीं चाहता था, लेकिन एक बात हमारे मोहतरिम दोस्त बनातवाला जी ने कही कि इनके साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह है कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा हम दस्तूर की दफा 138 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सौपेंगे। मैं बिना झिझक के इस एवान को बताना चाहता हूं कि 40 साल के बाद पहली बार वह मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच में पटरी पर आया है। पहली बार गवाहियां शुरू हुई हैं और शहादतें शुरू हो चुकी हैं। इसलिए संयुक्त मोर्चा की सरकार से मेरी विनती है कि वह अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम को कोई कुरान की आयत या गीता का श्लोक नहीं समझे कि हमने जो ऐलान कर दिया वही करेंगे। यह गलत ऐलानात है। हाई कोर्ट में मुकदमा है उसको चलने दीजिए। वहां से फैसला होने दीजिए। अभी न सोचें कि उसको सुप्रीम में लाया जाए, वरना फिर पांच साल तक तनकीह में मामला उलझा रहेगा और तनकीह भी पांच साल तक नहीं बन पाएगी। क्योंकि हमारे दोस्त बनातवाला ने एक गैर-मुतल्लिक बात कही जिसका उत्तर प्रदेश बजट से कोई सम्बन्ध नहीं है अतः मैं अपने जज्बात हाउस में रखना जरूरी समझता था इसलिए मैंने यह बात कहीं।

मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझको बोलने के लिए समय दिया। इसके साथ-साथ जैसा मैंने पहले कहा, बजट को मंजूर करना हमारी मजबूरी है और शायद ये लोग हां ही कहेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है, खिसक रही है तो खिसकती रहनी चाहिए, क्यों जब वहां विधान सभा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की गाड़ी कैसे चलेगी। इसलिए बजट तो पास करना ही है और जो कुछ हो रहा है, उसको गलत मानते हुए, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) **:** महोदय, उत्तर प्रदेश में केन्द्र का ही शासन है। हमारे सामने नौवीं पंचवर्षीय योजना है, मैं चाहूंगा कि केन्द्र यह बताए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हैं, कई मुल्कों के बराबर राज्य है और जिस राज्य में एक-तिहाई लोग गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर करते हैं तथा सरकारी आंकड़ों के हिसाब

से भी सबसे नीचे का राज्य है कि उत्तर प्रदेश के लिए क्या योजनायें हैं? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले छः वर्षों में जो वहां पर सरकारें रहीं, वे बदलती रहीं और केन्द्र का ही हस्तक्षेप रहा। मैं लम्बी बात में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सत्यदेव सिंह जी ने बहुत सी बातें कह दी हैं। देश के अन्दर औद्योगिक सुधारों के बाद, जो औद्योगिक प्रगति हुई और देश का विकास हुआ, वह आठ प्रतिशत की दर से बढ़ा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, यह प्रतिशत उत्तर प्रदेश में कितना बढ़ा? यदि घटा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं, इसको बढ़ाने के लिए बजट में क्या प्रस्ताव किए गए हैं? बजट तो हमारे न चाहते हुए भी पास होगा, मगर बहुत से मामले ऐसे हैं, जिनके बारे में मैं सरकार से जानना चाहता हूं। साक्षरता का मामला हो, चाहे विद्युतीकरण का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, हर दृष्टि से हमारा प्रदेश सबसे पीछे हैं। पीछे रहने की वजह से आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति कहां है, इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए।

मैं कुछ और बातों के बारे में भी सरकार से जानना चाहता हूं। पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में एक भी नया पावर प्रोजैक्ट नहीं लिया गया है। इस बारे में चिन्ता नहीं हो रही है और उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है। बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पहले ही केन्द्रीय सरकार को कहा गया है। अभी हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए थे। पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोहरा जी ने और वर्तमान राज्यपाल रमेश भंडारी जी ने भी बहुत सी घोषणायें कर दी हैं। मैं जानना चाहूंगा, माननीय वित्त मंत्री जी से, इन घोषणाओं का आदर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा या इनको भी ठन्डे बस्ते में रख दिया जाएगा या ये मात्र कोरी घोषणायें बन कर रह जायेगी? माननीय प्रधान मंत्री जी ने 26 चीनी मिलें लगाने की घोषणा कर दी और कहा कि गोरखपुर का कारखाना खरीभको चलाएगा, 900 करोड़ रुपए के बजट की बात कह दी। बात तो उन्होंने कह दी, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ नहीं लगता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक साझा योजना है, राजघाट योजना, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए की बात है। मुझे नहीं लगता है कि इस योजना के बारे में केन्द्रीय सरकार विचार कर रही होगी। एक शारदा सिंचाई योजना है, जो पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर रही है। सरयू परियोजना है, जो 600 करोड़ रुपए की योजना है और इसके लिए 200 करोड़ रुपए शेष दिया जाना है। इस बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर बैराज है, हरिद्वार नहर है, इसका कार्य भी पूरा नहीं हआ है, इस वजह से भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभावित हो रहा है। रेल से संबंधित कोई योजना पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में नहीं लाई गई है। जगदीश, बबराला, आंवला क्षेत्रों के लिए निर्माणाधीन ऊर्जा केन्द्र की प्रगति के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बारे में बतायें। माननीय मुलायम सिंह जी मंत्री जी के पास बैठे हैं, वे उन से पूछ सकते हैं कि ये योजनायें किसी व्यक्ति विशेष या किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं है। नौवी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के लिए कितनी राशि का प्रावधान कर रहे हैं, कृपया इस के बारे में भी बतायें। कुछ बातें इसके विपरीत हो रही हैं। आयुर्वेद घोटाले का निशाना कहां जा रहा है, यह बात समझ में आनी चाहिए। अभियुक्त बिल्कुल साफ समझ में आ रहे हैं कि आयुर्वेद घोटाले के अभियुक्त कहां हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं।

मैं चाहता हूं कि अगर सामने बैठी सरकार की इच्छाशक्ति मजबूत है तो आयुर्वेद घोटाले के अभियुक्तों को प्रकाशित करें कि किसने उसको बहाल किया और किसने उसको निलम्बित किया, शिवराज सिंह को, जो आयुर्वेद का निदेशक था। उसकी आजकल वास्तविकता क्या है। अब घोटाले तो निरंतर आ रहे हैं। अभी सहकारी समितियों का घोटाला आ रहा है, जो 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का है और उसमें सरकार के द्वारा लीपापोती की जा रही है। बड़े-बड़े शहरों में जिस प्रकार से जमीन आर्बीटित की गई है उसमें भी घोटाले समझ में आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसके हिसाब से विचार होना चाहिए, परंतु ऐसे नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, इस समय महामहिम राज्यपाल का जो आवास है वह एक स्थानांतरण उद्योग का कार्यालय बन गया है।

महोदया, दिल्ली में लोग कहते हैं कि काम कराना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। मैं इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। महामहिम हाईकोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने टिप्पणी की थी कि राज्यपाल का जो आवास है वह कोई उद्घाटन या शिलान्यास पत्थर लगाने का कार्यालय नहीं रहना चाहिए। समाज, देश और प्रदेश के हितों की चिन्ता करनी चाहिए और उसके हिसाब से बात करनी चाहिए, पर उसके हिसाब से नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, हमारे पड़ोस में गाजियाबाद है वहां चार लोगों की हत्या कर दी गई, जिससे पूरा गाजियाबाद प्रभावित हो रहा है। हमारे यहां अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं और उसकी कोई रोकथाम नहीं हो रही है। हर चौथे दिन स्थानांतरण की सूची बन रही है तो कैसे प्रदेश चलेगा, कैसे प्रदेश की व्यवस्था बनेगी, यह बात समझ में नहीं आ रही है। मेरा कहना यह है कि इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। आज दुर्भाग्य है कि यहां पर हम उत्तर प्रदेश के बजट की चर्चा कर रहे हैं। एक परम्परा बन रही थी, उसके हिसाब से जो बड़ा दल था उसको बुलाना चाहिए था। अगर बड़ा दल सरकार नहीं बनाता, 13 दिन बाद चला जाता, तो एक नयी पार्टी की सरकार बन जाती, इसमें क्या आफत आ रही थी। इसके ऊपर चर्चा हो गई। उधर के लोगों को लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई तो यहां केन्द्र की सरकार भी चली जाएगी। वह तो वैसे ही चली जाएगी। हमारी सरकार प्रदेश में रहे या न रहे पर जो 13-14 दल हैं ये लोग अपने आप अपना फैसला कर लेंगे, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। ...**(व्यवधान)**

आप लोग जिस डाल पर बैठे हो अपनी कुल्हाड़ी से उसको ही काट रहे हो। हमें उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारा तो केवल यह कहना है कि आप अपनी इच्छाशक्ति के हिसाब से मिलजुल कर, इकट्ठे होकर फैसला करिए।

सभापति महोदय, कहने को तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ इतना ही कहना है कि यहां पर जो बजट आया है उसका हम विरोध कर रहे हैं और इस निवेदन के साथ कर रहे हैं कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं वे सब अपने अंतर मन की आवाज से हमारा साथ दें और उत्तर प्रदेश में एक निर्वाचित सरकार कायम करें। उत्तर प्रदेश में एक जनप्रिय, सरकार रहे और उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान हो। इन बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदया, मैं इस बजट का समर्थन कर रहा हूं चूंकि यह मेरी मजबूरी है और मजबूरी इसलिए है क्योंकि अभी यू.पी. में राष्ट्रपति शासन है और अगर यहां से बजट पारित नहीं होगा तो वहां काम चलना मुश्किल होगा। बी.जे.पी. के दोस्त बहुत सी बातें कहते हैं।

अपराह्न 4.34 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

मेरा आशय जानबूझकर सदन को गुमराह करने का नहीं है।

[हिन्दी]

जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है यू.पी. में लोगेस्ट टेन्योर साढ़े तीन साल का था। इस सरकार ने सबसे ज्यादा दिन साढ़े तीन साल वहां राज किया और सबसे कम दिन का 18 दिन का रिकार्ड था, जिसको वाजपेयी जी ने इसे इस बार तोड़ा। ...**(व्यवधान)** यू.पी. में राष्ट्रपति शासन कोई नयी बात नहीं है। उधर के कुछ एम.पीज बोलते हैं कि वहां बी.जे.पी. का शासन हो, यह मंजूर नहीं है, सही बात है। मैं तो नहीं चाहूंगा कि वहां बी.जे.पी. की सरकार हो लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने मुलायम सिंह जी की सरकार को तो गिराया और कहने लगे कि एक दलित महिला को मुख्य मंत्री बनाया, बहुत खूबी रही। लेकिन उनको आपने किसलिए पछाड़ दिया? अगर उस दिन आप दलित महिला को न पिछाड़े होते तो आपकी और उनकी, दोनों की मिली हुई सरकार वहां होगी।

जिम्मेदारी किसकी है? आईने में पहले अपनी सूरत तो देखिये। मायावती का समर्थन हमने तो नहीं किया था लेकिन आपने तो समर्थन किया था, राखी भी बंधवाई थी। भाई-बहन के पवित्र संबंध को किसने तोड़ा?

सबसे ज्यादा नेता यहां यू.पी. से आते हैं लेकिन यू.पी. के समीकरण के कारण आप अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं और जो सरकार बनती है उसको रख नहीं पाते हैं। ...**(व्यवधान)** आप कहते हैं कि यू.पी. के जितने सांसद हैं उनसे सलाह-मशविरा कीजिए और सरकार चलाइये। क्या यह कोई तरीका हो सकता है? क्या सांसद गवर्नर के एडवाइजर बनकर काम करेंगे। यह तो एक अजीब से सिस्टम की बात आप कह रहे हैं। यह हो नहीं सकता है और यह कैसे होगा? यह सच है कि अभी यू.पी. के जो हालात हैं वे खराब हैं क्योंकि राष्ट्रपति शासन का मतलब नौकरशाही का शासन होता है। राष्ट्रपति तो अपने भवन में रहते हैं और नौकरशाही शासन करती है और नौकरशाही क्या करती है यह सबको मालूम है। गरीब तबके के लोग परेशानी से मारे जा रहे हैं, शुगर मिल बंद हो रही हैं, गरीब किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, लॉ एंड आर्डर की स्थिति खराब है। लेकिन लॉ एंड आर्डर यू.पी. का कब अच्छा था? हां, थोड़ा और ज्यादा खराब हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां लॉ एंड आर्डर न हो, चुनी हुई सरकार न हो वहां पी.ए.सी. को कौन रोकेगा? पी.ए.सी. के साथ आपके जो एंटी-सोशल एलीमेंट्स मिले हुए हैं, सदन में कई बार उस पर चर्चा हुई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यूं मत बोलिये।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : उनके साथ जो एंटी सोशल एलीमेंट्स मिले हुए हैं उनका राज चल रहा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। जिस पार्टी का जिस हलके में कब्जा जमा हुआ है उसका राज चल रहा है। यू.पी. में हमारी पार्टी बहुत छोटी है। लेकिन इन लोगों के जुल्म से हम भी परेशान हैं। एक के बाद एक वहां से शिकायतें आ रही हैं। हमें मालूम है लेकिन करें क्या? नौ साल कश्मीर में हमारी पार्टी को राष्ट्रपति शासन मानना पड़ा और यहीं से उसका हर साल बजट पास होकर जाता था। यह हमारी मजबूरी थी। लेकिन यू.पी. के जो जिम्मेदार पॉलिटिशंस हैं जिनकी जिम्मेदारी थी वहां के लोगों को सही दिशा में ले जाने की, लेकिन एक के बाद एक जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार तो आप ही हैं। यू.पी. की एक मस्जिद थी, एक ढांचा था या क्या था।

ऐसा एक विस्फोट हुआ जिसने सारे भारत के समीकरण को बदल दिया। आप कहेंगे कि अच्छा हुआ लेकिन मैं कहूंगा कि बिगाड़ दिया। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि जो प्रतिनिधि चुने हैं, उनका कोई न कोई समीकरण बने और एक सरकार वहां पर आ जाये। यदि वहां सरकार बन जाती है तो प्रदेश की कुछ हालत सुधर सकती है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आखिर में एक-दो बिन्दुओं पर बात कहूंगा। यहां से उत्तराखंड की बात आ रही है और 15 अगस्त को माननीय प्रधान मंत्री ने उत्तराखंड की घोषणा भी की थी। उस घोषणा के बाद देश में छोटे छोटे राज्यों गोरखालैंड, बोडोलैंड, झारखंड और विदर्भ की आवाजें चारों ओर से उठ रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि कुछ दिनों के लिये रूक जायें। इस पर सोचिये और हम सबको मिलकर सोचना है। क्या उत्तराखंड ही इसका सोल्यूशन है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि असम के सात टुकड़े हुये, क्या प्राब्लम साल्व हो गयी? इसी प्रकार क्या उत्तराखंड मिल जाने से इस प्राब्लम को साल्व कर लेंगे? आप इस प्राब्लम में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जहां आपको जाना चाहिये। जब लोग बिगड़ने लगते हैं तो कहते हैं कि लो एक टुकड़ा ले लो। मेरे

ख्याल से, माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, यह तरीका ठीक नहीं है, बहुत गलत तरीका है। असल में उत्तराखंड के लोगों की क्या प्राब्लम है? उनके दिल में घाव कहां हैं? इस चीज को ढूंढने की कोशिश करें, नहीं तो देश के हर कोने से आवाज आयेगी कि आज 26 हैं, अब 56 राज्य होंगे। हर राज्य सरकार यह समझ रही है कि केन्द्र से ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। सब कोई कहता है कि अलग राज्य दे दो। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बीच में पानी की समस्या, चंडीगढ़ की समस्या, अलमट्टी बांध की समस्या। आज जितनी समस्यायें पैदा हो रही हैं, वे सब छोटे-छोटे राज्य बनने से हो रही हैं। भारत-पाक की दुश्मनी से भी यहां के एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच दुश्मनी है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आपने घंटी बजा दी। मैंने सोचा कि खत्म कर दूं तो आखिर में एक बात और कहूंगा। अभी भारत-बंगला देश पानी के बंटवारे के बारे में एग्रीमेंट हुआ है जिसका हमने समर्थन भी किया है। यह चौथा इंटरनैशनल एग्रीमेंट है। लेकिन एक बात है। कलकत्ता पोर्ट को बचाकर रखने के लिए जितने पानी की जरूरत है, इस पानी के बारे में भी बंगाल, बिहार और यू.पी. तीनों को मिलकर पानी के बंटवारे के बारे में सोचना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बजट के बाद सोच लेंगे। पहले बजट पास कर लेने दीजिए।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : ठीक है। हो सकता है कि अगले दिन दासमुंशी जी कांग्रेस पार्टी के व्हिप हों या लीडर हों। ...**(व्यवधान)**

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : हम आपके दोस्त हैं और एक ही प्रांत के हैं। पानी नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सरकार ने चरणबद्ध रूप से कहा है कि कलकत्ता के लिए कोई समस्या नहीं है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : आपकी पार्टी के जिस तरह के व्यूज मैंने टीवी पर देखे, हो सकता है कि फोरफ्रंट पर आप आ जाएं। इसलिए मैं आपको एडवांस में इज्जत देता हूं और समझता हूं कि पानी के बारे में कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहते हुए बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ कट मोशन्स हैं। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य दो मिनट से ज्यादा न बोलें। काफी डिसकशन हो गया है।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : मान्यवर, मैंने कटौती प्रस्ताव क्रमांक 1 से 57 और 75 से 95 तक प्रस्तुत किये हैं।

अभी सी.पी.आई. (एम) के माननीय सदस्य ने उत्तराखंड पर अपने विचार रखे कि उत्तराखंड राज्य नहीं बनना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि यह विषय काफी गंभीर विचार-विमर्श के बाद उत्तर प्रदेश की विधान सभा में दो बार-एक बार भारतीय जनता पार्टी के समय में और एक बार माननीय रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे, उनके समय में वहां की विधान सभा ने इसके लिए संकल्प पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उसका उल्लेख किया कि यह सरकार उसका गठन करेगी। तत्पश्चात् भारत के प्रधान मंत्री श्री देवेगौडा जी ने 15 अगस्त 1996 को उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए घोषणा की। वहां कोई अलगाववादी आंदोलन नहीं चल रहा है और भारत के संविधान के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी जायज मांगों को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर, कि वहां से पलायन हो रहा है, बार्डर से मिला हुआ एरिया है, राज्य उनको सौंप देंगे ताकि वहां से मौजवानों का पलायन रुके, इस सारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर यह हुआ है। यह उनका दृष्टिकोण है, पार्टी का दृष्टिकोण है लेकिन आज की जन-भावना और लगभग पूरा सदन और पूरा देश इसके पक्ष में है। अब यह कितना करेंगे, यह मैं नहीं कह सकता।

कुछ शब्दों में मैं दो-तीन कट मोशन्स के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। उत्तरांचल क्षेत्र जिसको सिद्धांत रूप में राज्य की मान्यता दी गई थी, उसके लिए 35 प्रतिशत राशन का कोटा निर्धारित किया गया था। खाद्य और रसद विभाग की डिमांड पर मैंने कट मोशन दिया है कि 35 प्रतिशत राशन का कोटा पिछले तीन साल से वहां पर नहीं दिया जा रहा है जबकि वहां खेती और सिंचाई का साधन वहां नहीं है और इतनी उपज भी नहीं है। बार्डर से लगे इस पर्वतीय क्षेत्र की जनता राशन की दुकानों से ही राशन व चीनी प्राप्त करती है। मिट्टी का तेल तथा राशन की आपूर्ति सुनिश्चित हो, ऐसा आदेश जाना चाहिए।

प्रधान मंत्री जी ने दो घोषणाएं की थी कि हलद्वानी में एक मेडिकल कालेज बनाया जाएगा और एक चीनी मिल बनाने की बात भी की थी कि नैनीताल जिले में चीनी की एक मिल बनायी जाएगी, लेकिन इस बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बारे में स्मरण कराना चाहूंगा। संविधान के 356 अनुच्छेद की बात कह दी जाती है। पर मेरा निश्चित आरोप है कि यह सिर्फ इसलिए किया गया है कि उत्तराखंड राज्य न बनाना पड़े और उत्तराखंड ही नहीं, देश की जनता का भी यह कहना है कि उत्तराखंड में 19 में से 17 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीतकर आए हैं, इसलिए राज्य नहीं बना रहे हैं। तो यह जो उनके वादे हैं, वह कम से कम उनको पूरा करायें और एक हिल कैडर 25.11.92 को पर्वतीय सेवा संवर्ग भाजपा सरकार ने लागू किया था और इसके पीछे मंशा यही थी कि पर्वतीय क्षेत्र के जो नौजवान हैं, योग्य अभ्यर्थी हैं, उनको मौका मिले। वहां करीब 15 हजार पद खाली हैं। मैदानी क्षेत्र के लोग इंटीनियर में, सीमांत क्षेत्र में जाकर सर्विस नहीं करना चाहते हैं और यह जो हिल कैडर है इसका इम्पलीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है। यह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। नतीजा यह है कि वहां

पर पद भी खाली हैं और वहां के नौजवान भी खाली हैं। इसलिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार को कड़े निर्देश भेजे कि वह हिल कैडर 1992 को कड़ाई से लागू करे और खाली पदों को भरा जाए। इसी के साथ मैं अपने कटौती प्रस्तावों पर बल देता हूं।

लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें ही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, यह सब लोगों ने कहा है। लेकिन उसके आकार, उसकी समस्याओं को यहां पर देखना और उनका निराकरण करने के लिए अगर उत्तर प्रदेश में पापुलर सरकार भी है और वह बहुत अच्छी सरकार है और पांच साल तक चलती है, तब वह उन समस्याओं का थोड़ा बहुत निराकरण कर सकती है। यहां आकर वह प्लानिंग कमीशन से अपनी बात कह सकती है, वित्त मंत्री से बात कर सकती है और अपना थोड़ा बहुत काम करा सकती है। लेकिन पांच-छः साल से इस तरह से चलते रहना और यह समझना कि यहां से वित्त मंत्री महोदय उसका निराकरण कर सकतें हैं, यह बिलकुल असंभव बात है और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। आज पिछले पांच साल से जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास रूका हुआ है उससे उत्तर प्रदेश की जनता में यह धारणा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में पापुलर सरकार न बनाना केवल एक राजनीतिक मसला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मसला है जिसके जरिये उत्तर प्रदेश में जो पूंजी निवेश होना चाहिए वह कम हो जाए, उसका विकास कम हो जाए और यह मैं खास तौर से कहना चाहता हूं विदेशी पूंजी निवेश के लिए जो बाहर से आ रहा है, उत्तर प्रदेश की आबादी 16 परसेंट है और पांच परसेंट भी उत्तर प्रदेश को नहीं मिल रहा है। उसके बाद जब पूर्व में चलते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से उपेक्षा हो रही है। मैं तीन-चार चीजें इस बारे में कहना चाहता हूं कि जो गन्ने के भुगतान की बात है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरी नहीं हुई है। जिस तरह से कहा गया है उस तरह से नहीं हो रहा है। बिजली की बात जो वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट स्टैटमैंट में कही थी कि 2005 तक हम पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण कर देंगे, उसका कोई तरीका नहीं है कि वह अगले 10 से 20 साल में भी हो जाए, उसकी हालत बहुत खराब है। सड़कों की हालत बहुत खराब है और खास तौर से पेयजल योजना, जिस पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसान होने के नाते प्राथमिकता दी थी, उसकी भी हालत बहुत खराब है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह आर्टीकल 356 बार-बार पुराने रिकार्ड की तरह यहां पर चलता चला जा रहा है, उसकी बात पहले ही कर चुके हैं, उसकी चर्चा पहले हो चुकी है लेकिन दोबारा आज सबने करीब-करीब यह कहा कि हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन यह करना पड़ा ताकि वहां साम्प्रदायिक सरकार न आ सके। साम्प्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार कौन बनायेगा, यह बाद में देखा जायेगा। लेकिन एक पापुलर सरकार जरूरी है, जो कि उत्तर प्रदेश के विकास का काम कर सके। क्या हम केवल साम्प्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे या उत्तर प्रदेश के विकास की बात करेंगे और क्या उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व ऐसे राज्यपाल के जरिये हो सकता है और केवल अफसरों के जरिये हो सकता है, क्या यह संभव है? इसलिए मैं दोबारा कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता यह समझती है कि अगर वहां पर पापुलर सरकार नहीं आ रही है तो इसके पीछे कोई साजिश है जो कि उत्तर प्रदेश को पीछे रखना चाहती है। इस मानसिकता को दूर करने के लिए सरकार हर तरह से कदम उठाये और उत्तर प्रदेश की जनता में विश्वास पैदा करे।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में अपार प्राकृतिक सम्पदा और नदियों का जल है। यहां गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, सरयू, घाघरा जैसी बड़ी नदियां हैं, उत्तराखंड में अपार पानी के झरने हैं। देश की सबसे उपजाऊ कृषि भूमि उत्तर प्रदेश में है। यहां अपार खनिज के भंडार हैं। इस सबके बावजूद प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान 17वें नम्बर पर पहुंच गया है जबकि हरियाणा सातवें स्थान से पांचवे स्थान पर आ गया हैं जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है, गन्ने का दफ्तर हो, विद्युत का दफ्तर हो, थाना, तहसील किसी को आप देख लीजिए, हर स्तर पर भ्रष्टाचार चरम-सीमा पर है। जे.आर.वाई. आदि योजनाओं के केवल 30 प्रतिशत पैसे का उपयोग होता है, 70 प्रतिशत पैसा अधिकारियों द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाकर, भ्रष्टाचार के जरिए, अपनी जेबों में डाला जा रहा है। ट्रांसफर-पोस्टिंग यहां एक धंधा बन गया है। बिजली बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपए में होती है। अभी एक आई.ए.एस. अधिकारी के चयन के लिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह मतदान हुआ उससे आप वहां के भ्रष्टाचार का अंदाजा लगा सकते हैं।

जहां तक सड़कों का संबंध है, उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के सांसद भी जाते होंगे, वहां यही पता नहीं चलता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। बिजली का उत्पादन इतना कम हो गया है कि दिन में केवल 4 घंटे किसानों को गांवों में बिजली दी जाती है तथा बड़े शहरों में 10-10 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। ट्रांसफार्मर बदले हुए अभी 15 दिन भी नहीं होते कि वह जल जाता है। बिजली विभाग के अधिकारी ट्रांसफार्मर की सप्लाई का कान्ट्रैक्ट अपने रिश्तेदार को देते हैं।

जहां तक सबसिडी का सवाल है, ब्लाक स्तर पर, सी.डी.ओ. स्तर पर, बैंकों के अधिकारी उसे डकार जाते हैं। किसानों के पम्पिंग सैटों पर, मजदूर की भैंस तथा मकान आदि के लिए सिर्फ कागजों पर सबसिडी मिलती है। मेरा वित्त मंत्री जी को सुझाव है कि बजट एलॉट करते समय वे ऐसे आदेश दें ताकि सबसिडी का पैसा जन-प्रतिनिधियों या सभासदों के माध्यम से दिया जाए। मैं ऐसा नहीं कहता कि इससे पूरी तरह चोरी रूक जाएगी लेकिन काफी हद तक कम होने की संभावना है।

जहां तक लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति का सवाल है, उत्तर प्रदेश में अपहरण उसके विकास में बहुत बड़ी बाधा है। अभी एक माननीय सदस्य ने मेरा नाम नहीं लिया जबकि मैंने स्वयं उन्हें बताया था, जब वे डिफैंस के एक प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे यहां गए थे, कि जापान का एक उद्योगपति जो बिजनौर का रहने वाला है, मेरठ में 100 करोड़

रुपए इन्वैस्ट करना चाहता था लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि यहां बिजली नहीं है, अपहरण की समस्या है, उसने कहा कि बिजली की समस्या के लिए वह स्वयं व्यवस्था कर लेगा, अपना प्लांट लगा लेगा, परन्तु अपहरण से अपने आपको कैसे बचा पाएगा। इसी कारण 100 करोड़ रुपए का इन्वैस्टमेंट उत्तर प्रदेश में करने की बजाए, वह अपने उद्योग को गुजरात ले गया।

गन्ना किसानों की आज वहां बड़ी आर्थिक दुर्दशा हो रही है। मैं वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अभी तक पिछले वर्ष के बकाए का भुगतान भी गन्ना किसानों को नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इस वर्ष भी मिल-मालिकों ने मनमानी करके, उच्च-न्यायालय में जाने के कारण, किसानों को पर्चियों के दाम नहीं दिए हैं।

जहां तक गेहूं के राष्ट्रीय उत्पादन में कमी का सवाल है, उसके लिए बहुत हद तक हमारे गन्ना किसान की आर्थिक दुर्दशा जिम्मेदार है जिसके कारण गेहूं का उत्पादन इस साल गिरा है। पिछले वर्ष और इस वर्ष भी गन्ना किसान अपना खेत खाली नहीं कर पाया जिससे गेहूं नहीं बोया जा सका। उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने गन्ने का सरकारी मूल्य 76 रुपए प्रति क्विंटल नियत किया है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी किसानों को वह गन्ने के घोषित दाम दिलवाने की व्यवस्था करें। मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में यहां एक सैल गठित होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश के बजट की मौनिटरिंग कर सके और यह देख सके कि आज वहां जिस तरह बजट के सिर्फ 30 परसेंट पैसे का उपयोग हो पाता है, 70 परसेंट पैसा अधिकारियों की जेबों में जा रहा है, उस पर निगाह रखी जा सके। केन्द्रीय स्तर पर ऐसा सैल तुरन्त गठित किया जाना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश का विकास हो सके। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के संबंध में जितनी घोषणाएं की हैं, उन सबके लिए मैं बजट में व्यवस्था करने का अनुरोध वित्त मंत्री जी से करता हूं। धन्यवाद।

अपराह्न 5.00 बजे

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट उत्तर प्रदेश की विधान सभा में डिसकस होना चाहिए था वह लोक सभा में डिसकस हो रहा है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी विधान सभा के चुनाव हुए थे और विधान सभा के चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, परन्तु संयुक्त मोर्चे की सरकार ने उसे सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। उसमें कांग्रेस की भी भागीदारी रही। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1991 से दसवीं लोक सभा के चुनाव हुए थे तब उत्तर प्रदेश में ग्यारहवीं विधान सभा के चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत था जबकि केन्द्र में कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं था, लेकिन फिर भी वह कांग्रेस की सरकार श्री नरसिंह जी के नेतृत्व में पांच साल तक चली, परन्तु उत्तर प्रदेश की सरकार चलने नहीं दी क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए थे, उन मुद्दों को पूरा करने के लिए हमने जो काम किए थे, उनके ऊपर हमारी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद तक वर्ष तक राष्ट्रपति शासन रहा और राष्ट्रपति शासन में अधिकारियों ने खूब लूटा। जो विकास का काम होना चाहिए, वह नहीं हुआ। हालत यह है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में जिस एनुअल ग्रोथ रेट का 6 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया था, विकास की गति इतनी धीमी हुई कि वह 2.4 प्रतिशत रहा है। जो नैशनल एनुअल ग्रोथ रेट 4.8 प्रतिशत से भी आधा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य भी रखा गया था कि उत्तर प्रदेश में हम 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन चुनी हुई सरकार न होने के कारण और ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहने के कारण आधा ही लक्ष्य पूरा कर पाए। उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है। विकास का काम नहीं हो रहा है। बिजली पैदा नहीं हो रही है। बिजली लोगों को नहीं मिल रही है। जलापूर्ति खराब है। किसानों के गन्ने का बकाया नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में लॉ-एंड-आर्डर की हालत बहुत खराब है। मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं। मेरे पूरे जिले में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। रैंक प्रमोशन के चक्कर में पुलिस कर्मचारी निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 8 नवंबर को चार निर्दोष लोगों को रैंक प्रमोशन के चक्कर में पुलिस कर्मियों ने मार दिया। वह मामला मैंने संसद में उठाया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग वहां आंदोलित हैं। यदि वहां पर चुनी हुई सरकार होती, तो जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती और उनको सजा दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी एक चुनी हुई सरकार उत्तर प्रदेश में यह संयुक्त मोर्चे की सरकार दे जिससे कि यह हो सके। वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर सके, विकास के काम हो सकें और जो लूट हो रही है, वह रुक सके। आजकल अधिकारी लूट कर रहे हैं। कुछ तो संयुक्त मोर्चे के जो प्रभावशाली नेता वहां हैं उनके साथ साठगांठ करके उनके यहां धन पहुंचा रहे हैं और कुछ राज्यपाल महोदय को भी मदद कर रहे हैं और जनता का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बिजली समय पर उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। इसलिए मेरी मांग है कि लॉ एंड आर्डर को मैनटेन किया जाए और गन्ने के लिए किसान परेशान हैं। गन्ने के बकाया का पेमेंट नहीं हो रहा है, मिलें नहीं चल रही हैं। मेरी मांग है कि इन सबकी ठीक प्रकार से व्यवस्था की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं-उनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं-जिन्होंने राज्य विधानसभा की अनुपस्थिति में वर्ष 1996-97 के बजट पर विचार करने के लिए इस बहस में भाग लिया है।

महोदय, यह असम्भव बात है कि उत्तर प्रदेश के लिए बजट बनाया जाए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर किए जाने वाले व्यय की दिल्ली

से मानीटरिंग की जाए। यह बात भी असम्भव है कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों की अनगिनत आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। मैं एक आवश्यक कार्य कर रहा हूं जो इसलिए भी आवश्यक बन गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने अलग-अलग पार्टियों को वोट दिए हैं और वहां पार्टियों का इकट्ठा होकर एक सरकार का गठन करना असम्भव जान पड़ता है। कुछ ही दिन पहले इस सदन ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव पर बहस की थी।

मेरा ख्याल है कि उस बहस में उत्तेजना काफी बढ़ गई थी जो अभी भी जारी है। मैं माननीय सदस्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश के सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अपनी-अपनी पार्टियों से मिलकर काम करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उत्तर प्रदेश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बन जाएगी। मैं सरकार बनाने की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता। यह समय सरकार बनाने की राजनीति पर बात करने का नहीं है।

महोदय, 1992-97 पंचवर्षीय योजना की अवधि है। इस अवधि के दौरान जून 1991 और दिसम्बर 1992 के बीच भा.ज.पा. की सरकार थी; दिसम्बर 1992-93 में राष्ट्रपति शासन था; 3.12.1993 से मई 1995 तक श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, जून 1995 से अक्तूबर 1995 तक कुमारी मायावती की सरकार थी और अक्तूबर 1995 से अब तक राष्ट्रपति शासन है। वास्तव में पूरी योजनावधि अब समाप्त हो गई है और उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रमुख राजनैतिक पार्टियां सरकार चला रही हैं। आधी अवधि या आधी से कुछ कम अवधि के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा है। मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा हानि आर्थिक विकास और राज्य में योजनागत विकास को हुआ है। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा। मैं यही समझता हूं कि यह अंतिम वर्ष होगा जब भारत सरकार उत्तर प्रदेश का बजट पेश करेगी और आशा करता हूं कि 1997-98 का बजट राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा।

वर्ष 1996-97 के दौरान 15,978.06 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां होने का अनुमान है। राज्य के कर और गैर कर राजस्व में पर्याप्त कमी हुई है। मैं पर्याप्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वास्तविक कारण दो हैं-पहला राज्य में लाटरियों का बंद होना; दूसरा केन्द्र सरकार का जे.आर.आई. हेतु ग्रामीण विकास एजेन्सियों को सीधे अनुदान जारी करने का निर्णय। इसकी तुलना में राजस्व व्यय 20,635,67 करोड़ रुपये है। राजस्व खाते में 4,500 करोड़ रुपये का अंतर है। पूंजी खाते में प्राप्तियां 6,611.80 करोड़ रुपये दर्शाई गई है और पूंजीगत व्यय 6,074.19 करोड़ रुपये है। राजस्व लेखा में देयता, पूंजीगत खाते, लोगों के खाते के अधिशेष और 834.27 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक अधिशेष को देखते हुए वर्ष 1996-97 की समाप्ति पर 23.37 करोड़ रुपये का अधिशेष बचने का अनुमान है।

गत चार वर्षों के दौरान योजना पक्ष का निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है जिसका एक कारण सरकारों का बदलना है। वर्ष 1996-97 की वार्षिक योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि योजना व्यय 7,047.51 करोड़ रुपये है। केन्द्रीय योजना व्यय 1,101.87 करोड़ रुपये और राज्य योजना व्यय 5,940.64 करोड़ रुपये होगा। इसमें पहाड़ी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम पर खर्च किया जाने वाला 225 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है।

महोदय, मैं बजट की कुछ विशेषताओं, विशेषकर सामाजिक क्षेत्र, पर प्रकाश डालना चाहता हूं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम का व्यय 1,501.92 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है जिससे एक हजार पांच सौ और पचास लाख श्रम-दिवस पैदा होंगे: पांच हजार नए अम्बेडकर गांवों को न्यूनतम सेवाएं प्रदान किए जाने के लिए चुना गया है:ग्रामीण आवास के अंतर्गत 71.23 करोड़ रुपये की लागत से 2.40 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा; ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए 178 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं; ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता के लिए 45.13 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं; निराश्रित व्यक्तियों, विधवाओं और विकलांगों के लिए 55.06 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश की किसान पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लिए हमने 99.30 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, व अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 230 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

प्राथमिक विद्यालय खोलने और भवन निर्माण के लिए 112.23 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने इस वर्ष 20,000 कुंए चालू करने का वादा किया है। लघु सिंचाई के द्वारा अतिरिक्त सिंचाई हेतु 116 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। बजट में सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट में 1,641 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

प्राथमिक समुदाय स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 47.96 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

इसमें से उत्तराखंड की स्कीमों को लागू करने के लिए 658.79 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। उत्तराखंड के लिए अलग संवर्ग बनाने हेतु कुछ प्रश्न उठाए गए थे। मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पहाड़ी उप संवर्ग नियम, 1992 जिसके अंतर्गत उप संवर्ग की स्थापना की गई थी, को अनेक विभागों में लागू किया जा रहा है और शेष रिक्त पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, गृह मंत्री ने बताया है कि जब तक राज्य विधानसभा-जो संसद में रखे जाने वाले विधेयक पर अपने विचार देती हैं-की बैठक नहीं होती तब तक संसद में कोई विधेयक नहीं रखा जा सकता। इसलिए यह सुनिश्चित करना उत्तराखंड के लोगों तथा अन्य विधायकों के हित में होगा कि राज्य विधानसभा जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के अंतर्गत गठन हो और उसकी बैठक हो और वे उत्तराखंड पर अपने विचार दें।

प्रधानमंत्री की घोषणा का हवाला दिया गया था इस पर क्या कार्रवाई की गई है। मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मुख्य सचिव प्रधान मंत्री द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं को मानीटर करता है और मेरे पास उस मॉनीटरिंग की एक रिपोर्ट है। मैं कुछ शीर्षों का उत्तर देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि बिजली बिलों के बकायों पर किसी प्रकार का प्रभार नहीं लिया जाएगा यदि इस धनराशि को 31 जनवरी, 1997 के पहले जमा कर दिया जायेगा। किसान बिल को तीन किस्तों में जमा कर सकते हैं। इस वायदे को कार्यान्वित किया गया और एक सरकारी आदेश जारी किया जा चुका है।

अगली घोषणा थी कि भूमि और ट्रैक्टर, जिनके लिए किसान ऋण प्राप्त कर रहे हैं, के दस्तावेजों के बंधकीकरण के पंजीकरण के लिए किसी प्रकार का स्टाम्प-शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस मामले में, कृषि संबंधी ऋणों के लिए जहां ऋण सीमा रु. 40,000/- तक है, किसी भी प्रकार का स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह आदेश जारी किया जा चुका है।

किसानों के लिए बिजली अधिभारों पर रु. 10/- प्रति हार्स पॉवर की छूट की घोषणा की गई थी। इसे कार्यान्वित किया जा चुका है। एक सरकारी आदेश जारी किया जा चुका है।

प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि 25 चीनी मिलों को लाइसेंस दिया जाएगा। पांच लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। उनमें से सत्रह भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं और मेरा विश्वास है कि वे विचार किए जाने के अग्रिम चरण में हैं।

गोरखपुर उर्वरक कारखाने के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वायदे के अनुसार, सचिव (उर्वरक) ने कारखाने का दौरा किया। उन्होंने पूरी जांच की है। यह पाया गया कि इस संयंत्र के स्थान पर एक नया नाफ्था-आधारित संयंत्र स्थापित किया जाये। यह मामला उर्वरक मंत्रालय के जांचाधीन है।

एक दूसरी घोषणा में यह कहा गया था कि इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान की प्रति इकाई लागत को 14,000/- रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक सरकारी आदेश जारी किया जा चुका है।

घाघरा नदी पर कलवारी घाट के समीप टांडा नगर से बस्ती तक एक पुल के निर्माण का वायदा किया गया था। इस संबंध में एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है और उसे भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

जहां तक गन्ने के बकायों का संबंध हैं, कुल गन्ने के बकायों का 92.8 प्रतिशत, जो 3,455 करोड़ के शेष में से 3,208 करोड़ रु. है, का भुगतान किया जा चुका है। अभी भी 247.16 करोड़ रु. की राशि बकाया शेष है। इन पर कार्यवाही की जा रही है।

मेरे पास अन्य घोषणाओं और उन पर विचार किए जाने की स्थिति की एक सूची है। बहुत से मामलों में, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से का कार्य किया है और निर्णय लिए जाने के लिए उन्हें केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है और भारत सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

इन वायदों को भुलाया नहीं गया है। इन वायदों को प्रक्रियाबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

परन्तु इन वायदों को कार्यान्वित करने का सबसे अच्छा तरीका, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं यह है कि, उत्तर प्रदेश के निर्वाचित प्रतिनिधि एक जुट होकर एक लोकप्रिय सरकार बनायें।

इन शब्दों के साथ, मैं इस बजट की प्रशंसा करता हूं और सभा से इस बजट को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य नहीं चाहें कि उनके किसी कटौती प्रस्ताव को अलग से रखा जाये तो मैं 1996-97 के बजट (उत्तर प्रदेश) के संबंध में अनुदानों की मांगों पर प्रस्तुत किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं 1996-97 के लिए अनुदानों की मांगों (उत्तर प्रदेश) को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

> "कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 28, 30 से 82 और 84 से 95 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए या के संबंध में कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.18 बजे

उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक**

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की

** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो खंड 2, दिनांक 18.12.96 में प्रकाशित।

संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं विधेयक* को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेंगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.20 बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें*—(रेल), 1996-97

उपाध्यक्ष महोदय : हम मद संख्या-19 पर विचार करेंगे। श्री धनंजय कुमार चर्चा आरम्भ करेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :—

मांग संख्या 2 और 16

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1996-97 की अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3
		रु.
2	विविध व्यय (सामान्य)	2,00,000
16	परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	170,00,00,000
	रेलवे निधियां	15,000
	जोड़	170,02,15,000

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[अनुवाद]

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आरम्भ में, अनुपूरक अनुदानों की इन मांगों में माननीय रेल मंत्री द्वारा किये गए प्रस्तावों का स्वागत करता हूं। कोई कह सकता है कि यह प्रस्ताव पूर्णतः कर्नाटक राज्य और बिहार राज्य के लिए बनाए गए हैं। परन्तु मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

जैसाकि आप जानते हैं, सामान्यतः बजट मंत्रालय सबंद्ध विभाग की कार्य-कुशलता की स्थिति को दर्शाता है। इस सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई अनुपूरक अनुदानों की मांगें यह दर्शाती हैं कि भारतीय रेलवे भली-भांति प्रगति कर रहा है। वह श्री राम विलास पासवान के नेतृत्व में प्रगति पथ पर चल रहे हैं। मैं उन्हें इसके लिए पुनः बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या बहुत मिल गया?

[हिन्दी]

श्री वी. धनंजय कुमार : जो दिया है, उसको मानना पड़ेगा।

[अनुवाद]

माननीय रेल मंत्री ने कुछ नई लाइनों को बिछाने के लिए, अनुपूरक अनुदानों की मांगों के प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हुए, एक नई खोज की है। इसे अनुपूरक अनुदान की इन मांगों में शामिल किया गया है। यह एक स्वागत-योग्य कदम है। मैं नहीं जानता कि क्या इस प्रकार के प्रस्ताव अनुपूरक अनुदानों की मांगों में किए जा सकते हैं अथवा नहीं। फिर भी, प्रस्ताव सभा के समक्ष आया है और मुझे आशा है कि इन सभी प्रस्तावों को अनुमोदन देने का अधिकार सभा को है।

मद संख्या 3 में किया गया एक प्रस्ताव हासन और बैंगलोर वाया श्रावणबेलागोला, के बीच 166 किलोमीटर दूरी, की एक नई लाइन बिछाने का है। इससे न केवल हासन से सीधा रेल यातायात आरम्भ होगा अपितु पश्चिमी समुद्र तट से लेकर, समुद्रतटीय नगर मंगलौर से राज्य की राजधानी बंगलौर तक रेल यातायात शुरू होगा। यह सबसे छोटे सम्भाव्य मार्ग वाया हासन-श्रावणबेलागोला-कुनीगल-बंगलौर से होकर होगा। जैसाकि माननीय मंत्री द्वारा सही कहा गया है कि श्रावणबेलागोला भगवान गोमतेश्वर के लिए प्रसिद्ध है और येद्धीयर सिद्ध लिंगेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 12 वर्षों में एक बार, श्रावणबेलागोला में सिराभिषेक का महोत्सव मनाया जाता है और उस अवसर के दौरान यात्री, सारे देश से भक्तगण और विदेश से, प्रार्थना, और पूजा करने के लिए इस पवित्र स्थान की यात्रा करने आते हैं।

अभी तक, इस तीर्थस्थल के लिए कोई सीधी रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है और इस नई लाइन की व्यवस्था से, देश के लगभग सभी भागों से इस पवित्र स्थान तक यात्री सरलता से पहुंच सकेंगे।

श्रीमान, मैं नहीं जानता कि क्या कोई इस कार्य को पूरा करने के लिए, समय-सीमा निश्चित की गई है। जहां तक मैं समझता हूं यह कार्य अभी बहुत ही आरंभिक चरण में है। इसका सर्वेक्षण कराया जायेगा इसके बाद भूमि अधिग्रहित की जायेगी और फिर रेल लाइन बिछाए जाने का कार्य आरम्भ होगा। जबकि इन अनुपूरक मांगों में मात्र रु. 1,000 की अत्यधिक कम धनराशि का प्रस्ताव, इस संकेत के साथ कि, और रु. 99,000 हजार इस अनुदान में पुनर्विनियोग के साथ प्राप्त किए जाएंगे, किया गया है, क्या ऐसी बात तकनीकी रूप से सम्भव है, इसे भी सभा के समक्ष स्पष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि इस कार्य को पहली बार प्रस्तावित किया जा रहा है। अनुदानों में प्रस्तावित पुनर्विनियोग, जैसाकि सुझाव दिया गया है, किस शीर्ष से किया जाएगा और किस अनुदान से पुनर्विनियोग की मांग की जा रही है, इसका सभा को स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

जैसाकि मैंने आरम्भ में ही कहा है कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करूंगा परन्तु तकनीकी रूप से तो माननीय रेल मंत्री ही सदन को बता पाएंगे कि इस पुनर्विनियोजन को कैसे पूरा किया जाएगा।

मैं, माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने तो वर्ष 1993 में दसवीं लोक सभा में ही यह प्रस्ताव पेश किया था और मैंने उस समय के रेल मंत्री से प्रार्थना की थी कि यदि हसन और बंगलौर के बीच सीधी रेल सेवा शुरू हो जाए तो तीर्थयात्री सीधे श्रावणबेलागोला पहुंच पाएंगे, और पश्चिम से पूर्व तक अर्थात् मंगलौर से हसन जाते हुए बंगलौर से मद्रास तक सीधा सम्पर्क जुड़ जाएगा और परिणामस्वरूप पश्चिम किनारे, पूर्वी किनारे और हिंटरलैंड का सम्पूर्ण विकास सम्भव हो पाएगा।

महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को व्यावहारिक बनाने के लिए जोकि मंगलौर और हसन के बीच आमान परिवर्तन के मूल बजट प्रस्तावों में किया गया है, शीघ्रता से पूरा करना होगा। इस कार्य की अनुमानित लागत 185 करोड़ रुपये है। इस राशि में से 17 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर ने स्पीकर साहब को लिखा है कि 5.30 बजे वे राज्य सभा में होंगे और अगर मुमकिन है, तो आधे घंटे की चर्चा, जो 5.30 बजे होनी है, उसको पोस्टपोन कर दें। स्पीकर साहब ने एग्री किया है कि पोस्टपोन कर लिया जाए। इसलिए मैं इस बारे में सदन से जानना चाहता हूं।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अगर उनका वहां बिजनेस है, तो देख लीजिए। मेरा निवेदन इतना ही है कि इस चर्चा को 5.30 बजे के बजाए 6.00 बजे ले लें। कल तो अंतिम दिन है।

उपाध्यक्ष महोदय : कल नहीं, परसों अंतिम दिन है।

श्री राम नाईक : महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है। यह चर्चा शैड्युल्ड और समय 5.30 बजे का है। इसमें कठिनाई यह होगी कि दूसरे दिन हो पाएगा या नहीं, यह देखने की बात है। मैं चाहता हूं कि आप समय को आधे घंटे बढ़ा दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : 6.30 बजे या 6.00 बजे रख लेते हैं।

वैसे स्पीकर साहब ने तो कल के लिए पोस्टपोन कर लिया है, मैं इसलिए आपके नोटिस में लाया हूं।

श्री राम नाईक : आप छह बजे करिए।

उपाध्यक्ष महोदय : छह बजे भी कठिनाई हो सकती है, इसलिए मैंने साढ़े छह बजे कहा।

श्री राम नाईक : छह बजे तो वहां का समाप्त होगा और उसमें भी उनको कठिनाई होगी तो छह बजे की बजाए हम सवा छह बजे तक भी रूकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : सवा छह और साढ़े छह बजे में तो ज्यादा फर्क नहीं है।

श्री राम नाईक : वह तो हम भी जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : चलिए, सवा छह बजे कर लेते हैं। वह सवा छह बजे के लिए मान गए हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, छह बजे सही, फिर उस समय देख लेंगे। वे आ गए हैं। आप वहां से निपट आए हैं न, तब तो अभी कर लेते हैं।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : मैंने चार दफा 193, कालिंग अटेंशन और इसके लिए भी नोटिस दिया है। अध्यक्ष जी ने कहा था कि आधे घंटे की चर्चा में आपको मौका दूंगा।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जिस कारण से भी किया था वह कारण दूर हो गया है।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : यह ठीक नहीं लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं?

श्री सैयद मसूदल हुसैन : हम यह चाहते हैं कि आप इसे अभी शुरू कराइए।...**(व्यवधान)**

श्री राम नगीना मिश्र : अभी शुरू कराइए और हमको भी मौका दीजिए।...**(व्यवधान)** हमारा नाम नहीं है तो क्या है, अध्यक्ष जी ने कहा है कि आपको मौका दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : रूल्स के मुताबिक तो नहीं हो सकता है, जिनके नाम हैं वही बोल सकते हैं।

श्री राम नगीना मिश्र : ऐसा है कि हमने तीन-चार बार कालिंग अटेंशन के लिए दिया है और आधे घंटे की चर्चा के लिए भी दिया था।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल रूल की बात कर रहा हूं। मैं बाद में देख लूंगा।

श्री वी. धनञ्जय कुमार : महोदय, मेरे लिए क्या आदेश है?

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाद में बोलें।

अपराह्न 5.33 बजे

[हिन्दी]

आधे घंटे की चर्चा

चीनी विकास परिषद

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आधे घंटे की जो चर्चा है वह प्रारम्भ करना चाहता हूं। मेरा तारांकित प्रश्न 79, 26 नवम्बर को था, उसके संबंध में यह बहस प्रारम्भ कर रहा हूं। मैंने उस प्रश्न में तीन बातें मुख्यतः पूछी थीं वह मैं सदन की जानकारी के लिए संक्षेप में बताना चाहता हूं।

महोदय, मेरा पहला सवाल यह था कि यह जो शुगर डेवलपमेंट काउंसिल है उनके सदस्य कौन हैं और उनका काम क्या है। दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि 1993-94, 94-95 और 95-96 में डेवलपमेंट काउंसिल की कितनी सभाएं हुई और तीसरा सवाल मैंने पूछा था कि 1995-96 में शुगर डेवलपमेंट काउंसिल की कुछ सिफारिशें आई हैं क्या, और चौथा सवाल सरकार ने उसके बारे में क्या किया है? उसका जो उत्तर आया है वह मुझे समाधानकारक नहीं लगा, इसलिए मैंने इस चर्चा के लिए नोटिस दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न के उत्तर में जो उन्होंने सदस्यों की सूची दी, वह बड़ी लम्बी है। लेकिन उस डेवलपमेंट काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, सेक्रेट्री, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फूड, नई दिल्ली, उसमें दो लोकसभा के सदस्य हैं-शंकर राव काले और अभय प्रताप सिंह, ये दोनों अभी इस चुनाव में हार गए हैं। फिर भी इस समिति में हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं, शिवाजी राव पाटिल भी हैं, लेकिन यह एक हाई लेवल, इस प्रकार की कमेटी है। जिसमें सभी राज्यों के प्रमुख अधिकारी, केन्द्र सरकार के अलग-अलग क्षेत्र के सभी अधिकारी हैं। इसमें मैंने पूछा था कि इसका काम क्या है। वह काम बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा बताया गया है।

इसमें पहला काम यह बताया गया है:

[अनुवाद]

> "चीनी उत्पादन के लिए लक्ष्यों की सिफारिश मानक विनिर्दिष्टयां तैयार करना तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी

समाविष्ट करने वाली चीनी कारखानों और संयंत्र के लिए मार्गदर्शी विनिर्दिष्टयां तैयार करना।"

[हिन्दी]

दूसरा इसमें एक शुगर डवलपमेंट कौंसिल बनाने के बारे में कहा गया जो हर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन देगी। अंत में उसमें यह बताया गया है कि चीनी के संबंध में जो पॉलिसी है-

[अनुवाद]

"चीनी उद्योग के संबंध में सरकार की नीति की पुनरीक्षा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना और सरकार के विचारण हेतु उपयुक्त सिफारिशें करना।"

[हिन्दी]

यानि चीनी निति के संबंध में अलग-अलग परिस्थिति देखकर सिफारिशें देनी हैं, जिसके आधार पर सरकार ने अपनी नीति तय करनी है। इस प्रकार की बात उत्तर में दी गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति हैं। इस सदन में इस बारे में दो-तीन बार जब सवाल आए तो सारा सदन उत्तेजित था। चीनी का उद्योग देश का सबसे बड़ा कृषि उद्योग है और इस उद्योग के मार्ग-दर्शन के लिए कौंसिल बनाई गयी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने इस बारे में कुछ भी काम नहीं किया है। इस प्रकार की स्थिति आज है।

मेरा दूसरा सवाल था कि 1993 से 1996 तक कौंसिल की कितनी मीटिंगें हुई हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि पिछले तीन साल में केवल एक मीटिंग हुई है। अब जिस कौंसिल को सारे देश के लिए चीनी उद्योग के मार्ग-दर्शन की पॉलिसी बनानी है कि कृषि में काम आने वाले कौन से इक्विपमेंट्स लेने चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए आदि-आदि, उसकी तीन साल में एक मीटिंग हुई है। देश में आज चीनी उद्योग की जो हालत है उसका कारण यही है कि इस उद्योग के बारे में किसी ने कभी सही ढंग से ख्याल ही नहीं किया। आगे चलकर मैंने पूछा था कि इस कौंसिल की सिफारिशें क्या थीं? तो जब तीन साल में मीटिंग ही नहीं हुई तो सिफारिशें क्या होंगी? यही कारण है कि आज जो हमारा कृषि उद्योग है या जो चीनी मिलें हैं या जो चीनी का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं सब जगह एक तरह से तबाही मची हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस चीनी उद्योग का क्या होगा? इससे एक बात हो रही है कि गन्ने का मूल्य सारे देश में समान नहीं है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में गन्ने का मूल्य समान नहीं है। उसके बारे में हाई-कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है कि अलग-अलग मूल्य रखने से क्या-क्या तकलीफें होती हैं। इसलिए सारे देश में इस बारे में एक मूल्य नीति बनाने की आवश्यकता है।

मैं महाराष्ट्र से आता हूं लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की ओर भी देखता महाराष्ट्र में अन्य प्रदेशों के मुकाबले में टेक्नालॉजी एडवांस है। वहां आधुनिक टेक्नालॉजी के सहारे सारी मिलें काम करती हैं। 40 प्रतिशत के लगभग चीनी महाराष्ट्र में बनती है। दूसरे गन्ने की जो रिकवरी है वह महाराष्ट्र में अन्य प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का नम्बर आता है लेकिन वहां महाराष्ट्र के मुकाबले रिकवरी कम होती है। इसलिए इन प्रदेशों में जो चीनी मिलें हैं उनमें आधुनिक तकनीक लाने की आवश्यकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश का जो किसान है उसको जो दाम मिलना चाहिए वह उचित दाम चीनी मिलों से नहीं मिल रहा है। जो दाम घोषित भी होता है वह भी नहीं मिलता है और मिलों पर उसका बकाया बना रहता है। इसके कारण बड़ी खराब हालत में गन्ना किसान आ गया है। यह सब जब हम देखते हैं तो यह सब क्रिमनल नेगलिजेंस ऑफ गवर्नमेंट ही मैं कहूंगा। इससे ज्यादा सौम्य शब्द नहीं मिल सकता है। यह सब पहले की कांग्रेस सरकार की देन थी। हमें लगता था कि नयी सरकार कुछ करेगी।...**(व्यवधान)**

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : कांग्रेस ने चीनी मिलों की स्थिति को सुधारा था...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : इसको लेकर तबाही मच गई। केन्द्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने तीन साल में एक मीटिंग भी नहीं बुलायी और पॉलिसी पर कोई विचार नहीं किया।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप कोई कॉमेंट्स न करें और उन्हें बोलने दें।

श्री राम नाईक : यह कांग्रेस की ही देन थी कि वहां तबाही मच गई। जब नई सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हमने 26 नवम्बर को एक मीटिंग बुलायी थी। मैं जानना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपको एड्रेस कर रहे हैं और आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री राम नाईक : जब मैंने इस बारे में प्रश्न पूछा तो आपने कहा कि 26 नवम्बर को मीटिंग बुलायी थी। वह मीटिंग हुई या नहीं? उसमें कौन से फैसले किए गए? अगर मीटिंग हो गई है तो सदन को उसके बारे में जानकारी दीजिए, ऐसा मुझे इसके संबंध में कहना है। इसके बारे में आगे क्या करना है, वह बात भी उतनी महत्व की है। मुझे ऐसा लगता है कि गन्ना उत्पादक किसान चाहे वे गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों, कर्नाटक के हों या उत्तर प्रदेश के हों, उनको गन्ने के मूल्य तुरन्त मिलने चाहिए। इस प्रकार की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार को लेनी चाहिए। इसमें केन्द्र सरकार क्या करना चाहती है, वह यहां बताना चाहिए।

केन्द्र सरकार सभी चीनी मिलों से डैवलपमैंट सैस इकट्ठा करती है। उनकी मशीनरी के विकास के लिए केन्द्र सरकार को वह उन्हें वापस देना चाहिए। इस प्रकार का नियम और पद्धति है लेकिन इसमें कितना नुकसान और कितनी निष्क्रियता है, वह मैं आंकड़े देकर बताना चाहता हूं। 1994-95 में चीनी मिलों से टोटल सैस 143.64 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। उसमें से केवल 51 करोड़ चीनी मिलों को

दिया गया जो कि लगभग 45 परसैंट है। 65 परसैंट सरकार ने अपने पास रख लिया। 1995-96 में 152.68 करोड़ सैस इकट्ठा हुआ। उसमें से 49.74 करोड़ दिया गया। मतलब केवल 32 परसैंट दिया गया और 68 परसैंट सरकार ने अपने पास रख लिया। उन चीनी मिलों को सारा का सारा सैस देना चाहिए जिनका वह ड्यू है। जिन-जिन चीनी मिलों का आधुनिकीकरण का कार्यक्रम है, उनको युद्ध स्तर पर लेना चाहिए जिससे इस उद्योग का विकास हो सके।

अपने देश में चीनी का उत्पादन अच्छा हो रहा है। उसका एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर होता है लेकिन जितना चीनी का स्टैंडर्ड रहना चाहिए, उतना वह नहीं रहता। अभी उत्तर प्रदेश में लाल चीनी बनती है। उसे बेचा जाता है और वहां जाकर इंसपैक्शन की जाती है तो कहा जाता है कि वह व्हाइट शुगर नहीं है। उन्हें कच्ची शुगर का रेट देना पड़ता है। इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।

शुगर एक्सपोर्ट काउंसिल बनायी गई। अब आप शुगर एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्ट को रिपील करने की बात कर रहे हैं। लाभ और नियंत्रण होने की जो सम्भावना थी, उसे सरकार खत्म कर रही है। सरकार ने डैवलपमैंट काउंसिल से इस बिल को लाने के बारे में बात की है। क्या इस प्रकार का बिल लाना उचित है या नहीं? इन सारी बातों को देखकर मेरी यह मांग है कि मैंने जो यहां प्रश्न उठाए हैं, उनका मंत्री जी सीधे-सीधे सरल शब्दों में जवाब दें। वह इस बारे में क्या करना चाहते हैं? जो इस काउंसिल में पहले लोक सभा के सदस्य थे, वे डिफीट हो गए हैं या उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। नए सदस्यों की नियुक्ति करके इसके बारे में निर्णय करना चाहिए। इसके साथ ही यह सोचना चाहिए कि क्या सैक्रेटरी कमेटी का अध्यक्ष बना रहे? उसमें सुधार लाने के लिए एम.पीज. काम करें। क्या कुछ सांसदों को सदस्य बनाकर सेक्रेटरी को अध्यक्ष रखना उचित है।

मंत्री अध्यक्ष के नाते हो सकता है लेकिन सेक्रेटरी को चेयरमैन रखना और मीटिंग नहीं बुलाने का काम करना ठीक नहीं है। हाउ डू की एक्सरसाइज द कंट्रोल? इस भूमिका में भी सरकार को उसमें परिवर्तन करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सांसद श्री राम नाईक जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाई है। वैसे गन्ने इस देश में कैश क्रोप के रूप में जाना जाता है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : राम नाईक जी के बोलने के बाद कोई बात रह गई है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : दुर्भाग्य यह है कि सरकार की इस ओर कोई चिन्ता नहीं रही है और चिन्ता का विषय यह है कि हमें देखने को मिला कि तीन साल में विकास परिषद की केवल एक बैठक हुई। जो इसके उद्देश्य थे, उनमें क्या पूरा किया गया, उसको पार्ट सी और डी में कह दिया गया। उसका कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कुछ नहीं हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे पड़ोस में वरिष्ठ सांसद राम नगीना मिश्र जी बैठे हैं और ये लगातार सदन के अंदर गन्ना मूल्य बकाया और जो सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं, उनकी बात उठाते रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की कई समस्याएं हैं। हम चाहे निधि की बात करते हों या सहयोग की बात करते हों, हमें कहीं भी कोई सहायता नहीं मिलती है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं अपने पॉइंट्स को किस प्रकार से मंत्री जी के सामने रख पाऊं जिससे उनका जवाब हमें मिले। उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं, अधिकांश बीमार हैं। पैसा आपके पास जितना आया, उनको रिवाइव करने के लिए आपने पैसा दिया या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। गन्ने की बकाया राशि के भुगतान के लिए जबकि उसकी लागत एक हजार करोड़ रुपए फिर हो गई है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने गन्ना मूल्य बकाया पर ब्याज देने की बात भी कह दी कि 14 दिन बाद समितियां गन्ना मूल्य न दें तो उनको ब्याज दिया जाए और इसके अलावा न्यायालय के जो फैसले आ रहे हैं, उससे समस्याएं और बढ़ रही हैं।

एक बात और इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 26 चीनी मिलें लगाये जाने की घोषणा कर दी। विकास परिषद का काम है चीनी उत्पादन के लक्ष्य की सिफारिश करना। जिन दिनों इसका गठन हुआ, उन दिनों चीनी घोटाला चल रहा था। सबको इसकी जानकारी है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उनके हिसाब से जवाब दें क्योंकि विकास परिषद ने अपना कार्य नहीं किया। अगर आप ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाएंगे तो बात नहीं बनेगी। 24 में से 13 सदस्य गैर-सरकारी हैं और सांसद अध्यक्षता के नीचे बैठे हैं, जिसको राम नाईक जी ने ठीक कहा कि अनुपयुक्त सा लगता है। उसमें जन प्रतिनिधि हैं और क्षेत्रीय सहकारी समितियों के प्रतिनिधि हैं। उनकी मीटिंग नहीं हुई अगर कोई गैर-सरकारी व्यक्ति होता तो निश्चित रूप से मीटिंग बुलायी जाती और समस्याओं का समाधान होता। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी कुछ और बातों पर स्पष्ट जानकारी दें।

भारत सरकार की जो मिलें हैं, उनकी क्या स्थिति है? उनके बकाये के भुगतान की क्या स्थिति है? जो बीमार हैं उनको किस प्रकार से सही किया जाएगा और नयी चीनी मिलों की घोषणा करने की क्या नीति है? गन्ना के मूल्य का भुगतान समय पर नहीं किया गया तो उसके लिए ब्याज देने के बारे में आपकी क्या नीति है? उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी चीनी मिलें हैं जो आधी-अधूरी हैं। हमारे बरेली में भी एक चीनी मिल पिछले पांच साल से ऐसी स्थिति में पड़ी हुई है। जमीन खरीद ली गई है और चीनी मिल नहीं बनायी जा रही है। हमारे साथी बता रहे हैं कि जेवर विधान सभा में जहांगीरपर चीनी मिल आधी बनी हुई है और इस बारे में कोई नीति नहीं बन रही है। यदि विकास परिषद का कार्य सही हुआ होता तो ये सारी समस्याएं नहीं आई होतीं और कुछ न कुछ समाधान हुआ होता। मैं चाहता हूं कि विकास परिषद को वॉयबल यूनिट बनाइए। यह भी बीमार यूनिट लग रहा है। इसको ऐसा यूनिट बनाइए जो काम करे और हमारी समस्याओं का समाधान करे।

हो सकता है कि आपको लगे कि हमारे सवाल बहुत सारे हैं, पर मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सवालों का जवाब अवश्य दें। आप पूरे पांच साल तक मेरे साथी रहे हैं और मैं आपकी क्षमता से अवगत हूं। जैसे अभी आपने गेहूं के बारे में बहुत स्पष्ट राय दी, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी स्पष्ट व्यवस्था करें और विकास परिषद काम करे ताकि आपको ऐसे सवालों को यहां सुनना न पड़े। मैं चाहता हूं कि इस बारे में आप अपनी स्पष्ट राय दें।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूं। मैं मंत्री जी से गन्ना किसानों के संबंध में सिर्फ थोड़ी सी बात जानना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान का पिछले वर्ष 1995-96 का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है तथा इस वर्ष 1996-97 में मिलके नवम्बर में विलम्ब से चलने के कारण गन्ना किसान गेहूं भी नहीं बो पाया है। इस वर्ष चीनी मिल-मालिकान उच्च न्यायालय जाकर किसानों को गन्ने का भुगतान भी नहीं कर रहे हैं तो चीनी किसानों की चीनी मिलों पर निर्भरता कम करने हेतु तथा मिल मालिकों की मनमानी रोकने हेतु गन्ना किसान के लिए तथा तीन प्रतिशत राष्ट्रीय हानि गन्ना रिकवरी बचाने हेतु क्या मंत्री जी लघु खंडसारी इकाइयों को वैक्यूम पैन की अनुमति देंगे तथा जो लघु इकाइयां प्रतिदिन पांच हजार क्विंटल गन्ना पेराई करेंगी उन्हें चीनी लाइसेंस तथा लेवी से मुक्त रखे जाने का प्रावधान करेंगे। मैं यहां वैक्यूम पैन के बारे में बताना चाहता हूं। लघु खंडसारी की इकाई की रिकवरी आज छः प्रतिशत है, वैक्यूम पैन की अनुमति मिलने के बाद चीनी की गुणवत्ता में भी सुधार आयेगा और इसकी रिकवरी दस प्रतिशत हो जायेगी। अपने बॉयलर से स्वयं यह बिजली बनाकर अपनी इकाई चलायेंगे, ग्रामीण अंचलों में रोजगार के साधन बढ़ेंगे और किसानों को गन्ने का बेहतर दाम मिलेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 1995-96 में जो भारत सरकार ने नई चीनी मिलों को लाइसेंस जारी किये हैं उनमें से किसी ने भी अभी तक नई चीनी मिल के निर्माण की शुरूआत नहीं की है। अतः मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या 31 मार्च, 1994 से पहले की तरह 1995-96 में दोनों वर्षों में जो नई चीनी मिलों को लाइसेंस जारी किये हैं उन्हें भी लेवी राहत योजना में छूट देने का प्रावधान करेंगे, ताकि वह मिल लगा सके और पूरे देश में गन्ना किसानों की पेराई की क्षमता बढ़ सके।

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1995-96 का किसान का भुगतान आप कब तक करा देंगे तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित गन्ना किसानों का मूल्य 76 रुपये प्रति क्विंटल पर्चियों पर कब तक दिलवा देंगे। धन्यवाद।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, चीनी विकास परिषद का कार्यकरण कैसा होना चाहिए इसकी तरफ कितना ध्यान गया है, यह बड़ी चिंता की बात है। जहां तक इसके उद्देश्य का मामला है तो उद्देश्य तो बहुत स्पष्ट हैं कि यह चीनी के उत्पादन के लक्ष्य की सिफारिश करेगी, चीनी फैक्टरी की नवीनतम तकनीक के बारे में चिंता करेगी, सहकारी नीति की समीक्षा कर सरकार के विचारार्थ उपयुक्त सिफारिश करेगी। देश में चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के उपाय किये जायेंगे और इस प्रकार से जो सारे के सारे उद्देश्य हो सकते हैं यह तो कह दिये गये हैं, लेकिन इनको करने के लिए कोई उपाय हो रहा है, ऐसा नहीं है। वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 में कुल दो बैठकें हुई। 23.12.93 को एक बैठक हुई और 26.11.96 को एक बैठक हुई। दोनों ही बैठकों के अंदर जो निष्कर्ष आये होंगे, उन निष्कर्षों को भी सरकार ने क्रियान्वयन किया होगा, यह अभी तक जानकारी में नहीं आया है और हममें से किसी ने देश के अंदर चीनी उद्योग की जो स्थिति बनती चली जा रही है, चीनी उद्योग का जो दिनों-दिन डिटीरियोरेशन हो रहा है, उसकी गुणवत्ता और क्षमता के कारण जो नुकसान हो रहा है, उसके बारे में किसी को चिंता नहीं है। किसानों का जो पैसा बकाया होता है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता है। गन्ने के विकास के बारे में जो चिंता होनी चाहिए वह भी किसी को नहीं है। आज किसान परेशान है, बिजली पानी की कमी है। विषम परिस्थिति में गन्ना पैदा किया जा रहा है और उसका भुगतान यदि समय पर नहीं होता है तो यह सीधा नुकसान है।

महोदय, मध्य प्रदेश की हालत और खराब है। मध्य प्रदेश में चीनी मिल है, जिनमें उत्पादन की स्थिति ठीक नहीं है, उनका आधुनिकीकरण नहीं किया गया है। उसके निवेश के बारे में किसी ने चिंता प्रकट नहीं की है। गन्ने का क्षेत्र विकसित हो, उसके बारे में किसी को चिंता नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह सारे के सारे कार्यकरण आपको अपने उद्देश्य में रखने चाहिए। उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आप क्या करने वाले हैं? मेरे क्षेत्र से संबद्ध तीन चीनी मिलें हैं। मेरे क्षेत्र में महीदपुर रोड का गोविंदराम का शक्कर कारखाना है, जावरा का शक्कर कारखाना है, दलोदा का शक्कर कारखाना है। चीनी कारखानों को समय पर नहीं चलाया जा सकता। महीदपुर के शक्कर कारखाने को संघर्ष करना पड़ता है। किसान को पैसा नहीं मिलता है और इसलिए ऐसी हालत में मध्य प्रदेश में जो गन्ने का विकास, मिलों का आधुनिकीकरण और किसानों को गन्ने का भुगतान करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है तथा किसानों की अब तक की देनदारी के संबंध में आप क्या करने वाले हैं और महीदपुर, दलोदा और जावरा के शक्कर कारखानों को चलाने के लिए सरकार क्या कोई निश्चित उपाय करने वाली है? मैं इतनी ही जानकारी चाहता हूं।

अपराह्न 5.55 बजे

(श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल (इरन्दोल) : महोदय, चीनी उद्योग विकास परिषद के कार्य की प्रगति के बारे में कई पूर्व वक्ताओं ने प्रकाश डाला है। इस उद्योग से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव आया है, साथ ही देश को लगभग 18000 करोड़ से 20,000 करोड़ की

आय भी होती है। कृषि आधारित यह उद्योग देश के बहुजन समुदाय किसानों और कामगारों से संबद्ध है। विवरण में दिए उद्देश्य तो बहुत अच्छे हैं परन्तु उन्हें अच्छी तरह कार्यान्वित नहीं किया जाता। पिछले वक्ताओं ने इन उद्देश्यों पर पहले ही रोशनी डाली है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विगत तीन वर्षों के दौरान केवल एक बैठक बुलाई गई। नोट में उल्लिखित चार उद्देश्यों में से मैं केवल एक ही पढ़ूंगा:—

> "इसकी स्थायी शोध समिति विभिन्न शोध परियोजनाओं को चीनी विकास निधि के माध्यम से वित्तपोषित करने की सिफारिश करती है और इन परियोजनाओं का उद्देश्य कारखानों को पूरी तकनीकी कुशलता से चलाने, गन्ने का उत्पादन और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना होता है।"

मेरी सूचना के अनुसार 1770 करोड़ रुपये चीनी विकास निधि में एकत्र हुए थे और इनमें से केवल 864 करोड़ रुपये चीनी को उन कारखानों को दिये गए हैं जो संकटग्रस्त हैं। इस निधि का मूल उद्देश्य आधुनिकीकरण था। यह एक तरह से विकास के लिए सहायता अनुदान होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शोध और अन्य सम्बद्ध कार्यों के लिए केवल 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपये वार्षिक दिए गए हैं। इससे बहुत स्पष्ट पता चलता है कि कार्यपालक लोग चीनी उद्योग में आधुनिकीकरण और नवीकरण के लाभ के प्रति कितना उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। मुझे तो आश्चर्य भी होता है कि विगत तीन वर्षों के दौरान चीनी विकास निधि तथा शोध परामर्शदात्री स्थायी समिति की बैठक शायद ही हुई हो। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या शोध परामर्शदात्री स्थायी समिति कोई ऐसी बैठकें आयोजित करती हैं। यदि हां, तो चीनी कारखानों में विशिष्टियों के अनुरूप या गन्ने की अच्छी किस्म की प्राप्ति के लिए क्या सिफारिशें की गई हैं? मेरी सूचना के अनुसार भारत में उत्पादित अधिकतर चीनी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं होती। समिति ने इस संबंध में कोई गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं किया।

सभापति महोदय : कृपया प्रश्न पूछें और अपना वक्तव्य भी पूर्ण कीजिए।

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : विवरण में जिन उद्देश्यों को उजागर किया गया है। मैं उन्हीं के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। इन विभिन्न समितियों और परिषदों ने मशीनरी, नवीनतम तकनीक और चीनी के कारखानों संबंधी विभिन्न मापदण्डों को प्राप्त करने की विशिष्टताओं पर पहुंचने के लिए क्या कार्य किया?

अपराह्न 6.00 बजे

सभापति महोदय : मंत्री जी अब उत्तर दे सकते हैं।

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे (कोपरगांव) : मैं एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : इसके लिए आपने नोटिस नहीं दिया।

[हिन्दी]

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे : सर, उस दिन भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने बोला था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप नोटिस दिए बिना नहीं बोल सकते।

[हिन्दी]

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे : सर मैंने नोटिस दिया है, लेकिन बैलट में नहीं आया है।

सभापति महोदय : आपका नोटिस नहीं है।

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे : सर मैंने नोटिस भी दिया है लेकिन सर मैं गन्ना क्षेत्र से आता हूं। मेरा सवाल एक ही है। कृपया मुझे पूछने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : नहीं, कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसकी आज्ञा नहीं दी जा रही।

श्री राम नाईक : कल जब प्रश्न काल के दौरान कल चीनी उद्योग पर एक प्रश्न पूछा गया, मैंने सभापति महोदय से निवेदन किया यदि आधे घण्टे की हो रही चर्चा में कुछ सदस्यों को, यदि अनुपूरक प्रश्न पूछने की आज्ञा दी जाए, तो अच्छा होगा। उस समय उन्होंने विनिर्णय दिया था कि ऐसा ही किया जाएगा। यही उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था।

सभापति महोदय : आपने जो कुछ भी कहा वह उचित है कल यही हुआ था। परन्तु नियमों के अनुसार मैं चार से अधिक सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। बाद में कुछ सदस्यों के अपने नाम देर से दिये गये। अतः आप इस बात को समझें कि चार सदस्यों को ही बोलने की अनुमति दी जा सकती है और वह बोल चुके हैं।

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : सभापति जी, चीनी उद्योग विकास परिषद, एक सलाहकार परिषद है जिसका गठन औद्योगिक विकास विनियम 1951 की धारा 51 और 6 में किया जाता है, लेकिन वर्तमान नियम के अनुसार विकास परिषद में अधिनियम एक्ट के अन्तर्गत 25 सदस्यों की कमेटी बनाए जाने का प्रावधान है और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इसको नोटिफाई करता है और फूड मिनिस्ट्री इसकी अनुशंसा करती है। यह अभी 24 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी जिसमें अध्यक्ष और सदस्य भी शामिल हैं। अन्य चीनी उद्योग के हित से संबंधित बातों के लिए सुझाव देना इसका मूल कार्य है जैसे शुगर मिलर्स, कर्मचारियों के प्रतिनिधि, किसान और टैक्नालाजी का

अनुभव रखने वाले व्यक्ति, उपभोक्ता आदि सभी व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है और इसमें आफीशियल भी सम्मिलित हैं। जो नई कमेटी गठित की गई है वह भारत सरकार के खाद्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 24 सदस्यों की बनाई गई। यदि माननीय सदस्यों को मालूम नहीं है, तो मैं उनको इस सूची की जानकारी बाद में दे दूंगा।

सभापति महोदय, यह जो कमेटी गठित हुई, यह 4.6.93 को गठित हुई और यह दो वर्ष के लिए गठित हुई थी। इसका कार्यकाल 3.6.95 को ऑटोमैटिक खत्म हो गया। इसकी बड़ी अद्भुत कहानी है। जब आपने प्रश्न पूछा और आप संतुष्ट नहीं हुए तथा जब आपने आधे घंटे की चर्चा की मांग की, तब मैंने इसे देखा। इसकी बड़ी अद्भुत कहानी है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं। श्री ए.सी. सेन, तत्कालीन सचिव ने दिनांक 15.4.94 को मीटिंग बुलाई। इसके पहले बाद उनका ट्रांसफर हो गया। इसके बाद श्री सी.डी. त्रिपाठी अल्पसमय के लिए, 8.4.94 से 10.10.94 तक सचिव पद पर रहे। जब इन्होंने मीटिंग बुलाई, तो इनका भी तुरंत ट्रांसफर हो गया।...**(व्यवधान)** आपने जो विषय उठाया है, उसका जवाब सुन लीजिए। इस विषय पर हमने राज्य सभा में भी जवाब दे दिया है।...**(व्यवधान)**

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : मंत्री जी पिछले लोगों ने गलत काम किए, तो उनको आप छोड़िए। अब आप इसके अध्यक्ष बन जाइए और जो प्राब्लम खड़ी हुई है, उसको नए सिरे से सुलझाइए ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठिए। मंत्री जी को अपने जवाब को पूरा करने दीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, दिनांक 3.6.95 को उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो परिषद का पुनर्गठन दिनांक 23.2.96 को फिर हुआ। 1996 के बाद अप्रैल और मई में चुनाव हो गये। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश का चुनाव होता रहा इसलिए यह कमेटी कनवीन नहीं कर सकी। यहां एक जून को नई सरकार सत्ता में आयी। यह चुनाव होने के बाद वहां स्टेट में चुनाव आ गये चूंकि इसमें पूरे देश से चुने हुए मैम्बर आते हैं। एक जून को यह सरकार सत्ता में आयी तो उसके कार्यकाल में पहली मीटिंग 26.11.96 को हुई। श्री नाईक साहब ने पूछा है कि उस मीटिंग में क्या-क्या फैसला लिया गया। उस मीटिंग में पिछली मीटिंग की कार्यवाही को रिव्यू किया गया, स्थायी समिति के विषय में विचार किया गया और चीनी मिलों को किस तरह से मार्डनाईज किया जाये, उस संदर्भ में विचार किया गया। यह तो मैंने कमेटी की स्थिति के बारे में बताया है जिसके गठित होने में टाइम लगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो दो माननीय सदस्य लोकसभा से थे, यह भी उसमें जोड़ लीजिए क्योंकि जितने भी सैक्रेट्रीस आये, उन सबका ट्रांसफर हो गया। जो दो माननीय सदस्य लोकसभा के थे, वे चुनाव हार गये। वे दुबारा लौटकर नहीं आये।...**(व्यवधान)** मीटिंग न होने की जो वजह थी, वह यही थी।...**(व्यवधान)** अब नई परिस्थिति में विचार किया जायेगा। उसमें एक माननीय सदस्य राज्य सभा से हैं। इस कमेटी की दो स्थायी कमेटियां भी बनाई जाती हैं। स्टैंडिंग कमेटी में दो तरह की अस्थाई समितियां हैं। एक है अस्थाई अनुसंधान सलाहकार समिति यानी स्टैंडिंग रिसर्च एडवाइजरी कमेटी और दूसरी है चीनी मानक पर स्थाई सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन शुगर स्टैंडर्ड। इस कमेटी का भी मूल कार्य वही है जैसे चीनी फैक्टिरयों, व्यापार, सरकार या संस्थाओं आदि के उपयोग के लिए दर साल चीनी मानक शुरू करने के लिए सिफारिशें करना। ये सब काम कमेटियों का है। माननीय सदस्य ने स्थायी समितियों के बारे में जिक्र किया था। अनुसंधान सलाहकार समिति का मुख्य कार्य चीनी उद्योग से जुड़ा कोई अनुसंधान, कोई भी रिसर्च का काम हो, चीनी शुगर डेवलप करने के विषय में या मार्डनाईजेशन के विषय में हो तो उस पर उनकी सिफारिशें ली जायेगी। जो चीनी मिलें हैं या वैज्ञानिक संगठन या अन्य संबंधित संगठनों द्वारा प्राप्त अनुसंधान योजना हो, कोई भी प्लान हो, उसकी जांच के पश्चात् यह समिति चीनी विकास निधि अनुसंधान संबंधी सिफारिशें करेंगी। मैंने इस कमेटी के कार्य संबंधी जानकारी दी है। माननीय सदस्य श्री नाईक जी जो कि बहुत बुजुर्ग हैं, उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे जैसे गन्ने की समस्या की चर्चा की। पिछले दिन भी आप लोगों ने उस संदर्भ में कई सवाल पूछे थे जिसकी मैंने जानकारी दी थी। अभी गन्ने का भुगतान बकाया हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल केन प्राइस का जो देय है वह 3,455 करोड़ रुपये देय है। जो केन प्राईस देना है वह 3,455.66 है। मतलब 3455 करोड़ रुपये उनके एरियर्स का भुगतान करना था। अभी तक का जो स्थिति है वह यह है कि टोटल केन प्राइस पेड हुआ वह 3202 करोड़ रु. हुआ है। सब मिलाकर जो केन प्राइस पेड हुआ वह 92.6 पेड हुआ। यह 15 दिन पहले की रिपोर्ट है लेकिन कल मैंने फिर रिव्यू किया तो 94 प्वाइंट कुछ आया हैं। पेमेंट हो रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि पेमेंट नहीं हो रहे हैं। जो बाकी पेमेंट है वह भी पेड हो जायेगी।

श्री संतोष कुमार गंगवार : अभी 700-800 करोड़ रुपये बकाया है। आपकी फिगर गलत है। या तो आप हमें कहें कि हम गलत बोल रहे हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप पूरे देश के बारे में पूछ रहे होंगे। मैंने पूरे स्टेट के बारे में बताया है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : आपका 3400 रुपये का है और आप कह रहे हैं कि 3200 का भुगतान कर चुके हैं। आप इसकी जांच करायें। आपके विभाग ने आपको गलत जानकारी दी है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं यह बताना चाहता हूं कि शुगर डेवलपमेंट फंड से आधुनिकीकरण के लिए अभी तक 542 करोड़ रुपये सैंक्शन हुआ है। उसमें जो डिसबर्स हुआ वह 494 करोड़ रुपया हुआ है और क्या करना है वह प्रौसेस में है।...**(व्यवधान)**

श्री दत्ता मेघे : आप यह बताइए कि किसानों से आपने कितना फंड लिया है?...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : स्टेजवाइज फिगर हम आपको दे देंगे।

मैं चीनी मिल खोलने के संबंध में बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में लगभग 117 चीनी मिलें हैं। कल शाम तक की जानकारी है कि उनमें से 107 चीनी मिलें खुल गई हैं। शेष चीनी मिलों को खोलने के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा है। हमारे सैक्रेटरी ने भी सभी चीफ सैक्रेटरीज को पत्र लिखा है कि चीनी मिलों को जल्दी से जल्दी खुलवाकर हमको जानकारी दें। मैं समझता हूं कि जो चीनी मिलें डिफैक्ट नहीं हैं, वे एक सप्ताह तक जरूर खुल जाएंगी। पिछले साल इसी महीने की 15 तारीख तक पूरे देश की लगभग 323 चीनी मिलों की पिराई चालू हो चुकी थी। इस साल 321 चीनी मिलों में केन की क्रशिंग शुरू हो गई है। उस अनुपात में हम करीब-करीब बराबर चल रहे हैं। पिछले साल चीनी मिलें कुछ देर तक चली। इस साल ओवरहॉलिंग में समय लगा। कुछ मिलों में लेबर प्रॉबलम है, कुछ में फाईनैंशल प्रॉबलम है और कुछ में मशीनरी की प्रॉबलम है। लेकिन जो मॉडर्नाईज्ड मिलें हैं, जिनके संबंध में अभी गंगवार जी ने सवाल पूछा है,...**(व्यवधान)**

श्री विजय अन्नाजी मुडे (वर्धा) : जो मिलें चलाने योग्य नहीं हैं, उनके बारे में क्या कर रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो मिलें बंद हैं। पूरे देश में ऐसी स्थिति है। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। गन्ना क्रश नहीं हो रहा, उसके बारे में बता रहे हैं लेकिन जो मिलें बंद हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सवाल तो सिर्फ शुगर डैवलपमैंट काउंसिल के बारे में है। लेकिन आप सवाल पूछ सकते हैं। हम जवाब दे रहे हैं तो आप बीच में बोल रहे हैं।...**(व्यवधान)** जो मूल प्रश्न था, उसका जवाब मैंने दे दिया है। यदि और कोई सवाल पूछना है तो माननीय सदस्य पूछ सकते हैं। दूसरे जो सवाल उठे हैं, उनका जवाब मैं 1-2 मिनट में दे देता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो अपनी भावना व्यक्त की है, उसकी जानकारी दे दूं।...**(व्यवधान)** आप बीच में उठ रहे हैं।

नई चीनी मिलें खोलने के संबंध में तीन बातें हैं-एक तो उस इलाके में केन की ऐवेलेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा डिस्टैंस का क्राईटेरिया है। उसमें 25 किलोमीटर तक है लेकिन किसानों को ज्यादा उत्साहित करने के लिए उसे घटाकर मिनिमम 15 किलोमीटर कर दिया है। यदि एक मिल से दूसरी मिल की दूरी 15 किलोमीटर तक भी है तो चीनी मिल लगाने की स्वीकृति दी जा सकती है। हम इंडस्ट्री में उसका प्रस्ताव भेज सकते हैं। तीसरी बात, स्टेट का रिकमैंडेशन जरूर होना चाहिए। नई चीनी मिल खोलने के यही तीन क्राईटेरिया रखे गए हैं। इन तीन क्राइटेरियाज पर यदि कोई चीनी मिल खोलना चाहता है तो सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। सरकार इस पक्ष में है कि ज्यादा से ज्यादा मिलें लगें, ज्यादा से ज्यादा चीनी का उत्पादन हो। यही कारण है कि पिछले साल 164 लाख टन रिकार्ड उत्पादन हुआ और इस साल भी करीब-करीब उसके आसपास होगा।

माननीय सदस्य का एक सवाल वैक्यूम पैन, खंडसारी और लघु उद्योग के संबंध में है।

छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने में सिद्धांततः हम विश्वास करते हैं। वैक्यूम पैन में एक टैक्नीकल बात होगी। माननीय सदस्य की मैं और राय चाहूंगा। इस इंडस्ट्री के तहत जो कंट्रोलिंग होती है, जिस तरह से बड़ी इंडस्ट्री के दर्जे में पूरी की पूरी शुगर मिल है, तो बड़ी इंडस्ट्री के दर्जे में यदि हमारा छोटा खांडसारी उद्योग चला जायेगा, वही नियम उस पर लागू हो जायेगा, तब खांडसारी जो छोटा उद्योग है, कहां तक उसके हितों की रक्षा हो सकेगी, इस पर विचार कर लें। खांडसारी में वैक्यूम था और भी तो आपने कहा है कि 5000 क्रशिंग कैपेसिटी वाला जो है, उसको लेने पर तो मैं गंभीरता से विचार करूंगा।

दूसरा सवाल आपने कहा कि 31 मार्च...**(व्यवधान)** आप सुनिये तो, मुझे आपका सवाल याद है। 31 मार्च, 1994 के बाद चीनी मिलों को जो इंसेंटिव देना बन्द कर दिया गया है, इसके बाद चीनी मिलों को इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, बल्कि जिसका बकाया चल रहा है, अभी उसको मिल रहा है। 31 मार्च, 1994 के बाद यह बन्द है तो 31 मार्च के बाद भी जो नई चीनी मिलें लगने जा रही हैं, क्योंकि इसमें कई लोगों का हित है, कोआपरेटिव किसानों का और ज्यादा से ज्यादा गन्ना उत्पादन करने का जो लोगों में एक आकर्षण हुआ है, यही कारण है कि रिकार्ड उत्पादन चीनी का हो रहा है। निश्चित रूप से हम इस पर पुनर्विचार करेंगे कि 31 मार्च के बाद भी जो मिल लगी हैं, उन्हें इंसेंटिव कैसे दिया जाय, इसपर निश्चित रूप से सकारात्मक फैसला हम लेंगे। ...**(व्यवधान)**

श्रीमती रजनी पाटिल (बीड) : कल का हमारा जो प्रश्न था, वह अलग था।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह चर्चा पूरी हो चुकी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : सभापति जी, मेरे प्रश्न का उत्तर मिला ही नहीं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापित महोदय : श्री राम नाईक आपको सब नियम पता है। हम इस तरह नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मेरे जो दो क्वश्चंस थे,...**(व्यवधान)**

श्री लालमुनी चौबे : माननीय सभापति महोदय, जिस मुद्दे के आधार पर यह चर्चा हुई थी, उसका उत्तर ही नहीं मिला।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे : गन्ने के बारे में जो सवाल है, मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री जी, क्या आपने अपना उत्तर पूरा कर दिया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, यह पूरा है।

सभापति महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल एक्ट सील करने के बारे में कुछ कहा नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, इस पर बाद में विचार किया जा सकता है। आप इसे जारी नहीं रख सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : आप यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस मुद्दे को लेकर यह चर्चा हुई है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जा रही।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, वह उत्तर दे रहे हैं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : नहीं वह उत्तर नहीं दे रहे। उन्हें और अनुमति नहीं दी जा सकती। वह अपना उत्तर पूरा कर चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं।

सभापति महोदय : आप जरा बैठिए। प्लीज।

[अनुवाद]

आधे घंटे की चर्चा अब सम्पन्न हुई। अब हम अगले विषय पर पहुंच चुके हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे? हम इसे जारी नहीं रख सकते।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : वह उत्तर देना चाहते हैं और आप उन्हें अनुमति नहीं दे रहे।

सभापति महोदय : मैंने उन्हें विशेष रूप से पूछा है। वह कह रहे हैं उन्होंने अपना उत्तर पूरा कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, वह उत्तर देने के लिए तैयार हैं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : नहीं, श्रीमान् राम नाईक जी, कृपया समझें। आप सब नियमों को अच्छी तरह जानते हैं। मैंने मंत्री जी से पूछा है कि उन्होंने उत्तर पूरा दे दिया है या नहीं। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने अपना उत्तर पूरा दे दिया है। अब इस विषय पर और किसी चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब हम विषय सं. 19 'अनुपूरक मांगों (रेल) पर विचार' पर पहुंच गए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सरपोतदार जी, आप बैठिए प्लीज।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमें यह नहीं भूलना चाहिए...**(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, मंत्री जी ने इस विषय पर पहले ही एक विधेयक प्रस्तुत किया...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, संबद्ध मंत्री उत्तर देने के लिए तैयार हैं...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : नहीं, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप सब इकट्ठे होकर बोलेंगे तो कुछ भी सुना नहीं जा सकेगा। आप अपनी जगह पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : एक ही निर्णय लें। मैं समझ रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : थोड़ा इन्तजार करें। यदि आप श्री राम नाईक के प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो मंत्री जी वह काम कर देंगे और किसी प्रश्न की आज्ञा नहीं दी जाएगी।

मैं आप सबको एक साथ अनुमति नहीं दे सकता। मैं उसकी भी अनुमति नहीं दे रहा। नियमों के अन्तर्गत इसकी आज्ञा नहीं दी जा सकती। चूंकि आप सब पूछ रहे हैं तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे श्री राम नाईक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय सदस्य राम नाईक ने शुगर एक्सपोर्ट प्रमोशन रिपील एक्ट के संबंध में चिंता जाहिर की है, उस एक्ट को हम कल ही आपकी अनुमति से विचारार्थ ला रहे हैं। उसमें राम नाईक व अन्य किसी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं होगी। इस देश में अभी तक केवल एक ही कम्पनी के जरिए निर्यात होता था, मैं इस मोनोपोली को खत्म करके सब लोगों को छूट दे रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या-19 अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, आज 6.30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बुलाई गई आई.पी.जी. की बैठक में हमें सम्मिलित होना है। क्या एक ही समय पर दोनों कार्य हो सकते हैं—सदन की बैठक भी और वह आयोजित बैठक भी—हम उस बैठक में कैसे शामिल होंगे।...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा सुझाव यह है कि हम इसे जारी रखें। जो लोग वहां जाना चाहते हैं वे चले जाएं। चूंकि ऐसे बहुत से सदस्य हैं जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, जो सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं यहीं रहें। मेरा सुझाव यह है कि चर्चा जारी रहे।...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं इस विचार से सहमत हूं... **(व्यवधान)**

श्री राजीव प्रताप रुडी (छपरा) : प्रतिदिन यह कार्य अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। कार्यसूची के लिए यह तीसरा दिन था और आज फिर इस पर कुछ नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस विषय पर कार्य कब निपटाया जाएगा।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सदन में इस पर विचार होगा परन्तु हमें अन्य कार्य भी निपटाने हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रुडी : पिछले तीन दिनों से यह कार्य सूची में है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हमें कार्यसूची का अनुसरण करना होता है। आपका आश्वासन दिया गया है कि सभा इस पर चर्चा करेगी और इससे आपको संतुष्ट होना चाहिए...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा कहना है कि यह मुद्दा अर्थात् अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) को आज ही पूरा किया जाना चाहिए और तत्पश्चात् अन्य कोई कार्य न लिया जाए...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : यह कितने बजे तक चलेगा। कल भी बैठ सकते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : राज्य सभा में भी जाना है। अगर आज बैठ कर रेलवे पास नहीं होगा तो कल राज्य सभा में नहीं जा पायेगा।

श्री नीतीश कुमार : परसों भी जा सकता है।

श्री श्रीकान्त जेना : परसों शुक्रवार है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कार्य मंत्रणा समिति में हुई कतिपय चर्चा के अनुसार हमें कार्य करना होता है। कल भी हमने कतिपय मुद्दों को स्थगित किया था जो कि अति महत्वपूर्ण थे। ये मात्र सरकार के हित की ही बात नहीं है और ये वे मुद्दे हैं जो सभा के हित में भी हैं। अतः मैं आप सभी से सहयोग का अनुरोध करता है। मेरे विचार से इस मुद्दा को समाप्त करने के पश्चात कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को पूरा करना है और इन मुद्दों को राज्य सभा में भी जाना है। अतः आप सभी से मुझे सहयोग की आशा है।

अब, मैं श्री वी. धनन्जय कुमार से अनुरोध करता हूं कि वह अनुदानों की मांगें (रेल) पर अपनी चर्चा जारी रखें।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 1996-97—जारी

[अनुवाद]

श्री वी. धनंजय कुमार : सभापति महोदय, मैं मंगलौर और हसन के बीच चल रहे एक आमान परिवर्तन कार्य का उल्लेख कर रहा था। कुल अनुमानित लागत 185 करोड़ रुपए है जिसमें से 17 करोड़ रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं और माननीय रेल मंत्री ने 1996-97 के रेल बजट में इस कार्य को पूरा करने हेतु 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री को एक सुझाव देना चाहूंगा कि मद संख्या 3 अर्थात् हसन से श्रावणबेलगोला होते हुए बंगलौर तक नई रेल लाइन बनाने के प्रस्ताव को उचित ठहराने हेतु यदि मंगलौर और हसन के बीच चल रहे कार्य में तेजी लाई जाती तो वह इस नए कार्य को लेने के प्रयास को उचित ठहरा सकते थे।

महोदय, मैं माननीय मंत्री की जानकारी में यह बात भी लाना चाहूंगा कि मंगलौर बन्दरगाह वाला शहर है। इसका तेजी से विकास हो रहा है और इसे बंगलौर से सीधे जोड़े जाने की आवश्यकता है तथा जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इसे पूर्वी तट अर्थात् चेन्नई से भी जोड़े जाने की आवश्यकता है। इसलिए, यदि मंगलौर और हसन के बीच चल रहे आमान परिवर्तन के कार्य में तेजी लाई जाने के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है तो इससे उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। इस समय, मंगलौर और बंगलौर के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को पिछले 4 महीनों से रद्द कर दिया गया है। अनेक दैनिक यात्री विशेषरूप से दिहाड़ी और मासिक मजदूर दक्षिण कन्नड़ जिले में सुब्रह्मण्यम रोड से मंगलौर तथा वापस अपने घर जाने में परेशानी का सामना कर रहे हैं। जबकि मंगलौर-हसन मार्ग पर मंगलौर और सुब्रह्मण्यम रोड की दूरी मात्र 90 कि.मी. है। मैं समझता हूं कि मंगलौर और सुब्रह्मण्यम रोड के बीच आमान परिवर्तन पर मात्र 54 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। आपने बजट में 30 करोड़ रुपए पहले ही रखा है। इसलिए यदि आप 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान कर दें और एक लक्ष्य निर्धारित कर दें कि मंगलौर हसन रेल सेक्शन पर आमान परिवर्तन कार्य 31 मार्च, 1997 अर्थात् 1996-97 के बजटीय वर्ष में पूरा कर लिया जाये। इससे दैनिक यात्रियों को मंगलोर और सुब्रह्मण्यम रोड के बीच एक रेलगाड़ी मिल जाएगी।

महोदय, मैंने रेल मंत्री से इस मामले में लिखित अनुरोध किया है और मुझे आशा है कि वह इस प्रस्ताव को सहर्ष मान लेंगे क्योंकि इसके लिए संसद की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कार्य पहले से ही चल रहा है। जैसा कि आपने पूरक मांगों में कहीं उल्लेख किया है कि पहले दिए गए अनुदानों में से पुनर्विनियोग संभव है। इसलिए यह अत्यावश्यक कार्य है और इससे हसन से श्रावणबेलगोला होते हुए बंगलोर तक के सेक्शन में नया कार्य करने के प्रयास को उचित ठहराया जा सकता है।

पुनः, मैं माननीय मंत्री को 164 कि.मी. लम्बी हुबली-अंकोला नई रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू करने हेतु बधाई देता हूं। इससे धारवाड़ जिला और गड़वाड़ जिला तट के पीछे के प्रदेश का समग्र विकास हो सकेगा। महोदय, कोंकण रेल परियोजना पूरा हो जाने पर हुबली और अंकोला के बीच नई रेल लाइन बिछाये जाने से विकास में तीव्रता आएगी। इससे लौह अयस्क लाने-ले जाने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही अंकोला को पत्तन शहर के रूप में भी विकसित किया जा सकेगा जिससे कि तट के पीछे के क्षेत्रों के विकास में तेजी लाई जा सके। अतः इस नई परियोजना, अर्थात् हुबली-अंकोला नई रेल लाईन, शुरू किए जाने का हम पूरा समर्थन करते हैं।

मद् संख्या 10 में माननीय मंत्री ने मंगलोर रेलवे स्टेशन पर एक अतिरिक्त टर्मिनल सुविधा उपलब्ध कराये जाने की बात कही है। इसकी अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि कोंकण रेलवे चालू हो जाने के बाद कन्याकुमारी से मुम्बई तक सीधा सम्पर्क स्थापित हो जाएगा। इसके फलस्वरूप मंगलोर से टर्मिनल व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और यह बीच का एक स्टेशन बनकर रह जाएगा। यदि हम कन्याकुमारी से मुम्बई तक को कोंकण रेलवे का एक अंग के रूप में विचार करते हैं तो कोंकण रेलवे का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन होगा। जैसाकि माननीय मंत्री जानते हैं, कोंकण रेलवे निगम में केरल राज्य का भी सक्रिय भागीदारी है।

कोंकण रेलवे निगम के गठन में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों ने सक्रिय रूप से सहयोग किया। उन राज्यों ने कोंकण रेलवे निगम की इक्विटी में अपने अंशदान पहले ही दिये हैं।

अब, मंगलोर, जो कि इस रेल मार्ग पर बीच का एक स्टेशन बन गया, का महत्व काफी बढ़ गया है। इसी कारणवश अनुपूरक अनुदानों की मांगों में एक अतिरिक्त टर्मिनल सुविधा का प्रावधान करने का सुझाव दिया गया है।

मैं माननीय मंत्री से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। कोंकण रेलवे आरम्भ हो जाने तथा मंगलोर-हसन और हसन-मंगलोर का महत्व काफी बढ़ गया है अतः इसे रेलवे का जिला मुख्यालय घोषित किया जाना चाहिए।

अब मंगलोर पालघाट डिविजन के अंतर्गत है और पालघाट डिविजन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत आता है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। मंगलोर कर्नाटक का एक भाग है और कर्नाटक राज्य का यह एकमात्र पत्तन शहर है। अब, एक नई दक्षिण-मध्य रेलवे क्षेत्र की स्वीकृति के पश्चात् मंगलोर को उस क्षेत्र में शामिल करना होगा। इस कारण मंगलोर को पालघाट डिविजन से अलग कर उसे रेलवे का एक पूर्ण डिविजन मुख्यालय बनाना चाहिए। मेरा यह विनम्र निवेदन है और कृपया इसकी जांच की जानी चाहिए। माननीय रेल मंत्री से मेरा यही कहना है कि इसके लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री इसकी जांच करा सकते हैं ताकि रेलवे द्वारा अधिक राजस्व प्राप्त करने के अतिरिक्त यात्रियों को भी अधिक रेल सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।

एक अन्य सुझाव भी वास्तव में स्वागत योग्य है। अब, मैसूर-बंगलोर सेक्टर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। आमान-परिवर्तन का कार्य पूरा हो चुका है और इस मार्ग पर द्रुतगामी रेलगाड़ी शुरू हो गई है। रामनगरम और चढनापट्टनम में सड़क पर उपरिपुल के निर्माण का प्रावधान किया गया है जिससे कि सड़कों पर यातायात की आवाजाही को कायम रखा जाए और भीड़ को कम किया जा सके। ये वास्तव में स्वागत योग्य सुझाव हैं।

सुझावों के अंत में एक सुझाव हुबली में एक डीजल लोको शेड के निर्माण का प्रावधान करना था। हुबली में एक माल डिब्बा निर्माण कारखाना स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। इससे उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र के लोगों का असंतोष कम हो सकेगा जो काफी समय से हुबली में एक क्षेत्रीय मुख्यालय के गठन की मांग कर रहे थे।

ये समस्त उपाय स्वागत योग्य उपाय हैं। मैं माननीय रेल मंत्री को बतलाना चाहूंगा कि इससे रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी तथा इससे यातायात तथा माल ढुलाई दोनों बेहतर होंगे।

अतः इन शब्दों के साथ ही मैं तहेदिल से माननीय रेल मंत्री की इन महत्वपूर्ण सुझावों के लिए बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि यह सभा निश्चित रूप से माननीय रेल मंत्री को मात्र प्रस्ताव के लिए ही नहीं अपितु अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें पूरा करने के लिए पूरा समर्थन देगी।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।...**(व्यवधान)** मैं अच्छे कार्यों के लिए सदा अपना समर्थन देता रहूंगा।

सभापति महोदय : इसकी सराहना की जानी चाहिए।

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका (नेल्लोर) : सभापति महोदय, वर्ष 1996-97 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

यद्यपि माननीय रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान ने वर्ष 1996-97 के लिए 170.02 करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की है जिसमें अधिकतर राशि बिना बारी के कार्यों के लिए है। इसमें देखा जा सकता है कि मुख्य रेलवे बजट और वर्ष 1996-97 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों में आंध्र प्रदेश की पूर्ण रूप से उपेक्षित किया गया है।

यद्यपि, दक्षिण मध्य रेलवे छः राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भागों, में इसकी सेवा उपलब्ध है परन्तु आंध्र प्रदेश, एक महत्वपूर्ण राज्य होते हुए भी, उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों से ऐसा प्रतीत होता है कि हुबली में एक डीजल लोको शेड का निर्माण और माल डिब्बा निर्माण कारखाना स्थापित करने का प्रावधान राजनीतिक उठाने के उद्देश्य से प्रेरित है।

मेरा दूसरा मुद्दा वित्रगुंटा स्थित माप लोको शेड की एक इलेक्ट्रिक लोको शेड अथवा एक यात्री डिब्बा/माल डिब्बा मरम्मत कार्यशाला में परिवर्तित करने से संबंधित है। जैसाकि माननीय सदस्य अवगत हैं, दक्षिण मध्य रेलवे में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में वित्रगुंटा रेलवे स्टेशन भाप रेलगाड़ियों के दिनों में, छोटा इंगलैण्ड' के रूप में जाना' जाता था। यह एक मुख्य रेलवे शहर है जो कि आध्र प्रदेश में चेन्नई-विजयवाड़ा मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है और जहां एक वृहत भाप लोको शेड और यार्ड है और जहां रेलवे के हजारों कर्मचारी रहते हैं। किंतु वहीं 1,000 एकड़ रेलवे भूमि बिना किसी खास उपभोग के बेकार पड़ी है। बंद होने के पश्चात यह बड़ी लोको शेड यूं ही बेकार पड़ी है। कहीं और भारी निवेश कर एक नया माल डिब्बा कार्यशाला डीजल शेड स्थापित करने के बदले इसे इलेक्ट्रिक लोको शेड या एक माल डिब्बा मरम्मत निर्माण कार्यशाला आदि में बदलकर लाभकारी बनाया जा सकता है। सरकारी खजाने में इससे भारी नुकसान होगा। अब भी, माननीय रेल मंत्री वित्रगुंटा स्थित विद्यमान भाप लोको शेड में मामूली परिवर्तन कर इसे एक इलेक्ट्रिक लोको शेड/रखरखाव शेड या एक माल डिब्बा/यात्री डिब्बा मरम्मत कार्यशाला या निर्माण एकक का एक अंग के रूप में बदलने पर विचार कर सकते हैं। ऐसा करके चेन्नई और विजयवाड़ा दोनों जगहों पर अतिभार रखरखाव संबधी गतिविधियां कम की जा सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप पिछड़े क्षेत्रों का भी विकास होगा और रेलवे परिसम्पत्तियों का भी पूरा उपयोग किया जा सकेगा।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहती हूं वह ई.एम.यू. के विस्तार से संबंधित है। नेल्लोर एक जिला मुख्यालय है जिसकी जनसंख्या 25 लाख है। नेल्लोर रेलवे स्टेशन चेन्नई से, चेन्नई-विजयवाड़ा सेक्शन पर 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अनेक दैनिक यात्री, यात्रियों, विद्यार्थियों और व्यापार से जुड़े लोग प्रतिदिन अपने कार्य के संबंध में चेन्नई जाते हैं। इस समय अनेक दैनिक यात्री उपयुक्त रेल सुविधा के अभाव में सड़क परिवहन का उपयोग करते हैं। यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए मैं विगत छः महीनों से माननीय रेल मंत्री से यह अनुरोध कर रही हूं कि ई.एम.यू. सेवा को सुलूरुपेट से नेल्लोर तक बढ़ाया जाए। रेल मंत्री द्वारा अनेकों बार आश्वासन देने के बावजूद उसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया। मैंने उनसे यह भी अनुरोध की थी कि यदि उन्हें ई.एम.यू. सेवा शीघ्र शुरू करने में कोई कठिनाई है तो नेल्लोर से चेन्नई के बीच मेन लाईन डीजल मल्टीपल यूनिट (एम. डी.एम.यू.) प्रारम्भ की जा सकती है जैसाकि दक्षिण-मध्य रेलवे में अनेक जगहों पर किया गया है।

मैं एक बार पुनः माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करती हूं कि इस मांग पर विचार करें और 1 जनवरी, 1997 से इसे चालू किए जाने की घोषणा करें।

मेरा दूसरा मुद्दा नेल्लोर/वित्रगुंटा में एक नया डिविजन, जिसे डिविजनल रेलवे मुख्यालय के नाम से जाना जाएगा, का निर्माण करने से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, महोदय नेल्लोर जिला कृषि और रेल गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य ट्रंक मार्ग चेन्नई और विजयवाड़ा के बीच स्थित है। नेल्लोर रेलवे स्टेशन के अतिरिक्त इस जिला में दो मुख्य स्टेशन वित्रगुंटा और गुडूर है। वित्रगुंटा रेलवे गतिविधियों से युक्त एक रेलवे शहर है। इसी तरह, गुडूर एक रेलवे जंक्शन है जहां से एक रेल मार्ग चेन्नई की ओर जाता है तथा दूसरा त्रिरुपति की ओर। नेल्लोर भी चेन्नई और विजयवाड़ा के बीच केन्द्रीकृत है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए यह

अतिआवश्यक है कि प्रशासनिक और परिचालन की दृष्टि से एक नया डिवीजन बनाया जाए जिसका डिवीजन मुख्यालय बित्रगुंटा या नेल्लोर में होगा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित स्रोत वहां उपलब्ध हैं:—

— वित्रगुंटा में 1000 एकड़ की रेलवे भूमि;

— वित्रगुंटा में एक बड़ा लोकोशेड, कर्मचारी आवास, यार्ड और अन्य सुविधायें;

— पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना;

— केन्द्रीकृत होने के कारण आपात स्थिति आदि में कार्य संभालना;

— बिना किसी अतिरिक्त निवेश के विद्यमान रेलवे परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग;

— नये प्रस्तावित डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में ब्रिज-गुडूर-वित्रगुंटा-गुंटूर-नाडीकूडि सेक्शन्स, गुडूर-रेणगुंटा-आर्कोनम सेक्शन और रेणगुंटा-राजम सेक्शन आता है। उपयुक्त प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित रेल मार्ग के भीतरी भाग को भी भविष्य में शामिल किया जा सकता है।

इन लाभों को देखते हुए माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि वह एक नया डिवीजन बनाने पर विचार करें जिसका मुख्यालय नेल्लोर या वित्रगुंटा हो।

मेरा दूसरा मुद्दा नाडीकूडि और वेंकटागिरि के बीच भीतरी रेल मार्ग बिछाये जाने से संबंधित है। जैसा कि इस सभा के माननीय सदस्यगण अवगत हैं रेल मंत्री ने छः और रेलवे जोन बनाये हैं और आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में नई रेल लाईन बिछाने की बात कही है। प्रकाशम और नेल्लोर जिले, जो कि मुख्य रेल मार्ग का वैकल्पिक भीतरी रेल मार्ग है, के कानिगिरि, अतमालुर, राजुर को जोड़ते हुए नाडीकूडि से वेंकटागिरि के बीच एक नई रेल मार्ग बिछाये जाने की मांग काफी पहले से की जाती रही है। नेल्लोर और प्रकाशम जिला प्रत्येक वर्ष अक्तूबर और दिसम्बर के बीच तूफान और बाढ़ से ग्रस्त रहता है। इस अवधि के दौरान पूरा रेल यातायात अस्त-व्यस्त हो जाता है जिससे यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और रेलवे के राजस्व को भी काफी हानि उठानी पड़ती है। अतः दक्षिण-मध्य रेलवे के नाडिकूडि और वेंकटगिरि के बीच एक नई रेल लाईन बिछाये जाने की स्वीकृति देने हेतु रेल मंत्रालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री-जो इस समय यहां उपस्थित नहीं है, परन्तु राज्य मंत्री जी हैं-को अनुपूरक अनुदानों की मांगें पेश करने पर बधाई देना चाहता हूं। मैं 19 पृष्ठों के इस दस्तावेज का बड़ी बारीकी से अवलोकन कर रहा था कि क्या इन 19 पृष्ठों में महाराष्ट्र राज्य का कहीं जिक्र है या नहीं। परन्तु मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है अधिकांश परियोजनायें जिनपर पिछले काफी सालों से राज्य में बहस हो रही थी, मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया है। मैं आशा करता हूं दूसरी अनुपूरक मांगों या संभवतः हस्तक्षेप के दौरान मंत्री जी कुछ परियोजनाओं को शामिल किए जाने के संबंध में कोई अच्छी खबर देंगे।

सबसे पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना से बात आरम्भ करना चाहूंगा और देश के चार राज्यों को लाभ पहुंचाने वाली एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना को कार्यरूप देने के लिए न केवल रेल मंत्री बल्कि रेल मंत्रालय और कोंकण रेलवे निगम को भी बधाई देना चाहता हूं। जब इस कोंकण रेलवे परियोजना के बारे में विचार किया गया था तब किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह कभी शुरू भी किया जाएगा। परन्तु न केवल यह शुरू हुआ बल्कि रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों के बावजूद बहुत ही कम समय में पूरा हुआ। मैं उन सभी व्यक्तियों को बधाई देना चाहता हूं जिनके सहयोग से यह कार्य हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें कम से कम वर्तमान सभापति श्री श्रीधरण सहित उन पांच-दस व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए जिनके सहयोग से यह अद्भुत कार्य पूरा हो सका। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में जो वास्तव में अच्छा कार्य करते हैं। हम उन सभी व्यक्तियों को भी सम्मानित करते हैं।

महोदय, मैं कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहता हूं जिनके बारे में मेरा विश्वास है कि उनका माननीय मंत्री जी उल्लेख करेंगे। पहली बात तो यह है कि इस परियोजना को केवल रेल परियोजना ही नहीं माना गया है। यह एक सामाजिक-आर्थिक परियोजना है। इसीलिए लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया। मेरे माननीय मित्र, श्री जॉर्ज फर्नान्डीज, जिन्होंने इस परियोजना को सक्रिय रूप से कार्यरूप दिया, मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह केवल रेल परियोजना नहीं बल्कि एक सामाजिक आर्थिक महत्व की परियोजना है। जिन स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन, जिस पर वे खेती किया करते थे, दान या उपहार में दे दी है यदि उन लोगों को रेलवे परियोजना के अंतर्गत कार्य नहीं मिल रहा है तो मैं समझता हूं कि जिस प्रयोजन से यह परियोजना शुरू की गयी थी वह पूरी नहीं हो पायेगी।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कोंकण रेलवे बोर्ड के लिए एक अलग भर्ती बोर्ड की स्थापना की जाये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि केवल स्थानीय लोगों को ही नौकरियां मिलें। अन्यथा रेलवे एक ऐसी जमीन पर अतिक्रमण करेगी जो उन्होंने दान में दी थी और वे लोग न केवल बेकार बल्कि भूमिहीन भी हो जाएंगे। महोदय, जिन्होंने भूमि दान में या उपहार में दी है-मैं "दान" और "उपहार" शब्दों का जान बूझकर प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि उन्हें जो कीमत दी गयी है वह वास्तव में बहुत कम थी-उन्हें इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि कम कीमत दी गयी। परन्तु जमीन का मुआवजा उन्हें अभी तक नहीं मिला है। मेरा अनुरोध है कि हमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी मामले जल्दी से निपटाने की कोशिश करनी चाहिए।

अब मैं उन नामों का जिक्र करना चाहूंगा जिनपर विभिन्न रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। अगर आपको स्थानीय भावनाओं की कद्र करनी है तो आपको स्थानीय लोगों की मर्यादा को समझना चाहिए और स्टेशनों का नाम सही ढंग से रखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यह बात उन लोगों के दिमाग में बिठाना चाहता हूं जो इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूं कि स्वर्गीय श्री ए.बी. वलावलकर जी जिन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था और जिनकी यह मूल कल्पना थी, उनके नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए क्योंकि अगर हम उनके नाम का उल्लेख नहीं करते तो हमारे ऊपर सही व्यक्तियों के नाम भूल जाने का आरोप लगेगा जिन्होंने वास्तव में इस विचार पर कार्य शुरू किया था।

दूसरी बात यह है कि रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न दुकानें लगाई जायेंगी। विभिन्न तरह के कार्य किये जायेंगे मैं समझता हूं कि यदि हम स्थानीय लोगों को इसमें शामिल नहीं करते हैं तो संभवतः इससे हम आने वाले समय में सामाजिक-आर्थिक तनाव ही पैदा करेंगे।

दादर रेलवे स्टेशन, जहां से गाड़ी आरम्भ होगी, का भी उल्लेख होना चाहिए। वास्तव में यह वहां से आरम्भ नहीं होती है, यह कुर्ला से चली है। सभी व्यक्ति जो वास्तव में कोंकण से मुम्बई शहर में आते हैं उन्हें दादर आना पड़ता है न कि कुर्ला शहर के बीच में स्थित है। मुझे यह बताया गया था कि केन्द्रीय रेलवे और कोंकण रेलवे निगम के बीच झगड़ा हो गया था जिसके कारण इसको दादर रेलवे स्टेशन तक नहीं लाया जा सका। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही हैरानी की बात है कि पूरा हो जाने के बाद भी ऐसी राष्ट्रीय परियोजना यद्यपि विभिन्न पहाड़ों और नदियों से गुजर सकती है लेकिन मुम्बई शहर से होकर नहीं जा सकती है। इस संबंध में सरकार की नीति यह रही है कि देश की राजधानी और विभिन्न राज्यों की राजधानियों के बीच सम्पर्क स्थापित हो सके। यह कोंकण रेलवे गोवा के पास से गुजरती है न कि बीच से मेरा अनुरोध है कि राजधानी एक्सप्रेस को सावंतवादी, जो महाराष्ट्र के किनारे पर स्थित है और गोवा को छूता है और दिल्ली के बीच चलाया जाये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे देश के लोग वास्तविक, प्राकृतिक सुन्दरता का रस लेने के लिए कोंकण जैसे सुन्दर स्थान में जा सकें।

ऐसी कई जगहें हैं जहां से कोंकण रेलवे गुजरती है। उदाहरण के लिए, कई स्कूलों के भवन और सड़कें खराब पड़ी हैं लेकिन वायदा यह किया गया था कि रेलवे अपना कार्य पूरा होने के बाद इसे ठीक करवा देगी। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को पूरी तरह से शुरू करने और इसे चलाए जाने के लिए प्राधिकारियों को सौंपे जाने से पूर्व वे यह सुनिश्चित करें कि ये वायदे और आश्वासन पूरे किये जायें और कमियां दूर की जायें।

दूसरा मामला मुम्बई उपनगरीय रेलवे के संबंध में है। यही समय है जब रेलवे अधिकारियों को मुम्बई रेलवे उपनगरीय सेवा से प्राप्त होने वाली आय का उल्लेख श्वेत पत्र के माध्यम से करना चाहिए। इस क्षेत्र से राज्य में सबसे ज्यादा आय होती है। यह रेलवे सेवाओं का एक ऐसा हिस्सा है जो रेलवे प्राधिकारियों को धन देता है और राजस्व लेने की बजाय राजस्व पैदा करता है। मुम्बई उपनगरीय रेलवे सेवा राजकोष में लेने से कहीं अधिक देती है। मैं समझता हूं कि कहीं इसी वजह से तो उन्हें वे सभी आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल रहीं हैं जिसकी वे मांग कर रहे हैं। यह वास्तव में उनके साथ अन्याय होगा। मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि हम एक बड़े ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं। पचास से साठ लाख लोग ऐसे हैं जो इस उपनगरीय सेवा से यात्रा करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कहीं न कहीं दुर्घटना होने की उपनगरीय सेवा में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए और इस सेवा से हमें जो अतिरिक्त राशि मिलती है कम से कम उसे तत्काल अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए तुरन्त उपयोग किया जाना चाहिए।

अन्य मुद्दा जिस पर काफी समय तक बहस होती रही है वह रेलवे में कार्य कर रहे अस्थाई और देहाड़ी मजदूरों की दुर्दशा के बारे में है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि रेलवे जैसा बड़ा संगठन उन हजारों लोगों की सेवाओं की व्यवस्था और नियमन नहीं कर पा रहा है जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जिसका हम श्रेय लेते हैं। हमने देश के दुर्गम क्षेत्रों में भी रेल लाइनें बिछाई हैं। हम चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान करते रहे हैं। हम इतने सारे लोगों को यात्रा कराते हैं। हम प्रति वर्ष कितने ही टन सामान लाते-ले जाते हैं। ये सभी बातें इसीलिए संभव हो सकीं हैं क्योंकि इन लोगों ने परिश्रम किया है परन्तु उन्हें उनकी सेवाओं का फल नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूं कि संयुक्त मोर्चा सरकार मजदूरों को पूरा-पूरा न्याय दिलाने का आश्वासन देकर सत्ता में आई है। मेरा विश्वास है कि उनके कार्यकाल के दौरान रेल मंत्री या माननीय रेल राज्य मंत्री निश्चित रूप से सरकार को आश्वासन देंगे कि उनकी सेवाओं को जल्दी ही नियमित किया जाएगा।

महोदय, एक और बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा एक सुझाव है। कोंकण रेलवे निगम का इसी विशेष उद्देश्य के लिए गठन किया गया था। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी विशेष परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए एक निगम का गठन किया गया था। विभिन्न इंजीनियरों को अलग-अलग संकायों से लिया गया है। उनमें से कई रेलवे के लिए कार्य कर रहे थे और कइयों ने इससे पहले कभी रेलवे के लिए कार्य नहीं किया। अतः जिस संस्थान का अभी गठन किया गया और जहां अभी परियोजना शुरू हुई है, को बंद नहीं किया जाना चाहिए। हमें उपलब्ध जनशक्ति, प्रौद्योगिकी और प्रणालियों जैसी अधारभूत संरचनाओं का भरपूर उपयोग करना चाहिए और न केवल भारत के इस भाग में बल्कि देश के अन्य भागों में भी कार्य शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए जहां रेलवे नहीं पहुंच सकी है और कुछ शुल्क लेकर टर्नकी बेसिस पर कार्य कर सके तथा देश के बाहर कार्य करके देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर सके। हमें इस संगठन को इसलिए खत्म नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे यह बताया गया है कि इनमें से कई लोगों को सूचनाएं जारी की गई हैं कि इस परियोजना के समाप्त होने पर उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए, मैं समझता हूं कि सरकार इस संबंध में सावधानी बरतेगी।

महोदय, अन्य दो बातें जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वे मेरे लिए इतने आवश्यक नहीं कि मैं उनका उल्लेख करूं परन्तु वे महत्वपूर्ण हैं। ये सफाई और सुरक्षा के संबंध में हैं जोकि रेलवे का एक अभियान भी रहा है और अब तो यह केवल अभियान ही बनकर रह गया है। मैं समझता हूं कि वर्ष के दौरान इनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा और यह केवल एक अभियान ही नहीं रह जाएगा।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि रेलवे स्टेशनों के आसपास की जमीन का उपयोग करने और रेलवे का विस्तार करने के लिए कुछ धन अर्जित करने का एक प्रस्ताव था। मुम्बई शहर और देश के अन्य भागों में हम रेल सेवाओं के विकास के लिए अप्रयुक्त परिसम्पत्तियों का उपयोग कर सके।

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : माननीय सभापति महोदय, मैं रेलवे की अनुदान की पूरक मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, इस पूरक मांग को देखने से यह पता लगता है कि इसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री गुलाम रसूल कार (बारामूला) : सभापति महोदय, कैबिनेट मंत्री यहां नहीं बैठे हुए हैं, वह कहां हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ को बताया गया है कि मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। रेल राज्य मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। कृपया तंग न करें।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : मंत्री जी की जो भावना रही है वह पिछड़े क्षेत्रों का अधिक से अधिक विकास करने की रही है। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए यह भी इच्छा व्यक्त करता हूं कि रेलवे बजट में जो 75 प्रतिशत राशि पहले सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती थी, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में यह राशि 75 प्रतिशत ही थी लेकिन अब वह 15 प्रतिशत रह गई है। अतः इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि रेलवे का विकास हो सके, छोटे और पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो सके। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर ले जाना चाहता हूं।

हमने कहा था कि गया से पटना बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जिसके लिए न तो बजट में व्यवस्था की गई थी और न अनुपूरक मांगों में उसका जिक्र आया है। गया एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। गया और बोधगया में विभिन्न देशों से लोग आते जाते हैं। गया से पटना तक जो रेलवे लाइन जाती है यद्यपि उसका शिलान्यास हो चुका है लेकिन अभी तक वह इकहरी है। पटना से केवल परसा बाजार तक, जो पटना में ही है, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया था और हम उम्मीद करते थे इसे शीघ्र पटना से गया तक दोहरा कर दिया जाएगा, उसके लिए अनुपूरक मांगों में प्रावधान रखा जाएगा लेकिन आज हम देखते हैं कि इन मांगों में भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिसका मुझे खेद है।

इसके साथ साथ, यद्यपि रेल मंत्री जी सदन में नहीं है, राज्य मंत्री जी मौजूद हैं, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान होने के कारण गया का बहुत महत्व है क्योंकि वहां पिंडदान होता है। इसके अलावा बोधगया बौद्धों का तीर्थस्थल है जहां बड़ी संख्या में देश-विदेश के लोग आते-जाते हैं परन्तु अभी तक गया से कोई ट्रेन चलाने की व्यवस्था नहीं है। हमने मांग की थी कि गया से दिल्ली और गया से कलकत्ता तक नई रेलगाड़ियां चलाई जाएं ताकि यात्रियों को वहां आने-जाने में सहूलियत हो सके।

अब मैं रेल मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जो बहुत पिछड़ा और उग्रवाद से प्रभावित दलित-बाहुल्य इलाका है। वहां उग्रवाद जोरों से बढ़ रहा है। मैंने कहा था कि गया से चलकर जो गाड़ी देहरी-ओन-सोन आती है, वह 10 घंटे तक वहीं रूकी रहती है, यदि उसे आगे गढ़वा तक बढ़ा दिया जाए, गढ़वा तक वह गाड़ी जाने लगे तो उस पिछड़े इलाके के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा हो जाएगी। वहां 24 घंटे में मात्र केवल एक पैसेंजर गाड़ी चलती है। इसके बढ़ाने से वहां के लोगों को एक अतिरिक्त गाड़ी मिल जाएगी। डेहरी आन से गया की दूरी मात्र दो घंटे में तय की जा सकती है-दो घंटा जाने में और दो घंटा आने में- कुल मिलाकर 4 घंटे में वह गंतव्य तक जाकर वापस आ सकती है, मैं जानता हूं कि बड़वाडीह लाइन ग्रांड-ट्रंक लाइन की तरह व्यस्त लाइन नहीं है लेकिन इस गाड़ी को आगे बढ़ाने से कोई डिफिकल्टी होने वाली नहीं है।

मैंने अपने क्षेत्र की कई समस्याओं की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था और मुझे आशा है कि आने वाले बजट में या उन्हीं अनुपूरक मांगों में, औरंगाबाद जिले को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके लिए हमने रफीगंज से गढ़वा तक नई रेल लाइन बनाने की मांग की थी। उसे सर्वे में जोड़ने की बात मंत्री जी ने मानी थी लेकिन अभी तक उसे सर्वे में भी नहीं जोड़ा गया। मैं आपके माध्यम से पुनः अपनी मांग दोहराता हूं कि औरंगाबाद जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए रफीगंज से गढ़वा तक नई रेल लाइन बिछाई जाए जिससे हमारे पिछड़े इलाके के लोगों को, जो काफी दलित, शोषित और गरीब हैं, लाभ होगा। इन शब्दों के साथ, यद्यपि हमारी मांगें तो बहुत हैं, परन्तु समयाभाव के कारण मैं इन अनुपूरक अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 7.00 बजे

श्री काशीराम राणा (सूरत) : सभापति जी, रेल मंत्री जी हाउस में जो सप्लीमेंट्री बजट लेकर आए हैं मैं इसके लिए उनका स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए करता हूं कि उन्होंने बहुत सारे नए प्रोजैक्ट्स को जैसे तीसरी लाइन को बनाना, यूनीगेज करने जो निर्णय लिया है और उसके मुताबिक नई-नई रेल लाइनें बनाने का जो निर्णय लिया है मान्यवर मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से सप्लीमेंट्री बजट में जो प्रोजैक्ट्स बताए गए हैं उनसे नहीं लगता है कि हमारे रेल मंत्री ने पूरे भारत का बैलेंस्ड विकास करने पर विचार किया है। क्योंकि कई प्रदेश ऐसे हैं जहां कि रेल लाइन की जरूरत है लेकिन उनका कोई विचार नहीं किया गया। जिन प्रदेशों की योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया है, उनके बारे में तो कुछ कहना नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि देश भर में अच्छी प्रकार से संतुलित विकास हो, इसका रेल मंत्रालय और रेल मंत्री ध्यान रखेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।

मान्यवर, जहां तक गुजरात का सवाल है, उसके साथ अब तक रेल मंत्रालय ने बहुत ही अन्याय किया है। कपड़बंज लाइन को ब्राडगेज बनाने के बारे में कई बार अनेक सांसदों ने अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से इस बारे में गुजरात को न्याय देने में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मैं रेल मंत्री जी के ध्यान में सभापति महोदय आपके माध्यम से लाना चाहूंगा कि इस सप्लीमेंट्री बजट में प्रावधान किया गया है सुरेन्द्र नगर-भाव नगर-डोला-ढांसा के लिए गेज कनवर्जन और पीपावाव तक एक्सटेंशन का काम 385 किलोमीटर के एरिया में 337 करोड़ रुपए की कास्ट से किया जाएगा। सप्लीमेंट्री बजट में इसका प्रावधान है। मैं इसके लिए रेल मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। यह एक अच्छी योजना है और एक बहुत लंबे अरसे से गुजरात प्रदेश के सौराष्ट्र भाग की मांग थी, जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर ऐसा गेज कनवर्जन और एक्सटेंशन का प्रावधान किया है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी तो बहुत सारी योजनाएं हैं। इसी सप्लीमेंट्री बजट में ऐसी 20 योजनाएं दर्शाई गई हैं जिनके गेज कनवर्जन और एक्सटेंशन की बात इसमें लिखी है और प्रत्येक के सामने एक-एक लाख रुपए के प्रावधान की बात लिखी है। मैं कहना चाहता हूं कि 337 करोड़ रुपए के काम के लिए सिर्फ एक लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, तो यह काम कैसे, कब तथा कितने वर्षों में जाकर पूरा होगा? मुझे इसका बहुत अनुभव है। इसके बारे में मैंने कई बार बताया भी है कि हमारी एक मोडासा-कपड़बंज लाइन है जो 1984 से बन रही है और अब 12 साल होने के बाद भी पूरी हो सकी है। इसलिए मुझे लगता है कि यदि रेल मंत्रालय ने इन सारी योजनाओं पर विचार किया होता, तो ये अरबों रुपयों की जो योजनाएं हैं उनको इस प्रकार से हम कितने सालों में पूरा कर सकेंगे? क्योंकि सभी मित्र सदस्यों के जो पिछले वर्षों के अनुभव हैं, उनसे ऐसा लगता है कि मंत्री जी जितनी योजनाओं की घोषणा करते हैं, शिलान्यास करते हैं, वहां पत्थर डालते हैं, शिलाएं डालते हैं, लेकिन उनका पता ही नहीं चलता है। पहले इसका पता नहीं चला। कई सालों तक लोग मानते हैं कि हम मूर्ख बनाते हैं। इसलिए सभापति जी, मुझे कहना है कि 337 करोड़ के सामने एक लाख रुपये और वह भी इनेशियल स्टेज में एक हजार रुपये ही है। आगे काम 99 हजार का होगा तो किस प्रकार से कितने समय में सुरेन्द्र नगर, पीपवाव, महुआ के लिए गेज कन्वर्जन और एक्सटेंशन का काम पूरा होगा? गुजरात के लोगों से आप इस प्रकार का मजाक करते हैं तो वह अच्छा नहीं है। कितने समय में यह योजना पूरी होगी। इसका कोई टाईम बाऊंड कार्यक्रम सप्लीमैंट्री बजट में प्रावधान के साथ बताना चाहिए। जो सारी योजनायें संयुक्त मोर्चा ने रखी हैं, रेल मंत्री ने रखी हैं लेकिन लोगों के पास इसका कोई साधन नहीं होगा, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जिससे वे रेल यात्रा अच्छी तरह से कर सकें। इसलिए मान्यवर, मैं रेल मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि यह जो सुरेन्द्र नगर, भावनगर, दोला, डोसा, महुआ, पीपवाव तक एक्सटेंशन का काम है, वह कितने समय में पूरा करेंगे। आप उसे जल्द से जल्द पूरा करें, यही मेरा कहना है।

मैं एक और बात दोहराना चाहता हूं कि तीसरी लाईन के लिए भी तीन-चार योजनायें सप्लीमैंट्री बजट में बताई गयी हैं। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि किस प्रकार से यह लाइन सलैक्शन होता है। जहां किया है वहां मुझे आनन्द है लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। किस क्राइटेरिया से यह सब सलैक्शन होता है क्योंकि आज अहमदाबाद से बम्बई तक बहुत भारी रेल ट्रैफिक है। वहां पर दो ट्रैक है। तीसरा ट्रैक बनाने के लिए रेल मंत्रालय को निर्णय करना चाहिए था लेकिन अभी तक निर्णय नहीं किया गया। इसके लिए हमने बार-बार कहा कि हमें गाड़ियां चलानी हैं, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, पैसेंजर बढ़ गये हैं, कम्प्यूटर्स बढ़ गये हैं तो हमें हर बार यही जवाब मिलता है कि देखिये अभी वहां ट्रेन मूवमैंट के लिए कोई जगह नहीं है। ट्रैक के ऊपर कोई जगह नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि तीसरी रेल लाइन के लिए सप्लीमैंट्री बजट में जो योजनायें रखी हैं, जो अहमदाबाद और बम्बई पश्चिमी रेलवे में ज्यादा से ज्यादा रेवन्यू वाला एरिया है, क्षेत्र है, उसमें दो ट्रैक की जगह तीन ट्रैक बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन वह नहीं हुआ। फिर भी सप्लीमैंट्री बजट में क्यों नहीं डाला गया। वैसे संयुक्त मोर्चे की सरकार कहती है कि हम गरीब आदमी, पिछड़े इलाके का बहुत ख्याल करते हैं लेकिन यह जो एरिया बताया है उसमें आदिवासी, बैकवर्ड, शैड्यूल्ड ट्राइब्स का भी एरिया आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अहमदाबाद और बम्बई जहां भारी ट्रैफिक है वहां तीसरी लाइन बहुत जल्दी लगनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। मैं मानता हूं कि शायद रेल मंत्री जी को सप्लीमैंट्री बजट में इसे रखना भूल गये हैं लेकिन जब जवाब दें तो इसकी जो अरजेन्सी है, इम्पोर्टेन्स है, उसको पहचानते हुए, उसको देखते हुए अहमदाबाद और बम्बई के बीच बहुत जल्द तीसरी लाइन डालने के लिए घोषणा करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।

मेरा तीसरा प्वाइंट है। इसमें बहुत सारी डबल लाइन भी डालने की बात की गयी है। हमारे यहां सूरत से भुसावल ताप्ती वेली सिंगल ट्रैक पर चलती है। दक्षिण को जाने वाली गाड़ियां सिंगल ट्रैक से जाती हैं। बहुत सारी ट्रेनें होने की वजह से जो भी ट्रेन चलती है वह इर्रेगुलर चलती हैं जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है जिसकी वजह से हम दो-तीन घंटे आफिस लेट जाते हैं, कारखाने लेट जाते हैं। कहा जाता है कि हमारे पास डबल ट्रैक लगाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसा हमें बार-बार कहा जाता है लेकिन इस सप्लीमैंट्री बजट में भी यह डबल लाइन करने के लिए कोई प्रोवीजन नहीं है।

मुझे याद है, हम सभी सांसद रेल मंत्री जी से मिले थे। उन्होंने कहा था कि डबल लाइन डालने के लिए हम सर्वे करवाएंगे और इस बारे में बहुत जल्द आगे कार्यवाही होगी। ऐसा आश्वासन दिया गया था। बी.जे.पी., कांग्रेस, जनता दल के बहुत सारे सांसद एक साथ गए थे। इस लाइन की बहुत अर्जेंसी है। यदि डबल लाइन नहीं बनाई गई, दूसरा ट्रैक नहीं लगाया गया तो वहां के बैकवर्ड एरिया का कभी भी डैवलपमैंट नहीं होगा। आदिवासी लोगों को रोजगार के लिए आने-जाने की सुविधा नहीं होगी। मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था लेकिन इसमें कहीं भी उसका प्रोवीजन नहीं है। मैंने पूरा सप्लीमैंट्री बजट देखा है। इसलिए मैं मंत्री जी से, खासकर रेल राज्य मंत्री श्री सतपाल जी से कहना चाहता हूं। ये गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उदना से जलगांव जिस डबल लाइन की कई सालों से आवश्यकता है, उसे पूरा करने के लिए वे बहुत जल्द कदम उठाएं। मैं मानता हूं कि वे उसका प्रोवीजन जरूर करवाएंगे।

सप्लीमैंट्री रेलवे बजट को देखने से लगता है कि उसमें पश्चिमी रेलवे के बारे में बहुत कम प्रावधान है। जितना प्रावधान किया गया है, उसे देखने से लगता है कि वैस्टर्न रेलवे में डैवलपमैंट का कोई स्कोप ही नहीं है। वह क्यों नहीं किया गया, मैं यह जानना चाहता हूं। क्या पश्चिमी एरिया में सब डैवलपमैंट हो गया है? इसके बारे में मंत्री जी जरूर खुलासा करें।

जहां तक मेरी कन्सटीट्वेंसी का सवाल है, बजट में प्रावधान तो किया गया है लेकिन कई सालों से जो काम हो रहा था, वह रुक गया है। हमारे एरिया में 451.441 फाटक को वाइडन करने के लिए प्रावधान किया गया है। उसमें एसएमसी ने अपना 50 प्रतिशत शेयर भर दिया है लेकिन फिर भी डेढ़ साल से काम रुका हुआ है। आधा काम ही हुआ है। जब हम उनके चीफ इंजीनियर को कहते हैं तो वे कहते हैं कि अब समय निकल चुका है, इसके लिए अब और ऐस्टीमेट बनाना होगा फिर आगे कार्यवाही होगी। आज सूरत की आबादी 30 लाख की होने जा रही है और उस एरिया में बहुत सारे काममार लोग हैं। इसलिए वहां बहुत ऐक्सीडैंट होते हैं।

मुझे इसी हफ्ते जवाब दिया गया कि 146 जो ओवर ब्रिज बनने जा रहे हैं, उनमें काम करना शुरू दिया है लेकिन स्टेट एजेंसी ने अपना काम पूरा नहीं किया है। मैं शनिवार, इतवार को सूरत गया था तो वहां जाकर देखा। रेल मंत्रालय की ओर से जो कामकाज होना था, वह भी वहां पर नहीं हुआ है। हमारी एसएमसी जो एप्रोच रोड बनाती है, उसने वह कर दिया है लेकिन रेलवे ने जो अपना काम करना था, वह नहीं हुआ है। इस बारे में पार्लियामैंट में लिखित प्रश्न द्वारा जवाब दिया गया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि गलत जवाब देने वाले अधिकारी से पूछिए कि वह काम हुआ है या नहीं। यह हमारे साथ बहुत भारी मजाक है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में छानबीन हो।

जैसा अभी धनंजय कुमार जी ने बताया, वैसे ही हमारे यहां अहमदाबाद में वैस्टर्न रेलवे का हैडक्वार्टर हो, यह बहुत पहले से मांग है। जब हाजीपुर में हैडक्वार्टर हो सकता है तो अहमदाबाद में क्यों नहीं हो सकता। जहां पर गुजरात में 70 परसेंट पश्चिम रेलवे की लाइनें पास होती हैं तो हमारे यहां अहमदाबाद में हैडक्वार्टर क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए वहां पर हैडक्वार्टर होना ही चाहिए।

अपराह्न 7.15 बजे

(श्रीमती रीता वर्मा पीठासीन हुईं)

जो जैन्युइन मांग है, आप एक बार एग्जामिन करा लीजिए कि इस मांग में कुछ तथ्य है कि नहीं तो बिल्कुल तथ्य होगा, बिल्कुल वायबल होगा और इसीलिए मेरी मांग है कि अहमदाबाद में हैडक्वार्टर होना ही चाहिए।

एक बड़ी दुख की बात है। सतपाल महाराजजी, मैं जब-जब ट्रेन में आता-जाता हूं, पहले तो ट्रेन में अच्छे-अच्छे भजन कहीं मीरा के, कहीं कबीर के, कहीं फिल्मों के भी अच्छे भजन सुनने को मिलते थे, लेकिन न जाने क्या हो गया कि उन भजनों की जगह अब म्यूजिक बजता है। हो सकता है कि किसी आदमी ने यह कहा हो कि यह साम्प्रदायिकता है, मीन साम्प्रदायिकता है, इसके नाम से अगर किसी ने कम्प्लेंट की हो तो पूरे के पूरे भजन, गीत, जिनको सुबह सुनकर लोग उठते थे, सुबह हम सुनते थे, वे बन्द हो गये। आज अगर कोई एक आदमी कम्प्लेंट करके बन्द करता है तो क्या यह साम्प्रदायिकता नहीं है? मैं जब यात्रा करता हूं तो सभी लोग कहते हैं कि साहब यह क्यों बन्द हो गये? आप मंत्री जी से कहिये, आप एम.पी. हैं, आप सांसद हैं, ये क्यों बन्द कर दिये, कैसे बन्द कर दिये। मैं सबको पूछता हूं तो कहते हैं कि हमने तो कभी कम्पलेंट नहीं की। अगर थोड़े-बहुत लोगों ने कम्प्लेंट की हो तो इसके बारे में छानबीन होनी चाहिए। अगर हम डैमोक्रेसी में जी रहे हैं और डैमोक्रेसी में मैजोरिटी चाहते है और उस भजन में कोई बुरी बात तो थी नहीं, कोई कबीर का था, कोई मीरा का था तो ये जो बन्द किये गये हैं, चाहे राजधानी एक्सप्रैस में हो, चाहे अगस्त क्रान्ति एक्सप्रैस में, चाहे शताब्दी में, सब में है तो यह फिर से जो पहले की तरह भजन चलते थे, उसमें शुरू होने चाहिए। कभी-कभी लोग लम्बी यात्रा में बोर हो जाते थे तो ये भजन सुनकर वे बेचारे अच्छी तरह से यात्रा करते थे तो इसीलिए जो बन्द किये गये, वे फिर से शुरू होने चाहिए।

वैसे ही एक बात और हैं। सूरत में तीन-चार लाख लोग बिहारवासी हैं, तो बिहार से रोजगार के लिए सूरत आये हैं। उन तीन-चार लाख लोगों के लिए सूरत और अहमदाबाद से पटना के

लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है और इतनी खराब दशा में वे लोग जाते हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। न उनके खड़े होने की जगह है, न और कोई सुविधा। वहां जो बिहार विकास परिषद है, उसने कई बार रेल मंत्री से, रेल बोर्ड के चेयरमैन से अपना निवेदन किया है कि पटना से सूरत के लिए डेली एक ट्रेन चलाइये। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अभी पूजा के दिनों में रेल मंत्रालय ने उनकी रिक्वैस्ट पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई थी। जब पूजा के दिनों में रेल मंत्रालय की ओर से स्पेशल ट्रेन चल सकती है तो कामगारों के लिए, गरीब लोगों के आने-जाने के लिए इस प्रकार से सूरत या अहमदाबाद से पटना को ट्रेन क्यों नहीं शुरू हो। इस बारे में रेल मंत्रालय और आप सोचें और बहुत जल्द यह शुरू करवायेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।

इसके साथ-साथ आज सूरत से वाराणसी के लिए एक ताप्ती गंगा से एक्सप्रैस चलती थी। वह पहले हफ्ते में दो दिन थी, अब चार दिन है। डिमांड यह है, जब ट्रेन शुरू हुई थी तो माननीय जार्ज फर्नान्डीज रेल मंत्री थे, उनको कहा गया था तो जो लाखों लोग यू.पी. के सूरत में हैं, उनकी सहूलियत के लिए यह ताप्ती गंगा एक्सप्रैस ट्रेन की सुविधा दी थी और तभी हमें बताया गया था कि यह डेली ट्रेन होगी। यह डेली तो नहीं हुई, लेकिन उस समय हमसे जो प्रोमिस किया गया था कि इस ट्रेन को हम नैनी की बजाय इलाहाबाद होकर ले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहां बहुत से लोग इलाहाबाद जिले के हैं, इलाहाबाद शहर के हैं, इन लोगों के आने-जाने के लिए और सुविधा नहीं है तो यह ट्रेन नैनी के बजाय इलाहाबाद होकर डेली ट्रेन हो, इसकी मांग है। इसमें तो कोई खर्चा नहीं है। पहले तो कहा गया कि इलाहाबाद में कोई प्लेटफार्म एवेलेबल नहीं है। मैंने खुद जाकर देखा तो पहले बनता था, अब दो प्लेटफार्म और नये बन गये हैं तो नये प्लेटफार्म बन जाने के बाद हम वहां ले जाएंगे, यह जो प्रोमिस रेल मंत्री जी से मिला था, वह फुलफिल होना चाहिए।

इसलिए ताप्ती गंगा एक्सप्रैस गाड़ी को सूरत से वाराणसी नैनी के बजाए इलाहाबाद से चलाएं और रोज चलाएं, यह भी मेरी आपसे मांग है। सूरत से मुम्बई के लिए दोपहर के बाद कोई ट्रेन नहीं है। एक शताब्दी एक्सप्रैस है, लेकिन वह बड़े लोगों के लिए है, गरीब आदमी उसको एफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए दोपहर के समय सूरत और मुम्बई के बीच एक द्रुतगामी रेलगाड़ी चलाई जाए।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : मेरा समर्थन है।

श्री काशीराम राणा : राम नाईक जी भी समर्थन कर रहे हैं। इसलिए सूरत और मुम्बई के बीच दोपहर को एक द्रुतगामी रेलगाड़ी चलाएं। मैंने जो बिंदु आपके सामने रखे हैं, खासकर 3700 करोड़ रुपये वाला कि उसमें से सिर्फ एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, यह कब पूरा होगा और कैसे पूरा होगा, इसका जवाब जरूर दें। बाकी के बिन्दुओं पर भी रेल मंत्री जी जल्दी निर्णय लेकर कार्यवाही करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं।

[अनुवाद]

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : सभापति महोदय, भारतीय रेलवे हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है। यह इतना बड़ा और महत्वपूर्ण है कि हम रेलवे को एक तरफ और अन्य सभी विभागों को दूसरी तरफ रख सकते हैं।

परन्तु, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारी रेलवे में कोई सही विकास नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं कि हमारी रेलवे प्रणाली का ह्रास हो रहा है। उदाहरण के लिए, कम्प्यूटरों की सुविधाएं, रोलिंग स्टॉक या नई रेलवे लाइनों का प्रावधान। इसमें दिन प्रतिदिन ह्रास हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो रेलवे को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है या उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। प्रत्येक संसद सदस्य अपने क्षेत्र के लिए नई रेल लाइन की मांग करता है क्योंकि किसी क्षेत्र के विकास के लिए अच्छी रेल सुविधाओं तथा अधिक से अधिक रेल लाइनों की आवश्यकता है।

इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को जनसंख्या अनुपात, क्षेत्र इत्यादि के बारे में इस संबंध में एक नीति तैयार करनी चहिए। किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का अनुपात चाहे जो हो उस क्षेत्र को नई लाइनों और अन्य रेल सुविधाएं प्रदान करने के लिए तद्नुसार शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, जहां तक कलकत्ता का प्रश्न है, हावड़ा स्टेशन और सियालदाह स्टेशन से कोई नई गाड़ी नहीं चलाई गई है। हावड़ा और सियालदाह दोनों स्टेशनों के लिए उप नगरीय गाड़ियों और स्थानीय गाड़ियों में वृद्धि करना काफी आवश्यक है। यात्री 200 किलोमीटर या उससे भी कहीं अधिक दूरी से वहां आते हैं। वहां कोई सही रेलमार्ग भी नहीं है। कार्यालय समय में इतनी भीड़ होती है कि कोई डिब्बों में भी नहीं चढ़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि वहां रेलमार्गों को दुगुणा या तिगुणा कर दिया जाना चाहिए।

यात्री सुविधाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। कभी-कभी तो शौचालय, पीने के पानी, विश्राम घरों इत्यादि की सही सुविधाएं भी यात्रियों को नहीं मिलती। इसलिए इसका ठीक ढंग से रखरखाव होना चाहिए। इसके अलावा, रेलवे समय की भी सही प्रणाली नहीं है जो गांवों से आते हैं उन्हें रेलवे के समय की अधिक जानकारी भी नहीं होती क्योंकि रेलवे के समय रेलवे स्टेशनों पर सही व्यवस्था नहीं की जा रही है। उसकी भी सही व्यवस्था की जानी चाहिए।

रेलवे परियोजनाओं में विलम्ब हो रहा है। जब भी हम परियोजना आरम्भ करते हैं, तो वह उसमें आरम्भ से ही हर वर्ष विलम्ब होता रहता है। कीमतों में वृद्धि के कारण रेलवे राजकोष पर काफी भारी बोझ पड़ने वाला है। अतः हमें इस मामले पर भी गौर करना चाहिए।

कभी-कभी एक नई रेलवे लाइन से क्षेत्रीय तथा आर्थिक संतुलन बना रहता है। जैसाकि आप जानते हैं, कि कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलन है। यदि आप आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र में एक नई रेलवे लाइन आरम्भ करेंगे तो निश्चय ही आर्थिक विकास होगा। नई रेलवे लाइन का आरम्भ एक ऐसा साधन है जिससे अविकसित क्षेत्रों के आर्थिक संतुलन में सुधार लाया जा सकता है। अतः रेलवे को इस पहलू पर भी गौर करना है।

रेलवे में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हम जानते है कि हम इन सबको सही साबित नहीं कर सकते हैं। लेकिन रेलवे में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको भ्रष्टाचार के विरूद्ध कोई सबूत नहीं मिल सकता है। यहां तक कि रेलवे कार्यालयों में उच्च स्तर से निचले स्तर तक भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां विद्यमान हैं। मैं हर बार एक नया सुझाव नहीं दे सकता। रेलवे को ही कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे भ्रष्टाचार को कम किया जा सके।

मैंने सियालदाह रेलवे स्टेशन पर मंडलीय रेलवे प्रबंधक के अनुभव के बारे में सुना है। उन्होंने मुझसे कहा कि जिस दिन मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता हूं उस दिन रेलवे राजकोष में अधिक धनराशि एकत्रित होती है यहां तक कि कभी-कभी पांच गुना धनराशि एकत्रित होती है। लेकिन जब ऐसी कोई जांच नहीं होती है अथवा जब वे रेलवे स्टेशन पर नहीं होते हैं, तो टिकटों की बिक्री से होने वाली आय कम हो जाती है क्योंकि वे किसी किसी दिन ही इस तरह अचानक दौरे पर जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।

मेरे क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाएं हैं। सरकार को उन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। उदाहरण के लिए तानलुक-हल्दिया रेलवे लाइन अधूरी पड़ी है। इसे पूरा किया जाना चाहिए। डायमंड हार्बर-लक्ष्मीकान्तपुर लाइन को भी अधूरा छोड़ दिया गया है। इस पर कार्य आरम्भ करना चाहिए और पूरा करना चाहिए। एकलाखी-बालूघाट रेल लाइन को भी आरम्भ करना है। रावाघाट-गेडे और रावाघाट-बोनगांव रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के कार्य को भी आरम्भ करना है। यह लाइनें बंगलादेश के सीमा क्षेत्र के बहुत समीप है। अब बंगलादेश और भारत के बीच अच्छे संबंध हैं। माल डिब्बे तथा ट्रैक इत्यादि सब बंगलादेश जा रहे हैं। व्यापारिक समझौते भी किए गए हैं। अतः उस क्षेत्र का राजस्व कई गुना बढ़ गया है। इस क्षेत्र को विकसित करना चाहिए। उस क्षेत्र में विद्युतीकरण बहुत आवश्यक है ताकि लोगों को अधिक सुविधाएं मिल सके। वे रेल द्वारा अपने कार्यालयों तथा व्यापारिक स्थानों पर जा सकते हैं।

किशन नगर-करीमपुर के बीच एक नई रेलगाड़ी शुरू की जानी है। कालीनारायणपुर-किशन नगर के बीच एक अन्य रेलवे लाइन है, जिसका दोहरीकरण किया जाना है चूंकि यह जिला मुख्यालय है।

प्रतिदिन, हजारों लोगों को इस मार्ग से अपने कार्यालय जाना होता है लेकिन उस क्षेत्र में एक ही रेल लाइन है जो लोगों की मांग को पूरा नहीं कर सकती।

पूर्वी रेलवे के सियालदाह मंडल में शान्तिपुर-नवद्वीपघाट लाइन के बीच आमान-परिवर्तन, छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के कार्य को तत्काल आरम्भ करना चाहिए क्योंकि सर्वेक्षण का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। बंडेल-कटवा लाइन के लिए माननीय मंत्री महोदय ने लाइन का दोहरीकरण करने का वचन दिया है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा यह कार्य शीघ्रता से आरम्भ किया जाना चाहिए। कृष्णगढ़-लालगोला लाइन के विद्युतीकरण का कार्य भी बहुत जरूरी है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि हावड़ा-आमटा बड़ी लाइन पर केवल सत्रागाची से कारागचिया के बीच के हिस्से का ही निर्माण किया गया है। उसके बाद से यह योजना एक दशक से रुकी हुई है। चालू बजट में, 2 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं लेकिन इस लाइन पर अभी कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि वे इस लाइन पर तत्काल कार्य आरम्भ करवायें। ताराकेश्वर से आरामबाग तक एक अन्य लाइन भी प्रस्तावित है। वह भी एक महत्वपूर्ण लाइन है और इसे तत्काल पूरा करवाया जाना है।

अब, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा क्योंकि जैसाकि उन्होंने वचन दिया था, उन्होंने उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के अविकसित क्षेत्रों में कार्य करवाना पहले ही आरम्भ कर दिया है। उन्होंने त्रिपुरा के लिए भी एक नई रेल लाइन आरम्भ करने का वचन दिया है। मैं माननीय रेल मंत्री तथा संयुक्त मोर्चा सरकार को मुबारकवाद दूंगा कि उन्होंने नई रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए बहुत प्रयास किए और अगले बजट में और रेलवे लाइनों का निर्माण किया जाएगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अनादि चरण साहू (कटक) : महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

इससे पहले कि मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों के बारे में कुछ कहूं, मैं एक अतिरिक्त मामले के साथ अपना भाषण आरम्भ करता हूं जो कि इससे काफी संबद्ध हो सकता है। मेरे संसद सदस्य बनने के कुछ दिन बाद मुझे एक सुपर-फास्ट एक्सप्रैस रेलगाड़ी में सफर करने का मौका मिला। अचानक रेलगाड़ी उछलने, और डगमगाने लगी। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि क्या बात हो सकती है। अब एक राजनीतिज्ञ होने के नाते हमारे दिमाग में कुछ विचित्र बातें तथा विसंगतियां आई। मैंने सोचा कि यह नाचने वाली विचित्र बात रेलगाड़ी में सफर कर रहे नशे में धुत्त रेल कर्मचारियों द्वारा हुई है...(व्यवधान) जी हां, उसमें संगीत भी था, रेलगाड़ी के चलने की आवाज। तत्पश्चात् मैंने सोचा कि शायद यह आवाज रेलवे लाइन के साथ बनी हुई असंख्य छोटी-छोटी ताड़ी की दुकानों की भी हो सकती है जिनको कि रेलवे के लोगों द्वारा बढ़ावा दिया गया है लेकिन उससे मदिरायुक्त पेय की सुगंध आनी चाहिए।

लेकिन शीघ्र ही, जो कारण हो सकता था, वह मेरे मस्तिष्क में आया। मैं पहले पुलिस में था और मैं 22 वर्ष पहले रेलवे में एस. पी. था। मुझे एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति की याद आयी जो कि दक्षिणी-पश्चिमी रेलवे के ऑपरेटिंग विभाग का चीफ था और बाद में रेलवे बोर्ड के चीफ के रूप में सेवानिवृत्त हुए। जब मैं रेलवे में एस. पी. था तो उन्होंने मुझे बताया था अथवा उन्होंने मुझे कुछ मुख्य बातें बतायी थीं- कि ट्रैक में क्या हुआ और रेलगाड़ी के इस तरह नाचने, डगमगाने के क्या कारण थे। ट्रैक के ऐसा करने का मुख्य कारण रोड़ी को पीसना है अथवा रेलवे लाइन पर रोड़ी अथवा धातु की कमी होना

है अथवा पेच और बोल्ट ढीले पड़ जाने के कारण ऐसा होता है। यह बात तत्काल मेरे दिमाग में आई कि ट्रैक की सही तरीके से देख-रेख नहीं की जा रही है और यह रेलवे पर अभिशाप है।

कहीं भी रेलवे लाइनों की देख-रेख सही तरीके से नहीं की जा रही है। मैं पूर्वी क्षेत्र से संबंध रखता हूं। एक रेलगाड़ी है, तिरूवंतपुरम गुवाहटी, जो कि एक दिन में 18 घंटे देर से चलती है। मुझे प्राधिकरण द्वारा बताया गया है कि इसे गिनीज बुक ऑफ रिकार्ड में शामिल किया जा सकता है। यह भारतीय रेलवे के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि कम से कम हमने कोई रिकार्ड तो बना लिया।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : समय ठीक है लेकिन दिन अच्छा नहीं है।

श्री अनादि चरण साहू : जी हां, बिल्कुल ठीक है। यही हो रहा है।

मुझे बहुत खुशी होती यदि अनुपूरक अनुदानों की मांगों में रेलवे लाइनों को सुदृढ़ बनाने, रोड़ी बदलने और स्लीपर बदलने के लिए भी प्रावधान रखा होता। मुझे बहुत खुशी होती यदि माननीय मंत्रीजी ने खराब हो गए लकड़ी के स्लीपरों अथवा जंग लगे लोहे के स्लीपरों को रोड़ी सीमेंट के स्लीपरों के साथ बदलने के लिए अथवा सीमेंट के रेल मार्गों में पर्याप्त तले तथा छल्ले लगाने के लिए कोई प्रावधान किया होता। यह सब अभी तक नहीं किया गया है...**(व्यवधान)**

मुझे अति प्रसन्नता होती यदि मंत्री महोदय ने रेलवे मार्गों को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई प्रावधान किया होता। महोदया, जैसा कि आप मांग संख्या 16 से देखेंगे कि 20 मदें हैं। जिसमें से दो नई रेलवे लाइनें बिछाने के संबंध में है जो कि क्रम संख्या 4 और 5 पर हैं और क्रम संख्या 2 और 3 आमान परिवर्तन से संबंधित हैं।

मुझे दुःख है कि इस संबंध में उड़ीसा की उपेक्षा की गई है। हमने कहा था, अनुरोध किया था और कई बार विनती की थी कि रूपसा-बांगरीपोसी रेल लाइन का आमान परिवर्तन होना चाहिए। वर्ष 1995-96 में भारत सरकार बहुत दयालु रही थी कि उन्होंने लगभग 74 करोड़ रु. की राशि को स्वीकृति प्रदान की और 56 करोड़ रु. प्रदान किए। मुझे नहीं मालूम कि उस धनराशि का क्या हुआ। वह राशि कहीं खर्च हो गई।

इससे मुझे एक घटना की याद आती है। जब यहां एक नहर है, जब यहां उप नदी है, पानी कभी भी अन्त तक नहीं पहुंचता क्योंकि वह अन्य क्षेत्रों में विभक्त हो जाता है। इसी तरह हो सकता है रेलवे ने इस धनराशि को कहीं और खर्च करना उपयुक्त समझा हो। यद्यपि टेंडर आमंत्रित किए गए थे, जबकि टेंडर को अन्तिम रूप दिया गया था लेकिन धन कभी नहीं दिया गया। मुझे बताया गया है कि वह रेलवे बोर्ड के पास अभी भी लम्बित हैं। मैं आपको केवल यह दर्शाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि भारतीय रेलवे में क्या होता है। नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं और आमान परिवर्तन किए गए हैं। लेकिन हमारे अनुरोध को पूरा नहीं किया गया। हो सकता है राजनीतिक कारणों से ऐसा हुआ हो। हो सकता है उड़ीसा राज्य सरकार उस दल से संबंध न रखता हो जिससे कि माननीय रेलवे मंत्री संबंध रखते हैं। शायद यही कारण है कि उड़ीसा को एक तरफ किया जा रहा है। मेरा विचार है उनमें से एक कारण यह भी है।

महोदया, कृपया उन बीस मदों को देखिए, जिनकी सूची यहां दी गई है। हमारी अनेक मदें हैं और अनेक मामले हैं जो पिछले कई वर्षों से लम्बित पड़े हैं। आप मुझसे सहमत होंगे कि भारतीय रेलवे का एक तिहाई भाड़ा दक्षिणी-पूर्वी रेलवे द्वारा ले लिया जाता है। लगभग 166 मिलियन टन कोयला और लोह अयस्क एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। हमारे यहां पारादीप बन्दरगाह, कलकत्ता बन्दरगाह और विजाग बन्दरगाह हैं। कोयला और लौह अयस्क इन क्षेत्रों में भेज जा रहे हैं।

हम कोयला आस्ट्रेलिया से आयात कर रहे हैं। हम विभिन्न स्थानों को लौह अयस्क भेज रहे हैं। रेल मार्गों को सुदृढ़ करने और उनका दोहरीकरण करने की आवश्यकता है। कटक और पारादीप के बीच एक मुख्य रेलमार्ग है जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। इस 100 किलोमीटर के रेल मार्ग में से रेलवे ने केवल 25 किलोमीटर रेलमार्ग का दोहरीकरण करना ही ठीक समझा। लेकिन जो धनराशि दी गई है, वह बहुत ही कम है। मैं आंकड़े बाद में दूंगा। यदि इस तरह से धनराशि प्रदान की गई तो उस रेलमार्ग का दोहरीकरण करने में बीस वर्ष लग जायेंगे।

मैं माननीय रेलमंत्री से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि कटक तलचर-सम्बलपुर रेल मार्ग के बारे में एक बार फिर विचार करें जिसका दोहरीकरण पहले किया जाना था। 352 करोड़ रु. की धनराशि 174 किलोमीटर रेलमार्ग के लिए प्रदान की गई है। इसे दिसम्बर, 1997 तक पूरा करना है। उन्होंने अब तक केवल 181 करोड़ रु. खर्च किए है। पिछले वर्ष के बजट में 50 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी। इस वर्ष के बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यदि ऐसा होता है तो मुझे विश्वास है कि इस रेल मार्ग को बिछाने का कार्य दिए गए समय में पूरा नहीं किया जा सकता है और लागत भी बढ़ जाएगी। यह कार्य अन्य चार अथवा पांच वर्ष में भी पूरा नहीं हो सकता।

यह एक ऐसा पहलू है जिसके संबंध में मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इसका ध्यान रखें। मैं जानता हूं कि इस वर्ष यह प्राप्त नहीं होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि आगामी बजट में वह हमें कुछ उपलब्ध करायेंगे। हम बहुत अधिक आशान्वित हैं। मैं निराशावादी नहीं हूं। हमें बहुत अधिक आशा है कि आप कुछ हमें उपलब्ध करायेंगे, सांकेतिक अनुदान के रूप में एक करोड़ रुपए दे सकते हैं जैसा कि रूपसा-बांगरिपोसी रेल मार्ग के मामले में 50 लाख रुपए दिए गए हैं।

आपने बहुत धूमधाम से पूर्वी तटवर्ती जोन हमें दिया। प्रधान मंत्री, रेल मंत्री और अनेक लोगों ने भुवनेश्वर जाकर पूर्वी तटवर्ती

जोन का उद्घाटन किया। हमें इस बात से अत्यधिक प्रसन्नता थी कि हमारे क्षेत्र को एक रेलवे जोन मिला। लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने एक अधिकारी को विशेष सेवा तैनात किया है। इस बजट में उन्होंने हमें मात्र 1,50,00,000 रुपए उपलब्ध कराये हैं जो कि एक मामूली रकम है। मुझे आशंका है कि पूर्वी तटवर्ती जोन आगामी चार-पांच वर्षों में भी कार्य रूप न ले पाये। हमारे साथ ऐसा ही होता रहा है।

संभवतः इसके कुछ अन्य कारण भी हैं। मुझे यह भी बताया गया था कि पारादीप लाइन हेतु बजट में 49 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था किन्तु उसके लिए मात्र 8 करोड़ रुपए दिए गए। इससे इसकी लागत में वृद्धि होगी और यह कभी पूरा नहीं हो सकेगा।

हमारे यहां एक और महत्वपूर्ण रेल लाइन अर्थात् देत्तारी-बंसापानी रेल मार्ग का कार्य चल रहा है। इसके लिए धनराशि बहुत कम उपलब्ध करायी जा रही है जिसके परिणामस्वरूप, एक महत्वपूर्ण रेलवे लाइन जिसके माध्यम से उड़ीसा से लोह-अयस्क और महानदी कोयला खनन से कोयला की ढुलाई की जा सकती थी, निकट भविष्य में नहीं बन पाएगा। इसके लिए धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। मैं मात्र उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसे ध्यान में लाना अति आवश्यक है।

महोदया, मुझे दो मिनट का वक्त और दीजिए। मैं उससे आगे नहीं बोलूंगा।

माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह उड़ीसा के प्रति अपनी उदारता दिखायें। हम आपके लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। शायद आप हमारी मदद कर सकते हैं।

सभापति महोदय : आप सभी के लिए मेरे पास एक सुखद समाचार है। माननीय सदस्यों तथा प्रेस के लोगों के लिए कमरा संख्या 70 में तथा कर्मचारियों के लिए कमरा संख्या 73 में 9 बजे के उपरांत रात्रि भोजन का इंतजाम किया गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपकी इच्छा है कि आप खाना खाएं या न खाएं।

(व्यवधान)

श्री लार्ड फर्नान्डीज (नालन्दा) : सभापति महोदया, सप्लीमैंट्री डिमांड्स को पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि रेलवे में अभी कोई नई बात चल रही है और पुराने अनुभव से कोई सबक सीखा नहीं जा रहा है। हम लोगों के सामने दस्तावेज में जो मांगें रखी गई हैं जिनमें नए कामों को जिक्र है, वह 2 हजार 385 करोड़ रुपए का है। 2 हजार 385 केरोड़ रुपए के काम के लिए अभी जो पैसा मांगा जा रहा है, वह एक-एक काम के लिए एक-एक हजार रुपए के हिसाब से 20 हजार रुपया बनता है। कुल मिलाकर 2-3 और कामों के लिए इसी में से जो पैसे मांगे हैं, उन सबको देखते हुए अगले चार महीनों में 2 हजार 385 करोड़ का काम इसमें सूचित है। इस पर 10 करोड़ रुपए खर्च करने की सम्भावना है। 10 करोड़ में से लगभग सारा पैसा जो अभी किसी काम के लिए आवंटित किया है, उसी से निकाल कर वह खर्च किया जाएगा।

यानि बात यहां तक आ पहुंची कि रेलवे के पास कोई नई आमदनी नहीं है जिसके आधार पर यहां काम की चर्चा हो। इसका कारण चाहे राजनीतिक हो या कोई और कारण हो और ऐसे कारणों को लेकर एक ऐलान हुआ है कि जो काम अगले बजट के समय रख देते तो रेलवे को कोई घाटा नहीं होता और यहां भी रखने पर कोई फायदा होने वाला नहीं है। हां, सांसदों को हो सकता है लेकिन जो रेल उपभोक्ता हैं जिसके टैक्स पर रेल चलती है और जो पूंजी टैक्स के ऊपर रेल को दी जाती है, बजटरी सपोर्ट पर उसका फायदा मुझे नहीं दिखाई देता। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इन 20 कामों में से सात काम कर्नाटक में हो रहे हैं क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री आते हैं और वह भी गलती से। अब वे सात काम कर्नाटक में जाने का इस बात से कोई संबंध हो या न हो लेकिन तब भी मन में परेशानी हो जाती है कि इतनी जरूरत पड़ी कि तत्काल 285 करोड़ रुपया इन कामों के लिये ऐलान कर दिया और उड़ीसा के लिये क्यों नहीं किया गया या कुछ कश्मीर के लिये क्यों नहीं हुआ? मैं चाहता हूं कि कर्नाटक में काम होने के लिये मंत्री जी अपने उत्तर में सफाई से बतायेंगे। तीन-तीन काम बिहार और तमिलनाडु में, दो बंगाल में और एक-एक पूर्वांचल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हैं। इसका निष्कर्ष आप जो निकालना चाहें निकाल सकते हैं। मंत्री जी सबका खुलासा इस सदन के सामने जरूर रखेंगे।

सभापति महोदया, अभी 2-3 महीने पहले रेल बजट इन लोगों ने रखा था और यदि दस्तावेजों को देखेंगे तो मालूम होगा कि कुल मिलाकर इस साल रेलवे में कंस्ट्रक्शन, रेल लाईन बिछाने और बाकी सारे एक्सपैंडिचर्स जिसमें रोलिंग स्टॉक भी है, के लिये 5300 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है और यदि पिछले साल के बजट को देखेंगे तो उसके रिवाईज्ड एस्टीमेट में 5573 करोड़ रुपया रखा गया। इस तरह से केवल 190 करोड़ रुपया कम हो गया। यह बात इसलिये नहीं क्योंकि रुपये का दाम घट गया तो उसको कैसे जोड़ेंगे और सही अर्थों में पिछले साल की अपेक्षा इस साल 10-12 प्रतिशत कम पूंजी लगी है। मगर काम बढ़ रहे हैं और आप देखिये कि अलग-अलग में पूंजी लगी है, कितनी चाहिये और वह कितनी लगा पा रहे हैं। ट्रैफिक फेसेलिटीज में 163 करोड़ रुपया चाहिये लेकिन सिर्फ 13 करोड़ रुपया लिया है। फिर ट्रैक डबलिंग के लिये 737 करोड़ रुपया आबंटन होता है और केवल 18 करोड़ रुपया दिया है। इस प्रकार काम तो कई हैं और कई शुरू भी कर दिये हैं। इसके लिये एम.पी. के साथ मंत्री जी चले गये, तस्वीरें छप गयी..

श्री नीतीश कुमार : कुछ एम.पीज को तो इग्नोर किया गया है। यहां तक कि हमारे क्षेत्र में हमें बुलाया ही नहीं गया।

श्री चार्ल्स फर्नान्डीज : और फिर डबलिंग के लिये 737 करोड़ रुपये के स्थान पर 18 करोड़ रुपया आबंटित किया गया है। सभापति महोदया, इस देश में गेज कनवर्जन छोटी लाईन से बड़ी लाईन में किया जा रहा है जैसे देश का विकास खाली गेज कनवर्जन से ही हो।

गेज कनवर्शन देश का विकास नहीं करेगा, नयी लाइनें बिछाने से देश का विकास अधिक गति से हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में आया कि गेज कनवर्जन अति-महत्वपूर्ण है, इतिहास में हमारा नाम हो जाएगा कि हमने पूरा गेज कनवर्जन किया। एक किलोमीटर के गेज कनवर्जन में एक किलोमीटर नयी लाइन बिछाने के खर्च का 70-80 प्रतिशत खर्च होता है, लेकिन नयी लाइनों से नया रोजगार भी पैदा होता है। यहां बहुत बेरोजगारी है और हर रोज बेरोजगारी बढ़ रही है। वह पूंजी जिसको आप गेज कनवर्जन में लगा रहे हैं, यदि वह पूंजी नयी लाइन लगाने में लगाई होती तो एक किलोमीटर की रेल लाइन में लगभग 25 से 30 लोगों को रेल के अंदर रोजगार मिलता है और रेल एक ऐसा इनफ्रास्ट्रक्चर है जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सब मिलाकर एक किलोमीटर के पीछे 25-30 रोजगार पैदा करती है। इसके ऊपर कितनी बार चर्चा की गई लेकिन इनके दिमाग में नहीं घुसा और गेज कनवर्जन चला और आज भी उसी पर जोर है। 858 करोड़ रुपए का गेज कनवर्जन का ऐलान है आपके पहले पेश किये गए बजट में और उसके लिए 18 करोड़ की पूंजी आबंटित है।

अब नयी लाइनों की बात करते हैं। इतने फाउंडेशन स्टोन रखे गए जिसकी कोई गिनती नहीं है। इतनी तस्वीरें छपी जिस पर लाखों नहीं, करोड़ों रुपये अखबारों में विज्ञापन देने पर खर्च हुए जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमने एक प्रश्न रखा था, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया है और मुझे लगता है कि रेल मंत्री का उत्तर देने का काम भी इस सप्ताह खत्म हो गया है। वह प्रश्न पता नहीं कहां फंस गया? अब उसका उत्तर नहीं आएगा। मेरा प्रश्न था कि इस प्रकार के विज्ञापनों पर कितना खर्च हुआ था? 953 करोड़ रुपये नयी लाइनों के लिए लिखा है और 6 करोड़ रुपया आबंटित है। ...**(व्यवधान)** आप हंस रहे हैं लेकिन आप ही मांग करने वालों में हैं। हम इस चीज को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं चूंकि देश का नुकसान हो रहा है। इस मायने में नुकसान हो रहा है कि आपने सौ जगहों पर 5-10 करोड़, एक करोड़, 50 लाख रुपये का काम किया पर उस पूंजी का कोई फायदा नहीं होता। दो किलोमीटर रेल पटरी आपने बिछा दी। अगली बार वोट पाने के लिए हो सकता है कि कुछ लाभ हो, लेकिन देश को क्या लाभ हो? टैक्स-पेयर को क्या लाभ हो? आखिरकार इस धन की एक-एक पाई लोगों के पैसे की है। रेल भवन को गिरवी रखकर या अपनी जेब से यह पैसा नहीं आया है। पटना का रेलवे स्टेशन गिरवी रखकर कुछ लोगों ने पैसा बनाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन रेल भवन को गिरवी रखना आसान नहीं है। इससे देश को कुछ नहीं मिलता है, उस क्षेत्र के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। वही एम.पी. अगली बार चुनाव लड़ने वाला हो तो दस वोट ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन देश की दौलत को देश के विकास की दिशा में लगाना चाहिए, हमारे चुनावी स्वार्थ तक ही उसे सीमित नहीं रखना चाहिए। इस पर हमने इस सदन में पहले भी बहस की थी। हम जानते हैं कि इस पर कोई असर नहीं होगा मगर हम चाहते हैं कि यह बहस हम लोगों के बीच में चलती रहे।

सभापति जी, हम मंत्री जी से दो-तीन प्रश्न भी पूछना चाहते हैं। आपने 170 करोड़ रुपये की यहां मांग की है और 170 करोड़ रुपए की मांग करते समय आपने बताया है।

[अनुवाद]

योजना शीर्ष 'नई लाइन' के अंतर्गत जारी कतिपय योजना पर बढ़े व्यय के लिए

[हिन्दी]

अब हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी नयी लाइनें हैं जिनकी प्लान हैंड पर आपके जो आबंटन का पैसा था, उसमें से ज्यादा हो रहा है? क्या वह काम जब शुरू किया तब उस योजना पर जो पैसा लगाना था, उसका हिसाब करने में कुछ गलती हो गई या अभी कोई राजनैतिक या अन्य किसी का स्वार्थ आ गया कि ऐसे इलाके में ज्यादा पैसा डालने के लिए 170 करोड़ रुपये की आपको जरूरत पड़ी, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ये सारे 20 काम आपने यहां पर लिखे हैं, जिसको कुल मिलाकर आप तत्काल एक-एक हजार रुपया चाहते हैं और 99 हजार रुपया आप बाद में लेंगे, चूंकि कुल मिलाकर आपकी मांग एक लाख की है। आंशिक जगहों पर आप दूसरे कामों के लिए आवंटित पैसे में से रुपया निकालकर इसको करने वाले हैं। अगर आप इसको हाथ में न लें तो क्या नुकसान है, यह भी जरा बताइये। अगर ये एक-एक हजार वाले बीस काम आज के दिन न रखते हुए अगले साल के बजट के लिए रखें तो आपको क्या नुकसान होगा और देश का क्या नुकसान होगा, किसका क्या नुकसान है, अगर आप इसकी स्वीकृति चाहते हैं तो कृपया यह भी बता दीजिए, बरना हमें इसका विरोध करना पड़ेगा क्योंकि यह मजाक लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, यह मजाक देश के साथ नहीं होना चाहिए। चूंकि इन सब चीजों में हम लोग बुनियादी बातों को भुलाकर अपने-अपने स्वार्थ पर जब उतरते हैं तो उससे एक ऐसा दिमाग बन जाता है जिससे देश का अंततोगत्वा बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं इसके साथ दो-तीन बातें और जोड़ना चाहता हूं। एक तो यह है कि आजकल आप लोग सर्वे का फाउंडेशन लगाने जाते हैं, यह क्या चीज है? सर्वे का फाउंडेशन स्टोन लग जाता है, यह क्या चीज है। राज्य मंत्री जी आपकी तस्वीर आती है कि आप लोग जा रहे हो। आप लोग जोनल ऑफिस या डिवीजनल ऑफिस बनाने के लिए जाते हो और पत्थर गांव के स्टेडियम में रख देते हो, इसका क्या अर्थ है? रांची में जाकर स्टेडियम में पत्थर रखा, राजस्थान में कहीं जाकर आपने स्टेडियम में पत्थर रखा। ये सब चीजें क्या हैं? यानी कहां दफ्तर होगा, कहां मुख्यालय होगा, ये भी आपको मालूम नहीं है और कहीं स्टेडियम में जाकर पत्थर लगाया जाता है और फिर बाद

में उसको उठाकर जुलूस में ले जाते हो। इसका क्या मतलब है? मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे मालूम नहीं है कि आपकी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपकी सरकार रहती है तो विज्ञापन के ऊपर पैसा बरबाद करना बंद करिये, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सारे देश को यह बताने की जरूरत नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में जाकर पत्थर रख आये हैं। आज जितने लोग इस सदन में है एक दिन सब मरने वाले हैं। आप यह कहते हैं कि हम जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर तक रेलवे ले जाने वाले हैं। सभापति जी, आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि जम्मू से लेकर ऊधमपुर तक का फासला 70-80 कि.मी. है और वहां पर कितने सालों से काम चल रहा है, कितना पैसा उसके लिए आबंटित हो रहा है। सात साल से उसमें कितना पैसा डाला जा रहा है और सात साल में जितना पैसा डाला जा रहा है, उससे ज्यादा हमने एक साल में डाला था। क्योंकि आप लोग कश्मीर के लोगों के साथ एक प्रकार से मजाक कर रहे हैं, यह हम लोग समझते हैं। लेकिन आप इन चीजों को नहीं जानते कि लोग इन बातों को जानते हैं कि हम उनको मूर्ख बना रहे हैं, हम उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। इसलिए कुछ भी आप जो राजनीतिक तौर पर करते हैं, राजनीतिक इस माने में नहीं कि कोई भी एक पार्टी का, बल्कि एक राष्ट्र के तौर पर भी अगर आपकी यह सोच हो कि हम कश्मीर को नजदीक लाने के लिए यह कर रहे हैं, कश्मीरियों को यह बताने के लिए कर रहे हैं तो कश्मीरी क्या इतने मूर्ख हैं कि उनको मालूम नहीं है कि हर साल दो करोड़, तीन करोड़, चार करोड़ रुपया जा रहा है, लेकिन इससे वहां पर कुछ बनने वाला नहीं है और श्रीनगर के रेल लाइन के लिए आपको कितने साल, कितने दशक लगेंगे। हम लोग किस दुनिया में पड़े हैं। एक कारपोरेशन बनाकर कोंकण रेलवे का काम हाथ में लिया था, वह तीन-चार साल में पूरा होना चाहिए था, लेकिन अब तो हम सातवें साल में प्रवेश कर रहे हैं यह कब पूरा होगा, अभी यह कहना मुश्किल है। रोज ऐलान तो हो रहे हैं, कि तीन महीने में होगा, अगले साल में होगा, ऐसी कई तिथियों का ऐलान हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या पहाड़ और कश्मीर की घाटी की कोई कल्पना की जा सकती है, कहां कैसी मिट्टी मिले, पत्थर मिलेगा। वहां आप कैसे टनल्स बनायेंगे, कैसी भी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि काम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब किसी भी चीज का हम लोग ऐलान करते हैं अगर उसके पीछे केवल एक राजनीतिक मकसद को रखकर हम लोग करेंगे तो बहुत नुकसान होगा।

अपराह्न 8.00 बजे

इसके साथ हमारे यहां जोनल ऑफिस तथा डिवीजनल ऑफिस बनाने का जो काम शुरू हुआ है, उसके लिए कितना रुपया आप आबंटित करेंगे? यदि आप एक नया जोन भी बनाते हैं तो उस पर लगभग 200 करोड़ से लेकर 400 करोड़ रुपए तक लगाना पड़ेगा क्योंकि तमाम दफ्तर, मकान सभी का इंतजाम आपको करना होगा और ये सब चीजें प्रोडक्टिव एक्सपैंडीचर नहीं हैं, भले ही कुछ लोगों के व्यक्तिगत लाभ के लिए उसे आप कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि देश में ज्यादा जोन नहीं बनने चाहिए, 8 की जगह 18 जोन देश में बन जाएं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि देश बहुत बड़ा है, अनगिनत लोगों को रेलें इधर से उधर ले जाती हैं, इसलिए जोन बढ़ने चाहिए लेकिन आज के दिन जब हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, नौजवान हताश हैं, उनके लिए रोजगार के साधन नहीं हैं, ऐसे में किसी बाबू को एक जोन से दूसरे जोन में भेजना, एक रिटायर हो रहे एसिस्टैंट जनरल मैनेजर का डिप्टी मैनेजर को, नया जोन बनाकर आपने जनरल मैनेजर भले ही बना दिया, लेकिन वहां जिस चपरासी या टाइपिस्ट या स्टैनोग्राफर को आप ले गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ ऊपर के स्तर के लोगों को प्रोमोशन देकर, बडे पदों पर लगाने के अलावा, नए जोनल ऑफिस बनाने का क्या मतलब है, वह मेरी समझ में नहीं आया। कोई मुसाफिर किसी जनरल मैनेजर के दफ्तर में जाकर टिकट नहीं खरीदता, उसके लिए आप रेलवे स्टेशन को ठीक रखिए, रेल पटरियां कैसी चल रही हैं, अभी हमारे उड़ीसा के एक माननीय सदस्य ने आपके सामने जो कुछ कहा, उस पर आप पैसा लगाईए, रेल की पटरियां ठीक करिए, ऐसे अनेक काम हैं जिनके लिए रेलवे में पैसा चाहिए। हमारी प्राथमिकता क्या हो, जब तक देश इस पर नहीं सोचेगा, वह रेल मंत्रालय में बैठे लोगों के तय करने वाली बात नहीं है क्योंकि यह देश की पूंजी है, जिसके बारे में पार्लियामेंट तय करती है। अब आप क्या करेंगे, मैं नहीं जानता लेकिन अभी भी उस काम को स्थगित करके, उस पूंजी को बिहार में लगाईए, उत्तराखंड में लगाईए, देश में कहीं दूसरी जगह लगाईए, कर्नाटक में ही लगाईए, लेकिन नई रेल लाइनों के लिए जो पूंजी आप लगाते हैं, उसे यदि हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए लगाएं, कुछ निर्माण में लगाएं, वह ज्यादा बेहतर है। रेल मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि रेल भवन से पिछले 6 महीनों में जो कुछ किया गया है, उसमें सुधार लाने के लिए आप कदम उठाएं।

अब मैं दो-तीन चीजें आपके सामने और रखना चाहता हूं। पिछले अक्तूबर के अंत में और नवम्बर, 1994 के शुरू में, माननीय सदस्य ब्रहमानंद मंडल ने मुंगेर और खगरिया के बीच में एक रेल-कम-रोड पुल के निर्माण को लेकर अनशन किया था जिसके दरम्यान तत्कालीन प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, श्री प्रणव मुखर्जी ने हस्तक्षेप किया था। उन्होंने लिखित तौर पर मुझे बताया था कि इस पुल को बनाने के लिए वे आवश्यक कार्यवाही करेंगे और संबंधित मंत्रालयों से सम्पर्क करके प्लानिंग कमीशन की ओर से उसे पूरा कराएंगे। अब सरकार बदल गई है और प्लानिंग कमीशन के नए डिप्टी चेयरमैन प्रो. मधु दंडवते बन गए हैं जो एक समय रेल मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। अभी चंद दिन पहले इसी सिलसिले में जब हम ब्रहमानंद मंडल जी के साथ उनसे मिलने गए तो उन्होंने सारी बातें सुनने के बाद आश्वासन दिया, पिछले आश्वासन को कबूल करके कि मैं उसे पूरा ही नहीं करूंगा बल्कि उन्होंने रेल संबंधित मंत्रालयों को एक एक पत्र भी लिखा- एक पत्र बिहार के मुख्यमंत्री को लिखा, दूसरा देश के सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को और तीसरा पत्र

जल-संसाधन मंत्री को लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण कार्य को हाथ में लेने की दिशा में, पहले दिए वचन को पूरा करने के लिए कदम उठाएं। हम रेल मंत्री जी से विशेष तौर से प्रार्थना करना चाहेंगे कि प्लानिंग कमीशन ने जो वचन दिया है-कौन सरकार है, कौन मंत्री है, हमें नहीं मालूम- उसे पूरा किया जाए।

आखिर में, मैं एक और बात कहकर पूरा करूंगा। बिहार में आज से नहीं, एक जमाने से उस रेल की बात चली है, जब मैं रेल मंत्री था, उस समय मैंने भी कुछ पहल की थी कि जापान से कुछ लोग यहां आ पहुंचे हैं, उनके अलावा देश के ही नहीं, दुनिया भर के जैन समाज और बौद्ध समाज के लोग नालन्दा, राजगीर और गया के समूचे इलाके के लिए एक विशेष रेल योजना बनाना चाहते थे।

सभापति महोदया, इसके लिए जापान के लोग पैसा देने के लिए तैयार थे। इसके लिए जैन समाज के लोग भी बात कर रहे थे कि हम लोग भी कुछ योगदान दे सकते हैं। इसलिए मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपकी सारे देश में कहां कौन सी रेल हो, क्या हम लोगों का विकास का ढांचा हो, वह तो अपनी जगह पर है, लेकिन यह एक इलाके के विकास का काम नहीं है, बल्कि यहां पर सारे विश्व के लोग आते हैं। सारे विश्व से पिलग्रिम्स आते हैं। इसलिए इस काम को आप पहली प्राथमिकता के आधार पर करें। मेरी मंत्री महोदय से यह भी प्रार्थना है कि आप इन 20 कामों को करने की बजाए, अगर सिर्फ एक इसी काम को अपने हाथ में ले लें, तो मैं समझता हूं कि इससे देश का भी विकास होगा, बिहार का भी विकास होगा और इसमें कुछ विदेशों से पैसे भी मिल सकते हैं और दुनिया भर के लोग जो उस इलाके में पिलग्रिम्स के तौर पर आते हैं, उनको फायदा हो सकता है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर) : सभापति महोदया, इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा हमारे विद्वान मित्र ने उठायी थी जो कि मंगलौर से सांसद हैं। वह रेलवे, रेलवे बजट और अनुपूरक अनुदानों की मांगों से काफी खुश थे। उनकी खुशी के पर्याप्त कारण है। जहां तक भारतीय रेल का संबंध है तो उसकी सीमा कर्नाटक में समाप्त हो जाती है।

जब चिर युवा और चुस्त श्री राम विलास पासवान ने एक प्रतिभावान व्यक्ति श्री महाराज के साथ रेलवे का कार्यभार संभाला था तब काफी उम्मीदें जगी थीं। जहां तक केरल का संबंध है तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें उनसे अत्यधिक निराशा हुई है। रेलवे के अधिकारी यहां मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि श्री पासवान को यह संदेश पहुंचा दिया जाएगा कि केरल के संबंध में बजट में किए गए किसी भी वायदों को क्रियान्वित नहीं किया गया। विभिन्न भागों से आये केरल के बीस संसद सदस्यों ने रेल अधिकारियों और मंत्री के साथ बैठकर उन्हें सभी बातों से अवगत कराया था। उन्होंने हम से निम्नलिखित वायदे किए थे।

हमें वायदा किया गया था कि दिसम्बर, 1996 तक त्रिरूअनंतपुरम और नई दिल्ली के बीच एक नई रेलगाड़ी आरम्भ की जाएगी। यह भी वायदा किया गया था कि कोंकण रेलवे दिसम्बर, 1996 तक पूरा हो जाएगा और हमें दिसम्बर से दिल्ली के लिए एक गाड़ी मिल जाएगी। मैं इस संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या दिसम्बर तक यह पूरा हो जाएगा"? मैं नहीं समझता हूं कि कोंकण रेलवे दिसम्बर, 1997 तक भी पूरा हो पाएगा क्योंकि नई समस्यायें और नये मुद्दे उत्पन्न होते रहते हैं। कोंकण रेलवे के पूरा होने तक सरकार त्रिरूअनंतपुरम से नई दिल्ली के बीच रेलगाड़ी क्यों स्थगित रखना चाहती है। वे हमें अभी रेलगाडी क्यों नहीं उपलब्ध कराते?

स्टेशनों के रिकार्ड पर ध्यान दें तो आप पायेंगे कि दिल्ली से केरल के लिए महीनों टिकट उपलब्ध नहीं होता। आपको टिकट नहीं मिल पाएगा। उनका कहना है कि कोई जगह नहीं है, प्रतीक्षा सूची 200-300 से अधिक है, ऐसे में वे टिकट कैसे जारी करें? महीनों यही स्थिति होती है। नहीं महोदय, इसकी सजा केरल के अभागे लोगों को न दें। कोई भी रेलगाड़ी शुरू नहीं की गई। अन्य भागों में अनेक नई रेलगाड़ी शुरू की गई।

अपराह्न 8.11 बजे

(कर्नल राव राम सिंह पीठासीन हुए)

जैसा कि हमारे मित्र ने सही बताया है कि बिहार और कर्नाटक के लोगों के खुशी का कारण है। कर्नाटक हमेशा ही भाग्यशाली रहा है। नई गाड़ियों की बात छोड़ें, रेल मार्ग के दोहरीकरण को ही लें। मंत्री और अधिकारियों द्वारा यह वायदा किया गया था कि इसमें तीव्रता लायी जाएगी। लेकिन हमें कोचीन से मंगलौर, शोरानूर से मंगलोर तक की यात्रा करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें घंटों इंतजार करना पड़ता है। वर्षों से हम इन लाइनों के दोहरा करने की मांग करते रहे हैं। क्या यह अब पूरा किया जाएगा? इसका कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मैं नहीं जानता क्यों ऐसा है? क्विलोन से त्रिरूअनंतपुरम के बीच भी रेल मार्ग को दोहरा करने का कार्य धीमी गति से चल रहा है। राज्य में उत्तर से दक्षिण के बीच कोई दोहरी रेल लाइन नहीं है और वे इस दोहरीकरण का वर्षों से इंतजार कर रहे हैं।

हमें तनूर से कोचीन तक तटवर्ती रेलमार्ग का भी वायदा किया गया था। इस दिशा में भी कुछ नहीं किया गया है। ये वायदे मात्र कागजी रहे हैं। यदि आप तटवर्ती रेल मार्ग की व्यवस्था करें तो सड़क पर भारी यातायात दुःखद दुर्घटनायें, अन्य रेलवे पर भारी बोझ को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन तनूर से प्रारंभ होने वाले उस महत्वपूर्ण रेल मार्ग को, जैसाकि माननीय मंत्री और रेलवे बोर्ड अधिकारियों द्वारा वायदा किया गया था, शुरू नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि इसे क्यों नहीं क्रियान्वित किया गया। यह विलंब किस कारण है? उन्हें क्या दिक्कत हो रही है? क्या यह वित्तीय संकट के कारण है? यदि हां, तो क्या यह वित्तीय संकट केरल के लिए ही है?

महोदय, केरल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए विद्यमान वर्तमान सुविधाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं त्रिचूर का रहने वाला हूं। त्रिचूर एक वित्तीय राजधानी, एक सांस्कृतिक राजधानी और मंदिरों का शहर है। यहां न केवल भारत से अपितु विदेशों से भी लाखों लोग आते हैं। त्रिचूर रेलवे स्टेशन की दशा अत्यंत खराब है और इसके मरम्मत का काम अत्यधिक धीमा है। यहां लोगों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। लोगों की यहां कुम्भ मेला की तरह भीड़ होती हैं। यहां बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं है।

मैंने दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखकर आरक्षण भवन में, जहां लोग काफी संख्या में इकट्ठा होते हैं, एक पूछताछ स्थान खोलने का अनुरोध किया था। यात्रियों को यह नहीं पता होता है कि टिकट कहां मिलेगी और कौन-कौन सी गाडियां उपलब्ध हैं। पर उस पत्र का मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने दक्षिण रेलवे के मुख्य अभियंता को पत्र लिखा। वहां अनेक विकास कार्य लम्बित पड़े होने के बावजूद भी वह त्रिचूर से अधिकारियों और अभियंताओं का स्थानांतरण कर रहे हैं। मुख्य अभियंता ने लिखा है कि कार्यालय बंद किया जा रहा है। माननीय मंत्री क्या कर रहे थे? इसके पीछे क्या कारण है? मैं परामर्शदात्री समिति का एक सदस्य हूं। यह भी मैंने लिखा था। कृपया मुझे बतायें कि क्या हो रहा है? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब तक उन्होंने शिष्टतावश भी उस पत्र का उत्तर नहीं दिया है।

मैं एक संसद सदस्य हूं और ग्यारह लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। फिर भी अधिकारी लोग उत्तर नहीं देते। वे त्रिचूर रेलवे स्टेशन का नवीकरण करने के प्रति गंभीर नहीं है। मुझसे पूर्व मेरे मित्र श्री पी.सी. चाको ने त्रिचूर का प्रतिनिधित्व किया था और त्रिचूर रेलवे स्टेशन का नवीकरण करने के लिए हर संभव प्रयास किया, पर सफल नहीं हुए। यह काफी समय से लम्बित पड़ा है। मैं नहीं जानता कि यह कब पूरा होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इसके लिए 21वीं सदी तक इंतजार करना होगा। हर कोई 21वीं सदी के बारे में बात करते हैं। पुडकोड में कोई दोहरा प्लेटफार्म नहीं है।

सभापति महोदय : आप भी कन्याकुमारी की यात्रा करने वाले हैं। आप स्वयं यात्री डिब्बों की दशा देख सकते हैं।

सभापति महोदय : राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री नोट कर रहे हैं।

श्री वी.वी. राघवन : यात्री डिब्बों की दशा अत्यधिक खराब है। सभी बेकार डिब्बों को केरल भेज दिया गया है। इस संबंध में हमारे मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा था। सभी संसद सदस्यों ने इसका प्रतिनिधित्व किया था क्योंकि बेकार डिब्बे अभी भी वहीं है। उन्हें बदला नहीं जा रहा है।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके संबंध में मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह केरल में चावल लाने के लिए मालडिब्बों और रेक का उपलब्ध न कराना है। केरल के खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यहां आये थे। वह इस जबरदस्त ठंड में केरल से दिल्ली मात्र इसलिए आए थे कि वह माननीय रेल मंत्री से कुछ रेकों और डिब्बे उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकें। वहां चावल के भंडार में भारी कमी आ गयी है। भारतीय खाद्य निगम के पास काफी मात्रा में चावल उपलब्ध है। आंध्र प्रदेश में चावल भरपूर मात्रा में है। हम इसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन रेकों और माल डिब्बों की कमी के कारण हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदय, यह गलत है। कल, उनके मंत्री यहां आकर मुझसे मिले थे। मैंने उनसे पूछा था कि उन्हें कितने रैकों की आवश्यकता है। मैंने उनसे कहा था कि वह जितना चाहे उतना रेक मैं दे सकता हूं। रैकों की कमी नहीं है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उन्हें वे रैक आज चाहिए या कल। मैं उन्हें देने को तैयार हूं।

[हिन्दी]

जहां-जहां से भी रैक के विषय में आया है, हमने सबसे कहा है कि हमारे पास रैक की कमी नहीं है। हम रैक देने के लिए तैयार हैं। उस दिन पार्लियामेंट के मेम्बर ने जब सीमेंट के सवाल पर पूछा तो हमने कहा कि सीमेंट वाले को भेजिए, हम उनको इनवाइट करते हैं। वे हमको क्यों इनवाइट करेंगे कि हमें रैक दीजिए। हम उनको इनवाइट करते हैं आप रैक लीजिए। कल आपके मिनिस्टर आए थे। हमने कहा कि आपको जितने रैक की जरूरत है, आप हमसे ले जाइए। जब आप हमारे ऊपर चार्ज लगाते हैं तो सोच समझकर लगाया कीजिए।

[अनुवाद]

श्री वी.वी. राघवन : मुझे यह जानकर हर्ष हुआ कि माननीय मंत्री हमें रैक उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें सच्चाई हैं। वह अक्तूबर और नवम्बर का रिकार्ड देख सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि मंत्री जी का आश्वासन बिल्कुल स्पष्ट है। आपको या केरल को जितने रैकों की आवश्यकता है वह देने को तैयार हैं।

श्री वी.वी. राघवन : सभापति महोदय, उन्होंने ऐसा वायदा पहले भी हमें किया था। हम उन्हें लेंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रेलवे प्राधिकारी की सीमेंट, स्ट्रील और औद्योगिक माल की ढुलाई से ज्यादा लाभ होता है। लेकिन खाद्य पदार्थ के मामले में उन्हें कम लाभ होता है। अतः वे रैक की कमी की बात करते हैं। अतः वे कम कीमत पर इन सामानों की ढुलाई नहीं करना चाहते।

महोदय, मैं एक बार पुनः यह कहना चाहता हूं कि हमारे खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री त्रिवेन्द्रम से दिल्ली मात्र इसलिए आये थे कि

वह माननीय मंत्री को इन सभी बातों की तथ्यात्मक स्थिति और आंकड़े बता सकें।

सभापति महोदय : माननीय रेल मंत्री ने सभा में यह आश्वासन दिया था कि खाद्यान्नों को केरल ले जाने के लिए जितने भी रैकों की जब भी जरूरत होगी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : कल हमारे पास केरल के खाद्य मंत्री नायर साहब आये थे और उन्होंने हमसे इस बात को ज्यों ही कहा, हमने अपने तमाम अफसरों को बुलाया, हमको चूंकि स्वयं जानकारी है कि हमारे पास में कमी नहीं है और जहां कहीं से भी हमारे पास में आया है, इम्मीडिएटली हमने दिया है। फूड मिनिस्टर यहां नहीं हैं, नहीं तो फूड मिनिस्टर से भी हमको कोई शिकायत नहीं है। उनसे हमने कहा, हमारे आफिसर ने हमारे सामने कहा, हमने कहा कि आपको कितने रैक की जरूरत है, आप हमें बतलाइये, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। अभी बोलिये, आपको कितने चाहिए, कल आपको कितने चाहिए, वे बिल्कुल सैटिसफाइड होकर गये। उन्होंने फिर अपनी तरफ से पता लगाया, उनके आफिसर भी थे। जिस चीज की कमी है, बोगी की हमारे पास कमी है, हम जवाब देंगे कि क्यों हमारे पास कमी है। जार्ज साहब यहां फोर्मर मिनिस्टर इसके रहे हैं, सारे लोग रहे हैं। एक तरफ से रेलवे की मांग होती है, आप रेलवे की गाड़ी चला रहे हैं, कोयम्बटूर से हमको गाड़ी चाहिए, दिल्ली तक की गाड़ी चाहिए, नोर्थ साउथ को जोड़ने की गाड़ी चाहिए तो गाड़ी चलेगी तो लाइन पर चलेगी, गाड़ी चलेगी तो बोगी पर चलेगी और बोगी मेरे पास में है नहीं, 30 परसेंट बोगी हमारे पास में बिल्कुल आउटडेटिड है ...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : गोहाटी की राजधानी में बोगी बहुत कम हैं, आप तो जानते ही हैं।

श्री राम विलास पासवान : जार्ज साहब को मालूम है, छह साल का पीरियड ज्यादा नहीं होता है, 30 परसेंट हमारे पास में आउटडेटिड हैं, 20 परसेंट मीटर गेज की हैं, 10 परसेंट सुपरफास्ट ट्रेन इन्क्लूडिंग राजधानी हैं और आपकी जो शताब्दी हैं, यह बोगीज ओवरएज्ड हैं, हम इनको रिस्क के ऊपर चलाने का काम कर रहे हैं। गाड़ियों की डिमांड हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसी की डेटिंग, पेंटिंग करके ही चलाएंगे। हमको भी डर लगता है, यदि कभी रेलवे में एक्सीडेंट हो जाता है तो रेलवे मिनिस्टर की जान निकल जाती है। यदि हम चाहें कि हम एक्सीडेंट को बचायें और ठीक से गाड़ी चलायें तो हमको 20 परसेंट गाड़ियों को बन्द कर देना चाहिए, लेकिन पब्लिक इंटरैस्ट में हम नहीं कर सकते, तो उसी गाड़ी को चलाते हैं और नया प्रिक्योरमेंट करते हैं, सारी चीज होती है, इसीलिए हमारे पास में जो कमी है, उस कैमी को हम निश्चित रूप से बतला देंगे, लेकिन ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मंत्री जी, उनका कहना यह है कि चूंकि फूडग्रेन्स के लिए रेलवे का टैरिफ कम है, इसलिए आपके आफिसर्स स्टील और कोल के लिए पहले रैक देते हैं और फूडग्रेन की सप्लाई के लिए प्रायोरिटी तो है।

श्री राम विलास पासवान : मेरे पास रैक की कमी नहीं है, माननीय सदस्य को यदि है तो कल हमारे पास आयें, यदि इनको शिकायत है, कल जितने रैक इनको चाहिए, मैं कल आर्डर कर दूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं यह जरूर कहूंगा कि माननीय मंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन प्रशंसनीय है।

श्री वी.वी. राघवन : महोदय, रेल मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड की समस्याओं को मैं भी महसूस करता हूं। लेकिन इस संदर्भ में मुझे एक छोटा-सा सुझाव देना है। रेल को शेष चार अथवा पांच महीनों के लिए अपनी प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करना होगा। हमारा बजट हमारी वित्तीय समस्या है। 'बोल्ट' के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मैं नहीं समझता कि यह एक आकस्मिक घटना है। पश्चिम रेलवे से पूछिये। इन्होंने 'बोल्ट' योजना के अंतर्गत इसने एक समान गेरेज कार्य एक व्यक्ति को दिया था। हमें इस वर्ष केवल यही अनुभव हुआ है। उनसे पूछिये कि परिणाम क्या हैं। वह व्यक्ति वहां नहीं है, कोई वित्त नहीं है, और जिस व्यक्ति ने बॉल्ट योजना के अंतर्गत परियोजना ली थी वह पश्चिम रेलवे से गायब है। यह काम वहां रूका पड़ा है।

सभापति महोदय : अब आपको अपना भाषण समाप्त करना होगा।

श्री वी.वी. राघवन : अभागे केरल राज्य तथा अभागे केरल के लोगों के साथ भेदभाव बरतने के लिए सभी ये समस्याएं कारण नहीं होने चाहिए। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : अब श्री पी.सी. थामस अपना भाषण शुरू करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुलाम रसूल कार (बारामूला) **:** हमें भी बोलने का मौका दें।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी ने आपका नाम बहुत नीचे दिया है। जब आपका नम्बर आएगा, आपको मौका देंगे।

श्री गुलाम रसूर कार : हमारे साथ भी जस्टिस होना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं तो खुद आधा कश्मीरी हूं। फौज की 15 साल की सर्विस कश्मीर में लगाई है।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मुझे खुशी है कि इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों में नये कार्यों का भी सुझाव दिया गया है। मैं समझता हूं कि पांच लाइनों का सुझाव दिया गया है तथा उन कार्यों के लिए धन की मांग की गयी है। लेकिन मैंने पाया कि इसमें एक को छोड़कर लगभग सभी में कारण यह बताया गया है कि ये अविकसित क्षेत्र, पिछडे क्षेत्र से गुजरती है। अथवा मार्ग छोटा है अथवा अन्य परिवहनों आदि के लिए कठिनाई होती है। यही कारण है ये मार्ग सुझाये गये हैं। मैं भी इसका समर्थन करता हूं लेकिन मैं मंत्रालय को भी याद दिला दूं कि कतिपय अन्य लाइनें भी हैं जिनके सर्वेक्षण लम्बित हैं। जब कभी इन लाइनों संबंधी रिपोर्ट आते हैं तो रेल विभाग कहता है कि यह आर्थिक तौर पर संभव नहीं है। इस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता।

महोदय, मेरा सुझाव हैं कि सामाजिक पहलू पर भी बडी गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाये तथा ऐसी एक रेल लाईन जो मेरे राज्य केरल में सुझायी गई है वह ठीक इन रेल लाइनों की तरह हैं जिसे पिछडेपन के कारण ही नहीं अपितु इस कारण भी लिया गया है कि इसमें तीर्थस्थल शामिल है।

मेरा निवेदन है कि सबरीमाला नामक एक ऐसा स्थान है जिसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है तथा जो धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रसिद्ध भी है, जहां मुस्लिम, हिन्दू तथा इसाई सभी जाते हैं। वे न केवल मस्जिदों में जाते हैं अपितु वे सभी मन्दिर भी जाते हैं तथा अय्यपा की पूजा करते हैं। अय्यपा धर्म निरपेक्षता का द्योतक है। अतः मैं यह कहता हूं कि एक लाईन ...**(व्यवधान)** वह कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक कहावत है। कहावत यह है कि उस समय अय्यपा बुराइयों के खिलाफ लड़े थे तथा एक मुस्लिम साधु बाबर ने उसका साथ दिया था। इसीलिए यह कहा जाता है कि सबरीमाला वह स्थान है जहां धर्म निरपेक्षता है तथा समस्त भारत के लोगों को यह दिखाया जा सकता है कि यह एक ऐसा स्थान है जहां हिन्दू मस्जिदों में जाते हैं तथा मुस्लिम भाई पूरी आन बान तथा शान से उनका स्वागत करते हैं।

महोदय, लोग लाखों की संख्या में नहीं बल्कि समस्त भारत के करोड़ों लोग सबरीमाला जाते हैं। इन रेल लाइनों में से किसी में भी मुझे यह कारण नहीं मिला कि इन्हें यातायात के कारण मंजूरी दी जाये क्योंकि ये आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी हैं। अतः मेरा निवेदन है कि सबरी माला तक रेल लाइन हो जिसके लिए प्रस्ताव भी किया गया है। कोट्टायाम से भी एक प्रस्ताव आया था लेकिन यह पाया गया कि इसमें कुछ कठिनाई है। अंगामाली बरास्ता मुवात्तुपूजा एकमेली से साबरमाला का भी एक और प्रस्ताव है। जिसका सर्वेक्षण कर लिया गया है और जिसकी रिपोर्ट लम्बित है। केरल के संदस्यों के सम्मेलन, जिसे माननीय रेल मंत्री ने आयोजित किया था, में यह आश्वासन दिया गया था, और सितम्बर के अंत तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया जायेगा। लेकिन सितम्बर भी चला गया है, अक्तूबर भी चला गया है, अब दिसम्बर चल रहा है और संसद में मुझे जवाब ऐसा मिला है। मानों कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि रिपोर्ट तुरंत मांगी जानी चाहिए।

अंगामलि बरास्ता मुवाट्टपूजा, एकमेली से सबरीमाली और वहां से पुनालूर तक रेल लाइन का प्रस्ताव है। यही रेल लाइन है जो संभव है, जिसके लिए निवेश अनुपात सकारात्मक है तथा मैं समझता हूं कि इसे तुरंत शुरू किया जाना चाहिये :..**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : क्या कोट्टयाम-दिगनूर बरास्ता सबरीमाला वही पूरी लाईन है ...**(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस : सुझावित लाइन कोटटयाम-एकमेली सबरीमाला की है। अन्य वैकल्पित मार्ग अंगामिल एकमेली-सबरीमाला का है जिसके लिए रिपोर्ट लम्बि है।

रिपोर्ट के 30 सितम्बर से पहले आने की आशा की गई थी। लेकिन रिपोर्ट तैयार नहीं है तथा मुझे खेद है कि रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है। रिपोर्ट तुरंत आ जानी चाहिये। मेरा सुझाव है कि इसे बनाया जाना चाहिये तथा इसे योजना में शामिल किया जाना चाहिये तथा कम से कम आगामी बजट में अंगामाली-मुवाट्टुपूजा-सबरीमाला लाइन को एक नये रेल मार्ग के रूप में स्थान मिलना चाहिये। यह है मेरा पहला मुद्दा। मेरे चार अथवा पांच मुद्दे हैं। मैं वे भी बताउंगा।

मेरा दूसरा मुद्दा लाइनों के दोहरीकरण के बारे में है। लाइनों के दोहरी करण के बारे में जब हम यह सुझाव देते हैं कि दोहरीकरण किया जाना चाहिये क्योंकि यह रेल का काम है तथा रेल इसे करेगी क्योंकि इससे रेल की कार्य दक्षता बढेगी तो रेल विभाग हमेशा यह कहता है विशेषकर रेल मंत्री हमेशा यह कहेंगे कि यह जानकर वे खुश हैं। जैसा कि पहले ही श्री वी.वी. राघवन द्वारा सुझाव दिया गया है कि केरल में रेल लाइनों का दोहरीकण अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा हम संसद के सभी सदस्यों ने मिलकर यह सुझाव दिया था कि दोहरीकण का कार्य किया जाना चाहिये। मुझे खुशी है कि मंत्री ने केरल के संसद सदस्यों के सम्मेलन में आश्वासन दिया है कि पर्याप्त धन दिया जायेगा।

आज अध्ययन करने पर मुझे पता चला कि केवल धन की ही आवश्यकता नहीं है अपितु कतिपय अन्य आवश्यकताएं भी हैं। संरचनात्मक जरूरतें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैं समझता हूं कि हालांकि धन आवंटित कर दिया गया है, मुझे मालूम है कि सिर्फ दोहरीकरण के लिए 67 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं लेकिन अब तक केवल 17 करोड़ रुपयों का उपयोग हुआ है तथा इतने थोडे समय में इसका और उपयोग नहीं होगा। इसका कहीं अन्यत्र उपयोग होगा। क्यों? मैंने अभी अभी इसके बारे में सोचा है तथा शोध से मैंने यह पाया है कि यह इसलिए हो रहा है कि केरल में कार्यालय समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं।

मुख्य अभियंता (निर्माण) के कार्यालय की अन्यत्र आवश्यकता है तथा मैंने यह मुद्दा रेल तथा माननीय मंत्री के साथ उठाया है और मंत्री को यह देखने के लिए राजी कर लिया गया है कि कोई कार्यवाही हो। लेकिन मुझे खेद है कि ऐसे कार्यालय की चार वर्ष पहले मंजूरी दी गई थी। मैंने संसद में एक प्रश्न किया था लेकिन मुझे यह उत्तर मिला कि ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई है। लेकिन मैं रेल से संबंधित व्यक्तियों को याद दिलाना चाहूंगा कि वह उत्तर सही नहीं था तथा ऐसा उत्तर नहीं दिया जाना चाहिये था। ऐसा उत्तर हम सभी को विशेष कर मंत्री को उलझन में डालता है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारा मंत्री ऐसा है बडा चुस्त व्यक्ति है लेकिन मंत्री के साथ रहने वाले लोगों को उचित रिपोर्ट देनी चाहिये। सही रिपोर्ट नहीं दी गयी। समस्या यही है। आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास रिकार्ड हैं। मैं उनको पढ़ूंगा नहीं। लेकिन यह दिखाने के लिए मेरे पास रिकार्ड हैं।

सभापति महोदय : श्री थामस मंत्री महोदय कुछ बोलना चाह रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : प्रत्येक मसले की गहराई में जाने का मेरे पास अधिक समय नहीं होगा। मैं केवल हस्तक्षेप करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

आपने दो लाइनों की डबलिंग के बारे में कहा है, लेकिन हमारे पास शोरनूर-मैंगलूर लाइनों को डबल करने के बारे में है। जिसके लिए हमने कहा था कि वह मार्च, 1998 में पूरी हो जाएगी और उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम क्विलोन लाइन मार्च, 1998 तक पूरी हो जायेगी। इसके लिए हमने कहा था अगस्त, 1996 तक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही

[हिन्दी]

भूमि का विषय जो हमारे पास फीगर्स हैं, उसके मुताबिक भूमि अभी तक कजाकुटम से आगे तक उपलब्ध नहीं करायी गई है। इसके मद्दे नजर कुछ विलम्ब होगा। राज्य सरकारों से हमारी बातचीत चलती है। जहां रेलवे का मामला है, रेलवे अपनी जवाबदेही स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन जिसके लिए राज्य को जमीन देनी है, उसके बारे में हम आपसे कहना चाहते हैं और माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहते हैं कि वे अपने नैतिक बल और प्रभाव से राज्य सरकार पर दबाव डालें। यदि हमारे पास लैंड नहीं आएगी, तो पैसा हमारे पास पड़ा रहेगा। उसका इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे। आपका कहना सही है कि हम पैसा नहीं देते हैं। अंगर हम नहीं देते हैं, तो हमारी गलती है, लेकिन पैसा पड़ा हुआ है और राज्य सरकार को लैंड प्रोवाइड करनी है। हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं और आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप अपनी तरफ से लिखने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं मंत्री को दिये उस सुस्पष्ट तथा स्पष्ट अनुदेशों तथा आदेशों पर धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने दिये हैं तथा सभी संसद सदस्यों के साथ जो वे बड़ा सहयोग तथा सहायतापूर्ण रवैया दिखा रहे हैं उसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद दे रहा हूं।

श्री पी.सी. थामस : मैं भी उन्हें धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री गुलाम रसूल कार : मंत्री महोदय को जवाब आखिर में देना चाहिए। प्रोसीजर अभी रिवाइज नहीं हुआ है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय जवाब भी देते हैं तो आप कहते हैं कि जवाब न देना चाहिए और जब मंत्री महोदय जवाब देने के लिए तैयार हैं, तब आप कहते हैं कि जवाब नहीं देना चाहिए।

श्री गुलाम रसूल कार : मंत्री महोदय आखिर में जवाब दें। नहीं तो मुझे बोलने के लिए इन्तजार करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री थॉमस, मैं समझता हूं कि अब आपको अपना भाषण समाप्त करना चाहिये। माननीय मंत्री ने आप को पूरा आश्वासन दे दिया है।

श्री पी.सी. थामस : जहां तक मुख्य अभियंता के कार्यालय का सम्बंध था, तो इसको चार वर्ष पहले मंजूरी दी गई थी। आपको यह दिखाने के लिए कि चार वर्ष पहले एर्नाकुलम के लिए न केवल मंजूरी दी गई थी अपितु वहां एक अधिकारी भी तैनात किया गया था। मेरे पास रिकार्ड की एक प्रति है। मैं समझता हूं कि अधिकारी ने छुटटी ली थी। लेकिन इसके पश्चात कार्यालय में काम नहीं हुआ और इसलिए मुख्य अभियंता (निर्माण) नहीं आये हैं। अत कार्य को तेजी से करवाने माननीय मंत्री की इच्छा की तुष्टि करने के लिए मैं समझता हूं कि मुख्य अभियंता के कार्यालय को तुरंत मंजूरी दी जाये तथा एर्नाकुलम में कार्य शुरू किया जाये।

महोदय, मैं अपना भाषण जल्दी ही समाप्त करूंगा। मेरा तीसरा मुद्दा विद्युतीकरण के बारे में है। हमारे पास एराडे से एर्नाकुलम तक का लाइन विद्युतीकृत है तथापि कार्य मथंर गति से चल रहा है। तो इस कार्य के जल्दी करवाने के लिए उस कार्यालय से जुडा कार्यालय भी जरूरी है। मेरा निवेदन है कि विद्युत लो को शैड का कार्यालय- एक कार्यालय नहीं होता, यह एक कार्यात्मक ढांचा होता है- इसका कार्यालय केरल में किया जाये ताकि विद्युत कार्य शीघ्र हो सके।

जहां तक अन्य मुद्दों का सम्बंध है जिन पर श्री राघवन बोल चुके हैं, इन पर मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि हम केरल के संसद सदस्य केरल नहीं जा सकते क्योंकि सभी हमारी यह कहकर निंदा करते हैं कि केरल जाने वाली गाड़ियों में डिब्बे बहुत पुराने हैं। अभी माननीय रेल मंत्री ने कहा है कि उनमें से लगभग एक तिहाई डिब्बे को हटा दिया जाएगा। यह ठीक राज्य सभा के एक तिहाई सदस्यों की तरह है जो प्रति दो वर्षों में एक बार यदि सेवा निवृत्त होते हैं तथा उनके स्थान पर नये सदस्य आते हैं इसीलिए इन एक तिहाई डिब्बे हटाना पड़ता है, तो उन्हें हटाइये, लेकिन उन्हें केरल मत लाइये। मैं समझता हूं कि ये एक तिहाई डिब्बे केरल आ रहे हैं। हम केरल के संसद सदस्यों को इससे बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है।

महोदय, मुझे भाषण देने के लिए यह अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। मैं 'केरल में रेल विकास के विषय पर कांफ्रेंस हेतु जो 2 दिसम्बर, 1996 को संविधान क्लब में होने जा रहा है। हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए माननीय रेल मंत्री का भी शुक्रगुजार हूं।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सभापति महोदय, धन्यवाद। माननीय रेल मंत्री जी ने इस हाउस में रेलवे बजट प्रपोजल्स पेश करते हुए, जो रेलवे सेटअप को डेवलप करने के लिए प्रपोजल रखी थी, उनको कम्पलीट करने के लिए जो यह सप्लीमेंट्री डिमांड्स [illegible] न रखी हैं, मैं उनका सपोर्ट करता हूं और मैं समझता हूं कि ये जरूरी हैं। मगर मैं यह जरूर महसूस करता हूं कि जो यह सप्लीमेंट्री डिमांड्स आज हाउस में रखी गई हैं इसमें जो डिसक्रिमिनेशन हुआ है वह जरूर दूर होना चाहिए। इसमें बहुत सारे प्रदेशों का नाम तक नहीं दिया गया जैसे पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर आदि।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि पंजाब से सारे देश के लिए फूडग्रेंस जाता है। यह बहुत महत्वपुर्ण प्रदेश है, बार्डर एरिया है। जम्मू-कश्मीर भी बार्डर एरिया है। इन प्रदेशों के लिए रेलवे सेटअप डेवलप होना चाहिए था। मुझे अफसोस है और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी से लेकर आज तक एक किलोमीटर रेलवे लाइन भी पंजाब में अब तक नहीं चल पाई। अब गोविन्द पालपुर के लिए रेलवे लाइन शुरू की जा रही है, या जितनी जल्दी हो जाए, अच्छा है, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा।

सभापति महोदय, हमारे देश का जो रेलवे नेटवर्क है वह विश्वभर के नेटवर्क में से एक माना जाता है और इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, रेलवे डिपार्टमेंट को। शायद इसलिए इसकी इम्पोरटेंस को देखते हुए लीडर ऑफ द हाउस को रेलवे का मंत्री बनाया गया है।

मैं समझता हूं जैसी की रेलवे की महत्ता है उसी तरह से पूरे विश्व में इसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर रेलवे की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम नहीं की गयी तो रेलवे देश के लिए एक बोझ बन जाएगी और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन अधिक होने से रेलवे ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता जा रहा है और प्रतिवर्ष रेलवे का किराया-भाड़ा बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन में शेयर कम होता जा रहा है जोकि घटकर तीस से सात परसेंट रह गया है। इसमें आपको सुधार करना चाहिए। रेलवे मंत्री जी बड़े एनरजेटिक और यंग हैं और उनके द्वारा नये-नये प्रोजेक्ट्स लगाकर तथा इसकी एफीशियेंसी बढ़ाकर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को कम किया जाएगा। लेकिन जो बजट परपोजल आया है और सप्लीमेंटरी डिमांड भी आई है उससे ऐसा आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है।

दूसरी बात यह है कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सस्ता भी होना चाहिए। पहली बात जो देखने में आती है और मंत्री जी ने भी देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियां खाली चली जाती हैं। खासतौर से पैसेंजर गाड़ियों में 10-10 डिब्बे होते हैं जिनमें दो डिब्बों की भी सवारी नहीं होती हैं। बहुत सारे रेल के इंजन भी खाली चले जाते हैं। हमारे यहां शुगल में इन्हें तेजासिंह कहते हैं। इस तरहे से तीन-तीन सौ, चार-चार सौ किलोमीटर तक 40-40, 50-50 डिब्बों वाली गाड़ियां खाली चली जाती हैं। इसमें सुधार होना चाहिए और रेलवे की फिजूलखर्ची रूकनी चाहिए।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : क्या माननीय सदस्य बताने की कृपा करेंगे कि कौन सी गाड़ियां खाली जाती हैं?

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : आप एक दिन स्टेशन पर रूक जाइये, कम से कम 15 परसेंट माल दुलाई की गाड़ियां ऐसी होंगी जो खाली जाती हैं। आप सर्वे कर लीजिए। उनमें सुधार किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि कुछ स्टेशन ऐसे हैं जैसे पंजाब में राजपुरा स्टेशन ऐसा ही स्टेशन है। पंजाब के लिए यू.पी. और बिहार से मजदूरी बरौनी एक्सप्रेस ऐसा ही स्टेशन है। पंजाब के लिए यू.पी. और बिहार से मजदूरी बरौनी एक्सप्रेस से जाते हैं लेकिन बरौनी एक्सप्रेस राजपुरा में नहीं रूकती है, सरहद में जाकर रूकती है। वहां से मजदूरों को बसों से आना पड़ता है। मजदूर भी परेशान होते हैं और इसी कारण से बहुत सारे मजदूर बसों से ही आते हैं, स्टोपेज न होने के कारण वे रेल से नहीं आते हैं। तो वहां स्टोपेज होना चाहिए। इसी तरह से सतखंड एक्सप्रेस भी राजपुरा में नहीं रूकती है और न ही कोई इंटरस्टेट ट्रेन राजपुरा में रूकती है। भटिंडा, संगरूर, पटियाला के लिए यात्री राजपुरा से जाते हैं। इसलिए अगर स्टोपेज सही हो तो रेल से यात्रा को सस्ती बनाया जा सकता है।

ऐसे ही ओवर-ब्रिज का मसला है। हम चेयरमैन के साथ रेलवे मंत्री से मिले भी हैं। बहुत सारी रेलवे लाइनों के कारण रूकावट पड़ती है। सड़कों पर ट्रैफिक रूक जाता है। उसका खर्चा रेलवे डिपार्टमेंट को देना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए। राजपुरा सनाम,

लहरा, पटियाला और मुरिंडा बहुत सारे स्थानों पर ओवरब्रिज बनाने की जरूरत है। वहां अभी तक ओवर ब्रिज बनाए नहीं जा सके हैं। एक-एक घंटा मुसाफिरों को रूकना पड़ता है। मेरी मांग है कि वहां ओवर ब्रिज होने चाहिए क्योंकि वहां थीन डैम, भाखड़ा डैम और नंगल में एन.एफ.एल. है। वहां से बिजली और खाद सारे देश में पहुंचती है। ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण रूकावट आती है। ओवर ब्रिज बनाने की बात को गम्भीरता से लेना चाहिए।

रेलवे डिपार्टमेंट ने पटियाला में डी.सी.डब्ल्यू, नाम की वर्कशॉप बनायी। जिन लोगों की जमीन एक्वायर की गई, उनसे कहा गया कि उनके परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, मगर एक भी परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं दी गई। उस कारखाने में कोई प्रोडक्शन नहीं होता। जिन लोगों की जमीन एक्वायर की गई उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए।

पटियाला एक महत्वपूर्ण शहर है। उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन का भी काम हो सकता है। इससे रेलवे डिपार्टमैंट को फायदा हो सकता है। रिजर्वेशन करवाने के लिए लोगों को अम्बाला आना पड़ता है। रेलवे रिजर्वेशन पटियाला और राजपुरा में होना चाहिए ताकि वहां के लोगों को रिजर्वेशन की सुविधा हो सके।

चंडीगढ़ एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। वह पंजाब की राजधानी है। वहां पर एक प्लेटफार्म है। वहां बहुत भीड़ हो जाती है। वहां कम से कम दो प्लेटफार्म होने चाहिए और कम्प्यूटर सिस्टम होना चाहिए। इससे वहां के लोगों को रिजर्वेशन के सम्बन्ध में जानकारी मिल सकेगी। सप्लीमेंटरी डिमांड्स में पंजाब जैसे प्रदेश को प्रैफरैंस देनी चाहिए। एक लाइन चंडीगढ़ को लिंक करने के लिए राजपुरा से प्रपोजल बना था। वह प्रपोजल बजट में भी आया। हमने उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की मांग की थी। राजपुरा से चंडीगढ़ 25 किलो मीटर पड़ता है। प्रपोजल 55 किलो मीटर लाइन को घुमा-फिरा कर लाने का था। इस रूप को छोटा करके 25 किलो मीटर किया जाए। अगर इसे इकोनमिक बनाना है और लोगों की सुविधाएं बढ़ानी हैं तो इस लाइन को सीधे राजपुरा से सिस्वा तक करें। सिस्वा से चंडीगढ़ 25 किलो मीटर पड़ता है। लुधियाना से चंडीगढ़ के लिए रेलवे लाइन बनाने का प्रपोजल था। वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उसे पूरा किया जाए।

पंजाब की रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण होना चाहिए। पंजाब की गाड़ियों में हैवी लोड रहता है। वहां की लाइनों का विद्युतीकरण करने की जरूरत है। कुछ काम चल रहा है। उसे और तेज किया जाए। ऐसी विनती करके आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री तिरूची शिवा (पुडुक्कोट्टई) : सभापति महोदय, उस बजट पूर्व कांफ्रेंस में जो माननीय रेल मंत्री ने तमिलनाडु के संसद सदस्यों के साथ चेन्नई में की थी इसमें उन्होंने कतिपय घोषनाएं की थी जिससे तमिलनाडु के लोगों के दिमागों में नई आशाएं जगी थी उन्हीं घोषणाओं की पुष्टि करते हुए वर्ष 1996-97 के बजट को प्रस्तुत करते समय माननीय रेल मंत्री ने इस सभा में यह आश्वासन दिया था कि तमिलनाडु में आमान परिवर्तन के सम्बंध में निम्न लिखित कार्य करया जायेगा तथा पूरा कराया जायेगा।

1. चेन्नई-त्रिरूचिरापल्ली-डिंगगिनुल मार्च, 98 तक
2. त्रिरूचिरापल्ली-नगारे लाईन उच्च प्राथमिकता आधार पर
3. सलेम-कुड्डालोद लाईन पर सर्वेक्षण

हालांकि वित्त वर्ष समाप्त हो रहा है तथा मुश्किल से तीन ही महीने बचे हैं, लेकिन यह हतोत्साहित करने वाली बात है कि उपर्युक्त परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है जैसा कि माननीय रेल मंत्री द्वारा आश्वासन दिया था शायद यहां यह कहना अनुचित नहीं है कि तमिलनाडु के लोगों के साथ रेल मंत्रालय सर्वदा सौतेला व्यवहार करता रहा है हांलाकि दक्षिण रेल ने भारतीय रेल को बड़ा योगदान दिया है एक समाचार जो 'दि हिन्दू' में छपा है जो तमिलनाडु के आमान परिवर्तन के संबंध में कार्य के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। यह कार्य काफी गति से चल रहा है। यह मुझे समझ में नहीं आता कि तमिलनाडु की योजनाओं से मुंह क्यो मोडा जाता है। मैं यहां यह जरूर कहूंगा कि जब तक त्रिरूची-डिंडीगुल छोटी रेल लाईन का चिरूची-बिल्लुपुरम खण्ड सहित आमान परिवर्तन नहीं हो जाता है तब तक कोई लाईन परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। लेकिन त्रिरूची-बिल्लुपुरम कार्ड लाईन का आमन परितर्वन स्वयं बडी मंद गति से हो रहा है। प्रशासन द्वारा यह उत्तर दिया गया कि सेक्शन में पुल कार्य को पूरा करने के पश्चात परियोजना में तेजी लायी जायेगी। प्रशासन भी सलेम बंगलौर बडी लाईन को यात्री गाडियों के लिए खोलने की स्थिति में नहीं है हांलाकि कार्य पूरा हो गया है। परियोजना को शुरू करने से पहले यात्री सुविधाओं से सम्बंधित केवल छोटे मोटे कार्य किये जायेंगे।

रेल मंत्री जी ने चेन्नई में हुई बैठक में घोषणा की थी कि चेन्नई-विलीपुरम मुख्य रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना में किया जाएगा परन्तु लगता है अब यह कार्य नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी शुरू नहीं किया जाएगा।

श्री राम विलास पासवान : जहां तक सलेम बगलार रेल लाइन के आमान परिवर्तन का संबंध है यह कार्य पूरा किया जा चुका है। हम पिछले डेढ़ दो माह से हम इसके चालू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन के समय वहां उपस्थित होना है इसलिए हम दोनों से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं। मैंने श्री मारन जी और अन्य साथियों से कहा है कि जब मुख्यमंत्री उपलब्ध हो तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं इसके उद्घाटन हेतु हर समय वहां जाने के लिए तैयार हूं।

सभापति महोदय : आपके पास आपके प्रदेश और आपकी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं।

श्री तिरूची शिवा : जब रेल मंत्री ही इसके लिए जिम्मेदार है तो मैं उनसे ही पूछ सकता हूं।

यह बड़े आश्चर्य, अविश्वसनीय तथा खेदजनक बात है कि इतनी बडी धनराशि जिसे मूल रूप से तमिलनाडु में आमान परिवर्तन के लिए आवंटित किया गया था, का अन्य परियोजनाओं पर व्यय किया जा रहा है जबकि इनमें कुछ परियोजनाओं का तो रेलवे बजट में जिक्र भी नहीं किया गया है। तमिलनाडु के लोग इतने निराश हो गए हैं कि उन्हें केवल इसी बात का भय नहीं है कि यह कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा नहीं होगा बल्कि उन्हें इस बात की भी शंका है कि कार्य में अनिश्चित विलम्ब हो सकता है। रेल मंत्री की जानकारी के लिए हमें यह बताया गया है कि चेन्नई तिरूचिरापल्ली -डिंडीगुल के आमान परिवर्तन के लिए आवंटित 88 करोड़ रुपये में 55 करोड़ रुपए कर्नाटक राज्य को दे दिया गया है। इसी प्रकार, तिरूचिरापल्ली नागोर रेल मार्ग पर आमान परिवर्तन हेतु आवंटित 55 करोड़ रुए में से 33 करोड़ रुपए उत्तरी भारत राज्यों को आवंटित कर दिए गए हैं। मुझे इस बात का खेद है कि मुझे इसके कारणों का पता नहीं लगा। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे उपरोक्त परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति के बारे में हमें अवगत कराएं और यह भी स्पष्ट करें कि उस धनराशि को अन्य परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है। आमान परिवर्तन के लिए तमिलनाडु के लोगों द्वारा लम्बे समय से मांग की जा रही है और यदि धनराशि के आबंटन में विलम्ब करके या उसे दूसरी परियोजनाओं में लगा के इन परियोजनाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया तो तमिलनाडु के लोगों के मन में यह असंतोष घर कर जाएगा और मैं समझता हूं कि रेल मंत्री ऐसा नहीं होने देंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखने के अतिरिक्त मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने सलेम और करूर के बीच एक नई रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव किया है जिसका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। अन्य परियोजनाओं को तरह इस परियोजना की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

हमें रेल मंत्री जी पर विश्वास है क्योंकि श्री पी.सी. थॉमस जी ने बताया है कि हमारे रेल मंत्री बहुत उत्साहित व्यक्ति है ओर वे बहुत सी योजनाओं को प्रभावकारी बनाने में वास्तव में रूचि ले रहे हैं। मैं एक बार फिर उनके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि चेन्नई बरास्ता तिरूचि और डिन्डीगुल के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए जिसके लिए तमिलनाडु के लोग काफी लम्बे समय से मांग कर रहे हैं।

जैसे आपके सत्र में आने से हमारे मन नई, आशाएं जगी कि अब हमारे साथ पहले की तरह सौतेला व्यवहार नहीं किया जाएगा। मुझे आशा है कि रेल मंत्री हमें इन परियोजनाओं की वास्तविक और वर्तमान स्थिति से अवगत कराएंगे और साथ ही पहले से आवंटित धनराशि को दूसरी परियोजनाओं में लगाए जाने के कारणों के बारे में भी जानकारी देंगे।

इन्ही शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे आशा है कि रेल मंत्री तमिलनाडु द्वारा अब तक की गई मांगों को पूरा अवश्य करेंगे।

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी) : सभापति जी, रेल मंत्रालय के सप्लीमेंटरी बजट का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातों की ओर रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : इंडीपेण्डेण्ट सदस्यों का चांस लास्ट में आएगा?...**(व्यवधान)**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : कांग्रेस की लिस्ट को भी थोड़ा देख लीजिए।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कांग्रेस की लिस्ट देख ली है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : बी.जे.पी. की लिस्ट भी देखिये। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। जो पार्टी से लिस्ट आई है इस लिस्ट को बदलना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हर पार्टी का जितना समय है इस डिसकशन के लिए, उस समय को भी ऐडजस्ट करना पड़ता है।

श्री रमेन्द्र कुमार : पार्टी के अलावा जो इंडीपेण्डेण्ट हैं, उनका भी नाम आएगा?...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कुछ को तो ऐडजस्ट कर सकते हैं।

श्री रमेन्द्र कुमार : रमेन्द्र कुमार को ऐडजस्ट कीजिए। जार्ज साहब तीन आदमियों के लीडर हैं तो उनको 20 मिनट का समय दे दिया। इसलिए हमें भी कुछ समय दीजिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, पहले आप स्वयं संतुष्ट हो जाइए, हम संतुष्ट हो जाएंगे।

[हिन्दी]

चार घंटे की डिबेट हो गई है। कांग्रेस के दो आदमी बोले हैं जबकि वह सेंकंड लारजैस्ट पार्टी है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अभी तक बी.जे.पी. के दो सदस्य बोले हैं, कांग्रेस के दो सदस्य बोले हैं। केरल कांग्रेस का एक बोला है। जो रैकॉर्ड मेरे पास है, उसमें धनञ्जय कुमार और काशीराम राणा केवल दो लोग बी.जे.पी. के बोले हैं। चाहे चालीस मिनट बोले हैं या पचास

मिनट बोले हैं, लेकिन सिर्फ दो बोले हैं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि दस मिनट में अपनी बात रखें क्योंकि मंत्री जी को भी जवाब देना है।

श्री गुलाम रसूल कार : आज बहुत देर हो गई है। अगर आप और मंत्री जी राजी हों, तो मैं रेक्वेस्ट करता हूं कि कल दो घंटे फिर इस पर बहस कर लेंगे।

सभापति महोदय : यह मेरे अखतियार से बाहर की बात है।

श्री ब्रह्मानन्द मण्डल (मुंगेर) : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर सभी सदस्यों को बोलने का समय मिलना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री भक्त चरण दास जी कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास : सभापति महोदय, रेलवे की सप्लीमेंटरी डिमांड्स का समर्थन करते हुए मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। उड़ीसा में रेलवे पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। पहले मैं रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भुवनेश्वर में रेलवे का जोनल ऑफिस खोलने का कष्ट किया है, लेकिन अभी तक न स्टाफ है, न फुल-फ्लैज्ड फंक्शन हुआ है।

अपराह्न 9.00 बजे

कुछ मामूली स्टाफ वहां पर गया है लेकिन अभी तक इफैक्टिव नहीं हो पाया है। जहां तक मेरे ख्याल में आता है यह रेल मंत्री जी ने इस दृष्टि से किया होगा कि देहात से देहात के ज्यादा से ज्यादा लोग रेलवे अधिकारियों के पास पहुंच पायें, इसलिए आजकल यह आफिस वहां चालू किया गया है, लेकिन जब तक यह कम्पलीट नहीं होगा, साउथ ईस्टर्न में लोगों को कलकत्ता जाना पड़ रहा है और हम अपनी मांगे भी पेश नहीं कर पा रहे हैं। तो यह ऑफिस कैसे इफैक्टिव हो, इसके लिए मंत्री महोदय कष्ट करेंगे, यह मैं आशा करता हूं।

दूसरी बात यह है कि संबलपुर से तालचर रेलवे लाइन बहुत महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है। इसके कम्पलीट होने का जो टारगेट था, वह बढ़ता चला जा रहा है। अगर यह रेल लाइन कम्पलीट होगी तो स्टेट की कैपीटल में चार घंटे से लेकर दस घंटे में पहुंच सकेंगे। जबकि आजकल दस घंटे से लेकर-16 घंटे तक लगते हैं, चाहे आप ट्रेन, कार या बस से जाएं। उड़ीसा का बहुत बड़ा पिछड़ा खंड है, जिसको पश्चिम उड़ीसा कहते हैं। वहां के लोग इस रेलवे लाइन के कम्पलीट होने के बाद जल्दी जा पायेंगे। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि रेल मंत्रालय की ओर से इसको जितनी जल्दी हो सके कम्पलीट करें। मेरी कांस्टीटुएंसी में लांजीगढ़ रोड और जूनागढ़ रोड रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन को आज चार-पांच साल हो गये हैं, लेकिन इस पर मात्र चार करोड़ रुपया ही खर्च हुआ है। हमने मंत्री महोदय से प्रार्थना की थी और श्री नरसिंहराव जी और चन्द्रशेखर जी ने भी निवेदन किया था, तो उन्होंने इस साल के लिए वहां पर पांच करोड़ रुपये देने की बात हमसे कही है, लेकिन आज तक पेपर में तो कुछ भी नहीं है। मुझे मालूम नहीं है, मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है कि पांच करोड़ रुपये दिये हैं या नहीं दिये हैं।

श्री राम विलास पासवान : एक करोड़ रुपये पहले दिये गये थे, लेकिन आपके कहने के बाद पांच करोड़ रुपये कर दिये गये हैं।

श्री भक्त चरण दास : धन्यवाद, मंत्री महोदय।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : पहला बी.जे.पी. का टर्न है, फिर आपको टर्न आयेगा।

श्री राम विलास पासवान : तालचर संबलपुर वाला दिसम्बर 1997 में हो जायेगा।

श्री भक्त चरण दास : महोदय, यह जो रेलवे लाइन है इसका स्टाफ अभी नहीं है, इस पर पांच करोड़ रुपया कैसे खर्च होगा, यह सवाल उठता है। वहां का स्टाफ वहां नहीं रहना चाहता था, उसे वहां से हटा दिया गया है। इसलिए वहां पर स्टाफ सफीशिएंट नहीं है, मंत्री महोदय, कृपा करके इस ओर ध्यान देंगे कि अगर वहां पर पर्याप्त इंजीनियरिंग स्टाफ नहीं जायेगा तो वह काम कंप्लीट नहीं हो पायेगा। जब पैसा खर्च नहीं हो पायेगा तो काम कैसे होगा। कृपया इस ओर भी ध्यान दें। पिछले बजट सैशन में हमने उड़ीसा की दो-चार छोटी-छोटी मांगे की थीं जैसे कि भुवनेश्वर से राजधानी एक्सप्रेस चलती है, वह सप्ताह में एक दिन चलती है। भुवनेश्वर राज्य की राजधानी है और हमसे से कोई भी यदि वहां से दिल्ली आना चाहे तो दो दिन से कम समय नहीं लगता है। राजधानी एक ही ट्रेन है जो कम समय में आती है और वह भी एक दिन चलती है, उसके लिए मारा-मारी होती है।

सभापति महोदय : क्या रांची से चलती है?

श्री भक्त चरण दास : नहीं महोदय, वह भुवनेश्वर से चलती है। उड़ीसा के सब सदस्यों ने निवेदन किया था कि इसको दो दिन किया जाए तो यह बहुत छोटी सी बात है, इसे भी करने का कष्ट करें। एक और गाड़ी समता एक्सप्रेस है जो तीन दिन चलती है, यह गाड़ी पश्चिम उड़ीसा को दिल्ली से लिंक करती है, उसमें पेन्ट्री कार की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हमने पिछली बार भी कहा था लेकिन आज तक नहीं लगी है, कृपया यह भी कराने का मंत्री जी कष्ट करें। एक मांग हमने संबलपुर-हावड़ा एक्सटेंशन की की थी। माननीय मंत्री जी ने वह एक्सटेंशन कर दी है और संबलपुर-हावड़ा आजकल रायगढ़ तक चलती है लेकिन वह गाड़ी आधी चलती है और आधी संबलपुर में रह जाती है, ए.सी. कोच भी संबलपुर में रह जाती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि संबलपुर-रायगढ़ तक जो एक्सटेंशन

किया गया है उस पूरी ट्रेन को रायगढ़ तक लाने का कष्ट करें। महोदय, एक गाड़ी अहमदाबाद एक्सप्रेस चलती है मेरी कांस्टीटुएंसी नरला रोड और रूपरा रोड पर एक स्टाप हम मांगते हैं क्योंकि वहां से 40-50 हजार लोग सूरत, अहमदाबाद गुजरात वगैरह में काम करते हैं। रोजाना उन लोगों को रायपुर आना पड़ता है और रायपुर से ही उन लोगों का टिकट कटता है। इसलिए इसका रूपरा रोड-नरला रोड पर स्टाप बनाने का मैं निवेदन करता हूं।

लांजीगढ़, नरला, रूपरा रोड, कंदेल और केसिंगा रेलवे स्टेशनों की हालत बहुत बुरी है क्योंकि वहां स्टाफ नहीं है। जब भी हम ट्रेन के बारे में टेलीफोन करके पूछते हैं तो वहां जवाब देने के लिए कोई नहीं होता। मैं चाहता हूं कि इन स्टेशनों पर सफीशियेंट स्टाफ रहना चाहिए। छोटे-छोटे स्टेशन हैं, इसलिए ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं होगी बल्कि न्यूनतम खर्च में इन स्टेशनों का विकास हो सकता है। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इन स्टेशनों के विकास पर ध्यान दें।

एक निवेदन, मैं यह करना चाहता हूं कि जब भी हम ट्रेनों में चलते हैं तो मजदूर तबके के लोग हमसे यही शिकायत करते हैं, आप जानते हैं कि गांवों से आबादी शहरों की तरफ आ रही है, जिस ट्रेन में भी आप देखें, जनरल कम्पार्टमेंट की एक या दो बोगियां होती हैं जिनमें बहुत मारा-मारी होती है और ऊपर से आर्मी के लोग भी उसी में बैठते हैं, यदि आप किसी गरीब आदमी से पूछे तो उसे हमेशा शिकायत यही रहती है कि एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल बोगीज एक या दो हैं जिसे आर्मी के लोग कब्जा किए रहते हैं, गरीब लोगों को उनमें बैठने की जगह नहीं मिलती। अगर हमें देश के विकास के बारे में सोचना है, हम चाहते हैं कि देश का विकास हो, यदि रेलवे को उससे कुछ घाटा भी होता है तो उसमें कोई टिक्कत नहीं होनी चाहिए, अंत में उससे देश की तरक्की होगी, देश का विकास होगा। यदि हम देश के किसी पिछड़े इलाके में रेल चलाते हैं तो शुरू में उससे रेलवे को घाटा हो सकता है लेकिन आगे चलकर वहां की सम्पदा के यूटिलाइजेशन से देश का विकास होगा।

एक निवेदन मैं एक्सप्रेस ट्रेनों के बारे में करना चाहता हूं, वैसे पैसेजंर ट्रेन गरीब लोगों के लिए चलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जितनी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, उनमें 50 परसेंट या आधे जनरल कम्पार्टमेंट होने चाहिए जिससे गरीब लोग उन कम्पार्टमेंट्स में बैठकर यात्रा कर सकें और जल्दी गंतव्य पर पहुंच सके। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस प्रपोजल को एक्जामिन करा लें, खास तौर से मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि हर स्टेशन पर गरीब लोग ज्यादा संख्या में ट्रेनों में चढ़ते उतरते हैं। इन दिनों मैंने ट्रेनों से ज्यादा सफर किया है, लोग मुझे बोलते हैं कि शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस से बड़े और पूंजीपति लोग ही यात्रा करते हैं, उनके लिए ही ये ट्रेन चलती हैं, हमें इन ट्रेनों में जगह नहीं मिलती। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री जी मेरे इस प्रस्ताव पर ध्यान दें।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, जिसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे यहां जबलपुर में रेलवे जोन स्थापित करके, मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो नया दरवाजा खोला गया है, उसके लिए मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं लेकिन मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से एक बड़ा प्रान्त है, इसलिए बिलासपुर में भी एक रेलवे जोन स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक है और मैं चाहता हूं कि इसकी घोषणा करके आप पुनः धन्यवाद का पात्र बनने का श्रेय प्राप्त करें। इन अनुदान मांगों में जबलपुर-गोंदिया-बालाघाट-कटंगी शहर लाइन को गेज परिवर्तन करने के लिए आपने शामिल किया, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा निवेदन है कि इस लाइन का कार्य शुरू भी होना चाहिए, इसे आप सुनिश्चित करें, कहीं ऐसा न हो कि केवल सांकेतिक राशि आप रख दें।

इसके साथ, मैं आपसे यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जबलपुर गोंदिया के अलावा कोई दूसरा स्थान आपने इसके लिए नहीं चुना। आपने हमें वचन दिया था कि ललितपुर-सिंगरौली मार्ग का कार्य कराएंगे, उसके एक हिस्से का काम आपने पूरा भी किया, सर्वेक्षण कार्य करा दिया, लेकिन वह एक पिछड़ा इलाका है, मध्य प्रदेश का बुन्देलखंड इलाका, जिसमें छत्तरपुर, टीकमगढ़, पन्ना और दमोह शामिल है, सबसे पिछड़ा इलाका है और इसीलिए उसे उद्योग-विहीन घोषित किया गया है। उसके बारे में कहा जाता है कि वहां आवागमन के साधन नहीं हैं लेकिन जब हम आवागमन की बात करते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि वहां कोई उद्योग नहीं है-यह उस क्षेत्र की विडम्बना है।

सभापति महोदय, यह उस गांव की विडंबना है और इसके अलावा वहां पर पर्यटन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यदि वहां पर आवागमन की सुविधा बनती है, तो खजुराहो से लेकर पन्ना जिले में चौमुंख, कालिंदी और चित्रकूट आदि सभी स्थान जुड़ जाते हैं और एक पर्यटन का बहुत अच्छा स्थल बनता है जिससे पर्यटन का उस क्षेत्र में अच्छा विकास हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ललितपुर-सिंगरौली मार्ग का बहुत शीघ्र बनना आवश्यक है और हमें विश्वास है कि आप इस पर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री राम विलास पासवान : उसका टाइमली सर्वे हो गया।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : उसके लिए तो माननीय मंत्री महोदय हमने आपका धन्यवाद किया और हम आपके इसके लिए आभारी हैं।

श्री राम विलास पासवान : सर्वेक्षण होकर रेल मंत्रालय से अब वह प्लानिंग कमीशन को चला गया है। रेलवे का काम खत्म। प्लानिंग कमीशन से जब आएगा, तब देखेंगे।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : नहीं मंत्री महोदय, आप ऐसा न कहें। रेलवे का काम तो अब और बढ़ गया है और अब ज्यादा जिम्मेदारी हो गई है क्योंकि अब आपको प्लानिंग कमीशन से उसे मंजूर करवा कर जमीन पर काम शुरू करना है।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ अन्य छोटी-छोटी बातें हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे यहां महामाया एक्सप्रैस दो गाड़ियां शुरू हुई हैं वह नागपुर से आती हैं और दो दिन नागपुर जाती हैं और तीन दिन जबलपुर जाती हैं। मेरा निवेदन है कि जबलपुर से अलग चला दें और नागपुर से अलग चला दें क्योंकि दोनों में तीन-चार घंटे का अन्तर हो जाता है और बीना में पैसेंजर इंतजार करते रहते हैं। इससे इस गाड़ी को चलाने की जो मंशा थी वह पूरी नहीं होती है और यात्रियों को परेशानी ज्यादा होती है। इसके अलावा यह गाड़ी आठ डिब्बों के साथ हमारे यहां से चलती है। इसमें यदि 16 डिब्बे लग जाएं, तो आम जनता की सुविधा बढ़ सकती है। इसी प्रकार से इसमें जो रिजर्वेशन का कोटा निर्धारित है वह भी बहुत कम है। इसी तरह से सम्बलपुर हीराकुड एक्सप्रैस जाती है। उसमें भी रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। वह भी चार दिन चलती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने एक रीवांचल गाड़ी चलाई है। वह भी तीन दिन दमोह-सागर-बीना होती हुई चलती है। वहां का जो रेलवे प्रशासन है वह भी खुद महसूस कर रहा है कि यदि इस गाड़ी को कटनी-बीना-दमोह-सागर चलाया जाए, तो ज्यादा लाभप्रद होगा और लोगों को ज्यादा सुविधा मिलेगी क्योंकि जबलपुर होते हुए तो तमाम गाड़ियां चल रही हैं और वैसे भी आपने जबलपुर जोन बना दिया है, तो उसका तो विकास होना ही है। लेकिन यदि यह नागरिक सुविधा लोगों को प्राप्त कराना चाहते हैं, तो आप इस गाड़ी को इस रूट से चलाएं। इस संबंध में आप अपने रेलवे अधिकारियों की प्रतिक्रिया का भी परीक्षण करवा लें। यह वास्तव में वहां के लिए अति आवश्यक है।

अपराह्न 9.14 बजे

(श्री पी.सी. चाक्को पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्षिप्रा एक्सप्रैस उज्जैन-इंदौर-हावड़ा चलती है। वह भी तीन दिन ही चलती है। इस प्रकार से जितनी भी गाड़ियां आप हमारे यहां से चला रहे हैं वे सब आधी-आधी चला रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप किसी गाड़ी को तो वहां से पूरा चलाएं। कुरला-पटना गाड़ी चली, वह भी आधी चली। पहले हमें कटनी से मुम्बई जाने की सुविधा थी। एक बोगी वहां से मुम्बई के लिए जुड़ती थी, लेकिन वह सुविधा भी दो वर्ष से बंद हो गई है। मैं तो यह कहूंगा कि वह सुविधा भी हमारे क्षेत्र की जनता से छीन ली गई है। इस समय मुम्बई जाने के लिए कोई साधन नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस कुरला-पटना एक्सप्रैस को जो जबलपुर होकर जा रही है इसे यदि बीना, कटनी होकर चलाया जाए, तो इससे हमारे लिए मुम्बई जाने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और एक गाड़ी सीधी हमको वहां के लिए प्राप्त हो जाएगी। यदि ऐसा किया जाएगा, तो उस इलाके की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। अब हमें बार-बार केवल यह जवाब दिया जाता है कि यह तो केवल गुड्स ट्रैक है। अब चूंकि वह गुड्स ट्रैक है इसलिए हमें उसकी सजा मिले और यात्रियों को आने-जाने की सुविधा प्राप्त न हो, तो उससे क्या लाभ? हम अपनी छाती पर आपका यह सारा भार ढो रहे हैं।

तो हम अपेक्षा भी करते हैं कि हमें यात्री सुविधायें भी मिले। इसलिए हमें आपसे अपेक्षा है कि इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें तथा प्रावधान करें। इसी तरह हमारे क्षेत्र के भीतर बहुत बड़ी मांग दमोह से पन्ना और छतरपुर के लिए नई रेल लाइन बनाने की उठ रही है। इसका करीब 1955-56 में सर्वे हुआ था। यदि आप यह रेल लाइन डालते हैं तो बुंदेलखंड का समूचा इलाका आवागमन से जुड़ता है जिससे उसका विकास हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः जबलपुर जोन के लिए धन्यवाद देता हूं और उपेक्षा करता हूं कि विलासपुर जोन भी आप खोलें और हमारी जो ललितपुर समरोली रेलवे लाइन है, इसको प्रारंभ करने का कार्य करें।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : सभापति महोदय, यदि रेलवे को अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए हमें देर तक बैठना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए भी हमें रेलवे प्लेटफार्म पर इसी तरह इन्तजार करना पड़ता है। मैं चालू वित्त वर्ष के लिए रेलवे के व्यय हेतु उसकी 170 करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूं। यह वर्तमान मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की प्रथम मांग है। इतने बड़े रेलवे बजट में 170 करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदानों की मांग स्वाभाविक ही है।

मंत्री महोदय ने कुछ अच्छा कार्य किया है। उनके द्वारा छह नए जोनों की स्थापना इसी प्रकार का बड़ा और अच्छा कार्य है। इसके लिए काफी लम्बे समय से मांग की जा रही थी।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : माननीय सदस्य बुरा मत मानिये। मुजफ्फरपुर की पहले कांस्टीट्वेंसी थी लेकिन अभी दूसरी हो गयी है। इसलिए इन्होंने हाजीपुर का विरोध किया है।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : ऐसा हो सकता है क्योंकि जॉर्ज साहब पहले रेल मंत्री थे।

आप बिहार वाले तय कर लें कि ऐसा क्या होता है। लेकिन बात यह है कि जो छह जोन मूव कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपेंशन होता है। कई दिनों से यह छह जोन बनाये जाने की मांग थी। अब यह छह जोन बन गये हैं। इसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

[अनुवाद]

इस प्रकार का एक जोन उड़ीसा में भी स्थापित किया गया है, रेलवे की समस्या क्या है? मैं इस सामान्य पहलू पर अधिक नहीं बोलूंगा। मैं सीधे ही अपने प्रदेश और इलाके की कुछ जायज और भारी मांगों पर बोलूंगा। सबसे गम्भीर मामला जिसके बारे में हमारे योजनाकार, विचारक और हम सब सामूहिक रूप से परेशान हैं वह विकास की धीमी गति है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रेलवे आगे बढ़ रहा है परन्तु विकास की गति मांग के अनुरूप नहीं है। मांग की गति विकास की गति से अधिक है। इसलिए इस बारे में क्या किया जाना चाहिए?

मैं माल के ढुलाई के बारे में कुछ उदाहरण भी दे सकता हूं। 1951 से अब तक माल के ढुलाई में कई गुना वृद्धि हुई है। यहां तक कि 600 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है जबकि माल डिब्बों और अन्य चीजों में केवल 250 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। यही विकास है। इसमें भारी अन्तर है। इसलिए रेल लाइनों के नवीनीकरण, नई लाइनों के निर्माण, विद्युतीकरण, माल डिब्बों को बदलने तथा ऐसे अन्य कार्यों के लिए हमें बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। अन्यथा इस प्रकार की दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? इसके विपरीत जो होता है वह यही है।

अब जबकि अधिक धनराशि की आवश्यकता है, बजटीय सहायता कम कर दी गई है। एक समय यह सहायता 75 प्रतिशत तक थी परन्तु अब यह भी 15 प्रतिशत है। इसलिए इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। इसके लिए विभिन्न वित्त संस्थाओं से वित्त व्यवस्था की जानी चाहिए, रेलवे के आन्तरिक संसाधनों में वृद्धि करनी चाहिए तथा संचालन व्यय को कम किया जाना चाहिए।

यह भी देखा गया है कि रेलवे के कुछ निगम संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। हमें वहां से आवश्यकतानुसार ऋण नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें इस समस्या से सामूहिक रूप से निपटना है।

महोदय, आज प्रश्नकाल के दौरान काफी हस्तक्षेपपूर्ण हुआ और मैं भी उससे असंतुष्ट था क्योंकि मुझे अपना प्रश्न रखने का मौका नहीं मिल सका जोकि क्षेत्रीय असंतुलन और योजना परिव्यय के निर्धारण से संबंधित था। पिछड़े राज्य अपने आंतरिक संसाधनों में वृद्धि करने में असमर्थ हैं और इसके कारण उन्हें केन्द्रीय सहायता भी नहीं मिल पाती है।

रेलवे हमारी आधारभूत संरचना का एक हिस्सा है। रेलवे विकास के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसलिए जहां तक देश में रेलवे के विकास का संबंध है इसमें कोई असंतुलन नहीं होना चाहिए।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने अपने बजट भाषण में रेलवे नेटवर्क को पिछड़े इलाकों, पूर्वोत्तर राज्यों, अण्डमान तथा निकोबार और पहाड़ी क्षेत्रों, आदि में विस्तार पर जोर दिया है। उनके इस प्रयास में हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मैं सीधे शब्दों में यह कह रहा हूं यह उनकी अच्छी सोच का ही परिणाम है। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि इसे कैसे किया जाए, इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाए? हम तेजी से 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं और यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए तो हम पीछे रह जाएंगे।

आजकल हम देख रहे हैं कि सामान की ढुलाई रेल परिवहन से हटकर सड़क परिवहन की ओर जा रही है। यात्री भी अब रेलगाड़ी की अपेक्षा बस से यात्रा कर रहे हैं। इसलिए हमारे सामने बहुत बड़ा कार्य है और इसे पूरा करने के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है।

महोदय, मैं एक लेख से उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है :

> "अपनी सेवाओं को बनाएं रखने में रेलवे की स्थिति इतनी बदतर नहीं होती जितनी आज है। इसकी संचालन दक्षता को इसी तथ्य से मापा जा सकता है। कि राजधानी एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां भी विलम्ब से चल रही हैं।"

अतः इसमें काफी सुधार किए जाने की संभावना है। रेल के किराये में वृद्धि हो रही है जबकि उसकी सेवाओं के स्तर में गिरावट आ रही है। रेलवे द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं उसके किराए के अनुरूप नहीं है। कम्प्यूटरीकरण योजना भी सफल नहीं हो रही है। यद्यपि, कुछ नए जोनों की स्थापना की गई है परन्तु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नए जोनों के उचित संचालन के लिए अपेक्षित धनराशि के बारे में अनुपूरक मांगों में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है।

आपने हर जगह पर एक विशेष कार्य अधिकारी तैनात कर दिया है। जहां तक भुवनेश्वर का संबंध है वहां पर भी एक विशेष कार्य अधिकारी तैनात है। उन्होंने एक अधिकारी के अधीन एक जोनल कार्यालय स्थापित कर दिया है।

श्री राम विलास पासवान : नहीं, नहीं। अब वह विशेष कार्य अधिकारी नहीं बल्कि एक पूर्ण जनरल मैनेजर हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : क्या वह उचित स्टाफ के बिना ही पूर्ण जनरल मैनेजर है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हम लोग आपकी सरकार से, चीफ मिनिस्टर साहब से बातचीत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा मकान है, जरा उसका काम हो जाये तो उसी मकान को जो पूरा का पूरा बना हुआ है, खरीदकर उसी में बना दिया जाय।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : यदि वह एक और जोनल कार्यालय स्थापित करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि वह केरल में उसकी स्थापना करें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : अब मैं अनुदान मांगों पर आ रहा हूं क्योंकि रेलवे की महत्तता पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है, सबसे बड़ा वाणिज्यिक उद्यम है और सबसे अधिक सेवाएं प्रदान करने वाला उद्यम है। यह राष्ट्रीय अखण्डता को मजबूत करने में मुख्य भूमिका अदा करता है। यह यात्रियों और सामान के परिवहन का मुख्य माध्यम है। आवश्यकता केवल इतनी है कि रेलवे के विभिन्न कार्यकलापों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी होगी। अन्यथा रेलवे अपने पथ से विचलित हो जाएगा। पूरा रेलवे अपने पथ से हट रहा है। यदि हम इस स्थिति से नहीं उबरे तो वह अपने पथ से हट जाएगा।

यह अपेक्षाकृत एक विरोधाभास है। इस बारे में मैंने आपसे भी चर्चा की है। अब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों के लिए एक जोन है। परन्तु सभापति महोदय हमारी स्थिति पर एक नजर डालिए कि उड़ीसा का एक प्रमुख भाग जो सम्बलपुर डिविजन के नजदीक है, चक्रधरपुर रेलवे डिविजन के अंतर्गत आ रहा है। चाहे हम उसका कितना भी विरोध करें परन्तु कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब उड़ीसा तथा सम्बलपुर के पास रहने वाले लोगों को जोनल कार्यालयों में अपना कार्य करवाने के लिए भुवनेश्वर में नहीं बल्कि गार्डन रीच जाना पड़ता है। कृपया प्राथमिकता के आधार पर यह कोशिश करे कि सम्पूर्ण उड़ीसा इस नए जोन के अंतर्गत आए। इसके लिए बुगोमुंडा, राउरकेला से ब्रजराजनगर, बेलपहाड़ तक का मुम्बई-हावड़ा मुख्य रेल लाइन के साथ लगा हिस्सा सम्बलपुर रेलवे डिविजन के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए।

सम्बलपुर-तालचेर रेल लाइन उड़ीसा की प्रमुख लाइन है। इस लाइन के निर्माण समय का पुनःनिर्धारण किया गया है और अब उनका कहना है कि यह कार्य वर्ष 1997 में पूरा हो जाएगा। इसका शिलान्यास वर्ष 1984 में श्री राजीव गांधी जी ने किया था। उस समय जोर देकर यह कहा गया था कि यह कार्य पांच वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। जैसाकि हमारा स्टैंडर्ड है इसमें दस वर्ष लग गए। दिसम्बर 1995 में भी संसद में भी यह कहा गया था कि यह कार्य निर्धारित अवधि में पूरा कर लिया जाएगा परन्तु अब उसे 1997 तक आस्थगित कर दिया गया है। यदि धन व्यवस्था की यही स्थिति रही तो यह इस शताब्दी के अन्त तक भी नहीं हो पाएगा। जैसाकि मैं समझता हूं, इस वर्ष संबधित इंजीनियरों को इस वर्ष 50 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी ताकि वे अपना कार्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार 1997 तक पूरा कर सकें। सम्बलपुर-तालचेर रेल लाइन के लिए इस वित्त वर्ष में 50 करोड़ की ओर आवश्यकता होगी।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इस साल हम आपको 40 करोड़ रुपए दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : 40 करोड़ रुपये आप दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद, लेकिन आपके इंजीनियर की मांग है,

[अनुवाद]

आपके इंजीनियरों की मांग 50 करोड़ रुपये की और है ताकि वे आपके द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को पूरा कर सकें।

[हिन्दी]

आपने जो 1997 में इसको पूरा करने के लिए टार्गेट फिक्स किया है, इस वास्ते आपको इस साल में 40-50 करोड़ रुपये और देने चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : इस साल की बात मैं आपको कह रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं आपको 170 करोड़ रुपये में से 40 करोड़ रुपये दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : जो मांग है, यह डिटेल्स तो इसमें नहीं है न, डिटेल्स में नई लाइन कहकर दिया है। इसमें प्रोजेक्टवाइज नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरे विचार से अब आपको अपनी बात समाप्त कर देनी चाहिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, आप मुझे कृपया पांच मिनट और दें।

सभापति महोदय : आपकी बड़ी मांग स्वीकार कर ली गयी है।

श्री राम विलास पासवान : इतना ही नहीं, हम इससे भी अधिक देंगे।

यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी इस बात से मैं सहमत हूं। मैंने इसके लिए न्यूनतम धनराशि 40 करोड़ रुपये निर्धारित भी है और यह बढ़कर 50 करोड़ रुपये तक हो सकती है...**(व्यवधान)**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, जखपुरा-बांसवापाल लाइन पर आयात-निर्यात बैंक का एक प्रस्ताव है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हमारे ऊपर चार्ज लगाते हैं कि हम केवल शिलान्यास करके आ जाते हैं, सिर्फ सर्वे उद्घाटन ही करते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम पूरा काम करके ही उद्घाटन करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरे विचार में मंत्री जी ने आपकी मांग उदारतापूर्वक कर ली है अतः आप अपनी बात समाप्त कर दें।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय रेल मंत्री के प्रति आपको कृतज्ञ होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही: हम पहले ही कह चुके हैं कि एक्जिम बैंक से बातचीत हो रही है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी बात की है। जंगपुरा-बांसपाणी जो माइनिंग बेल्ट हैं, मंत्री जी का सपोर्ट चाहिए, रेलवे वाले परस्यु करें, हमारे पास पैसा नहीं है, थोड़ा लिबरल रेट पर लोन मिलने वाला है, उसका बंदोबस्त कीजिये, उसको फाइनेलाइज करना चाहिए। एक्जिम बैंक को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह पूरे भारत की प्रगति के लिए है।

[अनुवाद]

इसके अलावा, अंगुल-डुबरी लाइन भी है। इस लाइन से प्राप्त आंतरिक राजस्व 23.5 प्रतिशत है, जो भारत में सबसे ज्यादा है।

[हिन्दी]

इसको करने से दो साल में जितना पैसा इन्वैस्ट करेंगे, वह लौट आयेगा।

[अनुवाद]

फिर तालचेर-बिमलागढ़ लाइन भी है जो जंगलों, जनजातीय क्षेत्रों तथा खान क्षेत्रों से होकर जाती है और जिसका बहुत पहले 1970 में ही सर्वेक्षण हो चुका है। इस लाइन को बनाये जाने की आवश्यकता है।

हमारे माननीय सदस्यों श्री अनादि चरण साहू तथा श्री भक्त चरण दास ने जिन-जिन परियोजनाओं का जिक्र किया है, वे सभी धीमी गति से चल रही हैं और उन्हें तेजी से पूरा किये जाने की आवश्यकता है।

जहां तक राजधानी एक्सप्रैस की बात है, तो इसके बारे में एक मांग यह की गयी थी कि भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को हफ्ते में एक दिन के बजाय तीन दिन चलाया जाये। उत्कल एक्सप्रेस के गढपोश तथा बगडिहि में दो नये स्टाप होने चाहिए।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। इस अनुरोध के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता नहीं है कि रेलवे बोर्ड में बैठे लोगों ने किस तरह से संबलपुर-निजामुद्दीन हीराकुड एक्सप्रेस के समय को जानबूझकर एकतरफा फैसला करके बढ़ा दिया गया है। इस घटना के कारण संबलपुर जैसे सामान्यतया शांत रहने वाले स्थान पर 'रेल रोको आंदोलन' हो रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं उक्त गाड़ी का समय बदलने के लिए तैयार हूं लेकिन आप तीन दिन के बजाय हफ्ते में चार दिन चलाये जाने के लिए नहीं कहियेगा।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मंत्री महोदय, जब आपने इसका आवागमन बढ़ा दिया है तो समय से संबद्ध कोई शर्त ही नहीं थी।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हम जानते हैं आपका जो समय है वह सही नहीं है, इससे हम सहमत हैं। मैं आपका समय पहले वाला समय करने पर तैयार हूं। आप कहें तो मैं कल ही घोषणा करता हूं। हमें इस बात का डर है कि जो नया समय दिया गया है, उसमें तीन दिन के बदले चार या पांच दिन कर दिया गया है। अगर आप पहले वाला तीन दिन का ही रखें तो मैं कल ही चालू कर दूंगा।

सभापति महोदय : मंत्री जी आप बाद में उत्तर दें, वे प्रवोक हो जाते हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : चार दिन, और यह समय दे दें। आपने पटना के लिए बहुत अच्छा काम किया है। यह ठीक है कि बिहार काफी उपेक्षित था, जबकि बिहार के कई मंत्री रह चुके हैं। आपने वहां दो-दो राजधानी एक्सप्रेस दे दी। लेकिन हमारे लिए तीन दिन की जगह चार दिन और यह समय कर दें। हमारे साथ अन्याय न करें।

श्री राम विलास पासवान : सोच रहे हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : ऐसी जो ट्रेन आती हैं, वे मध्य प्रदेश से आती हैं, वे रहने दें, बाकी तीन दिन रांची होकर आएं, बिहार होकर आएं, इसका प्रबंध कीजिए। वहां से रांची, गया वगैरह आ सकती हैं। जैसे पहले झारसगुड़ा से चलकर इलाहाबाद से बोगी चलती थी, इलाहाबाद के लिए एक बोगी लगनी चहिए।

[अनुवाद]

महोदय, मैं बेलपहाड़ पर ऊपरी पुल निर्मित किये जाने के विषय के साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूं। यह पुल भी मुख्य लाइन पर है। यह एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहां पर टाटा और बिड़ला समूहों के लोग आते जाते रहते हैं। यहां पर ओरियन्टल पेपर मिल्स, टाटा रिफ्रैक्टरीज, कोलियरीज कोयला खानें इत्यादि हैं।

दो उपरि पुलों का निर्माण बहुत ही आवश्यक है। मैं संबद्ध विभाग से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक उपरि पुल चोकीपाड़ा के झारसगुडा में बनाया जाये। महोदय, हर कोई जानता है कि झारसगुडा एक पुराना और महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। वहां बहुत जगह पड़ी है। प्रभागीय मुख्यालय बनाने के लिए यह उपयुक्त स्थान है। लेकिन किन्ही कारणोंवश इसे बनाया नहीं जा सका। इससे इस क्षेत्र के लोग अपने को उपेक्षित समझ रहे हैं।

मैं रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह गहरचूड़ा में कोई फैक्ट्री, लोको-शेड या वर्कशाप बनाये जाने के बारे में विचार करें। इसे बड़े पैमाने पर शुरू किया जाये।...**(व्यवधान)**

महोदय, भारत को 21वीं सदी में ले जाने का यही उचित समय है। भारत को विश्व के मानचित्र पर उभारने के लिए हमें बहुत कुछ करना है। इस संबंध में, रेलवे का ढांचागत विकास बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके लिए हमें बहुत-से कार्य करने हैं-जैसे वित्तीय सुधार जो हमारे द्वारा किये गये विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण में से एक हैं। सरकार योजनाआयोग तथा संसद को इस पर एक साथ प्रयास करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रेल विभाग सहित सभी विभागों में संतुलित विकास हो। अन्यथा, असंतोष फैलेगा और यह पहले ही, तेजी से फैल रहा है। भारत जैसे महाद्वीपीय आकार वाले देश में, बहुत सारी समस्यायें हैं और राष्ट्रीय अखंडता सर्वोपरि है। मुझे डर है कि यह कमजोर पड़ सकती है और उसके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा-पूर्व) : महोदय, मैं अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। मैं रेल मंत्री तथा प्रधानमंत्री को त्रिपुरा के लोगों की ओर से बधाई देता हूं। पिछले बजट में कुमारघाट रेलवे लाइन को अगरतल्ला तक बढ़ाने का निश्चय किया गया था। कुमारघाट से अगरतल्ला की दूरी 119 कि.मी. है। कुमारघाट से काल्कोलीघाट की दूरी 63 किलोमीटर है। 63 कि.मी. की इस रेलवे लाइन को बिछाने में लगभग 50 साल का समय लगा।

मैं प्रधानमंत्री तथा रेलमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अगरतल्ला तक की 119 कि.मी. की रेलवे लाइन को पूरा किये जाने के बारे में इस सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा करें।

23 अक्टूबर, 1996 को हुई बैठक में प्रधानमंत्री तथा रेल मंत्री ने त्रिपुरा के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि यह परियोजना अगले पांच वर्षों के अंदर पूरी हो जायेगी। चालू वर्ष के बजट में इसके लिए केवल 1 करोड़ रुपये का ही प्रावधान है। हम यह चाहते हैं कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि यह कार्य शीघ्र पूरा हो। मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है वह इस कार्य को शीघ्र ही आरंभ करायें।

यह भी निर्णय किया गया था कि अगरतल्ला में एक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र बनाया जायेगा। इस केन्द्र को जितनी जल्दी हो सके, खोला जाये...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आपका अगरतला का प्रपोजल तैयार है, आपके साथ एक दिन चलेंगे।

[अनुवाद]

यह एक सप्ताह पहले ही हो गया है। हम एक दिन आपके साथ चलेंगे।

श्री बाजू बन रियान : हम अपना कार्यक्रम तय कर सकते हैं और फिर उस सुविधा का अवलोकन करेंगे।

विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं में से रेलवे एक है। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश के लोगों को रेलवे विस्तार सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से उन राज्यों की राजधानियों को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए कोई साहसिक निर्णय लिए जाने हेतु अनुरोध करूंगा। यदि चालू वर्ष के दौरान इसे करना संभव नहीं है तो इस सरकार को इसे अगले वर्ष में करना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : आप किस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री बाजू बन रियान : मैं पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को जोड़ने वाली रेलवे लाइन की बात कर रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान : लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारें राजधानियों को जोड़ना नहीं चाहती हैं, क्या मेघालय सरकार ऐसा करना चाहती है?

श्री बाजू बन रियान : हो सकता है वो न चाहते हों। लेकिन हम चाहते हैं।

श्री राम विलास पासवान : हम दीमापुर तक ट्रेन से जा सकते हैं। लेकिन दीमापुर के बाद हम क्या करेंगे? मैं पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेलवे लाइन से जोड़ने को तैयार हूं। इस पर चाहे जितना धन खर्च हो हम खर्च करेंगे। लेकिन राज्य सरकारें इसके लिए तैयार नहीं है।

श्री बाजू बन रियान : यदि आप इन्हें जोड़ देते हैं तो लोग खुश होंगे।

श्री राम विलास पासवान : मुझे भी खुशी होगी।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि आप भी राज्य सरकारों को समझायें।

श्री राम विलास पासवान : हम भी सभी राजधानियों को रेल लाइन से जोड़ना चाहते हैं।

श्री बाजू बन रियान : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह कुमारघाट से लुमडिंग के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन चलायें। अभी उस पर एक छोटी लाइन की गाड़ियां चल रही हैं। कुमारघाट और बदरपुर तथा कुमारघाट और लुमडिंग के बीच यात्री गाड़ियां चल रही हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसमें बहुत अधिक समय लगता है। इसलिए, इन राज्यों के लोग बस यात्रायें किया करते हैं। चूंकि यह बहुत आवश्यक है, मैं आपसे इस कार्य को पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

त्रिपुरा, मिजोरम तथा अन्य राज्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं को ले जाने हेतु कुछ वैगन आवश्यक हैं। इस बी.जी. लाइन को बेदारपुर

तक बढ़ाये जाने का भी निर्णय किया गया था। इस कार्य को भी यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाना चाहिए। बदरपुर से ये सभी तीनों राज्य आवश्यक वस्तु ले जा सकते हैं। बरसात के दिनों में कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण जैसे भूस्खलन इत्यादि से लुमडिंग से बदरपुर तक सड़क मार्ग बंद हो जाता है। इसलिए, आवश्यक है कि पूर्वोत्तर के सभी स्टेशनों में सुधार किया जाये। पहले यह प्रथा थी कि मंडल की बैठकों में सांसदों को आमंत्रित किया जाता था जहां वे अपने मंडलों से संबंधित समस्याओं को उठाते थे। इसके पहले, यहां तक कि पूर्व मंडल में भी इस तरह की बैठकें किया करते थे। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस तरह की बैठकें पुनः शुरू करें ताकि हम वहां अपनी समस्यायें उठा सकें और उनका निराकरण किया जा सके।

सभापति महोदय : माननीय संसद सदस्य मंडल के सभी संसद सदस्यों की बैठक को पुनः आरंभ करने का अनुरोध कर रहे हैं।

श्री बाचू बन रियान : पहले वहां ऐसी बैठकें होती थीं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गुलाम रसूल कार : महोदय, मेरा भी नाम है

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम आपकी बात भी सुनेंगे।

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, आरंभ में मैं माननीय मंत्री जी को रेलवे कार्यप्रणाली के सक्षम और प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु किये गये कठिन परिश्रम के लिए बधाई देता हूं। वर्तमान रेल मंत्री की कार्यप्रणाली माननीय संसद सदस्यों के लिए प्रशंसा की पात्र है क्योंकि संसद सदस्यों की शिकायतों और अनुरोधों को सुनने के लिए मंत्री जी के पास पर्याप्त समय रहता है। मैं आशा करता हूं कि बिना किसी व्यवधान के मंत्री जी इस कार्य प्रणाली को जारी रखेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी को यह भी कहना चाहूंगा कि रेल मंत्री होने के नाते रेल मंत्रालय में केवल उन्हीं के आदेश का पालन होना चाहिए तथा किसी बाहरी व्यक्ति या एजेंसी को, वह चाहे जो भी हो, रेलवे में दिशानिर्देश देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मंत्रालय में केवल रेल मंत्री की बात सुनी जानी चाहिए और यदि हम इसे एक निश्चित अर्थ में लें तो मेरा विचार है कि दक्षिण रेलवे में उन्हीं की बात सुनी जाती है। मैं इसे और स्पष्ट नहीं करना चाहता।

मैं माननीय रेल मंत्री से एक बात जानना चाहूंगा। वह संयुक्त मोर्चा सरकार के मंत्री हैं और मैं सरकार को समर्थन दे रही एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं। उन्होंने इस क्षेत्र की जनता के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम देने की बात कही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह, जहां तक रेलवे का सवाल है, वास्तव में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रति गम्भीर है। आप भी इस देश के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने की अगुवाई कर रहे थे। मैं माननीय मंत्री से चाहूंगा कि वह अपनी आत्मा को टटोलें।

सभापति महोदय : कृपया विषय से संबंधित सुझाव ही दें। अन्यथा, आपको समय नहीं मिलेगा।

श्री ई. अहमद : वे यह पता लगाएं कि उनके मंत्रालय में यह लागू हुआ है या नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है रेलवे में 30 या उससे भी अधिक महाप्रबंधकों के पद हैं जो भारत सरकार के विशेष सचिव के पद के बराबर हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन 30 पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक वर्ग का एक भी व्यक्ति है? गत सात वर्षों से मंत्री अथवा मंत्रालय ने सामाजिक न्याय के संबंध में उस कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं कर सका जिसका उसने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लेख किया था। मैं इसे नम्रता पूर्वक आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मैं अपने राज्य केरल पर आ रहा हूं। आप जानते हैं कि केरल पिछले कई वर्षों से रेलवे के मामले में उपेक्षित रहा है। मंत्री जी ने संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी। हमने अनेक सुझाव दिए थे लेकिन उन सुझावों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया। एक नई रेल गाड़ी चलाने का प्रस्ताव था परन्तु उसे यह कहकर कार्यान्वित नहीं किया गया कि इसे कोंकण से जोड़ा जाएगा। यदि कोंकण रेलवे नहीं आती है तो हमें यह गाड़ी नहीं मिलेगी। क्या ऐसा है? यह सही नहीं है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। केरल में कन्नानौर से त्रिवेन्द्रम के बीच शताब्दी एक्सप्रेस क्यों नहीं शुरू की गई। दक्षिण के लोगों को शताब्दी का लाभ दें। केरल को किस प्रकार के सवारी डिब्बे और बोगियां दी जा रही हैं। सभापति महोदय, आप वहां की वर्तमान स्थिति जानते हैं। आप जानते हैं कि केरल से रेलगाड़ियां हमेशा देरी से चलती हैं। रेलवे ने सुपरफास्ट रेलगाड़ियां शुरू की थीं लेकिन जहां तक केरल से रेलों के चलने का संबंध है, उन्हें सुपरस्लो रेलगाड़ियों में बदल दिया गया है। रेलगाड़ी संख्या 2617 जो मंगलौर से निजामुद्दीन के बीच चलती है वहां से 11 बजे प्रस्थान करती है। पिछले कई सप्ताहों से मैंने सोचा कि ऐसा आंध्र प्रदेश की स्थिति के कारण है लेकिन ऐसा नहीं है, रेल अब चार या पांच घंटे बाद छूटती है और यह आधी रात में पहुंच रही है। इसे वहां चार बजे पहुंचना चाहिए और यात्री अस्तव्यस्त हो जाते हैं। पूछने पर मुझे बताया गया है कि इसमें सुधार किया जा सकता है-कि इस विशेष सवारी डिब्बे को किसी अन्य राजनैतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो स्वाभाविक है।

लेकिन वातानुकूलित सवारी डिब्बे और अन्य सवारी डिब्बों को दोबारा वापस नहीं भेजा गया है। अब वातानुकूलित सवारी डिब्बे दिल्ली और इंदौर के बीच इस्तेमाल में लाये जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप यहां कोई वातानुकूलित सवारी डिब्बा नहीं है। यहां

अपेक्षित संख्या में सवारी डिब्बे नहीं है। यदि वे इन्हें अपेक्षित संख्या में भेजते हैं तो उनको अन्य रेलगाड़ी का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप यात्री जो पहले 56 घंटे लगने थे उन्हें अब रेल में ही आठ से नौ घंटे और लगाने पड़ेंगे। इसलिए, इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अन्य अनुरोध रेल लाइनों के दोहरीकरण के बारे में है। मंत्री जी ने इसके लिए अधिक धनराशि स्वीकृत की है, हम उनके आभारी हैं। लेकिन यह राशि पर्याप्त नहीं है। जब तक मंगलौर और शोरनपुर के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण नहीं किया जाता तब तक कोंकण रेलवे का कोई फायदा नहीं है। कोंकण रेलवे में किसी वजह से विलम्ब हुआ है।

फिरोक-नीलाम्बुर नई रेल लाइन का सर्वेक्षण किया गया था। वास्तव में, मैं बसे हुये क्षेत्र को बचाना चाहता था। अन्यथा, रेलवे को काफी धन का भुगतान करना पड़ता। फिरोक में, काफी इमारतें हैं जिन्हें गिरा देना पड़ता। लेकिन यहां निर्मित-क्षेत्र को बचाते हुये एक मार्ग है। फिरोक-नीलाम्बुर लाइन को जोड़ने से संबंधित प्रस्ताव ठप्प पड़ा है। मैं इसके कारण नहीं जानता।

पूर्व रेल मंत्री ने फिरोक रेलवे स्टेशन का दौरा किया था। लेकिन उस रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण और रखरखाव शुरू नहीं किया गया है। मैंने देखा है कि केसरगोड से इर्णाकुलम तक तटीय क्षेत्र में अनेक रेलवे स्टेशनों पर कोई सुविधाएं नहीं हैं। वहां कोई सुविधायें नहीं है।

अन्य रेल लाइन, गुरूवायर-तानूर का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। यदि इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता है तो यह केरल में अनेक चुनाव क्षेत्रों के लिए बहुत लाभदायक है। मेरे चुनाव क्षेत्र में, नीलम्बुर-शोरनूर रेलवे लाइन को सुदृढ़ नहीं किया गया है। इसलिए रेलगाड़ियां तेजी से नहीं चल सकती। ये सब छोटे-छोटे मामले हैं।

मैं नहीं जानता कि पुश-पुल का क्या हुआ। यहां न कोई पुशिंग है, न ही पुलिंग। बजट में यह वायदा किया गया है। इसलिए मैं मंत्री महोदय के ध्यान में ये बातें लाना चाहता हूं।

मैं सभा का मूल्यवान समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं नहीं जानता कि मालाबार क्षेत्र के लोगों को अच्छे सवारी डिब्बे और बोगियों का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। मालाबार क्षेत्र दक्षिणी रेलवे की सबसे पुरानी लाइन है। जब यह दक्षिण भारतीय रेलवे थी तो यह सदियों पुरानी थी। रेलवे ने केवल एक शताब्दी पूरी की है। लेकिन इससे भी पहले वह क्षेत्र अस्तित्व में आ गया था। उस क्षेत्र की पहले ही उपेक्षा की गई है। रेलवे बोर्ड को देखना चाहिए कि मंत्री जी के पास उनकी याचिका इन सब बातों में प्रबल होनी चाहिए।

इन कुछ शब्दों के साथ, मैं एक बार पुनः अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को विशाल रेल मंत्रालय के संचालन में अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, हम निश्चित रूप से रेलवे की पूरक बजट पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है। यहां बोलने का अर्थ भी यही है कि रेलवे यातायात की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी साधन है। जहां तक रेलवे मिनिस्टर के काम करने के तरीके का अन्दाज है, वह वास्तव में उत्साहजनक है और उसके पीछे उनकी सदाशयता भी है। कुल मिलाकर रेलवे का कार्यकरण जिस पैमाने में सुधरना चाहिए, उसके लिए बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है। रेलवे की पूरक बजट की मांगों पर बहुत सीमित चर्चा हो रही है। हम सब लोग इस सीमित चर्चा में लोगों की ग्रिवेंसेज को और उनकी कठिनाइयों को कहने का एक माध्यम बन कर यहां प्रतीक्षारत हैं।

मैं रेल मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने अजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़ का गेज कनवरजन करने का मौका दिया। यह एक अच्छी बात है और शुरूआत अच्छी हुई है। अजमेर तक का हो गया है और यदि आगे नीमच तक हो जाता है क्योंकि हमारे रतलाम मंडल में रतलाम और नीमच तक की स्वीकृति मिली हुई है, उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस काम को रुकना नहीं चाहिये। कुछ नया लिया गया है, कुछ छोड़ दिया गया है। इसकी कन्टिन्यूटी रहनी चाहिये जिससे उस क्षेत्र में जो सीमेंट फैक्टरी है, अलपाईन एक्सपैक्शन प्लांट बना हुआ है या तेल बनाने का कारखाना है, उससे लाभान्वित होने वाला है। हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इस ओर ध्यान जाना चाहिये ताकि विकास का अवसर मिलेगा। मैं चाहता हूं कि नीमच-रतलाम तक काम होना चाहिये। ऐसा देखा गया है कि किसी को इस ओर ध्यान देने की फुरसत नहीं है। हमारा रतलाम मंडल पश्चिम रेलवे का उपेक्षित मंडल रहा है। इसलिये रतलाम-नीमच का आमान परिवर्तन होना चाहिये। वहां पर एक नैरो गेज रेल लाईन उज्जैन और आगरा के बीच में थी जहां से मैं एम.एल.ए. हुआ करता था परन्तु उसके उखड़ जाने के बाद वहां पर विकास का कोई काम नहीं हुआ है इसकी कोई चिन्ता नहीं की गयी है। निश्चित रूप से इसकी चिन्ता होनी चहिये थी और उज्जैन-आगरा का रेल मार्ग आगे बढ़कर घटिया, घोसला, अशोरा, सुसनैन, सोयत, झालावाड़ और रामगंज मंडी को यदि मिलाने का काम करेंगे तो इन्दौर-कोटा की दूरी कम होगी और इस क्षेत्र का विकास होगा। इसलिये 214 किलोमीटर का खंड निश्चित रूप से इसमें लिया जाना चाहिये। पहले इसका सर्वे हुआ था, वह हो गया लेकिन अब तो नया कुछ होना चाहिये, मैं अपेक्षा कर रहा हूं।

मीटर गेज के बारे में कल्पना ऐसी हो गयी है जैसे कि यह रेलवे का हिस्सा नहीं है और इस पर चलने वाली गाड़ी और उनके इंजन का रख-रखाव सब बेकार है। वह भंगार जैसा हो गया है उसको देखने वाला कोई नहीं है। स्टीम इंजन तो हमने निकाल दिये और हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि रतलाम सैक्शन पर कुछ नयी रेल सेवा शुरू होगी लेकिन नहीं हुई। रतलाम ब्राड गेज का मुख्य स्टेशन है लेकिन इन्दौर के बीच में रेलवे की सुविधा नहीं हो रही है जिस कारण लोगों में

असंतोष है। मेरा कहना है कि जो इंजन बच गये हैं, उनको वहां लाने की बात हो रही है परन्तु मीटर गेज पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि मेरी बात सुनें। आप अपने रेल मंत्रालय के कमरे में बैठकर लोगों की बात सुनते हैं, यहां पर हमारी बात भी सुन लें। मैं जो बात कह रहा हूं उसका अर्थ यह है कि मीटर गज सैक्शन पर रेलगाड़ी चलनी चाहिये। मुझे डर है कि हमारे पास सीमित साधनों के कारण हम आने वाले समय में मीटर गेज कनवरजन कर पायेंगे या इनको छोड़ दिया जायेगा। मेरा कहना है कि रतलाम सैक्शन मीटर गेज है और इस पर बहुत बड़े शहर हैं जिन पर डीजल से रेलगाड़ी चलायी जा सकती है। स्टीम इंजन हटा दिये गये हैं और यदि चलते हैं तो चलते रहते हैं और यदि रुक जायें तो रुक ही जाते हैं। इसलिये इन्दौर-रतलाम सैक्शन को ठीक करना चाहिये।

इसी प्रकार से उज्जैन-फतिहाबाद होते हुये इन्दौर सैक्शन मीटर गेज है जिसमें कुछ नहीं होता है। इन्दौर और उज्जैन दोनों महत्वपूर्ण शहर हैं जिसमें इन्दौर औद्योगिक नगर और उज्जैन संभाग का हैड क्वार्टर है। यहां पर शिक्षा का केन्द्र है इसलिये यह जरूरी है कि इस 67 किलोमीटर की दूरी पर कोई डीजल गाड़ी या पुश एंड पुल गाड़ी चलाई जाये। ब्राड गेज का इलैक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, सिग्नल प्रणाली ठीक नहीं है और लोगों को सुविधा नहीं है। इसलिये इन्दौर-उज्जैन के बीच में फ्रीक्वैंट रेल सेवा चलाई जाये। अब तक 10-20 हजार लोगों के लिये रेल सेवा में सुविधा लाने के लिए प्रश्न उठाता रहा हूं और जवाब में कहा गया है कि रोड ट्रैफिक ठीक है इस कारण नयी रेलगाड़ी नहीं चलाई जा सकती जबकि सही बात यह है कि यदि रेल की सुविधा ठीक कर दी जाये तो लोगों को फायदा होगा। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इन्दौर-उज्जैन मीटर गेज के बारे में और इन्दौर के बीच में ब्राड गेज बनाने पर विचार करें।

अपराह्न 10.00 बजे

एक की दूरी 68 किलोमीटर है और दूसरे की 78 किलोमीटर है। इसलिए मीटर गेज की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मीटर गेज के डिब्बे, इंजन, रख-रखाव बहुत सावधानीपूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा।

एक बात है कि हम गाड़ियों को रोकने के लिए निवेदन करते हैं तो कहते हैं कि यह सुपरफास्ट ट्रेन है, ऐक्सप्रेस ट्रेन है, नहीं रुक सकती। मैंने दूरियों का चार्ट बनाकर मंत्री जी को दिया और मंत्री जी ने कृपापूर्वक मंत्रालय को भेजा है। उसमें सब दूरियों को बताकर लिखा है कि जिनको आप ऐक्सप्रैस और सुपरफास्ट ट्रेन कहते हैं, कैसे वह रुक रही हैं। नमूने के तौर पर मैं देहरादून एक्सप्रैस के बारे में बताना चाहता हूं। यह जब गोधरा से चलती है तो संत रोड पर आती है और पीपलदाह जंक्शन पर आ जाती है जिसकी दूरी 12 किलोमीटर है। पीपलदाह से लिमखेड़ा आती है जिसकी दूरी आठ किलोमीटर है। लिमखेड़ा से महोदी आती है यह 16 किलोमीटर है। फिर 14 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, चार किलोमीटर, छः किलोमीटर पर यह रुकती है। जब मैंने कहा कि एक नया स्टेशन धुरिया पर उसको रोका जाना चाहिए तो उन्होंने कहा कि एक्सप्रैस गाड़ी है, नहीं रुकेगी। उसे चार-छः किलोमीटर पर रोक रहे हैं और ऐक्सप्रस भी कह रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : उसको एक्सप्रेस बना दें और सब स्टॉपेज हटा दें?

डा. सत्यनारायण जटिया : आपसे हम यह उम्मीद नहीं कर रहे हैं। दूसरी गाड़ियां चला दें पर जिस प्रकार की गाड़ियां चल रही हैं, उनमें सुविधा दीजिए। यह धुरिया स्टेशन गांव का ऐसा स्टेशन है जहां सड़क के रास्ते बंद हैं। मैं चाहता हू कि धुरिया स्टेशन पर स्टॉपेज दिया जाना चाहिए। इसकी दूरी भी 13 किलोमीटर के लगभग है। मैंने यह सारे चार्ट बनाकर दिये हैं। इस पर आप ध्यान दें। सभी संसद सदस्य बराबर होते हैं पर कुछ प्रभावी लोगों का बड़ा असर पड़ता है जिसके कारण कभी स्टॉपेज गड़बड़ हो जाते हैं। इंटरसिटी ऐक्सप्रैस 4005/4006 हजरत निजामुद्दीन-इंदौर के बीच चलती है। नागदा से चलती है तो महिदपुर रोड पर स्टॉपेज के लिए काफी समय से हम मांग कर रहे हैं। नागदा से महिदपुर रोड की दूरी 17 किलोमीटर है और महिदपुर से विक्रमगढ़ की दूरी 23 किलोमीटर है। आलोट से चौमेला 22 किलोमीटर है। चौमेला से सुमाथरा 16 किलोमीटर है तथा सुमाथरा से श्यामगढ़ 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर, 16 किलोमीटर पर गाड़ी रुकेगी लेकिन 23 किलोमीटर पर गाड़ी नहीं रुक सकती है, यह विसंगति है। इसलिए गाड़ी रोकने का भी सिलसिला बनाएं जिससे जनता को सुविधा मिले।

इसी प्रकार से तराना रोड पर एक गाड़ी रुक नहीं पाती। वह भी 8-10 किलोमीटर पर रुकती है।

श्री राम विलास पासवान : यह मेरे समय से नहीं रुक रही है। पहले से ऐसा चल रहा है। मेरे समय में यह रुकी होती तो निश्चित रूप से मैं बोलता कि आपकी प्रायौरिटी पहले रहती।...**(व्यवधान)** हम यही कर सकते हैं कि आप कहें तो ऐक्सप्रेस को ऐक्सप्रेस की तरह चला दें, सुपरफास्ट को सुपरफास्ट की तरह चला दें और पैसेन्जर को पैसेन्जर की तरह चला दें।

डा. सत्यनारायण जटिया : आप जानते हैं कि यह सारा कुछ करने के लिए अभी समय नहीं है और चूंकि जनता की सुविधा है इसलिए चाहे नाम एक्सप्रेस होगा, पर सुविधा देना प्रथम बात है।

इसी प्रकार से 2955/2956 जयपुर-मुम्बई का स्टॉपेज विक्रमगढ़ आलोट में मांग रहे हैं। चौमेला पर वह गाड़ी रोक दी गई है परंतु इस स्टेशन पर वह गाड़ी नही रुक रही है। एक बड़ा तीर्थ है नागेश्वर का। अगर यह सुविधा मिल गई तो लोगों को लाभ होगा। एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है। कुछ गाड़ियों को ऐसा क्लब कर दिया गया है, जिसके कारण जो गाड़ी ठीक समय पर चलती थी, उसका समय भी बिगड़ गया है। मालवा ऐक्सप्रेस इंदौर से भोपाल होते हुए झांसी के रास्ते दिल्ली होते हुए जम्मू जाती है। यह गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी

थी पर अब बिल्कुल बेकार हो गई है। उसके आने जाने का समय ठीक नहीं है। एक अच्छी गाड़ी चल रही थी निजामुद्दीन से होते हुए कोटा के रास्ते चलते हुए नागदा से होते हुए इंदौर जा रही थी। उस गाड़ी को उसके साथ जोड़ दिया कि इंटरसिटी का रैक जाएगा, हजरत निजामुद्दीन-इंदौर का रैक जाएगा तो मालवा करके उसको चला दिया। जो गाड़ी समय पर चल रही थी, उसको भी लेट करने का उपाय हो गया है। जो रैक जिस गाड़ी का है, उसी पर उसको चलाइए। उसको तीन टांग की गाड़ी बनाने से निश्चित रूप से यह भी बिगड़ेगा और वह भी बिगड़ेगा।

तो यह जो इंदौर-निजामुद्दीन गाड़ी है उसके रैक्स उसी में जाएं और उसी में लोड करके आ जाएं तो अच्छा है। उसके डिब्बों की हालत बहुत खराब है। फर्स्ट क्लास के डिब्बे तो ऐसे हैं कि जिनके फर्श बहुत खराब हैं। फर्स्ट क्लास का कांसेप्ट तो आपने निकाल दिया कम से कम थ्री टायर ए.सी. भी लगा दे तो कैपेसिटी भी बढ़ जायेगी और लोगों को आने-जाने की भी सुविधा मिल जायेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इंदौर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस जिसको इंटरसिटी एक्सप्रेस भी कहा जाता है उसमें कोई भी रैक आज तक नहीं मिला है। इस क्षेत्र में इंदौर और उज्जैन से चलने वाली गाड़ी में सबसे बेकार रैक्स जो हो सकते हैं, लगाये जाते हैं। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करा रहा हूं कि कृपा करके एकाध गाड़ी में तो रैक अच्छा कर दें जिससे कि हम यह कह सकें कि राम विलास पासवान जी और सतपाल महाराज जी से हमें भी कम से कम कुछ प्रसाद मिला। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो रैक्स बेकार हो गये हैं उनको बदलने की कोशिश करें और यह जो मालवा गाड़ी में आपने रैक्स जोड़ दिये गये हैं, इसके अंदर जो बैडरोल्स हैं, वे एकदम गंदे हैं, यह पूरे नहीं आते हैं और किराया पूरा ले लिया जाता है। बेडरोल इंदौर या जम्बू में दे दिये जाएं तो अच्छा हो जाए। गाड़ी में जो 46-47 सीटें होती हैं उसमें 25-30 ही लगी होती है। इसी भरोसे कहीं परिवार या बच्चे आ जाते हैं तो बैडरोल मिलते नहीं है उसके कारण इनको परेशानी हो जाती है। इसलिए मेरा यह भी कहना है कि इस बारे में आप चिंता करेंगे और रैक्स की हालत ठीक करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जायेगा। इस गाड़ी का जो हजरत निजामुद्दीन से चलने का टाइम है, उसके बारे में मैंने पिछली बार रिक्वैस्ट की थी, उसमें कुछ सुधार भी आया है, किंतु जो समय है उसके कारण इंदौर पहुंचते-पहुंचते 12 बज जाते हैं और आधा समय बेकार चला जाता है। इसलिए यहां से इसका समय यदि सवा नौ, साढ़े नौ कर दें तो अच्छा हो जायेगा और घंटे भर का सुधार हो जायेगा और वहां जाने वाले आदमी का दिन खराब नहीं होगा, क्योंकि यहां से सवा दस बजे गाड़ी चलती है और चलते-चलते लेट हो जाती है और 11-12 बजे तक पहुंचती है। इसलिए मेरा निवेदन है ये सारी बातें हो जाएं तो बहुत अच्छा है। मुबई-दिल्ली जो मुख्य रेल मार्ग है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। यहां पर बीच में रतलाम स्टेशन बना हुआ है। रतलाम जो हमारे डी.आर.एम. का मुख्यालय है, यह हमेशा अपने काम की वजह से प्रथम आता रहा है लेकिन आजकल वहां भी कुछ सुविधा देने की आवश्यकता है। वहां केवल तीन प्लेटफार्म हैं। जब गाड़ी मुंबई जाती है तो यह मेन रूट है और रतलाम में तीन प्लेटफार्म ब्रॉड गेज पर हैं। उन प्लेटफार्मों पर कोई गाड़ी आ रही है और कोई जा रही है, इसके कारण बहुत सी गाड़ियों को स्थान नहीं मिल पाता है। यदि वहां पर एक और प्लेटफार्म की जगह कर देंगे तो अच्छा होगा। नागदा में आपने मंजूर कर दिया है लेकिन वह मंजूर करने के बाद भी वहां काम शुरू नहीं हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप समय निकालकर उस काम की शुरूआत करें। मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। इसके अलावा वहां जो फुट ओवर ब्रिज है उसकी हालत बहुत खराब है, उसकी पट्टियां बेकार हो गई हैं। ये छोटे-छोटे काम हैं जो जोनल या डी.आर.एम. लैवल पर हो सकते हैं लेकिन वहां बात करने के लिए अधिकारी इतने सक्षम नहीं हैं कि वे कोई कमिटमेंट कर सकें। यदि जोनल और डी.आर.एम. लैवल पर उनका निपटारा करने के अधिकार उनको मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से इन छोटे-छोटे कामों को लिए हम आपके पास नहीं आयेंगे। अब जैसे पीने के पानी की समस्या है, फुट ओवर ब्रिज की समस्या है ये सब आप तक नहीं आयेंगी। किंतु उन कामों को करने के लिए अधिकारी लोग सक्षम नहीं है, यदि आप निर्देश करेंगे तो वे कुछ उपाय जरूर करेंगे। दो मिनट और लेकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। स्टेशन के साथ-साथ प्लेटफार्म पर यदि एस.टी.डी. बूथ लगा दिये जाएं तो इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और दूसरा मैसिज का आदान-प्रदान करने में भी सुविधा हो जायेगी। आजकल जो बूथ हैं वे स्टेशन के बाहर हैं बाहर जाकर कोई अपना मैसिज नहीं दे सकता है। यदि प्लेटफार्म पर आप एस.टी.डी. बूथ खोल देंगे तो रोजगार भी होगा और यह सुविधा भी हो जायेगी। आपने दो कमेटी जेड.आर.यू.सी.सी. और डी.आर.यू.सी.सी. बना दी है। अब हम भी संसद सदस्य हैं हमसे भी लोगों की कुछ अपेक्षा रहती हैं। पिछले जमाने में तो 200-250 लोग इन कमेटियों में होते थे और लोग उनको संगठित कीजिए और उनको सुविचारित करने की दृष्टि से कुछ अच्छे लोग भी उनमें काम करते आये हैं। यदि आप उसमें हमें भी मौका देंगे तो ठीक हो जायेगा। मैं इन शब्दों के साथ रेल मंत्रालय की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं और रेल मंत्री जी जो सुझाव मैंने आपको दिये हैं उनको मानने का आपसे करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गुलाम रसूल कार : सर, कर्नल राव राम सिंह ने कहा था कि भाजपा के जो मैम्बर बोल रहे हैं, उसके बाद आपको बोलना है, लेकिन मेरा नाम नहीं आया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप इस तरह अपनी कुर्सी से प्रश्न नहीं पूछ सकते। आपकी पार्टी द्वारा भेजी गई सूची में आपका नाम नहीं है।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस समय भी माननीय रेल मंत्री ने महाराष्ट्र की नई परियोजनाओं की उपेक्षा की है।

मुख्य बजट चर्चा के समय, माननीय मंत्री ने रेल परियोजना, जो अनुपूरक बजट में शीगांव जालन है, पर विचार करने का वायदा किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश वे इसे भूल गए हैं। मैं माननीय मंत्रीजी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मुख्य बजट के अपने प्रस्तावना भाषण में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि वहां औद्योगिक या अन्य कोई विकास कार्य नहीं था। यह कहा गया है कि यह व्यवहार्य नहीं होगा जब तक कि वहां रेल और अन्य संचार के साधन उपलब्ध नहीं हो जाते, औद्योगिक और अन्य विकास कार्य सम्भव नहीं है।

मेरे चुनाव क्षेत्र महाराष्ट्र पूर्व में बुलढाना पूर्णतः अविकसित क्षेत्र है। वहां कोई औद्योगिकरण नहीं हुआ है, वहां कोई सिंचाई सुविधा नहीं है, जिसके कारण वहां बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। 176 कि.मी. की शीगांव जालना परियोजना मराठवाडा के सात और विदर्भ के नौ जिलों को जोड़ेगी जिसके कारण करोड़ों लोगों को यात्रा करने का अवसर मिलेगा और यह यातायात का बहुत बड़ा साधन होगा जिससे औद्योगिकरण सम्भव होगा। अतः आप लोनार झील जो बुलढाना का विश्व प्रसिद्ध चमत्कार है, का भी दौरा करें।

दूसरा शिंदखेड राजा उस महान महिला, जीजा बाई माता, महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की मां का जन्म स्थान है। तीसरा, मेरे चुनाव क्षेत्र में गजानंद महाराज की समाधि जैसे पवित्र स्थान हैं। उपर्युक्त स्थानों के महत्व को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस परियोजना पर अनुपूरक बजट में विचार करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : आप किस परियोजना का जिक्र कर रहे हैं।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : यह शीगांव जालना है। पहले इसे खामगांव जालना कहते थे। लेकिन कामगांव पुराना स्थान है। शीगांव जालना, खामगांव से 20 कि.मी. आगे हैं और यह रेलवे लाइन पर हैं, जिसके कारण इसे शीगांव जालना कहते हैं।

चौथा, मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि गीतांजली एक्सप्रेस अंकोला की बजाय शीगांव जालना में रुके क्योंकि शीगांव वह पवित्र स्थान है जहां लाखों लोग गजानंद महाराज समाधि देखने आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : रेल मंत्रालय पर वाद विवाद में बोलने की इच्छा हमेशा रहती है। इसकी अध्यक्षता बहुत उत्तरदायी और लोकप्रिय मंत्री द्वारा की जाती है। विशेषरूप से, जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का संबंध है; उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि लोकप्रियता के मामले में अपने कार्यकाल की उपलब्धियों में वह अमिताभ बच्चन से कम नहीं हैं। ऐसा कहने के बाद, गत अक्तूबर में प्रधान मंत्री जी के साथ असम के उनके दौरे के दौरान जो उन्होंने वायदा किया था उसके लिए मैं एक बार फिर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने एक पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें न केवल रेलवे को शामिल किया गया था बल्कि असम राज्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया था।

यहां "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई पहल" नामक एक पुस्तिका भी वितरित की जा रही है। अब, गत अक्तूबर में पूर्वोत्तर क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पैकेज की घोषणा की है। पुस्तिका में दिया गया है कि जोगीघोपा में रेल एवं सड़क पुल को पूरा करने के लिए 1996-97 में 55 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि, तथा परियोजना को पूरी तरह से पूरा करने के लिए वर्ष 1997-98 हेतु 120 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे।" मैं समझता हूं कि इस राशि को मूल बजट में शामिल नहीं किया गया है। अतः मैं नहीं जानता कि इस पर किस प्रकार ध्यान दिया जा रहा है। यदि यह पहले ही रेलवे बजट में शामिल है तो ऐसे पैकेज की घोषणा करके राज्य के लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है क्योंकि जो घोषणा की गई है उसके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं है। यदि इसका अन्यथा ध्यान रखा गया है तो मैं माननीय मंत्री से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं।

इस पुस्तिका में सम्मिलित दूसरा प्रश्न बोगीबील में सड़क एवं रेल पुल के लिए प्रस्ताव का है। मैं उद्धृत करता हूं कि इस वर्ष 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाएंगे और कार्य अगले वर्ष शुरू हो जाएगा और नौवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा कर लिया जाएगा। मूल-रूप से, 2 करोड़ रुपए की राशि सर्वेक्षण, जांच, और प्रारम्भिक निर्माण कार्यों के लिए बजट में स्वीकृत की गई थी। लेकिन शेष राशि का क्या हुआ? इसको किस तरह ध्यान में रखा जाएगा? यहां यह बात स्पष्ट नहीं है। मैं इन सबका इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि यहां रेल मंत्री की सभी प्रशंसा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अतः पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोगों को उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए। उन्हें यह कहने की स्थिति में नहीं होना चाहिए कि ये सब बातें आर्थिक पैकेज के एक भाग के रूप में घोषित की गई हैं लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं किया गया।

प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वायदों और वचनों को कार्यान्वित करने में कोई गम्भीरता नहीं दिखाई गई हैं।

श्री राम विलास पासवान : इस पुस्तिका के अनुसार, हमने पूर्वोत्तर रेलवे के लिए पहले ही 50 करोड़ रुपए दे दिए हैं और उन 50 करोड़ में से मैं समझता हूं कि परियोजना जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, के लिए 20 करोड़ रुपए पहले ही दे दिए गए थे।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : उसमें से हमें क्या दिया गया है, परियोजना का उसमें उल्लेख नहीं है। मुझे जानकारी देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

इस पुस्तिका में, एक अन्य पैराग्राफ है जिसमें यह कहा गया है कि सभी केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग पूर्वोत्तर राज्यों में विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत निर्धारित करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रमों को शीघ्रता से कार्यान्वित किया

जाएगा। अन्य मंत्रालयों में हमें चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे इस अतिरिक्त 10 प्रतिशत का कोई संकेत दिखाई नहीं दिया। लेकिन हम आशा कर रहे हैं कि रेलवे, राज्य के लिए जो कुछ करना चाहेगी वह परिलक्षित होगा। मैं समझता हूं इसे किसी न किसी तरीके से कर ही दिया जाना चाहिए था अन्यथा हमें मंत्रालय द्वारा परिचालित पत्रों में परिलक्षित नहीं किया जाता।

महोदय, मैं हरमुट्टी-ईटानगर रेलवे लाइन के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। इस स्टेशन से अरूणाचल प्रदेश की राजधानी जुड़ जाएगी। यह बहुत स्वागत योग्य विकास है। केवल कुछ लाख रुपए ही उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन चूंकि यह वह रेल लाइन है जिसके लिए 156 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं, मुझे आशा है कि इस लाइन पर कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। लेकिन साथ-साथ, इस बजट में बालीपाडा-मालुकपंग रेल लाइन का भी उल्लेख किया गया है। यह एक छोटी लाइन है। शायद, यथासमय, इस रेल लाइन में प्रभावी सुधार लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यह बात ठीक ही है जो कुछ हुआ है वह संतोषजनक नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : आपने किस ल्याइन का उल्लेख किया है?

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : महोदय, मैं बालीपाडा-मालुकापंग रेल लाइन का उल्लेख कर रहा हूं। यह एक छोटी लाईन है।

रंगला में एक नया रेलवे मंडल खुलने जा रहा है। उस मंडल की आधार शिला पिछली सरकार के शासनकाल में रखी गई थी लेकिन हमें वहां ज्यादा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : क्या आप बी.जे.पी. सरकार की बात कर रहे हैं?

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : वह कोई सरकार नहीं थी। मैं उसे सरकार नहीं कहता। इस नए मंडल के मामले में हमें ज्यादा प्रगति देखने को नहीं मिली है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वहां कम से कम सगिया मंडल के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को अंतिम रूप दे दिया गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मंडल को खोलने के बारे में रेल मंत्रालय में कोई आरक्षण है। अब तक, नए मंडल के भवन आदि के निर्माण और अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित कार्य को देखने के लिए विशेष कार्याधिकारी भी नियुक्त नहीं किया गया है।

मैंने बोगी भील पुल का उल्लेख किया है जिसके लिए बजट में 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस पुल के निर्माण कार्य में शीघ्रता लाई जाए।

यह बहुत स्वागत योग्य विचार होगा यदि माननीय मंत्री, कम से कम, पुल की आधारशिला रखने के लिए कोई शीघ्र तारीख निर्धारित करके उसकी घोषणा करें। यदि स्वय प्रधानमंत्री आएं और इसकी आधारशिला रखें तो सम्पूर्ण पूर्वोत्तर के लिए यह ऐसा बड़ा अवसर होगा जिससे हमें बहुत खुशी होगी। इस वाद-विवाद में उनके उत्तर में, मुझे आशा है माननीय रेल मंत्री लोगों के दिमाग में इस आशंका और संदेह को कम करने के लिए तारीख के बारे में घोषणा करें कि हांलाकि एक हजार करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं, अंततः यह पुल इतना काफी लम्बा समय लेगा। जितना जोगी घोपा पुल ने लिया है। यदि बोगीमील पुल की आधार शिला रखने के लिए तारीख निर्धारित कर उसकी घोषणा कर दी जाए तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र के लोग वास्तव में बहुत प्रसन्न होंगे।

श्री राम विलास पासवान : जनवरी के तीसरे सप्ताह में बोगीमील और लुम्डिंग-सिल्चर दोनों में रेल लाइन का उद्घाटन किया जाएगा।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : बहुत बहुत धन्यवाद। यह लुम्डिंग सिल्चर लाइन बिछाने से हमारे मुख्य सचेतक बहुत खुश होंगे।

हमें यह नोट करके बड़ी प्रसन्नता हुई है कि पिछले बजट में माननीय मंत्री महोदय ने रंगिया मुरकोंग चेलक लाइन की आमान परिवर्तन संबंधी परियोजना की स्वीकृति की घोषणा की थी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यह रेल लाइन असम के उत्तरी किनारे पर स्थित है और शायद इसके लिए हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र नहीं है बल्कि चीन की सरकार है क्योंकि चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया और शायद उसका असली इरादा हमारे लिए रेल लाइन बनाना था, न कि हमारे भू-क्षेत्र पर कब्जा करना। जिस क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा किया था उसे उन्होंने खाली कर दिया है। परन्तु अन्त में ही सही, हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और यह रेल लाइन बनाई। इस लाईन के आमान परिवर्तन का कार्य न केवल असम के उत्तरी किनारे की अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि चीन के साथ लगने वाली सीमा की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम अपनी सैन्य गतिविधियों और अस्त्र शस्त्र नहीं बढ़ाएंगे तब तक वैसा ही होता रहेगा जैसा कि सन् 1962 के युद्ध में हुआ था। इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि यह परियोजना आरंभ की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस परियोजना की समय से पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए नौवी योजना में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा।

महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र तेजपुर है उसमें एक विधान सभा क्षेत्र रंग पारा उत्तर भी है। वास्तव में इस कस्बे के बीच से रेल लाइन गुजरती है। वहां पर कोई ऊपरी पुल नहीं है और रंगपारा के लोगों का कहना है कि यदि मैं वहां एक उपरि पुल का निर्माण करवा सकूं तो वे भविष्य में होने वाले सभी चुनावों में बार बार मुझे ही चुनेंगे। इसलिए रंगपारा उत्तरी जंक्शन में थाने के निकट बनाए जाने वाले इस उपरिगामी उपरी पुल के लिए माननीय मंत्री को अनुरोध करने का मेरा विहित हित है।

इस रेल लाइन के एक तरफ लोग बसे हुए हैं और दूसरी तरफ अस्पताल, स्कूल, न्यायालय, थाना और सभी प्रकार की अन्य सुविधाएं हैं। रेलवे अधिकांशतः समय रेलवे फाटक बंद ही रहता है: तथा उपुरि पुल न होने के कारण भारी असुविधा का सामना करना

पड़ता है। यदि इस ऊपरी पुल का निर्माण तेजी से किया जाता है तो मैं बड़ा आभारी होऊंगा और इससे लोगों का बहुत समय बचेगा और उनकी समस्याएं कम होंगी।

एक दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि विशेषत: पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए खाद्यान्न के लाने ले जाने पर माल भाड़ा रियायती दर पर लिया जाता है। मेरे विचार से माल भाड़े में 6 प्रतिशत की रियायत दी जाती है। पूर्वोत्तर के समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि यह रियायत समाप्त की जा रही है। मुझे आशा है कि ये समाचार गलत हैं। इसलिए यदि माननीय मंत्री इस संबंध में यह कहें कि रियायत समाप्त नहीं की जा रही है तो बहुत अच्छा होगा।

श्री राम विलास पासवान : उसे समाप्त नहीं किया जाएगा।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : धन्यवाद, महोदय।

रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कई उपक्रम कार्य करते हैं, उनमें से एक 'राईट्स' है।

'राईट्स' निश्चय ही एक स्वायत्त शासी निकाय है और इसलिए हम रेल मंत्रालय से औपाचारिक या अनौपचारिक रूप से उसके कार्य में दखल देने के लिए नहीं कह सकते हैं। परन्तु इस कम्पनी को असम में विशेष रूप से नवोदय विद्यालयों के निर्माण के अनेक ठेके प्राप्त हुए हैं। वास्तव में यह कम्पनी एक अभियांत्रिकी परामर्शी संगठन है और यह अधिकाशंत: विदेशों में ठेके पर काम लेते हैं और कार्य करते हैं। मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने सुदूरवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इन विद्यालयों के निर्माण में कार्य में रूचि क्यों ली परन्तु उन्होंने इसका लिया है। उन्होंने अग्रिम राशि प्राप्त कर ली है परन्तु एक वर्ष से कुछ भी नहीं कर पाए हैं। यहां तक कि उन्होंने अभी तक उप-ठेके के लिए भी निविदांए जारी नहीं की हैं और बहाने बना रहे हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति अनुकूल नहीं है और इसलिए वे कार्य आरंभ नहीं करना चाहते। अत: मैं मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अपने पद का सदुपयोग करते हुए "राईट्स" को बताएं कि वे इन ठेकों में विलम्ब न करें और कार्य आरंभ कर यथासंभव शीघ्र इन विद्यालयों के निर्माण को पूरा करें।

महोदय, शायद मैं अपना समय ले चुका हूं परन्तु कांग्रेस दल के वक्ताओं की सूची में एक और वक्ता मेरे सहयोगी का नाम है जो धुबरी से हैं। तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें आज जल्दी जाना पड़ा। इसलिए जिस मुद्दे पर वह बोलना चाहते थे उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं आपसे कुछ और मिनट तक बोलने की अनुमति चाहता हूं। वह मुद्दा फकीरग्राम से धुबरी तक की बड़ी लाइन से संबंधित है जो कि बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और यह केवल 60 से 70 किमी. दूरी पर है ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : उनके नाम भी बता दीजिए।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : उनका नाम श्री नुरूल इस्लाम है और वे धुबरी के संसद सदस्य हैं। उनका नाम कांग्रेस दल के वक्ताओं की सूची में है।

उनका दावा है और मुझे भी उसकी जानकारी है कि माननीय मंत्री और यहां तक कि प्रधान मंत्री ने भी उनसे वादा किया था कि इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की इस परियोजना के लिए नवम्बर-दिसम्बर में संसद में रखी जाने वाली अनुपूरक मांगों में प्रावधान किया जाएगा। परन्तु उन्हें यह देखकर बहुत निराशा हुई कि इन मांगों में उसका जिक्र ही नहीं है। इसलिए यदि यह किसी रूप में उत्तर सीमान्त रेलवे के अन्तर्गत आता है तो मंत्री जी को अपने उत्तर में बाद में इस पर प्रकाश डालना चाहिए।

अन्त में, सलाहकार समितियों के बारे में मेरा यह कहना है जिसका उल्लेख मेरे से पूर्व बोलने एक वक्ता भी कर चुके हैं, मुझे आशा है कि शीघ्रतिशीघ्र समितियों का गठन कर लिया जाएगा और इससे एक तरफ तो मंत्रालय और अधिकारियों तथा दूसरी तरफ संसद सदस्यों और विधायकों जैसे प्रतिनिधियों के बीच सम्पर्क हो सकेगा ताकि यदि उनकी मांगों को पूर्णत: पूरा नहीं किया जा सके तो कम से कम उन्हें यह एहसास तो रहे कि उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया गया है।

महोदय, अन्त में मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले मंत्री महोदय की सराहना करना चाहता हूं। वह रेल मंत्रालय को बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं और उनका कार्य बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण और प्रभावी रहा है। यदि हमें अगली बार सरकार बनाने का अवसर मिला, और मुझे आशा है शीघ्र ही ऐसा होगा, तो वह निश्चित रूप से रेल मंत्री बनेंगे और लोक सभा में उनके दल के सदस्यों की संख्या एक तिहाई होगी।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय रेल मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम सबकी बात को बड़े धैर्य के साथ सुना और जिन मुद्दों की इस सम्मानीय सभा में उठाया, उनका भी उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया।

माननीय मंत्री ने रेलवे के लिए 170 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के लिए प्रस्ताव किया है। अनुदानों की इन अतिरिक्त मांगों के दो कारण हैं जिन्हें कारणों के ज्ञापन में दर्शाया गया है।

एक मुद्दा अनुमानित व्यय में असाधारण वृद्धि के बारे में है। यह चालू परियोजनाओं के लिए है। दूसरे उन नए कार्यों से संबंधित है जो शुरू किए हैं या जिनके इस वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है। कुल 20 कार्यों का उल्लेख किया गया है। मैं जिस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं वह यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांगों में उल्लिखित 20 परियोजनाओं में से एक भी केरल से संबंधित नहीं है।

महोदय, मेरे अधिकांश सहयोगी पहले ही केरल में रेलवे क्षेत्र की दयनीय स्थिति का उल्लेख कर चुके हैं। जुलाई में बजट पेश करते समय भी इस सभा में संसद सदस्यों द्वारा काफी विरोध किया गया था। एक सम्मेलन भी बुलाया गया था और मुद्दों पर चर्चा की गई थी। जहां तक नई रेलगाड़ियों का संबंध है बजट में केरल के लिए नई रेलगाड़ी नहीं दी गई। रेलगाड़ियों की संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कोई नई लाइन बिछाने का भी प्रावधान नहीं किया गया और न ही आमान परिवर्तन किया गया। जो धनराशि आबंटित की गई वह केवल लाइनों के दोहरीकरण के लिए थी। क्विलोन से तिरूवनन्तपुरम तक की लाइन के दोहरी करण के लिए 21.47 करोड़ रुपए तथा मंगलौर से शोरनपुर तक की लाइन के लिए 37 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। भारतीय रेल के सम्पूर्ण बजट में केरल के लिए केवल इतनी ही धनराशि आबंटित की गई है। सम्मेलन के पश्चात जितनी भी शिकायतें थी उन सबको मंत्री तथा उपस्थित रेल अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। अनेक आश्वासन भी दिए गए थे। नई रेलगाड़ियों के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला गया था।

मेरी जानकारी के अनुसार दो गाड़ियों के बारे में आश्वासन दिया गया था। यह आश्वासन दिया गया था कि कोंकण परियोजना के पूरा हो जाने पर दो रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। एक तिरूवनन्तपुरम दिल्ली के बीच तथा दूसरी तिरूवनन्तपुरम और मुम्बई के बीच। परन्तु उस आश्वासन पर अभी भी विचार ही किया जा रहा है और इसे पूरा नहीं किया गया है।

लाइन के दोहरीकरण का भी उल्लेख किया गया है। मैं मंत्री महोदय के मत से सहमत हूं। यह भी देखा जाना चाहिए कि आवंटित धनराशि कम है। माननीय रेल मंत्री का यह कहना है कि आप स्वयं धन खर्च कर लें, बाकी का भुगतान हम कर देंगे। अतः कार्य पूरा करने में क्या कठिनाई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि एक समस्या भूमि अर्जन की है। इससे सब सहमत हैं। परन्तु रेलवे को कार्य पूरा करने की पहल करनी चाहिए तथा लोक प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए। इसे शीघ्रतिशीघ्र कार्य पूरा करने के लिए पहल करनी चाहिए। मुझे लगता है कि रेलवे दोहरीकरण के इस कार्य को पूरा करने के प्रति कुछ खास गंभीर नहीं है या वचनबद्ध नहीं है। ये दो कार्य केरलवासियों के सपने हैं। विशेष रूप से क्षमता वृद्धि हमारी मुख्य समस्या है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है।

आमान परिवर्तन के बारे में भी आश्वासन दिया गया है। परन्तु वह केवल एक रेल लाईन के लिए है जो कि एक छोटी लाइन है और क्विलोन और विरूद्धनगर के बीच क्विलोन सेनकोट्टई मार्ग पर पड़ती है। आश्वासन दिया गया था कि यह कार्य इसी वर्ष आरंभ कर दिया जाएगा। इन सभी रिपोर्टों को पूरा करके यह कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। लेकिन इस बारे में कुछ नहीं किया गया। यह अकेली रेलगाड़ी है जो क्विलोन से विरूद्धनगर में ही समाप्त हो जाती है। सेनकोट्टई जाना बहुत मुश्किल है चूंकि वहां यह बड़ी लाइन बन जाती है। छोटी लाइन के परिवर्तन का कार्य पूरा नहीं हुआ है। आश्वासन पूरा नहीं किया गया। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय को इस संबंध में सकारात्मक उत्तर देंगे।

महोदय नई लाइन के बारे में भी यह बताया गया है कि साबरी हिल रेल लाइन से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरी हो गई है। इसे योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाना है। इसे अभी अनुमोदित किया जाना है। यह बताया गया था कि यह सितम्बर माह के भीतर अनुमोदित हो जाएगी और कार्य आरंभ हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार से, माननीय मंत्री से इस कार्य को 20 परियोजनाओं में शामिल करने का आग्रह करता हूं। इसे भी शामिल किया जाना चाहिए।

एक सौ सत्तर करोड़ रुपए की कुल राशि में केरल का अंश पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। उड़ीसा का यह अंश 20 या 40 करोड़ रुपए है। प्रत्येक राज्य को आवंटन कर दिया गया है लेकिन केरल के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमें भी समुचित और पर्याप्त राशि आबंटित की जानी चाहिए।

मैं एक बार पुनः क्विलोन से सेनकोट्टई के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की पुरजोर मांग करता हूं। एक दूसरी बात यह है कि तिरूवनन्तपुर और कसारगोड अर्थात दक्षिण से उत्तर के बीच बहुत भीड़ होती है जिसे कम करने के लिए नई गाड़ियां या नई शटल गाड़ियां या इन्टरसिटी एक्सप्रेस या पुश एन्ड पुल गाड़ियां चलाई जानी चाहिए। इन अल्पावधि गाड़ियों को चलाकर हम भीड़भाड को कम कर सकते हैं।

मुझे एक सुझाव डीजल मल्टीपल यूनिट्स के बारे में भी प्राप्त हुआ है। क्विलोन और कायमकुलम के बीच दोहरीकरण का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। जहां तक मुझे जानकारी है दक्षिण रेलवे मण्डल में कोई डी.एम.यू. नहीं है। हालांकि देश के अन्य भागों में यह चल रही हैं पर दक्षिण रेलवे को कुछ नहीं दिया गया। इसलिए छोटी दूरी के लिए डी.एम.यू. चलाना आवश्यक है ताकि यात्रियों की भीड़ कम हो सके।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वहां एक पुराना लोको शेड है जो क्विलोन रेलवे स्टेशन पर है। मेरा माननीय मंत्री से विनम्र अनुरोध है कि इसे माल डिब्बों की मरम्मत और रखरखाव के लिए डिपो में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। इसलिए नये कार्यों को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए अर्थात क्विलोन में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य शुरू किया जाना चाहिए।

जहां तक पहाड़ी रेलवे लाइन का सवाल है, यह कार्य किया जाना चाहिए और कुछ नई गाड़िया यथाशीघ्र चलाई जानी चाहिए।

अनुमान है कि कोंकण परियोजना अगले वर्ष पूरी हो जाएगी। इसलिए इस परियोजना की प्रतीक्षा किए बिना नई दिल्ली और तिरूवनन्तपुरम के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जानी चाहिए।

इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि यात्रियों को आरक्षण प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उन्हें दो से तीन महीने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वहां पर यातायात की भारी भीड़ रहती है। इसलिए इन सभी मुद्दों पर संजीदगी से विचार किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय द्वारा संसद सदस्यों के सम्मेलन और सभा में दिए गए आश्वासनों को पूरा किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ ही मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति जी, मैं रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। रेल मंत्रालय द्वारा पूर्व में जो पिछड़ा एवम् अपेक्षित क्षेत्र रहा है, उस पर मंत्री जी द्वारा ध्यान दिया गया है और कुछ काम भी हुआ है। जैसे मेरे क्षेत्र में रांची से लोहरदगा-टोरी तक बड़ी लाइन के परिवर्तन की मांग पर ध्यान दिया गया है। यह मांग वर्षों से थी। यह आदिवासी और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था उसको पूरा करने का काम किया है।

कई जगहों पर अनुमंडल कार्यालय खुले हैं, उसी तरह रांची में भी खोला गया है और मंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया है। परंतु अभी वहां उसके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। पहले जमीन की बात थी। हमने बताया था कि जमीन की कमी नहीं है। रेलवे कालोनी में पचासों एकड़ जमीन पड़ी है, वहां वह कार्यालय खोला जा सकता है। हमारी मंत्री जी से बात हुई थी तो हमने यह भी कहा था कि वहां एच.ई.सी.एल. का रशियन हॉस्टल है, जहां सैकड़ों कमरे बेकार पड़े हुए हैं, उसको किराए पर लेकर या खरीदकर, क्योंकि उन्होंने उसको बेचने की बात भी कही है, वह कार्यालय खोला जा सकता है। जहां तक जमीन लेकर मकान बनाने की बात है तो जमीन की कमी नहीं है और मकान में समय लग सकता है।

रांची बिहार की दूसरी राजधानी है। यह खनिज पदार्थों से भरा हुआ क्षेत्र है। अगर झारखंड अलग होगा या वनांचल बनेगा तो उसकी राजधानी रांची होगी। रांची से कोई फास्ट ट्रेन नहीं है, जिससे 12 या 14 घंटों में दिल्ली पहुंच सकें। एक गाड़ी हटिया से पठानकोट के बीच चलती है, लेकिन वह यहां पहुंचने में 36 घंटे तक ले लेती है, कभी-कभी वह रात को एक बजे पहुंचती है। हमने उसका समय बदलने की बात कही थी। वैसे उसका यहां पहुंचने का समय रात के आठ बजे है। अगर वह समय पर पहुंचा दे तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतनी ही लेट पहुंचना है तो फिर सुबह ही पहुंचाए। क्योंकि रात को एक बजे आने पर कोई लोगों को बाकी रात स्टेशन पर गुजारनी पड़ती है और कई लोगों की पाकेट भी मारी जाती हैं। उन्होंने दिसम्बर, 1996 तक इसको चलाने की बात कही थी। मंत्री जी के आने के बाद वहां के लोगों में मन में जिज्ञासा है कि इस सुपरफास्ट ट्रेन को रांची-दिल्ली के लिए खोलेंगे, लेकिन वह अभी तक नहीं खुल पाई है। मैं माननीय रेल राज्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इसको जल्दी खोल दें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। रांची-हजारीबाग लाइन को गया तक जोड़ने की बात है। यह मांग भी बार-बार हुई है। मैं चाहूंगा कि आप इसको जल्दी से कर दें। इसी प्रकार चाइबासा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसको पटना और कलकत्ता से जोड़ने की बात है, जो अभी तक नहीं जोड़ी गई है। मैं चाहता हूं कि इसको जोड़ा जाए। पुरूषोत्तम नीलांचल एक्सप्रैस में ए.सी. नहीं है। मेरी मांग है कि इसमें सैकेंड क्लास ए.सी. की बोगी और जनरल बोगी को जोड़ा जाए। रांची-बम्बई तक रेल उपलब्ध कराने की मांग बार-बार की गई है। यहां से मात्र दो-तीन बोगी जाती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। बोगी की संख्या को बढ़ाया जाए, नहीं तो एक नई रेल चलाने के बारे में विचार किया जाए। इसमें भी सैकेंड क्लास में ए.सी. बोगी को जोड़ा जाए। बकारपुरी एक जगह है, यहां जाने के लिए पहले चांडिल डैम से रास्ता था, लेकिन वह पानी में डूब गया है। आवागमन की कोई सुविधा नहीं है। पैसेंजर ट्रेन बड़काकाना और टाटानगर चलती है, इसको दो मिनट के लिए रोकने की मांग बार-बार होती रही है। इसके लिए लोगों ने आन्दोलन भी किए और रेल जाम भी किया है। यह गाड़ी तीन-चार घन्टे लेट चलती है, समय पर नहीं आती है। इस गाड़ी को दो मिनट के लिए बकारपुरी पर रोकने की मांग है। यहां जाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बस नहीं जाती है। इसलिए इस गांडी को वहां पर दो मिनट के लिए रोकने की मांग है। हटिया-पठानकोट समय पर चले, यह मेरी मांग है। मुरी में बहुत से मजदूरों की छंटनी की गई है। वहां अभी इलैक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, मेरी मांग है कि इन छंटनीग्रस्त मजदूरों को पुनः काम पर ले लिया जाए। रांची स्टेशन पर एक ही काउन्टर है, जिस पर कि काफी भीड़ रहती है। मेरी मांग है कि वहां एक वीआईपी काउन्टर खोला जाए। इसको खोलने में कोई खर्च नहीं है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस काउन्टर को जल्दी खोला जाए। बोकारो-मद्रास गाड़ी बहत लम्बी गाड़ी है। इस गाड़ी में कोई पैन्ट्री कार नहीं है और न पानी की व्यवस्था है। मंत्री जी ने कहा था कि यह बहुत दुःख की बात है कि इतनी लम्बी गाड़ी और इसमें यह व्यवस्था नहीं है। मेरी मांग है कि तुरन्त इस असुविधा को सुविधाजनक बनाया जाए। रांची टाटानगर के लिए ट्रेन की मांग की गई है। पहले भी यह मांग होती रही है। एक मांग यह भी है कि लुधियाना-सतलुज धनबाद में आकर 16-17-18 घन्टे खड़ी रहती है। यदि इस गाड़ी को रांची तक बढ़ा दिया जाए, जिसमें कि सिर्फ आने-जाने में चार-पांच घन्टे लगेंगे, तो इससे विभाग को फायदा होगा। मेरी मांग है कि लुधियाना-सतलुज गाड़ी को रांची तक बढ़ा दिया जाए। 8183-अप और 8184-5735 टाटानगर पटना एक्सप्रैस को चांडिल में रोकने की मांग बराबर होती रही है। पूर्व की भांति कोटशिला होकर आसनसोल होकर एक गाड़ी चलाई जाए। इसका रूट चेंज कर दिया है। इसलिए इसको चांडेल हो करके जाने का निर्देश दिया जाए और चांडेल मुरी सैक्शन पर डीएमओ ट्रेन का परिचालन किया जाए। दक्षिण बिहार एक्सप्रेस में चांडेल जंक्शन से आरक्षित कोटे को बढ़ाया जाए, जिनकी संख्या कम से कम दस हो। 316 डाउन चक्रधरपुर हावड़ा में आरक्षित कोटा कम से कम

छह किया जाए, अभी मात्र दो है। हेसालोंग स्टेशन पर यात्री शेड और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण नहीं हुआ है और न पेयजल की व्यवस्था है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि यह कार्य शीघ्र करवाया जाएगा किन्तु अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए इसे शीघ्र सुविधा प्रदान की जाए। यात्रियों को गर्मी और बर्सात में काफी परेशानी होती है। इस संबंध में मंत्री महोदय और विभाग के सभी पदाधिकारियों के बीच बात हुई थी कि यह काम तुरंत कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक यह काम नहीं शुरू किया गया है।

महोदय, खेलारी एवं राय कोल फील्ड एरिया है। खेलारी में ऊपरी पुल न होने से पांच-छह घंटे गाड़ी रूकी रहती है जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। राय में ऊपरी पुल पैदल जाने के लिए बनाना आवश्यक है, क्योंकि हर साल दुर्घटना होती है और दो-चार आदमी ट्रेन से कट कर मर जाते हैं। इसलिए पैदल चलने वालों के लिए शीघ्र ऊपरी पुल का निर्माण किया जाए। रांची, हावड़ा और रांची, पटना ट्रेन पर दिन-दहाड़े चोरी, डकैतियां हो रही हैं। अभी कल-परसों एक एम. पी. को लूटा है। एसी बोगी का दरवाजा तोड़ करके लोगों के साथ मार-पीट भी की और उन्हें लूट लिया। यह दुर्घटना टाटीसिल्वे एवं गंगाघाट के बीच में हुआ करती है। इसमें प्रशासन बिल्कुल अक्षम रहा है। वहां की जनता भयभीत है। इसकी रोकथाम के लिए उपाय करो। हम चाहते हैं कि मंत्री जी यहां होते और वह हमें जवाब देते। ...**(व्यवधान)**

श्री सतपाल महाराज : हम इसके लिए उपाय करेंगे।

श्री राम टहल चौधरी : रांची से दिल्ली के लिए सुपरफास्ट, जो 1996 में चलाने की बात थी। अब 1996 भी खत्म होने वाला है। आप इसे 1996 में चलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं पुनः रेलवे विभाग और मंत्री जी को एवं सभापति जी को धन्यवाद देते हुए और आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। ...**(व्यवधान)**

श्री सतपाल महाराज : इस पर हम पुनः विचार करेंगे।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : सभापति महोदय, रेल के पूरक बजट का समर्थन करते हुए मैं तीन-चार बिन्दुओं की ओर आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र मुंगेर में रेलवे का एक बहुत बड़ा कारखाना है। जब आजादी मिली थी तो उस कारखाने में 22 हजार मजदूर काम करते थे और उस समय पूरे देश में मात्र 13 लाख मजदूर इस महकमे में काम करते थे।

22 हजार मजदूर सिर्फ जमालपुर में थे। सरकार की नीतियों की वजह से रेलवे में जो 19 लाख मजदूर काम करते थे अब केवल 16 लाख या साढ़े सौलह लाख रह गये हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और रेलवे बोर्ड से भी जानना चाहता हूं कि जमालपुर कारखाना जो लोकोमोटिव कारखाना था जहां स्टीम इंजन की मरम्मत का काम होता था, जो एशिया का सबसे प्रसिद्ध कारखाना था जिसमें अब केवल दस हजार मजदूर काम करते हैं, देश में इस महकमे में मैन-पावर बढ़ी है लेकिन जमालपुर में घटी है और घटकर 22 हजार से 10 हजार हो गयी है। जिस जमालपुर कारखानें से रेलवे बोर्ड के मेम्बर, चेयरमैन भी निकले हैं लेकिन बहुत दुःख होता है कि उनके रहते हुए भी वह कारखाना मर रहा है। मेरी मांग है कि जमालपुर कारखाने को बचाना है तो उसमें वैगन और कोच फैक्टरी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उस कारखाने में अभी छः डीजल लोको का काम होता है। कुछ ब्लॉक भी वहां बनते हैं। 140 टन उठाने वाली क्रेक 1993-94 में रेलवे बोर्ड के आदेश पर वहां असेम्बल होना शुरू हुई थी। मैंने यह प्रश्न किया था तो मुझे पता चला कि जर्मनी से 140 टन उठाने वाली 80 क्रेनें रेलवे बोर्ड मंगा रहा है जबकि बड़ी आसानी से जमालपुर कारखाना उसको बना सकता है। पार्ट-पुर्जे बाहर से जो मंगाये जाते हैं वे वहां आसानी से असेम्बल किये जा सकते हैं। आप इतनी विदेशी मुद्रा खर्च करके 80 क्रेनें मंगाने जा रहे हैं जबकि वहां के मजदूर उसको बना रहे हैं। आप उस पैसे को जमालपुर पर खर्च क्यों नहीं करते हैं और जमालपुर के लोगों को क्यों नहीं उसका श्रेय देना चाहते हैं। आप पहले निविदा देंगे, फिर वे लोग समय लेंगे और उसके बाद वह आपके यहां आयेंगे। इतने समय में तो जमालपुर कारखाना आपको बनाकर दे देगा।

एक बात तो मुझे यह कहनी थी कि जमालपुर कारखाने में काम का लोड बढाया जाना चाहिए। वहां पर डीजल का लोको-शेड भी है। इसलिए मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि मुगल सराय से इलेक्ट्रिफिकेशन सीता-रामपुर तक हो रहा है और वह क्यूल होकर गुजरेगा जोकि 40 किलोमीटर दूर है। भागलपुर और क्यूलखंड के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए और इस दृष्टि से भी होना चाहिए क्योंकि वहां लोको-शेड है। आज अगर डीजल है तो कल इलेक्ट्रिक का होगा। वहां फिर पी.एच.ओ. का काम होगा। इसके लिए भी जरूरत है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भागलपुर से क्यूलखंड तक होना चाहिए। इसी खंड में कजरा से क्यूल तक दोहरीकरण का काम भी होना है। रेलवे बोर्ड से जो जवाब आता है वह बहुत हास्यास्पद होता है। कजरा से क्यूल तक की जो 17 किलोमीटर की दूरी है इससे रेलवे को कोई लाभ नहीं है। भागलपुर तक जितनी ट्रेन्स आती है, उसमें कजरा तक लाभ है, पटना तक जो ट्रेन आती है, उसमें लाभ है और हावड़ा से क्यूल तक लाभ है लेकिन 17 किलोमीटर में लाभ नहीं है, इसलिए इसका दोहरीकरण नहीं किया जा सकता, यह कौन सा तर्क है? 17 किलोमीटर दोहरीकरण का जो काम बचा है, आप उसे करने का काम करें। मंत्री जी ने कहा कि हमारे समय में किसी ट्रेन का स्टापेज अगर खत्म हो गया है तो हम उसे चला देंगे। धरहरा में विक्रमशीला रूकती थी। हमारे बिहार के मंत्री बने तो उसका स्टापेज वहां से हटा दिया गया मननपुर एक स्टेशन है। उसकी 40 हजार की आबादी है। बरसों से वहां के लोगों की मांग है कि मननपुर स्टेशन पर तूफान एक्सप्रेस को स्टापेज मिलना चाहिए लेकिन हमारी इस मांग को पूरा नहीं किया गया। जमुई

स्टेशन पर पूर्वा एक्सप्रेस का स्टापेज होना चाहिए। जमुई बाजार में सिटी काउंटर होना चाहिए। वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन है। जमुई डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर भी है। वहां से काफी लोग आते-जाते हैं। बस में सफर करने वाले लोगों को लूट लिया जाता है। बहुत से क्राइम्स भी हो जाते हैं। इसलिए जमुई में सिटी काउंटर होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मंत्री जी की जब संसद के अन्दर और बाहर कोई तारीफ करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुंगेर और खगड़िया के बीच जो गंगा पर पुल बनाने का सवाल है, उसे बनाया जाए। माननीय फर्नान्डीज साहब ने भी इस सवाल को उठाया। प्रणव मुखर्जी साहब ने भी हमारी मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इस समय प्लानिंग कमीशन के जो उपाध्यक्ष हैं, मैंने उनको इसी 13 दिसम्बर को इस बारे में चिट्ठी लिखी, बिहार के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और जल भूतल मंत्री को चिट्ठी लिखी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने वायदे के अनुसार यहां काम शुरू करवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी के साथ मैं सप्लीमैंट्री डिमांड्स का समर्थन करता हूं।

श्री येल्लैया नंदी (सिद्दीपेट) : सभापति महोदय, मेरा चुनाव क्षेत्र सिद्दीपेट है जिसमें मेडक डिस्ट्रिक्ट है। श्रीमती इन्दिरा गांधी का मेडक चुनाव क्षेत्र था। पासवान जी यहां बैठे हुए हैं। इनके मंत्री बनने से पहले मैं दो मंत्रियों को भी अपने यहां रेलवे लाइन बनाने के बारे में प्रार्थना कर चुका हूं। तेलापुर से पट्टनचुरू तक 12 किलोमीटर रेलवे लाइन बनी। तकरीबन 12 साल गुजर गए हैं। पट्टनचुरू से संगारेड्डी, संगारेड्डी से अकन्यापेट, अकन्यापेट से सिद्दीपेट तक 95 किलोमीटर की लाइन है। मैंने इस बीच कई दफा सलाहकार समिति में इस मामले को उठाया और रेल मंत्रालय के अधिकारियों को भी इस संबंध में चिट्ठी लिखी।

अपराह्न 11.00 बजे

मैंने मंत्री महोदय से कहा कि तेलंगाना के अंदर दो ऐसे जिले हैं जो पिछड़े हैं-मेडक और करीमनगर। मैं चाहता हूं कि पट्टनचेरू और संगारेड्डी के बीच की 22 कि.मी. दूरी में नई रेल लाईन बिछा दी जाये तो हम अपने क्षेत्र के लोगों से कह सकते हैं कि रेल लाईन बिछाने का काम हुआ। सभापति महोदय, मेरे समझ में यह बात आज तक नहीं आयी कि रेलवे बोर्ड के पास कोई योजना है या नहीं? मंत्री जी रहें या न रहे, चाहे रूलिंग पार्टी में रहें या न रहें लेकिन रेलवे बोर्ड के पास कोई प्लानिंग तो होनी चाहिये कि कौन सा पिछड़ा इलाका है। यह देखा गया है कि जब मंत्री जी आते हैं तो मंत्रालय में नये किस्म का काम होता है-'जिसकी लाठी उसकी भैंस' तो यदि मंत्रालय में काम प्रैशर से हुआ तो लोग समझेंगे कि एम.पी. कमजोर है, 13 साल से पैंडिंग इशू है, नयी रेल लाईन बिछी नहीं, क्या पॉलिटिकल प्रैशर नहीं है? मेरा कहना यह है कि हमारे मंत्री जी बैकवर्ड ऐरिया का ख्याल करते हैं। इसलिये हमारी भी बैकवर्ड ऐरिया के लिये प्लानिंग होनी चाहिये। अकनपेट और सिद्दीपेट 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यह रेवेन्यू हैड क्वार्टर है, चावल तथा ऑयल मिल है और एक लाख की आबादी वाला टाऊन है। श्री राम विलास जी हमारे मित्र हैं और मंत्री बनने से पहले हम 2-3 कमेटी में एक साथ मैम्बर थे तो क्या मंत्री जी को हम पर दया नहीं आती?

श्री राम विलास पासवान : यदि पट्टनचेरू और संगारेड्डी तक का मामला होता तो हमें कोई आब्जैक्शन नहीं। पट्टनचेरू से संगारेड्डी बीच में पड़ता है। यदि सदाशिवपेट रोड तक लेंगे और उसको करीमनगर होते हुये पेडापल्ली-उप्पल तक 150-200 किलोमीटर तक नहीं ले जाते हैं तो उसको बीच में उंगली के समान खड़ा करने से क्या फायदा?

श्री येल्लैया नंदी : जो पुराना और लेटेस्ट इनफारमेशन है, दे रहा हूं कि अकनपेट आलरेडी एग्जिजटिंग रेलवे लाईन है।

श्री राम विलास पासवान : क्या पटनचेरू से संगारेड्डी तक रेल लाईन है?

श्री येल्लैया नंदी : संगारेड्डी से वाया मेडक अकनपेट तक सर्वे हुआ है।

श्री राम विलास पासवान : नयू सर्वे हुआ है, इसका मतलब यह है कि नो रेलव लाईन?

श्री येल्लैयां नंदी : नहीं है। ऐसा मालूम होता है मंत्री जी को दया आ गयी। यह मंत्री जी और रेलवे अधिकारियों को जानकारी होनी चाहिये कि देश में कौन से बैकवर्ड ऐरियाज हैं जहां रेल लाईन बिछायी जानी है। चाहे वह कन्याकुमारी हो या कश्मीर में है। अगर रेल लाईन बिछाने से डेवलपमेंट हो सकता है तो मंत्री जी से ख्वाहिश करूंगा कि संगारेड्डी तक का 22 किलोमीटर का मार्ग बनाया जाये। हालांकि एक किलोमीटर के लिये एक करोड़ रुपया खर्च आता है लेकिन कम से कम जिला मुख्यालय तक तो इंस्टालमेंट में काम करें। इसीलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर का अक्कनपेट और सिद्दीपेट का रेल का सर्वे कराने के लिए काम करें। साउथ सेन्ट्रल रेलवे में एलीपेड ब्रिज है। वहां बहुत ट्रैफिक है। कभी आप हैदराबाद आएंगे तो ब्रेकफास्ट कराने के बाद आपको रेल लाइन ले जाऊंगा। वहां करीब एक घंटा तक ट्रैफिक रूक जाता है। स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें पैसा आ गया है और टेण्डर कोल हो गया और सुरेश कलमाडी जब रेल मंत्री बने थे तो शिलान्यास का पत्थर रखा गया लेकिन पत्थर वहीं है, पर काम शुरू नहीं हुआ। जार्ज फर्नांडीज जी ने पत्थर की बात कही। पत्थर मैं रेल भवन में नहीं देखना चाहता हूं। जहां पत्थर लगे हैं, वहीं काम होना चाहिए। इसमें फाइनेन्स की कोई मुश्किल नहीं है। टेण्डर कोल हो गया, फाइनलाइज हो गया। तुरंत काम कराने के लिए वहां आप आदेश दें, ऐसा मेरा निवेदन है।

अभी संसद सदस्यों ने आकर आपके साथ डिसकशन किया था। हमारे हैदराबाद से ए.पी. ऐक्सप्रेस और दक्षिण ऐक्सप्रेस दिल्ली के लिए

चलती है। यह काफी नहीं है क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक राजधानी ऐक्सप्रेस हैदराबाद से दिल्ली तक चलाने की कृपा करें।

रेलों में आजकल सेफ्टी नहीं है। चोरियां बहुत हो जाती हैं। सफाई भी नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ये वे बातें हैं जिन पर आप मंत्री महोदय के साथ चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री येल्लैया नंदी : रेलवे लाइन में सेफ्टी होनी चाहिए और सफाई भी होनी चाहिए। केटरिंग का सिस्टम बहुत बुरा है। मंत्री महोदय से मेरी ख्वाहिश है कि कभी आप सरप्राइज विजिट करें और क्लास थ्री में बैठ जाइए। सफारी में बैठ जाइए ताकि उनको पता नहीं चले कि रेल मंत्री राम विलास पासवान जी बैठे हैं। वहां बहुत गंदा खाना होता है। लोग प्लेन में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, पर वहां खाना बहुत बेकार होता है। आप उसमें पैसा बढ़ाकर पांच से दस रुपये कर दें लेकिन खाना अच्छा हो। खाने का कान्ट्रैक्ट सिस्टम बहुत गंदा है। इस पर आप विचार कीजिए। इसको मैं रेलवे की स्टैण्डिग कमेटी में भी उठा चुका हूं। रेल में पानी भी कोमर्शियलाइज हो गया है। हर जगह मिनिरल वाटर की बिक्री हो रही है। गरीब आदमी अगर दस लोगों के साथ सफर करता है और उसको भोजन के साथ पानी के लिए भी पैसा देना पड़े तो बहुत मुश्किल होती है। इसको रोका जाए और पानी का इंतजाम रेलवे की तरफ से होना चाहिए।

एक और गंभीर मसला है। गुंटकल डिवीजन साउथ सेन्ट्रल रेलवे से लगा हुआ है। सुना है कि इसको निकालकर आप बंगलौर डिवीजन में मिला रहे हैं। आपको मालूम होगा कि कई बार संसद सदस्य आपसे इस बारे में मिले और वहां रेल भी रोकी गई। वहां रीजनल फीलिंग्ज हैं और लैंग्वेज की प्राबलम है। कुडप्पा, कुरनूल, अनंतपुरम और तिरूपति चार बड़े लोगों वाई.एस. राजशेखर रेड्डी, विजय भास्कर रेड्डी, वेंकट रेड्डी और सुब्रहमण्यन का इलाका है। यह बहुत सीरियस मसला है। वहां आप एजिटेशन न होने दें। कुछ एजिटेशन हुआ भी है। इसलिए मैं चाहता हूं गुंटकुल को साउथ सेन्ट्रल रेलवे में ही रहने दें और बंगलौर में मत मिलाएं। एक तो अलमट्टी डैम का झगड़ा चल रहा है फिर दूसरा मट्टी हो जाएगा। फिर क्या होगा पता नहीं। इसलिए मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि गुंटकुल को साउथ सेन्ट्रल रेलवे में रहने दें।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : मंडलीय रेलवे या जोनल रेलवे के क्षेत्राधिकार के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हमें निर्णय तो लेने हैं परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री येल्लैया नंदी : इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आखिर में रेल मंत्री पासवान जी से ख्वाहिश करूंगा कि मैं यहां चार बार चुनकर आया हूं और रेल लाइन को अपने एरिया में नहीं बढ़ा पाया।

[हिन्दी]

कम से कम आपके जमाने में आप ख्याल कीजिए। 20 कि.मी. ही दे दीजिए। मैं ज्यादा तो नहीं कह रहा हूं। लोग कहेंगे कि नंदी येल्लैया के जमाने में कम से कम 20 कि.मी. तो आया। आप कम से कम इतना तो दीजिए। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री राम टहल चौधरी : महोदय, हमें जो 1996 में रांची-दिल्ली सुपरफास्ट देनी थी, उसके बारे में क्या हुआ।

सभापति महोदय : यह आपको सब कुछ बता दिया गया है?

श्री राम विलास पासवान : आपको तो सबसे बड़ी रांची-लोहरदगा दे दी है।

श्री राम टहल चौधरी : आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई है।

श्री रमेन्द्र कुमार : एक पार्टी में तीन सदस्य हैं, उसमें से दो बोले थे ...**(व्यवधान)** कुछ तो नॉर्म्स होने चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस प्रकार समय दिया जाता है। कृपया इस प्रकार न कहें। आपको समय दिया जाएगा। दलों को समय दिया जाता है। मैं उसके अनुसार उन्हें बुला रहा हूं। कृपया समझने की चेष्टा करें।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : दस मिनट सबको बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपकी क्या समस्या है।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : हम लोगों का नाम पार्टी की ओर से है। 13 सदस्य सी.पी.आई. के है, समता दल के तीन थे और श्री जॉर्ज फर्नांडीज और श्री मंडल जी बोलकर चले गये हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हम लोगों को भी एक-एक मिनट बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपकी दल से भी प्रथम वक्ता पहले ही बोल चुके हैं। आपके दल से दो व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। पहले वक्ता बोल चुके हैं। आप दूसरे वक्ता हैं। आपको प्रतीक्षा करनी

होगी। प्रत्येक दल को समय दिया गया है। सी.पी.एम. को बोलने का अधिक समय मिला है? इसलिए मैं श्री सैयद मसूदल हुसैन को बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए। यह वाद-विवाद में भाग लेने का कोई तरीका नहीं है। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए। हम हरेक को मौका देना चाहते हैं। आपको थोडा धैर्य रखना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : सर, इससे पहले माननीय मंत्री जी और मैं दोनों ऑफीशियल लेंग्वेज कमेटी में थे तो वह हिंदी का बहुत जिक्र करते थे। इस बार मंत्री बनने के बाद मैंने सोचा कि अगर इन्हें हिन्दी में पत्र दूं तो शायद मेरा काम हो जायेगा। लेकिन मैंने इतनी बड़ी गलती की, मुझे मालूम नहीं था कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं और हम हिंदी में पत्र दे रहे हैं तो उसका जवाब ही नहीं आ रहा है। सर, मैं आपको दो प्वाइंट बताना चाहता हूं कि स्यालदाह-लालगोला का एक सैक्शन है, आपको चेयरमैन जानते हैं। यहां पर जो भी चेयरमैन होता है पहले वह ईस्टर्न रेलवे का जनरल मैनेजर रहता है। परंतु वह हमारे मुर्शिदाबाद नवाब पैलेस देखने के लिए सैलून लेकर जाता है। यह एक सैक्शन है जहां रानागढ़ से लालगोला तक डबल लाइन की सख्त जरूरत है। हम बार-बार आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। चलिये इसको छोड़ देते हैं, इलैक्ट्रिफिकेशन में बहुत ज्यादा खर्चा हो जायेगा। लेकिन यहां एक नरसीपुर का सैक्शन है, वहां पुरानी लाइन है। गंगा के ऊपर पुल की जरूरत है। उस सिटी में हाजीमल स्टेशन है, अगर आप इसको कनेक्ट कर दें तो स्यालदाह से नॉर्थ बंगाल और बिहार तक ट्रेन चल सकती है और इसको आप गुड्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एक ब्रिज की जरूरत है।

दूसरी बात: मैं यह कहना चाहता हूं कि हावड़ा में भाया-वर्दवान-बोलपुर एक लाइन है जो बिहार की तरफ जाती है, नॉर्थ बंगाल की तरफ भी जाती है। दूसरी एक लाइन भाया-कटुवा-आजिमगंज है। कटुवा माननीय मंत्री जी शिलान्यास करने के लिए गये थे। कटुवा में आपको कोई बिहारी दिखाई दिया। मेरे मुर्शिदाबाद में बहुत बिहारी हैं जो बिहार जाते-आते हैं। लेकिन इस लाइन पर आपने एक भी डाइरेक्ट ट्रेन नहीं दी है। एक गया पैसेंजर है तो उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, वह कब चलेगी, कब पहुंचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे। जो गाड़ी बोलपुर-शांतिनिकेतन-भाया, हावड़ा से चलती है, उसके बारे में मेरा यह कहना है कि आपने इस लाइन को क्यों रखा है, इसको बंद कर दीजिए, आपका काफी पैसा बच जायेगा। अगर रखना है तो तरीके से रखिये। उससे रेलवे को भी फायदा होगा, उसको सही तरीके से रखिये। हजारों की तादाद में बिहार और यू.पी. के लोग वहां रहते हैं लेकिन जब भी उन्हें अपने घर जाना होता है तो पहले उन्हें वहां के 200 किलोमीटर दूर कलकत्ता जाना पड़ता है, उसके बाद ही वे, बोलपुर होकर जा सकते हैं- यह कौन सा तरीका है, मैं समझ नहीं पाया। गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। ज्यादा कहने से शायद आप कहीं घबरा न जाएं, हो सकता है आपको ध्यान न रहें, इसलिए मैंने आपके सामने जो दो मुद्दे रखे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उन पर ध्यान दें और अगर हो सके तो जवाब देते वक्त उनके बारे में बताएं।

[अनुवाद]

श्री पी. वणमुगम (वेल्लोर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं करूर से सलेम तक 85 किलोमीटर लम्बी नई रेल लाइन मंजूर करने के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान मद्रास से कांचीपुरम तक और कांचीपुरम से त्रिरूवन्नामली तक नई रेल लाइन बिछाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कांचीपुरम और तिरूवन्नामली भारत के दो मशहूर मंदिर शहर हैं। कांचीपुरम पर्यटक केन्द्र होने के साथ-साथ सिल्क केन्द्र भी है। कांचीपुरम को अरानी के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी इस इलाके का सर्वेक्षण कराएंगे और तत्पश्चात् योजना आयोग को प्रस्ताव भेजेंगे।

अरानी एक पिछड़ा क्षेत्र है। हमें स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद भी इसे पोलूर अथवा तिरूवन्नामली के साथ नहीं जोड़ा गया है।

मैं एक मामला उठाना चाहता हूं। अपने पहले भाषण में भी मैंने कटपडी रेलवे स्टेशन का नवीकरण करने का मामला उठाया था। करपडी उपरि पुल के निर्माण का कार्य तीन माह में पूरा होने वाला है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि उपरि पुल के चालू होने से पहले करपड़ी रेलवे स्टेशन का नवीकरण किया जाए। प्लेटफार्म पर यात्रियों के लिए बैठने की कोई सुविधा नहीं है। यात्रियों के लिए पानी की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। महिलाओं के लिए कोई शौचालय नहीं हैं। शयन कक्ष भी नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री इन सभी बातों की ओर ध्यान दें। मैंने दक्षिण रेलवे के प्रबन्धक श्री अग्निहोत्री को एक पत्र भी लिखा है लेकिन मुझे इस मामले में कोई उत्तर नहीं मिला है। मैं नहीं जानता हूं कि इस संबंध में कोई उत्तर क्यों नहीं मिला है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर गौर करें और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान शताब्दी एक्सप्रैस के एक पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं। वेल्लोर में एक सी.एम.सी. अस्पताल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषरूप से गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल, और बिहार से लोग उपचार के लिए इस अस्पताल में आते हैं। वे वेल्लोर जाने के लिए करपडी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। मैं चाहता हूं कि चेन्नई और

कोम्बेटूर और चेन्नई-बंगलौर के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रैस को करपडी में भी रोकने की व्यवस्था की जाए।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान कन्याकुमारी नेल्लाई एक्सप्रैस गाडी की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। यह गाड़ी मद्रास से कन्याकुमारी जाती है। हम चाहते हैं कि यह गाड़ी गुडीयाशम में भी रूके।

मैंने इस वर्ष जुलाई में इस माननीय सभा में अपने पहले भाषण में पच्चाकुप्पम में उपरिल पुल का निर्माण करने का उल्लेख पहले ही कर चुका हूं। चूंकि पच्चाकुप्पम में रेल फाटक लम्बे समय तक बंद रहता है इसलिए रेलवे क्रॉसिक के दोनो तरफ का यातायात कई घंटों तक रूका रहता है। मुझे बहुत खेद है कि हमारे स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भी वहां पर उपरि पुल का निर्माण नहीं किया गया है। कृपया पच्चाकुप्पम में शीघ्र नया उपरि पुल का निर्माण करने की कृपा करें। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय कर्मठ रेल मंत्री जी इस मामले पर अवश्य ही गौर करेंगे और वहां शीघ्र ही नया उपरि पुल का निर्माण किया जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं रेलवे के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इतिहास में पहली बार बिहार में जोर दिया और कुशेश्वर स्थान जहां पैदल जाना भी मुश्किल है, उस कुशेश्वर स्थान को रेलवे के इतिहास में जहां राम विलास पासवान जैसे गरीबों के महीसा का जन्म हुआ। अलौगी क्षेत्र का शहरबत्री, गांव जिसको रेल के माध्यम से खगडिया से जोड़ दिया जाएगा और रेल चलने के बाद आप देखेंगे तो खुद कह उठेंगे कि इस स्थान ने कैसे एक देश के लाल को जन्म दिया जिसने देश की काया पलट दी। अब केवल एक क्षेत्र अछूता है बछवारा जिले के साहिबपुर कमाल के बीच में, बरौनी गठहरा बीच में जहां दो हजार एकड़ महत्वपूर्ण रेलवे की जमीन पड़ी हुई है और पिछले दिनों हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री देवेगौडा साहब ने हम लोगों के प्रतिनिधि मंडल के समक्ष माननीय रेल मंत्री को बुला कर कहा कि बरौनी गठहरा में रेलवे की जो बेशकीमती जमीन पड़ी हुई है और असामाजिक तत्व उस जमीन पर दखल कर रहे हैं, उस जमीन पर रेल कारखाने को बनाकर रेलवे के इतिहास में पहली बार एक क्रांतिकारी अध्याय की शुरूआत कीजिए। इन शब्दों के द्वारा मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री अभी जो जवाब देंगे उसमें वे इस बात की घोषणा करेंगे।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त जो कुरला एक्सप्रैस मुम्बई से बरौनी के लिए चलती थी, वह आपने बन्द कर दी है जिससे वहां से मुम्बई और गुजरात को जाने की सुविधा समाप्त हो गई है, उसे चालू किया जाए। इसी प्रकार से बरौनी जंक्शन को हावड़ा से कंप्यूटर से जोड़ने की मांग की थी और लिखकर भी माननीय रेल मंत्री को दिया था। इसी प्रकार से बछवाड़ा से लेकर साहबपुर, कमाल और लाखों लखमिनियां बेगूसराय स्टेशनों के जीर्णोद्धार कर आदर्श स्टेशन बनाने की मांग की है। हमें उम्मीद है कि इन कामों को भी वे अवश्य करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, मैं एक बार पुनः सम्पूर्ण रेल मंत्रालय को बधाई देता हूं और गठहरा में निश्चितरूप से रेल कारखाने को खोलने की घोषणा करेंगे और मैं मांग करता हूं कि माननीय रेल मंत्री इसकी घोषणा अभी करें क्योंकि मैं बिना घंटी बजाए अपने भाषण को समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, इन्ही शब्दों के साथ मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूं क्योंकि आपसे भी नाराजगी हुई क्योंकि हम बहुत देर से बैठे थे। मैं बिना घंटी बजाए हुए अपने भाषण को इस आशा के साथ समाप्त कर रहा हूं कि रेल मंत्री जी अभी इस बात की घोषणा कर देंगे।

श्री रमेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मेरा भी माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस पर कुछ कहें क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री हमारे सामने बोले हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री पी.सी. चाक्को) : वे अपने उत्तर में इसका उल्लेख करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, रेल मंत्री महोदय, यदि प्रधान मंत्री की घोषणा के ऊपर नहीं बोलेंगे, तो किस मंत्री की घोषणा पर बोलेंगे? ...**(व्यवधान)**

श्री रमेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, प्रधान मंत्री हम लोगों के सामने इनको बोले हैं और इस सप्लीमेंट्री में उसका कोई जिक्र नहीं किया। ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, यह बात सही है कि श्री चतुरानन मिश्र और हमारे दोनों माननीय सांसद प्रधान मंत्री से मिले थे और प्रधान मंत्री जी ने मुझे बुलाया भी और कहा भी कि इसको आप कर दें। मैं इस बारे में रेलवे विभाग में बात कर रहा हूं और कैसे इस कार्य को किया जाए, इस बारे में अभी बात चल रही है। एक बार तो मैंने कह दिया कि यह एक मामला है, यदि इसके बाद पश्चिम बंगाल का, कलकत्ता का मामला आएगा, तो उसको भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा है कि मैं अपने रेल मंत्रालय के अधिकारियों से बात कर रहा हूं। उनके सामने कठिनाइयां हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उसको सार्ट-आउट कर देंगे।

श्री रमेन्द्र कुमार : प्रधान मंत्री ने कहा है। आप आश्वासन तो दे दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : अरे भाई, प्रधान मंत्री का आदेश तो आदेश होता है। पालन करने के लिए ही होता है। उनके आदेश का तो पालन किया ही जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इस बारे में बाद में चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, सभापति जी, मैं माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत रेलवे पर अनुदान की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं। एक बात के लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी इस पूरक बजट के अंदर अजमेर, उदयपुर, चितौड़गढ़ परिवर्तन की बात को स्वीकार कर लिया है। उसके लिए उनको धन्यवाद। वैसे राजस्थान के ऊपर दो-तीन वर्षों से काफी कृपा दृष्टि भारत सरकार की रही है लेकिन इसमें आधा तीतर आधा बटेर कर दिया है। वह ऐसे कि जोधपुर से उदयपुर तक तो वह ला रहे हैं लेकिन अजमेर से चित्तौड़गढ़ तक नहीं ला रहे जबकि विजय नगर के पास अबूचा की खानें जहां सबसे ज्यादा चांदी व अन्य धातुयें प्राप्त हो रही हैं और सीमेंट के कारखाने वगैरह सब रास्ते के अंदर खुल रहे हैं। अजमेर से लेकर उदयपुर तक किया जाये तभी सार्थकता होगी। आप रतलाम की तरफ से कर देंगे लेकिन अजमेर से नहीं मिलायेंगे तो फिर उत्तरी राजस्थान से मिलाने का अजमेर ही वाया पड़ता है। अजमेर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़, इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है क्योंकि इसके बारे में साफ उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री राम विलास पासवान : इसमें जो है।

प्रो. रासा सिंह रावत : 300 किलोमीटर लिखा है।

श्री राम विलास पासवान : इसमें सुरेन्द्रनगर भावनगर है।

प्रो. रासा सिंह रावत : सुरेन्द्र नगर, भावनगर नहीं है। हमने उदयपुर, जयपुर कहा है।

श्री राम विलास पासवान : आठ नम्बर पर लिखा है अजमेर, जोधपुर, चितौड़गढ़।

प्रो. रासा सिंह रावत : अजमेर, जयपुर, चितौड़गढ़ लिखा तो है लेकिन आपने पैसे थोड़े कम लगाये हैं। आपने चितौड़गढ़ का नहीं लिया है, ऐसा दिखता है। आप पूरा ले लें जिसको भोजन करवायें उसको तृप्त करें ऐसा नहीं हो कि अधूरा खिलाकर या दो कौर खिलाकर उसको हटा दिया जाये। इस मामले में सभापति जी, आप भी मुझे समर्थन प्रदान करेंगे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अजमेर में ब्राडगेज कन्वर्शन हो रहा है। अजमेर से अहमदाबाद के बीच सारी गाड़ियां बंद कर दी गयी हैं। परिणामस्वरूप अजमेर से आगे मोटरगेज के ऊपर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो दिल्ली, अहमदाबाद गाड़ी वाया अजमेर चलती है, आश्रम एक्सप्रेस चलती थी, मेल चलती थी, सारी गाड़ियां उदयपुर, हिम्मतनगर और चितौड़गढ़ फिर अजमेर और फिर फुलेरा और जयपुर को मिलाकर वापिस रिंगस होकर आ रही हैं जिससे बहुत टाइम लगता है। इसलिए एक ब्राडगेज बन गया, जब करोड़ों रुपये खर्च हो गये तो अजमेर से दिल्ली के बीच जो शताब्दी एक्सप्रेस चल रही है उसको दैनिक किया जाये। अभी आप हफ्ते में एक दिन की छुट्टी रखते हैं। जब लखनऊ वाली, भोपाल वाली, चंडीगढ़ वाली हमेशा चलती हैं और पूरे सप्ताह चलती हैं और सारे सदस्यगण और दूसरे वी.आई.पी. संडे को राजधानी वापिस आते हैं। संडे को आप छुट्टी रखते हैं। परिणाम यह होता है कि बहुत असुविधा होती है और केवल रात्रि को मीटरगेज की जोधपुर मेल आती है जो पहले जयपुर जाती है और फिर जयपुर से रिंगस फिर रिवाड़ी होकर दिल्ली पहुंचती है। इसमें सैंकिड ए.सी. के दो डिब्बे थे जिसको एक कर दिया गया। फर्स्ट क्लास भी हटा दिया गया। उसमें प्रथम श्रेणी भी नहीं है और दो ए.सी. के डिब्बे को एक कर दिया गया जिसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि शताब्दी को दैनिक किया जाये। दूसरा, अजमेर और दिल्ली के बीच में एक यात्री गाड़ी आम आदमियों की सहायता के लिए, आम आदमियों की भलाई के लिए चलाई जाये। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि उदयपुर से आने वाली जोधपुर से आने वाली, बाली से आने वाली और आबू से, नागौर से आने वाले सब अजमेर से होकर आते हैं। माननीय सत्यपाल जी और माननीय पासवान जी आप सुन लीजिये। ब्राडगेज पर गाड़ी बहुत महंगी है। गरीब आदमी उसकी टिकट नहीं खरीद सकता इसलिए ब्राडगेज अलवर होकर, जयपुर होकर आने वाली अजमेर और दिल्ली के बीच गाड़ी ऐसी चलाई जाये जो अजमेर से शाम को चले और सवेरे दिल्ली पहुंच जाये। शाम को दिल्ली से चले और सवेरे अजमेर पहुंच जाये। हमने जम्मू तवी को जयपुर से अजमेर तक कर दो की मांग की थी लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने एक लिंक एक्सप्रेस चलाई है जिसका लोगों ने देवेगौड़ा एक्सप्रेस का नाम रखा है क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम जम्मूतवी को अजमेर तक चलायेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लिंक एक्सप्रेस चला दी जो कि रात्रि को जयपुर पड़ी रहती है। अगर उसके भी दो-तीन फेरे अजमेर और जयपुर के बीच हो जाये तो ब्राडगेज के ऊपर कुछ तो लोगों को सुविधा मिलेगी। वह केवल जम्मूतवी को मिलाती है फिर जाती है और उसके बाद रात भर पड़ी रहती है। अगर रात को वापिस अजमेर चली जाये और सवेरे वापिस आ जाये तो उससे सुविधा रहेगी। मान्यवर, आपने एक जोन राजस्थान के अंदर बनाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। 1984 में एक्सपर्ट की एक कमेटी बनी थी कि उन्होंने अजमेर को इसके लिए चुना था। राजस्थान में रेलवे को जो नया जोन बनेगा, उस जोन का मुख्यालय अजमेर बनेगा।

अजमेर रेलवे नगरी के नाम से जाना जाता है। वहां बड़े-बड़े कारखाने हैं और रेलवे की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है, बहुत जमीन खाली पड़ी हुई है। मुझे मालूम पड़ा है कि आपने प्रधानमंत्री जी से जयपुर में उद्घाटन तो करवा दिया लेकिन अभी तक उनको जमीन नहीं मिली है। इधर से उधर घूमते फिर रहे हैं कि कहीं से जमीन मिल जाए। करोड़ों रुपये जमीन लेने में खर्च हो जाएंगे। लेकिन अजमेर में इतनी जमीन पड़ी हुई है और जयपुर और अजमेर के बीच में केवल 76 मील का अंतर है। अजमेर में जमीन का उपयोग भी हो जाएगा।

लोको कैरेज जैसे बड़े कारखाने में करोड़ों रुपये मंजूर करके उनको ब्रॉडगेज के उपयोग के लिए करवा दिया है, मरम्मत और ओवरहॉलिंग का काम शुरू कर दिया है। वह काम भी पूरा किया जाए। अजमेर-दिल्ली के बीच में वैसे गाड़ियां चलाई जाएं और जोन का मुख्यालय अजमेर को बनाया जाए। यह राजस्थान की हृदयस्थली है, राजस्थान के केन्द्र में है। यहां आजादी की लड़ाई लड़ी गई। अजमेर को इससे थोड़ा सहारा मिल जाएगा। वहां पैगम्बर के लोग ज्यादा रहते हैं।

एक बात और कहना चाहूंगा। अजमेर से बीकानेर एक गाड़ी चलाई जाए क्योंकि सारे राजस्थान का रैवैन्यू बोर्ड अजमेर में है, शिक्षा बोर्ड अजमेर में है, लोक सेवा आयोग अजमेर में है। बीकानेर के लोगों को 3-4 जगह गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं। अगर अजमेर और बीकानेर के बीच में सीधी गाड़ी चलाई जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जयपुर से तो आपने बहुत गाड़ियां चलाई हैं। जोधपुर से भी आपने ब्रॉडगेज पर गाड़ियां चला दी। लेकिन जहां तीर्थराज पुष्कर ब्रहमजी की नगरी है, ख्वाजा जी की दरगाह है और जहां लाखों लोग और हजारों पर्यटक हमेशा आते हैं, उस अजमेर नगरी से ब्रॉडगेज के लिए कलकत्ता जाने वाली या किसी बड़े नगर को या अजमेर से हरिद्वार ही गाड़ी चलवा दें ताकि पुष्कर और हरिद्वार दोनों तीर्थ जुड जाएं। कुछ तो होना चाहिए।

एक बात बांदीकुई-आगरा फोर्ट लाइन के बारे में कहना चाहता हूं। वह प्रायोरिटी में थी। उसके बारे में यह नहीं बताया है कि काम चल रहा है, कब तक पूरा हो जाएगा। उसे मीटरगेज से ब्रॉडगेज में बदलना था। आगरा फोर्ट जाने का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाने का, अहमदाबाद जाने का अजमेर होकर वही एक रास्ता था। लेकिन उस लाइन का अभी तक मीटरगेज से ब्रॉडगेज में कन्वर्शन नहीं हुआ। हम एक साल से सुन रहे हैं। इसलिए इसे भी जल्दी बनाया जाए। इसी तरह से फुलेरा से रिंगस होकर जो आगे की लाइन रिवाड़ी की है, उसे भी आगे पीछे करना पड़ेगा।

एक बड़ी परेशानी इस बात की हो रही है कि गाड़ी सराय रोहिल्ला उतार देती है। जितनी भी मीटरगेज की गाड़ियां आ रही हैं, वे सब सराय रोहिल्ला उतार देती हैं। ब्रॉडगेज की एक गाड़ी बरेली-दिल्ली-अजमेर सप्ताह में एक बार चलती है। अगर उसके फेरे बढ़ा दिए जाएं तो कम से कम कुछ तो सहूलियत होगी। उसका टाइम टेबल भी गड़बड़ है। टाइम टेबल भी ठीक किया जाए। सब गाड़ियां सराय रोहिल्ला रूकती हैं। यात्री वहां से उतरकर पुरानी दिल्ली का किराया लगाता है। दिल्ली में टैक्सी की इतनी लूट मची हुई है कि गरीब आदमी उसमें नहीं जा सकता और बस पकड़ नहीं पाता। इसलिए ब्रॉडगेज पर चलने वाली गाड़ी, जैसे शताब्दी नई दिल्ली आती है वैसे ही अजमेर-दिल्ली के बीच ब्राडॅगेज पर एक गाड़ी चलाई जाए और उसे दिल्ली जंक्शन पहुंचाया जाए ताकि आदमी चांदनी चौक में खरीददारी कर सके और खारी बावली जा सके। यह अत्यन्त आवश्यक है।

मार्टिनडल ब्रिज के बारे में कहना चाहता हूं। अजमेर से आगे ब्रिज कन्वर्शन हो रहा है। वह सौ साल से ज्यादा पुराना पुल है, रेलवे ने बनाया है। उसे थोड़ा सा ऊंचा किया जाएगा क्योंकि गाड़ी ब्रॉडगेज से निकलेगी। उसे ऊंचा किया जाएगा तो थोड़ा चौड़ा भी करना चाहिए। मंत्री जो ध्यान दें, मैंने आपको लिखा भी है। आपने उसके लिए 3 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यदि बयावर की तरफ जाने वाली रोड और खुल जाए, नसीराबाद है, श्रीनगर रोड और बिहार की तरफ खुल जाए तो अजमेर शहर की यातायात की समस्या सुलझ जाएगी क्योंकि एक साल बाद वहां पर 15-20 लाख लोग इकट्ठे होंगे। ख्वाजा साहब का 786वां उर्स आ रहा है। इस बार भी अन्ना सागर में पानी भर जाने से बहुत परेशानी हुई और लोगों को अन्यत्र व्यवस्था करनी पड़ी। इसलिए यदि वह पुल ठीक हो जाए तो अजमेर के यातायात की आधी समस्या हल हो जाए। वह ऐतिहासिक दृष्टि से पुराना शहर है, कन्जस्टेड शहर है और एक ही मेन रोड है। इसलिए मार्टिनडल ब्रिज पर भी विशेष ध्यान दें। रेलवे फाटकों के ऊपर आपने कहा कि आदमी लगा देंगे। गांवों के लोगों को इससे बहुत परेशानी हो रही है, फाटकों पर दिनभर तो आपका आदमी रहता है, लेकिन शाम को वह फाटक बन्द कर लेता है। अब गांव का आदमी बीमार पड़े और रात को टैक्सी में हास्पिटल उसको लेकर जाना पड़े तो वह कैसे जायेगा? फाटक बन्द रहता है और उसको बहुत चक्कर काटना पड़ता है। इससे कई लोग मौत के शिकार हो गये हैं और गर्भवती महिलाएं बेचारी मौत के मुंह में चली गई, क्योंकि वे रात्रि में बीमार थे। यह बहुत मानवीय कठिनाई है, इसलिए चार-पांच स्थान जहां भी हैं, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, समय हो चुक है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि उन गेट्स के ऊपर 24 घंटे आदमी की व्यवस्था की जाये।

बांदीकुई आगरा फोर्ट वाली बात की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। लोको और कैरिज कारखानों के अन्दर क्षमता बढ़ाई जाये। आप हुबली में तो खोल देते हैं, कर्नाटक में खुलना चाहिए और इतना पैसा लगाकर के अवश्य खोलें, और भी कहीं खोलना हो तो वहां भी खोलें, लेकिन जहां पुराने कारखाने हैं, 100 साल पुरानी अच्छी से अच्छी मशीनरी, जिन्होंने दोनों लड़ाइयों में अच्छे से अच्छा काम किया है और रेलवे के इतिहास में शानदार रिकार्ड कायम किया है, उन लोको और कैरिज कारखानों के आधुनिकीकरण की तरफ, डिब्बे बनाने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। वहां पैलेस ऑन व्हील्स जैसी अच्छी गाड़ी भी बना सकते हैं और गाड़ियों को अच्छा से अच्छा चमका सकते हैं, ऐसे कारीगर वहां पर हैं। गाड़ियां और डिब्बे बनाने का काम वहां और ज्यादा बढ़ाया जाये, यह मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ जो काम किया, उसके लिए तो बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन रेलवे के करोड़ों रुपये बचाने हों तो अजमेर को जोन का मुख्यालय बनाया जाये। अजमेर को दिल्ली से ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के ऊपर जोड़ा जाये। मैं आश्वासन चाहूंगा कि अजमेर से अहमदाबाद के बीच में समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, क्योंकि अभी

यातायात बन्द हैं, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है तो कम से कम पालनपुर, मेहसाना, मारवाड़ जंक्शन और अजमेर से आगे का सारा काम कब से कब तक पूरा हो जाएगा, क्या 31 मार्च, 1997 से पहले-पहले पूरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यह मैं आपसे स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं, क्योंकि यात्रियों को बड़ी असुविधा हो रही हैं? मारवाड जंक्शन से जोधपुर के लिए आपने पहले हां की, परन्तु अब शायद उसमें कुछ तब्दीली हो गई है, उसका इसमें तो कहीं नाम ही नहीं आया है तो उसके बारे में भी स्पष्ट बतायें।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए लिए आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस रेलवे सप्लीमेंटरी बजट में और खास करके मेरी कांस्टीट्वेंसी की रेलवे की समस्या को उठाने का आपने मुझे मौका दिया। मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत : मंत्री जी ने सबके बारे में कहा, मेरे बारे में तो कुछ कहा नहीं कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : सभापति जी, खास करके मैं मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का करीब-करीब पूरा ट्राइबल एरिया है, अभी हमारे सत्यनारायण जटिया जी ने बात कही, पासवान जी ने अनेक जोन खोले, अनेक नई-नई रेलवे लाइनों को स्वीकृत किया, मगर हमारी दाहोद-इंदौर रेलवे लाइन 10 साल से बजट में आ रही है, चाहे वह गुजरात का आदिवासी एरिया है, चाहे वह मध्य प्रदेश का आदिवासी एरिया है, महत्वपूर्ण शहर इन्दौर को वह जोड़ रही है और इन्दौर की तरफ लाइन ग्वालियर होकर उज्जैन आ रही है। मैं पासवान जी से यही कहूंगा कि आप प्रोग्राम बनाइये, अगला फाउंडेशन उसमें रखिये, ताकि यह आदिवासियों का काम शुरू हो, क्योंकि बहुत से हमारे आदिवासी भाईयों ने रेल नहीं देखी तो इनको लगे कि हमने रेल देखी। इसी तरह मध्य प्रदेश में दिल्ली-राजहरा-बस्तर, यह भी आपके बजट में आ रही है, ये दोनों रेलवे लाइन ट्राइबल एरिया में है। दाहोद-इन्दौर, दिल्ली-राजहरा-बस्तर, इन दोनों की दोनों लाइनों का काम शुरू हो क्योंकि इस एरिया में काफी मिनरल हैं। दूसरे फास्ट ट्रेन पहले से बहुत चल रही हैं और चलाई हैं, मगर जो मजदूर हैं, छोटी-छोटी जगह जाने वाले हैं, लोकल जैसे रतलाम में आदमी पड़े रहते हैं, आपने पार्सल गाड़ी बन्द कर दी, लोकल बन्द कर दी। मैं चाहता हूं कि जो आपने 3-4 डिब्बों वाली ई.एम.यू. ट्रेन चालू की है तो रतलाम से बड़ौदा, रतलाम से कोटा, रतलाम से इन्दौर और रतलाम से भोपाल, इससे हमारे गरीब लोग मजदूर वहां तीन-चार घंटों से सफर कर सकेंगे। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। पांच-सात जिले हैं उनको जोड़ने के लिए हमें दिल्ली आना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वहां से भोपाल जाने में कठिनाई होती है। पहले 111 और 112 चलती थी और भोपाल सवेरे पहुंच जाती थी और शाम को लोग रतलाम से रवाना होते थे, उसको फिर से कंटीन्यू करें। जैसा जटिया जी ने भी कहा कि रतलाम मुम्बई और दिल्ली का सेंट्रल पाइंट है, वहां राजधानी रुकती है। अगस्त क्रांति आठ घंटे लेकर बड़ौदा से कोटा चलती है कई बार एक्सीडेंट हुए हैं। मैंने कई पत्र भी लिखे हैं कि सिर्फ दो मिनट का रतलाम में स्टोपेज कर देंगे तो इससे पानी भरा जा सकेगा, ड्राइवर चेंज हो जाएगा और स्टाफ बदली हो जाएगा तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। लेकिन रेलवे का इस ओर कोई ध्यान नहीं जाता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि राजधानी एक्सप्रैस के साथ-साथ अगस्त क्रांति का भी स्टोपेज रतलाम में कर दें। वहां के प्लेटफार्म का विस्तार करना चाहिए। नीमच से इंदौर मीटर गेज कनवर्शन का प्लान है, नीमच तक बना दें और इंदौर-खंडवा से शुरू करें। इस प्लान के पूरा होने पर ट्राइबल एरिया को बहुत फायदा हो सकता है।

दिल्ली-मुम्बई के बीच एक शताब्दी एक्सप्रैस सवेरे चलनी चाहिए, जो कि दोनों तरफ से एक साथ चले। इसका सफर 17 घंटे का होना चाहिए। रतलाम में स्टोपेज हो जिससे हम दिल्ली सात-आठ घंटे में आ सकें। आपका दलित मेनिफेस्टो है इसलिए आप गरीब एरिया के लिए प्राथमिकता से काम करें। इतना कहकर मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

[अनुवाद]

***श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी** (खम्माम) : सभापति महोदय, मैंने अपनी मातृभाषा तेलगू में बोलने के लिए पहले ही नोटिस दिया था।

महोदय, हम रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर विचार-विमर्श कर रह हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर बोलना चाहता हूं। रेल बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें देश के सभी भागों में एक समान व्यवहार किया जाए। सभी क्षेत्रों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। सबके साथ न्याय करना होगा। दुर्भाग्य से न तो मूल बजट और न ही अब प्रस्तुत की गई अनुदानों की अनुपूरक मांगें दोनों ही निष्पक्ष नहीं लगती हैं।

देश के कुछ भागों के साथ पक्षपात किया गया है जबकि बाकी क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है। जैसाकि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है कि कुछ क्षेत्रों के लिए बहुत अधिक धनराशि आबंटित की गई है। चर्चा के दौरान यह बताया गया है कि कर्नाटक के लिए एक हजार करोड़ रुपए मूल्य की सात परियोजनाऐं मंजूर की गई हैं। कुछ और चुनिंदा राज्यों के लिए दो अथवा उससे अधिक परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। महोदय, हमें यह देखकर बहुत खेद है कि आंध्र प्रदेश के लिए एक भी परियोजना मंजूर नहीं की गई हैं। आंध्र प्रदेश की मुख्य और अनुपूरक रेल बजट दोनों में ही अनदेखी की गई है। मैं वास्तव में यह आरोप लगा रहा हूं कि रेल मंत्रालय ने हमारे राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर गौर करें और आंध्र प्रदेश के साथ न्याय करें।

---

* मूलतः तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह बताया है कि सर्वेक्षणों के लिए शिलान्यास बहुत उदारता के साथ किया जा रहा है। कई मामलों में यह भी आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आश्वासनों को शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा। मैं इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मामला सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं रेल मंत्री माननीय श्री राम विलास पासवान का ध्यान इस विशेष समस्या की ओर आकर्षित करता हूं। आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण रेल लाइन बिछाने के लिए 26 वर्ष पहले एक सर्वेक्षण किया गया था। यह भद्राचलम रोड से कोबूर तक रेल लाइन बिछाने के बारे में था। सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया था। रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत की गई थी। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी को भी यह पता नहीं है कि उस सर्वेक्षण के निष्कर्षों का क्या हुआ। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर गौर करें और भद्राचलम रोड-कोबूर रेलवे लाइन निर्माण कार्य यथाशीघ्र आरम्भ करवाएं। महोदय, इस विशेष रेल लाइन का लाभ केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र को ही नहीं होगा। इससे पूरे रेल विभाग को लाभ पहुंचेगा। महोदय, यदि इस लाइन का निर्माण किया जाता है, तो हावड़ा और नई दिल्ली के बीच की दूरी 100 से 150 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि विजाग में एक इस्पात संयंत्र है। इस रेल लाइन से विजाग इस्पात संयंत्र की आवश्यकता भी पूरी होगी इससे बेलाडिला से विजाग तक कच्चे माल तथा अन्य वस्तुओं की ढुलाई में भी मदद मिलेगी। यह रेल लाइन विशाखापट्टनम और काकीनाड़ा जैसे पत्तन शहरों से महत्वपूर्ण सम्पर्क का काम कर सकती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विशेष रेल लाइन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। यह खण्ड पूर्णतः आदिवासी क्षेत्र से होकर गुजरता है। यह सर्वविदित है कि उग्रवादी गतिविधियों के लिए सुविधाजनक हैं। इस क्षेत्र में उग्रवादी कार्यकलाप पनप रहे हैं क्योंकि यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा है। इसलिए हावड़ा और नई दिल्ली के बीच की दूरी को कम करने, उग्रवादियों पर नियंत्रण रखने, क्षेत्र का विकास करके आदिवासियों को न्याय दिलाने, और काकीनाड़ा पत्तन शहरों को महत्वपूर्ण सम्पर्क जोड़ने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि इस रेल लाइन के निर्माण कार्य को शुरू किया जाए।

महोदय, मैं आंध्र प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र खम्माम के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण मांगों को उठाना चाहता हूं। खम्माम शहर मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मुख्यालय है और इसकी आबादी दो लाख है। यह रेल लाइन शहर के बीच से गुजरती है। खम्माम में तुरन्त एक अंडरब्रिज बनाने की आवश्यकता है। इस शहर के नागरिक और अनेक अन्य संगठन डीआईएसएफ, एसएफआई आदि के झंडे तले इस अंडरब्रिज के निर्माण के लिए पिछले 15 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। इस संबंध में अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। हाल ही में हम महाप्रबंधक से मिले थे, उन्होंने नगरपालिका को सर्वेक्षण के लिए 40000 रु. जमा करवाने के लिए कहा है। महाप्रबंधक ने धन जमा कराने की बात कही थी इसलिए नगरपालिका ने अपेक्षित धनराशि जमा करा दी है। लेकिन कोई सर्वेक्षण दल वहां नहीं भेजा गया था। सर्वेक्षण कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से इस मामले पर भी गौर करने का अनुरोध करता हूं।

मेरी अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कुछ और मांगें भी हैं। कुछ फाटक सहित लेवल क्रासिंग ऐसे हैं जिनकी लोगों को आवश्यकता है और कुछ ऐसे हैं जहां लोगों को वास्तव में उनकी आवश्यकता नहीं है। मैंने पटरलायडु में ऐसे ही एक लेवल क्रांसिंग के बारे में महाप्रबंधक से बातचीत की है। मैं यह मामला माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में भी लाया हूं। वह इसे बदलने के लिए सहमत हो गए हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई है। इस संबंध में पूर्ण व्यय या तो राज्य सरकार द्वारा अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। यह किस प्रकार संभव हो सकता है? यह केन्द्र सरकार और रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वह सुरक्षित लेवल क्रॉसिग की व्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी है। देंडकूर और अलापडु में कई रेलवे लेवल क्रॉसिग हैं, उनका उन्नयन किया जाए। इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। मैं मंत्री महोदय से उचित कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, मैं गाड़ियों के रुकने के बारे में कहना चाहता हूं। वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण रेल गाड़ियां कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर नहीं रुकती हैं। स्थानीय लोग काफी लम्बे अरसे से, खम्माम रेलवे स्टेशन पर रोकने की सतत मांग करते रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से मंगला एक्सप्रेस को खम्माम में रुकवाने की व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूं। इसी तरह से लिंक एक्सप्रेस की गरला में रोकने की मांगें की जा रही हैं। रेल मंत्रालय को इस मांग को मान लेना चाहिए। यह भी मांग की जा रही है कि सातवाहन एक्सप्रेस जो स्थानीय एक्सप्रैस रेलगाड़ी है उसे मदिरा में भी रुकना चाहिए। मुझे आशा है और विश्वास है कि मंत्री महोदय लोगों की इस लम्बे समय से चली आ रही मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। माननीय रेल मंत्री ने माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए कुछ सुझावों का बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैं अनुरोध करता हूं कि वह भद्राचलम रोड-कोबूर रेलवे लाइने और खम्माम में अंडरब्रिज के निर्माण के बारे में मेरे अनुरोध पर भी उसी उत्साह से तुरन्त अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : सभापति महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए रेलवे अनुदानों की अनुपूरक मांगों के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा भारतीय रेल में सुधार हेतु कतिपय सुझाव देना चाहता हूं।

भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है जिसमें अत्यधिक क्षमताएं हैं लेकिन विकास कार्यों की दिशा में रेलवे में बहुत पहले ही परिवर्तन किया जा चुका है जिसके परिणामस्वरूप पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पूरा हो जाने के बावजूद भी विभिन्न परियोजनाओं के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका है। नए क्षेत्रों विशेषकर हमारे देश के पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनों के विस्तार का कार्य अत्यंत असंतोषजनक है तथा यह निर्धारित लक्ष्य से काफी कम हुआ है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जिम्मेवारियों की

अनदेखी करके रोजगार के अवसर में अत्यधिक कटौती की गई है। नई रेल लाइनों के विस्तार पर विशेष बल देना चाहिए तथा क्षेत्रीय असमानताओं को कम से कम करने हेतु एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

इस संबंध में सरकार ने स्वागत योग्य कार्य किया है। हाल ही में जब इस सदन में बजट प्रस्ताव पारित किए गए थे, रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक सकारात्मक संकेत दिया था। यह पूर्व के बजट भाषणों से भिन्न रहा।

विभिन्न रेल परियोजनाएं लम्बे अरसे से विभिन्न क्षेत्रों में लम्बित हैं। सभी परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं लेकिन उनमें से अधिकांश में विलंब हो रहा है। यदि लम्बे अरसे से लम्बित इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूरा नहीं होता है तो इस बीच होने वाली मूल्य वृद्धि से होने वाला घाटा रेलवे को उठाना होगा। इसके परिणामस्वरूप देश को भी नुकसान उठाना होगा। इसलिए मैं सभी लम्बित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने का सुझाव देता हूं।

मैं इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में कुछ अन्य सुझाव देता हूं। विगत में हमारे राज्य में कई परियोजनाओं की घोषणा की गयी थी परन्तु उनमें से कुछ ही परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। सभी परियोजनाओं में प्रगति अत्यंत धीमी है। पूर्वी रेलवे के साहिबगंज सेक्शन में जाना-सैंधिया रेल लाइन के दोहरीकरण पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह स्वीकृत किया जा चुका है। 71 किलोमीटर की रेल परियोजनाओं का दोहरीकरण कार्य पांच वर्ष पूर्व आरंभ किया गया था। परंतु मुझे अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कार्य की प्रगति अत्यंत असंतोषजनक है। इस संबंध में प्रशासन का बारम्बार ध्यान आकर्षित किया गया है। अब तक बहुत कम कार्य किया गया है। लेकिन चरणबद्ध कार्यक्रम दिखाया जाना कागजों तक ही सीमित है। यदि इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन इसी प्रकार किया जाता रहा तो इसकी लागत में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि होती रहेगी। इस परियोजना में टाइगंकरण के मुख्य उद्देश्य की अनदेखी कर दी गयी है। मेरा सुझाव है कि टाइगंकरण के कार्य को समयबद्ध तरीके से शुरू किया जाए। एक समय सीमा के अन्दर इसे पूरा किया जाना चाहिए। विद्युतीकरण कार्य भी शुरू किया जाना चाहिए।

पूर्वी रेलवे का अंडाल सैंधिया सेक्शन भी औद्योगिक क्षेत्र तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के मध्य संपर्क का एक महत्वपूर्ण साधन है। इन राज्यों को इस संपर्क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। सर्वेक्षण कराया गया था। लेकिन अब तक कोई धनराशि मंजूर नही की गई है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। अतः बदलते संदर्भ को मद्देनजर रखते हुए मेरा यह सुझाव है कि इस परियोजना को शुरू किया जाए।

सूरी जिला मुख्यालय में कोई रेल पुल नहीं है। लोगों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः वहां तक उपरि पुल का निर्माण किया जाना चाहिए। उस स्टेशन का दर्जा भी बढ़ाया जाना चाहिए।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यह कहां से कहां तक आपने कह दिया।

[अनुवाद]

डा. रामचन्द्र डोम : यह अंडाल सैंधिया के बारे में है। इसका सर्वेक्षण कराया जा चुका है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हां, ठीक है। प्रोबलम क्या है।

डा. रामचन्द्र डोम : प्रोबलम यह है कि वहां आसनसोल, धनबाद की इंडस्ट्रियल बेल्ट है।

[अनुवाद]

यह उत्तर-पूर्व में जाती है। यह उस मार्ग को जोड़ती है। इसी कारण से यह वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

इसके बाद एकलाखी-बैलुरघाट रेल लाइन का प्रश्न है। यह लम्बे समय से लम्बित है।

महोदय, यह मामला लम्बे समय से लम्बित है। हालांकि गत बजट में इस परियोजना हेतु आवंटन किया गया था फिर भी इसका कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस परियोजना को तेजी से क्रियान्वित किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसी प्रकार हावड़ा-अंता सेक्शन के अंतिम दो चरण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बरगछिया से मुसरीघाट रेल लाइन के क्रियान्वयन पर अब तक दो करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन बजट पेश किए जाने के आठ माह के पश्चात भी इस सेक्शन पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। अतः मेरी मांग है कि इस कार्य को तुरंत शुरू किया जाना चाहिए।

महोदय, अब हम दार्जिलिंग जिले पर आते हैं। आप जानते हैं कि वर्तमान में इस क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं। इन दिनों वहां अलगाववादी ताकतें अत्यंत सक्रिय हैं विशेषकर दार्जिलिंग शहर पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहां यातायात की एक समस्या है। खिलोना गाड़ी अर्थात सिर्फ छोटी रेलगाड़ियां वहां चल रही हैं। दार्जिलिंग में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने तथा प्रोत्साहित करने हेतु नई रेलगाड़ियों को शुरू किए जाने सहित इस सेक्शन के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

महोदय, प्रस्तावित तारकेश्वर-आरामबाग रेल मार्ग का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। इस परियोजना का सर्वेक्षण कार्य तुरंत शुरू किया जाना चाहिए तथा इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अंतिम आवंटन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार आप बीड़ीकार रेल परियोजना के बारे में जानते हैं तथा बांकुरा-दामोदर रेल परियोजना का मामला इस सदन में कई बार उठाया गया है। वहां के लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। रेल विभाग इस रेल लाइन के कार्य को इस

आधार पर बंद करने का विचार कर रहा है कि यह अर्थक्षम तथा आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेल लाइन है तथा इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए तथा इस रेल लाइन के उन्नयन हेतु कदम उठाए जाने चाहिए।

महोदय, इसके पश्चात अहमदपुर-कटवा रेल लाइन के उन्नयन का प्रश्न आता है। यह एक महत्वपूर्ण रेल संपर्क है। इस वर्ष हम महान उपन्यासकार श्री ताराशंकर बंधोपाध्याय का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। इस महान उपन्यासकार का निवास-स्थान लामपुर था जो इस सेक्शन के अंतर्गत आता है तथा साथ ही साथ यह श्री प्रणव मुखर्जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है।

सभापति महोदय : कृपया सुझाव दीजिए, स्पष्टीकरण नहीं। सिर्फ प्रस्ताव के बारे में कहें।

डा. रामचन्द्र डोम : महोदय, मैं संक्षेप में कहूंगा। इस सेक्शन के उन्नयन का मामला लम्बे समय से लम्बित है। लामपुर स्टेशन का उन्नयन किया जाना चाहिए तथा महान उपन्यासकार श्री ताराशंकर बंधोपाध्याय की स्मृति में एक नई रेलगाड़ी तुरंत शुरू की जानी चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

महोदय, मोल्लरपुर तथा पंचमी हटगछिया, के बीच जो एक पत्थर खदान क्षेत्र है, एक रेल लाइन है। यह एक पिछड़ा क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र में कई पत्थरों की खदानें हैं। वहां रहने वाले लोगों के लिए आय का कोई वैकल्पिक साधन नहीं है। अतः मोल्लारपुर तथा पंचमी हटगछिया सेक्शन के बीच व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस रेल लाइन की परियोजना को तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। दुमका-रामपुरहाट रेल लाइन को स्वीकृति दी जा चुकी है किंतु इस सेक्शन पर कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है तथा इसे शुरू किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि यह आज के लिए पर्याप्त है। कुछ बातों को मुख्य रेल बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात कहने हेतु छोड़ दें। यह सिर्फ अनुपूरक बजट है।

डा. रामचन्द्र डोम : महोदय, आसनसोल से अंडाल के रास्ते सैंधिया लूप लाइन से मलहट्टी जंक्शन तक एक नई फास्ट सवारी रेलगाड़ी शुरू की जानी चाहिए। यह मांग लम्बे समय से लम्बित है। सैंधिया लूप सेक्शन पर हावड़ा से अंडाल के रास्ते रामपुरहाटा तक एक नई फास्ट सवारी रेलगाड़ी भी शुरू की जानी चाहिए। अंडाल से अजीमगंज के बीच रेल सेवाएं बंद कर दी गयी हैं। इसके कारण दो जिलों में कठिनाई हो रही है। यह रेल सेवा डी.एम.यू. सेवा के शुरू होने के पश्चात बंद की गयी है। अंडाल से अजीमगंज तक रेल सेवाएं पुनः शुरू की जानी चाहिए।

रात्रि 12.00 बजे

इससे दोनों जिलों के लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं। अजीमगंज से अंडाल सबसे पुरानी रेल लाइन है तथा इसे पुनः शुरू किया जाना चाहिए। मेरी अगली मांग यह है कि हाल ही में शुरू की गयी हावड़ा रामपुरहाट एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर गणदेवता एक्सप्रेस किया जाए। इस प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है। 'गणदेवता' स्व. ताराशंकर बंधोपाध्याय द्वारा लिखा गया सबसे अधिक प्रसिद्ध उपन्यास है अतः इसका नामकरण गणदेवता एक्सप्रेस किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आपने अपना भाषण एक अच्छे मुद्दे के साथ समाप्त किया है।

डा. रामचन्द्र डोम : बर्खास्त किए गए रेलवे श्रमिकों को पुनः बहाल किया जाना चाहिए तथा लोको शेडों के बंद किए जाने के कारण हटाए गए नैमित्तिक मजदूरों को भी रोजगार दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। कोयला तथा राख संबंधी संयंत्रों के कर्मचारियों के मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए और ओर उस पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

मुझे आशा है कि पूरा सदन मेरे इस सुझाव से सहमत होगा कि सौहार्द भावना की दृष्टि से कलकत्ता तथा बंगलादेश के बीच रेल सेवाओं को पुनः तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। इस परियोजना पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जब से पिछला बजट प्रस्तुत किया है, उन्हें तब से बिहार की तरफ से पूरी वाह-वाही मिल रही है। मैं रेल राज्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह अगले साल के बजट में उत्तर प्रदेश की भी चिंता करें। मैं ऐसा इसलिए भी कहना चाहूंगा कि माननीय रेल राज्य मंत्री का पूरे उत्तर भारत में बहुत सम्मान है और वहां उनके बहुत से शिष्य हैं। वह उनकी भावनाओं को ध्यान में रखें। मेरा एक निवेदन है और मैं उस संबंध में उनसे आश्वासन भी चाहूंगा। यहां बहुत सी बातें कही गई। आपका पूरक बजट बहुत छोटा है, सीमित है लेकिन जो बातें यहां कही गई हैं उनका हमको जवाब मिले, इतनी आपसे अपेक्षा है। हमारे द्वारा कही गई जिन बातों का अगले बजट में समावेश किया जा सकता है, उनका समावेश करें। शायद ये सारी बातें इसलिए की गई हैं कि जब आगामी बजट प्रस्तुत हो तो उन पर आप विचार कर सकें। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि सेलून की प्रथा बंद होनी चाहिए, इसके ऊपर आप विचार करें। उसका बहुत लाभ नहीं है। पिछले रेल मंत्री जी ने यह सुझाव दिया कि मंडल और जोनल स्तर पर सांसदों और जन प्रतिनिधियों की बैठकें बुलाई जाएंगी। बीच में यह व्यवस्था टूट गई, इस पर ध्यान दिया जाए। इससे बहुत सारी बातें आपके सामने संभवतः नहीं लाई जाएंगी।

मंत्री जी पिछड़े क्षेत्रों और अनुसूचित जाति क्षेत्रों की बहुत चिन्ता करते रहे हैं। अब ओ.बी.सी. के लिए भी आरक्षण हो गया है। आपके रेल विभाग में इसकी कितनी व्यवस्था है, इसकी भी चिन्ता करें। हम लोगों को जानकारी मिले कि वास्तव में ओ.बी.सी. के लोगों की भी इस आधार पर इसमें भर्ती हो रही है। मेरा मानना यह है कि जो नया

बजट प्रस्तुत हो उसमें उत्तर प्रदेश के कुछ प्रस्ताव होने चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था और आपने प्रश्न के उत्तर में स्वीकारा था कि रेल ट्रेक पुराने हो गए हैं और कहीं-कहीं पर कुछ खराब हो गए हैं। उसी दिन जिस ट्रेन में मैं जा रहा था वह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दिल्ली-मुरादाबाद रूट बहुत चलने वाला रूट हो गया है। सिंगल ट्रेक से बात नहीं बनेगी, उसका दोहरीकरण करने की बात स्वीकार की गई है। वहां प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू किया जाए और बीसवीं सदी में किया जाए, ऐसा अश्वासन मंत्री जी निश्चित रूप से दें। दैनिक यात्रियों को बहुत दिक्कतें रहती हैं। अगर चेयर कार की व्यवस्था कर दें तो निश्चित रूप से लाभ होगा और झगड़े की संभावना बहुत कम रहेगी। मैं सतपाल महाराज जी से आग्रह करूंगा कि आगरा से काठगोदाम को एक बहुत अच्छी ट्रेन चलती है अगर वह उसका गेज परिवर्तन जल्दी करवा देंगे तो लाभ होगा और क्षेत्र के लोगों को भी लाभ होगा।

मैं बरेली की समस्याएं बहुत ज्यादा न कहते हुए कुछ आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा।

बरेली के अंदर पूर्वोत्तर रेल का डिपो है और वहां पर मंडल रेल कार्यालय भी है और रेल कारखाना भी है। यदि आप आंकड़े मंगाकर देखेंगे तो मालूम होगा कि काम कम हो रहा है और कर्मचारियों की संख्या भी कम हो रही है। यहां पर कोच फैक्टरी बनाने की बात थी, उपयुक्त स्थान भी बरेली को माना गया था क्योंकि यहां पर रेल सम्पत्ति अधिक मात्रा में थी। उस रेल सम्पत्ति पर लोग नाजायज कब्जा कर रहे हैं और उस सम्पत्ति का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। मेरी जानकारी में 2-3 प्रस्ताव इस संबंध में आये हैं। यदि इसको क्रियान्वित कर दिया जाता है तो नगर की जनता को प्रसन्नता होगी और उनको काम भी मिलेगा। मैं समझता हूं कि आपको बताया गया होगा कि जगह का सदुपयोग किया जा सकता है और कम खर्चे में यहां पर काम प्रारम्भ किया जा सकता है। अब आप ही इसको मिलकर तय कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं बरेली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां से दिल्ली के लिये ट्रेन की व्यवस्था ठीक नहीं है। रेल राज्य मंत्री जी ने अपने हिसाब से काठगोदाम से रामनगर के लिये ट्रेन चलायी है। यदि यह ट्रेन 9 बजे चला दी जाये तो इससे लाभ होगा और मुरादाबाद से जुड़ जाने के साथ उसमें तीन बोगियां होंगी जिससे लोगों को दिल्ली पहुंचने में राहत होगी। अभी श्री रावत जी ने कहा कि आला हजरत के नाम पर जो गाड़ी बरेली से चलती है, वह सप्ताह में एक दिन चलती है। बरेली से सुबह चलती है, मेरा निवेदन है कि उसे शाम को 8 बजे चलाया जाये और सप्ताह में दो दिन बढ़ा दिया जाये। इसके लिये निश्चित रूप से बरेली के नगरवासी रेल मंत्री जी को धन्यवाद देंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे। इससे रेल प्रशासन का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अगर आप विचार करें तो अच्छा प्रस्ताव होगा। मैं नहीं मानता कि किसी पूर्व रेल मंत्री ने कोई वक्तव्य दिया और बाद में काम पूरा न हो। पूर्व रेल मंत्री श्री कलमाड़ी बरेली आये थे और उस समय कुमायूं की बात उनके दिमाग में थी और कहा कि बरेली से दिल्ली के लिये ट्रेन चलाने के बारे में विचार करेंगे। आपने कानपुर के रास्ते तीन राजधानी और शताब्दी ट्रेन चला रखी हैं लेकिन मुरादाबाद होकर एक भी नहीं। यदि एक गाड़ी मुरादाबाद बरेली लखनऊ होते हुये चलायें तो लाभ हो सकता है। इससे रेवेन्यू भी मिलेगा। मेरे ख्याल से कानपुर के लिये ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। मेरे प्रस्ताव पर विचार करेंगे, ऐसा विश्वास है।

सभापति महोदय, बरेली एक महत्वपूर्ण ट्रेक पर स्थित है। हावड़ा से जम्मू और अमृतसर के लिये इसी ट्रेक पर ट्रेन चलती है। लेकिन किसी गाड़ी में पेंट्री कार नहीं है, शायद आपको इसकी जानकारी होगी। स्टेशन पर क्वालिटी का खाना नहीं मिलता है इससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि जब एक ट्रेन हावड़ा से अमृतसर के लिये चलती है तो 10-12 घंटे में यात्रियों को ठीक से खाना नहीं मिलने से बिना वजह प्राब्लम होती है। मैं चाहता हूं इस बारे में विचार किया जाये और इसको किस हिसाब से किया जायेगा, यह आप विचार करें।

सभापति महोदय, एक ट्रेन 3009/3010 हावड़ा से देहरादून के लिये चलती है लेकिन गत दो साल से देख रहा हूं कि यह निरंतर लेट चल रही है। यदि आप 1000 दिन का रिकार्ड उठाकर देख लें तो आपको जानकारी होगी कि एक दिन भी सही समय पर नहीं चलती है। देहरादून जाने वालों के लिये यह एक ही ट्रेन है। इससे यात्रियों के लिये समस्या पैदा होती है। मेरा आग्रह है कि इस ओर रेल मंत्री ध्यान दें।

सभापति महोदय, श्रमजीवी एक्सप्रेस के लिये 250 किलोमीटर की सीमा में लाकर दिल्ली पर समाप्त कर दिया जाये क्योंकि बरेली आखिरी स्टापेज है। आशा है आप इस ओर ध्यान देंगे।

बरेली के पास एक इफको कारखाना है जो इस रेल मार्ग पर पड़ता है, वहां पर एक ओवर ब्रिज बन जाये तो लोगों को राहत मिल सकती है। मैं ज्यादा समय न लेते हुये निवेदन करूंगा कि इन प्रस्तावों पर अवश्य विचार करते हुये अपने उत्तर में स्पष्ट बतायें ताकि क्षेत्र की जनता को रेल से होने वाली सुविधाओं का फायदा मिल सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि अधिकांश जवाब दिया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मैं सर्वप्रथम सभी माननीय सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही मूल्यवान विचार रखने का काम किया है और मैं रेल मंत्री की हैसियत से उनको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं और कोशिश करता हूं कि स्वयं माननीय सदस्यों ने जितनी बातें कही हैं, उनमें से अधिकाशं मैं स्वयं मोनीटर करता रहा हूं और जब भी माननीय सदस्य हमारे सामने

किसी बात को रखते हैं तो हम उनके सामने नक्शा रखते हैं, सारी चीज हम देखते हैं। लेकिन उसमें हमें थोड़ा प्रायोरिटी भी देखनी पड़ती है। माननीय सदस्य सनत मेहता नहीं हैं। भावनगर सुरेन्द्रनगर के लिए उनको पता नहीं था कि इस रेल बजट में बढ़ाया जाएगा लेकिन जब हमने देखा कि पिछड़ा हुआ इलाका है तो हमने जोर डालकर उसको डलवाने का काम किया। अभी भी देखेंगे तो जितने आइटम लिये गए हैं, कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है लेकिन बिहार आदिवासियों का इलाका है। यह रांची से लेकर लोहरदगा और तोड़ी 164 किलोमीटर है। हम चाहते थे कि इस बार कोडरमा से गिरीडीह से लेकर हजारीबाग होते हुए जो आदिवासी इलाका है, उसके लिए कुछ किया जाए। दुर्भाग्य है कि पिछले पचास साल में बिल्कुल उपेक्षित एरिया की और उपेक्षा की गई। नतीजा यह है कि थोड़ा बहुत भी उस इलाके में काम होता है तो मालूम होता है कि बहुत बड़ी चीज वहां आ रही है। लोगों में इतनी खुशहाली आ जाती है कि उसकी पब्लिसिटी भी बहुत ज्यादा होने लगती है। आप देखेंगे कि इसमें हमने छः-सात आइटम मुश्किल से लिये हैं जो रेलवे लाइन से संबंधित हैं। एन.एफ. रेलवे साउदर्न रेलवे, साउथ सैन्ट्रल रेलवे, एन.एफ. रेलवे, हसन से बंगलौर साउदर्न रेलवे, करूर से सेलम साउदर्न रेलवे, हुबली से अंकोला साउथ सेन्ट्रल रेलवे, रांची से लोहरदगा साउदर्न ईस्टर्न रेलवे, जबलपुर रेलवे लाइन से संबंधित हैं। एन.एफ. रेलवे साउदर्न रेलवे, साउथ सैन्ट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे सभी हैं। खगरिया से कुशल सहरसान एन.ई. रेलवे, हारमुदी से ईटानगर एन.एफ. रेलवे, हसन से बंगलौर साउदर्न रेलवे, करूर से सेलम साउदर्न रेलवे, हुबली से अंकोला साउथ सेन्ट्रल रेलवे, रांची से लोहरदगा साउथ ईस्टर्न रेलवे, जबलपुर से गोदियां सेन्ट्रल रेलवे, अजमेर से उदयपुर वेस्टर्न रेलवे, सुरेन्द्रनगर से भावनगर ढोला ढाका, महुआ आमान परिवर्तन वैस्टर्न रेलवे। आप देखेंगे कि जहां तक संभव हो पाया है हमने किया है। यह सप्लीमेंटरी बजट है, जनरल बजट नहीं है। इसकी भी अपनी मर्यादा है कि हम इसमें कितना रखेंगे। जार्ज साहब की बात मैं सुन रहा था। वे भी कैबिनेट में थे लेकिन उनके प्वाइंट को भी हमने देखा। एक तरफ हम मान लेते हैं कि काम नहीं होगा तो कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ काम करने की कोशिश की जा रही है तो उसमें नुक्ताचीनी करते हैं। वह आंकड़े पढ़कर सुना रहे थे कि रेलवे मिनिस्टर ने इतने करोड़ का बजट रखा और इसमें इतने करोड़ रुपये दिये। इतने करोड़ का बजट रखा इसमें इतने लाख दिये। हर रेल मंत्री ऐसा करता है। आज हम जितना बजट करते हैं किसी नयी रेल लाईन के लिए, यदि 300 करोड़ या डेढ़ सौ करोड़ का बजट है तो उसमें डेढ़ करोड़ भी पहले छः महीनों में खर्च नहीं होता है। पहले जमीन के लिए स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी पड़ती है, जमीन खरीदनी पड़ती है, फिर सबको पैसा चुकाना पड़ता है। तब जाकर जमीन पर काम शुरू होता है। ऐसा बात नहीं है कि वह मिनिस्टर नहीं था। 1990-91 का पूरा का पूरा बजट हम पढ़ रहे थे। उसमें उन्होंने क्या किया था-शोहनूर से लेकर मुगलसराय 165 करोड़ का था। पैसा 15 करोड़ लगा था। फिर नार्दर्न रेलवे में गेज कनवर्शन था। वीरानगांव से जोधपुर 267 करोड़ का था। पैसा छः करोड दिया था। इसी तरीके से काशीपुर से लालकुंआ में 15 करोड़ था और उसमें एक हजार था। उसके बाद छपरा से लेकर औनिहार को हमने कंप्लीट करवाया, वह 85 करोड़ था और एक हजार हमने उसमें दिया। इसलिए यह कहना कि इतने का बजट है और इतना पैसा रखा गया है। यह पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का एक सिस्टम है। इसमें जब किसी चीज की सैंक्शन हो जाती है तो आने वाले मंत्री के ऊपर इसका दवाब रहता है। बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। गिरिजा व्यास जी अभी यहां नहीं हैं, उनका प्रोजेक्ट का मामला था, हम लोगों ने लड़कर किसी तरीके से उसे पास करवाया और आज वह बजट में जुड़ गया है, अब काम भी शुरू हो जायेगा। हमारे राजेश पायलट जी नहीं है, दौसा से गंगापुर का मामला था, उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। प्लानिंग कमीशन का मामला है, उसमें एक्सपेंडिड बोर्ड और सी.सी.ए. भी हैं। एक्सपेंडिड बोर्ड में तो हमारे अधिकारी नहीं होते हैं, उसमें विभिन्न मिनिस्ट्रीज के सेकेट्रीज होते हैं, वे सब पास करते हैं फिर वह सी.सी.ए. में जाता है, पर उसको देखा जाता है। पहली बार हमने हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा किया है कि रेलवे को हमने कहा है कि यह मुनाफा कमाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि रेलवे को आम लोगों के वैलफेयर का एक इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए और अब हम लोग उसको कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी यह चल रहा है, हमने इस बार नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का काम किया है। हमारे साथी चले गये हैं मैंने उनको यही कहना था। अब जैसे मेघालय है, मेघालय की सरकार नहीं चाहती है कि उनके यहां दूसरी स्टेट के लोग आयें। उनका अलग सिस्टम है। किसी तरीके से हमने मेघालय में पैसा दिया है। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे पर हमने 50 करोड़ रुपया देने का काम किया है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मंत्री जी, जो चले गये हैं, उनके रिप्लाई आप क्यों दे रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : रिप्लाई तो देना ही चाहिए ...**(व्यवधान)** इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में काम हो। जैसे केरल है, हमारे एक साथी ने कहा कि हमारे यहां गाड़ी के डिब्बे खराब हैं। अब केरल ही डिब्बे खराब नहीं है, हर स्टेट से हमारे पास इस तरह की शिकायतें आती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम गाड़ी के डिब्बों को हम चाहें अप टू डेट कर दें, हालांकि हम केरल में कोशिश कर रहे हैं। हमने वहां से रिपोर्ट मंगाई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक हम केरल के संबंध में कह सकते हैं अभी छः रैक्स है।

[अनुवाद]

अगले कुछ महीनों में केरल एक्सप्रेस के छः रैकों को बदला जा रहा है। हाल ही में हमने केरल को कुछ सवारी डिब्बे दिए हैं जो कारखानों से प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

हम खुद भी चाहते हैं। हम रांची में गये वहां हमे कर्मचारी को सस्पेंड करना पड़ा और उस दिन सस्पेंड करना पड़ा जिस दिन हमने वहां डिवीजनल रेलवे ऑफिस का उद्घाटन किया। लेकिन हमारे जो

कर्मचारी और अधिकारी दोषी होते हैं, हम उनको दंडित करने का काम करते हैं। लेकिन जहां पैसे का मामला है, वह तो हमें भी योजनाओं के लिए चाहिए। अब जैसे रैक्स का मामला है। अब रैक्स के मामले में जो माल डिब्बे होते हैं उनके बारे में हमारे एक साथी ने एक मामला उठाया. हमने चैलेंज किया कि हमारे पास कमी थी फिर भी हमने उसको पूरा किया है। जो हमारा टारगेट था वह पिछली बार दस हजार का था लेकिन इस बार हम वह टारगेट 25 से 30 हजार बनायेंगे और उस लक्ष्य की तरफ हम लागे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाषण चलता है, हम काम भी कर रहे हैं। कैजुअल लेबर का मामला है यह आज से नहीं चल रहा है, यह कितने समय से चल रहा है। सारे के सारे एक से एक क्रांतिकारी नेता मिनिस्टर बने थे, किंतु उन्होंने उनको रेगुलराइज करने का काम नहीं किया। मैं आज कहता हूं कि हमने उसमें न सिर्फ घोषणा की है बल्कि मार्च तक 56 हजार कैचुअल लेबर में से हमने लक्ष्य बनाया है कि 30 हजार कैजुअल लेबर को हम रेगुलराइज कर देंगे और जब हम अगली बार आपके बीच अगले बजट में आयेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि 30 हजार का हमारा टारगेट पूरा हो जाए, 25 हजार का तो हमने निश्चित रूप से रखा है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि 25 से लेकर 30 हजार तक हम उसको आगे बढ़ाने का काम करें। जो ट्रेन्स की हमने घोषणा की है उसमें हमने 32 नई गाड़ियां चलाई हैं, उसके अलावा और जो गाड़ियां इधर-उधर चली हैं, वे अलग चली हैं, उसमें मैं आपका समय बरबाद नहीं करना चाहूंगा। दिल्ली से हावड़ा जाने वाली जनता एक्सप्रेस का सवाल आया, हमने पहली अक्तूबर से वह गाड़ी चला दी। अभी हमारे एक साथी ने कोंकण रेलवे का सवाल उठाया, कोंकण रेलवे को रत्नागिरि तक हमने चालू कर दिया है। इस बीच में मैं खुद जाना चाहता था, दो बार मैंने प्रोग्राम भी बनाया लेकिन इलैक्शन कमीशन हमारे हाथ में नहीं है, डेढ़ महीने पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए, जिससे उत्तर प्रदेश का काम ठप्प हो गया। उससे पहले मैंने दो दिन का गोआ तथा बम्बई का प्रोग्राम बनाया ताकि वहां जाकर कोंकण रेलवे का काम देख सकूं कि क्यों रूका हुआ है, केवल 600 मीटर टनैल की वजह से सारा काम रूका हुआ है। वहां के इंजीनियर का कहना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण हम तेजी से काम नहीं कर सकते, सीपेज हो रहा है। मैंने खुद जाकर निरीक्षण करने का सोचा था मगर मालूम हुआ कि वहां लोकल बौडीज के इलैक्शन हो रहे हैं, इसलिए इलैक्शन कमीशन ने मना कर दिया, हमारे पास तार आ गया कि आप जा नहीं सकते। जब इलैक्शनों का काम खत्म हुआ तो यहां पार्लियामेंट का सैशन शुरू हो गया। मैं स्वयं चाहता हूं कि जितना तेजी से हो सके, काम कराया जाए।

अब सवाल रहा सवारी डिब्बों का और रेलवे लाइन का, मैं आपको बता दूं कि हमने 5 साल का जो टार्गेट बनाया है, अगले 5 साल के बाद, जितना काम हम रेलवे में ट्रैक रिन्यूअल वगैरह का करेंगे, उसके बावजूद हमें चार हजार किलोमीटर रेलवे लाइन और चाहिए। हम देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं- जितना पैसा होगा, उतना ही काम हो पाएगा - जितनी शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होगा। हमें सब देखना पड़ता है क्योंकि हमारा देश अमेरिका या इंगलैंड नहीं है, वहां तो ट्रैक के दोनों तरफ फैंन्सिंग है, दूसरी चीजें मौजूद हैं, यही कारण है कि वहीं इंजन हमारे पास हो तो भी उस इंजन से हम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं, जबकि वहीं इंजन उनके पास है लेकिन वहां 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, पिछले 6 महीनों में हमने बहुत कोशिश की और दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने जो नया एंगल दिया है, उसी का नतीजा है कि आज बंगला देश के लोग हमसे बात करने आ रहे हैं, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, मलेशिया और रशिया से लोग बात करने आ रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है। दक्षिण अफ्रीका से, इधर-उधर से इंवीटेशन आए पड़े हैं, आप जानते हैं कि कितना बड़ा महकमा है, कहीं जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है ताकि वहां जाकर उनके सिस्टम को देख सकें कि कहां क्या है, कैसे है।

इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी दूर तक हो सके, रेलवे में सुधार लाने का काम किया जाए।

टेलीफोन के बारे में मैंने कहा है कि हमने बम्बई से नई दिल्ली मार्ग पर टेलीफोन एकदम शुरू कर दिया और वह ठीक काम भी कर रहा है। जहां तक दुर्घटनाओं का मामला है, अगर कहीं सैबोटेज हो तो उसे हम रोक नहीं सकते, जैसा झेलम एक्सप्रेस में हुआ, होम मिनिस्ट्री उसकी जांच कर रही है, डी-रेलमेंट के बारे में जैसा आपने कहा, अगर कहीं घटना हो जाती है, लेकिन पैसेंजर गाड़ियों का सवाल है, उसमें हम दोनों चीजें कर रहे हैं- अहतयात बरतने का काम भी कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले साल दुर्घटनाओं की बाढ़ सी आ गई थी। अभी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पिछले 7 महीनों के अंदर, ट्रौली की बात अगर छोड़ दें, यदि कहीं हमारी रेलवे लाइन आ रही है, वहां अगर अन-मैन्ड गेट है, फाटक है, वहां भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां अति आवश्यक है, वहां हम आदमी तैनात करें। इसके साथ वहां जो बसें चलती हैं, दूसरे वाहन चलते हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। जब कोई गाड़ी आ रही है तो एकदम उसमें कार की तरह ब्रेक नहीं लगाई जा सकती। कोई आदमी बस से जा रहा है, कोई टैम्पो से जा रहा है, उसकी भी कुछ जवाबदेही है। अब तक पिछले 7 महीनों में केवल तीन पैसेन्जर्स की कैजुअलटी हुई है। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा हमारा नैटवर्क है, 62,000 किलोमीटर रेलवे लाइनें हैं, जिसमें केवल तीन कैजुअलटी अभी तक होना, मैं मानता हूं कि दुख का विषय है, मगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे भी न होने पाएं।

जहां तक विशेष भर्ती अभियान का मामला है, एस.सी.एस.टी. तथा बैकवर्ड क्लासेज के लिए, जैसा श्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा, हमें उसके बारे में मालूम है। जितने हमारे रेलवे भर्ती बोर्ड देश भर हैं, कुल 19 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, उनमें से प्रत्येक भर्ती बोर्ड में हमने 9 अन-ओफिशियल मैम्बर रखे हैं, जिनमें से तीन शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के, तीन बैकवर्ड कम्युनिटीज के और तीन

माइनौरिटीज कम्युनिटीज के हैं। हमने उन्हें कहा है कि आप हर जगह जाकर देखिए, यह तुम्हारा काम है कि तुम इन लोगों के इन्टरैस्ट की रक्षा करो।

सभापति महोदय, शैड्यूल्ड कास्ट का मामला था, कहीं कोई कभी अनुसूचित जाति के आदमी को चेयरमैन बनाता है, लेकिन हमने बनाया। चाहे भुवनेश्वर का मामला हो, चाहे इलाहाबाद का, सरोज प्रसाद सरजू का इलाका हो, हमने सब जगह सबको प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। कहीं सिद्दीक को बनाया है। चाहे मायनारिटी का मामला हो, चाहे बैकवर्ड क्लास का मामला हो, हमने सब जगह प्रयास किया है। ऊंची जाति के भी हैं। तो कोशिश कर रहे हैं समाज के हर तबके के मन में एक सैटिसफैक्शन की भावना आए। उसी प्रकार से चाहे सी.आर.पी.एफ. का मामला हो, चाहे बहाली का मामला हो, हमने प्रयास किया है कि हर क्षेत्र में हर जगह में जाकर बहाली करने का काम करें। चाहे पुलिस बल का मामला हो, चाहे आर.पी.एफ. का मामला हो, आज के युग में जहां एक से एक आधुनिक तकनीक आ गई है, एक से एक आधुनिक हथियार आ गए हैं, तो वहां लंबाई-चौड़ाई का क्या मामला है। हमारी गोरखा रेजीमेंट के जवान लंबाई में छोटे होते हैं, लेकिन क्या बहादुरी में वे किसी से कम होते हैं? इसलिए आज के जमाने में पांच फुट सात इंच की बात करने कोई मतलब नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारा ट्राइबल एरिया है, नार्थ इस्ट का एरिया है, लद्दाख का एरिया है, यदि वहां हम पांच फुट सात इंच की बात करेंगे, तो हम उनके साथ जस्टिस नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो एक व्यावहारिकता का दृष्टिकोण है, मानवता का दृष्टिकोण है उसे देखा जाए और प्रत्येक कानून मानवता के ऊपर आधारित रहता है और उस दृष्टिकोण से हम चाह रहे हैं कि हमारे रेलवे का जो एंगल है, उस दिशा में हम उसको ले जाएं, लेकिन यदि हम रेलवे को सिर्फ पब्लिक वैलफेयर का बना दें और हमको पैसा कहीं से नहीं आए, तो रेलवे ठप्प हो जाएगा, और यदि हम रेलवे को शुद्ध व्यावसायिक स्तर का बना दें और पब्लिक वैलफेयर का बिलकुल ध्यान नहीं रखें, तो भी काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हमने कोशिश की है कि सरकार से भी कुछ पैसा लें।

सभापति महोदय, आज हमें इस बात की खुशी है कि श्री देवेगौडा जो हमारे प्रधान मंत्री हैं। यह बात नहीं है कि वे हमारी पार्टी के हैं या युनाइटेड फ्रंट के हैं, इसलिए मैं कोई उनकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन वे वाकई बधाई के पात्र हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि उनकी मंशा से रेलों में आज विकास हो रहा है नहीं तो बारामूला से कटरा तक 2500 करोड़ रुपए के प्रोजैक्ट को कभी हाथ में नहीं लिया जा सकता था और रेलवे तो इस काम को सात जन्म तक नहीं कर पाता, यदि प्रधान मंत्री जी की मंशा नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधान मंत्री तो देश की रेल का इंजन की तरह होता है। हमने इस कार्य के लिए 20 करोड़ रुपया इस बार के बजट में डाल दिया है और यही नहीं हम खाली भाषण देकर यहां नहीं छोड़ देंगे बल्कि हमने कहा है कि पांच साल में हम इसे पूरा करेंगे और इसको हमने नैशनल बजट में डाल दिया है। हम उसको पूरा करेंगे।

सभापति महोदय, उसी तरीके से आप चले जाइए। अगरतल्ला से लेकर कुमारघाट तक की रेलवे लाइन का मामला है या बोगीबिल ब्रिज का मामला है, हम 19 तारीख को टैंटिव प्रोग्राम के अनुसार सिलचर जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसी के साथ बोगीबिल ब्रिज का भी मामला आ जाए। नार्थ ईस्ट का जो मामला है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा जनरल बजट है, उसमें से यदि हमें पैसा आ जाए, तो जितना जल्दी हो सकेगा हम उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम जहां तक हो रहा है पूरी कोशिश करके काम कर रहे हैं और मैं यह बताना चाहता हूं कि देश का कोई भाग ऐसा नहीं है जहां हम काम नहीं कर रहे हैं। हम सारे देश में काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नार्थ ईस्ट में जितना हमसे बन सका है, हमने उसे जोड़ने का काम किया है।

सभापति महोदय, हमने अलग-अलग मद में जितना पैसा दिया है, मैं उसको भी बताना चाहता हूं। उधमपुर से कटरा तक 20 करोड़, गुना से इटावा तक 20 करोड़, दीमापुर से डिब्रूगढ़ तक 30 करोड, जोगीबाला में 20 करोड़, तालकट से सम्बलपुर के लिए 40 करोड़ दिए हैं और ये इसी वित्त वर्ष का जो थोड़ा सा बचा हुआ भाग है, तीन महीने का उसके लिए हैं। उसके बाद न्यू लाइन्स इन साउथ इस्टर्न रेलवे में हमने 15 करोड़ रुपए डाले हैं। फिर हमारे साथी कह रहे थे कि जहां-जहां पहले दिया था, जैसे हावड़ा है, हमने उसमें भी बढ़ा दिया है। इसी प्रकार से दीघा तमलू में पैसा बढ़ा दिया है। एक हमारे मित्र एकलखी बालूघाट के संबंध में कह रहे थे, उसमें तीन करोड़ रुपए दिए हैं। लालजीगढ़ से जूनागढ़ तक, कालाहांडी के हमारे भक्त चरण दास जी कह रहे थे और वे कह रहे थे कि सिर्फ एक करोड़ रुपया दिया है, ऐसी बात नहीं है। ज्योंही वे हमसे आकर मिले हमने एक करोड़ के अलावा उसमें चार करोड़ रुपए और डाल दिए। इस प्रकार से हमने उसमें पांच करोड़ रुपए दिए हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार : मंत्री महोदय, आप अपना जवाब सदस्यों को लिखकर भेज दें।

श्री राम विलास पासवान : नहीं, अब जब हम बोल रहे हैं, तो यह रिकार्ड पर जा रहा है। यह तो जवाब ही है। इससे ज्यादा जवाब क्या होता है।

इसी तरह से हरदासपुर से पारादीप का है। पहले हमने उसमें एक करोड़ दिए थे, अब दो करोड़ दिए हैं।

देतारी से बांसपानी तक 20 करोड़ रुपये दिये थे उसको हम बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से तेरापल्ली से करीमनगर निजामाबाद तक तीन करोड़ रुपये दिये थे उसमें हम 5 करोड़ रुपये और बढ़ा रहे हैं। नन्दयाल से एररगुंटका तक 5 करोड़ रुपये दे रहे हैं। मिराज से लातूर तक जहां से चव्हाण साहब और श्री पाटिल जी, जो स्पीकर रहे हैं, उनका एरिया है। उसमें 10 करोड़ रुपये दे रहे हैं। हम देख रहे हैं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : मंत्री जी, इंदौर कहां छूट गया?

श्री राम विलास पासवान : हम अभी उसमें भी आ रहे हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : आप जो पैसा दे रहे हैं वह बहुत अच्छी बात है लेकिन जो सदस्य यहां उपस्थित नहीं है उनकी तरफ भी आप विशेष ध्यान रखें।

श्री राम विलास पासवान : अभी हमारे पश्चिम बंगाल के एक साथी कह रहे थे। सोमनाथ जी ने लिखकर भेजा था। थाना से सैठिया तक कांट्रेक्ट की बात थी। वह ठीक हो गयी है और उस पर काम शुरू हो गया है। उसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जायेगा। हमारे हाथ की जो बात है, उसे हम जरूर करेंगे। आपने बतलाया कि हावड़ा से अजीमगंज वाया कटवा तक ट्रेन का मामला है। उस पर हम पोजीटिव रूप में एग्जामिन करवा रहे हैं। इसी तरीके से लालगुला से अजीमगंज तक है, उसको हम पर्सनली देख रहे हैं। रेलवे बोर्ड की हमारे पास जानकारी आई कि वह नेगटिव है। मतलब वह संभव नहीं लग रहा है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : माननीय मंत्री जी इस पार भी लाइन है और उस पार भी लाइन है। उनके बीच सिर्फ ब्रिज की जरूरत है। अगर वह ब्रिज बन जायेगा तो वह लाइन कनेक्टिड हो जायेगी।

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, हम देख लेंगे। आपको भी रेलवे बोर्ड में बुला लेंगे।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपको उस एरिया में बुलाना है। आप उनको भी अपने साथ ले आइये। ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : हम ऐसा कर रहे हैं। गंगवार जी आपने बहुत बढ़िया बात कहीं। जितने भी प्वाइंट आपने उठाये हैं या बाकी सदस्यों के हर प्वाइंट का जवाब हम आप लोगों के पास भेज देंगे। हमको इससे खुशी होगी। हम सब जानते हैं कि कोई परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है। न हम परमानेंट मंत्री रहेंगे और न ही कोई परमानेंट एम.पी. रहता है। यह भी जरूरी नहीं कि हम इस साइड परमानेंट रहेंगे इसलिए आदमी अपने समय में जितना काम करते हैं। ...**(व्यवधान)** अपने समय में जितना काम कर लेते हैं उससे उसे उतनी ही संतुष्टि होती है और साथियों का भी भला होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक साथी है। ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : अविलम्बनीय लोक महत्व के जितने कार्य हैं उनको आप जल्दी करा दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि सारे के सारे प्रश्न नोट किये हुए हैं। अभी एक साथी कह रहे थे कि जोधपुर से लेकर मारवाड़ तक करें। हमने इसका टारगेट फिक्स किया है और सितम्बर तक उसको खत्म कर देंगे। अहमदाबाद से होते हुए मैसाना तक है उसको मार्च 1997 तक समाप्त करा देंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत : अजमेर से अहमदाबाद तक का है।

श्री राम विलास पासवान : अजमेर से अहमदाबाद तक जो है, वह हम मार्च 1997 तक खत्म कर देंगे। जोधपुर से मारवाड़ तक सितम्बर में कर रहे हैं। आपको और क्या चाहिए। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं?

प्रो. रासा सिंह रावत : जो आप दे रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद लेकिन अजमेर, चितौड़गढ़ खंडवा का है।

श्री राम विलास पासवान : मक्सी से लेकर देवस्थाखंड हम बना रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : मंत्री जी, हमने जो गाड़ी चलाने की बात कही है। ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : इंदौर वाला अभी हमारे पास नहीं है। इसे हम देखेंगे। ...**(व्यवधान)** कल हम आपको भी बुला लेंगे। ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, हमने माननीय मंत्री जी को कहा है कि दिल्ली अजमेर के बीच ब्राडगेज के ऊपर गाड़ी चला दें और शताब्दी एक्सप्रेस को दैनिक कर दें। ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : मैं आपको बताता हूं कि शताब्दी आपके यहां अजमेर से चल रही है।

प्रो. रासा सिंह रावत : आप उसे दैनिक कर दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : अभी वह कितने दिन चल रही है।

प्रो. रासा सिंह रावत : छह दिन चल रही है।

श्री राम विलास पासवान : छह दिन चल रही है तो ठीक है। हम अभी देख रहे हैं कि इनका भुवनेश्वर वाला हो जाये।

प्रो. रासा सिंह रावत : माननीय मंत्री जी, भोपाल वाली, लखनऊ वाली आदि सभी शताब्दियां सातों दिन चल रही है। ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जो ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. रामचन्द्र डोम : बंगलादेश के साथ संपर्क के बारे में क्या हुआ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : बंगलादेश के लोग भी आए थे। आपको मालूम होगा कि मैंने पहले दिन यहां पर कहा था कि बंगलादेश से हमारा अगरतला-त्रिपुरा का जो बार्डर है, वह 3 किलोमीटर में है। 3 किलोमीटर के बाद रेलवे लाइन शुरू हो जाती है और अपने देश में रेलवे लाइन के लिए गुवाहाटी या कलकत्ता में आना पड़ता है। इसलिए हमने कुमारघाट और अगरतला को टॉप प्रायोरिटी देकर रखा था। अब बंगलादेश से हमारे संबंध सुधर रहे हैं। जब हमारे संबंध पूरी तरह सुधर जाएंगे ...**(व्यवधान)** उसके रैस्टोरेशन

वाली बात हमारे दिमाग में है। आप कुछ बोलें उससे पहले हमको विदेश मंत्रालय से बात करनी पड़ेगी। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : केरल में आमान परिवर्तन के बारे में क्या हुआ। इस पर पिछली बार मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया था।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, उसे देखेंगे। ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : अजमेर से आगे की सारी गाड़ियां बंद हैं। ऐसी स्थिति में एक गाड़ी तो ब्रॉडगेज पर चलवाइए। आपने करोड़ों रुपये खर्च कर दिए लेकिन उसका कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा है। ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मेरे पास केरल से लेकर हर स्टेट का है और जितना हो सका था, मैंने अपने समय में उसे करने का काम किया है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : एक गाड़ी तो चलवा दीजिए। बहुत परेशानी हो रही है। आपने हां कर रखी है। ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : मैं माननीय सदस्य को इतनी बात कहना चाहता हूं कि हमने जिस चीज के संबंध में आपको आश्वासन दिया है और जिसके लिए पहले कहा है, हम उसे पूरा करेंगे। हम इनडिविजुअल में नहीं जाएंगे। यदि हमें किसी चीज पर आपको न भी कहना हो तो आपको बुलाकर आपके सामने सारी स्थिति रखेंगे और आपको कनविंस करके न कहेंगे। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यह सप्लीमैंट्री बजट है। दो महीने के बाद फरवरी में जनरल बजट आने वाला है। आपने पिछली बार जो कहा था, हमने कोशिश की है उसमें से कुछ सप्लीमैंट्री बजट में डालें और इस बार भी हम कोशिश करेंगे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो. रासा सिंह, कृपया इस प्रकार व्यवधान न डालें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपको उत्तर मिल गया है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैंने कहा है कि हमने जिस चीज का आश्वासन दिया है, उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है मैं समझता हूं कि आप सभी सदस्यों को इस संबंध में सूचित करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जितने साल उठाए गए हैं, उनका हम सैपरेटली जवाब देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1996-97 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

> "कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 2 और 16 के सामने दिखाए गये मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 12:39 बजे (19.12.1996)

विनियोग (रेल) संख्याक 4 विधेयक**

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- दो खण्ड-2 दिनांक 18/12/96 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : हमारे पास कार्यवाही के लिए कई मदें हैं। परन्तु, मेरे विचार से अब हमें सभा की कार्यवाही स्थगित करनी चाहिए।

रात्रि 12.41 बजे (9.12.96)

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

© 1996 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
डाटा प्वाईंट, 615, सुनेजा टावर–II, डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली–58 (फोन–5505110) द्वारा मुद्रित।